वर्ष 2019-2020 के लिए बजट प्रावधान, प्राप्तियां और वसूलियां घटाने के बाद, निम्नवत है

(अधिक जानकारी इस विवरण के अंतिम स्तंभ में संकेत किये हुए पन्नों पर दी गई है).

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2019-2020			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूंजी	कुल	
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय	**140685.25**	**78.72**	**140763.97**	
1. कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग	129550.51	34.70	129585.21	1-5
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	8078.76	...	8078.76	6-8
3. पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	3055.98	44.02	3100.00	9-12
परमाणु ऊर्जा विभाग	**8618.95**	**8106.56**	**16725.51**	
4. परमाणु ऊर्जा	8618.95	8106.56	16725.51	13-18
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	**1739.55**	**0.21**	**1739.76**	
5. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	1739.55	0.21	1739.76	19-23
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**75534.05**	**0.11**	**75534.16**	
6. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	263.65	...	263.65	24-26
7. उर्वरक विभाग	75034.95	0.05	75035.00	27-29
8. भेषज विभाग	235.45	0.06	235.51	30-31
नागर विमानन मंत्रालय	**4474.99**	**25.01**	**4500.00**	
9. नागर विमानन मंत्रालय	4474.99	25.01	4500.00	32-34
कोयला मंत्रालय	**822.05**	**...**	**822.05**	
10. कोयला मंत्रालय	822.05	...	822.05	35-37
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	**10711.11**	**1182.72**	**11893.83**	
11. वाणिज्य विभाग	5709.32	510.00	6219.32	38-42
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	5001.79	672.72	5674.51	43-47
संचार मंत्रालय	**32695.00**	**5942.46**	**38637.46**	

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2019-2020 राजस्व	पूंजी	कुल	पृष्ठ संख्या.
13. डाक विभाग	10351.36	947.74	11299.10	48-49
14. दूरसंचार विभाग	22343.64	4994.72	27338.36	50-54
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**193135.09**	**1377.62**	**194512.71**	
15. उपभोक्ता मामले विभाग	2220.82	51.50	2272.32	55-57
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	190914.27	1326.12	192240.39	58-62
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	**502.63**	**51.00**	**553.63**	
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	502.63	51.00	553.63	63-65
संस्कृति मंत्रालय	**2874.31**	**168.04**	**3042.35**	
18. संस्कृति मंत्रालय	2874.31	168.04	3042.35	66-68
रक्षा मंत्रालय	**322761.99**	**108248.80**	**431010.79**	
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	12196.66	4868.46	17065.12	69-73
20. रक्षा सेवा (राजस्व)	198485.76	...	198485.76	74-76
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	103380.34	103380.34	77-78
22. रक्षा पेंशन	112079.57	...	112079.57	79-80
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	**2325.90**	**674.10**	**3000.00**	
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2325.90	674.10	3000.00	81-84
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	**18216.34**	**...**	**18216.34**	
24. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	18216.34	...	18216.34	85-87
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**1783.76**	**118.00**	**1901.76**	
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1783.76	118.00	1901.76	88-91
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**6072.00**	**348.00**	**6420.00**	

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2019-2020 राजस्व	पूंजी	कुल	पृष्ठ संख्या.
26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6072.00	348.00	6420.00	92-95
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	**3111.20**	**64.52**	**3175.72**	
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3111.20	64.52	3175.72	96-101
विदेश मंत्रालय	**14686.78**	**1375.00**	**16061.78**	
28. विदेश मंत्रालय	14686.78	1375.00	16061.78	102-104
वित्त मंत्रालय	**998604.31**	**23121.06**	**1021725.37**	
29. आर्थिक कार्य विभाग	2577.41	11543.21	14120.62	105-111
30. व्यय विभाग	400.55	...	400.55	112-113
31. वित्तीय सेवा विभाग	1305.15	3385.04	4690.19	114-119
32. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	47.08	...	47.08	120-120
33. राजस्व विभाग	102039.61	8.73	102048.34	121-124
34. प्रत्यक्ष कर	7036.44	300.00	7336.44	125-126
35. अप्रत्यक्ष कर	7493.15	406.85	7900.00	127-128
36. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	4656.78	16.00	4672.78	129-130
37. ब्याज अदायगियां	665060.92	...	665060.92	131-132
38. ऋण की वापसी अदायगी	...	...	...	133-134
39. पेंशन	48565.00	...	48565.00	135-136
40. राज्यों को अंतरण	159422.22	7461.23	166883.45	137-139
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**1196.60**	**...**	**1196.60**	
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1196.60	...	1196.60	140-141
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**61547.22**	**1750.90**	**63298.12**	
42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	59647.22	1750.90	61398.12	142-150
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1900.00	...	1900.00	151-152

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2019-2020 राजस्व	पूंजी	कुल	पृष्ठ संख्या.
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	**739.08**	**445.56**	**1184.64**	
44. भारी उद्योग विभाग	716.44	445.56	1162.00	153-156
45. सरकारी उद्यम विभाग	22.64	...	22.64	157-158
गृह मंत्रालय	**105934.82**	**13034.46**	**118969.28**	
46. गृह मंत्रालय	4615.04	280.77	4895.81	159-162
47. मंत्रिमंडल	828.85	...	828.85	163-164
48. पुलिस	87437.43	10764.80	98202.23	165-169
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4215.90	601.58	4817.48	170-173
50. चंडीगढ़	4050.07	241.63	4291.70	174-176
51. दादरा और नगर हवेली	860.93	317.06	1177.99	177-179
52. दमन और दीव	479.00	342.48	821.48	180-183
53. लक्षद्वीप	1090.61	186.13	1276.74	184-186
54. दिल्ली को अंतरण	812.00	300.00	1112.00	187-188
55. पुडुचेरी को अंतरण	1544.99	0.01	1545.00	189-190
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	**28487.84**	**19544.33**	**48032.17**	
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	28487.84	19544.33	48032.17	191-197
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**91727.64**	**2120.00**	**93847.64**	
57. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	56386.63	...	56386.63	198-202
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	35341.01	2120.00	37461.01	203-214
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	**4361.67**	**13.54**	**4375.21**	
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	4361.67	13.54	4375.21	215-219
श्रम और रोजगार मंत्रालय	**10403.83**	**30.26**	**10434.09**	
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	10403.83	30.26	10434.09	220-224

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2019-2020 राजस्व	पूंजी	कुल	पृष्ठ संख्या.
विधि और न्याय मंत्रालय	**3451.25**	**160.00**	**3611.25**	
61. विधि और न्याय	2920.11	135.00	3055.11	225-227
62. निर्वाचन आयोग	261.68	25.00	286.68	228-228
63. भारत का उच्चतम न्यायालय	269.46	...	269.46	229-229
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	**6984.27**	**27.02**	**7011.29**	
64. सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	6984.27	27.02	7011.29	230-235
खान मंत्रालय	**1390.37**	**107.57**	**1497.94**	
65. खान मंत्रालय	1390.37	107.57	1497.94	236-238
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	**4639.99**	**60.01**	**4700.00**	
66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	4639.99	60.01	4700.00	239-243
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	**5209.83**	**45.00**	**5254.83**	
67. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5209.83	45.00	5254.83	244-248
पंचायती राज मंत्रालय	**871.37**	**...**	**871.37**	
68. पंचायती राज मंत्रालय	871.37	...	871.37	249-251
संसदीय कार्य मंत्रालय	**19.38**	**...**	**19.38**	
69. संसदीय कार्य मंत्रालय	19.38	...	19.38	252-252
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**1523.75**	**141.39**	**1665.14**	
70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1488.20	141.39	1629.59	253-255
71. केंद्रीय सतर्कता आयोग	35.55	...	35.55	256-256
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**41234.18**	**1667.31**	**42901.49**	
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	41234.18	1667.31	42901.49	257-261

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2019-2020 राजस्व	पूंजी	कुल	पृष्ठ संख्या.
योजना मंत्रालय	**362.71**	**0.69**	**363.40**	
73. योजना मंत्रालय	362.71	0.69	363.40	262-263
विद्युत मंत्रालय	**13292.97**	**2581.85**	**15874.82**	
74. विद्युत मंत्रालय	13292.97	2581.85	15874.82	264-269
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	**1579.38**	**...**	**1579.38**	
75. राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	63.78	...	63.78	270-270
76. लोक सभा	809.13	...	809.13	271-272
77. राज्य सभा	401.04	...	401.04	273-274
78. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	6.98	...	6.98	275-275
79. संघ लोक सेवा आयोग	298.45	...	298.45	276-276
रेल मंत्रालय	**2181.67**	**64587.00**	**66768.67**	
80. रेल मंत्रालय	2181.67	64587.00	66768.67	277-282
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**10990.97**	**72025.00**	**83015.97**	
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	10990.97	72025.00	83015.97	283-286
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**119774.43**	**100.00**	**119874.43**	
82. ग्रामीण विकास विभाग	117547.19	100.00	117647.19	287-291
83. भूमि संसाधन विभाग	2227.24	...	2227.24	292-293
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**12697.59**	**99.65**	**12797.24**	
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	5231.01	90.00	5321.01	294-296
85. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2580.34	...	2580.34	297-298
86. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4886.24	9.65	4895.89	299-301

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2019-2020 राजस्व	पूंजी	कुल	पृष्ठ संख्या.
नौवहन मंत्रालय	**1635.99**	**266.57**	**1902.56**	
87. नौवहन मंत्रालय	1635.99	266.57	1902.56	302-305
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	**2926.11**	**63.10**	**2989.21**	
88. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2926.11	63.10	2989.21	306-308
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**8628.68**	**316.22**	**8944.90**	
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	7524.99	275.01	7800.00	309-315
90. विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग	1103.69	41.21	1144.90	316-319
अंतरिक्ष विभाग	**5874.72**	**5663.54**	**11538.26**	
91. अंतरिक्ष विभाग	5874.72	5663.54	11538.26	320-322
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**5216.33**	**14.73**	**5231.06**	
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5216.33	14.73	5231.06	323-324
इस्पात मंत्रालय	**241.29**	**...**	**241.29**	
93. इस्पात मंत्रालय	241.29	...	241.29	325-326
कपड़ा मंत्रालय	**5800.57**	**30.91**	**5831.48**	
94. कपड़ा मंत्रालय	5800.57	30.91	5831.48	327-332
पर्यटन मंत्रालय	**2189.21**	**0.01**	**2189.22**	
95. पर्यटन मंत्रालय	2189.21	0.01	2189.22	333-336
जनजातीय कार्य मंत्रालय	**6446.96**	**80.00**	**6526.96**	
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	6446.96	80.00	6526.96	337-340
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	**7642.35**	**398.90**	**8041.25**	

(₹ करोड़)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2019-2020 राजस्व	पूंजी	कुल	पृष्ठ संख्या.
97. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	7642.35	398.90	8041.25	341-347
महिला और बाल विकास मंत्रालय	**29164.89**	**0.01**	**29164.90**	
98. महिला और बाल विकास मंत्रालय	29164.89	0.01	29164.90	348-352
युवा मामले और खेल मंत्रालय	**2181.90**	**35.02**	**2216.92**	
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय	2181.90	35.02	2216.92	353-356
कुल जोड़	***2447907.07***	***336292.48***	***2784199.55***	

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	46437.80	17.36	46455.16	46586.30	113.70	46700.00	67764.98	35.02	67800.00	129550.51	34.70	129585.21
वसूलियां	*-9058.44*	...	-9058.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**37379.36**	**17.36**	**37396.72**	**46586.30**	**113.70**	**46700.00**	**67764.98**	**35.02**	**67800.00**	**129550.51**	**34.70**	**129585.21**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1.	*सचिवालय*											
1.01	सचिवालय	116.87	...	116.87	134.00	...	134.00	138.61	...	138.61	145.89	...	145.89
1.02	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	32.59	...	32.59	32.43	...	32.43	32.06	...	32.06	32.56	...	32.56
1.03	अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	309.46	1.82	311.28	403.52	...	403.52	350.93	...	350.93	376.44	...	376.44
	जोड़- सचिवालय	*458.92*	*1.82*	*460.74*	*569.95*	...	*569.95*	*521.60*	...	*521.60*	*554.89*	...	*554.89*

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं

2.	*फसल बीमा योजना*											
2.01	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	9419.22	...	9419.22	13000.00	...	13000.00	12975.70	...	12975.70	14000.00	...	14000.00
2.02	कृषि कल्याण कोष में कृषि कल्याण उप-कर का अंतरण	8916.39	...	8916.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.03	कृषि कल्याण कोष से पूरा किया गया	-8916.39	...	-8916.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*9419.22*	...	*9419.22*	*13000.00*	...	*13000.00*	*12975.70*	...	*12975.70*	*14000.00*	...	*14000.00*
3.	*किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी*											
3.01	किसानों को अल्पाधिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	13045.72	...	13045.72	15000.00	...	15000.00	14987.00	...	14987.00	18000.00	...	18000.00
4.	बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	700.92	...	700.92	200.00	...	200.00	2000.00	...	2000.00	3000.00	...	3000.00
5.	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-एएएसएचए)	...	...	...	...	...	...	1400.00	...	1400.00	1500.00	...	1500.00
6.	कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण	...	...	...	...	...	...	550.08	...	550.08	800.00	...	800.00
7.	फ़सल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण का संवर्धन	...	...	...	...	...	...	591.62	...	591.62	600.00	...	600.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. आय सहायता योजना	...	...	...	...	...	...	20000.00	...	20000.00	75000.00	...	75000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**23165.86**	**...**	**23165.86**	**28200.00**	**...**	**28200.00**	**52504.40**	**...**	**52504.40**	**112900.00**	**...**	**112900.0**
												0
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
9. पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण	2.55	...	2.55	5.00	...	5.00	3.83	...	3.83	4.02	...	4.02
स्वायत्त निकाय												
10. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	6.29	...	6.29	7.83	...	7.83	6.20	...	6.20	6.72	...	6.72
11. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	6.00	...	6.00	8.30	...	8.30	7.02	...	7.02	7.58	...	7.58
जोड़-स्वायत्त निकाय	**12.29**	**...**	**12.29**	**16.13**	**...**	**16.13**	**13.22**	**...**	**13.22**	**14.30**	**...**	**14.30**
अन्य												
12. सूखा एवं कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में डीज़ल सब्सिडी	21.34	...	21.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**36.18**	**...**	**36.18**	**21.13**	**...**	**21.13**	**17.05**	**...**	**17.05**	**18.32**	**...**	**18.32**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
13. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल	2819.25	...	2819.25	4000.00	...	4000.00	2954.69	...	2954.69	3500.00	...	3500.00
हरित क्रांति												
14. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3559.74	...	3559.74	3600.00	...	3600.00	3600.00	...	3600.00	3800.00	...	3800.00
15. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1377.12	...	1377.12	1690.70	...	1690.70	1510.00	...	1510.00	2000.00	...	2000.00
16. राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना	...	...	...	5.00	3.10	8.10	...	2.50	2.50	...	2.00	2.00
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	66.48	...	66.48	160.00	...	160.00	182.46	...	182.46	160.00	...	160.00
18. राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना	194.62	0.26	194.88	398.00	2.00	400.00	298.04	2.00	300.04	323.00	2.00	325.00
19. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	209.25	...	209.25	234.00	...	234.00	225.00	...	225.00	250.00	...	250.00
20. परम्परागत कृषि विकास योजना	203.46	...	203.46	360.00	...	360.00	300.00	...	300.00	325.00	...	325.00
21. कृषि-वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना	42.67	...	42.67	75.00	...	75.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
22. राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन	263.62	...	263.62	400.00	...	400.00	352.00	...	352.00	...	...	...
23. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2025.36	1.67	2027.03	2532.00	4.00	2536.00	2096.00	4.00	2100.00	2196.00	4.00	2200.00
24. बीज एवं पौध रोपण सामग्री पर उपमिशन	423.54	...	423.54	331.40	0.60	332.00	330.33	1.67	332.00	349.30	0.70	350.00
25. पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उपमिशन	40.94	5.18	46.12	51.25	78.00	129.25	30.65	10.35	41.00	45.00	5.00	50.00
26. कृषि विस्तार पर उपमिशन	818.81	...	818.81	1020.00	...	1020.00	875.00	...	875.00	950.00	...	950.00
27. सूचना प्रौद्योगिकी	33.24	...	33.24	56.00	...	56.00	35.00	...	35.00	40.00	...	40.00
28. कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन	756.65	7.76	764.41	1140.29	25.00	1165.29	884.45	13.50	897.95	980.00	20.00	1000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
29. कृषि संगणना एवं सांख्यिकी एकीकृत स्कीम	208.50	...	208.50	262.58	...	262.58	218.13	...	218.13	225.00	...	225.00
30. कृषि सहकारिता पर एकीकृत स्कीम	228.18	...	228.18	130.00	...	130.00	144.68	...	144.68	135.00	...	135.00
31. कृषि विपणन												
31.01 समेकित कृषि विपणन योजना	589.02	0.67	589.69	1049.00	1.00	1050.00	499.00	1.00	500.00	599.00	1.00	600.00
32. राष्ट्रीय बांस मिशन	...	...	...	300.00	...	300.00	146.50	...	146.50	150.00	...	150.00
जोड़-हरित क्रांति	**11041.20**	**15.54**	**11056.74**	**13795.22**	**113.70**	**13908.92**	**11767.24**	**35.02**	**11802.26**	**12577.30**	**34.70**	**12612.00**
33. वास्तविक वसूली	-142.05	...	-142.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**13718.40**	**15.54**	**13733.94**	**17795.22**	**113.70**	**17908.92**	**14721.93**	**35.02**	**14756.95**	**16077.30**	**34.70**	**16112.00**
कुल जोड़	***37379.36***	***17.36***	***37396.72***	***46586.30***	***113.70***	***46700.00***	***67764.98***	***35.02***	***67800.00***	***129550.51***	***34.70***	***129585.2 1***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	12013.48	...	12013.48	14720.65	...	14720.65	34922.87	...	34922.87	86624.32	...	86624.32
2. मृदा और जल संरक्षण	23.83	...	23.83	25.43	...	25.43	27.42	...	27.42	28.70	...	28.70
3. कृषि वित्तीय संस्थान	13045.72	...	13045.72	13589.83	...	13589.83	13514.36	...	13514.36	16311.43	...	16311.43
4. सहकारिता	228.18	...	228.18	117.00	...	117.00	131.68	...	131.68	122.00	...	122.00
5. अन्य कृषि कार्यक्रम	636.87	...	636.87	1028.94	...	1028.94	502.77	...	502.77	593.43	...	593.43
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	116.54	...	116.54	134.00	...	134.00	138.61	...	138.61	145.89	...	145.89
7. फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	16.69	16.69	...	108.71	108.71	...	30.03	30.03	...	29.71	29.71
8. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	...	0.67	0.67	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**26064.62**	**17.36**	**26081.98**	**29615.85**	**109.71**	**29725.56**	**49237.71**	**31.03**	**49268.74**	**103825.77**	**30.71**	**103856.4 8**
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	4606.90	...	4606.90	6722.35	...	6722.35	12897.21	...	12897.21
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	11306.78	...	11306.78	12347.92	...	12347.92	11786.55	...	11786.55	12808.08	...	12808.08
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	7.96	...	7.96	15.63	...	15.63	18.37	...	18.37	19.45	...	19.45
12. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	3.99	3.99	...	3.99	3.99	...	3.99	3.99
जोड़-अन्य	**11314.74**	**...**	**11314.74**	**16970.45**	**3.99**	**16974.44**	**18527.27**	**3.99**	**18531.26**	**25724.74**	**3.99**	**25728.73**
कुल जोड़	**37379.36**	**17.36**	**37396.72**	**46586.30**	**113.70**	**46700.00**	**67764.98**	**35.02**	**67800.00**	**129550.51**	**34.70**	**129585.2 1**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालयों, विभागीय कैंटीन एवं मंत्री (कृषि), भारतीय दूतावास रोम, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान और विभिन्न राज्यों में अवस्थित विभाग के अंतर्गत विभिन्न संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खर्च के बाबत किया गया है।

2. **फसल बीमा योजना:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को 1.4.2016 से शुरू किया गया था। इस योजना को पूर्व की योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एमएनएआईएस) को मिलाकर बनाया गया था। इस विभाग को दावा आधारित बीमा योजना से प्रीमियम आधारित प्रणाली के लिए अपफ्रन्ट सब्सिडी में माइग्रेट किया गया है। चालू वित्त वर्ष में खरीफ और रबी 2017-18 के लिए पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अपफ्रन्ट प्रीमियम सब्सिडी के साथ पिछले वर्षों की अंश दायित्व (प्रमुख रूप से खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16) का भी भुगतान किया गया है। यह मांग संचालित स्कीम है इसलिए इसकी बाबत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि 2018-19 के दौरान कुल फसल क्षेत्र के कवरेज में 50% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया।

3. **किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी:** इस स्कीम के तहत किसानों को रियायतकृत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण दिये जाने के लिए नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता दी गई है।

4. **बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस):** इस स्कीम के तहत नेफेड, केंद्रीय वेयर हाऊसिंग निगम, राष्ट्रीय भारतीय उपभोक्ता सहकारी समिति परिसंघ और लघु किसान कृषि व्यापार मंच को केंद्रीय अभिकरणों के रूप में प्राधिकृत किया गया है ताकि वे मूल्य समर्थन स्कीम के तहत तिलहनों और दलहनों का प्रापण कार्य करने के साथ -साथ किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलवाने की दिशा में कार्य कर सकें।

5. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-एएएसएचए):** प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संस्थान अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (PSS), तिलहन और कोपरा, मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और पायलट योजना - निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) के तहत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की योजना है, जो 2018-19 से 2019-20 तक लागू है।

6. **कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण:** खरीफ विपणन सीजन 2017-18 और रबी विपणन सीजन 2018-19 के दौरान मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत खरीदे गए दालों के विशाल स्टॉक को मिड-डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ICDP आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपयोग के लिए राज्य / संघ शासित प्रदेशों को जारी किए गए मूल्य से ₹ 15 रु प्रति किलो अधिक है।

7. **फ़सल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण का संवर्धन:** वायु प्रदूषण को दूर करने एवं फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी के सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक विशेष योजना 2018-19 से 2019-20 तक की अवधि के लिए है।

8. **आय सहायता योजना:** भारत सरकार द्वारा 100 % वित्त पोषित योजना, देश भर में सभी भूमि धारक किसान परिवार, जो खेती योग्य भूमि के मालिक हैं, उनको आय सहायता प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने के लिए है।

9. **पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ 2001 में अधिनियम के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों के अधिकारों और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया गया है।

10. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** इस संस्थान का प्रावधान विविध और बदलती हुई कृषि–जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण के मद्देनजर संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव सुरक्षा एवं इनक्रशन प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देने के लिए किया गया है।

11. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुग्राही बनाया गया है ताकि संधारणीय कृषिगत और मात्सियकी परिपाटियों पर किसानों और मछवारों को बेहतर कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सके।

13. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल:** यह योजना सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला यथा जल संसाधनों, वितरण नेटवर्क और फार्म स्तरीय एप्लीकेशन में पूर्णरूपेण समाधान की व्यवस्था होगी। इस कार्यक्रम में कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता में इजाफा करने और जल के किफ़ायती उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा।

14. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** यह कार्यक्रम कृषिगत क्षेत्रक में उच्च प्रगति करने, किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य देने, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देकर कृषि के समेकित विकास करने, संधारणीय कृषि, तिलहनों, आयल पाम के उत्पादन तथा कृषिगत विस्तार करने के लिए है।

15. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:** देश को खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चावल, गेंहू, दलहनों, मोटे अनाजों और व्यापारिक फसलों में इजाफा करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए प्रावधान किया है। दालों के लिए 60 प्रतिशत आबंटन किया गया है। 2019-20 से, ईस प्रावधान में तिलहन और आयल पाम की आवश्यकता भी शामिल है।

16. **राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना:** यह प्रावधान जैविक और पोषहारिये जैव स्रोतों यथा जैव उर्वरकों, जैव खादों, संधारणीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता के लिए कम्पोस्ट के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने, जैविक कृषि में वैकल्पिक आदानों के रूप में जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रक कारकों आदि का उपयोग करने के लिए है।

17. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास:** इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैविक कृषि को सुग्राही बनाने के साथ साथ उसके विकास और संवर्धन का प्रावधान किया गया है।

18. **राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना:** रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल)/सचल एसटीएल /उर्वरकता गुणवत्ता प्रयोगशालाओं (एफक्यूसीएल) को स्थापित करने उनको सुधाने का प्रावधान किया गया है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत वृहत-सूक्ष्म पोषहारिय प्रबंधन, भू-विविधता पर आधारित यथोचित भू उपयोग के साथ मृदा उर्वरक विवरण को तैयार करके स्थान एवं फसल विशेष संधारणीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, अपशेष प्रबंधन और जैविक कृषि प्रचालनों की भी व्यवस्था की गई है। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शामिल है, जिसमें किसानों को मृदा की पोषक स्थिति संबंधी सूचना दी गई है और मृदा के स्वास्थ्य एवं इसकी उर्वरता में सुधार लाने के लिए पोषक तत्वों की यथोचित मात्रा लेने की सिफारिश की गई है।

19. **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन:** समेकित कृषि प्रणाली (संबद्ध क्षेत्रकों सहित बहुफसल, चक्रीय फसल, अंतरफसल और मिश्रित कृषि अभ्यासों सहित) पर जोर देने को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के साथ साथ सूखे, बाढ़ अथवा उग्र मौसम से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का प्राद्योगिकियों, सक्षम/ जीवन संरक्षण सिंचाई के जारिय उनके प्रतिकूल असर को सामना कर सकें। वर्षा सिंचित विकास स्कीम को 2014-15 से देश के 27 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और समेकित कृषि प्रणाली व्यवस्था के तहत लगभग 80000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाना है।

20. **परम्परागत कृषि विकास योजना:** इस स्कीवम को मृदा स्वाचस्य्18 प्रबंधन के विस्ता रित घटक के रूप में 1.4.2015 में शुरू किया गया था। इस स्की म के तहत समूहगत आधार और प्रतिभागात्मवक प्रमाणन प्रत्याoभूति प्रणाली के द्वारा जैविक ग्राम को गोद लेकर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान कुल 11891 क्लस्टर (20 हेक्टेयर के प्रत्येक) का गठन किया गया है। द्वितीय चरण (2018-19 से 2020-21) के दौरान 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य को कवर करने का प्रस्ताव है।

21. **कृषि-वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना:** कृषि वानिकी विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने के लिए राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को विभिन्न कृषि वानिकी घटकों के बीच समन्वयन, अभिसरण और सहक्रिया कायम करने के लिए 2014 में प्रतिपादित किया गया था।

23. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** यह प्रावधान समेकित बागवानी विकास मिशन के लिए है ताकि पश्च और अग्र संपर्क सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के लिए समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना, आधुनिक प्रौद्योगकी का प्रदर्शन एवं किसानों के कौशल को बढ़ाना, सूखे के असर को कम करना, जीवन रक्षक सिंचाई, फसलरोपरांत नुकसानों को कम करना तथा बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों की मंडी तक पहुंच शामिल है। इस मिशन में विभिन्न क्रियाकलाप जैसे नारियल विकास बोर्ड, बागवानी विकास बोर्ड, उत्पादन एवं फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, शीत भंडारगृहों एवं बागवानी उत्पादों हेतु भंडारगृहों के निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश राजसहायता, प्रौद्योगिकी विकास और बागवानी उत्पाद के लिए अंतरण आदि शामिल हैं।

24. **बीज एवं पौध रोपण सामग्री पर उपमिशन:** मिशन का उद्देश्य बीज क्षेत्र को विकसित/मजबूत करना, उत्पादन को बढ़ाना तथा सभी कृषि फसलों के लिए अधिक उत्पादन करने वाले प्रमाणित/अच्छी किस्मा के बीजों में कई गुना वृद्धि करना, किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, पौध किस्मों , किसानों के अधिकारों तथा पौध ब्रीडर की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करना है, ताकि पौधों की नई किस्मों को बढ़ावा दिया जा सके।

25. **पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उपमिशन:** इस उप-मिशन का प्रमुख उद्देश्य कीटों, बीमारियों, खरपतवार, कृमि, कृंतक आदि से कृषिगत फसलों की गुणवत्ता एवं उपज को होने वाले नुकसान को कम करना है तथा हमारी कृषि जैव-सुरक्षा की हानिकारक प्रजातियों के आक्रमण तथा प्रसार से रक्षा करना है। यह उप-मिशन वैश्विक मंडियों के लिए भारतीय कृषि जिंसों के निर्यात को सुविधाजनक बनाता है और विशेष रूप से पादप सरंक्षण रणनीतियों एवं तकनीकों से संबंधित उत्तम कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

26. **कृषि विस्तार पर उपमिशन:** इस मिशन का उद्देश्य कृषि समुदाय विशेषत: छोटे एवं सीमांत किसानों की आय एवं आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सभी के लिए विस्तार तथा दूर दराज तक पहुंच बनाना है तथा शीघ्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि को प्राप्त करने में योगदान देना है।

27. **सूचना प्रौद्योगिकी:** यह प्रावधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कृषि सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना का सुदृढीकरण/संवर्धन करता है।

28. **कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन:** यह प्रावधान कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के लिए है जो फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों के प्रयोजनार्थ काम करता है। यह प्रगतिशील किसान, तकनीशियनों, राज्य सरकारों के प्रत्याशियों, कृषि उद्योग निगमों, कृषि संस्थानों एवं इंजीनियरिंग उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रावधान किसान के खेतों पर बागवानी उपकरणों और फसलोपरांत प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के साथ नए विकसित कृषि उपकरणों का प्रदर्शन भी करता है।

29. **कृषि संगणना एवं सांख्यिकी एकीकृत स्कीम:** इस स्कीम में कृषि गणना, कृषि आर्थिक नीति और विकास का अध्ययन तथा कृषि संबंधी सांख्यिकी में सुधार आदि की पुनर्गठित स्कीमें शामिल हैं।

30. **कृषि सहकारिता पर एकीकृत स्कीम:** यह प्रावधान समेकित कृषि सहकारी योजना के लिए है।इस स्कीम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और सहकारी शिक्षा तथा विकास की पुनर्गठित स्कीमें शामिल हैं।

31. **कृषि विपणन:** इस प्रावधान में मौजूदा उप-योजनाएं शामिल हैं अर्थात् (i) कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)- वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को शामिल करता है। इस योजना के तहत 40 लाख एमटी की भंडारण क्षमता और 400 अन्य विपणन अवसंरचनाएं 2019-20 के लिए लक्षित हैं इसके अलावा 100 किसानों के उपभोक्ता बाजार स्थापित किए जाएंगे (ii) विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) - उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए मंडी आंकड़ों का राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित करने के प्रयोजनार्थ (iii) एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (iv) किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिए ब्याज मुक्त उद्यम पूंजीगत सहायता (वीसीए) और परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) के माध्यम से कृषि-व्यवसाय विकास (एबीडी) का कर्यान्वयन किया गया (v) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) (vi) वर्ष 2019-20 से देशभर में चुनिंदा 1000 मंडियों में कृषि-जिसों के व्यापार के लिए शुरू किए गए एनएएम साफ्टवेयर ई-प्लेटफर्म के साथ जुडने के इच्छुक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में थोक मंडियों के लिए एक सामान्य ई-मंडी प्लेटफार्म की स्थापना के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम) तथा साम्यता अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना-साम्यता अनुदान पाने और वित्तीय संस्थानों जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बिना जमानत के 1.00 करोड़ रूपये तक का ऋण प्रदान करते हैं, के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु किसान उत्पादक कंपनियों को सक्षम बनाना।

32. **राष्ट्रीय बांस मिशन:** राष्ट्रीय बांस मिशन आरम्भ में 2006-07 में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तौर पर शुरू की गई थी और 2014-15 के दौरान बागवानी के समन्वित विकास हेतू मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था और यह 2015-16 तक जारी रहा। पहले राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किये गए बांस के पौधरोपण के रखरखाव के लिए निधियां जारी की गई थी। चूँकि बांस सेक्टर के लिए कोई भी संकेंद्रित कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है, इसलिए उत्पादन, उत्पाद विकास और मूल्य संवर्धन क्रियाकलापों पर पर्याप्त बल देते हुए उपयुक्त पुनर्गठन के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन के पुनरुद्धार का निर्णय लिया गया है।

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6989.92	...	6989.92	7800.00	...	7800.00	7952.73	...	7952.73	8078.76	...	8078.76
वसूलियां	*-47.00*	...	-47.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**6942.92**	**...**	**6942.92**	**7800.00**	**...**	**7800.00**	**7952.73**	**...**	**7952.73**	**8078.76**	**...**	**8078.76**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	13.03	...	13.03	14.30	...	14.30	14.42	...	14.42	14.80	...	14.80
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. कृषि विस्तार	232.51	...	232.51	241.81	...	241.81	205.53	...	205.53	221.15	...	221.15
3. कृषि इंजीनियरिंग	42.68	...	42.68	100.00	...	100.00	59.50	...	59.50	64.02	...	64.02
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन												
4. कृषि-वानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं	167.68	...	167.68	174.39	...	174.39	148.24	...	148.24	159.48	...	159.48
5. जलवायु प्रतिरोध क्षमता कृषि पहल	50.00	...	50.00	52.00	...	52.00	44.21	...	44.21	47.56	...	47.56
जोड़-प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन	**217.68**	**...**	**217.68**	**226.39**	**...**	**226.39**	**192.45**	**...**	**192.45**	**207.04**	**...**	**207.04**
फसल विज्ञान												
6. फसल विज्ञान	399.66	...	399.66	800.00	...	800.00	651.99	...	651.99	701.53	...	701.53
7. बागवानी विज्ञान	154.90	...	154.90	200.00	...	200.00	165.75	...	165.75	178.34	...	178.34
8. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि	36.55	...	36.55	50.75	...	50.75	50.75	...	50.75	54.60	...	54.60
जोड़-फसल विज्ञान	**591.11**	**...**	**591.11**	**1050.75**	**...**	**1050.75**	**868.49**	**...**	**868.49**	**934.47**	**...**	**934.47**
पशु विज्ञान												
9. पशु विज्ञान	271.97	...	271.97	400.00	...	400.00	288.98	...	288.98	310.98	...	310.98
10. मात्स्यिकी विज्ञान	115.85	...	115.85	170.69	...	170.69	132.34	...	132.34	142.39	...	142.39
जोड़-पशु विज्ञान	**387.82**	**...**	**387.82**	**570.69**	**...**	**570.69**	**421.32**	**...**	**421.32**	**453.37**	**...**	**453.37**
कृषि शिक्षा												
11. कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं	658.37	...	658.37	684.70	...	684.70	525.59	...	525.59	565.51	...	565.51
12. आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन	31.29	...	31.29	32.54	...	32.54	27.66	...	27.66	29.76	...	29.76

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना	5.00	...	5.00	7.89	...	7.89	155.27	...	155.27	...	...	...
14. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी)	...	...	...	...	...	...	52.62	...	52.62	223.68	...	223.68
जोड़-कृषि शिक्षा	**694.66**	**...**	**694.66**	**725.13**	**...**	**725.13**	**761.14**	**...**	**761.14**	**818.95**	**...**	**818.95**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2166.46**	**...**	**2166.46**	**2914.77**	**...**	**2914.77**	**2508.43**	**...**	**2508.43**	**2699.00**	**...**	**2699.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
15. आईसीएआर मुख्यालय	4574.09	...	4574.09	4599.37	...	4599.37	5056.08	...	5056.08	4868.80	...	4868.80
16. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय	234.93	...	234.93	270.00	...	270.00	363.92	...	363.92	455.00	...	455.00
17. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी	1.41	...	1.41	1.56	...	1.56	1.96	...	1.96	1.56	...	1.56
18. कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड	...	...	...	...	...	...	7.92	...	7.92	39.60	...	39.60
जोड़-स्वायत्त निकाय	**4810.43**	**...**	**4810.43**	**4870.93**	**...**	**4870.93**	**5429.88**	**...**	**5429.88**	**5364.96**	**...**	**5364.96**
अन्य												
19. वास्तविक वसूली	-47.00	...	-47.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**4763.43**	**...**	**4763.43**	**4870.93**	**...**	**4870.93**	**5429.88**	**...**	**5429.88**	**5364.96**	**...**	**5364.96**
कुल जोड़	***6942.92***	***...***	***6942.92***	***7800.00***	***...***	***7800.00***	***7952.73***	***...***	***7952.73***	***8078.76***	***...***	***8078.76***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	6936.21	...	6936.21	7368.46	...	7368.46	7485.17	...	7485.17	7584.37	...	7584.37
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	6.71	...	6.71	8.06	...	8.06	7.60	...	7.60	7.95	...	7.95
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**6942.92**	**...**	**6942.92**	**7376.52**	**...**	**7376.52**	**7492.77**	**...**	**7492.77**	**7592.32**	**...**	**7592.32**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	423.48	...	423.48	459.96	...	459.96	486.44	...	486.44
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**423.48**	**...**	**423.48**	**459.96**	**...**	**459.96**	**486.44**	**...**	**486.44**
कुल जोड़	**6942.92**	**...**	**6942.92**	**7800.00**	**...**	**7800.00**	**7952.73**	**...**	**7952.73**	**8078.76**	**...**	**8078.76**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान डेयर स्टाफ के वेतन पर खर्च हेतु प्रावधान है।

2. **कृषि विस्तार:** यह प्रावधान कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों के बुनियादी स्तर तक पहुंच बनाने के लिए क्रियाकलापों के लिए प्रावधान है जिससे अग्रपंक्ति कृषि तकनीकी का प्रचार और परिष्करण हो सके। इसमें स्थानीय प्रौद्योगिकी के संबंध में किसानों और विस्तार कार्मिकों का प्रशिक्षण, बीज तथा रोपण हेतु सामानों का वितरण और मृदा और जल के नमूनों की जांच शामिल हैं।

3. **कृषि इंजीनियरिंग:** यह प्रावधान कृषि यंत्रों, प्रक्रिया और मूल्य वर्धित प्रोटोकाल के अनुसंधान, विकास और परिष्करण के लिए प्रावधान है।

4. **कृषि-वानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं:** प्रावधान निम्न कृषि उत्पाकता और लाभकारिता, भूमि निम्नीकरण, निम्न जल उत्पाकदकता, मृदा स्वास्थ्य निम्नीकरण और निम्न पोषण उपयोग क्षमता, पारितंत्र सेवाओं में निम्नीकरण, अजैविक दबावों इत्यादि पर ध्यान देने हेतु अनुसंधान के लिए है। लंबे दौर में टिकाऊपन हेतु प्राकृतिक संसाधनों के आधार की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है।

5. **जलवायु प्रतिरोध क्षमता कृषि पहल:** यह प्रावधान भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और जलवायु संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए कार्यनीतिक अनुसंधान और तकनीकी प्रदर्शन के प्रचालन हेतु है। अनुकूलन और कमी के ऊपर अनुसंधान में फसल, पशुधन, मात्स्यिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।

6. **फसल विज्ञान:** अनुसंधान- का प्रावधान विशेषक-विशिष्ट अधिक पैदावार देनेवाली फील्ड फसल किस्मों / संकर किस्मों का विकास करने के लिए है जो विभिन्न अजैविक दबावों के अतिरिक्त नाशकजीवों और रोगों के प्रति सहिष्णुता के लिए। पैदावार की किसी हानि के बिना गुणवत्ता को भी उचित महत्व दिया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)/ नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत फसल किस्मों/ संकर किस्मों का विकास करने, कम लागत में उत्पादन करने और पर्यावरण अनुकूल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने में कार्यरत हैं।

7. **बागवानी विज्ञान:** यह प्रावधान बागवानी आनुवंशिक संसाधनों को समृद्ध बनाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने, जैव और अजैव दबावों के प्रति प्रतिरोधक मैकेनिज्म के साथ नई उप-प्रजातियों का विकास करने, उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और बागवानी एवं सब्जी की फसलों की स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का विकास करने के लिए है।

8. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि:** प्राथमिकता-प्राप्त अनुसंधान समस्याओं का अल्पावधि में समाधान करने के लिए कृषि में मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान को सहायता दी जा रही है।

9. **पशु विज्ञान:** यह प्रावधान खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए पशुधन और कुक्कुट क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि,लाभप्रदता, प्रतिस्पपर्धा और टिकाऊपन से सहायता हेतु नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए है। इससे उत्पादकता में वृद्धि करने और उसके द्वारा संभाव्यता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को कम करने के लिए मौजूदा और नए उभर रहे क्षेत्रों में पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में आवश्यकता-आधारित प्राथमिकता प्राप्त अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

10. **मात्स्यिकी विज्ञान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी और एक्वाकन्चर में अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए है। इसमें संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी, प्रशिक्षण, विश्लेषणात्मक, सलाहकारी सहायता और जलजीवपालन हैचरी और मात्स्यिकी प्रणाली के लिए उत्तरदायी विकास संवर्धन प्रौद्योगिकियों और जलजीवपालन के लिए अंत-स्थलीय लवणीय मृदाओं के प्रणाली और प्रजाति विविधीकरण और उपयोग, मत्स्य स्वास्थ्य मॉनीटरिंग करने आदि के लिए प्रावधान है।

11. **कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं:** यह प्रावधान देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), मानद विश्वृविद्यालय (डीयू) एवं कृषि संकाय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) सम्मिलित हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह योजना i) शैक्षणिक संस्थावनों के प्रत्यायन, ii) पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने तथा iii) अत्याधुनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों/ संकाय के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिये कृषि शिक्षा के मानदंड को बनाये रखने एवं उसमें सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार है।

12. **आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन:** प्रावधान कृषि आर्थिकी एवं कृषि सांख्यिकी के क्षेत्रों में नीति, प्रबंधन एवं डाटाबेस मुद्दों के समाधान के लिए अनुसंधान करने और उसी के अनुरूप अन्य योजनाओं तथा कृषि हितधारकों को आवश्यकता आधारित सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

14. **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी):** यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना केबाह्य सहायता प्राप्त घटक लिए है । परियोजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और छात्र उंनति के समर्थन के लिए संसाधनों और तंत्र का विकास करना है, और कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान कृषि शिक्षा व्यवस्था के मानक को ऊंचा उठाने के लिए एक समग्र माडल विकसित किया जा सके जो अधिक रोजगार प्रदान करता हो, उद्यमिता उन्मुख हो और वैश्विक कृषि शिक्षा मानकों पर सममूल्य हो ।

15. **आईसीएआर मुख्यालय:** यह प्रावधान मुख्य रूप से वेतन, पेंशन एवं भाकृअप के तहत विभिन्न योजनाओं को प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक्स सहायता पर व्ययों के लिए है जिससे कि उन्हें प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। संशोधित अनुमान 2018-19 में प्रावधान 7 वीं सीपीसी के कार्यांवयन के कारण आईसीएआर के वैज्ञानिक कर्मियों को वेतन और पेंशन के संशोधन के कारण नाटकीय रूप से ऊपर चला जाता है ।

16. **केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान वर्तमान में व्याप्त कृषि-जलवायु स्थिति पर आधारित क्षेत्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए है।

17. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी:** प्रावधान कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के महत्वतपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए और वैज्ञानिक समुदाय के विचारों को विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माताओं, नीति निर्धारकों/सलाहकारों को नीतिगत इनपुट के रूप में प्रस्तुत करने कृषि वैज्ञानिकों को एक फोरम उपलब्ध कराने के लिए है।

18. **कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड:** प्रावधान एक पृथक स्वायत्त निकाय के निर्माण के लिए हैं जो आईसीएआर के कृषि अनुसंधान सेवा (ARS) और आईसीएआर के अन्य ग्रुप ए पदों में भर्ती के लिए उत्तरदायी होगी

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2517.97	8.00	2525.97	3536.11	43.89	3580.00	3647.52	15.76	3663.28	3466.38	44.02	3510.40
वसूलियां	*-68.52*	*...*	*-68.52*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
प्राप्तियां	*-435.35*	*...*	*-435.35*	*-480.00*	*...*	*-480.00*	*-390.27*	*...*	*-390.27*	*-410.40*	*...*	*-410.40*
निवल	**2014.10**	**8.00**	**2022.10**	**3056.11**	**43.89**	**3100.00**	**3257.25**	**15.76**	**3273.01**	**3055.98**	**44.02**	**3100.00**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 स्थापना व्यय	31.40	...	31.40	38.27	...	38.27	37.51	...	37.51	41.00	...	41.00
1.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	5.18	...	5.18	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
जोड़- सचिवालय	*36.58*	*...*	*36.58*	*44.27*	*...*	*44.27*	*43.51*	*...*	*43.51*	*47.00*	*...*	*47.00*
2. पशु स्वास्थ्य संस्थान	14.57	1.49	16.06	17.01	3.74	20.75	24.82	5.18	30.00	29.11	7.89	37.00
3. लघु पशुधन संस्थान	41.09	1.66	42.75	39.60	5.40	45.00	47.23	2.77	50.00	53.63	6.37	60.00
4. नस्ल सुधार संस्थान	42.11	2.22	44.33	41.76	5.88	47.64	43.89	3.11	47.00	45.13	6.87	52.00
5. मात्स्यिकी संस्थान	80.63	2.63	83.26	78.97	15.87	94.84	87.96	4.70	92.66	105.33	14.17	119.50
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**214.98**	**8.00**	**222.98**	**221.61**	**30.89**	**252.50**	**247.41**	**15.76**	**263.17**	**280.20**	**35.30**	**315.50**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
6. तटीय जलकृषि प्राधिकरण	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	13.99	...	13.99	5.00	...	5.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
अन्य												
8. दिल्ली दुग्ध योजना												
8.01 डीएमएस के व्यय	391.64	...	391.64	442.00	13.00	455.00	360.27	...	360.27	381.68	8.72	390.40
8.02 घटाइए- प्राप्तियां	-435.35	...	-435.35	-480.00	...	-480.00	-390.27	...	-390.27	-410.40	...	-410.40
निवल	*-43.71*	*...*	*-43.71*	*-38.00*	*13.00*	*-25.00*	*-30.00*	*...*	*-30.00*	*-28.72*	*8.72*	*-20.00*
9. पाकिस्तान द्वारा जब्त किए गए मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन हेतु	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	3.92	...	3.92	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
पैकेज												
जोड़-अन्य	**-43.61**	**...**	**-43.61**	**-37.00**	**13.00**	**-24.00**	**-26.08**	**...**	**-26.08**	**-28.72**	**8.72**	**-20.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-27.62**	**...**	**-27.62**	**-28.00**	**13.00**	**-15.00**	**77.92**	**...**	**77.92**	**75.78**	**8.72**	**84.50**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
श्वेत क्रांति												
10. राष्ट्रीय डेयरी योजना (ईएपी)	389.98	...	389.98	324.91	...	324.91	324.91	...	324.91	...	...	...
11. राष्ट्रीय डेयरी योजना-II	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
12. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	170.42	...	170.42	280.00	...	280.00	270.07	...	270.07	325.00	...	325.00
13. डेयरी उद्यमशीलता विकास	203.02	...	203.02	323.00	...	323.00	323.00	...	323.00	325.00	...	325.00
14. राष्ट्रीय गोकुल मिशन	187.73	...	187.73	301.50	...	301.50	750.50	...	750.50	302.00	...	302.00
15. राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ को सहायता	...	...	...	0.50	...	0.50	3.00	...	3.00	100.00	...	100.00
16. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि	...	...	...	37.00	...	37.00	15.00	...	15.00	58.00	...	58.00
17. सहकारिताओं के जरिये डेयरी (ईएपी)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
18. पशुधन जनगणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	17.98	...	17.98	64.20	...	64.20	52.00	...	52.00	150.00	...	150.00
19. पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण	298.40	...	298.40	508.77	...	508.77	391.43	...	391.43	474.98	...	474.98
20. राष्ट्रीय पशुधन मिशन	306.28	...	306.28	380.00	...	380.00	300.00	...	300.00	380.00	...	380.00
21. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00	25.00	...	25.00
जोड़-श्वेत क्रांति	**1573.81**	**...**	**1573.81**	**2219.89**	**...**	**2219.89**	**2430.92**	**...**	**2430.92**	**2140.00**	**...**	**2140.00**
नीली क्रांति												
22. मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन	321.45	...	321.45	632.61	...	632.61	500.00	...	500.00	550.00	...	550.00
23. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	...	...	...	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
जोड़-नीली क्रांति	**321.45**	**...**	**321.45**	**642.61**	**...**	**642.61**	**501.00**	**...**	**501.00**	**560.00**	**...**	**560.00**
24. वास्तविक वसूली	-68.52	...	-68.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**1826.74**	**...**	**1826.74**	**2862.50**	**...**	**2862.50**	**2931.92**	**...**	**2931.92**	**2700.00**	**...**	**2700.00**
कुल जोड़	***2014.10***	***8.00***	***2022.10***	***3056.11***	***43.89***	***3100.00***	***3257.25***	***15.76***	***3273.01***	***3055.98***	***44.02***	***3100.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. पशु पालन	417.93	...	417.93	593.62	...	593.62	962.16	...	962.16	619.63	...	619.63
2. डेयरी विकास	683.71	...	683.71	843.37	...	843.37	833.33	...	833.33	678.38	...	678.38
3. मत्स्य पालन	99.61	...	99.61	137.51	...	137.51	192.75	...	192.75	248.94	...	248.94
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	36.47	...	36.47	44.27	...	44.27	43.51	...	43.51	47.00	...	47.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	...	5.37	5.37	...	15.02	15.02	...	11.06	11.06	...	21.13	21.13
6. डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	13.00	13.00	...	...	...	...	8.72	8.72
7. मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	...	2.63	2.63	...	15.87	15.87	...	4.70	4.70	...	14.17	14.17
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1237.72**	**8.00**	**1245.72**	**1618.77**	**43.89**	**1662.66**	**2031.75**	**15.76**	**2047.51**	**1593.95**	**44.02**	**1637.97**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	286.32	...	286.32	264.67	...	264.67	295.92	...	295.92
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	772.62	...	772.62	1141.85	...	1141.85	945.35	...	945.35	1150.43	...	1150.43
10. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3.76	...	3.76	9.17	...	9.17	15.48	...	15.48	15.68	...	15.68
जोड़-अन्य	**776.38**	**...**	**776.38**	**1437.34**	**...**	**1437.34**	**1225.50**	**...**	**1225.50**	**1462.03**	**...**	**1462.03**
कुल जोड़	**2014.10**	**8.00**	**2022.10**	**3056.11**	**43.89**	**3100.00**	**3257.25**	**15.76**	**3273.01**	**3055.98**	**44.02**	**3100.00**

1.01. **स्थापना व्यय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए है।

2. **पशु स्वास्थ्य संस्थान:** यह प्रावधान पशु संगरोध सेवा केंद्रों और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान के लिए है।

3. **लघु पशुधन संस्थान:** यह प्रावधान लघु केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, क्षेत्रीय चारा केंद्र और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म शामिल के लिए है।

4. **नस्ल सुधार संस्थान:** यह प्रावधान केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना और केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए हैं।

5. **मात्स्यिकी संस्थान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी संस्थान के लिए है जिसमें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान और जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय शामिल हैं।

6. **तटीय जलकृषि प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड:** यह प्रावधान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय और उनके द्वारा लागू की जाने वाली अलग योजना के लिए है

8. **दिल्ली दुग्ध योजना:** यह प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे प्रारंभ में सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और बाद में दूध और घी आदि की बिक्री से प्राप्त राजस्व से पूरा किया जाता है।

11. **राष्ट्रीय डेयरी योजना-II:** यह प्रवधान क्रियान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली अतिरिक्त बाह्य योजनाओं के लिए है।

12. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान अनुमोदित परियोजनाओं हेतु विभिन्न दुग्ध संघों/राज्य दुग्ध परिसंघों को निधियां जारी करने के लिए है।

13. **डेयरी उद्यमशीलता विकास:** यह प्रावधान देश में डेयरी क्षेत्र में उपरोजगार अवसरों के सृजन के उद्देश्य से नाबार्ड के जरिए कार्यान्वित की जा रही योजना के लिए है

14. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन, देसी नस्ल तथा राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन नामक नई योजना के अंतर्गत आबंटनों को राष्ट्रीय गौकुल मिशन के अंतर्गत एक साथ मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा समेकित तरीके से देसी नस्लों का संरक्षण तथा विकास करना है।

15. **राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ को सहायता:** यह बजट प्रावधान राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं में सहायता देने के लिए

16. **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि:** यह प्रावधान, नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली नई योजना के लिए है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर प्रसंस्करण और शीतल बुनियादी ढांचे और दूध मिलावटी परीक्षण उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना है।

18. **पशुधन जनगणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** यह बजट प्रावधान पशुधन जनगणना योजना के लिए है जिसमें 20वीं पशुधन जनगणना, 2017 की तैयारी का कार्य शुरू किया गया है और उस एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के लिए है जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराए गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पाद अर्थात दूध, अंडा, मांस और ऊन आदि अनुमानित है।

19. **पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण:** इस योजना में विभिन्न टीकाकरणों, कौशल विकास तथा पशुचिकित्सा आवसंरचना के सृजन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके धारणीय पशुधन स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकारों की गतिविधियों को सम्पूरित करने के लिए निधियां रखी जाती हैं। इस प्रावधान में व्यावसायिक दक्षता विकास के हिस्से के रूप में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के लिए अनुदान शामिल हैं।

20. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** यह प्रावधान पशुधन सेक्टर, विशेषरूप से पशु, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं तथा अन्य छोटे पशुधन के धारणीय विकास के उद्देश्य से संबंधित योजना के लिए है।

21. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि:** यह प्रावधान पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की नई योजना के लिए है

22. **मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन:** यह प्रावधान मात्स्यिकी के एकीकृत विकास तथा प्रबंधन हेतु पुनर्संरचित योजना के लिए है जिसमें अंतर्जलीय मात्सियकी, जलजीवकृषि, समुद्रीय मात्सियकी आदि शामिल हैं।

23. **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि:** यह कोष देश में मछुआरों के लाभ के लिए नई योजना मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास कोष के लिए रखा जाता है

परमाणु ऊर्जा विभाग

मांग संख्या 4

परमाणु ऊर्जा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	13305.12	6762.46	20067.58	13929.15	7589.23	21518.38	13372.38	9964.71	23337.09	14758.52	9409.37	24167.89
वसूलियां	*-113.12*	*-1159.16*	*-1272.28*	*-163.14*	*-1452.20*	*-1615.34*	*-176.19*	*-1301.27*	*-1477.46*	*-180.22*	*-1302.81*	*-1483.03*
प्राप्तियां	*-3713.63*	*...*	*-3713.63*	*-5931.63*	*...*	*-5931.63*	*-4894.38*	*...*	*-4894.38*	*-5959.35*	*...*	*-5959.35*
निवल	**9478.37**	**5603.30**	**15081.67**	**7834.38**	**6137.03**	**13971.41**	**8301.81**	**8663.44**	**16965.25**	**8618.95**	**8106.56**	**16725.51**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	52.04	...	52.04	56.69	...	56.69	56.69	...	56.69	58.05	...	58.05
2. आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड	70.57	...	70.57	76.30	...	76.30	76.30	...	76.30	80.00	...	80.00
3. आणविक अनुसंधान केन्द्र												
3.01 भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र	2327.44	...	2327.44	2446.27	...	2446.27	2498.45	...	2498.45	2560.91	...	2560.91
	-27.66	...	-27.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*2299.78*	*...*	*2299.78*	*2446.27*	*...*	*2446.27*	*2498.45*	*...*	*2498.45*	*2560.91*	*...*	*2560.91*
3.02 इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम	454.92	...	454.92	476.20	...	476.20	467.00	...	467.00	496.67	...	496.67
3.03 राजा रमन विकसित प्रोद्योगिकी केन्द्र, इदोंर	309.99	...	309.99	311.43	...	311.43	303.80	...	303.80	324.83	...	324.83
3.04 विविध ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र कोलकता	120.51	...	120.51	117.39	...	117.39	115.35	...	115.35	121.94	...	121.94
3.05 अन्वेषण एवं अनुसंधान हेतु आणविक खनिज निदेशालय, हैदराबाद	307.97	...	307.97	310.22	...	310.22	306.92	...	306.92	319.39	...	319.39
जोड़- आणविक अनुसंधान केन्द्र	*3493.17*	*...*	*3493.17*	*3661.51*	*...*	*3661.51*	*3691.52*	*...*	*3691.52*	*3823.74*	*...*	*3823.74*
4. ईंधन चक्र सुविधा (नाभिकीय विनियामक बोर्ड)	532.70	...	532.70	532.82	...	532.82	500.00	...	500.00	544.15	...	544.15
5. सेवा इकाइयां	416.50	...	416.50	390.51	...	390.51	374.98	...	374.98	396.65	...	396.65
	-32.73	...	-32.73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*383.77*	*...*	*383.77*	*390.51*	*...*	*390.51*	*374.98*	*...*	*374.98*	*396.65*	*...*	*396.65*
6. विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी)	83.08	...	83.08	92.87	...	92.87	149.83	...	149.83	97.85	...	97.85
7. प्रबंधन सेवा समूह	0.67	...	0.67	0.68	...	0.68	0.67	...	0.67	0.70	...	0.70
8. नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र												
8.01 सकल बजटीय सहायता	2432.10	...	2432.10	2156.34	...	2156.34	2523.60	...	2523.60	2551.83	...	2551.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.02 घटाइए प्राप्तियां	-1205.93	...	-1205.93	-2417.80	...	-2417.80	-1735.36	...	-1735.36	-2286.29	...	-2286.29
8.03 कम वसूलियां	-48.57	...	-48.57	-70.00	...	-70.00	-70.00	...	-70.00	-70.00	...	-70.00
निवल	*1177.60*	*...*	*1177.60*	*-331.46*	*...*	*-331.46*	*718.24*	*...*	*718.24*	*195.54*	*...*	*195.54*
9. भारी जल उत्पादन सुविधा												
9.01 सकल बजटीय सहायता	47.24	1024.35	1071.59	52.43	1048.89	1101.32	52.85	1034.30	1087.15	67.43	1183.95	1251.38
9.02 कम-वसूली	...	-1136.78	-1136.78	...	-1356.78	-1356.78	...	-1206.00	-1206.00	...	-1201.00	-1201.00
निवल	*47.24*	*-112.43*	*-65.19*	*52.43*	*-307.89*	*-255.46*	*52.85*	*-171.70*	*-118.85*	*67.43*	*-17.05*	*50.38*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**5840.84**	**-112.43**	**5728.41**	**4532.35**	**-307.89**	**4224.46**	**5621.08**	**-171.70**	**5449.38**	**5264.11**	**-17.05**	**5247.06**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
अनुसंधान एवं विकास												
10. अनुसंधान एवं विकास मूलभूत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी	...	835.69	835.69	...	880.00	880.00	...	1000.00	1000.00	...	1320.00	1320.00
11. द्रुत रिएक्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास	...	270.98	270.98	...	210.00	210.00	...	210.00	210.00	...	271.00	271.00
12. लेजर, सिंकोट्रोन और एक्सिलरेटर के लिए प्रगत प्रौद्योगिकियां	...	153.71	153.71	...	130.16	130.16	...	130.16	130.16	...	150.99	150.99
13. अन्वेषण एवं खनन में विकास एवं अनुसंधान	...	103.42	103.42	...	108.42	108.42	...	108.42	108.42	...	138.00	138.00
14. अन्य संस्थानों को अनुदान	133.33	...	133.33	124.49	...	124.49	100.00	...	100.00	154.00	...	154.00
जोड़-अनुसंधान एवं विकास	**133.33**	**1363.80**	**1497.13**	**124.49**	**1328.58**	**1453.07**	**100.00**	**1448.58**	**1548.58**	**154.00**	**1879.99**	**2033.99**
15. पश्च भाग ईंधन चक्र परियोजना	...	343.96	343.96	...	580.00	580.00	...	240.00	240.00	...	440.00	440.00
आवास और आस- पड़ोस विकास परियोजनाएं												
16. आवासीय परियोजनाएं	...	144.25	144.25	...	151.07	151.07	...	115.17	115.17	...	169.01	169.01
17. कुडनकुलम में आस-पड़ोस विकास परियोजना	130.00	...	130.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आवास और आस- पड़ोस विकास परियोजनाएं	**130.00**	**144.25**	**274.25**	**...**	**151.07**	**151.07**	**...**	**115.17**	**115.17**	**...**	**169.01**	**169.01**
भारी जल सुविधाएं												
18. भारी जल बोर्ड	...	37.14	37.14	...	56.89	56.89	...	36.89	36.89	...	53.00	53.00
19. फीड स्टॉक												
19.01 सकल बजटीय सहायता	...	1130.91	1130.91	...	1242.48	1242.48	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00
19.02 कम वसूलियां	...	-22.38	-22.38	...	-95.42	-95.42	...	-95.27	-95.27	...	-101.81	-101.81
निवल	*...*	*1108.53*	*1108.53*	*...*	*1147.06*	*1147.06*	*...*	*1104.73*	*1104.73*	*...*	*1098.19*	*1098.19*
20. भारी जल पूल प्रबंधन												
20.01 सकल बजटीय सहायता	1355.00	...	1355.00	1355.00	...	1355.00	1300.00	...	1300.00	1300.00	...	1300.00
20.02 कम प्राप्तियां	-1355.00	...	-1355.00	-1355.00	...	-1355.00	-1300.00	...	-1300.00	-1300.00	...	-1300.00
निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़-भारी जल सुविधाएं	**...**	**1145.67**	**1145.67**	**...**	**1203.95**	**1203.95**	**...**	**1141.62**	**1141.62**	**...**	**1151.19**	**1151.19**
21. विकिरण एवं आइसोटोप परियोजना	...	55.64	55.64	...	107.91	107.91	...	30.00	30.00	...	110.00	110.00
22. नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं	54.90	1.22	56.12	84.99	2.10	87.09	62.15	2.10	64.25	107.00	3.42	110.42
23. नाभिकीय ईंधन परियोजना	...	144.14	144.14	...	164.50	164.50	...	164.50	164.50	...	170.00	170.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
24. एईआरबी विस्तार परियोजना	1.80	15.43	17.23	...	9.45	9.45	...	15.00	15.00	...	40.00	40.00
25. त्वरक के लिए उन्नत परियोजना	...	44.83	44.83	...	64.17	64.17	...	64.17	64.17	...	75.00	75.00
26. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	6.06	153.83	159.89	7.69	250.00	257.69	15.30	120.00	135.30	10.00	160.00	170.00
27. उद्योग एवं सामग्री परियोजनाएं	45.00	9.00	54.00	45.00	55.89	100.89	45.00	34.00	79.00	45.00	20.00	65.00
28. ईंधन चक्र परियोजनाएं (द्रुत रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा)	...	419.96	419.96	...	610.00	610.00	...	650.00	650.00	...	750.00	750.00
29. नाभिकीय ईंधन भण्डार												
29.01 सकल बजटीय सहायता	2180.60	...	2180.60	3154.71	...	3154.71	2276.55	...	2276.55	3122.06	...	3122.06
29.02 कम प्राप्तियां	-1152.70	...	-1152.70	-2158.83	...	-2158.83	-1859.02	...	-1859.02	-2373.06	...	-2373.06
निवल	*1027.90*	*...*	*1027.90*	*995.88*	*...*	*995.88*	*417.53*	*...*	*417.53*	*749.00*	*...*	*749.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**1398.99**	**3841.73**	**5240.72**	**1258.05**	**4527.62**	**5785.67**	**639.98**	**4025.14**	**4665.12**	**1065.00**	**4968.61**	**6033.61**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
30. अन्य स्वायत्त निकाय	2213.99	...	2213.99	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2249.84	...	2249.84
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
31. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)	...	1435.00	1435.00	...	1665.00	1665.00	...	4665.00	4665.00	...	3000.00	3000.00
32. यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	439.00	439.00	...	122.30	122.30	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
33. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी)	...	...	...	...	130.00	130.00	...	130.00	130.00	...	140.00	140.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**...**	**1874.00**	**1874.00**	**...**	**1917.30**	**1917.30**	**...**	**4810.00**	**4810.00**	**...**	**3155.00**	**3155.00**
अन्य												
34. अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण को अंशदान	24.55	...	24.55	43.98	...	43.98	40.75	...	40.75	40.00	...	40.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**2238.54**	**1874.00**	**4112.54**	**2043.98**	**1917.30**	**3961.28**	**2040.75**	**4810.00**	**6850.75**	**2289.84**	**3155.00**	**5444.84**
कुल जोड़	***9478.37***	***5603.30***	***15081.67***	***7834.38***	***6137.03***	***13971.41***	***8301.81***	***8663.44***	***16965.25***	***8618.95***	***8106.56***	***16725.51***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. विद्युत	1219.57	...	1219.57	1088.24	...	1088.24	489.74	...	489.74	874.12	...	874.12
2. उद्योग	2420.41	...	2420.41	977.29	...	977.29	2051.57	...	2051.57	1622.64	...	1622.64
3. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	5786.35	...	5786.35	5712.16	...	5712.16	5703.81	...	5703.81	6064.14	...	6064.14
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	52.04	...	52.04	56.69	...	56.69	56.69	...	56.69	58.05	...	58.05
5. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	687.68	687.68	...	949.20	949.20	...	949.20	949.20	...	603.42	603.42
6. परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	2647.27	2647.27	...	2734.82	2734.82	...	2311.58	2311.58	...	2964.14	2964.14
7. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	1518.35	1518.35	...	1603.01	1603.01	...	1552.66	1552.66	...	1939.00	1939.00
8. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	750.00	750.00	...	850.00	850.00	...	3850.00	3850.00	...	2600.00	2600.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**9478.37**	**5603.30**	**15081.67**	**7834.38**	**6137.03**	**13971.41**	**8301.81**	**8663.44**	**16965.25**	**8618.95**	**8106.56**	**16725.51**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	**9478.37**	**5603.30**	**15081.67**	**7834.38**	**6137.03**	**13971.41**	**8301.81**	**8663.44**	**16965.25**	**8618.95**	**8106.56**	**16725.51**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	59.81	59.81	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
2. इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	...	57.85	57.85	...	27.90	27.90	...	28.70	28.70	...	13.00	13.00
3. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	439.00	24.83	463.83	122.30	79.70	202.00	15.00	73.00	88.00	15.00	80.30	95.30
4. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	...	...	...	130.00	...	130.00	130.00	10.00	140.00	140.00	...	140.00
5. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	1435.00	6446.00	7881.00	1665.00	5656.00	7321.00	4665.00	7683.00	12348.00	3000.00	8110.00	11110.00
जोड़	**1874.00**	**6588.49**	**8462.49**	**1917.30**	**5778.60**	**7695.90**	**4810.00**	**7809.70**	**12619.70**	**3155.00**	**8218.30**	**11373.30**

1. **सचिवालय:** परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) सचिवालय विभाग की विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित कर रही देशभर में फैली संघटक इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन छः अनुसंधान एवं विकास इकाइयां, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) सहित तीन औद्योगिक इकाइयां, तीन सेवा संगठनों और 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा नौ सहायता प्राप्त संस्थान भी हैं। विभाग की एक शाखा-सचिवालय नई दिल्ली में भी है।

2. **आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड:** परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) विकिरणीय संरक्षा अनुबंधों को लागू करता है। विकिरणीय, नाभिकीय एवं औद्योगिक सुरक्षा नियमनों के निर्धारण के कार्य में प्रचालनरत संयंत्रों के लिए संरक्षा संवीक्षा समिति (एसएआरसीओपी), विकिरण अनुप्रयोगों के लिए संरक्षा संवीक्षा समिति (एसआरसी) एवं अन्य समितियाँ इसकी सहायता करती हैं।

3.01. **आणविक अनुसंधान केन्द्र:** भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) एक बहु-विषयी (मल्टी डिसिप्लिनरी) संगठन है जो समाज के लाभ हेतु परमाणु ऊर्जा एवं उसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यक्रमों में लगा रहता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, विभाग की अन्य सभी इकाइयों को अनुसंधान एवं विकास सहायता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सहायता लगातार उपलब्ध कराता आ रहा है।

3.02. **आणविक अनुसंधान केन्द्र:** केंद्र की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का दायरा रिएक्टर घटकों के हाइड्रॉलिक अध्ययनों और रिएक्टर इंजीनियरी अध्ययनों, सोडियम इंस्ट्रूमेंटेशन, पदार्थ विकास एवं अभिलक्षणन तक फैला है। केन्द्र ने अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ मैच्युअर फास्ट ब्रीडर फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

3.03. **राजा रमन विकसित प्रोद्योगिकी केन्द्र, इदोंर:** राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरकैट), इंदौर, कण त्वरकों और लेसरों तथा उनके अनुप्रयोगों के विकास में लगा है।

3.04. **विविध ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र कोलकता:** कोलकाता स्थित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र (वीईसीसी), राष्ट्र के सबसे बड़े और स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम साइक्लोट्रॉन का प्रचालन कर रहा है और इसने भारत में प्रथम बार अर्जस्वी नियॉन 20 और आर्गन 40 बीम का उत्पादन किया है। कई नाभिकीय भौतिक समुदाय द्वारा राष्ट्रीय सुविधा भारतीय गामा रे अरे की राष्ट्रीय सुविधा हेतु संचालित कई प्रयोगों को पूरा किया है।

3.05. **आणविक अनुसंधान केन्द्र:** परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु आवश्यक परमाणु खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य करता है।

4. **ईंधन चक्र सुविधा (नाभिकीय विनियामक बोर्ड):** न्यूकिलियर रिसाईकल बोर्ड (एनआरबी)/को नाभिकीय ईंधन पुनः प्रसंस्करण संबंधी कार्यकलापों करने हेतु सृजित किया गया है।

5. **सेवा इकाइयां:** इसमें तीन सेवा संस्थान शामिल हैं : (i) क्रय एवं भंडार निदेशालय डीपीएस, मुंबई, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, (ii) निर्माण, सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम), मुंबई, मुंबई में डीएई की संपदा हेतु आवंटन और सुरक्षा सहित रिहायशी फ्लैटों, दुकानों, सरकारी इमारतों और संपदा प्रबंधन के संचालन, अनुभव और स्तरोन्नयन के लिए भी उत्तरदायी है, (iii) सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ), कलपक्कम एक ऐसा सेवा संगठन है जो कलपक्कम में रिहायशी आवास, जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

6. **विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी):** विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्यागिकी बोर्ड का दायित्व निम्नवत है:- विभिन्न प्रकार के रेडियोआइसोटोप उत्पादों, जिनमें रेडियोभेषज एवं संबंधित उत्पाद, रेडियो इम्यूनोऐसे किट, रेडियो रसायन, रेडियो चिह्नित यौगिक तथा न्यूक्लियोटाइड तथा सीलबंद विकिरण स्रोत, जैसे, कोबाल्ट-60, इरिडियम-192, सीजीएम-137 आदि का उत्पादन तथा आपूर्ति करना। विकिरण प्रौद्योगिकी उपस्कर, जैसे गामा रेडियोग्राफी कैमरे, रक्त किरणक एवं प्रयोगशाला गामा किरणकों का उत्पादन और आपूर्ति; स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, खाद्य संसाधन एवं कृषि में उपयोग हेतु विकिरण संसाधन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना तथा चिकित्सा उत्पाद, मसालों एवं अन्य उत्पादों के लिए विकिरण संसाधन सेवाएं उपलब्ध कराना, विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रचार करना तथा वाणिज्यिक स्तर पर गामा विकिरण संसाधन संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को सेवाएं उपलब्ध कराना।

7. **प्रबंधन सेवा समूह:** विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन में समन्वयन हेतु उत्तरदायी है।

8. **नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र:** नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) सभी दाबयुक्ती गुरुजल रिएक्टयरों (पीएचडब्यूआर) के लिए जिरकोनियम एलाय क्लाड, प्राकृतिक तथा समृद्ध यूरेनियम ऑक्साइड फ्यूल असेम्बलीज के विनिर्माण हेतु उत्तरदायी है और केलोन्ड्रिनया तथा पीएचडब्ल्यूआर के लिए प्रेसरट्यूब तथा वीडब्ल्यूआर के लिए स्क्रेयर चैनल सहित इन रिएक्टअरों हेतु बॉइलिंग वाटर रिएक्टिर्स (बीडब्यूआर) जिरकोनियम एलाय स्ट्रक्चरल संघटक हैं। इसके अलावा, एनएफसी नाभिकीय तथा गैर नाभिकीय प्रयोगों हेतु अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के सीमलैस स्टेनलैस स्टील तथा स्पेशल एलॉय ट्यूब्स एवं सामरिक उपयोग हेतु विशेष तथा उच्च परिशुद्धता सामग्रियों का भी उत्पादन करता है।

9. **भारी जल उत्पादन सुविधा:** भारी पानी बोर्ड दो हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर एक्सचेंज प्रोसेस कोटा और मनुगुरु में और दो संयत्र और अमोनिया-हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस पर आधारित थल एवं हजीरा में स्थित भारी जल संयत्रों का प्रचालन करता है।

10. **अनुसंधान एवं विकास मूलभूत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी:** इन अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को नाभिकीय विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, मूलभूत विज्ञान एवं उससे संबंधित विषयों के क्षेत्रों में केन्द्रित किया गया है और इसे विद्युत उत्पादन तथा कृषि, स्वास्थ्य एवं उद्योग के क्षेत्रों में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग हेतु तैयार किया गया है।

11. **द्रुत रिएक्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास:** इंदिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के द्वितीय चरण के एक अंग के रूप में देश में द्रव सोडियम शीतलित तीव्र प्रजनक रिएक्टरों की डिजाइन एवं विकास में लगा है जिसमें ईंधन संविरचन तथा उसका पुनर्संसाधन भी शामिल है। तीव्र प्रजनक रिएक्टर कार्यक्रम की प्रस्तावना के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित यूरेनियम कार्बाइड ईंधन सहित तीव्र प्रजनक परीक्षण रिएक्टर (एफबीटीआर) प्रचालनरत है।

12. **लेजर, सिंकोट्रोन और एक्सिलरेटर के लिए प्रगत प्रौद्योगिकियां:** इलेक्ट्रॉन 10MeVलीनैक सिस्टम, विलगन परिरक्षण तथा त्वरक दीवार में ओजोन परिरोधन को कृषि विकिरण प्रोसेसिंग सुविधाओं के लिए विकसित किया जा रहा है।

13. **अन्वेषण एवं खनन में विकास एवं अनुसंधान:** निदेशालय की गतिविधियों में परमाणु खनिजों का निर्धारण, विश्लेषण, मूल्याँकन, अभिलक्षणन एवं वर्गीकरण; रेडियोमीट्रिक उपस्करों का अभिकल्पन और अयस्क निष्कर्षण फ्लो शीटों का विकास शामिल है।

14. **अन्य संस्थानों को अनुदान:** परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एनबीएचएम) तथा होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) क्रमश: नाभिकीय एवं संबद्ध क्षेत्रों तथा गणित में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

15. **पश्च भाग ईंधन चक्र परियोजना:** नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए ईंधन की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए एकीकृत नाभिकीय पुनर्चक्रण परियोजना का निर्माण।

16. **आवासीय परियोजनाएं:** गृह निर्माण योजना विभाग के कर्मचारियों के आवास सहित विभिन्न निर्माण गतिविधियों का संचालन करती है। यह निदेशालय विभिन्न आवासीय फ्लैटों, दुकानों, सरकारी इमारतों की यूटिलिटी बिल्डिंगों की विभिन्न सेवाओं के प्रचालन, अनुरक्षण एवं अपग्रेडेशन की जिम्मेदारी निभाता है तथा मुंबई स्थित संपदा के संपदा-प्रबंधन का कार्य भी करता है। निदेशालय अपने सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए भी निर्माण कार्यों को निष्पादित करता है।

17. **कुडनकुलम में आस-पड़ोस विकास परियोजना:** डीएई में और इसके आस-पड़ोस में सामाजिक पहुंच वाले आवश्यकता आधारित कार्यकलापों का सृजित और लक्षित दर्शकों हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का गठन।

18. **भारी जल बोर्ड:** दवाइयों, जीवन विज्ञानों, संचार तथा माइक्रो-इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में ड्यूटेरियम (डी) तथा भारी पानी के गैर-नाभिकीय अनुप्रयोगों में वैश्विक विकास के अननुरूप भारी पानी बोर्ड ने विभिन्न डी-चिह्नित यौगिकों के संश्लेषण का कार्य प्रारंभ किया है।

19. **फीड स्टॉक:** वित्तीय वर्ष के दौरान भारी पानी की प्राप्ति तथा उत्पादन का मूल्य

20. **भारी जल पूल प्रबंधन:** भारी पानी के लिए परिनियोजित सरकारी पूंजी का ब्याज़ पूल प्रबंधन में रखा गया।

21. **विकिरण एवं आइसोटोप परियोजना:** किरणित Co-60 के भंडारण के लिए क्षमता में वृद्धि करने के लिए विखण्डन मोली परियोजना का निर्माण।

22. **नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं** यह विभाग कुछ परियोजनाओं को हाथ में लेता है जो विद्युत क्षेत्रों में संघटक इकाइयों अथवा विभाग की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित की जाती हैं।

23. **नाभिकीय ईंधन परियोजना:** पीएचडब्ल्यूआर रिएक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन बण्डलों का उत्पादन करने हेतु ज़र्केलॉय संविरचन सुविधा के साथ ईंधन संविरचन सुविधा की स्थापना करना।

24. **एईआरबी विस्तार परियोजना:** प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए एईआरबी की क्षमता निर्माण हेतु मुख्यालय में नए भवन तथा क्षेत्रीय नियामक केंद्रों का निर्माण।

25. **त्वरक के लिए उन्नत परियोजना:** चिकित्सा साइक्लोट्रोन का संस्थापन, एएनयूआर आईबी का उन्नत संगठन अभिकल्पन और सुपरकडक्टि का त्वरक घटकों के विकास से नाभिकीय भौतिकी में भावी अनुसंधान का पथ प्रशस्त होगा।

26. **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं** यह विभाग कुछ परियोजनाओं को हाथ में लेता है जो अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों में संघटक इकाइयों अथवा विभाग की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित की जाती हैं।

27. **उद्योग एवं सामग्री परियोजनाएं** यह विभाग कुछ परियोजनाओं को हाथ में लेता है जो उद्योग परियोजनाएं क्षेत्रों में संघटक इकाइयों अथवा विभाग की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किए जाते हैं।

28. **ईंधन चक्र परियोजनाएं (द्रुत रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा):** प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर)के ईंधन चक्र को बंद करने के लिए आईजीकार की ईंधन चक्र परियोजना एफआरएफसीएफ की एक एकीकृत सुविधा है।

29. **नाभिकीय ईंधन भण्डार:** यह भारी पानी उत्पादन की विभिन्न सुविधाओं से भारी पानी उत्पादन का मालसूची प्रबंधन है।

30. **अन्य स्वायत्त निकाय:** साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईएसईआर), भुवनेश्वर, हरीश चन्द्रा अनुसंधान संस्थान (एचआरआई), इलाहाबाद, इन्स्टिट्यूट आफ मेथमेटिकल साइन्सेज (आईएलएससी), चेन्नई, अहमदाबाद, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई तथा आण्विक ऊर्जा शिक्षा समिति (एईईएस), मुंबई।

31. **न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल):** न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु बिजलीघर के अभिकल्पन, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण करने के लिए एक नोडल एजेंसी है।

32. **यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना यूरेनियम सांद्रण के उत्पादन हेतु यूरेनियम अयस्क के खनन तथा प्रोसेसिंग के उद्देश्य से की गई।

33. **भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी):** भाविनि का लक्ष्य वाणिज्यिक आधार पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए पीएफबीआर से शुरूआत करते हुए द्रुत प्रजनक प्रौद्योगिकी आधारित नाभिकीय बिजलीघर/घरों के एकीकृत कार्यक्रम की योजना बनाना, कार्यान्वित करना तथा प्रचालित करना है।

34. **अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण को अंशदान:** भारत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के प्रारंभ से ही उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक सदस्य रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय परिगोष्ठियों एवं अन्य फेलोशिप विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने के अतिरिक्त विशेषज्ञता वाले कार्यों हेतु विभागीय वैज्ञानिकों की सेवायें इस संस्था को उपलब्ध कराता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के प्रावधान इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के लिए विभाग द्वारा किए गए योगदान को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं।

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

मांग संख्या 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2006.51	28.21	2034.72	2107.10	23.70	2130.80	2190.50	6.70	2197.20	2245.55	0.21	2245.76
वसूलियां	*-503.42*	*...*	-503.42	*-504.43*	*...*	*-504.43*	*-504.43*	*...*	*-504.43*	*-506.00*	*...*	*-506.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**1503.09**	**28.21**	**1531.30**	**1602.67**	**23.70**	**1626.37**	**1686.07**	**6.70**	**1692.77**	**1739.55**	**0.21**	**1739.76**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.69	...	23.69	38.00	...	38.00	29.60	...	29.60	40.29	...	40.29
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	57.70	...	57.70	62.49	...	62.49	60.49	...	60.49	59.50	...	59.50
3. होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	3.25	...	3.25	5.69	...	5.69	4.95	...	4.95	5.50	...	5.50
4. भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	2.87	0.21	3.08	4.40	0.20	4.60	4.60	0.20	4.80	4.55	0.20	4.75
5. कार्यालय भवन का अधिग्रहण	...	28.00	28.00	...	23.00	23.00	...	6.50	6.50	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**87.51**	**28.21**	**115.72**	**110.58**	**23.20**	**133.78**	**99.64**	**6.70**	**106.34**	**109.84**	**0.20**	**110.04**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढ़ीकरण												
6. आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता	10.97	...	10.97	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
7. आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5.13	...	5.13	5.00	...	5.00	4.98	...	4.98	5.00	...	5.00
8. आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.41	...	1.41
9. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
10. होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
11. मेलों में भागीदारी/बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने में उद्योग को प्रोत्साहन	0.36	...	0.36	1.36	...	1.36	...	...	...	...	...	...
12. सूचना, शिक्षा एवं संचार	31.07	...	31.07	34.00	...	34.00	64.00	...	64.00	52.60	...	52.60
13. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	14.54	...	14.54	13.00	...	13.00	15.81	...	15.81	16.00	...	16.00
14. एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.09	...	1.09	1.80	...	1.80

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50
16. अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	8.47	...	8.47	6.00	...	6.00	5.98	...	5.98	6.00	...	6.00
जोड़-आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढ़ीकरण	**76.06**	**...**	**76.06**	**71.36**	**...**	**71.36**	**101.86**	**...**	**101.86**	**92.31**	**...**	**92.31**
17. चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**76.06**	**...**	**76.06**	**71.36**	**...**	**71.36**	**101.86**	**...**	**101.86**	**92.32**	**...**	**92.32**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
18. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	3.22	...	3.22	4.50	...	4.50	3.89	...	3.89	3.40	...	3.40
19. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली	3.94	...	3.94	5.10	...	5.10	5.00	...	5.00	5.50	...	5.50
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**7.16**	**...**	**7.16**	**9.60**	**...**	**9.60**	**8.89**	**...**	**8.89**	**8.90**	**...**	**8.90**
स्वायत्त निकाय												
20. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	216.01	...	216.01	252.91	...	252.91	286.41	...	286.41	292.31	...	292.31
21. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	112.15	...	112.15	109.50	...	109.50	113.50	...	113.50	118.53	...	118.53
22. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	133.65	...	133.65	130.00	...	130.00	147.00	...	147.00	152.65	...	152.65
23. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान												
23.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	29.35	...	29.35	32.00	...	32.00	47.28	...	47.28	39.98	...	39.98
23.02 एचईएफए ऋण पर ब्याज भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
23.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान	*29.35*	*...*	*29.35*	*32.00*	*...*	*32.00*	*47.28*	*...*	*47.28*	*40.00*	*...*	*40.00*
24. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता												
24.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	51.85	...	51.85	46.00	...	46.00	54.40	...	54.40	49.98	...	49.98
24.02 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	*51.85*	*...*	*51.85*	*46.00*	*...*	*46.00*	*54.40*	*...*	*54.40*	*50.00*	*...*	*50.00*
25. अन्य स्वायत्त निकाय												
25.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	323.88	...	323.88	336.29	...	336.29	322.66	...	322.66	368.96	...	368.96
25.02 एचईएफए ऋण पर ब्याज भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
25.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
जोड़- अन्य स्वायत्त निकाय	*323.88*	*...*	*323.88*	*336.29*	*...*	*336.29*	*322.66*	*...*	*322.66*	*369.00*	*...*	*369.00*
जोड़-स्वायत्त निकाय	**866.89**	**...**	**866.89**	**906.70**	**...**	**906.70**	**971.25**	**...**	**971.25**	**1022.49**	**...**	**1022.49**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
26. आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश	...	...	...	...	0.50	0.50	...	...	...	...	0.01	0.01
अन्य												
27. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	489.81	...	489.81	504.43	...	504.43	504.43	...	504.43	506.00	...	506.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
28. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से पूरी की गई राशि	-489.81	...	-489.81	-504.43	...	-504.43	-504.43	...	-504.43	-506.00	...	-506.00
29. वास्तविक वसूलियां	-13.61	...	-13.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-13.61**	**...**	**-13.61**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**860.44**	**...**	**860.44**	**916.30**	**0.50**	**916.80**	**980.14**	**...**	**980.14**	**1031.39**	**0.01**	**1031.40**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
30. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	479.08	...	479.08	504.43	...	504.43	504.43	...	504.43	506.00	...	506.00
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*479.08*	*...*	*479.08*	*504.43*	*...*	*504.43*	*504.43*	*...*	*504.43*	*506.00*	*...*	*506.00*
कुल जोड़	***1503.09***	***28.21***	***1531.30***	***1602.67***	***23.70***	***1626.37***	***1686.07***	***6.70***	***1692.77***	***1739.55***	***0.21***	***1739.76***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1000.48	...	1000.48	1041.14	...	1041.14	1133.98	...	1133.98	1174.24	...	1174.24
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	23.69	...	23.69	38.00	...	38.00	29.60	...	29.60	40.29	...	40.29
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	28.21	28.21	...	23.70	23.70	...	6.70	6.70	...	0.21	0.21
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1024.17**	**28.21**	**1052.38**	**1079.14**	**23.70**	**1102.84**	**1163.58**	**6.70**	**1170.28**	**1214.53**	**0.21**	**1214.74**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	83.00	...	83.00	107.92	...	107.92	84.02	...	84.02
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	476.52	...	476.52	433.00	...	433.00	408.33	...	408.33	433.00	...	433.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.40	...	2.40	7.53	...	7.53	6.24	...	6.24	8.00	...	8.00
जोड़-अन्य	**478.92**	**...**	**478.92**	**523.53**	**...**	**523.53**	**522.49**	**...**	**522.49**	**525.02**	**...**	**525.02**
कुल जोड़	**1503.09**	**28.21**	**1531.30**	**1602.67**	**23.70**	**1626.37**	**1686.07**	**6.70**	**1692.77**	**1739.55**	**0.21**	**1739.76**

1. **सचिवालय:** आयुष मंत्रालय को सचिवालय सेवा प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु आश्वोस्त गुणवत्ताज की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाने संरक्षण और पर-स्थातने कृषि को प्रोत्सा हन देने के नजरिए से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्माक और संविदात्मपक कृषि स्कीवमें चलाता है। राष्ट्री य औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्योंन और 5 संघ राज्यड क्षेत्रों में घरेलु खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्चा अग्रता प्राप्तय कृषि को प्रोत्साहित करनेके लिए 32 राज्यीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** होम्यो पैथिक औषधों की पहचान और शुद्धता के लिए मानक निर्धारित करना और विदेशी औषधों के स्था न पर स्वऔदेशी औषधों का पता लगाना।

4. **भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** एएसयू औषधों के परीक्षण हेतु मानक निर्धारित करना और गुणवत्ताकयुक्तय नियंत्रण उपाय लागू करना तथा आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधों का गुणवत्ताीयुक्तक नियंत्रण परीक्षण करके केंद्रीय स्तर पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों को लागू करना।

5. **कार्यालय भवन का अधिग्रहण:** राष्ट्री य भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा निर्मित और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निरीक्षित पूर्वी किदवई नगर परियोजना, नई दिल्ली के पुनर्विकास में 16095 वर्ग फुट तैयार कार्यालय परिसर के अधिग्रहण के लिए प्रावधान रखा गया है।

6. **आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता:** ख्याति प्राप्तय आयुष संस्थाओं के कार्यों और सुविधाओं दोनों का उन्न यन उत्कृगष्टता स्त र तक करने के लिए सृजनशील एवं नवाचारी प्रस्ताांवों को सहायता प्रदान करना।

7. **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आयुष उपचारों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्सावभ्याासियोंके उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार और निजी संगठनों के नवाचारी प्रस्ताावों को सहायता प्रदान करना।

8. **आयुष के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक:** केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष की ऊर्ध्वाधर संरचना सृजित करना।

9. **आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास:** इस स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

10. **होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति:** होम्योपैथी चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद , भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से संबंधित भेषज संहिता समिति और भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएम) का सुदृढ़ीकरण एंड एच प्रयोगशालाओं के प्रशासन और वित्तीय मामलों का समन्वय करना।

11. **मेलों में भागीदारी/बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने में उद्योग को प्रोत्साहन:** आयुष उत्पादों की उपलब्धता, मांग, उपयोग और व्यापार में सुधार करना।

12. **सूचना, शिक्षा एवं संचार:** सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्ना मीडिया चैनलों के माध्येम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों की बीच जागृति उत्पन्न करना।

13. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीषय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्साक पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता को प्रोत्साहन देना; उभरती स्वानस्य्यो समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष पणधारियों के वार्तालाप और विपणन विकास को अपनाना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थांपना करना।

14. **एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल:** सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की सुरक्षा निगरानी और विपणनोपरांत सर्वेक्षण के लिए सांस्थानिक तंत्रविकसित करना।

15. **आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई):** आयुष कार्मिकों की व्याावसायिक सक्षमता एवं कौशल का उन्नयन करना।

16. **अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं** अग्रतादत्तष बीमारियों के उपचार हेतु बहिर्वर्ती तरीके से अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना, आयुष औषधों एवं उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ताय के लिए वैज्ञानिक साक्ष्योंक को मानकीकृत करना/वैध बनाना तथा विकसित करना और अंतरविषयक दृष्टि कोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिक छान-बीन करना।

17. **चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुपर स्पेशियलिटी डे केयर/अस्पताल की स्थापना और आयुष ग्रिड के कौशल विकास और स्थापना के माध्यम से आयुष क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन प्रदान करना।

18. **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली:** होम्योशपैथी के केंद्रीय पंजीकरण का अनुरक्षण, दूसरी अनुसूची में योग्याता को शामिल करने के लिए प्रत्यतक्ष पंजीकरण और सिफारिशें, एचसीसी अधिनियम की धारा12क के संदर्भमें नए कॉलेजों को मान्यअता देने, सीटों को बढ़ाने एवं नए/उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिशें।

19. **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली:** स्नाणतकपूर्व एवं स्नाातकोत्तार शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं का दौरा करके भाचिप कॉलेजों में शिक्षा के न्यूसनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को निर्धारित एवं विनियमित करना, प्रवेश क्षमता को बढ़ाना और नए कॉलेज/स्नातकोत्त र पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री निर्धारित करना (ii) भारतीय चिकित्सात केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सायोग्याताओं (शामिल करना/निकालना) की मान्यीता संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना(iii) भारतीय चिकित्साच की योग्योताओं को मान्यवता प्रदान करना (iv) चिकित्साकभ्याासियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्याकवसायिक आचारण, शिष्टा चार और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना। (v) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिकाका अनुरक्षण करना और उसे समय-समय पर संशोधित करना तथा (vi) भाचिप चिकित्सालभ्यारसियों को नामांकन/प्रत्याक्ष पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना।

20. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्साि पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा -नृजातीय वानस्पिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषजसंहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यि,क अनुसंधान और प्रलेखन।

21. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योापैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा-नृजातीय वानस्पत्रतिक सर्वेक्षण, भेषजविज्ञान भेषजसंहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यि-क अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

22. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिकक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिमुखी विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

23. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं डाक्टरोपरांत (एमडी/पीएचडी) शिक्षा के लिए मानक तैयार करना।

24. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी और आईपीडी में मरीज देखभाल से संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठायक्रम चलाना।

25. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें (i) आयुर्वेद स्नातरोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षम संस्थान (आईपीजीटीआरए), जामनगर (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली (iv) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई (v) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलोर (vi) मोरोरजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली (vii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे (viii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनआईएएच), शिलांग (ix) पूर्वोत्तर पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (एनआईईएफएम), पासीघाट (x) राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (xi) राष्ट्रीय सोवा-रिग्या संस्थान तथा (xii) राष्ट्रीय आयुष भेषज विज्ञान संस्थान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

26. **आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश:** आईएमपीसीएल, मोहान,उत्तराखंड जो सरकारी अस्प तालों और औषधालयोंको एएसयू औषधोंकी आपूर्ति के लिए उत्पा दन करता है,के लिए प्रावधान शामिल है।

30. **राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** (i) आयुष अस्पितालों और औषधालयों के उन्नएयन, पीएचसी, सीएचसी एवं जिला अस्पततालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थामपना के माध्यशम से वैश्विपक पहुंच के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्धच कराना (ii) राज्यस स्ततर पर आयुष शैक्षिक संस्था नों, फार्मेसियों, औषधि परीक्षण का उन्नसयन कर संस्थाहगत क्षमता को सुदृढ़ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्तानयुक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पादन करना (v) विपणन के पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटीय उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	227.35	384.75	612.10	199.65	...	199.65	340.99	...	340.99	263.65	...	263.65
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**227.35**	**384.75**	**612.10**	**199.65**	**...**	**199.65**	**340.99**	**...**	**340.99**	**263.65**	**...**	**263.65**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.71	...	17.71	21.68	...	21.68	18.69	...	18.69	19.58	...	19.58
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. असम गैस क्रैकर परियोजना	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00
3. रसायन उन्नयन और विकास स्कीम	1.35	...	1.35	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
4. पेट्रो केमिकल्स का उन्नयन	10.80	...	10.80	55.50	...	55.50	19.00	...	19.00	31.65	...	31.65
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**112.15**	**...**	**112.15**	**58.51**	**...**	**58.51**	**221.50**	**...**	**221.50**	**134.65**	**...**	**134.65**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
5. भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सहायता	22.32	...	22.32	28.32	...	28.32	21.30	...	21.30	21.42	...	21.42
स्वायत्त निकाय												
6. केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान	68.08	...	68.08	83.64	...	83.64	72.00	...	72.00	80.00	...	80.00
7. कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	7.09	...	7.09	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	8.00	...	8.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**75.17**	**...**	**75.17**	**91.14**	**...**	**91.14**	**79.50**	**...**	**79.50**	**88.00**	**...**	**88.00**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. हिंदुस्तान जैव रसायन लिमिटेड (एचओसीएल)	...	384.75	384.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**97.49**	**384.75**	**482.24**	**119.46**	**...**	**119.46**	**100.80**	**...**	**100.80**	**109.42**	**...**	**109.42**
कुल जोड़	***227.35***	***384.75***	***612.10***	***199.65***	***...***	***199.65***	***340.99***	***...***	***340.99***	***263.65***	***...***	***263.65***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. उद्योग	209.64	...	209.64	158.07	...	158.07	316.40	...	316.40	222.07	...	222.07
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	17.71	...	17.71	21.68	...	21.68	18.69	...	18.69	19.58	...	19.58
3. रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	...	384.75	384.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**227.35**	**384.75**	**612.10**	**179.75**	**...**	**179.75**	**335.09**	**...**	**335.09**	**241.65**	**...**	**241.65**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	19.90	...	19.90	5.90	...	5.90	22.00	...	22.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**19.90**	**...**	**19.90**	**5.90**	**...**	**5.90**	**22.00**	**...**	**22.00**
कुल जोड़	**227.35**	**384.75**	**612.10**	**199.65**	**...**	**199.65**	**340.99**	**...**	**340.99**	**263.65**	**...**	**263.65**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
एचआईएल भारत लिमिटेड												
1. एचआईएल इंडिया लिमिटेड	...	7.29	7.29	...	...	...	...	17.00	17.00	...	7.00	7.00
जोड़-एचआईएल भारत लिमिटेड	**...**	**7.29**	**7.29**	**...**	**...**	**...**	**...**	**17.00**	**17.00**	**...**	**7.00**	**7.00**
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड												
2. हिंदुस्तान जैव रसायन लिमिटेड	384.75	...	384.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	**384.75**	**...**	**384.75**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़	**384.75**	**7.29**	**392.04**	**...**	**...**	**...**	**...**	**17.00**	**17.00**	**...**	**7.00**	**7.00**

1. **सचिवालय:** प्रावधान विभाग के सचिवालय खर्च के लिए है।

2. **असम गैस क्रैकर परियोजना:** परियोजना की संशोधित लागत अनुमान के लिए प्रावधान इंगित किया गया है

3. **रसायन उन्नयन और विकास स्कीम:** रासायनिक संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) के तहत प्रावधान विभिन्न सेमिनार, अध्ययन, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के द्वारा रसायनों के संवर्धन के लिए और पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी नवीनताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है।

4. **पेट्रो केमिकल्स का उन्नयन:** यह प्रावधान पेट्रोरसायन की योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए है अर्थात पेट्रोरसायन के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्क स्थापित करना और पॉलिमर टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना करने के लिए है।

5. **भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सहायता:** यह प्रावधान है (i) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के लिए अनुग्रह राशि का संवितरण (ii) कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल के लिए सचिवालयी व्यय (iii) पीड़ितों को मुआवजे के मामलों का निर्णय करने के लिए स्थापित विभिन्न् न्यायालयों के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है ।

6. **केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान:** यह प्रावधान शैक्षणिक कार्यकलापों और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा प्रौद्योगिकी सहायता के लिए है ।

7. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह प्रावधान नए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को शुरू करने तथा उपकरणों के उन्नयन, खरीद तथा साथ ही शोध छात्रों के लिए पारिश्रमिक और कर्मचारियों के वेतन के लिए है।

8. **हिंदुस्तान जैव रसायन लिमिटेड (एचओसीएल):** कोई प्रावधान नहीं किया।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

उर्वरक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	89788.56	...	89788.56	73485.35	0.04	73485.39	73482.74	0.04	73482.78	78514.95	0.05	78515.00
वसूलियां	*-2962.36*	*...*	*-2962.36*	*-3360.00*	*...*	*-3360.00*	*-3360.00*	*...*	*-3360.00*	*-3480.00*	*...*	*-3480.00*
प्राप्तियां	*-20532.50*	*...*	*-20532.50*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**66293.70**	**...**	**66293.70**	**70125.35**	**0.04**	**70125.39**	**70122.74**	**0.04**	**70122.78**	**75034.95**	**0.05**	**75035.00**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	31.80	...	31.80	34.99	...	34.99	37.03	...	37.03	38.94	...	38.94
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. यूरिया सब्सिडी												
2.01 देशी यूरिया के लिए भुगतान	31973.70	...	31973.70	34989.50	...	34989.50	34989.50	...	34989.50	40000.00	...	40000.00
2.02 यूरिया ढुलाई सब्सिडी हेतु भुगतान	5000.00	...	5000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.03 यूरिया के आयात के लिए भुगतान	9980.00	...	9980.00	13360.00	...	13360.00	13355.35	...	13355.35	13634.00	...	13634.00
2.04 उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	26.30	...	26.30	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	10.00	...	10.00
2.05 वसूली	-2756.69	...	-2756.69	-3360.00	...	-3360.00	-3360.00	...	-3360.00	-3480.00	...	-3480.00
निवल	*44223.31*	*...*	*44223.31*	*45000.00*	*...*	*45000.00*	*44995.35*	*...*	*44995.35*	*50164.00*	*...*	*50164.00*
3. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी												
3.01 देशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	14337.00	...	14337.00	15820.35	...	15820.35	15820.35	...	15820.35	15146.00	...	15146.00
3.02 आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	7900.00	...	7900.00	9260.00	...	9260.00	9260.00	...	9260.00	9659.00	...	9659.00
3.03 सिटी खाद के लिए भुगतान	7.26	...	7.26	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	27.00	...	27.00
जोड़- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी	*22244.26*	*...*	*22244.26*	*25090.35*	*...*	*25090.35*	*25090.35*	*...*	*25090.35*	*24832.00*	*...*	*24832.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**66467.57**	**...**	**66467.57**	**70090.35**	**...**	**70090.35**	**70085.70**	**...**	**70085.70**	**74996.00**	**...**	**74996.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	20532.50	...	20532.50	0.01	0.04	0.05	0.01	0.04	0.05	0.01	0.05	0.06
	-20532.50	...	-20532.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*...*	*...*	*...*	*0.01*	*0.04*	*0.05*	*0.01*	*0.04*	*0.05*	*0.01*	*0.05*	*0.06*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
5. वसूली	-205.67	...	-205.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-205.67**	**...**	**-205.67**	**0.01**	**0.04**	**0.05**	**0.01**	**0.04**	**0.05**	**0.01**	**0.05**	**0.06**
कुल जोड़	***66293.70***	***...***	***66293.70***	***70125.35***	***0.04***	***70125.39***	***70122.74***	***0.04***	***70122.78***	***75034.95***	***0.05***	***75035.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	22079.63	...	22079.63	25090.35	...	25090.35	25090.35	...	25090.35	24832.00	...	24832.00
2. उद्योग	44182.27	...	44182.27	45000.00	...	45000.00	44995.35	...	44995.35	50164.00	...	50164.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	31.80	...	31.80	34.99	...	34.99	37.03	...	37.03	38.94	...	38.94
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.05	0.05
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**66293.70**	**...**	**66293.70**	**70125.35**	**0.04**	**70125.39**	**70122.74**	**0.04**	**70122.78**	**75034.95**	**0.05**	**75035.00**
कुल जोड़	**66293.70**	**...**	**66293.70**	**70125.35**	**0.04**	**70125.39**	**70122.74**	**0.04**	**70122.78**	**75034.95**	**0.05**	**75035.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	...	0.49	0.49	...	56.18	56.18	...	8.35	8.35	...	10.00	10.00
2. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	...	1.61	1.61	...	5.48	5.48	...	9.16	9.16	...	6.00	6.00
3. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	...	226.35	226.35	...	650.92	650.92	...	447.98	447.98	...	759.10	759.10
4. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	...	533.70	533.70	...	1880.11	1880.11	...	623.77	623.77	...	709.34	709.34
5. ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	...	13.83	13.83	...	38.60	38.60	...	...	...	...	54.76	54.76
जोड़	**...**	**775.98**	**775.98**	**...**	**2631.29**	**2631.29**	**...**	**1089.26**	**1089.26**	**...**	**1539.20**	**1539.20**

1. **सचिवालय:** विभाग के सचिवालय के व्यय हेतु प्रावधान।

2.01 और 2.02 ये प्रावधान यूरिया के उत्पादन हेतु ढुलाई सब्सिडी सहित उर्वरक नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सब्सिडी से संबंधित हैं। यह सब्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरक उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित प्रतिलाभ दिलाने के लिए अभिप्रेत है। वितरण लाभ (मार्जिन) को घटाकर यथानिर्धारित रियायती मूल्य और वैधानिक रूप

से निमेवित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर को सब्सिडी के रूप में अनुमत किया जाता है। सब्सिडी की मात्र रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।

2.03. **यूरिया के आयात के लिए भुगतान:** चूंकि उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है इसलिए कमी को पूरा किए जाने हेतु आयात की व्यवस्था की जाती है। शामिल लागत में विस्तृत रूप से आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों के प्रबंधन और वितरण की लागत होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों का विक्रय मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत विनियमित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सांविधिक रूप से विनियमित होते हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य के समान है। उर्वरकों की किसानों को की गई बिक्री से प्राप्त धनराशि और सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर आयातित उर्वरक पर राजसहायता का द्योतक है।

3.01. **देशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** किसानों के लिए रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरक विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान का प्रावधान। रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

3.02. **आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** किसानों को रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के आयातकों/एजेंसियों को भुगतान का प्रावधान। रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

3.03. **सिटी खाद के लिए भुगतान:** शहरी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं के लिए प्रस्तावित बाजार विकास सहायता हेतु प्रावधान किया गया है।

4. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इण्डिया) लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड से देय भारत सरकार के ऋण, ब्याज और दण्डात्मक ब्याज की देयताओं को बट्टे-खाते डालने हेतु प्रावधान किया गया है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 8

भेषज विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	252.42	...	252.42	261.47	0.06	261.53	213.41	7.00	220.41	235.45	0.06	235.51
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**252.42**	**...**	**252.42**	**261.47**	**0.06**	**261.53**	**213.41**	**7.00**	**220.41**	**235.45**	**0.06**	**235.51**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	12.64	...	12.64	14.00	...	14.00	14.96	...	14.96	14.15	...	14.15
2. राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	9.54	...	9.54	11.50	...	11.50	12.94	...	12.94	12.00	...	12.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**22.18**	**...**	**22.18**	**25.50**	**...**	**25.50**	**27.90**	**...**	**27.90**	**26.15**	**...**	**26.15**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	180.77	...	180.77	135.00	...	135.00	135.00	...	135.00	150.00	...	150.00
4. जन औषधि स्कीम	47.64	...	47.64	84.00	...	84.00	42.51	...	42.51	47.00	...	47.00
5. भेषजीय उद्योग का विकास	1.83	...	1.83	12.97	...	12.97	4.00	...	4.00	8.30	...	8.30
6. उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य मॉनीटरिंग	...	...	...	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**230.24**	**...**	**230.24**	**235.97**	**...**	**235.97**	**185.51**	**...**	**185.51**	**209.30**	**...**	**209.30**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	...	...	...	...	0.06	0.06	...	7.00	7.00	...	0.06	0.06
कुल जोड़	***252.42***	***...***	***252.42***	***261.47***	***0.06***	***261.53***	***213.41***	***7.00***	***220.41***	***235.45***	***0.06***	***235.51***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	239.78	...	239.78	213.95	...	213.95	164.93	...	164.93	184.88	...	184.88
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	12.64	...	12.64	14.00	...	14.00	14.96	...	14.96	14.15	...	14.15
3. रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.06	0.06	...	7.00	7.00	...	0.06	0.06
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**252.42**	**...**	**252.42**	**227.95**	**0.06**	**228.01**	**179.89**	**7.00**	**186.89**	**199.03**	**0.06**	**199.09**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	33.52	...	33.52	33.52	...	33.52	36.42	...	36.42
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**33.52**	**...**	**33.52**	**33.52**	**...**	**33.52**	**36.42**	**...**	**36.42**
कुल जोड़	**252.42**	**...**	**252.42**	**261.47**	**0.06**	**261.53**	**213.41**	**7.00**	**220.41**	**235.45**	**0.06**	**235.51**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान औषध विभाग सचिवालय के वेतन और स्थापना के लिए है।

2. **राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण:** यह प्रावधान एनपीपीए के सचिवालय एवं स्थापना व्यय, उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम के लिए रखा गया है।

3. **राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह प्रावधान सात राष्ट्रीय स्तरीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अभी भी परिचालनगत, और चार अन्य प्रस्तावित संस्थान के लिए है।

4. **जन औषधि स्कीम:** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए जन औषधि स्कीम के अंतर्गत

5. **भेषजीय उद्योग का विकास:** औषध उद्योग विकास योजना में कई उप योजनाएं हैं जैसे औषध संवर्द्धन विकास योजना (पीपीडीएस), क्लस्टर विकास , साझा सुविधा केन्द्र के लिए औषध उद्योग में सहायता, साझा सुविधा केन्द्र इत्यादि के लिए चिकित्सा उपकरण।

6. **उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य मॉनीटरिंग:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और राज्य संसाधन यूनिटों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

7. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** 06 औषध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ऋण के अंतर्गत का प्रावधान रखा गया है।

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 9

नागर विमानन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	827.29	1836.84	2664.13	5881.86	721.00	6602.86	5701.18	3999.80	9700.98	4474.99	25.01	4500.00
वसूलियां	*-0.14*	...	-0.14	...	...	...	*-0.98*	...	*-0.98*	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**827.15**	**1836.84**	**2663.99**	**5881.86**	**721.00**	**6602.86**	**5700.20**	**3999.80**	**9700.00**	**4474.99**	**25.01**	**4500.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	31.13	...	31.13	38.95	...	38.95	53.78	...	53.78	50.00	...	50.00
2. नागर विमानन महानिदेशालय	154.99	16.25	171.24	160.00	50.00	210.00	181.00	20.30	201.30	172.84	15.00	187.84
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	18.73	20.54	39.27	49.00	21.00	70.00	34.00	4.50	38.50	45.00	10.00	55.00
4. विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	13.85	...	13.85	14.00	...	14.00	...	...	...	...	...	...
5. रेल सुरक्षा आयुक्त												
5.01 रेल सुरक्षा आयुक्त	11.36	...	11.36	13.00	...	13.00	13.50	...	13.50	14.85	...	14.85
6. वास्तविक वसूलियां	-0.14	...	-0.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**229.92**	**36.79**	**266.71**	**274.95**	**71.00**	**345.95**	**282.28**	**24.80**	**307.08**	**282.69**	**25.00**	**307.69**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
7. एअर इंडिया लिमिटेड की कायाकल्प योजना	...	1800.00	1800.00	...	650.00	650.00	...	3975.00	3975.00	...	0.01	0.01
8. विशेष प्रचालनों के लिए सब्सिडी	210.63	...	210.63	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
9. क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम	200.10	...	200.10	1014.09	...	1014.09	441.00	...	441.00	480.00	...	480.00
10. विशेष अतिरिक्त भाग में उड़ान परिचालनों हेतु दो नए वायुयानों की खरीद	...	...	...	4469.50	...	4469.50	3549.50	...	3549.50	1084.00	...	1084.00
11. एयर इंडिया परिसंपत्ति धारक लिमिटेड (एसपीवी)	...	0.05	0.05	...	...	...	1300.00	...	1300.00	2600.00	...	2600.00
12. गतिशील एयर औषधालय और एयर एम्बुलेंस	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
13. एएआई हवाई अड्डों वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विद्युत परिचालित गोल्फ कार्टों की खरीद												
13.01 एएआई हवाई अड्डे में वरिष्ठ नागरिकों हेतु विद्युत चलित गोल्फ कार्ट्स	...	...	...	...	...	...	0.98	...	0.98	...	...	...
13.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से पूरी की गई	...	...	...	...	...	...	-0.98	...	-0.98	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**410.73**	**1800.05**	**2210.78**	**5483.60**	**650.00**	**6133.60**	**5290.51**	**3975.00**	**9265.51**	**4164.10**	**0.01**	**4164.11**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
14. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	36.57	...	36.57	50.00	...	50.00	40.10	...	40.10	14.10	...	14.10
15. विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	...	...	...	...	...	...	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**36.57**	**...**	**36.57**	**50.00**	**...**	**50.00**	**54.10**	**...**	**54.10**	**28.10**	**...**	**28.10**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
16. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	149.93	...	149.93	73.31	...	73.31	73.31	...	73.31	0.10	...	0.10
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**186.50**	**...**	**186.50**	**123.31**	**...**	**123.31**	**127.41**	**...**	**127.41**	**28.20**	**...**	**28.20**
कुल जोड़	***827.15***	***1836.84***	***2663.99***	***5881.86***	***721.00***	***6602.86***	***5700.20***	***3999.80***	***9700.00***	***4474.99***	***25.01***	***4500.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	210.63	...	210.63	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**210.63**	**...**	**210.63**	**0.01**	**...**	**0.01**	**0.01**	**...**	**0.01**	**...**	**...**	**...**
आर्थिक सेवाएं												
2. नागर विमानन	574.13	...	574.13	5632.61	...	5632.61	5632.91	...	5632.91	4340.15	...	4340.15
3. अन्य परिवहन सेवाएं	11.36	...	11.36	13.00	...	13.00	13.50	...	13.50	14.85	...	14.85
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	31.03	...	31.03	38.95	...	38.95	53.78	...	53.78	50.00	...	50.00
5. नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	...	1836.84	1836.84	...	721.00	721.00	...	3999.80	3999.80	...	25.01	25.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**616.52**	**1836.84**	**2453.36**	**5684.56**	**721.00**	**6405.56**	**5700.19**	**3999.80**	**9699.99**	**4405.00**	**25.01**	**4430.01**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	197.29	...	197.29	...	...	...	69.99	...	69.99
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**197.29**	**...**	**197.29**	**...**	**...**	**...**	**69.99**	**...**	**69.99**
कुल जोड़	**827.15**	**1836.84**	**2663.99**	**5881.86**	**721.00**	**6602.86**	**5700.20**	**3999.80**	**9700.00**	**4474.99**	**25.01**	**4500.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. एयर इंडिया लिमिटेड	1800.00	4627.35	6427.35	650.00	506.00	1156.00	3975.00	698.00	4673.00	0.01	434.00	434.01
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	...	2504.38	2504.38	...	4086.00	4086.00	...	4170.31	4170.31	...	5125.37	5125.37
3. पवनहंस लिमिटेड	...	2.73	2.73	...	9.00	9.00	...	6.50	6.50	...	7.00	7.00
जोड़	**1800.00**	**7134.46**	**8934.46**	**650.00**	**4601.00**	**5251.00**	**3975.00**	**4874.81**	**8849.81**	**0.01**	**5566.37**	**5566.38**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

2. **नागर विमानन महानिदेशालय:** यह प्रावधान डीजीसीए और इसके क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। प्रावधान में प्रशिक्षण परियोजनाएं, ईजीसीए परियोजना, डीजीसीए भवन का निर्माण, क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी आदि शामिल हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में भारत के योगदान के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** यह प्रावधान बीसीएएस और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। सुरक्षा उपस्करों, आईटी उपस्करों और रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपस्करों की खरीद के लिए प्रावधान चिह्नित किया गया है। बजटीय प्रावधान बीसीएएस की पुनर्संरचना, मुख्यालय भवन के निर्माण, क्षेत्रीय कार्यालयों और संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी के लिए भी किया गया है। बजट का प्रावधान इकाओ के सहयोगी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और विमानन सुरक्षा से संबंधित कॉनफ्रेंस और शिखर सम्मेलनों के लिए भारत के योगदान हेतु बजट भी प्रदान किया गया है।

5.01. **रेल सुरक्षा आयुक्त:** यह प्रावधान सीआरएस तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है जो कि रेल यात्रा और प्रचालनों में सुरक्षा से संबंधित है।

9. **क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम:** यह प्रस्ताव 50 हवाईअड्डों के जीर्णोद्धार के लिए तथा पूर्वोत्तर सम्पर्कता हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण हेतु है।

10. **विशेष अतिरिक्त भाग में उड़ान परिचालनों हेतु दो नए वायुयानों की खरीद:** यह प्रावधान विशेष अभियान के लिए दो नए विमानों की खरीद के लिए है।

11. **एयर इंडिया परिसंपत्ति धारक लिमिटेड (एसपीवी):** यह प्रावधान एअर इंडिया की वित्तीय पुनर्संरचना के परिणामस्वररूप एसपीवी को ऋण के अंतरण की सर्विसिंग के लिए रखा गया है।

12. **गतिशील एयर औषधालय और एयर एम्बुलेंस:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एयर एंबुलेंस सेवाओं के लिए रखा गया है।

14. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय:** राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के लिए बजटीय प्रावधान प्राथमिक रूप से विश्वविद्यालय भवन के निर्माण, वेतन तथा अन्य स्थापना व्ययों के लिए है।

15. **विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण:** स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए वेतन के लिए सहायता अनुदान और सहायता अनुदान।

16. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अनुदान सहायता मौजूदा परियोजनाओं पर उनके द्वारा पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में है।

कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 10

कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	722.21	688.98	1411.19	770.91	...	770.91	781.85	...	781.85	822.05	...	822.05
वसूलियां	...	*-688.98*	-688.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**722.21**	**...**	**722.21**	**770.91**	**...**	**770.91**	**781.85**	**...**	**781.85**	**822.05**	**...**	**822.05**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	20.36	...	20.36	23.24	...	23.24	23.95	...	23.95	25.01	...	25.01
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	12.72	...	12.72	14.67	...	14.67	11.88	...	11.88	13.89	...	13.89
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**33.08**	**...**	**33.08**	**37.91**	**...**	**37.91**	**35.83**	**...**	**35.83**	**38.90**	**...**	**38.90**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
कोयला और लिग्नाइट												
3. अनुसंधान और विकास	8.80	...	8.80	10.00	...	10.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	499.55	...	499.55	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	135.00	...	135.00
5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण	159.28	...	159.28	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	600.00	...	600.00
6. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण (सीबीए) कोष से वित्तपोषित स्कीम												
6.01 कोयला समृद्ध क्षेत्रों का अधिग्रहण	...	688.98	688.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.02 सीबीए कोष से पूरा किया गया व्यय घटाएं	...	-688.98	-688.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-कोयला और लिग्नाइट	**667.63**	**...**	**667.63**	**710.00**	**...**	**710.00**	**725.00**	**...**	**725.00**	**760.00**	**...**	**760.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**667.63**	**...**	**667.63**	**710.00**	**...**	**710.00**	**725.00**	**...**	**725.00**	**760.00**	**...**	**760.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. कोयला खान पेंशन स्कीम	21.50	...	21.50	23.00	...	23.00	21.02	...	21.02	23.15	...	23.15
कुल जोड़	***722.21***	***...***	***722.21***	***770.91***	***...***	***770.91***	***781.85***	***...***	***781.85***	***822.05***	***...***	***822.05***
ख. विकासात्मक शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामाजिक सेवाएं												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	21.50	...	21.50	23.00	...	23.00	21.02	...	21.02	23.15	...	23.15
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**21.50**	**...**	**21.50**	**23.00**	**...**	**23.00**	**21.02**	**...**	**21.02**	**23.15**	**...**	**23.15**
आर्थिक सेवाएं												
2. कोयला और लिग्नाइट	680.35	...	680.35	653.67	...	653.67	664.38	...	664.38	697.89	...	697.89
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.36	...	20.36	23.24	...	23.24	23.95	...	23.95	25.01	...	25.01
4. कोयला और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**700.71**	**...**	**700.71**	**676.91**	**...**	**676.91**	**688.33**	**...**	**688.33**	**722.90**	**...**	**722.90**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	71.00	...	71.00	72.50	...	72.50	76.00	...	76.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**71.00**	**...**	**71.00**	**72.50**	**...**	**72.50**	**76.00**	**...**	**76.00**
कुल जोड़	**722.21**	**...**	**722.21**	**770.91**	**...**	**770.91**	**781.85**	**...**	**781.85**	**822.05**	**...**	**822.05**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड	...	5105.43	5105.43	...	4298.69	4298.69	...	6922.34	6922.34	...	8271.00	8271.00
2. कोल इंडिया लिमिटेड	...	9334.55	9334.55	...	9500.00	9500.00	...	9500.00	9500.00	...	10000.00	10000.00
3. सिंगरेनी कॉलरीज़ कंपनी लिमिटेड	...	1477.39	1477.39	...	2000.00	2000.00	...	1100.00	1100.00	...	1850.00	1850.00
जोड़	**...**	**15917.37**	**15917.37**	**...**	**15798.69**	**15798.69**	**...**	**17522.34**	**17522.34**	**...**	**20121.00**	**20121.00**

1. **सचिवालय:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान कोयला नियंत्रण कार्यालय, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और उनकी स्थापना के लिए है।

3. **अनुसंधान और विकास:** इसमें कोयला उद्योग में प्रत्याशि अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। इसका मुख्य क्षेत्र स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का संवर्धन और परियोजना चलाने हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान करना है।

4. **कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** कोलफील्ड क्षेत्रों में कोयले की निकासी तक सड़क एवं रेल परिवहन अवसंरचना विकास के पश्चात खानों के स्थिर करने के लिए इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें कोयला क्षेत्रों में भूमि सुधार और धंसान नियंत्रण सहित पर्यावरण सुरक्षा उपाय करने के लिए भी प्रावधान है।

5. **कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले की उपलब्धता का आकलन करने हेतु आरंभिक ड्रिलिंग करने के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

के लिए भी प्रावधान है जिसमें कि सृजित की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन कोयला की तैयारी के लिए कोयला खनन और समय घटाने के संबंध में निवेश के निर्णय लेने में संभावित निवेशकों को मदद कर सके। इस कदम में कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना केंद्रीय खान योजना और डिजायन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

7. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई। इस योजना के लिए निधियां कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं द्वारा कुल वेतन का 1.17% के अंशदान से बनती हैं। केन्द्र सरकार भी 1600 रूपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा की शर्त पर कर्मचारी के वेतन का 1.67% की दर से अंशदान करती है। इस योजना के संचालन की लागत अंशत: केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 11

वाणिज्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5395.34	191.11	5586.45	4741.70	510.00	5251.70	5685.30	510.00	6195.30	5709.32	510.00	6219.32
वसूलियां	*-27.74*	*-18.64*	-46.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**5367.60**	**172.47**	**5540.07**	**4741.70**	**510.00**	**5251.70**	**5685.30**	**510.00**	**6195.30**	**5709.32**	**510.00**	**6219.32**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	131.55	59.00	190.55	153.00	10.00	163.00	165.00	10.00	175.00	175.00	10.00	185.00
2. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	41.68	1.14	42.82	45.00	...	45.00	49.00	...	49.00	50.00	...	50.00
3. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय	76.43	0.97	77.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. व्यापार आयुक्त	158.92	...	158.92	179.59	...	179.59	178.00	...	178.00	176.00	...	176.00
5. विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता	79.29	...	79.29	83.00	...	83.00	90.00	...	90.00	95.00	...	95.00
6. विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन												
6.01 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	38.88	...	38.88	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	43.00	...	43.00
6.02 व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा	13.81	...	13.81	15.00	...	15.00	18.32	...	18.32	20.00	...	20.00
6.03 विदेश व्यापार महानिदेशालय	136.91	...	136.91	135.00	...	135.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
6.04 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	9.85	...	9.85	5.00	...	5.00	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00
जोड़- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	*199.45*	...	*199.45*	*205.00*	...	*205.00*	*323.32*	...	*323.32*	*318.00*	...	*318.00*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**687.32**	**61.11**	**748.43**	**665.59**	**10.00**	**675.59**	**805.32**	**10.00**	**815.32**	**814.00**	**10.00**	**824.00**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
7. कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)	172.05	...	172.05	100.00	...	100.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
8. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00
9. निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)	...	80.00	80.00	80.00	...	80.00	75.00	...	75.00	50.00	...	50.00
10. शुल्क वापसी स्कीम	966.00	...	966.00	100.00	...	100.00	800.00	...	800.00	350.00	...	350.00
11. चाय बोर्ड	189.04	...	189.04	145.00	...	145.00	160.20	...	160.20	150.00	...	150.00
12. कॉफी बोर्ड	177.28	...	177.28	142.00	...	142.00	175.25	...	175.25	200.00	...	200.00
13. रबड़ बोर्ड	185.00	...	185.00	146.62	...	146.62	172.22	...	172.22	170.00	...	170.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. मसाला बोर्ड	97.00	...	97.00	80.00	...	80.00	90.93	...	90.93	100.00	...	100.00
15. काजू निर्यात संवर्धन परिषद	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
निर्यात संवर्धन योजनाएं												
16. बाजार पहुंच पहल	213.24	...	213.24	250.00	...	250.00	270.00	...	270.00	300.00	...	300.00
17. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	440.00	...	440.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
18. रत्न तथा आभूषण क्षेत्र	5.95	...	5.95	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
19. जूते, चमड़ा और सहायक उपकरण	15.01	...	15.01	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
20. ई सी जी सी में निवेश (निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम)	...	50.00	50.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
21. ब्याज समकरण स्कीम	2000.00	...	2000.00	2500.00	...	2500.00	2600.00	...	2600.00	3000.00	...	3000.00
जोड़-निर्यात संवर्धन योजनाएं	**2674.20**	**50.00**	**2724.20**	**3051.01**	**500.00**	**3551.01**	**3181.00**	**500.00**	**3681.00**	**3615.00**	**500.00**	**4115.00**
22. परियोजना विकास निधि	0.34	...	0.34	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
23. परिवहन और संभार-तंत्र पर चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	5.00	...	5.00
24. अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र)	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**4569.91**	**130.00**	**4699.91**	**3953.73**	**500.00**	**4453.73**	**4846.61**	**500.00**	**5346.61**	**4833.00**	**500.00**	**5333.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
25. स्वायत्त संस्थाएं												
25.01 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	11.47	...	11.47	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
25.02 भारतीय पैकेजिंग संस्थान	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
25.03 निर्यात निरीक्षण परिषद	4.99	...	4.99	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
25.04 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र)	14.27	...	14.27	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- स्वायत्त संस्थाएं	*36.73*	*...*	*36.73*	*20.01*	*...*	*20.01*	*6.01*	*...*	*6.01*	*10.01*	*...*	*10.01*
अन्य												
26. सरकारी ई-बाजार विशेष प्रयोजन व्यवस्था (जीईएम एसपीवी)	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
27. प्रतिनिधिमंडल का विदेश गमन	0.25	...	0.25	0.35	...	0.35	0.34	...	0.34	0.35	...	0.35
28. विदेश से प्रतिनिधिमंडल	0.83	...	0.83	0.83	...	0.83	0.83	...	0.83	0.83	...	0.83
29. विदेश व्यापार संबंधी विवाद पर व्यय	0.30	...	0.30	1.19	...	1.19	1.19	...	1.19	1.13	...	1.13
30. वास्तविक वसूली	-27.74	-18.64	-46.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**73.64**	**-18.64**	**55.00**	**102.37**	**...**	**102.37**	**27.36**	**...**	**27.36**	**52.31**	**...**	**52.31**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**110.37**	**-18.64**	**91.73**	**122.38**	**...**	**122.38**	**33.37**	**...**	**33.37**	**62.32**	**...**	**62.32**
कुल जोड़	***5367.60***	***172.47***	***5540.07***	***4741.70***	***510.00***	***5251.70***	***5685.30***	***510.00***	***6195.30***	***5709.32***	***510.00***	***6219.32***
ख. विकासात्मकशीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामान्य सेवाएं												
1. आपूर्ति और निपटान	176.41	...	176.41	100.00	...	100.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
2. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	59.97	59.97	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**176.41**	**59.97**	**236.38**	**100.00**	**10.00**	**110.00**	**25.00**	**10.00**	**35.00**	**50.00**	**10.00**	**60.00**
आर्थिक सेवाएं												
3. पौधरोपण	646.53	...	646.53	423.02	...	423.02	502.13	...	502.13	526.40	...	526.40
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	131.55	...	131.55	153.00	...	153.00	165.00	...	165.00	175.00	...	175.00
5. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	4413.11	...	4413.11	3965.68	...	3965.68	4890.30	...	4890.30	4857.92	...	4857.92
6. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय	...	62.50	62.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	50.00	50.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**5191.19**	**112.50**	**5303.69**	**4541.70**	**500.00**	**5041.70**	**5557.43**	**500.00**	**6057.43**	**5559.32**	**500.00**	**6059.32**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	100.00	...	100.00	102.87	...	102.87	100.00	...	100.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**100.00**	**...**	**100.00**	**102.87**	**...**	**102.87**	**100.00**	**...**	**100.00**
कुल जोड़	**5367.60**	**172.47**	**5540.07**	**4741.70**	**510.00**	**5251.70**	**5685.30**	**510.00**	**6195.30**	**5709.32**	**510.00**	**6219.32**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एमएमटीसी	...	1348.29	1348.29	...	1321.30	1321.30	...	1347.29	1347.29	...	1353.29	1353.29
2. एसटीसी इंडिया लि	...	37.52	37.52	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	...	...
3. पीईसी लि.	...	...	...	...	1049.91	1049.91	...	...	...	...	...	...
4. भारत व्यापार संवर्धन संगठन	...	...	...	...	...	...	...	500.00	500.00	...	1000.00	1000.00
जोड़	**...**	**1385.81**	**1385.81**	**...**	**2381.21**	**2381.21**	**...**	**1857.29**	**1857.29**	**...**	**2353.29**	**2353.29**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कार्यालय भवन 'वाणिज्य भवन के निर्माण हेतु प्रावधान सहित विभाग के सचिवालयी स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय:** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है।

4. **व्यापार आयुक्त:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 106 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संवर्धन करने के लिए होते हैं। इन स्कंधों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों व्यापारिक कार्यकलापों से सबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।

5. **विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता:** यह प्रावधान मुख्यत: घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंत: क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है । विशेष आर्थिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यातोन्मुख इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है ।

6.01. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विश्व व्यापार संगठन को भारत का वार्षिक अंशदान

6.02. **व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा:** व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं।

6.03. **विदेश व्यापार महानिदेशालय:** डी जी एफ निदेशालय भारतीय निर्यात के संवर्धन के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यान्वयन में विभिन्न शुल्क शून्यीकरण योजनाएं जैसे अग्रिम प्राधिकार शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार, शुल्क हकदारी पासबुक, माने गए निर्यात, शुल्क प्रतिअदायगी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

6.04. **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:** इसमें दुबई में अक्टूबर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और भागीदारी का प्रावधान शामिल है.

7. **कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए):** कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का गठन कृषि निर्यात के अनुसूचित उत्पादों के विकास एवं संवर्धन के लिए दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का 2) के तहत किया गया।

8. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए):** समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री निर्यात पर विशेष बल के साथ समुद्री उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।

9. **निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस):** इस स्कीम में बॉर्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, जांच सुविधा, जांच एवं प्रमाणन लैब, व्यापार संवर्धन केंद्र, शुष्क पत्तन, निर्यात भंडारण आदि जैसी अत्यधिक निर्यात संपर्क वाली परियोजनाओं के लिए निधि का प्रावधान है।

10. **शुल्क वापसी स्कीम:** समवत निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल पर संदत सीमा शुल्क /उत्पाद शुल्क का रिफण्ड / टीईडी का रिफण्ड ।

11. **चाय बोर्ड:** चाय बोर्ड का गठन भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास पर काम करने के लिए किया गया था। बोर्ड का फोकस चाय उद्योग एवं व्यापार के विकास, विशेष रूप से खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, उत्पादन, चाय की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकों के सहकारी प्रयासों के संवर्धन तथा चाय में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को प्रोत्साहन देने, चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक अभियान आयोजित करने तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी करने जैसे विनियामक कार्यों पर केंद्रित है। बोर्ड चाय सांख्यिकी के संग्रहण एवं प्रसार में भी प्रमुख भूमिका भी निभाता है तथा चाय बागानों के ऐसे मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करता है, जो बागान श्रम अधिनियम 1951 जैसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत शामिल नहीं हैं।

12. **कॉफी बोर्ड:** कॉफी बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, विदेशी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को संकेन्द्रित करता है।बोर्ड को सौंपे गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : कॉफी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनके विकास के लिए कॉफी एस्टेट को सहायता प्रदान करना, भारत में पैदा होने वाली कॉफी की बिक्री एवं खपत को भारत में एवं अन्यत्र बढ़ावा देना , कॉफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रचालनों का प्रबंधन करना।

13. **रबड़ बोर्ड:** रबर बोर्ड देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए यह वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है; रोपण, खाद डालने, छिड़काव करने, हार्वेस्टिंग, खेती की उन्नत विधियों में उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है; रबर के प्रसंस्करण एवं विपणन में सुधार लाता है; और एस्टेट के स्वामियों, डीलरों, प्रोसेसर तथा रबर उत्पाद विनिर्माताओं से आंकड़े एकत्र करता है। काम करने की बेहतर स्थितियां प्रदान करना और रबर बागान के मजदूरों को सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना/ उनमें सुधार लाना भी बोर्ड का कार्य है।

14. **मसाला बोर्ड:** मसाला बोर्ड छोटी एवं बड़ी दोनों इलायची उद्योग के समग्र विकास विपणन तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 52 मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

15. **काजू निर्यात संवर्धन परिषद:** नये क्रेताओं, बाजारों की पहचान करना, बाजार की नवीनतम रूझानों एवं आवश्यमकताओं को समझना, उद्योग, उपलब्धता, प्रदायगी क्षमता, गुणवत्ता मानक, बाजार परिदृश्य के बारे में जागरूकता पैदा करना, क्रेताओं एवं विक्रेताओं के साथ बातचीत और इसके माध्यम से निर्यात संवर्धन।

16. **बाजार पहुंच पहल:** बाजार पहुंच पहल स्कीम स्थाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता करने के लिए प्रावधान हैं उत्पाद पंजीकरण तथा विदेश में इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल उत्पादों के परीक्षण प्रभारों के लिए। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संगठनों निर्यात संवर्धन परिषदों पंजीकृत व्यापार संवर्धन संगठनों वस्तु बोर्डों, मान्यताप्राप्त शीर्ष व्यापार निकायों तथा मान्यताप्राप्त औद्योगिक क्लस्टरों को सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र गतिविधियों के तहत विदेशों में विपणन परियोजनाएं, क्षमता निर्माण, सांविधिक अनुपालन के लिए सहायता, अध्ययन, परियोजना विकास आदि शामिल हैं।

17. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता:** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का उद्देश्य निर्यात की ऐसी परियोजनाओं सेक्टरों को क्रेडिट बीमा सहायता प्रदान करना है जो ईसीजीसी की बीमांकन क्षमता से अधिक हैं। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता न्यास द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का अनुरक्षण एवं प्रचालन किया जाता है जो वाणिज्य विभाग एवं ईसीजीसी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक सार्वजनिक न्यास है।

18. **रत्न तथा आभूषण क्षेत्र:** जेम एंड ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के तहत जेम एंड ज्वैलरी सेक्टर के लिए 13 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीजी सी)

स्थापित करने की योजना शामिल की गई थी। 50 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय इस योजना को जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जी जेईपीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

19. **जूते, चमड़ा और सहायक उपकरण:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1986 में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य चमड़ा उद्योग को कुशल मानव संसाधन तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करना है। न केवल उच्च शिक्षा में अपितु औद्योगिक परामर्श अनुसंधान एवं विकास तथा सक्रिय उद्योग पेशेवरों के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में भी एफडीडीआई की एक अलग मौजूदगी है।

20. **ई सी जी सी में निवेश (निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम):** ईसीजीसी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों की वजह से निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान करना और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यातको को ऋण सुविधाए प्रदान करने मे सक्षम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की गारंटी प्रदान कर देश के निर्यातों में सहायता करना है।

21. **ब्याज समकरण स्कीम:** निर्यात में तेजी लाने के लिए कुछ श्रम गहन तथा अन्य निर्यात उन्मुक्त क्षेत्रों को सब्सिडी प्रदान करना

22. **परियोजना विकास निधि:** परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का उद्देश्य भारतीय उद्योग के सदस्यों द्वारा सीएलएमवी क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देना है। पीडीएफ का संचालन, स्पेशल परपज व्हिएकल्स (एसपीवी) सृजित करके सहयोगी भारतीय कारपोरेटों द्वारा सीएलएमवी क्षेत्र में निवेश के लिए अभिज्ञात परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु एक्जिम बैंक द्वारा किया जाएगा। पीडीएफ से क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और इसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

23. **परिवहन और संभार-तंत्र पर चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** मंत्रिमंडल ने उनके विकास को बढ़ावा देने और उनकी क्षमता को साकार करने के लिए 12 पहचान की गई चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वाणिज्य मंत्रालय के विकास को साकार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति को सचिवालय समर्थन प्रदान करेगा

24. **अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र):** सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूटीओएस) की अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक नया संस्थान बनाया गया है जिसका नाम बदलकर इंस्टीट्यूशन सीआरआईटी (सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड) है, जो आईआईएफटी का हिस्सा बना रहेगा।

25.01. **भारतीय विदेश व्यापार संस्थान:** मानव संसाधन विकास डाटा के सृजन विश्लेषण प्रसार तथा अनुसंधान के संचालन के माध्यम से देश के विदेश व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने तथा निर्यात बढ़ाने में मदद के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा 1963 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का गठन किया गया।

25.02. **भारतीय पैकेजिंग संस्थान:** भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना अच्छी पैकेजिंग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना पैकेजिंग तथा पैकेजिंग डिजाइन में अध्ययन अनुसंधान एवं विकास करना और प्रोत्साहित करना पैकेजों के लिए मानकों की सिफारिश करना पैकेजों पैकेजिंग सामग्रियों का परीक्षण करना मूल्यांकन करना और प्रमाणित करना, परामर्शी सेवाएं प्रदान करना कारगर सुधार के लिए वस्तुवार और देशवार निर्यात के लिए पैकेजिंग का अध्ययन करना,संगम ज्ञापन में यथा निर्धारित पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

25.03. **निर्यात निरीक्षण परिषद:** ईआईसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और लदान पूर्व जांच के माध्यम से निर्यात व्यापार के तीव्र विकास की व्यवस्था के लिए निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत की गई थी। यह अधिनियम केंद्र सरकार को निम्नीलिखित का अधिकार प्रदान करता है ऐसी वस्तुएं अधिसूचित करना जो निर्यात से पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण अथवा दोनों के अधीन होंगी।

26. **सरकारी ई-बाजार विशेष प्रयोजन व्यवस्था (जीईएम एसपीवी):** सरकारी ई-बाजार स्थल विशेष प्रयोजन माध्यम एक राष्ट्रीय सरकारी अधिप्राप्ति कंपनी है, इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अपेक्षित माल और सेवाओं की खरीद के लिए प्रावधान करने हेतु है। जेम एसपीवी केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय और राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और स्थानीय निकायों को आम प्रयोग की वस्तुओं और सेवाओं को पारदर्शी तरीके से एंड टू एंड बाजार के स्थल उपलब्ध कराएगा।

29. **विदेश व्यापार संबंधी विवाद पर व्यय:** इसमें विदेशी व्यापार पर विवाद पर होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3526.70	526.94	4053.64	5430.56	709.67	6140.23	5422.23	718.00	6140.23	5001.79	672.72	5674.51
वसूलियां	*-4.70*	...	-4.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**3522.00**	**526.94**	**4048.94**	**5430.56**	**709.67**	**6140.23**	**5422.23**	**718.00**	**6140.23**	**5001.79**	**672.72**	**5674.51**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	71.15	...	71.15	99.00	...	99.00	95.48	...	95.48	104.65	...	104.65
2. बौद्धिक संपदा												
2.01 बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	92.28	31.94	124.22	83.53	1.67	85.20	98.50	18.00	116.50	112.52	65.23	177.75
2.02 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम	5.24	...	5.24	15.95	8.00	23.95	6.00	...	6.00	7.65	7.39	15.04
2.03 पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक	56.17	...	56.17	70.00	...	70.00	76.91	...	76.91	87.67	...	87.67
2.04 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान	1.22	...	1.22	2.65	...	2.65	2.21	...	2.21	2.69	...	2.69
2.05 अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	0.01	...	0.01
2.06 अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन बोर्ड	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	0.01	...	0.01
2.07 बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान प्रकोष्ठ	3.25	...	3.25	7.00	...	7.00	5.82	...	5.82	8.96	...	8.96
2.08 कॉपीराइट कार्यालय	6.87	...	6.87	4.10	...	4.10	3.68	...	3.68	3.70	...	3.70
2.09 कॉपीराइट बोर्ड	0.07	...	0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.10 कॉपीराइट और आईपीआर का संवर्धन	...	...	...	8.00	...	8.00	1.20	...	1.20	4.40	...	4.40
जोड़- बौद्धिक संपदा	*165.10*	*31.94*	*197.04*	*192.33*	*9.67*	*202.00*	*194.32*	*18.00*	*212.32*	*227.61*	*72.62*	*300.23*
3. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन	45.76	...	45.76	83.70	...	83.70	77.16	...	77.16	83.27	...	83.27
3.02 नमक आयुक्त	29.31	...	29.31	35.00	...	35.00	32.20	...	32.20	37.61	...	37.61
3.03 प्रशुल्क आयोग	7.19	...	7.19	8.00	...	8.00	7.50	...	7.50	8.53	...	8.53
3.04 वॉयलर सर्वेक्षण	0.24	...	0.24	0.30	...	0.30	0.20	...	0.20	0.27	...	0.27
जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय	*82.50*	...	*82.50*	*127.00*	...	*127.00*	*117.06*	...	*117.06*	*129.68*	...	*129.68*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**318.75**	**31.94**	**350.69**	**418.33**	**9.67**	**428.00**	**406.86**	**18.00**	**424.86**	**461.94**	**72.62**	**534.56**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	166.21	...	166.21	500.00	...	500.00	240.00	...	240.00	458.00	...	458.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)	75.00	...	75.00	200.00	...	200.00	83.81	...	83.81	100.00	...	100.00
6. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े	6.41	...	6.41	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	7.33	...	7.33
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	797.00	...	797.00	1097.00	...	1097.00	1097.00	...	1097.00	850.00	...	850.00
8. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना (एकेआईसी)	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.70	...	2.70
9. प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका	...	495.00	495.00	0.01	699.99	700.00	0.01	699.99	700.00	0.01	500.10	500.11
जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर	**800.00**	**495.00**	**1295.00**	**1100.01**	**699.99**	**1800.00**	**1100.01**	**699.99**	**1800.00**	**852.71**	**500.10**	**1352.81**
मेक इन इंडिया												
10. निवेश संवर्धन हेतु योजना	174.03	...	174.03	253.48	...	253.48	110.00	...	110.00	232.02	...	232.02
11. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम	6.06	...	6.06	9.23	...	9.23	2.00	...	2.00	8.47	...	8.47
12. व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज परियोजना)	3.86	...	3.86	7.00	...	7.00	7.50	...	7.50	106.40	...	106.40
13. निधियों का कोष	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	100.00	100.00
14. क्रेडिट गारंटी निधि	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
15. स्टार्ट-अप इंडिया	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	28.00	...	28.00	25.00	...	25.00
16. व्यापार करने की सुगमता	4.35	...	4.35	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.40	...	1.40
जोड़-मेक इन इंडिया	**198.30**	**...**	**198.30**	**281.22**	**0.01**	**281.23**	**149.00**	**0.01**	**149.01**	**373.30**	**100.00**	**473.30**
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
17. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	782.99	...	782.99	528.00	...	528.00	528.00	...	528.00	483.53	...	483.53
18. परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम	599.71	...	599.71	400.00	...	400.00	1034.27	...	1034.27	293.31	...	293.31
19. विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	113.94	...	113.94	145.00	...	145.00	145.00	...	145.00	133.00	...	133.00
20. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्यौगिक इकाइयों को ब्याज सब्सिडी	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	**1496.64**	**...**	**1496.64**	**1173.00**	**...**	**1173.00**	**1707.27**	**...**	**1707.27**	**909.84**	**...**	**909.84**
21. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी	169.39	...	169.39	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1700.00	...	1700.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2911.95**	**495.00**	**3406.95**	**4762.23**	**700.00**	**5462.23**	**4788.09**	**700.00**	**5488.09**	**4401.18**	**600.10**	**5001.28**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. स्वायत्त संगठन												
22.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	223.14	...	223.14	178.16	...	178.16	156.00	...	156.00	72.90	...	72.90
22.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	0.60	...	0.60	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.60	...	0.60
22.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35	13.15	...	13.15

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
विकास संगठन												
22.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	57.91	...	57.91	56.84	...	56.84	56.28	...	56.28	52.02	...	52.02
जोड़- स्वायत्त संगठन	*296.00*	*...*	*296.00*	*250.00*	*...*	*250.00*	*227.28*	*...*	*227.28*	*138.67*	*...*	*138.67*
अन्य												
23. वास्तविक वसूली	-4.70	...	-4.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**291.30**	**...**	**291.30**	**250.00**	**...**	**250.00**	**227.28**	**...**	**227.28**	**138.67**	**...**	**138.67**
कुल जोड़	***3522.00***	***526.94***	***4048.94***	***5430.56***	***709.67***	***6140.23***	***5422.23***	***718.00***	***6140.23***	***5001.79***	***672.72***	***5674.51***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	45.76	...	45.76	83.70	...	83.70	77.16	...	77.16	83.27	...	83.27
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	31.94	31.94	...	9.67	9.67	...	18.00	18.00	...	72.62	72.62
जोड़-सामान्य सेवाएं	**45.76**	**31.94**	**77.70**	**83.70**	**9.67**	**93.37**	**77.16**	**18.00**	**95.16**	**83.27**	**72.62**	**155.89**
आर्थिक सेवाएं												
3. उद्योग	774.90	...	774.90	1261.97	...	1261.97	725.16	...	725.16	1116.76	...	1116.76
4. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2461.33	...	2461.33	2705.05	...	2705.05	3239.32	...	3239.32	2514.05	...	2514.05
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	71.15	...	71.15	99.00	...	99.00	95.48	...	95.48	104.65	...	104.65
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	168.86	...	168.86	192.08	...	192.08	196.35	...	196.35	226.06	...	226.06
7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	495.00	495.00	...	700.00	700.00	...	700.00	700.00	...	600.10	600.10
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**3476.24**	**495.00**	**3971.24**	**4258.10**	**700.00**	**4958.10**	**4256.31**	**700.00**	**4956.31**	**3961.52**	**600.10**	**4561.62**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1088.76	...	1088.76	1088.76	...	1088.76	957.00	...	957.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1088.76**	**...**	**1088.76**	**1088.76**	**...**	**1088.76**	**957.00**	**...**	**957.00**
कुल जोड़	**3522.00**	**526.94**	**4048.94**	**5430.56**	**709.67**	**6140.23**	**5422.23**	**718.00**	**6140.23**	**5001.79**	**672.72**	**5674.51**

1. **सचिवालय:** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु प्रावधान करता है।

2.01. **बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुउनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान पेटेन्ट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक निदर्शन रजिस्ट्री के आधुनिकीकरण की समग्र योजना के लिए है।

2.02. **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम:** इसे पेटेन्ट नियंत्रक तथा व्यापार चिह्न और भौगोलिक निदर्शन रजिस्ट्री के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने के लिए स्थापित किया गया है। आईपीएबी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। बजट प्रावधान में बोर्ड के वेतन और अन्य संस्थापन संबंधी व्यय की आवश्यकता के लिए व्यवस्था है।

2.03. **पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामत: पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक निदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्याअस डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

2.04. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान की व्यवस्था करता है।

2.07. **बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान प्रकोष्ठ:** आईपीआर संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) का उद्देश्य "क्रिएटिव इंडिया;इनोवेटिव इंडिया: "(रचनात्मक भारत; अभिनव भारत) की घोषणा के साथ राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति का प्रभावी कार्यान्वयन करना है।

2.08. **कॉपीराइट कार्यालय:** कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संवर्धन के लिए तत्कालीन योजना का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों में विश्व स्तर की गुणवत्ता और वैविध्यपूर्ण मानव संसाधन का सृजन करना था ताकि गतिशील ज्ञानमय समाज की चुनौतियों का सामना किया जा सके जिसमें आईपी आउटपुट में सुधार और आईपी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आवश्यक कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना शामिल है और जिसका मिशन एक बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से आईपी प्रबंधन, प्रवर्तन जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सामर्थ्य और क्षमता का सृजन करना है। योजना (जिसका नाम बदल कर समग्र शिक्षा और शिक्षा जगत के लिए आईपीआर में अध्यापन एवं अनुसंधान योजना कर दिया गया है) को संस्थानों में आईपी शिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ ही आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुसार संशोधित किया गया है।

2.10. **कॉपीराइट और आईपीआर का संवर्धन:** कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संवर्धन योजना का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों में विश्व स्तर की गुणवत्ता और विविधतापूर्ण मानव संसाधन का सृजन करना था ताकि गतिशील ज्ञानमय समाज की चुनौतियों का सामना किया जा सके जिसमें आईपी आउटपुट में सुधार और आईपी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आवश्यक कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना शामिल था और जिसका मिशन एक बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से आईपी प्रबंधन, प्रवर्तन जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सामर्थ्य और क्षमता का सृजन करना था। योजना (जिसका नाम बदल कर आईपीआर चेयर संस्थान योजना कर दिया गया) को संस्थानों में आईपी शिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ ही आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुसार संशोधित किया गया है।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन:** इसमें संगठन की स्थापना संबंधी लागतों हेतु प्रावधान है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके अंतर्गत बने अनेक नियमों का संचालन करता है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, इस्तेमाल, परिवहन, आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह कार्यालय इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को सलाह देता है तथा पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि को विस्फोटक पहचानने का सघन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन नमक के उत्पादन लक्ष्यों की आयोजना तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी अध्ययन एवं विभागीय नमक भूमि की देखभाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात हेतु उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। इसके बजट में संगठन के स्थापना प्रभार तथा विकास/कल्याण कार्य हेतु प्रावधान शामिल है।

3.03. **प्रशुल्क आयोग:** भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 को स्थापित आयोग के संस्थापन खर्चों को पूरा करने के लिए ।

3.04. **बॉयलर सर्वेक्षण:** बॉयलर सर्वेक्षण हेतु अनुसंधान अध्ययन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान।

4. **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी):** भारतीय फुटवियर चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) का मुख्य उद्देश्य, चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, चमड़ा क्षेत्र के लिए पर्यावरण संबंधी अपेक्षाओं पर ध्याडन देना, अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि को सुविधाजनक बनाना है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस):** यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए है। चयनित कार्यात्मक क्लस्टरों में अवसंरचना विकास, संबंधित राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

6. **मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े:** एकत्रित आंकड़ों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है और जांच पत्रों के माध्यम से मासिक आधार पर क्षेत्रीय अधिकारियों को फीडबैक भेजा जाता है। मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का नियमित संकलन और प्रेषण, निर्माता मूल्य सूचकांक (पीपीआई) का विकास और प्रयोगात्मक सेवा मूल्य सूचकांक (एसपीआई) का विकास और प्रेषण।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की स्थापना, देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए की गयी है। एनआईसीडीआईटी देश में औद्योगिक गलियारों संबंधी आयोजना तथा उनके विकास का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह परिवहन संपर्क से जुड़े स्मार्ट सिटीज के साथ इन गलियारों के विकास को समन्वित करता है जो कि विनिर्माण क्षेत्र तथा शहरीकरण के मामले में देश को विकसित करने संबंधी कार्यनीति के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

8. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना (एकेआईसी):** उत्तरी और पूर्वी भारत के सघन जनसंख्या वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर (एकेआईसी) की परिकल्पना की गई है। एकेआईसी को ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर (ईडीएफसी) के चारों ओर मुख्य आधार के रूप में और एक राजमार्ग तंत्र के रूप में भी तैयार किया जाएगा, जो रूट पर मौजूद हैं।

9. **प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका:** प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र को देश में वैश्विक प्रदर्शनियों और सम्मेलनों को आकर्षित करने वाली प्रतिष्ठित संरचना के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

10. **निवेश संवर्धन हेतु योजना:** विभाग ने मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की है, जो भारत को निवेश लक्ष्य और विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक वैश्विक संवर्धनात्मक अभियान है। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रोत्साहित करना तथा कार्यबल, अवसंरचना, कच्चे माल तथा अन्य सुविधाओं की अपार क्षमता वाले देश के रूप में स्थापित करना है। मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करने के लिए डीआईपीपी द्वारा अन्यों के साथ-साथ निवेशक सुविधा, निवेशक आऊटरीच, मीडिया संवर्धन तथा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सहायता प्रदान करने जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

11. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित निधि, राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन्स की मास्टर प्लानिंग संबंधी लागत को पूरा करने के लिए है।

12. **व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज परियोजना):** ई-बिज मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत 31 मिशन मॉड परियोजनाओं में से एक के रूप में शुरू हुई थी जिसका उद्देश्य केंद्रीय राज्य तथा स्थानीय सरकारों की सभी व्यवसाय

तथा निवेश संबंधी विनियामक सेवाओं को एक एकल पोर्टल पर उपलब्ध कराकर अनेक कार्यालयों में जाने अथवा अनेक वेबसाइटों पर जाने की निवेशकों अथवा व्यवसायियों की जरूरत को समाप्त करते हुए भारत में एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

13. **निधियों का कोष:** स्टार्टअप्स को वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएसएस) बनाया है। यह एफएफएस विभिन्नर स्टार्टअप्स के इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्टूमेंटस में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के कोष में योगदान देगा।

15. **स्टार्ट-अप इंडिया:** स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य, उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टशम सृजित कर नवाचार को बढ़ावा देना है। इस पहल द्वारा भारत के आर्थिक परिदृश्य में उद्यमशीलता अवसंरचना को काफी समय से आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य योजना के तहत 19 कार्रवाई मदें हैं जिनमें "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "निधियन सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षा जगत की साझेदारी और इनक्यूबेशन" जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

16. **व्यापार करने की सुगमता:** परियोजना का उद्देश्य भारत में केंद्र और राज्य की स्थानीय सरकारों में सभी व्यवसाय और निवेश से संबंधित विनियामक सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाकर एक व्यापार और निवेशक अनुकूल पारिस्थिति का तंत्र तैयार करना है।

17. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संर्वधन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित नए यूनिटों को उनके पूंजीगत निवेश ब्याज, बीमा एवं परिवहन लागत तथा कर-लाभों के संदर्भ में प्रोत्साहन दिया जाता है।

18. **परिवहन/ माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम:** 22.11.2016 से परिवहन / मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, 22.11.2016 की अधिसूचना जारी करने की तारीख से पहले इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां 21.11.2021 तक इस योजना के लाभों के लिए पात्र होंगी।

19. **विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों के लिए इन राज्यों हेतु औद्योगिक विकास योजनाएं शुरू की गई हैं।

20. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्यौगिक इकाइयों को ब्याज सब्सिडी:** आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों को वित्त मंत्रालय के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

21. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी के रिफंड के लिए है।

22.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इसके अंतर्गत, स्वाययत्त संस्थाओं यथा भारतीय गुणवत्ता् परिषद्, राष्ट्रीकय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) (एनआईडी, भोपाल, एनआईडी जोरहाट, एनआईडी कुरूक्षेत्र और एनआईडी विजयवाड़ा), केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थायन, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के लिए परियोजना आधारित सहायता की व्यवस्थां है।

22.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन:** डब्ल्यूआईपीओ में भारत की सदस्यता संबंधी अंशदान का प्रावधान किया गया है।

22.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** एशियाई उत्पादकता संगठन और संयुक्त राष्ट्रा औद्योगिक विकास संगठन में भारत की सदस्यता हेतु अंशदान प्रदान करता है।

22.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इसके तहत, स्वातयत्त संस्थाथओं यथा राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, सीमेंट उद्योग विकास परिषद, कागज लुगदी और संबद्ध उद्योग विकास परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के लिए परियोजना आधारित सहायता की व्यवस्था है।

संचार मंत्रालय

मांग संख्या 13

डाक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	26018.84	763.28	26782.12	28515.04	757.52	29272.56	29082.38	824.38	29906.76	30412.00	947.74	31359.74
वसूलियां	*-770.25*	*-0.02*	*-770.27*	*-820.27*	*...*	*-820.27*	*-828.68*	*...*	*-828.68*	*-857.35*	*...*	*-857.35*
प्राप्तियां	*-12832.76*	*...*	*-12832.76*	*-16956.11*	*...*	*-16956.11*	*-18000.44*	*...*	*-18000.44*	*-19203.29*	*...*	*-19203.29*
निवल	**12415.83**	**763.26**	**13179.09**	**10738.66**	**757.52**	**11496.18**	**10253.26**	**824.38**	**11077.64**	**10351.36**	**947.74**	**11299.10**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. *स्थापना सबंधी व्यय*												
1.01 वेतन और भत्ते	14631.16	...	14631.16	16000.00	...	16000.00	16620.50	...	16620.50	17451.53	...	17451.53
1.02 पेंशन	8511.33	...	8511.33	10000.00	...	10000.00	9782.00	...	9782.00	10271.10	...	10271.10
1.03 अन्य व्यय	1562.04	29.94	1591.98	1280.29	12.00	1292.29	1591.81	12.00	1603.81	1559.13	15.00	1574.13
1.04 घटाए- डाक प्राप्तियां	-12832.76	...	-12832.76	-16956.11	...	-16956.11	-18000.44	...	-18000.44	-19203.29	...	-19203.29
निवल	*11871.77*	*29.94*	*11901.71*	*10324.18*	*12.00*	*10336.18*	*9993.87*	*12.00*	*10005.87*	*10078.47*	*15.00*	*10093.47*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. डाक प्रचालन	147.85	519.33	667.18	224.48	490.52	715.00	233.28	428.38	661.66	245.40	528.07	773.47
3. वित्तीय सेवाएं	...	4.94	4.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. भारतीय डाक भुगतान बैंक	374.55	125.00	499.55	150.00	150.00	300.00	...	300.00	300.00	...	335.00	335.00
5. मानव संसाधन प्रबंधन	21.66	...	21.66	39.00	21.00	60.00	25.11	...	25.11	26.39	8.07	34.46
6. संपदा प्रबंधन	...	84.05	84.05	1.00	84.00	85.00	1.00	84.00	85.00	1.10	61.60	62.70
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**544.06**	**733.32**	**1277.38**	**414.48**	**745.52**	**1160.00**	**259.39**	**812.38**	**1071.77**	**272.89**	**932.74**	**1205.63**
कुल जोड़	***12415.83***	***763.26***	***13179.09***	***10738.66***	***757.52***	***11496.18***	***10253.26***	***824.38***	***11077.64***	***10351.36***	***947.74***	***11299.10***
ख. विकासात्मकशीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. डाक सेवाएं	12041.28	...	12041.28	10563.96	...	10563.96	10230.02	...	10230.02	10322.47	...	10322.47
2. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	374.55	...	374.55	150.00	...	150.00	...	...	...	...	...	...
3. डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	638.26	638.26	...	546.22	546.22	...	470.44	470.44	...	554.53	554.53

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	125.00	125.00	...	150.00	150.00	...	300.00	300.00	...	335.00	335.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**12415.83**	**763.26**	**13179.09**	**10713.96**	**696.22**	**11410.18**	**10230.02**	**770.44**	**11000.46**	**10322.47**	**889.53**	**11212.00**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	24.70	...	24.70	23.24	...	23.24	28.89	...	28.89
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	61.30	61.30	...	53.94	53.94	...	58.21	58.21
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**24.70**	**61.30**	**86.00**	**23.24**	**53.94**	**77.18**	**28.89**	**58.21**	**87.10**
कुल जोड़	**12415.83**	**763.26**	**13179.09**	**10738.66**	**757.52**	**11496.18**	**10253.26**	**824.38**	**11077.64**	**10351.36**	**947.74**	**11299.10**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय डाक भुगतान बैंक	125.00	...	125.00	150.00	...	150.00	300.00	...	300.00	335.00	...	335.00
जोड़	**125.00**	**...**	**125.00**	**150.00**	**...**	**150.00**	**300.00**	**...**	**300.00**	**335.00**	**...**	**335.00**

1. **स्थापना सबंधी व्यय:** डाक विभाग अपने स्थापना संबंधी और स्कीमों/परियोजनाओं पर व्यय करता है। स्थापना संबंधी व्यय में मुख्यत: वेतन, पेंशन और अन्य व्यय हैं। अन्य व्यय में विभाग के सभी कार्यचालन व्यय शामिल है।

2. **डाक प्रचालन:** डाक प्रचालन के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें मेल प्रचालन, आईटी प्रवेश तथा डाक जीवन बीमा प्रचालन और संवर्धन शामिल है।

3. **वित्तीय सेवाएं:** वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत डाकघर बचत बैंक तथा डाक जीवन बीमा प्रचालन एवं संवर्द्धन जैसे प्रमुख कार्यकलाप शामिल हैं।

4. **भारतीय डाक भुगतान बैंक:** भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है।

5. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है, जिसमें प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

6. **संपदा प्रबंधन:** यह प्रावधान भवनों के निर्माण सहित संपदा प्रबंधन के लिए है।

संचार मंत्रालय

मांग संख्या 14

दूरसंचार विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	26848.39	4206.32	31054.71	33052.53	5002.75	38055.28	24530.48	5956.75	30487.23	30693.64	9719.72	40413.36
वसूलियां	*-6999.20*	*-0.31*	-6999.51	*-10000.00*	...	*-10000.00*	*-5000.00*	*-2500.00*	*-7500.00*	*-8350.00*	*-4725.00*	*-13075.00*
प्राप्तियां	*-255.00*	...	*-255.00*	...	...	...	*-1410.86*	...	*-1410.86*	...	...	...
निवल	**19594.19**	**4206.01**	**23800.20**	**23052.53**	**5002.75**	**28055.28**	**18119.62**	**3456.75**	**21576.37**	**22343.64**	**4994.72**	**27338.36**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	456.03	...	456.03	516.80	...	516.80	586.14	...	586.14	525.47	...	525.47
2. पेंशन	10900.71	...	10900.71	11675.86	...	11675.86	11675.86	...	11675.86	12209.58	...	12209.58
3. श्रम रोजगार और कौशल विकास	...	...	...	4.57	...	4.57	3.82	...	3.82	4.46	...	4.46
4. विनियामक निकाय												
4.01 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	90.00	...	90.00
4.02 दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण (टीडी सैट)	16.17	...	16.17	18.14	...	18.14	17.14	...	17.14	18.06	...	18.06
जोड़- विनियामक निकाय	*101.17*	...	*101.17*	*103.14*	...	*103.14*	*102.14*	...	*102.14*	*108.06*	...	*108.06*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**11457.91**	**...**	**11457.91**	**12300.37**	**...**	**12300.37**	**12367.96**	**...**	**12367.96**	**12847.57**	**...**	**12847.57**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि												
5. दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति												
5.01 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि को अंतरण	7000.00	...	7000.00	10000.00	...	10000.00	5000.00	...	5000.00	8350.00	...	8350.00
5.02 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को क्षति-पूर्ति	853.27	...	853.27	1825.00	...	1825.00	1000.00	...	1000.00	2350.00	...	2350.00
5.03 भारत नेट	6145.48	...	6145.48	8175.00	...	8175.00	4000.00	...	4000.00	6000.00	...	6000.00
5.04 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से पूरी की गई राशि	-6998.80	...	-6998.80	-10000.00	...	-10000.00	-5000.00	...	-5000.00	-8350.00	...	-8350.00
निवल	*6999.95*	...	*6999.95*	*10000.00*	...	*10000.00*	*5000.00*	...	*5000.00*	*8350.00*	...	*8350.00*
रक्षा स्पेक्ट्रम												
6. रक्षा सेवाओं के लिए आप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.01 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	2500.00	2500.00	...	4725.00	4725.00
6.02 रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित नेटवर्क	...	3755.00	3755.00	...	4500.00	4500.00	...	2500.00	2500.00	...	4725.00	4725.00
6.03 घटाएं:- केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	-2500.00	-2500.00	...	-4725.00	-4725.00
निवल	*...*	*3755.00*	*3755.00*	*...*	*4500.00*	*4500.00*	*...*	*2500.00*	*2500.00*	*...*	*4725.00*	*4725.00*
दूरसंचार विभाग परियोजनाएं												
7. मानव संसाधन प्रबंधन												
7.01 राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना	6.70	31.13	37.83	12.66	111.15	123.81	11.91	51.99	63.90	28.66	50.20	78.86
8. बेतार आयोजना तथा समन्वय												
8.01 बेतार आयोजना एवं समन्वय	9.84	0.01	9.85	13.79	1.00	14.79	13.43	1.00	14.43	13.97	1.00	14.97
8.02 बेतार निगरानी सेवाएं	31.22	2.92	34.14	38.80	35.00	73.80	37.30	13.00	50.30	38.87	24.77	63.64
जोड़- बेतार आयोजना तथा समन्वय	*41.06*	*2.93*	*43.99*	*52.59*	*36.00*	*88.59*	*50.73*	*14.00*	*64.73*	*52.84*	*25.77*	*78.61*
9. दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र	...	2.33	2.33	...	14.12	14.12	...	7.40	7.40	...	20.11	20.11
10. प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन	1.44	...	1.44	4.00	...	4.00	3.72	...	3.72	20.20	...	20.20
11. उपग्रह गेटवे की स्थापना (बीएसएनएल को सहायता)	...	2.62	2.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. कार्यालय भवन का निर्माण	...	...	...	...	50.00	50.00	...	0.01	0.01	...	0.05	0.05
13. दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) सूचना राजमार्ग परियोजना	5.94	...	5.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए विशेष सहायता	15.00	...	15.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
15. दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र	...	15.00	15.00	...	27.00	27.00	...	15.60	15.60	...	...	...
16. दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)	...	12.50	12.50	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
17. केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर)	...	12.50	12.50	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
18. अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क मुहैया कराने हेतु बीएसएनएल को निधियां प्रदान करना	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
19. 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड	...	35.00	35.00	...	134.48	134.48	...	36.75	36.75	...	38.59	38.59
20. चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम												
20.01 दूरसंचार क्षेत्र के लिए नवाचार का संवर्धन और भावी प्रौद्योगिकियों को सहेजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.07	...	50.07
जोड़-दूरसंचार विभाग परियोजनाएं	**72.14**	**114.01**	**186.15**	**75.25**	**402.75**	**478.00**	**74.36**	**155.75**	**230.11**	**160.77**	**164.72**	**325.49**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**7072.09**	**3869.01**	**10941.10**	**10075.25**	**4902.75**	**14978.00**	**5074.36**	**2655.75**	**7730.11**	**8510.77**	**4889.72**	**13400.49**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
21. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)	287.00	...	287.00	260.00	...	260.00	260.00	...	260.00	273.00	...	273.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
22. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता												
22.01 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)/सीडीएमए स्पेक्ट्रम की	382.90	...	382.90	384.00	...	384.00	384.00	...	384.00	384.00	...	384.00

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	वापसी/एमटीएनएल बांडों/ एफटीटीएच पर ब्याज के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता												
22.02	भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/अनुप्रेरण	145.26	337.00	482.26	5.01	100.00	105.01	5.00	50.00	55.00	300.00	105.00	405.00
22.03	भारत संचार निगम लिमिटेड को ऋण माफी	...	...	...	...	...	...	983.18	...	983.18	...	...	...
		...	...	...	...	...	...	-983.18	...	-983.18	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.04	भारत संचार निगम लिमिटेड को ऋण पर ब्याज माफी	...	...	...	...	...	...	427.68	...	427.68	...	...	...
		...	...	...	...	...	...	-427.68	...	-427.68	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.05	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. के बकाया ऋणों को बट्टे खाते डालना	255.00	...	255.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		-255.00	...	-255.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.06	भारत संचार निगम लि. को बीडब्ल्यूए/सीडीएमए स्पेक्ट्रम के प्रारंभिक प्रभारों को लौटाना	224.67	...	224.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.07	एचपीआईएल में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	751.00	751.00	...	...	...
	जोड़- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	*752.83*	*337.00*	*1089.83*	*389.01*	*100.00*	*489.01*	*389.00*	*801.00*	*1190.00*	*684.00*	*105.00*	*789.00*
अन्य													
23.	अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	24.36	...	24.36	27.90	...	27.90	28.30	...	28.30	28.30	...	28.30
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय		**1064.19**	**337.00**	**1401.19**	**676.91**	**100.00**	**776.91**	**677.30**	**801.00**	**1478.30**	**985.30**	**105.00**	**1090.30**
कुल जोड़		***19594.19***	***4206.01***	***23800.20***	***23052.53***	***5002.75***	***28055.28***	***18119.62***	***3456.75***	***21576.37***	***22343.64***	***4994.72***	***27338.36***
ख. विकासात्मक शीर्ष													
सामान्य सेवाएं													
1.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10900.71	...	10900.71	11675.86	...	11675.86	11675.86	...	11675.86	12209.58	...	12209.58
जोड़-सामान्य सेवाएं		**10900.71**	**...**	**10900.71**	**11675.86**	**...**	**11675.86**	**11675.86**	**...**	**11675.86**	**12209.58**	**...**	**12209.58**
सामाजिक सेवाएं													
2.	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	...	...	...	4.57	...	4.57	3.82	...	3.82	4.46	...	4.46
जोड़-सामाजिक सेवाएं		**...**	**...**	**...**	**4.57**	**...**	**4.57**	**3.82**	**...**	**3.82**	**4.46**	**...**	**4.46**
आर्थिक सेवाएं													
3.	अन्य संचार सेवाएं	8237.45	...	8237.45	9829.30	...	9829.30	5325.17	...	5325.17	8740.11	...	8740.11
4.	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	456.03	...	456.03	516.80	...	516.80	586.14	...	586.14	525.47	...	525.47
5.	दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	337.00	337.00	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00	...	105.00	105.00
6.	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	3869.01	3869.01	...	4357.75	4357.75	...	3093.52	3093.52	...	4409.72	4409.72
7.	अन्य संचार सेवाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	51.00	51.00	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**8693.48**	**4206.01**	**12899.49**	**10346.10**	**4457.75**	**14803.85**	**5911.31**	**3194.52**	**9105.83**	**9265.58**	**4514.72**	**13780.30**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1026.00	...	1026.00	528.63	...	528.63	864.02	...	864.02
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	545.00	545.00	...	262.23	262.23	...	480.00	480.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1026.00**	**545.00**	**1571.00**	**528.63**	**262.23**	**790.86**	**864.02**	**480.00**	**1344.02**
कुल जोड़	**19594.19**	**4206.01**	**23800.20**	**23052.53**	**5002.75**	**28055.28**	**18119.62**	**3456.75**	**21576.37**	**22343.64**	**4994.72**	**27338.36**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय टेलीफोन उद्योग	337.00	...	337.00	100.00	...	100.00	50.00	337.00	387.00	105.00	...	105.00
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	...	526.13	526.13	...	895.84	895.84	...	431.29	431.29	...	498.26	498.26
3. सी डॉट	...	147.05	147.05	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
4. हेमिस्फेयर प्रापर्टीज लि0	...	...	...	...	...	...	751.00	...	751.00	...	...	...
5. भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	...	6020.00	6020.00	...	16986.00	16986.00	...	8857.00	8857.00	...	6500.00	6500.00
6. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इण्डिया लि0	...	47.01	47.01	...	46.29	46.29	...	50.10	50.10	...	47.64	47.64
7. भारत संचार निगम लिमिटेड	...	5109.00	5109.00	...	7606.00	7606.00	...	5842.00	5842.00	...	6725.00	6725.00
जोड़	**337.00**	**11849.19**	**12186.19**	**100.00**	**25684.13**	**25784.13**	**801.00**	**15667.39**	**16468.39**	**105.00**	**13920.90**	**14025.90**

1. **सचिवालय- आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग और प्रशासन महानिदेशालय, जिसमें सीसीए/टर्म प्रकोष्ठ, दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र , प्रशासक यूएसओ निधि तथा केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली शामिल है, से संबंधित हिस्से के लिए संचार मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

2. **पेंशन:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशनगत लाभों के लिए किया गया है, जिसमें दिनांक 1.4.2014 से भारत संचार निगम लिमिटेड तथा एमटीएनएल में आमेलित किए गए कर्मचारी शामिल हैं।

3. **श्रम रोजगार और कौशल विकास:** यह प्रावधान पं. दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान खोलने के लिए प्रायोगिक योजना हेतु है।

4. **विनियामक निकाय:** यह प्रावधान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निधि अंतरित करने तथा प्राधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए है। यह प्रावधान दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपीलीय अधिकरण से संबंधित व्यय के लिए है।

5. **दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान दूरसंचार अवसंरचना का सृजन करने तथा इसका संवर्धन करने तथा सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोनों का प्रचालन और रख-रखाव करने सहित ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में लोगों को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं तक अभिगम प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति करने के लिए है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसमें सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण हेतु प्रावधान भी शामिल है।

5.03. **दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति:** देश में सभी पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपेक्षित टेलीकॉम अवसंरचना के सृजन के लिए भारत नेट परियोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सेवा प्रदाताओं को भेद-भाव रहित पहुंच सुसाध्य बनाने के लिए प्रावधान है।

6. **रक्षा सेवाओं के लिए आप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क:** यह प्रावधान रक्षा सेवाओं के लिए आप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क प्रदान करने के लिए है।

7. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) हेतु भौतिक अवसंरचना तैयार करने के लिए है।

8. **बेतार आयोजना तथा समन्वय:** (i) यह प्रावधान बेतार निगरानी संगठन के व्यय हेतु है, जो रेडियो आवृति प्रबंधन हेतु निगरानी प्रेक्षणों के आधार पर तकनीकी और संबंद्ध आंकड़े उपलब्ध करवाता है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों को लागू करवाता है तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कतिपय सांविधिक प्रकार्यों का निष्पादन करने के साथ-साथ कारगर राष्ट्रीय रेडियो आवृति प्रबंधन के लिए रेडियो ट्रांसमिशन के संबंध में चौबीसों घण्टे निगरानी करता है। इसमें सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय का प्रावधान भी शामिल है; तथा (ii) यह प्रावधान बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कंध से संबंधित व्यय के लिए है। यह स्कंध ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशनों के लिए भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेतार प्रचालनों की जांच करता है।

9. **दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र से संबंधित व्यय के लिए है।

10. **प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन:** यह प्रावधान प्रौद्योगिकी विकास तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए है।

11. **उपग्रह गेटवे की स्थापना (बीएसएनएल को सहायता):** यह प्रावधान बीएसएनएल के लिए सेटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना करने के लिए किया गया है।

12. **कार्यालय भवन का निर्माण:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के नए कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए किया गया है।

13. **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) सूचना राजमार्ग परियोजना:** यह प्रावधान दक्षिण एशियाई उप- क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) सूचना हाइवे परियोजना के लिए किया गया है।

14. **स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए विशेष सहायता:** यह प्रावधान स्वच्छता से संबंधित कार्य योजना के लिए विशेष सहायता हेतु किया गया है।

15. **दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र के लिए किया गया है।

16. **दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट):** यह प्रावधान दूरसंचार कम्प्यूटर आपातिक प्रत्युत्तर दल (टी-सीईआरटी) हेतु किया गया है।

17. **केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर):** यह प्रावधान केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) हेतु किया गया है।

19. **5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड:** यह प्रावधान 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड के लिए है।

20. **चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** यह प्रावधान दूरसंचार क्षेत्र की भावी प्रौद्योगिकियों के नवाचा और इनक्यूबेशन के संवर्धन के लिए है।

21. **टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट):** यह प्रावधान टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) पर होने वाले व्यय के लिए किया गया है।

22. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** (i) यह प्रावधान स्पेसक्ट्रम प्रभारों की वापसी/सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्रभारों के रूप में इक्विटी लगाने के बदले में एमटीएनएल द्वारा जारी बाण्डों के ब्याज का भुगतान करने तथा भारतीय न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है; (ii) यह प्रावधान भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत देने/इक्विटी लगाने के लिए किया गया है.

23. **अन्तरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अन्तरर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया गया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

उपभोक्ता मामले विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3714.03	16.52	3730.55	1755.93	48.59	1804.52	1744.56	54.81	1799.37	2240.32	51.50	2291.82
वसूलियां	*-17.07*	*...*	-17.07	*-19.35*	*...*	*-19.35*	*-17.85*	*...*	*-17.85*	*-19.50*	*...*	*-19.50*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**3696.96**	**16.52**	**3713.48**	**1736.58**	**48.59**	**1785.17**	**1726.71**	**54.81**	**1781.52**	**2220.82**	**51.50**	**2272.32**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	82.67	...	82.67	94.99	...	94.99	91.34	...	91.34	96.32	...	96.32
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
उपभोक्ता संरक्षण												
2. मूल्य स्थिरीकरण कोष	3500.00	...	3500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	2000.00	...	2000.00
3. कॉनफोनेट	14.50	...	14.50	18.50	...	18.50	38.50	...	38.50	22.00	...	22.00
4. उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार)	61.78	...	61.78	70.00	...	70.00	60.00	...	60.00	62.00	...	62.00
5. उपभोक्ता हेल्पलाइन	1.75	...	1.75	1.17	...	1.17	0.32	...	0.32	0.50	...	0.50
6. उपभोक्ता संरक्षण सेल	5.08	...	5.08	9.50	...	9.50	6.17	...	6.17	6.50	...	6.50
7. मूल्य निगरानी ढांचा	0.93	...	0.93	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
8. उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता	4.84	...	4.84	13.00	...	13.00	5.80	...	5.80	6.00	...	6.00
9. उपभोक्ता कल्याण निधि												
9.01 उपभोक्ता कल्याण निधि	17.07	...	17.07	19.35	...	19.35	17.85	...	17.85	19.50	...	19.50
9.02 उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई राशि	-17.07	...	-17.07	-19.35	...	-19.35	-17.85	...	-17.85	-19.50	...	-19.50
निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़-उपभोक्ता संरक्षण	**3588.88**	**...**	**3588.88**	**1614.17**	**...**	**1614.17**	**1612.79**	**...**	**1612.79**	**2099.00**	**...**	**2099.00**
विधिक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन												
10. भारतीय मानक संस्थान												
10.01 भारत में सोने पर हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
10.02 राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- भारतीय मानक संस्थान	*2.00*	*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*2.00*
11. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	5.30	11.93	17.23	8.66	20.34	29.00	7.39	12.61	20.00	8.50	16.50	25.00
12. तोल एवं माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-पद्धति संस्थान का सुदृढ़ीकरण	18.11	4.59	22.70	16.75	28.25	45.00	13.18	42.20	55.38	15.00	35.00	50.00
जोड़-विधिक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन	**25.41**	**16.52**	**41.93**	**27.41**	**48.59**	**76.00**	**22.57**	**54.81**	**77.38**	**25.50**	**51.50**	**77.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**3614.29**	**16.52**	**3630.81**	**1641.58**	**48.59**	**1690.17**	**1635.36**	**54.81**	**1690.17**	**2124.50**	**51.50**	**2176.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
13. खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
कुल जोड़	***3696.96***	***16.52***	***3713.48***	***1736.58***	***48.59***	***1785.17***	***1726.71***	***54.81***	***1781.52***	***2220.82***	***51.50***	***2272.32***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
2. उद्योग	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	39.77	...	39.77	47.47	...	47.47	43.89	...	43.89	47.04	...	47.04
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	25.19	...	25.19	28.79	...	28.79	29.46	...	29.46	30.99	...	30.99
5. नागरिक आपूर्ति	3604.34	...	3604.34	1471.61	...	1471.61	1467.70	...	1467.70	1908.00	...	1908.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	25.66	...	25.66	22.70	...	22.70	18.73	...	18.73	22.39	...	22.39
7. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	11.93	11.93	...	17.44	17.44	...	9.71	9.71	...	14.00	14.00
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	...	4.59	4.59	...	25.75	25.75	...	41.20	41.20	...	30.50	30.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**3696.96**	**16.52**	**3713.48**	**1572.38**	**43.19**	**1615.57**	**1561.59**	**50.91**	**1612.50**	**2010.22**	**44.50**	**2054.72**
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	164.20	...	164.20	165.12	...	165.12	210.60	...	210.60
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	5.40	5.40	...	3.90	3.90	...	7.00	7.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**164.20**	**5.40**	**169.60**	**165.12**	**3.90**	**169.02**	**210.60**	**7.00**	**217.60**
कुल जोड़	**3696.96**	**16.52**	**3713.48**	**1736.58**	**48.59**	**1785.17**	**1726.71**	**54.81**	**1781.52**	**2220.82**	**51.50**	**2272.32**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **मूल्य स्थिरीकरण कोष:** यह प्रावधान दालों के बफर स्टॉक को और बाजार में दालों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाये रखने के लिए किया जाता है ताकि जब कभी भी आवश्यकता हो मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।

3. **कॉनफोनेट:** यह प्रावधान देश भर के उपभोक्ता मंचों की नेटवर्किंग और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए है।

4. **उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार):** यह प्रावधान विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता सृजन के लिए है।

5. **उपभोक्ता हेल्पलाइन:** यह प्रावधान उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु उपभोक्ता हेल्पलाइन की स्थापना करने और उनके संचालन के लिए है।

6. **उपभोक्ता संरक्षण सेल:** यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण एकक की वार्षिक बैठक आयोजित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय/विश्व उपभोक्ता दिवस आयोजित किए जाने संबंधी व्यय के लिए है।

7. **मूल्य निगरानी ढांचा:** यह प्रावधान केंद्र, राज्यों के मूल्य निगरानी कक्षों के साथ-साथ एन.आई.सी. को सुदृढ बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

8. **उपभोक्ता मंचों का सुदृढीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य/जिला स्तरीय उपभोक्ता मंचों की स्थापना के साथ-साथ स्थापित किए गए नए उपभोक्ता मंचों में बुनियादी कार्यालय अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। उपभोक्ता मंचों के भवनों में उपभोक्ता परामर्श तथा मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

9.01. **उपभोक्ता कल्याण निधि:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तथा उपभोक्ता वस्तुओं की जांच और तुलनात्मक जांच करने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

10.01. **भारत में सोने पर हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना:** यह प्रावधान निजी उद्यमों को वित्तीय सहातया उपलब्ध कराते हुए भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना के लिए है। शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी किया जाता है।

10.02. **राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली:** यह प्रावधान विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करने के लिए है।

11. **राष्ट्रीय परीक्षण शाला:** यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला के फील्ड कार्यालयों में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/उन्नयन करने के लिए है जिसमें आग्नेयास्त्रों को छोड़कर भारी मशीनरी सहित सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है।

12. **तोल एवं माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-पद्धति संस्थान का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी तथा उपकरण उपलबध कराने के लिए है। कार्यशील मानक/गौण मानक प्रयोगशालाओं, नियंत्रक कार्यालयों तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 16

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	106287.04	50499.56	156786.60	173735.00	50424.10	224159.10	176983.12	51354.00	228337.12	190914.27	51326.12	242240.39
वसूलियां	*-447.34*	*-475.00*	*-922.34*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	*-50000.00*	*-50000.00*	...	*-50000.00*	*-50000.00*	*-463.31*	*-50000.00*	*-50463.31*	...	*-50000.00*	*-50000.00*
निवल	**105839.70**	**24.56**	**105864.26**	**173735.00**	**424.10**	**174159.10**	**176519.81**	**1354.00**	**177873.81**	**190914.27**	**1326.12**	**192240.39**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	63.42	...	63.42	63.53	...	63.53	64.46	...	64.46	66.51	...	66.51
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	19.21	1.06	20.27	19.51	4.10	23.61	19.89	6.00	25.89	20.60	7.12	27.72
3. खाद्य, गोदाम और भंडार के अन्य स्थापना व्यय	16.47	...	16.47	18.96	...	18.96	18.66	...	18.66	20.67	...	20.67
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित केंद्रीय सतर्कता समिति	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**99.11**	**1.06**	**100.17**	**102.00**	**4.10**	**106.10**	**103.01**	**6.00**	**109.01**	**107.78**	**7.12**	**114.90**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खाद्य सब्सिडी												
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता	61981.69	...	61981.69	138123.00	...	138123.00	140098.00	...	140098.00	151000.00	...	151000.00
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता	38000.00	...	38000.00	31000.00	...	31000.00	31000.00	...	31000.00	33000.00	...	33000.00
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	220.00	...	220.00
8. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम												
8.01 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00
8.02 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम का भुगतान	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-खाद्य सब्सिडी	**100281.69**	**...**	**100281.69**	**169323.00**	**...**	**169323.00**	**171298.00**	**...**	**171298.00**	**184220.00**	**...**	**184220.00**
9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता	4499.82	...	4499.82	4000.00	...	4000.00	3883.94	...	3883.94	4166.09	...	4166.09
10. चीनी मौसम 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	...	...	...	...	...	...	400.00	...	400.00	100.00	...	100.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
12. चीनी के बफर स्टॉक का सृजन और अनुरक्षण की स्कीम	...	...	...	...	...	...	450.00	...	450.00	550.00	...	550.00
13. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
14. निर्यात के संबंध में आतंरिक ढुलाई, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने हेतु स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
चीनी उद्योग का विकास												
15. चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें												
15.01 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	22.61	...	22.61	26.00	...	26.00	25.00	...	25.00	21.00	...	21.00
15.02 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम, 2014	376.18	...	376.18	200.00	...	200.00	160.00	...	160.00	60.00	...	60.00
15.03 चीनी कारखानों को उदार ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी स्कीम, 2015 के लिए ब्याज आर्थिक सहायता	11.41	...	11.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.04 गन्ने के लागत प्रतिसंतुलित करने और किसानों को गन्ना मूल्य देयों का समय पर भुगतान सरल बनाने के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी	22.72	...	22.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.05 चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन /आधुनिकीकरण के लिए ऋण	...	113.00	113.00	...	100.00	100.00	...	72.00	72.00	...	75.00	75.00
15.06 गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	...	12.00	12.00	...	25.00	25.00	...	3.00	3.00	...	10.00	10.00
15.07 विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन चीनी कारखानों को ऋण	...	263.00	263.00	...	200.00	200.00	...	150.00	150.00	...	125.00	125.00
15.08 एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	...	87.00	87.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00
15.09 चीनी विकास निधि को अंतरण	917.52	...	917.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.10 एस.डी.एफ.से अंतरण	-432.60	-475.00	-907.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*917.84*	*...*	*917.84*	*226.00*	*385.00*	*611.00*	*185.00*	*285.00*	*470.00*	*81.00*	*270.00*	*351.00*
16. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढ़ीकरण	20.85	...	20.85	41.00	...	41.00	31.00	...	31.00	10.00	...	10.00
17. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन	...	...	...	10.00	...	10.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
18. भंडारण और गोदाम	29.32	23.50	52.82	25.00	35.00	60.00	25.00	63.00	88.00	21.00	49.00	70.00
19. वास्तविक वसूलियां	-14.74	...	-14.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**105734.78**	**23.50**	**105758.28**	**173625.00**	**420.00**	**174045.00**	**176297.94**	**348.00**	**176645.94**	**190798.09**	**319.00**	**191117.09**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
20. भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण	5.81	...	5.81	8.00	...	8.00	7.86	...	7.86	8.40	...	8.40
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
21. हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड												
21.01 एचवीओसी को सहायता	...	...	...	...	...	...	574.31	...	574.31	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21.02 घटाएं- प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	-463.31	...	-463.31	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	*111.00*	...	*111.00*	...	...	...
22. भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**111.00**	**1000.00**	**1111.00**	**...**	**1000.00**	**1000.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**5.81**	**...**	**5.81**	**8.00**	**...**	**8.00**	**118.86**	**1000.00**	**1118.86**	**8.40**	**1000.00**	**1008.40**
कुल जोड़	***105839.70***	***24.56***	***105864.26***	***173735.00***	***424.10***	***174159.10***	***176519.81***	***1354.00***	***177873.81***	***190914.27***	***1326.12***	***192240.39***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	105772.59	...	105772.59	173632.47	...	173632.47	176416.35	...	176416.35	190821.36	...	190821.36
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	63.42	...	63.42	63.53	...	63.53	64.46	...	64.46	66.51	...	66.51
3. नागरिक आपूर्ति	3.69	...	3.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	...	24.56	24.56	...	4.10	4.10	...	1006.00	1006.00	...	1011.12	1011.12
5. खाद्य भंडारण और भान्डागारण के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	385.00	385.00	...	285.00	285.00	...	270.00	270.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**105839.70**	**24.56**	**105864.26**	**173696.00**	**389.10**	**174085.10**	**176480.81**	**1291.00**	**177771.81**	**190887.87**	**1281.12**	**192168.99**
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	39.00	...	39.00	39.00	...	39.00	26.40	...	26.40
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	35.00	35.00	...	63.00	63.00	...	45.00	45.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**39.00**	**35.00**	**74.00**	**39.00**	**63.00**	**102.00**	**26.40**	**45.00**	**71.40**
कुल जोड़	**105839.70**	**24.56**	**105864.26**	**173735.00**	**424.10**	**174159.10**	**176519.81**	**1354.00**	**177873.81**	**190914.27**	**1326.12**	**192240.39**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
अन्वेषण और उत्पादन												
1. भारतीय खाद्य निगम	23.50	211018.20	211041.70	35.00	71995.00	72030.00	1063.00	195942.58	197005.58	1049.00	177991.58	179040.58
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	162.98	162.98	...	93.06	93.06	...	153.02	153.02	...	199.30	199.30
जोड़-अन्वेषण और उत्पादन	**23.50**	**211181.20**	**211204.70**	**35.00**	**72088.06**	**72123.06**	**1063.00**	**196095.60**	**197158.60**	**1049.00**	**178190.90**	**179239.90**
जमा सहकारी समितियों को उधार												
3. सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	...	7.24	7.24	...	5.20	5.20	...	18.68	18.68	...	23.30	23.30

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
जोड़-जमा सहकारी समितियों को उधार	**...**	**7.24**	**7.24**	**...**	**5.20**	**5.20**	**...**	**18.68**	**18.68**	**...**	**23.30**	**23.30**
जोड़	**23.50**	**211188.42**	**211211.92**	**35.00**	**72093.26**	**72128.26**	**1063.00**	**196114.28**	**197177.28**	**1049.00**	**178214.18**	**179263.18**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** इसमें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर का स्थापना व्यय तथा अन्य गतिविधियां जैसे छात्रावास सह-अतिथिगृह, प्रशिक्षण केंद्र एवं नए सम्मेलन कक्ष का निर्माण, मौजूदा छात्रावासों एवं सभागार का नवीकरण तथा परिसर को वाई-फाई परिसर में बदलना एवं क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में बदलना शामिल है।

3. **खाद्य, गोदाम और भंडार के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, गुण नियंत्रण कक्ष के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के सदस्यता शुल्क के लिए है।

5. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत तथा उनके निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर तथा (ii) बफर स्टॉक/कार्यनीतिक रिजर्व की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में सब्सिडी के लिए है।

6. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करने वाली राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में है।

7. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को चीनी राज सहायता प्रदान करने के लिए है|

8.01. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हेंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

9. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए है।

10. **चीनी मौसम 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को चीनी मौसम 2017-18 के संबंध में उस चीनी मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य् के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया तथा पूर्ववर्ती चीनी मौसम के संबंध में गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

11. **चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को चीनी मौसम 2018-19 के संबंध में उस चीनी मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया तथा पूर्ववर्ती चीनी मौसम के संबंध में गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

12. **चीनी के बफर स्टॉक का सृजन और अनुरक्षण की स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को बफर स्टॉक का रखरखाव करने के संबंध में रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति के रूप चीनी मिलों को निधि उपलब्ध कराने के लिए है, जिसका उपयोग सर्वप्रथम चीनी मौसम 2017-18 के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया तथा पूर्ववर्ती चीनी मौसम के बकाया का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

13. **इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए इंसीनरेशन बॉयलरों की स्थापना करके मौजूदा डिस्टीलरियों में वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर तथा चीनी मिलों से संबद्ध नई डिस्टिलरियों की स्थापना करके एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए है।

14. **निर्यात के संबंध में आतंरिक ढुलाई, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने हेतु स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के संबंध में है जिससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करके उन्हें चीनी मौसम 2018-19 के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाया जा सके।

15.01. **चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है।

15.02. **चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें:** यह प्रावधान सभी सहभागी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को ब्याज छूट के लिए है, जिसका उद्देश्य चीनी कारखानों को गन्ना किसानों के पिछले चीनी मौसमों के गन्ना बकाया का भुगतान करने के लिए समर्थ बनाने और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से संबंधित वर्तमान चीनी

मौसम के गन्ना मूल्य का यथासमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु उनकी नकदी की स्थिति में सुधार करना है। ब्याज छूट, जो सामान्य बैंकिंग पद्धति के अनुसार 12% प्रति वर्ष तक सीमित है, ऋण की अवधि के लिए है, जो दो वर्ष के स्थगन काल सहित पांच वर्ष है।

15.05. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन /आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है|

15.06. **चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें:** यह प्रावधान गन्ना विकास हेतु चीनी मिलों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

15.07. **विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु हैं |

15.08. **चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें:** यह प्रावधान अल्कोहल से एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

16. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीमों जैसे प्रशिक्षण, टीपीडीएस के लाभार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना, ई-गवर्नेंस और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के लिए है। बजट अनुमान 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 0.40 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

17. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर खर्च के लिए है। बजट अनुमान 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

18. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा भंडारण क्षमता के निर्माण (गोदाम और साइलो) के लिए है I बजट अनुमान 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 66 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

20. **भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीदों/ट्रांस्फ़ार्मेशन प्लान की ऑनलाईन मानीटरिंग हेतु स्थापना व्यय एवं आई टी समर्थित प्रणाली संबंधी व्यय के लिए अनुदान-सहायता-वेतन तथा अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।

22. **भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश के लिए है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	505.63	20.79	526.42	567.65	26.50	594.15	588.98	36.00	624.98	527.63	51.00	578.63
वसूलियां	*-15.59*	*...*	-15.59	*-30.00*	*...*	*-30.00*	*-30.00*	*...*	*-30.00*	*-25.00*	*...*	*-25.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**490.04**	**20.79**	**510.83**	**537.65**	**26.50**	**564.15**	**558.98**	**36.00**	**594.98**	**502.63**	**51.00**	**553.63**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	141.69	...	141.69	153.10	...	153.10	164.19	...	164.19	165.91	...	165.91
2. कारपोरेट विधि नियमन												
2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार	59.73	...	59.73	53.04	...	53.04	60.70	...	60.70	58.76	...	58.76
2.02 क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय	106.88	...	106.88	177.54	...	177.54	146.81	...	146.81	157.47	...	157.47
जोड़- कारपोरेट विधि नियमन	*166.61*	*...*	*166.61*	*230.58*	*...*	*230.58*	*207.51*	*...*	*207.51*	*216.23*	*...*	*216.23*
3. वास्तविक वसूलियां	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**308.29**	**...**	**308.29**	**383.68**	**...**	**383.68**	**371.70**	**...**	**371.70**	**382.14**	**...**	**382.14**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. लेखांकन और वित्त सेवाओं पर चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
कॉरपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली												
5. कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन (सीडीएम)	3.71	...	3.71	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50	4.95	...	4.95
6. डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस)	...	0.46	0.46	...	1.50	1.50	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़-कॉरपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली	**3.71**	**0.46**	**4.17**	**4.00**	**1.50**	**5.50**	**4.50**	**1.00**	**5.50**	**4.95**	**1.00**	**5.95**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**3.71**	**0.46**	**4.17**	**4.00**	**1.50**	**5.50**	**4.50**	**1.00**	**5.50**	**14.95**	**1.00**	**15.95**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
7. भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड	6.50	...	6.50	11.07	...	11.07	17.07	...	17.07	21.90	...	21.90
8. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	119.27	...	119.27	133.00	...	133.00	160.81	...	160.81	79.89	...	79.89

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**125.77**	**...**	**125.77**	**144.07**	**...**	**144.07**	**177.88**	**...**	**177.88**	**101.79**	**...**	**101.79**
स्वायत्त निकाय												
9. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	7.85	...	7.85	5.90	...	5.90	4.90	...	4.90	3.75	...	3.75
अन्य												
10. निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि												
10.01 निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00
10.02 घटाएं आईईपीएफ से की गई वसूलियां	-15.58	...	-15.58	-30.00	...	-30.00	-30.00	...	-30.00	-25.00	...	-25.00
निवल	*44.42*	*...*	*44.42*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
11. मुख्य निर्माण कार्य, भूमि और भवन	...	20.33	20.33	...	25.00	25.00	...	35.00	35.00	...	50.00	50.00
जोड़-अन्य	**44.42**	**20.33**	**64.75**	**...**	**25.00**	**25.00**	**...**	**35.00**	**35.00**	**...**	**50.00**	**50.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**178.04**	**20.33**	**198.37**	**149.97**	**25.00**	**174.97**	**182.78**	**35.00**	**217.78**	**105.54**	**50.00**	**155.54**
कुल जोड़	***490.04***	***20.79***	***510.83***	***537.65***	***26.50***	***564.15***	***558.98***	***36.00***	***594.98***	***502.63***	***51.00***	***553.63***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	309.09	...	309.09	290.10	...	290.10	329.50	...	329.50	260.75	...	260.75
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	180.95	...	180.95	247.55	...	247.55	229.48	...	229.48	241.88	...	241.88
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	...	20.79	20.79	...	26.50	26.50	...	36.00	36.00	...	51.00	51.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**490.04**	**20.79**	**510.83**	**537.65**	**26.50**	**564.15**	**558.98**	**36.00**	**594.98**	**502.63**	**51.00**	**553.63**
कुल जोड़	**490.04**	**20.79**	**510.83**	**537.65**	**26.50**	**564.15**	**558.98**	**36.00**	**594.98**	**502.63**	**51.00**	**553.63**

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय और ई-गवर्नेंस परियोजना (एमसीए21) के लिए प्रावधान है।

2.01. **संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इन कार्यालयों के मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के अधीन पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक रिटर्न, तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप ध्यान में आने वाली अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालय अर्थात् पंजीकरण का कार्य और परिसमापन के प्रयोजनों के लिए शासकीय समापक का कार्य करते हैं। ये कार्यालय उच्च न्यायालयों के साथ संबद्ध होते हैं और ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय:** क्षेत्रीय निदेशक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालयों, कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों का पर्यवेक्षण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार शासकीय समापकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और ये उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये कार्यालय परिसमापन की जारी रही कंपनियों के प्रभारी हैं। महानिदेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय और देश भर के फील्ड कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करने की है।

अन्य व्यय में, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील अधिकरण (एनएफआरएए), विशेष न्यायालयों और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के लिए प्रावधान है।

4. **लेखांकन और वित्त सेवाओं पर चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना:** वित्तीय सेवाओं में लेखांकन पर चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत जीएसटी खाता सहायक योजना के लिए प्रावधान है

5. **कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन (सीडीएम):** कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में इन-हाउस डाटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे कारपोरेट रजिस्ट्री में सूचना क्षेत्र के विशाल संग्रह का प्रभावी उपयोग किया जा

सके। इस सुविधा का लक्ष्य सभी हितबद्धों को अधिक सुगम तरीके से वास्तविक और सही डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस मंत्रालय और अन्य नीति या निर्णय लेने वाली सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को व्यवस्थित और संरचनागत तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है।

6. **डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस):** इसमें डाटा प्रबंधन प्रणाली के लिए साफ्टवेयर लाइसेंस और आईटी संबंधी उत्पादों की खरीद के लिए पूंजी खंड के अधीन खर्च का प्रावधान है।

7. **भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड:** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार इस मंत्रालय ने कारपोरेट निकायों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध रीति में पुनर्गठन और दिवाला समाधान करने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य की अधिकतम वृद्धि करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सरकारी देयराशि के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए परिवर्तन सहित सभी पक्षकारों के हितों में संतुलन बनाया जा सके तथा इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता तैयार की जा सके।

8. **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए की गई। पूर्व एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं। इसमें सामान्य अनुदान सहायता, अनुदान-सहायता वेतन और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान आदि का प्रावधान है।

9. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए):** सहक्रियाशील ज्ञान प्रबंधन, भागीदारी और वन-स्टाप-शॉप मोड के माध्यम से कारपोरेट विकास, सुधारों और विनियमनों के लिए समग्र विचार-मंच, क्षमता निर्माण और सेवा सुपुर्दगी संस्थान के रूप में कार्यरत।

10.01. **निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी:** दावेदारों को भुगतान/दावा न की गई राशि का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) से संवितरण करने के लिए प्रावधान।

10.02. **घटाएं आईईपीएफ से की गई वसूलियां:** निवेशकों को लौटाने हेतु निधि का प्रावधान है।

11. **मुख्य निर्माण कार्य, भूमि और भवन:** इसमें कार्यालयों के लिए कार्यालय परिसर /कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास हेतु भूमि/भवन/निर्माण पर होने वाले खर्च का प्रावधान है।

संस्कृति मंत्रालय

मांग संख्या 18

संस्कृति मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2476.70	53.80	2530.50	2764.28	79.04	2843.32	2687.96	112.04	2800.00	2874.31	168.04	3042.35
वसूलियां	*-10.23*	...	-10.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2466.47**	**53.80**	**2520.27**	**2764.28**	**79.04**	**2843.32**	**2687.96**	**112.04**	**2800.00**	**2874.31**	**168.04**	**3042.35**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय	36.13	...	36.13	44.20	...	44.20	39.60	...	39.60	42.46	...	42.46
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)	914.36	25.02	939.38	949.56	25.00	974.56	948.06	20.00	968.06	950.84	25.00	975.84
3. पुस्तकालय और अभिलेखागार	85.13	6.17	91.30	98.14	11.04	109.18	92.11	11.04	103.15	90.90	11.04	101.94
4. संग्रहालय	64.75	3.53	68.28	70.60	10.00	80.60	81.91	15.00	96.91	71.59	19.00	90.59
5. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	30.44	9.90	40.34	32.70	11.00	43.70	32.66	11.00	43.66	32.72	11.00	43.72
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1130.81**	**44.62**	**1175.43**	**1195.20**	**57.04**	**1252.24**	**1194.34**	**57.04**	**1251.38**	**1188.51**	**66.04**	**1254.55**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
6. शताब्दियां एवं जयंतियां, समारोह और स्कीमें	143.82	...	143.82	100.00	...	100.00	250.00	...	250.00	110.00	...	110.00
7. कला संस्कृति विकास योजना	166.92	9.18	176.10	288.00	22.00	310.00	200.84	37.00	237.84	255.24	2.00	257.24
8. संग्रहालय का विकास	45.87	...	45.87	105.98	...	105.98	76.89	18.00	94.89	251.33	100.00	351.33
9. पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास	28.84	...	28.84	99.81	...	99.81	35.93	...	35.93	99.81	...	99.81
10. वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	31.00	...	31.00	45.21	...	45.21	27.20	...	27.20	41.95	...	41.95
11. पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन	4.77	...	4.77	15.00	...	15.00	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**421.22**	**9.18**	**430.40**	**654.00**	**22.00**	**676.00**	**602.86**	**55.00**	**657.86**	**773.33**	**102.00**	**875.33**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
12. अकादमियों को सहायता	429.54	...	429.54	379.92	...	379.92	340.84	...	340.84	383.84	...	383.84
13. संग्रहालयों को सहायता	276.85	...	276.85	289.81	...	289.81	295.66	...	295.66	288.31	...	288.31
14. पुस्तकालयों को सहायता	120.66	...	120.66	124.85	...	124.85	122.85	...	122.85	122.31	...	122.31
15. बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	83.63	...	83.63	106.46	...	106.46	117.98	...	117.98	103.87	...	103.87

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	**910.68**	**...**	**910.68**	**901.04**	**...**	**901.04**	**877.33**	**...**	**877.33**	**898.33**	**...**	**898.33**
अन्य												
16. अनुदानग्राही निकाय	13.99	...	13.99	14.04	...	14.04	13.43	...	13.43	14.14	...	14.14
17. वास्तविक वसूलियां	-10.23	...	-10.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**3.76**	**...**	**3.76**	**14.04**	**...**	**14.04**	**13.43**	**...**	**13.43**	**14.14**	**...**	**14.14**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**914.44**	**...**	**914.44**	**915.08**	**...**	**915.08**	**890.76**	**...**	**890.76**	**912.47**	**...**	**912.47**
कुल जोड़	***2466.47***	***53.80***	***2520.27***	***2764.28***	***79.04***	***2843.32***	***2687.96***	***112.04***	***2800.00***	***2874.31***	***168.04***	***3042.35***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	2430.34	...	2430.34	2544.58	...	2544.58	2479.64	...	2479.64	2656.35	...	2656.35
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	36.13	...	36.13	44.20	...	44.20	39.60	...	39.60	42.46	...	42.46
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	...	53.80	53.80	...	79.04	79.04	...	112.04	112.04	...	168.04	168.04
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**2466.47**	**53.80**	**2520.27**	**2588.78**	**79.04**	**2667.82**	**2519.24**	**112.04**	**2631.28**	**2698.81**	**168.04**	**2866.85**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	175.50	...	175.50	168.72	...	168.72	175.50	...	175.50
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**175.50**	**...**	**175.50**	**168.72**	**...**	**168.72**	**175.50**	**...**	**175.50**
कुल जोड़	**2466.47**	**53.80**	**2520.27**	**2764.28**	**79.04**	**2843.32**	**2687.96**	**112.04**	**2800.00**	**2874.31**	**168.04**	**3042.35**

1. **केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय और केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार के वेतन एवं संबद्ध मदों पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं।

2. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई):** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना पुरातत्व अवशेषों के सर्वेक्षण के मूल उद्देश्य से वर्ष 1861 में की गई थी। एएसआई संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके मुख्य कार्यों में विश्व विरासत स्मारकों तथा पुरावशेषों सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास करना, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों के आस-पास बगीचों का रख-रखाव तथा नए बगीचों का विकास करना, प्राचीन स्थलों का अन्वेषण और उत्खनन करना, शिलालेखों और भारतीय वास्तुकला के विभिन्न चरणों का विशेष अध्ययन करना, पुरातत्व स्थल संग्रहालयों का अनुरक्षण करना, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम का प्रचालन करना तथा पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके केन्द्रीय रूप से संरक्षित 3691 (22 विश्व विरासत, 10 ऐतिहासिक और 100 आदर्श स्मारकों) केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों (विश्व विरासत स्मारकों सहित) हैं जिसमें प्रागैतिहासिक पाषाण काल के स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर तथा किले शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन भी शुरू किया गया है।

3. **पुस्तकालय और अभिलेखागार:** इसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के व्यय हेतु प्रावधान है।

4. **संग्रहालय:** इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान है।

5. **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण:** इसमें वर्ष 1945 में स्थापित भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के व्यय के लिए प्रावधान है। यह भारत की जनसंख्या के संबंध में जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण/अनुसंधान संचालित करता है तथा भारतीय जनता के बारे में वैज्ञानिक महत्व के दस्तावेजों का संग्रहण और परिरक्षण करता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अपने मानव विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से देश की जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में योगदान देता है।

6. **शताब्दियां एवं जयंतियां, समारोह और स्कीमें:** इसमें वर्ष 2019-20 के दौरान शताब्दियों एवं वर्षगांठ से संबंधित समारोहों तथा विगत समारोहों के शेष कार्यकलापों के लिए प्रावधान है। इसमें महात्माव गांधी की 150वीं जयंती समारोह के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

7. **कला संस्कृति विकास योजना:** इन समावेशी स्कीमों में मिशन तथा स्कीओमें अर्थात् दांडी संबंधी परियोजनाएं सहित गांधी विरासत स्थसल मिशन, कला एवं संस्कृतति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम, कला और संस्कृतति के संवर्द्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येकतावृत्ति, सांस्कृवतिक अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम, सांस्कृतिक मानचित्रण, कलाकारों को पेंशन एवं चिकित्सा सहायता स्कीम, अमूर्त सांस्कृसतिक विरासत संबंधी स्कीम, देशी उत्सव एवं मेले, सांस्कृतिक सौहार्द के लिए टैगोर पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, सेवा भोज योजना और जलियांवाला बाग स्मारक का विकास शामिल हैं।

8. **संग्रहालय का विकास:** यह प्रावधान संग्रहालय अनुदान स्कीम, विज्ञान की संस्कृति के संवर्द्धन हेतु स्कीम, भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित संग्रहालय और आभासी संग्रहालयों, वाडनगर में राष्ट्रीय प्रायोगिक स्थल संग्रहालय और संग्रहालयों में सॉफ्टवेयर के संग्रह प्रबंधन से संबंधित कार्यकलापों के व्यय के लिए है।

9. **पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन- जनता को सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यकलापों के व्यय हेतु है।

10. **वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन हेतु स्कीम के लिए अनुदान,भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए यात्रा अनुदान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल, अंतरराष्ट्रीय कला परिषद एवं संस्कृति एजेंसी परिसंघ (आईएफएसीसीए), अंतरराष्ट्रीय संरक्षण केन्द्र, रोम हेतु सहयोग, यूनेस्को को सहयोग तथा विश्व विरासत निधि को सहयोग से संबंधित कार्यकलापों के व्यय हेतु है।

11. **पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन:** यह प्रावधान देश में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान करने, पहचान की गई पांडुलिपियों के प्रलेखन तथा पांडुलिपि विरासत को देश भर में सुगम्य बनाने के उद्देश्य से इस मिशन से संबंधित कार्यकलापों के व्यय हेतु है।

12. **अकादमियों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

13. **संग्रहालयों० को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, सालारजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

14. **पुस्तकालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी (कोलकाता), खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और रामपुर रजा पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

15. **बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, नव नालंदा महाविहार, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान और केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

16. **अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वृंदावन अनुसंधान संस्थान, तिब्बत हाउस, बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन तवांग बौद्ध मठ केन्द्र, नामग्याल तिब्बती शास्त्र संस्थान, जीआरएल बौद्ध मठ विद्यालय बोमडिला, तिब्बती कार्य पुस्तकालय एवं अभिलेखागार, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, एशियाटिक सोसाइटी (मुंबई), तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय और कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कार्यकलापों के लिए व्यय का प्रावधान शामिल है।

रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 19

रक्षा मंत्रालय (विविध)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	28062.98	5048.15	33111.13	28458.04	6651.73	35109.77	28811.18	6640.98	35452.16	30845.34	6981.82	37827.16
वसूलियां	...	*-55.44*	-55.44	*-50.00*	*-1070.00*	*-1120.00*	*-50.00*	*-2150.00*	*-2200.00*	*-40.00*	*-2113.36*	*-2153.36*
प्राप्तियां	*-17911.12*	...	*-17911.12*	*-17783.68*	...	*-17783.68*	*-16933.68*	...	*-16933.68*	*-18608.68*	...	*-18608.68*
निवल	**10151.86**	**4992.71**	**15144.57**	**10624.36**	**5581.73**	**16206.09**	**11827.50**	**4490.98**	**16318.48**	**12196.66**	**4868.46**	**17065.12**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	1632.58	...	1632.58	1766.68	...	1766.68	1786.05	...	1786.05	1790.18	...	1790.18
2. सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय	785.15	...	785.15	861.16	...	861.16	2165.15	...	2165.15	2173.22	...	2173.22
3. तटरक्षक संगठन	2155.52	2178.59	4334.11	2091.42	2700.00	4791.42	2391.42	2250.00	4641.42	2385.27	2500.00	4885.27
4. रक्षा संपदा संगठन	411.58	...	411.58	475.99	...	475.99	435.06	...	435.06	474.54	...	474.54
5. जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री	1315.15	...	1315.15	1275.65	...	1275.65	1256.21	...	1256.21	1264.62	...	1264.62
6. थलसेना न्यायाधिकरण	37.04	...	37.04	42.90	...	42.90	41.44	...	41.44	42.99	...	42.99
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**6337.02**	**2178.59**	**8515.61**	**6513.80**	**2700.00**	**9213.80**	**8075.33**	**2250.00**	**10325.33**	**8130.82**	**2500.00**	**10630.82**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य												
7. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	...	...	50.00	820.00	870.00	50.00	1900.00	1950.00	40.00	1963.36	2003.36
8. सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य												
8.01 सकल बजट सहायता	...	2774.51	2774.51	...	2785.00	2785.00	...	2028.50	2028.50	...	2321.00	2321.00
8.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	-820.00	-820.00	...	-1900.00	-1900.00	...	-1963.36	-1963.36
निवल	*...*	*2774.51*	*2774.51*	*...*	*1965.00*	*1965.00*	*...*	*128.50*	*128.50*	*...*	*357.64*	*357.64*
9. सामरिक सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान												
9.01 सकल बजट सहायता	50.04	...	50.04	80.00	...	80.00	55.00	...	55.00	40.00	...	40.00
9.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	-50.00	...	-50.00	-50.00	...	-50.00	-40.00	...	-40.00
निवल	*50.04*	*...*	*50.04*	*30.00*	*...*	*30.00*	*5.00*	*...*	*5.00*	*...*	*...*	*...*
10. अन्य कार्य	629.90	...	629.90	700.00	...	700.00	612.12	...	612.12	700.00	...	700.00
जोड़-सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य	**679.94**	**2774.51**	**3454.45**	**780.00**	**2785.00**	**3565.00**	**667.12**	**2028.50**	**2695.62**	**740.00**	**2321.00**	**3061.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**679.94**	**2774.51**	**3454.45**	**780.00**	**2785.00**	**3565.00**	**667.12**	**2028.50**	**2695.62**	**740.00**	**2321.00**	**3061.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड												
11.01 ब्याज आर्थिक सहायता	...	...	...	4.84	...	4.84	4.36	...	4.36	4.84	...	4.84
11.02 पूर्व देयताओं को चुकाने हेतु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को ऋण	...	...	...	...	...	...	...	169.00	169.00	...	...	...
जोड़- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	*...*	*...*	*...*	*4.84*	*...*	*4.84*	*4.36*	*169.00*	*173.36*	*4.84*	*...*	*4.84*
अन्य												
आवास												
12. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन /कैंटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव व मरम्मत	43.66	...	43.66	51.19	...	51.19	35.35	...	35.35	52.17	...	52.17
13. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग के लिए आवासीय सुविधाएंं -स्टाफ क्वार्टर	...	25.02	25.02	...	22.05	22.05	...	12.68	12.68	...	10.82	10.82
जोड़-आवास	**43.66**	**25.02**	**68.68**	**51.19**	**22.05**	**73.24**	**35.35**	**12.68**	**48.03**	**52.17**	**10.82**	**62.99**
लोक निर्माण कार्य												
14. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र सेना अधिकरण-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	3.20	3.20	...	40.26	40.26	...	18.10	18.10	...	19.77	19.77
15. विविध ऋण	...	1.85	1.85	...	4.00	4.00	...	1.80	1.80	...	1.93	1.93
16. कैंटीन स्टोर विभाग												
16.01 कैंटीन स्टोर विभाग	16845.56	2.70	16848.26	17500.00	2.00	17502.00	16507.43	0.90	16508.33	18302.83	0.97	18303.80
16.02 घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-17761.78	...	-17761.78	-17625.00	...	-17625.00	-16775.00	...	-16775.00	-18450.00	...	-18450.00
निवल	*-916.22*	*2.70*	*-913.52*	*-125.00*	*2.00*	*-123.00*	*-267.57*	*0.90*	*-266.67*	*-147.17*	*0.97*	*-146.20*
17. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम												
17.01 भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	3864.46	5.01	3869.47	3223.76	28.42	3252.18	3198.02	10.00	3208.02	3281.26	13.97	3295.23
17.02 घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-146.65	...	-146.65	-150.72	...	-150.72	-150.72	...	-150.72	-150.72	...	-150.72
निवल	*3717.81*	*5.01*	*3722.82*	*3073.04*	*28.42*	*3101.46*	*3047.30*	*10.00*	*3057.30*	*3130.54*	*13.97*	*3144.51*
18. मिलिट्री फार्म												
18.01 सैनिक फार्म	292.34	1.83	294.17	334.45	...	334.45	273.57	...	273.57	293.42	...	293.42
18.02 घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-2.69	...	-2.69	-7.96	...	-7.96	-7.96	...	-7.96	-7.96	...	-7.96
निवल	*289.65*	*1.83*	*291.48*	*326.49*	*...*	*326.49*	*265.61*	*...*	*265.61*	*285.46*	*...*	*285.46*
जोड़-अन्य	**3134.90**	**39.61**	**3174.51**	**3325.72**	**96.73**	**3422.45**	**3080.69**	**43.48**	**3124.17**	**3321.00**	**47.46**	**3368.46**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**3134.90**	**39.61**	**3174.51**	**3330.56**	**96.73**	**3427.29**	**3085.05**	**212.48**	**3297.53**	**3325.84**	**47.46**	**3373.30**
कुल जोड़	***10151.86***	***4992.71***	***15144.57***	***10624.36***	***5581.73***	***16206.09***	***11827.50***	***4490.98***	***16318.48***	***12196.66***	***4868.46***	***17065.12***
ख. विकासात्मक शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	37.04	...	37.04	42.90	...	42.90	41.44	...	41.44	42.99	...	42.99
2. सीमा शुल्क	2155.52	...	2155.52	2091.42	...	2091.42	2391.42	...	2391.42	2385.27	...	2385.27
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2829.31	...	2829.31	3103.83	...	3103.83	4386.26	...	4386.26	4437.94	...	4437.94
4. पुलिस	1315.15	...	1315.15	1275.65	...	1275.65	1256.21	...	1256.21	1264.62	...	1264.62
5. लोक निर्माण कार्य	22.34	...	22.34	26.83	...	26.83	18.96	...	18.96	28.17	...	28.17
6. विविध सामान्य सेवाएं	-916.22	...	-916.22	-125.00	...	-125.00	-267.57	...	-267.57	-147.17	...	-147.17
7. रक्षा सेवाएं-थल सेना	4007.46	...	4007.46	3399.53	...	3399.53	3312.91	...	3312.91	3416.00	...	3416.00
8. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	2178.59	2178.59	...	2700.00	2700.00	...	2250.00	2250.00	...	2500.00	2500.00
9. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	3.20	3.20	...	40.26	40.26	...	18.10	18.10	...	19.77	19.77
10. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	2.70	2.70	...	2.00	2.00	...	0.90	0.90	...	0.97	0.97
11. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	6.84	6.84	...	28.42	28.42	...	10.00	10.00	...	13.97	13.97
जोड़-सामान्य सेवाएं	**9450.60**	**2191.33**	**11641.93**	**9815.16**	**2770.68**	**12585.84**	**11139.63**	**2279.00**	**13418.63**	**11427.82**	**2534.71**	**13962.53**
सामाजिक सेवाएं												
12. आवास	21.32	...	21.32	24.36	...	24.36	16.39	...	16.39	24.00	...	24.00
13. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	25.02	25.02	...	22.05	22.05	...	12.68	12.68	...	10.82	10.82
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**21.32**	**25.02**	**46.34**	**24.36**	**22.05**	**46.41**	**16.39**	**12.68**	**29.07**	**24.00**	**10.82**	**34.82**
आर्थिक सेवाएं												
14. उद्योग	...	...	...	4.84	...	4.84	4.36	...	4.36	4.84	...	4.84
15. सड़क और पुल	629.90	...	629.90	750.00	...	750.00	662.12	...	662.12	740.00	...	740.00
16. सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	...	2774.51	2774.51	...	2506.50	2506.50	...	1890.00	1890.00	...	2088.90	2088.90
17. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	169.00	169.00	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**629.90**	**2774.51**	**3404.41**	**754.84**	**2506.50**	**3261.34**	**666.48**	**2059.00**	**2725.48**	**744.84**	**2088.90**	**2833.74**
अन्य												
18. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
19. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	50.04	...	50.04	22.00	...	22.00	...	...	...	-4.00	...	-4.00
20. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	278.50	278.50	...	138.50	138.50	...	232.10	232.10
21. विविध ऋण	...	1.85	1.85	...	4.00	4.00	...	1.80	1.80	...	1.93	1.93
जोड़-अन्य	**50.04**	**1.85**	**51.89**	**30.00**	**282.50**	**312.50**	**5.00**	**140.30**	**145.30**	**...**	**234.03**	**234.03**
कुल जोड़	**10151.86**	**4992.71**	**15144.57**	**10624.36**	**5581.73**	**16206.09**	**11827.50**	**4490.98**	**16318.48**	**12196.66**	**4868.46**	**17065.12**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1.	...	20.99	20.99	...	...	...	169.00	22.00	191.00	...	5.00	5.00
जोड़	**...**	**20.99**	**20.99**	**...**	**...**	**...**	**169.00**	**22.00**	**191.00**	**...**	**5.00**	**5.00**

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं:** रक्षा सचिवालय पर व्यय के लिए प्रावधान (अर्थात डी ओ डी, डीडीपी, डी आर एंड डी, डी ई एस डब्ल्यू, वित्त प्रभाग और आई डी एस ए) और रक्षा लेखा विभाग।

2. **सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय:** स्थापना संबंधी व्यय के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के लिए प्रावधान।

3. **तटरक्षक संगठन:** तटरक्षक संगठन पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान।

4. **रक्षा संपदा संगठन:** यह प्रावधान रक्षा संपदा संगठन के लिए किया गया है जिसका मुख्य कार्य छावनी बोर्डों का प्रशासन, छावनी से बाहर या भीतर कहीं भी स्थित रक्षा भूमि का प्रबंधन, रक्षा प्रयोजकों के लिए अचल संपत्तियों की मांग करना एवं किराए पर लेना आदि हैं।

5. **जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री:** जम्मू एंड कश्मीर लाईट इंफैंट्री जोकि मई 1977 तक जे एंड के सहायक सेना के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्ण विकसित रेजीमेंट है जिसके पास रेजिमेंटल सेंटर और रिकार्ड कार्यालय के अलावा 15 बटालियन हैं।

6. **थलसेना न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्थापित 'सशस्त्र बल न्यायाधिकरण' (ए एफटी) पर राजस्व व्यय के लिए किया गया है।

7. **केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण:** इस प्रावधान में सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए राजपथ खंडों को विकसित करने के लिए तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति कतिपय रणनीतिक महत्व की सड़कों को निर्मित करने के लिए अनुदान शामिल है। यह व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से पूरा किया जाएगा।

11. **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड:** यह प्रावधान हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सब्सिडी देने के लिए किया गया है।

12. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन /कैंटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव व मरम्मत:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए है।

13. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग के लिए आवासीय सुविधाएंó -स्टाफ क्वार्टर:** यह प्रावधान कैंटीन भंडार विभाग, रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं के रखरखाव एवं मरम्मत सुविधाओं के लिए किया गया है। यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए तैयार आवासीय भवनों की खरीद के लिए है।

14. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र सेना अधिकरण-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन और रक्षा बल अभिकरण (एएफटी) के कार्यालय भवनों के रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन (डीईओ) के कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य के लिए है।

15. **विविध ऋण:** सीएसडी की यूनिट संचालित कैंटीन आदि के लिए विविध ऋणों के लिए प्रावधान। बजट प्रावधान वर्ष में सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर होता है।

16.01. **कैंटीन स्टोर विभाग:** कैंटीन भंडार विभाग इस मंत्रालय का विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। यह संपूर्ण भारत में रक्षा सेवा के सदस्यों को उचित एवं किफायती दरों पर घरेलू वस्तुएं एवं दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्य करता है। इस शीर्ष के अंतर्गत नेटवर्क व्यय (सकल व्यय से अधिक की प्राप्तियों) के लिए प्रावधान है।

17.01. **भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम:** इस शीर्ष (ईसीएचएस) के अंतर्गत प्रावधान में पारिवारिक पेंशनधारकों के साथ-साथ आश्रितों सहित पूर्व सैनिकों को चिकित्सीय उपचार प्रदान करने पर व्यय आता है जिसमें उनके पति/पत्नी, वैध बच्चे तथा पूर्णत: आश्रित माता-पिता शामिल हैं। ईसीएचएस एक अंशदायी योजना है। सेवा निवृत्ति पर सशस्त्र सेना का प्रत्येक कार्मिक एक निश्चित राशि का एक मुश्त योगदान करके अनिवार्य रूप से ईसीएचएस का सदस्य बनेगा। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न सैन्य तथा असैन्य स्टेशनों पर नए पॉलिक्लिनिकों को खोलकर भूतपर्वू सैनिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें ईसीएचएस संगठन के लिए आवश्यक आस्तियों/अवसंरचना सुविधाओं के अधिप्रापण पर पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान भी किए गए हैं जिसमें भूमि का क्रय, इमारतों का निर्माण करना तथा चिकित्सीय उपकरणों की खरीद शामिल है।

18.01. **सैनिक फार्म:** सैन्य फार्म मुख्यतः सशस्त्र बलों को डेयरी उत्पादों की विश्वसनीय आपूर्ति उपलब्ध करवाने और सेना द्वारा रखे जाने वाले पशुओं के लिए चारा के लिए ऐसे स्थानों पर जहां इस प्रकार की आपूर्ति सिविल साधनों से उपलब्ध नहीं होती के लिए बनाए गए हैं। कुछ स्टेशनों पर सैनिकों को उपलब्ध कराने के लिए सब्जियां भी उगाई जाती है। सैन्य फार्मों का पूंजीगत व्यय संयंत्र और मशीनरी की लागत, पशुओं की संख्या में वद्धि या कटौती एवं निर्माण कार्यों पर व्यय से संबंधित है।

रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	201692.80	...	201692.80	205125.80	...	205125.80	207920.71	...	207920.71	218782.71	...	218782.71
वसूलियां	*-12984.36*	...	*-12984.36*	*-13410.50*	...	*-13410.50*	*-12262.10*	...	*-12262.10*	*-13094.68*	...	*-13094.68*
प्राप्तियां	*-6587.01*	...	*-6587.01*	*-6392.11*	...	*-6392.11*	*-7540.51*	...	*-7540.51*	*-7202.27*	...	*-7202.27*
निवल	**182121.43**	**...**	**182121.43**	**185323.19**	**...**	**185323.19**	**188118.10**	**...**	**188118.10**	**198485.76**	**...**	**198485.76**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. थलसेना												
1.01 थलसेना के वेतन और भत्ते	81924.46	...	81924.46	80945.06	...	80945.06	82038.30	...	82038.30	86559.71	...	86559.71
1.02 सहायक बलों के वेतन और भत्ते तथा विविध खर्चे	1585.45	...	1585.45	1786.26	...	1786.26	1786.26	...	1786.26	1630.34	...	1630.34
1.03 नागरिकों के वेतन और भत्ते	5704.36	...	5704.36	6551.12	...	6551.12	6668.34	...	6668.34	7015.78	...	7015.78
1.04 परिवहन	3455.17	...	3455.17	3267.28	...	3267.28	4167.28	...	4167.28	4193.63	...	4193.63
1.05 निरीक्षण गुणवता लेखापरीक्षा महानिदेशालय (डीजीक्यूए)	1002.92	...	1002.92	1137.02	...	1137.02	1179.83	...	1179.83	1202.70	...	1202.70
1.06 भंडार	19161.45	...	19161.45	18336.75	...	18336.75	18868.08	...	18868.08	20337.40	...	20337.40
1.07 निर्माण कार्य	7773.96	...	7773.96	8024.18	...	8024.18	8002.01	...	8002.01	8322.12	...	8322.12
1.08 राष्ट्रीय राइफल्स	6799.70	...	6799.70	6610.51	...	6610.51	6610.51	...	6610.51	7003.25	...	7003.25
1.09 राष्ट्रीय कैडेट कोर	1353.69	...	1353.69	1561.81	...	1561.81	1529.18	...	1529.18	1607.28	...	1607.28
1.10 अन्य व्यय	2444.40	...	2444.40	2568.95	...	2568.95	2734.79	...	2734.79	2934.06	...	2934.06
1.11 घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-2800.33	...	-2800.33	-2712.41	...	-2712.41	-2768.41	...	-2768.41	-2721.08	...	-2721.08
निवल	*128405.23*	...	*128405.23*	*128076.53*	...	*128076.53*	*130816.17*	...	*130816.17*	*138085.19*	...	*138085.19*
2. नौसेना												
2.01 नौसेना के वेतन और भत्ते	6056.35	...	6056.35	6023.57	...	6023.57	6250.00	...	6250.00	6660.00	...	6660.00
2.02 नागरिकों के वेतन और भत्ते	2270.71	...	2270.71	2610.25	...	2610.25	2750.00	...	2750.00	2800.00	...	2800.00
2.03 परिवहन	463.93	...	463.93	500.74	...	500.74	545.74	...	545.74	585.74	...	585.74
2.04 मरम्मत और पुनर्सज्जा	1034.90	...	1034.90	1005.95	...	1005.95	1255.95	...	1255.95	1255.95	...	1255.95
2.05 भंडार	5095.52	...	5095.52	4947.35	...	4947.35	5542.35	...	5542.35	5812.35	...	5812.35

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.06	निर्माण कार्य	1356.86	...	1356.86	1493.59	...	1493.59	1430.07	...	1430.07	1600.07	...	1600.07
2.07	संयुक्त स्टाफ	2369.95	...	2369.95	2952.49	...	2952.49	3003.50	...	3003.50	3180.51	...	3180.51
2.08	अन्य व्यय	696.65	...	696.65	687.43	...	687.43	767.43	...	767.43	817.09	...	817.09
2.09	घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-629.82	...	-629.82	-650.00	...	-650.00	-750.00	...	-750.00	-500.00	...	-500.00
	निवल	*18715.05*	...	*18715.05*	*19571.37*	...	*19571.37*	*20795.04*	...	*20795.04*	*22211.71*	...	*22211.71*
3.	*वायुसेना*												
3.01	वायुसेना के वेतन और भत्ते	14019.37	...	14019.37	16127.11	...	16127.11	14563.16	...	14563.16	14962.04	...	14962.04
3.02	आरक्षित और सहायक बलों के वेतन और भत्ते	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.03	नागरिकों के वेतन और भत्ते	1395.30	...	1395.30	1625.75	...	1625.75	1552.80	...	1552.80	1623.66	...	1623.66
3.04	परिवहन	853.98	...	853.98	875.74	...	875.74	1070.62	...	1070.62	1169.96	...	1169.96
3.05	भंडार	8703.12	...	8703.12	8233.35	...	8233.35	8848.90	...	8848.90	9473.37	...	9473.37
3.06	निर्माण कार्य	2779.00	...	2779.00	2566.92	...	2566.92	2565.64	...	2565.64	2590.89	...	2590.89
3.07	विशेष परियोजनाएं	...	...	...	0.01	...	0.01	0.21	...	0.21	0.01	...	0.01
3.08	अन्य व्यय	668.03	...	668.03	692.39	...	692.39	781.76	...	781.76	781.76	...	781.76
3.09	घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-1025.60	...	-1025.60	-1300.00	...	-1300.00	-1277.66	...	-1277.66	-1000.00	...	-1000.00
	निवल	*27393.20*	...	*27393.20*	*28821.27*	...	*28821.27*	*28105.43*	...	*28105.43*	*29601.69*	...	*29601.69*
4.	*रक्षा आयुध निर्माणियां*												
4.01	निदेशन एवं प्रशासन	130.54	...	130.54	147.50	...	147.50	140.00	...	140.00	150.18	...	150.18
4.02	अनुसंधान एवं विकास	69.72	...	69.72	105.00	...	105.00	89.00	...	89.00	96.00	...	96.00
4.03	रखरखाव-मशीनरी एवं उपस्कर	36.76	...	36.76	58.00	...	58.00	32.00	...	32.00	40.00	...	40.00
4.04	विनिर्माण	5922.02	...	5922.02	6934.83	...	6934.83	6600.50	...	6600.50	6930.00	...	6930.00
4.05	परिवहन	137.00	...	137.00	183.25	...	183.25	137.00	...	137.00	155.00	...	155.00
4.06	नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	422.80	...	422.80	475.00	...	475.00	424.00	...	424.00	475.00	...	475.00
4.07	भंडार	6077.68	...	6077.68	5574.29	...	5574.29	5666.50	...	5666.50	5880.91	...	5880.91
4.08	निर्माण कार्य	254.21	...	254.21	380.25	...	380.25	240.00	...	240.00	250.00	...	250.00
4.09	नवीकरण आरक्षित निधि को/से अंतरण - नवीकरण आरक्षित निधि आयुध निर्माणियां	52.20	...	52.20	...	...	...	51.00	...	51.00	...	...	...
4.10	अन्य व्यय	1037.08	...	1037.08	1311.00	...	1311.00	1052.00	...	1052.00	1201.00	...	1201.00
4.11	घटाएं - थलसेना,नौसेना, वायुसेना आदि को की गई आपूर्तियों के लिए वसूलियां	-12434.59	...	-12434.59	-12862.14	...	-12862.14	-11764.74	...	-11764.74	-12546.32	...	-12546.32
4.12	घटाए राजस्व प्राप्तियां	-1852.02	...	-1852.02	-1579.70	...	-1579.70	-2194.44	...	-2194.44	-2581.19	...	-2581.19
	निवल	*-146.60*	...	*-146.60*	*727.28*	...	*727.28*	*472.82*	...	*472.82*	*50.58*	...	*50.58*
5.	*अनुसंधान और विकास*												
5.01	प्रशिक्षण	13.26	...	13.26	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
5.02	अनुसंधान/अनुसंधान विकास	1170.93	...	1170.93	1050.95	...	1050.95	1050.95	...	1050.95	1178.27	...	1178.27
5.03	सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते	413.54	...	413.54	435.20	...	435.20	435.20	...	435.20	440.00	...	440.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.04 नागरिकों के वेतन और भत्ते	2738.61	...	2738.61	2864.87	...	2864.87	2966.77	...	2966.77	3132.07	...	3132.07
5.05 परिवहन	139.56	...	139.56	185.00	...	185.00	185.00	...	185.00	200.00	...	200.00
5.06 भंडार	2391.76	...	2391.76	2475.20	...	2475.20	2475.20	...	2475.20	2550.00	...	2550.00
5.07 निर्माण कार्य	850.58	...	850.58	925.02	...	925.02	985.02	...	985.02	1020.00	...	1020.00
5.08 अन्य व्यय	315.55	...	315.55	320.50	...	320.50	360.50	...	360.50	396.25	...	396.25
5.09 घटाएं: राजस्व प्राप्तियां	-279.24	...	-279.24	-150.00	...	-150.00	-550.00	...	-550.00	-400.00	...	-400.00
निवल	*7754.55*	...	*7754.55*	*8126.74*	...	*8126.74*	*7928.64*	...	*7928.64*	*8536.59*	...	*8536.59*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**182121.43**	**...**	**182121.43**	**185323.19**	**...**	**185323.19**	**188118.10**	**...**	**188118.10**	**198485.76**	**...**	**198485.76**
कुल जोड़	***182121.43***	***...***	***182121.43***	***185323.19***	***...***	***185323.19***	***188118.10***	***...***	***188118.10***	***198485.76***	***...***	***198485.76***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. रक्षा सेवाएं-थल सेना	128405.23	...	128405.23	128076.53	...	128076.53	130816.17	...	130816.17	138085.19	...	138085.19
2. रक्षा सेवाएं-नौ सेना	18715.05	...	18715.05	19571.37	...	19571.37	20795.04	...	20795.04	22211.71	...	22211.71
3. रक्षा सेवाएं-वायु सेना	27393.20	...	27393.20	28821.27	...	28821.27	28105.43	...	28105.43	29601.69	...	29601.69
4. रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	-146.60	...	-146.60	727.28	...	727.28	472.82	...	472.82	50.58	...	50.58
5. रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	7754.55	...	7754.55	8126.74	...	8126.74	7928.64	...	7928.64	8536.59	...	8536.59
जोड़-सामान्य सेवाएं	**182121.43**	**...**	**182121.43**	**185323.19**	**...**	**185323.19**	**188118.10**	**...**	**188118.10**	**198485.76**	**...**	**198485.76**
कुल जोड़	**182121.43**	**...**	**182121.43**	**185323.19**	**...**	**185323.19**	**188118.10**	**...**	**188118.10**	**198485.76**	**...**	**198485.76**

अनुमानों का ब्यौरा रक्षा सेवाओं के रक्षा सेवा अनुमानों में दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	...	90438.40	90438.40	...	93982.13	93982.13	...	93982.13	93982.13	...	103380.34	103380.34
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**...**	**90438.40**	**90438.40**	**...**	**93982.13**	**93982.13**	**...**	**93982.13**	**93982.13**	**...**	**103380.34**	**103380.34**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
थलसेना												
1. भूमि	...	169.98	169.98	...	290.83	290.83	...	230.83	230.83	...	290.83	290.83
2. निर्माण कार्य	...	4865.87	4865.87	...	5164.27	5164.27	...	5394.27	5394.27	...	6181.18	6181.18
3. वायुयान एवं एयरो इंजन	...	1778.49	1778.49	...	1812.92	1812.92	...	2368.50	2368.50	...	2115.43	2115.43
4. भारी और मध्यम वाहन	...	2300.33	2300.33	...	1972.41	1972.41	...	1732.33	1732.33	...	2128.05	2128.05
5. अन्य उपस्कर	...	17846.79	17846.79	...	17197.68	17197.68	...	16993.38	16993.38	...	18562.15	18562.15
6. चल स्टाक	...	64.49	64.49	...	128.23	128.23	...	2.00	2.00	...	50.00	50.00
7. राष्ट्रीय राइफल्स	...	97.92	97.92	...	99.68	99.68	...	70.00	70.00	...	95.00	95.00
8. राष्ट्रीय कैडेट कोर	...	24.39	24.39	...	22.40	22.40	...	22.40	22.40	...	24.64	24.64
जोड़-थलसेना	**...**	**27148.26**	**27148.26**	**...**	**26688.42**	**26688.42**	**...**	**26813.71**	**26813.71**	**...**	**29447.28**	**29447.28**
नौसेना												
9. भूमि	...	519.17	519.17	...	70.71	70.71	...	27.71	27.71	...	50.53	50.53
10. निर्माण कार्य	...	789.40	789.40	...	850.00	850.00	...	828.00	828.00	...	1000.00	1000.00
11. वायुयान एवं एयरो इंजन	...	3088.98	3088.98	...	1900.00	1900.00	...	1900.00	1900.00	...	2400.00	2400.00
12. भारी और मध्यम वाहन	...	20.42	20.42	...	20.00	20.00	...	60.00	60.00	...	45.00	45.00
13. अन्य उपस्कर	...	3450.82	3450.82	...	4863.00	4863.00	...	3470.00	3470.00	...	3500.00	3500.00
14. नौसेना बेड़े	...	9311.75	9311.75	...	10300.00	10300.00	...	11313.00	11313.00	...	12182.00	12182.00
15. नौसेना गोदी/ परियोजनाएं	...	2281.02	2281.02	...	2000.00	2000.00	...	2405.00	2405.00	...	3050.00	3050.00
16. संयुक्त स्टाफ	...	657.02	657.02	...	844.45	844.45	...	887.16	887.16	...	928.90	928.90
जोड़-नौसेना	**...**	**20118.58**	**20118.58**	**...**	**20848.16**	**20848.16**	**...**	**20890.87**	**20890.87**	**...**	**23156.43**	**23156.43**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
वायुसेना												
17. भूमि	...	38.07	38.07	...	65.15	65.15	...	16.00	16.00	...	70.00	70.00
18. निर्माण कार्य	...	1916.22	1916.22	...	1956.02	1956.02	...	1715.27	1715.27	...	1837.30	1837.30
19. वायुयान एवं एयरो इंजन	...	25056.20	25056.20	...	24708.97	24708.97	...	24811.61	24811.61	...	24807.19	24807.19
20. भारी मध्यम वाहन	...	54.92	54.92	...	202.05	202.05	...	65.61	65.61	...	110.00	110.00
21. अन्य उपस्कर	...	7085.23	7085.23	...	8174.33	8174.33	...	8222.68	8222.68	...	11448.15	11448.15
22. विशेष परियोजनाएं	...	766.96	766.96	...	649.10	649.10	...	939.00	939.00	...	1030.00	1030.00
जोड़-वायुसेना	**...**	**34917.60**	**34917.60**	**...**	**35755.62**	**35755.62**	**...**	**35770.17**	**35770.17**	**...**	**39302.64**	**39302.64**
23. रक्षा आयुध निर्माणियां	...	797.45	797.45	...	803.68	803.68	...	803.68	803.68	...	884.05	884.05
24. अनुसंधान एवं विकास	...	7448.50	7448.50	...	9734.45	9734.45	...	9681.74	9681.74	...	10484.43	10484.43
25. निरीक्षण-गुणवत्ता लेखा परीक्षा महानिदेशालय (डीजीक्यूए)	...	8.01	8.01	...	9.96	9.96	...	19.96	19.96	...	10.96	10.96
तकनीकी विकास -सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिकृति विकास के लिए सहायता												
26. थलसेना की परियोजनाएं	...	...	...	...	127.29	127.29	...	2.00	2.00	...	50.00	50.00
27. वायुसेना की परियोजनाएं	...	...	...	...	14.55	14.55	...	...	...	...	44.55	44.55
जोड़-तकनीकी विकास -सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिकृति विकास के लिए सहायता	**...**	**...**	**...**	**...**	**141.84**	**141.84**	**...**	**2.00**	**2.00**	**...**	**94.55**	**94.55**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**...**	**90438.40**	**90438.40**	**...**	**93982.13**	**93982.13**	**...**	**93982.13**	**93982.13**	**...**	**103380.34**	**103380.34**
कुल जोड़	***...***	***90438.40***	***90438.40***	***...***	***93982.13***	***93982.13***	***...***	***93982.13***	***93982.13***	***...***	***103380.34***	***103380.34***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	90438.40	90438.40	...	93982.13	93982.13	...	93982.13	93982.13	...	103380.34	103380.34
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**90438.40**	**90438.40**	**...**	**93982.13**	**93982.13**	**...**	**93982.13**	**93982.13**	**...**	**103380.34**	**103380.34**
कुल जोड़	**...**	**90438.40**	**90438.40**	**...**	**93982.13**	**93982.13**	**...**	**93982.13**	**93982.13**	**...**	**103380.34**	**103380.34**

अनुमानों का ब्यौरा रक्षा सेवाओं के 'रक्षा सेवा अनुमान' एक पृथक दस्तावेज में दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 22

रक्षा पेंशन

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	91999.58	...	91999.58	108853.30	...	108853.30	106775.14	...	106775.14	112079.57	...	112079.57
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**91999.58**	**...**	**91999.58**	**108853.30**	**...**	**108853.30**	**106775.14**	**...**	**106775.14**	**112079.57**	**...**	**112079.57**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ												
1.01 थलसेना	81086.65	...	81086.65	95949.01	...	95949.01	90616.07	...	90616.07	95193.00	...	95193.00
1.02 नौसेना	4043.20	...	4043.20	4836.43	...	4836.43	5881.20	...	5881.20	6136.20	...	6136.20
1.03 वायुसेना	6858.75	...	6858.75	8032.33	...	8032.33	10257.57	...	10257.57	10730.07	...	10730.07
जोड़- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	*91988.60*	*...*	*91988.60*	*108817.77*	*...*	*108817.77*	*106754.84*	*...*	*106754.84*	*112059.27*	*...*	*112059.27*
2. पुरस्कार-थलसेना,नौसेना,वायुसेना	10.98	...	10.98	35.53	...	35.53	20.30	...	20.30	20.30	...	20.30
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**91999.58**	**...**	**91999.58**	**108853.30**	**...**	**108853.30**	**106775.14**	**...**	**106775.14**	**112079.57**	**...**	**112079.57**
कुल जोड़	***91999.58***	***...***	***91999.58***	***108853.30***	***...***	***108853.30***	***106775.14***	***...***	***106775.14***	***112079.57***	***...***	***112079.57***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	91999.58	...	91999.58	108853.30	...	108853.30	106775.14	...	106775.14	112079.57	...	112079.57
जोड़-सामान्य सेवाएं	**91999.58**	**...**	**91999.58**	**108853.30**	**...**	**108853.30**	**106775.14**	**...**	**106775.14**	**112079.57**	**...**	**112079.57**
कुल जोड़	**91999.58**	**...**	**91999.58**	**108853.30**	**...**	**108853.30**	**106775.14**	**...**	**106775.14**	**112079.57**	**...**	**112079.57**

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तीन सेनाओं अर्थात् थलसेना, नौसेना और वायुसेना के सेवानिवृत रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारियों सहित) तथा आयुध निर्माणियों आदि के भी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन का प्रभार उपलब्ध कराता है। इसमें सेवा पेंशन, उपदान, पारिवारिक पेंशन, अशक्तता पेंशन, पेंशन का सांराशीकरण मूल्य, छुट्टी नकदीकरण आदि का भुगतान शामिल है।

यह अत्यधिक आवश्यकता मुख्यत: पेंशनरों की संख्या में हुई वृद्धि 'वन रैंक वन पेंशन' के महंगाई राहत और बकाया के कारण हैं।

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तीन सेनाओं अर्थात् थलसेना, नौसेना और वायुसेना के सेवानिवृत रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारियों सहित) तथा आयुध निर्माणियों आदि के भी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन का प्रभार उपलब्ध कराता है। इसमें सेवा पेंशन, उपदान, पारिवारिक पेंशन, अशक्तता पेंशन, पेंशन का सांराशीकरण मूल्य, छुट्टी नकदीकरण आदि का भुगतान शामिल है।

यह अत्यधिक आवश्यकता मुख्यत: पेंशनरों की संख्या में हुई वृद्धि 'वन रैंक वन पेंशन' के महंगाई राहत और बकाया के कारण हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2277.61	290.75	2568.36	2326.00	734.00	3060.00	2368.42	321.06	2689.48	2325.90	734.10	3060.00
वसूलियां	*-0.01*	*-54.39*	-54.40	*...*	*-60.00*	*-60.00*	*...*	*-60.00*	*-60.00*	*...*	*-60.00*	*-60.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**2277.60**	**236.36**	**2513.96**	**2326.00**	**674.00**	**3000.00**	**2368.42**	**261.06**	**2629.48**	**2325.90**	**674.10**	**3000.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	13.79	...	13.79	14.73	...	14.73	14.67	...	14.67	15.25	...	15.25
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें												
2. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	310.40	24.84	335.24	340.00	40.00	380.00	570.36	37.00	607.36	500.00	80.00	580.00
3. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं	758.28	...	758.28	505.00	...	505.00	402.72	...	402.72	305.00	...	305.00
जोड़-पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	**1068.68**	**24.84**	**1093.52**	**845.00**	**40.00**	**885.00**	**973.08**	**37.00**	**1010.08**	**805.00**	**80.00**	**885.00**
पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल												
4. पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	700.47	160.52	860.99	690.00	310.00	1000.00	655.40	125.56	780.96	590.00	341.10	931.10
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)												
5.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम	...	...	...	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	444.65	...	444.65
5.02 पूर्वोत्तर में अभिशासन हेतु पक्ष-समर्थन और प्रचार तथा क्षमता वर्धन	...	...	...	20.00	...	20.00	...	...	...	...	...	...
5.03 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	...	...	...	30.00	...	30.00	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)	*...*	*...*	*...*	*180.00*	*...*	*180.00*	*140.00*	*...*	*140.00*	*494.65*	*...*	*494.65*
6. परामर्शी,मानीटरिंग,मूल्यांकन-एनएलसीपीआर स्कीम के तहत प्रभार	1.43	...	1.43	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़-पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	**701.90**	**160.52**	**862.42**	**872.00**	**310.00**	**1182.00**	**797.40**	**125.56**	**922.96**	**1086.65**	**341.10**	**1427.75**
आजीविका, कौशल एवं क्षमता निर्माण												
7. क्षमता निर्माण एवं प्रचार	49.59	...	49.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निवल	*49.58*	...	*49.58*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका (ईएपी) परियोजना (एनईआरएलपी)	214.95	...	214.95	180.00	...	180.00	180.00	...	180.00	38.00	...	38.00
जोड़-आजीविका, कौशल एवं क्षमता निर्माण	**264.53**	**...**	**264.53**	**180.00**	**...**	**180.00**	**180.00**	**...**	**180.00**	**38.00**	**...**	**38.00**
पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं												
9. पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त)												
9.01 परियोजना प्रबंधन इकाई	0.36	...	0.36	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
10. आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/सुधार	...	5.00	5.00	...	40.00	40.00	...	10.00	10.00	...	50.00	50.00
11. उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम												
11.01 कार्यक्रम घटक	...	12.00	12.00	...	250.00	250.00	...	54.50	54.50	...	200.00	200.00
11.02 ईएपी घटक	180.00	...	180.00	333.27	...	333.27	337.27	...	337.27	300.00	...	300.00
जोड़- उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम	*180.00*	*12.00*	*192.00*	*333.27*	*250.00*	*583.27*	*337.27*	*54.50*	*391.77*	*300.00*	*200.00*	*500.00*
जोड़-पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं	**180.36**	**17.00**	**197.36**	**334.27**	**290.00**	**624.27**	**338.27**	**64.50**	**402.77**	**301.00**	**250.00**	**551.00**
विशेष विकास पैकेज												
12. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	23.47	...	23.47	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	20.00	...	20.00
13. कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	1.50	...	1.50	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
14. दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	23.37	...	23.37	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़-विशेष विकास पैकेज	**48.34**	**...**	**48.34**	**80.00**	**...**	**80.00**	**65.00**	**...**	**65.00**	**80.00**	**...**	**80.00**
15. सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि	...	54.39	54.39	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00
	...	-54.39	-54.39	...	-60.00	-60.00	...	-60.00	-60.00	...	-60.00	-60.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2263.81**	**202.36**	**2466.17**	**2311.27**	**640.00**	**2951.27**	**2353.75**	**227.06**	**2580.81**	**2310.65**	**671.10**	**2981.75**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
16. उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	1.00	1.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
17. उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00
18. उत्तर पूर्व हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**...**	**4.00**	**4.00**	**...**	**4.00**	**4.00**	**...**	**4.00**	**4.00**	**...**	**2.00**	**2.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**...**	**34.00**	**34.00**	**...**	**34.00**	**34.00**	**...**	**34.00**	**34.00**	**...**	**3.00**	**3.00**
कुल जोड़	***2277.60***	***236.36***	***2513.96***	***2326.00***	***674.00***	***3000.00***	***2368.42***	***261.06***	***2629.48***	***2325.90***	***674.10***	***3000.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	13.79	...	13.79	14.73	...	14.73	14.67	...	14.67	15.25	...	15.25
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	14.15	...	14.15	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	20.59	...	20.59

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामान्य सेवाएं	**27.94**	**...**	**27.94**	**33.73**	**...**	**33.73**	**33.67**	**...**	**33.67**	**35.84**	**...**	**35.84**
सामाजिक सेवाएं												
3. अन्य सामाजिक सेवाएं	49.58	...	49.58	20.00	...	20.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**49.58**	**...**	**49.58**	**20.00**	**...**	**20.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
आर्थिक सेवाएं												
4. ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	2.00	2.00
5. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	1.00	1.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**...**	**34.00**	**34.00**	**...**	**34.00**	**34.00**	**...**	**34.00**	**34.00**	**...**	**3.00**	**3.00**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	512.99	...	512.99	634.00	...	634.00	864.36	...	864.36	965.06	...	965.06
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1687.09	...	1687.09	1638.27	...	1638.27	1470.39	...	1470.39	1325.00	...	1325.00
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	202.36	202.36	...	640.00	640.00	...	227.06	227.06	...	671.10	671.10
जोड़-अन्य	**2200.08**	**202.36**	**2402.44**	**2272.27**	**640.00**	**2912.27**	**2334.75**	**227.06**	**2561.81**	**2290.06**	**671.10**	**2961.16**
कुल जोड़	**2277.60**	**236.36**	**2513.96**	**2326.00**	**674.00**	**3000.00**	**2368.42**	**261.06**	**2629.48**	**2325.90**	**674.10**	**3000.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि0	2.00	0.56	2.56	...	...	...	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
2. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प निगम विकास लि0	2.00	0.53	2.53	...	...	...	2.00	0.54	2.54	1.00	0.78	1.78
जोड़	**4.00**	**1.09**	**5.09**	**...**	**...**	**...**	**4.00**	**0.54**	**4.54**	**2.00**	**0.78**	**2.78**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान।

2. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें:** ये स्कीमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती हैं। इनका उद्देश्य अन्य के साथ-साथ महत्वपूर्ण अंतर पाटने की जरूरत वाले क्षेत्रों को शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिवालय का भी व्यय शामिल है।

3. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं:** एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को बांस, सुअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, टेलीमेडिसिन, तथा पूर्वोत्तर में विज्ञान एवं तकनीक हस्तक्षेप आदि जैसे क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है।

4. **पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल:** केंद्रीय अव्यपगत संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का व्यापक उद्देश्य इस क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य अवसंरचनागत परियोजनाओं/स्कीमों के लिए बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और

सिक्किम में अवसंरचना के त्वरित विकास को सुनिश्चित करना है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को 10% आवश्यक ईयरमार्किंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं/स्कीमों तथा क्षेत्रीय तथा/या एनईआर में राष्ट्रीय वरीयता वाली स्कीमों को निधियन प्रदान करने में भी सक्षम बनाता है। इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रावधान है।

5.01. **पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस):** इस प्रावधान में उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) शामिल है, जिसे दो क्षेत्रों अर्थात (i) जल आपूर्ति, विद्युत, संपर्क एवं विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं; (ii) शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन में अंतर को पाटने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 15.12.2017 को अनुमोदित किया गया है।

5.02. **पूर्वोत्तर में अभिशासन हेतु पक्ष-समर्थन और प्रचार तथा क्षमता वर्धन:** इस स्कीम को वर्ष 2018-19 में बंद कर दिया गया है और ये गतिविधियां अब पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के अंतर्गत निष्पादित की जा रही हैं।

5.03. **पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस):** यह प्रावधान मणिपुर के पिछड़े जिले तामेंगलांग के विकास हेतु भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना के संवर्धन के लिए पायलट आधार पर किया गया है।

6. **परामर्शी,मानीटरिंग,मूल्यांकन-एनएलसीपीआर स्कीम के तहत प्रभार:** यह प्रावधान एनएलसीपीआर स्कीम की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए कंसलटेंट आदि रखने के लिए किया गया है।

8. **पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका (ईएपी) परियोजना (एनईआरएलपी):** उत्तर पूर्वी क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रामीण आबादी की रोजगार की जरूरतों, आय एवं प्राकृतिक संसाधन वहनीयता को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना को विश्व बैंक के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह प्रावधान परियोजना क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए किया गया है।

9. **पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त):** यह प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) के व्यय को पूरा करने के लिए है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र सड़क परियोजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाएगा।

10. **आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/सुधार:** इसे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलाया जाता है, जो इस क्षेत्र में निर्माण का कार्य देखता है और चालू सड़क स्कीमों पर भी केंद्रित करता है।

11.01. **कार्यक्रम घटक:** उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) को पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षित अंतर्राज्यीय सड़कों की पुनर्बहाली/निर्माण/उन्नयन के लिए प्रारंभ किया गया है।

11.02. **ईएपी घटक:** एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी राज्य सड़क विकास कार्यक्रम (नेसरिप) परियोजना का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/ उन्नयन के लिए किया गया है।

12. **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

13. **कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

14. **दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

15. **सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि:** यह एक विशेष निधि है जिसके माध्यम से अरूणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अवसंरचनागत सुविधाओं का निर्माण एवं उननयन किया जाता है।

16. **उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम:** उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) को गुवाहाटी स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय के साथ 9 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में निगमित किया गया था। नेडफी का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल व्यवहार्य औद्योगिक अवसंरचनागत एवं कृषि-बागवानी परियोजनाओं की पहचान, वित्तीय सहायता और पोषण द्वारा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इसका प्रावधान नेडफी को दीर्घकालिक सरल ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है।

17. **उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम:** उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामेक) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण एवं व्यापार को संचालित करता है। यह प्रावधान इसके व्यापार क्रियाकलापों के लिए निगम द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया है।

18. **उत्तर पूर्व हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.:** उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) को मार्च 1977 में इस क्षेत्र के उत्पादों तथा डिजाइन विकास, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा तैयार उत्पादों के विपणन के लिए विकासात्मक एवं प्रोत्साहन संबंधी आदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। मंत्रालय प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि जैसे संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों में होने वाली नकदी हानि की भरपाई के लिए एनईएचएचडीसी को ऋण मुहैया कराता है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मांग संख्या 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	27338.77	...	27338.77	22356.60	...	22356.60	25384.29	...	25384.29	25966.70	...	25966.70
वसूलियां	*-3400.00*	...	-3400.00	...	...	...	*-5391.32*	...	*-5391.32*	*-7750.36*	...	*-7750.36*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**23938.77**	**...**	**23938.77**	**22356.60**	**...**	**22356.60**	**19992.97**	**...**	**19992.97**	**18216.34**	**...**	**18216.34**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	12.59	...	12.59	13.50	...	13.50	14.94	...	14.94	15.68	...	15.68
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन												
2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन												
2.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ़) को अंतरण	...	...	...	...	...	...	5391.32	...	5391.32	7750.36	...	7750.36
2.02 अंतर्राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केंद्र	32.00	...	32.00	52.00	...	52.00	10.00	...	10.00	40.00	...	40.00
2.03 मिशन प्रबंधन	10.05	...	10.05	7.90	...	7.90	11.15	...	11.15	15.20	...	15.20
2.04 संस्थानों इत्यादि को सहायता	0.08	...	0.08	5.00	...	5.00	1.50	...	1.50	5.00	...	5.00
2.05 सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी	0.61	...	0.61	1.10	...	1.10	0.65	...	0.65	1.10	...	1.10
2.06 मानव संसाधन विकास	0.29	...	0.29	4.50	...	4.50	0.50	...	0.50	4.50	...	4.50
2.07 निगरानी एवं मूल्यांकन	3.94	...	3.94	6.50	...	6.50	5.00	...	5.00	6.50	...	6.50
2.08 सूचना, शिक्षा एवं संचार	0.76	...	0.76	5.00	...	5.00	3.50	...	3.50	70.00	...	70.00
2.09 प्रबंधन सूचना प्रणाली	...	...	...	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
2.10 अनुसंधान	0.11	...	0.11	1.00	...	1.00	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00
2.11 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू)	0.13	...	0.13	1.50	...	1.50	0.18	...	0.18	2.00	...	2.00
2.12 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - सामान्य कार्यक्रम	6488.16	...	6488.16	6611.00	...	6611.00	5391.32	...	5391.32	7750.36	...	7750.36

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.13 मरुभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम	201.62	...	201.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.14 विश्व बैंक सहायता (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक)	299.98	...	299.98	300.00	...	300.00	75.00	...	75.00	300.00	...	300.00
2.15 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक	0.23	...	0.23	1.50	...	1.50	0.18	...	0.18	2.00	...	2.00
2.16 घटाएं: केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ़) से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	-5391.32	...	-5391.32	-7750.36	...	-7750.36
निवल	*7037.96*	...	*7037.96*	*7000.00*	...	*7000.00*	*5500.00*	...	*5500.00*	*8200.66*	...	*8200.66*
स्वच्छ भारत मिशन												
3. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण												
3.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके) को अंतरण	3400.00	...	3400.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.02 निगरानी एवं मूल्यांकन	1.74	...	1.74	2.00	...	2.00	6.06	...	6.06	2.00	...	2.00
3.03 मानव संसाधन विकास	0.28	...	0.28	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3.04 अनुसंधान	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
3.05 सूचना - शिक्षा एवं संचार	266.42	...	266.42	300.00	...	300.00	120.00	...	120.00	190.13	...	190.13
3.06 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण	1.85	...	1.85	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
3.07 व्यावसायिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
3.08 ऋण पर ब्याज	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00	1357.50	...	1357.50
3.09 कार्यक्रम घटक	15726.25	...	15726.25	13616.10	...	13616.10	12436.41	...	12436.41	3920.37	...	3920.37
3.10 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक	891.68	...	891.68	1414.00	...	1414.00	1903.56	...	1903.56	4524.00	...	4524.00
3.11 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से पूरी की गई राशि	-3400.00	...	-3400.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*16888.22*	...	*16888.22*	*15343.10*	...	*15343.10*	*14478.03*	...	*14478.03*	*10000.00*	...	*10000.00*
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**23926.18**	**...**	**23926.18**	**22343.10**	**...**	**22343.10**	**19978.03**	**...**	**19978.03**	**18200.66**	**...**	**18200.66**
कुल जोड़	***23938.77***	***...***	***23938.77***	***22356.60***	***...***	***22356.60***	***19992.97***	***...***	***19992.97***	***18216.34***	***...***	***18216.34***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. जलापूर्ति और स्वच्छता	3443.94	...	3443.94	450.50	...	450.50	192.06	...	192.06	1740.43	...	1740.43
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3443.94**	**...**	**3443.94**	**450.50**	**...**	**450.50**	**192.06**	**...**	**192.06**	**1740.43**	**...**	**1740.43**
आर्थिक सेवाएं												
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	12.59	...	12.59	13.50	...	13.50	14.94	...	14.94	15.68	...	15.68
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**12.59**	**...**	**12.59**	**13.50**	**...**	**13.50**	**14.94**	**...**	**14.94**	**15.68**	**...**	**15.68**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2234.31	...	2234.31	1997.81	...	1997.81	1820.07	...	1820.07
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20481.99	...	20481.99	19635.79	...	19635.79	17781.16	...	17781.16	14619.66	...	14619.66
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.25	...	0.25	22.50	...	22.50	7.00	...	7.00	20.50	...	20.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	**20482.24**	**...**	**20482.24**	**21892.60**	**...**	**21892.60**	**19785.97**	**...**	**19785.97**	**16460.23**	**...**	**16460.23**
कुल जोड़	**23938.77**	**...**	**23938.77**	**22356.60**	**...**	**22356.60**	**19992.97**	**...**	**19992.97**	**18216.34**	**...**	**18216.34**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	...	...	...	...	...	...	...	15000.00	15000.00	...	...	...
जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**15000.00**	**15000.00**	**...**	**...**	**...**

1. **सचिवालय:** पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः नल जल आपूर्ति के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहायता देना है। इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों सहित सभी ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल प्रावधान के साथ उनके कवरेज, सहायक गतिविधियों (जैसे आईईसी, प्रशिक्षण, एमआईएस और कम्प्यूटराइजेशन आदि) और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण:** सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्व देना जारी रखा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)- एसबीएम (जी) की शुरूआत 2 अक्टूबर, 2014 को हुई थी। वर्तमान में 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए एसबीएम (जी) 685 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एसबीएम जी का लक्ष्य दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना है। स्कीम का बल, व्यवहार में परिवर्तन लाने और शौचालयों के उपयोग पर है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

मांग संख्या 25

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1497.88	55.43	1553.31	1704.28	100.00	1804.28	1704.15	100.00	1804.15	1788.05	118.00	1906.05
वसूलियां	*-11.80*	*-0.04*	-11.84	*-4.28*	*...*	*-4.28*	*-4.15*	*...*	*-4.15*	*-4.29*	*...*	*-4.29*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**1486.08**	**55.39**	**1541.47**	**1700.00**	**100.00**	**1800.00**	**1700.00**	**100.00**	**1800.00**	**1783.76**	**118.00**	**1901.76**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	33.70	...	33.70	36.20	...	36.20	40.90	...	40.90	43.00	...	43.00
2. मौसम विज्ञान	357.82	...	357.82	384.45	...	384.45	394.87	...	394.87	423.55	...	423.55
	-3.62	...	-3.62	-4.28	...	-4.28	-4.15	...	-4.15	-4.29	...	-4.29
निवल	*354.20*	*...*	*354.20*	*380.17*	*...*	*380.17*	*390.72*	*...*	*390.72*	*419.26*	*...*	*419.26*
3. समुद्रविज्ञानीय सर्वेक्षण (ओआरवी तथा एफओआरवी) तथा समुद्र सजीव संसाधन (एमएलआर)	30.32	...	30.32	30.00	...	30.00	28.50	...	28.50	30.00	...	30.00
4. राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.)	7.83	...	7.83	8.40	...	8.40	9.90	...	9.90	10.50	...	10.50
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**426.05**	**...**	**426.05**	**454.77**	**...**	**454.77**	**470.02**	**...**	**470.02**	**502.76**	**...**	**502.76**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
5. समुद्री सेवाएं, प्रौद्योगिकी, प्रेक्षण, संसाधन मॉडलिंग तथा विज्ञान (ओ. स्टोर्म्स)	310.63	9.96	320.59	384.00	15.00	399.00	445.00	15.00	460.00	...	...	...
6. समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	465.00	18.00	483.00
7. वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणालियां तथा सेवाएं (एकरॉस)	366.51	34.80	401.31	300.00	75.00	375.00	262.00	71.00	333.00	310.00	80.00	390.00
8. ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फेयर (पेसर)	126.88	...	126.88	225.00	...	225.00	145.00	...	145.00	143.00	...	143.00
9. भूकंप विज्ञान और भूगर्भविज्ञान (सेज)	75.99	10.67	86.66	100.00	10.00	110.00	82.00	14.00	96.00	95.00	20.00	115.00
10. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण लोक संपर्क (रीचआउट)	45.90	...	45.90	74.23	...	74.23	94.50	...	94.50	90.00	...	90.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**925.91**	**55.43**	**981.34**	**1083.23**	**100.00**	**1183.23**	**1028.50**	**100.00**	**1128.50**	**1103.00**	**118.00**	**1221.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस)	23.17	...	23.17	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	28.00	...	28.00
12. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. ओ.टी.)	28.10	...	28.10	32.00	...	32.00	44.68	...	44.68	35.00	...	35.00
13. राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसन्धान केंद्र (एन. सी. ऐ. ओ.आर.) गोवा	14.35	...	14.35	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00	...	...	...
14. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
15. भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञानं संस्थान (आई.आई.टी.एम.)	60.36	...	60.36	65.00	...	65.00	93.30	...	93.30	70.00	...	70.00
16. राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (ऐन सेस)	16.32	...	16.32	20.00	...	20.00	13.50	...	13.50	20.00	...	20.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**142.30**	**...**	**142.30**	**162.00**	**...**	**162.00**	**201.48**	**...**	**201.48**	**178.00**	**...**	**178.00**
अन्य												
17. वास्तविक वसूलियां	-8.18	-0.04	-8.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**134.12**	**-0.04**	**134.08**	**162.00**	**...**	**162.00**	**201.48**	**...**	**201.48**	**178.00**	**...**	**178.00**
कुल जोड़	***1486.08***	***55.39***	***1541.47***	***1700.00***	***100.00***	***1800.00***	***1700.00***	***100.00***	***1800.00***	***1783.76***	***118.00***	***1901.76***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. समुद्र विज्ञान अनुसंधान	531.01	...	531.01	716.00	...	716.00	713.18	...	713.18	726.00	...	726.00
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	48.53	...	48.53	82.63	...	82.63	104.40	...	104.40	100.50	...	100.50
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	33.36	...	33.36	36.20	...	36.20	40.90	...	40.90	43.00	...	43.00
4. मौसम विज्ञान	873.18	...	873.18	865.17	...	865.17	841.52	...	841.52	914.26	...	914.26
5. समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	9.96	9.96	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	18.00	18.00
6. मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	...	45.43	45.43	...	85.00	85.00	...	85.00	85.00	...	100.00	100.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1486.08**	**55.39**	**1541.47**	**1700.00**	**100.00**	**1800.00**	**1700.00**	**100.00**	**1800.00**	**1783.76**	**118.00**	**1901.76**
कुल जोड़	**1486.08**	**55.39**	**1541.47**	**1700.00**	**100.00**	**1800.00**	**1700.00**	**100.00**	**1800.00**	**1783.76**	**118.00**	**1901.76**

1. **सचिवालय:** यह बजट प्रावधान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए अपेक्षित है ।

2. **मौसम विज्ञान:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) जलवायु एवं मौसम सेवाओं तथा सभी संबद्ध विषयों सहित वायुमंडलीय विज्ञान के सभी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में प्रधान सरकारी एजेंसी है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: (i) मौसम-वैज्ञानिक प्रेक्षण करना तथा मौसम-संवेदी कार्यकलापों यथा कृषि, सिंचाई, विमानन, तीर्थाटन इत्यादि के इष्टतम प्रचालन हेतु मौजूदा मौसम-वैज्ञानिक पूर्वानुमान मुहैया कराना। (ii) जान-माल को नुकसान पहुंचाने वाली प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं यथा उष्णदेशीय चक्रवात, धूल भरी आंधियों, गरज के साथ तूफान, भारी वर्षा तथा हिमपात, शीत लहर तथा लू इत्यादि की चेतावनी देना, तथा (iii) विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रयोक्ता अनुकूल मौसम वैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करने हेतु कृषि, जल विज्ञान, समुद्र-विज्ञान, वायु प्रदूषण निगरानी तथा पूर्वानुमान के क्षेत्रों में देश में अन्य वैज्ञानिक संगठनों के साथ सम्पर्क कायम रखना।

3. **समुद्रविज्ञानीय सर्वेक्षण (ओआरवी तथा एफओआरवी) तथा समुद्र सजीव संसाधन (एमएलआर):** केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन तथा दक्षिणी महासागर सहित भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में सजीव तथा निर्जीव दोनों ही प्रकार के संसाधनों के अन्वेषण करने हेतु बहु-विषयात्मक समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करने के लिए समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान (ओआरवी) -

सागर कन्या तथा मात्स्यिकी समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान (एफओआरवी) –सागर सम्पदा प्रमुख प्लेटफॉर्म रहे हैं । समुद्री सजीव संसाधन (एमएलआर) –कार्यक्रम का प्रारंभ मात्स्यिकी संसाधनों का आकलन करने तथा भौतिक और जैविक अन्योन्यक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए किया गया था। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से दोहन योग्य संसाधन प्राप्त करने के लिए इन कार्यक्रमों के तहत आकलन सर्वेक्षण तथा मॉनीटरिंग के कार्यकलाप अत्यावश्यक हैं। समुद्री सजीव संसाधन तथा पारिस्थितिकी केन्द्र (सीएमएलआरई) ने उपग्रह तथा स्व-स्थाने डेटा का उपयोग करके भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 4.32 एमटीए की मत्स्य संभावना का व्यवस्थित रूप से अनुमान लगाया है।

4. **राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.):** राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र लगातार अनुसंधान, विकास के द्वारा भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में बढ़ी हुई विश्वसनीयता तथा सटीकता के साथ आधुनिक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों का विकास कर रहा है और ज्ञान, कौशल तथा तकनीकी आधारों के उच्चतम स्तर को बनाए रखते हुए नवीन और नवोन्मेषी अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करता है।

6. इस स्कीम में कुल 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं जिसमें समुद्री विकासात्मक गतिविधियों यथा, सेवाएं, प्रौद्योगिकी,संसाधान, प्रेक्षण और विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं। अगस्त 2018 में, 1623 करोड़ रू की कुल लागत पर वर्ष 2017-18 से 2019-2020 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु ओ-स्मार्ट को एक एम्ब्रैला (व्यापक) स्कीम के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया। ओ-स्मार्ट में उच्चतम बहु विषयात्मक स्कीमों के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई हैं जो ब्लू अर्थव्यवस्था में धारणीय तरीके से वृहद समुद्री संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग के लिए योगदान देते हैं। इस स्कीम के तहत विकसित की गई प्रौद्योगिकियों से भारत के आसपास के समुद्रों में सजीव और निर्जीव दोनों संसाधनों के वृहद समुद्री संसाधनों का दोहन करने में मदद मिलेगी। ओ-स्मार्ट धारणीय विकास के लिए महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधानों के संरक्षण और धारणीय उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्य-14 को प्राप्त करने में योगदान देगा। इस स्कीम के तहत प्रदान की जा रही तथा विकसित की जा रही समुद्री परामर्शी सेवाएं और प्रौद्योगिकियां, भारत की तटीय राज्यों सहित समुद्री पर्यावरण में कार्य करने वाली दर्जन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है, जो जीडीपी में काफी योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त, समुद्री आपदाओं जैसे कि सुनामी, तूफान मर्होमि के लिए संस्थापित की गई यूनेस्को से मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियां, भारत और हिंद महासागर देशों के लिए भी चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान कर रही है। महत्वपूर्ण डिलीवरेब्लस में (i) समुद्री प्रेक्षणों और मॉडलिंग को सुदृढ़ बनाना (ii) मछुआरों के लिए समुद्री सेवाओं को सुदृढ़ बनाना, (iii) वर्ष 2018 में समुद्री प्रदूषण की मॉनीटरिंग के लिए समुद्री तटीय वेधशालाओं की स्थापना (iv) कावाराती में समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांरतण संयंत्र (ओटेक) की संस्थापना (v) तटीय अनुसंधान के लिए 2 तटीय अनुसंधान जलयानों का प्रापण (vi) खनिजों और सजीव संसाधनों के लिए समुद्री सर्वेक्षण और अन्वेषण जारी रखना। (vii) गहरा समुद्री खनन- गहरी खनन प्रणाली और मानव सहित पनडुब्बीनुमा यंत्र के लिए प्रौद्योगिकी विकास और (ix) लक्षद्वीप में छह विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करना शामिल है।

7. **वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणालियां तथा सेवाएं (एकरॉस):** नवंबर,2018 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई अक्रॉस स्कीम में 1450 करोड़ रू की अनुमानित लागत पर वर्ष 2017-2020 के दौरान कार्यान्वयन हेतु नौ-उपस्कीमें शामिल है। इसका लक्ष्य वर्ष 2020-21 के दौरान और उस से आगे 130 करोड़ रू की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ वायुवाहित अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय सुविधा (एनएफएआर) की स्थापना करना है। यह स्कीम उन्नत मौसम, जलवायु और समुद्री पूर्वानुमान और सेवाएं उपलब्ध करवाएगी, जिससे सार्वजनिक मौसम सेवा, आपदा प्रबंधन, कृषि मौसम वैज्ञानिक सेवाएं, विमानन सेवाएं, पर्यावरणीय मॉनीटरिंग सेवाएं, जल मौसम वैज्ञानिक सेवाएं, जलवायु सेवाएं,पर्यटन, तीर्थयात्रा, ऊर्जा उत्पादन,जल प्रबंधन, खेल और एडवेंचर आदि जैसी विभिन्न सेवाओं तक बराबर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। अंतिम प्रयोक्ता तक मौसम आधारित सेवाओं की अंतिम मील संयोजकता को सुनिश्चित करने के लिए, कई बड़ी एजेंसियों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केन्द्र, विश्वविद्यालयों और स्थानीय नगर निगमों को एक साथ लाया गया है जिससे कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। अक्रॉस स्कीम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और यह चक्रवातों, तूफान मर्होमि, लू और गरज के साथ तूफान आदि की चेतावनी सहित मौसम एवं जलवायु सेवाओं के भिन्न–भिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करती है। अक्रॉस स्कीम का उद्देश्य , समाज के लाभ हेतु एक विश्वसनीय मौसम और जलवायु पूर्वानुमान उपलब्ध करवाना है, स्कीम का लक्ष्य, धारणीय प्रेक्षणों, गहन आर एंड डी के माध्यम से मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के कौशल में सुधार करना तथा प्रभावी प्रसारण और संचार कार्य-नीतियां अपना कर कृषि मौसम वैज्ञानिक सेवाएं, विमानन सेवा, पर्यावरणीय मॉनीटरिंग सेवाएं, जल-मौसम वैज्ञानिक सेवाएं, जलवायु सेवाएं, पर्यटन,तीर्थ यात्रा, पर्वतारोहण इत्यादि जैसी सेवाओं को अंतिम प्रयोक्ता तक समय पर पहुंचाना शामिल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास मौसम, जलवायु तथा प्राकृतिक आपदा संबंधी परिघटना का पूर्वानुमान देने हेतु क्षमता का विकास और उसमें सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियां करने का अधिदेश प्राप्त है। इस दिशा में, एमओईएस ने प्रेक्षण प्रणालियों और अवसंरचना का संवर्धन, विशेष अभियानों के माध्यम से प्रक्रियाओं को समझने, मौसम और जलवायु मॉडलिंग, मानसून- अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन विज्ञान तथा जलवायु सेवाएं आदि जैसी विशिष्ट स्कीमों को तैयार करने हेतु कई पहल की हैं। इन स्कीमों में बहु-संस्थान शामिल है जहां प्रत्येक यूनिट को उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट भूमिका दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, विशिष्ट उद्देश्यों और बजट के साथ यह सभी स्कीम एकीकृत तरीके से कार्यान्वित की जाएगी और एम्ब्रैला स्कीम " अक्रॉस' के तहत शामिल की जाएगी ।

8. **ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फेयर (पेसर):** यह कार्यक्रम, अंटार्कटिक, आर्कटिक तथा हिमालय के हिमनदों पर विशेष बल देते हुए, ध्रुवीय तथा हिमांकमंडल से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन (i) प्रेक्षण प्रणाली की स्थापना, धारणीयता तथा विस्तार (ii) आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिमालय और दक्षिणी महासागर हेतु अभियान तथा संबंधित कार्यकलाप (iii) आर्कटिक, अंटार्कटिका तथा हिमालय में भारतीय स्टेशनों की स्थापना/अनुरक्षण (iv) ध्रुवीय अनुसंधान जलयान का प्रापण करने हेतु डिज़ाइन किया गया है ।

9. **भूकंप विज्ञान और भूगर्भविज्ञान (सेज):** इस प्रोग्राम के कार्य हैं: (i) भूकंप और सभी संबंधित भूकंप विज्ञानी सूचना, सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण को मॉनीटर करने और सूचना उपलब्ध कराने के लिए भूकंप विज्ञानी प्रेक्षण प्रणालियों को कायम रखना एवं सुदृढ़ बनाना, (ii) ठोस पृथ्वी और भूविज्ञान से संबंधित अनुसंधान, (iii) भूकंप आपदा न्यूनीकरण के लिए भूकंप सूचनाएं, (iv) कोयना, वरना क्षेत्र में गहरा वेध छिद्र अन्वेषण (v)समुद्री भू-वैज्ञानिक अध्ययन, सबसे बड़े जियोइड लॉ का अध्ययन, एकीकृत महासागर वेधन कार्यक्रमों के माध्यम से अरब सागर बेसिन में गहरा-सागर वेधन का अध्ययन तथा इतिहास तथा जलवायु विचलनों के पुन: निर्माण के लिए संबंधित अध्ययन,अपक्षरण की दर (v) पर्पटी प्रक्रियाएं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, तटीय प्रक्रियाएं आदि।

10. **अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण लोक संपर्क (रीचआउट):** प्रौद्योगिकी विकास सहित पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक/अनुसंधान संगठनों को बाहरी सहयोग प्रदान करने के लिए,, (ii) बहु-संस्थागत एवं बहु-विषयात्मक वैज्ञानिक विशेषज्ञता के एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना, (iii) राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करना, (iv) चेयर प्रोफेसरों, एम.टेक पाठ्यक्रमों सहित क्षमता निर्माण, ईएसटीसी सेल की स्थापना, ज्ञान सूचना प्रणाली, आर्थिक लाभ, स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देना, (iv) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान और जलवायु, समुद्र-विज्ञान, प्रचालनात्मक मौसम विज्ञान, प्रशिक्षण के लिए आधुनिक स्कूल, बिम्सटेक देशों आदि के लिए प्रशिक्षण, (v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संबंधित संयुक्त क्रियाकलाप, (vi) मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से जागरूकता और बाहरी कार्यक्रम करना, विशिष्ट दिवसों को मनाना, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संबंधी क्षेत्रों में कार्यशालाओं/सेमिनारों/संगोष्ठियों को बढ़ावा/सहयोग देना।

11. **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस):** यह सतत महासागर प्रेक्षणों के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को समुद्री सूचना और परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है और प्रणाली-बद्ध एवं केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से निरंतर सुधारों को करता है।

12. **राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. ओ.टी.):** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एनआईओटी को शुरू करने का प्रमुख लक्ष्य भारत के भूमि क्षेत्रफल के लगभग दो तिहाई भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में सजीव और निर्जीव संसाधनों के दोहन से जुड़ी विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विश्वसनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना है।

14. **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा:** एनसीपीओआर प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में किए जाने वाले देश के अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य ध्रुवीय और महासागर विज्ञान, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अरब सागर में विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ और गहरा सागर वेधन आदि करना है।

15. **भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञानं संस्थान (आई.आई.टी.एम.):** आआईआईटीएम मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के सुधार के लिए अपेक्षित महासागर-वायुमंडल जलवायु प्रणाली से संबंधित मूलभूत अनुसंधान और दीर्घावधि पूर्वानुमान के लिए पृथ्वी प्रणाली मॉडल के विकास का कार्य तथा जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के प्रेक्षण का कार्य करता है। इन लक्ष्यों को संबंधित वैज्ञानिक कार्यक्रमों (प्रेक्षणों और मॉडलिंग सहित) को करके महासागर- वायुमंडल में आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से तथा उत्कृष्ट अनुसंधान और टेलेंट के मानव संसाधन विकास की निरंतर प्रक्रिया के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

16. **राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (ऐन सेस):** एनसेस, ठोस पृथ्वी विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में बहु-विषयात्मक अनुसंधान करता है, पृथ्वी विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए इस ज्ञान का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करता है तथा चुनिंदा क्षेत्रों में नेतृत्व क्षमताओं का निर्माण करता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 26

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3819.78	219.76	4039.54	5675.00	325.00	6000.00	6070.74	310.26	6381.00	6072.00	348.00	6420.00
वसूलियां	*-39.65*	...	-39.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**3780.13**	**219.76**	**3999.89**	**5675.00**	**325.00**	**6000.00**	**6070.74**	**310.26**	**6381.00**	**6072.00**	**348.00**	**6420.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	85.15	...	85.15	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	110.24	...	110.24
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	919.19	156.97	1076.16	910.00	190.00	1100.00	1017.36	190.00	1207.36	970.00	180.00	1150.00
3. नियामक प्राधिकरण												
3.01 परीक्षण तथा गुणवत्ता मानकीकरण प्रमाणन (एकटीक्यूसी)	89.16	4.05	93.21	100.00	10.00	110.00	102.00	8.00	110.00	110.00	10.00	120.00
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	22.92	...	22.92	40.00	...	40.00	31.83	...	31.83	42.00	...	42.00
3.03 प्रमाणीकरण प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	5.94	...	5.94	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
जोड़- नियामक प्राधिकरण	*118.02*	*4.05*	*122.07*	*147.00*	*10.00*	*157.00*	*140.83*	*8.00*	*148.83*	*160.00*	*10.00*	*170.00*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1122.36**	**161.02**	**1283.38**	**1157.00**	**200.00**	**1357.00**	**1258.19**	**198.00**	**1456.19**	**1240.24**	**190.00**	**1430.24**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजीटल इंडिया कार्यक्रम												
4. इलेक्ट्रानिकी शासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	260.53	...	260.53	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00
4.02 ईएपी घटक	16.75	...	16.75	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
जोड़- इलेक्ट्रानिकी शासन	*277.28*	*...*	*277.28*	*425.00*	*...*	*425.00*	*425.00*	*...*	*425.00*	*450.00*	*...*	*450.00*
5. जनशक्ति विकास	256.58	...	256.58	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	400.76	...	400.76
6. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	135.00	...	135.00	150.00	...	150.00	320.00	...	320.00	160.00	...	160.00
7. इलेक्ट्रॉनिकी / आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स)	409.38	50.99	460.37	774.22	90.00	864.22	775.13	69.09	844.22	876.00	110.00	986.00
8. आईटी / आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन	42.66	...	42.66	50.00	...	50.00	43.81	...	43.81	100.00	...	100.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य)	47.94	7.75	55.69	75.00	35.00	110.00	66.83	43.17	110.00	72.00	48.00	120.00
10. आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास	100.93	...	100.93	178.00	...	178.00	180.00	...	180.00	300.00	...	300.00
11. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00	438.00	...	438.00	400.00	...	400.00
12. डिजिटल भुगतान का संवर्धन	23.08	...	23.08	595.78	...	595.78	691.78	...	691.78	600.00	...	600.00
जोड़-डिजीटल इंडिया कार्यक्रम	**1392.85**	**58.74**	**1451.59**	**2948.00**	**125.00**	**3073.00**	**3240.55**	**112.26**	**3352.81**	**3358.76**	**158.00**	**3516.76**
13. महिला सुरक्षा योजनाएं												
13.01 महिलाओं के सहायतार्थ घबराहट स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण का फील्ड परीक्षण और परियोजना विकास	1.02	...	1.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13.02 निर्भया निधि से प्राप्त	-1.02	...	-1.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**1392.85**	**58.74**	**1451.59**	**2948.00**	**125.00**	**3073.00**	**3240.55**	**112.26**	**3352.81**	**3358.76**	**158.00**	**3516.76**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
14. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	92.00	...	92.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
15. सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट)	13.95	...	13.95	20.00	...	20.00	24.71	...	24.71	30.00	...	30.00
16. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	42.00	...	42.00	70.00	...	70.00	97.29	...	97.29	90.00	...	90.00
17. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई)	1150.00	...	1150.00	1375.00	...	1375.00	1345.00	...	1345.00	1227.00	...	1227.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**1297.95**	**...**	**1297.95**	**1565.00**	**...**	**1565.00**	**1567.00**	**...**	**1567.00**	**1467.00**	**...**	**1467.00**
अन्य												
18. डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया	5.60	...	5.60	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
19. वास्तविक वसूलियां	-38.63	...	-38.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-33.03**	**...**	**-33.03**	**5.00**	**...**	**5.00**	**5.00**	**...**	**5.00**	**6.00**	**...**	**6.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**1264.92**	**...**	**1264.92**	**1570.00**	**...**	**1570.00**	**1572.00**	**...**	**1572.00**	**1473.00**	**...**	**1473.00**
कुल जोड़	***3780.13***	***219.76***	***3999.89***	***5675.00***	***325.00***	***6000.00***	***6070.74***	***310.26***	***6381.00***	***6072.00***	***348.00***	***6420.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	2739.15	...	2739.15	4357.00	...	4357.00	4616.38	...	4616.38	4639.76	...	4639.76
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1004.32	...	1004.32	1010.00	...	1010.00	1117.36	...	1117.36	1080.24	...	1080.24
3. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	36.66	...	36.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	62.79	62.79	...	135.00	135.00	...	120.26	120.26	...	168.00	168.00
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	...	156.97	156.97	...	190.00	190.00	...	190.00	190.00	...	180.00	180.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**3780.13**	**219.76**	**3999.89**	**5367.00**	**325.00**	**5692.00**	**5733.74**	**310.26**	**6044.00**	**5720.00**	**348.00**	**6068.00**
अन्य												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	308.00	...	308.00	337.00	...	337.00	352.00	...	352.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**308.00**	**...**	**308.00**	**337.00**	**...**	**337.00**	**352.00**	**...**	**352.00**
कुल जोड़	**3780.13**	**219.76**	**3999.89**	**5675.00**	**325.00**	**6000.00**	**6070.74**	**310.26**	**6381.00**	**6072.00**	**348.00**	**6420.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना खर्च के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय, जो नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, अनुप्रयोग और सेवाएं एक प्रमुख वैज्ञानिक/ तकनीकी संगठन है।

3.01. **परीक्षण तथा गुणवत्ता मानकीकरण प्रमाणन (एकटीक्यूसी):** मानकीकरण, परिक्षण, और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी): एसटीक्यूसी निदेशालय एमईआईटीवाई का एक संबद्ध कार्यालय है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के लिए परीक्षण, अंशशोधन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन):** आईटी अधिनियम 2000 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार सर्ट-इन को स्थापित किया गया है। सर्ट-इन साइबर घटनाओं पर सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार, सुरक्षा प्रक्रियाओं, पद्धतियों, साइबर घटनाओं की रोकथाम, प्रत्योत्तर और रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा- निदेश, परामर्श निदेश, सुभेदयता नोट और श्वेतपत्र जारी करने जैसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में विभिन्न कार्य करता है।

3.03. **प्रमाणीकरण प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए):** सीसीए प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 18 के तहत सीसीए सीए की सार्वजनिक कुंजियों के मानकों को बनाए रखने जाने तथा सीए के अन्य कार्यो को प्रमाणित करता है।

4. **इलेक्ट्रानिकी शासन:** व्यापक रूप में ई-गवर्नेंस का उद्देश्य है कि नागरिकों को विभिन्न मोड के माध्यम से एकीकृत और अंतर-प्रचलित प्रणालियों के माध्यम से उसके इलाके में सस्ती कीमत पर दक्षता, पारदर्शिता से सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकी के माध्यम से प्रदायगी सुनिश्चित करना है। विश्व बैंक समर्थित "इंडिया: लोक सेवाओं की ई-प्रदायगी" परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी शासन योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है जिसके तहत नीतियों, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, परियोजना के विकास आदि के व्यापक क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्यों की विभिन्न ई-शासन पहलों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. **जनशक्ति विकास:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित जन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इन पहलों में औपचारिक क्षेत्रों में कमी का पता लगाना और गैर-औपचारिक और औपचारिक क्षेत्र और नियोजन कार्यक्रमों से इस कमी को दूर करना शामिल करना है।

6. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** इस योजना को देश भर में कई गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना करने तथा ज्ञान संस्थानों से कनेक्ट करने के लिए शुरू किया गया है।

7. **इलेक्ट्रॉनिकी / आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स):** सरकार उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने हेतु देश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के संवर्धन हेतु निरंतर आधार पर अनेक कार्यक्रम शुरू कर रही है। इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है और निवल शून्य आयात हासिल करने का लक्ष्य इस इरादे को प्रतिबिम्बित करता है। इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है और भारत में इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर विनिर्माण केन्द्र बनने की विपुल संभावना है। और यह जीडीपी, रोजगार अवसरों और निर्यातों में महत्वपूर्ण अंशदान कर सकती है।

8. **आईटी / आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में बीपीओ / आईटीईएस के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए और आईटी/ आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, आईटी के लिए नौकरियां स्तंभ के अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईबीपीएस और आईबीपीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

9. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य):** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास, कानूनी ढांचे और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहलें शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है।

10. **आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास के समर्थन से उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समावेश तथा इस कार्यक्रम के अतिरिक्त आवश्यक अनुसंधान एवं विकास के लिए बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक और तकनीकी जन पूंजी तैयार करना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में स्टॉर्ट–अप आधार बढ़ाने, आईपी पोर्टफोलियो को बढ़ाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और भारतीय कंपनियों को निर्माण के लिए उसका हस्तांतरण अपेक्षित है। विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान एवं विकास को वर्गीकृत किया गया है (इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और अनुप्रयोग ; ई-कचरा प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी सहित इलेक्ट्रॉनिकी घटक और सामग्री प्रौद्योगिकी

अर्धचालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) सहित नैनो और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिकी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, और नवप्रवर्तन प्रोत्साहन एवं स्टार्ट-अप); आईटी में अनुसंधान एवं विकास ; राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन सहित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी), प्रसेप्शन इंजीनियरिंग, जैव सूचना विज्ञान; नि: शुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, ग्रीन और सर्वव्यापी कम्प्यूटिंग ; डिजिटल संरक्षण) और सीसी और बीटी में आर एंड डी (अगली पीढ़ी का संचार-5जी और इससे परे, संज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो नेटवर्क, क्लॉउड संचार, आईओटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी) के रूप में परिभाषित किया गया है ।

11. **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान:** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को राष्ट्र निर्माणकी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, खासकर डिजिटल भुगतान के लिए कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस संचालित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

12. **डिजिटल भुगतान का संवर्धन:** हमारे देशे के प्रत्येक भाग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक दायरे में लाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल भुगतानों के प्रोत्साहन को उच्चतम प्राथमिकता दी है।

14. **प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसके वेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुम्बई, नोएडा, पुणे, सिलचर तथा तिरूवनंतपुरम शहरों में 11 केन्द्र हैं। सी-डैक जिन क्षेत्रों में फिलहाल काम कर रहा है उनमें उच्च कार्यनिष्पादन, ग्रिड और क्लाउड कम्प्यूटिंग का (राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन सहित); वहुभाषी कम्प्यूटिंग; पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी; सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी; साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक; स्वास्थ्य सूचना; और शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल हैं ।

15. **सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट):** यह डीईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो अत्याधिक उच्च इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और सेमीकन्डक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों और आरओएचएस अनुपालन, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए सामग्री, माइक्रोवेव डाइइलेक्ट्रिक्स तथा पैकेजिंग, स्मार्ट शहरों के लिए ऐक्टुयेटर्स तथा सेंसर के लिए बहुपरतीय सेरामिक्स, सुपरकैपेसिटर्स उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है तथा पुणे, हैदराबाद और त्रिशूर में इसके तीन केन्द्र हैं। इसने होमलैंड सुरक्षा के लिए टेरा हर्ट्ज सामग्री पर एक नये केंद्र की स्थापना की योजना बनाई है।

16. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेब और विद्युत चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास में विशेष लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केन्द्र हैं।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई): यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) का उद्देश्य , विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रदायगी और इन सेवाओं के प्रभावी लक्ष्य-निर्धारण के लिए एक बुनियादी पहचान ढांचा प्रदान करना है । इसका अन्य उद्यम और सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी सेवा डिलीवरी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह ऐसे अनुप्रयोगों और सेवाओं की पुष्टि / सत्यापन के रूप में आधार में शामिल अनोखी बायोमेट्रिक विशेषताओं के माध्यम से व्यक्तियों की ऑनलाइन पहचान निर्धारित करता है जिससे पहचान के प्रमाण और उपस्थिति के प्रमाण का भी निर्धारण किया जाता है ।

18. **डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया:** यह एमईआईटीवाई के अंतर्गत धारा 8 कम्पनी के रूप में गठन किया गया है, जो आम आदमी के लिए आजीविका सृजन, विकलांगों का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण के क्षेत्र में आईसीटी समाधान के लाभ पर केंद्रित रूप से कार्य करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मांग संख्या 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4242.15	35.53	4277.68	2594.67	88.75	2683.42	2683.41	50.01	2733.42	3219.20	64.52	3283.72
वसूलियां	*-1098.41*	*...*	-1098.41	*...*	*...*	*...*	*-50.00*	*...*	*-50.00*	*-100.00*	*...*	*-100.00*
प्राप्तियां	*-552.66*	*...*	*-552.66*	*-8.00*	*...*	*-8.00*	*-8.00*	*...*	*-8.00*	*-8.00*	*...*	*-8.00*
निवल	**2591.08**	**35.53**	**2626.61**	**2586.67**	**88.75**	**2675.42**	**2625.41**	**50.01**	**2675.42**	**3111.20**	**64.52**	**3175.72**

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1.	सचिवालय	89.36	...	89.36	131.17	...	131.17	136.99	...	136.99	143.00	...	143.00
2.	*संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय*												
2.01	प्रादेशिक कार्यालय	28.84	3.72	32.56	35.00	5.50	40.50	35.00	1.67	36.67	36.00	5.00	41.00
2.02	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	4.40	...	4.40	5.80	...	5.80	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
2.03	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	6.89	...	6.89	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
2.04	भारतीय वन सर्वेक्षण	24.18	0.29	24.47	33.00	1.30	34.30	33.00	0.37	33.37	35.00	0.52	35.52
2.05	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	45.76	0.60	46.36	50.00	6.55	56.55	50.00	3.48	53.48	52.00	13.00	65.00
2.06	राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	14.23	2.75	16.98	16.00	7.40	23.40	16.10	6.78	22.88	17.00	6.00	23.00
2.07	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	9.03	...	9.03	14.00	...	14.00	12.00	...	12.00	14.00	...	14.00
2.08	राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	2.91	...	2.91	4.40	...	4.40	4.40	...	4.40	5.00	...	5.00
2.09	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	59.45	4.28	63.73	74.30	7.30	81.60	74.30	8.42	82.72	76.00	10.00	86.00
2.10	भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	52.61	5.56	58.17	66.50	6.00	72.50	68.00	4.63	72.63	72.00	10.00	82.00
2.11	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	10.72	16.64	27.36	12.50	12.00	24.50	12.50	18.72	31.22	12.50	10.00	22.50
2.12	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	34.70	...	34.70	45.00	30.00	75.00	40.00	...	40.00	42.00	...	42.00
	जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	*293.72*	*33.84*	*327.56*	*364.50*	*76.05*	*440.55*	*362.30*	*44.07*	*406.37*	*378.50*	*54.52*	*433.02*
3.	*राष्ट्रीय प्राणी उद्यान*												
3.01	सकल बजटीय सहायता	41.09	1.69	42.78	22.00	12.70	34.70	23.00	5.94	28.94	23.00	10.00	33.00
3.02	अल्प गेट प्राप्तियां	-5.83	...	-5.83	-8.00	...	-8.00	-8.00	...	-8.00	-8.00	...	-8.00
	निवल	*35.26*	*1.69*	*36.95*	*14.00*	*12.70*	*26.70*	*15.00*	*5.94*	*20.94*	*15.00*	*10.00*	*25.00*
4.	*राष्ट्रीय प्राधिकरण*												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4.01 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं	...	...	...	...	...	...	-50.00	...	-50.00	-100.00	...	-100.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**418.34**	**35.53**	**453.87**	**509.67**	**88.75**	**598.42**	**514.29**	**50.01**	**564.30**	**536.50**	**64.52**	**601.02**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण												
5. वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण												
5.01 कार्यक्रम घटक	5.48	...	5.48	6.00	...	6.00	7.60	...	7.60	10.80	...	10.80
5.02 ईएपी घटक	9.68	...	9.68	9.00	...	9.00	21.00	...	21.00	...	...	...
जोड़- वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	*15.16*	*...*	*15.16*	*15.00*	*...*	*15.00*	*28.60*	*...*	*28.60*	*10.80*	*...*	*10.80*
6. पारिस्थितिकी कार्य बल	120.00	...	120.00	67.50	...	67.50	112.85	...	112.85	75.00	...	75.00
जोड़-पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण	**135.16**	**...**	**135.16**	**82.50**	**...**	**82.50**	**141.45**	**...**	**141.45**	**85.80**	**...**	**85.80**
राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम												
7. राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (ईएपी)	152.50	...	152.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. राष्ट्रीय तटीय मिशन												
8.01 कार्यक्रम घटक	...	...	...	15.00	...	15.00	10.10	...	10.10	20.00	...	20.00
8.02 ईएपी घटक	...	...	...	150.00	...	150.00	120.00	...	120.00	75.00	...	75.00
जोड़- राष्ट्रीय तटीय मिशन	*...*	*...*	*...*	*165.00*	*...*	*165.00*	*130.10*	*...*	*130.10*	*95.00*	*...*	*95.00*
जोड़-राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम	**152.50**	**...**	**152.50**	**165.00**	**...**	**165.00**	**130.10**	**...**	**130.10**	**95.00**	**...**	**95.00**
पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास												
9. प्रदूषण उपशमन	7.47	...	7.47	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00
10. घातक पदार्थों का प्रबंधन												
10.01 कार्यक्रम घटक	7.15	...	7.15	15.00	...	15.00	13.00	...	13.00	15.00	...	15.00
10.02 ईएपी घटक	65.11	...	65.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- घातक पदार्थों का प्रबंधन	*72.26*	*...*	*72.26*	*15.00*	*...*	*15.00*	*13.00*	*...*	*13.00*	*15.00*	*...*	*15.00*
11. जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना	26.86	...	26.86	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
12. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	119.41	...	119.41	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	100.00	...	100.00
13. हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन	41.00	...	41.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़-पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास	**267.00**	**...**	**267.00**	**235.00**	**...**	**235.00**	**233.00**	**...**	**233.00**	**215.00**	**...**	**215.00**
पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली												
14. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	49.61	...	49.61	67.00	...	67.00	75.00	...	75.00	82.00	...	82.00
15. पर्यावरण सूचना प्रणाली	20.22	...	20.22	24.00	...	24.00	28.00	...	28.00	46.00	...	46.00
16. उत्कृष्टता के केन्द्र	13.91	...	13.91	20.00	...	20.00	15.25	...	15.25	15.00	...	15.00
17. संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास	6.98	...	6.98	9.70	...	9.70	4.40	...	4.40	10.00	...	10.00
18. पर्यावरण प्रभाव आकलन	3.89	...	3.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
19. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	12.93	...	12.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली	**107.54**	**...**	**107.54**	**120.70**	**...**	**120.70**	**122.65**	**...**	**122.65**	**153.00**	**...**	**153.00**
20. प्रदूषण नियंत्रण	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00	460.00	...	460.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**662.20**	**...**	**662.20**	**603.20**	**...**	**603.20**	**632.20**	**...**	**632.20**	**1008.80**	**...**	**1008.80**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
21. पशु कल्याण बोर्ड	5.74	...	5.74	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
22. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	118.81	...	118.81	100.00	...	100.00	114.42	...	114.42	100.00	...	100.00
23. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	11.50	...	11.50	14.30	...	14.30	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
24. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	18.92	...	18.92	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
25. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**164.97**	**...**	**164.97**	**153.30**	**...**	**153.30**	**166.42**	**...**	**166.42**	**159.00**	**...**	**159.00**
स्वायत्त निकाय												
26. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास के संस्थान	20.00	...	20.00	26.50	...	26.50	27.50	...	27.50	27.90	...	27.90
27. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	195.00	...	195.00	210.00	...	210.00	216.00	...	216.00	215.00	...	215.00
28. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	21.95	...	21.95	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00	37.00	...	37.00
29. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	8.96	...	8.96	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00
30. भारतीय वन्यजीव संस्थान	32.00	...	32.00	30.00	...	30.00	33.00	...	33.00	34.00	...	34.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**277.91**	**...**	**277.91**	**301.50**	**...**	**301.50**	**316.50**	**...**	**316.50**	**324.90**	**...**	**324.90**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
31. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन रोपण विकास निगम	497.73	...	497.73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-372.01	...	-372.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*125.72*	...	*125.72*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य												
32. जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण												
32.01 सकल बजटीय सहायता	174.82	...	174.82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32.02 घटाएं-जल उपकर प्राप्तियां	-174.82	...	-174.82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) को अंतरण	1085.45	...	1085.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34. घटाएं-राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से प्राप्त राशि	-1085.45	...	-1085.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35. वास्तविक वसूलियां	-12.96	...	-12.96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-12.96**	**...**	**-12.96**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**555.64**	**...**	**555.64**	**454.80**	**...**	**454.80**	**482.92**	**...**	**482.92**	**483.90**	**...**	**483.90**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव												
36. हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन												
36.01 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	126.58	...	126.58	159.00	...	159.00	159.00	...	159.00	179.00	...	179.00
36.02 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	11.00	...	11.00
36.03 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	34.80	...	34.80	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़- हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन	*161.88*	...	*161.88*	*210.00*	...	*210.00*	*210.00*	...	*210.00*	*240.00*	...	*240.00*
37. वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास												
37.01 बाघ परियोजना	345.00	...	345.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00
37.02 हाथी परियोजना	24.90	...	24.90	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
37.03 वन्य जीव आवासों का विकास	148.58	...	148.58	165.00	...	165.00	165.00	...	165.00	175.00	...	175.00
37.04 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	9.44	...	9.44	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
जोड़- वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास	*527.92*	...	*527.92*	*555.00*	...	*555.00*	*555.00*	...	*555.00*	*560.00*	...	*560.00*
38. राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण												
38.01 मूंगा एवं मैंग्रोव का संरक्षण	13.16	...	13.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38.02 जैव विविधता संरक्षण	9.05	...	9.05	14.50	...	14.50	14.50	...	14.50	16.00	...	16.00
38.03 जैव विविधता संरक्षण (ईएपी घटक)	13.55	...	13.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38.04 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	56.00	...	56.00	66.00	...	66.00	65.50	...	65.50	68.40	...	68.40
38.05 जलीय पारिस्थिति का संरक्षण (ईएपी घटक)	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50	1.60	...	1.60
जोड़- राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण	*91.76*	...	*91.76*	*80.50*	...	*80.50*	*80.50*	...	*80.50*	*86.00*	...	*86.00*
39. राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण कार्यक्रम												
39.01 कार्यक्रम घटक	140.50	...	140.50	123.50	...	123.50	143.50	...	143.50	146.00	...	146.00
39.02 ईएपी घटक	32.84	...	32.84	50.00	...	50.00	7.00	...	7.00	50.00	...	50.00
जोड़- राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण कार्यक्रम	*173.34*	...	*173.34*	*173.50*	...	*173.50*	*150.50*	...	*150.50*	*196.00*	...	*196.00*
जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	**954.90**	**...**	**954.90**	**1019.00**	**...**	**1019.00**	**996.00**	**...**	**996.00**	**1082.00**	**...**	**1082.00**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**954.90**	**...**	**954.90**	**1019.00**	**...**	**1019.00**	**996.00**	**...**	**996.00**	**1082.00**	**...**	**1082.00**
कुल जोड़	***2591.08***	***35.53***	***2626.61***	***2586.67***	***88.75***	***2675.42***	***2625.41***	***50.01***	***2675.42***	***3111.20***	***64.52***	***3175.72***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वानिकी और वन्य जीवन	707.39	...	707.39	559.35	...	559.35	633.30	...	633.30	665.80	...	665.80
2. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	1085.45	...	1085.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. पारिस्थितीकी और पर्यावरण	654.34	...	654.34	861.34	...	861.34	843.81	...	843.81	1234.20	...	1234.20
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	89.36	...	89.36	131.17	...	131.17	136.99	...	136.99	143.00	...	143.00
5. वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	...	9.05	9.05	...	33.45	33.45	...	18.24	18.24	...	34.52	34.52
6. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	26.48	26.48	...	55.30	55.30	...	31.77	31.77	...	30.00	30.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**2536.54**	**35.53**	**2572.07**	**1551.86**	**88.75**	**1640.61**	**1614.10**	**50.01**	**1664.11**	**2043.00**	**64.52**	**2107.52**
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	163.60	...	163.60	163.60	...	163.60	196.00	...	196.00
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	54.47	...	54.47	869.64	...	869.64	840.71	...	840.71	870.70	...	870.70
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.07	...	0.07	1.57	...	1.57	7.00	...	7.00	1.50	...	1.50
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**54.54**	**...**	**54.54**	**1034.81**	**...**	**1034.81**	**1011.31**	**...**	**1011.31**	**1068.20**	**...**	**1068.20**
कुल जोड़	**2591.08**	**35.53**	**2626.61**	**2586.67**	**88.75**	**2675.42**	**2625.41**	**50.01**	**2675.42**	**3111.20**	**64.52**	**3175.72**

1 - 4. केंद्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के सचिवालय खर्च के लिए है।। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के अन्य प्रतिष्ठान संबंधित व्यय प्रावधान सचिवालय में जोड़े गए हैं।

5 और 6. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण - अम्ब्रेला सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम की दो उप-स्कीमें - (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क योजना रक्षा मंत्रालय के माध्यम से दूरस्थ स्थान या गंभीर गिरावट के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बहाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

7और 8. राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम : मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा का सुनिश्चित करना होता है और वहनीय विकास को बढ़ावा देना होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

9-13. पर्यावरण-संरक्षण, प्रबंधन और वहनीय विकास : मंत्रालय, पर्यावरण के संरक्षण तथा सतत विकास को प्राथमिकता देता है। अम्ब्रेला स्कीम स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और औद्योगिक संयंत्रों में प्रदूषण का उपशमन करने में भी सहायता देता है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की बढ़ती मान्यता और घरेलू नीति निर्माण एवं नियोजन के क्षेत्र के रूप में इसके महत्वे को इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत पहचान मिली है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण उपशमन के कार्यक्रमों/परियोजनाओं, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि और राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में BE -2019-20 के आंकड़े में ईएपी घटक के रूप में 0.50 करोड़ रूपये शामिल हैं।

14 - 19 पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नीति, नियोजन और निष्कर्ष मूल्याकंन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली : स्कीम प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करता है और पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करता है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरण से जुड़ी सूचना का संग्रह, बड़े पैमाने पर पणधारियों को सूचना का संप्रेषण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रमुख हैं। वर्गिकी क्षमता निर्माण, जैव-सुरक्षा और वानस्पतिक उद्यानों आदि के लिए अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान की जाती है। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रावधानों में मीडिया, प्रचार और सूचना और स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान शामिल हैं।

20. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों /समितियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है। जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और अन्य स्कीमों नामत: राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय एबीएंट नोएस मानीटरिंग नेटवर्क और सम्बद्ध ओ एंड एम आदि का वित्त पोषण किया जाता है।

21 - 25. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय पांच निकायों - भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्लयूबीआई), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को सहायता देता है।

26 - 30. स्वायत्त निकाय : मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामश: भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्यूरश आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्री य हिमालयी पर्यावरण और वहनीय विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

36. **हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन:** वन क्षेत्र में वृद्धि और मौजूदा वन भूमि की सुरक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजनागत स्कीमें हैं, नामश: हरित भारत मिशन -राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। वन प्रबंधन योजना की गहनता

का नाम 2018-19 में वन अग्नि निवारण प्रबंधन में बदल दिया गया है। वर्ष 2017-18 तक यह स्कीम एनसीईएफ द्वारा निधिपोषित की जाती थी।

37. **वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास:** देश के वन्योजीवों के संरक्षण के लिए मंत्रालय की तीन मुख्य स्कीमें है; नामश: बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीव पर्यावासों का विकास। वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास का नाम 2018-19 में वन्यजीव पर्यावासों का विकास कर दिया गया है। इस स्कीम को 2017-18 तक एनसीईएफ से निधिपोषित किया जाता था।

38. **राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण:** देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय जैव-मंडल, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है। इस स्कीम को 2017-18 तक एनसीईएफ से निधिपोषित किया जाता था।

39. **राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण कार्यक्रम:** एनआरसीपी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों के जरिए नदियों के प्रदूषण भार में कमी करके नदियों के प्रदूषित भागों की जल गुणवत्ता में सुधार करना है। इस स्कीम को 2017-18 तक एनसीईएफ से निधिपोषित किया जाता था।

विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 28

विदेश मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	12379.29	1370.44	13749.73	13374.50	1636.50	15011.00	14636.50	945.50	15582.00	14686.78	1375.00	16061.78
वसूलियां	*-11.78*	*-0.44*	-12.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**12367.51**	**1370.00**	**13737.51**	**13374.50**	**1636.50**	**15011.00**	**14636.50**	**945.50**	**15582.00**	**14686.78**	**1375.00**	**16061.78**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	414.61	...	414.61	440.64	...	440.64	441.55	...	441.55	441.97	...	441.97
2. राजदूतावास एवं मिशन	2469.27	...	2469.27	2701.00	...	2701.00	2678.81	...	2678.81	2693.58	...	2693.58
3. पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन	1050.51	...	1050.51	1058.75	...	1058.75	1059.06	...	1059.06	1098.01	...	1098.01
4. मंत्रालय के अन्य व्यय	302.47	569.77	872.24	252.96	800.00	1052.96	232.09	450.00	682.09	204.39	700.00	904.39
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**4236.86**	**569.77**	**4806.63**	**4453.35**	**800.00**	**5253.35**	**4411.51**	**450.00**	**4861.51**	**4437.95**	**700.00**	**5137.95**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
देशों को सहायता												
5. भूटान	1789.47	800.67	2590.14	1813.50	836.50	2650.00	2014.50	495.50	2510.00	2115.00	500.00	2615.00
6. अफगानिस्तान	365.96	...	365.96	325.00	...	325.00	470.00	...	470.00	325.00	...	325.00
7. बांग्लादेश	78.02	...	78.02	175.00	...	175.00	120.00	...	120.00	175.00	...	175.00
8. नेपाल	376.61	...	376.61	650.00	...	650.00	750.00	...	750.00	700.00	...	700.00
9. श्रीलंका	77.89	...	77.89	150.00	...	150.00	165.00	...	165.00	150.00	...	150.00
10. मालदीव	109.24	...	109.24	125.00	...	125.00	440.00	...	440.00	400.00	175.00	575.00
11. म्यानमार	223.55	...	223.55	280.00	...	280.00	370.00	...	370.00	400.00	...	400.00
12. मंगोलिया	0.42	...	0.42	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
13. अफ्रीकी देश	172.72	...	172.72	200.00	...	200.00	330.00	...	330.00	400.00	...	400.00
14. यूरेशियाई देश	37.02	...	37.02	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
15. लैटिन अमरीकी देश	19.95	...	19.95	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
16. अन्य विकासशील देश	122.32	...	122.32	115.00	...	115.00	125.00	...	125.00	122.78	...	122.78
17. आपदा राहत	15.55	...	15.55	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
18. चाहबार पोर्ट	...	...	...	150.00	...	150.00	...	...	...	150.00	...	150.00
19. मॉरीशस	350.39	...	350.39	350.00	...	350.00	660.00	...	660.00	700.00	...	700.00
20. सेशेल्स	223.16	...	223.16	300.00	...	300.00	100.00	...	100.00	75.00	...	75.00
जोड़-देशों को सहायता	**3962.27**	**800.67**	**4762.94**	**4708.50**	**836.50**	**5545.00**	**5601.50**	**495.50**	**6097.00**	**5772.78**	**675.00**	**6447.78**
21. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता	386.49	...	386.49	440.05	...	440.05	369.00	...	369.00	378.01	...	378.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**4348.76**	**800.67**	**5149.43**	**5148.55**	**836.50**	**5985.05**	**5970.50**	**495.50**	**6466.00**	**6150.79**	**675.00**	**6825.79**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)	233.14	...	233.14	255.00	...	255.00	235.00	...	235.00	250.00	...	250.00
23. अन्य स्वशासी निकायों को सहायता	19.87	...	19.87	31.20	...	31.20	23.89	...	23.89	27.50	...	27.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	**253.01**	**...**	**253.01**	**286.20**	**...**	**286.20**	**258.89**	**...**	**258.89**	**277.50**	**...**	**277.50**
अन्य												
24. विशेष कूटनीतिक खर्च	2459.21	...	2459.21	2400.01	...	2400.01	2700.01	...	2700.01	2575.01	...	2575.01
25. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	306.07	...	306.07	334.60	...	334.60	382.50	...	382.50	341.80	...	341.80
26. नालंदा विश्वविद्यालय	150.00	...	150.00	200.00	...	200.00	190.00	...	190.00	220.00	...	220.00
27. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	377.62	...	377.62	375.00	...	375.00	246.00	...	246.00	380.00	...	380.00
28. वीवीआईपी यात्राओं के लिए एयर इंडिया के वायुयानों की रखरखाव लागत	214.85	...	214.85	141.00	...	141.00	420.00	...	420.00	220.00	...	220.00
29. सीमाओं का रेखांकन	0.83	...	0.83	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
30. प्रवासी भारतीय दिवस महोत्सव	15.02	...	15.02	10.00	...	10.00	24.00	...	24.00	50.00	...	50.00
31. विदेशी तीर्थयात्राओं के संबंधित व्यय	0.66	...	0.66	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50
32. विनिमय द्वारा हानि	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
33. संस्थानों को अनुदान	1.86	...	1.86	4.67	...	4.67	2.97	...	2.97	2.92	...	2.92
34. प्रशिक्षण	14.54	...	14.54	14.61	...	14.61	24.11	...	24.11	25.30	...	25.30
35. वास्तविक वसूलियां	-11.78	-0.44	-12.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**3528.88**	**-0.44**	**3528.44**	**3486.40**	**...**	**3486.40**	**3995.60**	**...**	**3995.60**	**3820.54**	**...**	**3820.54**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**3781.89**	**-0.44**	**3781.45**	**3772.60**	**...**	**3772.60**	**4254.49**	**...**	**4254.49**	**4098.04**	**...**	**4098.04**
कुल जोड़	***12367.51***	***1370.00***	***13737.51***	***13374.50***	***1636.50***	***15011.00***	***14636.50***	***945.50***	***15582.00***	***14686.78***	***1375.00***	***16061.78***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	414.31	...	414.31	440.64	...	440.64	441.55	...	441.55	441.97	...	441.97
2. विदेशी मामले	7605.74	...	7605.74	7785.30	...	7785.30	8224.44	...	8224.44	8094.01	...	8094.01
3. विविध सामान्य सेवाएं	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	323.47	323.47	...	600.00	600.00	...	300.00	300.00	...	550.00	550.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**8020.05**	**323.47**	**8343.52**	**8225.95**	**600.00**	**8825.95**	**8666.00**	**300.00**	**8966.00**	**8535.99**	**550.00**	**9085.99**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	245.86	245.86	...	200.00	200.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**...**	**245.86**	**245.86**	**...**	**200.00**	**200.00**	**...**	**150.00**	**150.00**	**...**	**150.00**	**150.00**
अन्य												
6. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	4347.46	...	4347.46	5148.55	...	5148.55	5970.50	...	5970.50	6150.79	...	6150.79
7. विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	800.67	800.67	...	836.50	836.50	...	495.50	495.50	...	675.00	675.00
जोड़-अन्य	**4347.46**	**800.67**	**5148.13**	**5148.55**	**836.50**	**5985.05**	**5970.50**	**495.50**	**6466.00**	**6150.79**	**675.00**	**6825.79**
कुल जोड़	**12367.51**	**1370.00**	**13737.51**	**13374.50**	**1636.50**	**15011.00**	**14636.50**	**945.50**	**15582.00**	**14686.78**	**1375.00**	**16061.78**

1. **सचिवालय:** यह विदेश मंत्रालय सचिवालय, मुख्यालयों में लोक राजनय, स्टेट सुविधा एवं जानकारी सहायता के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

2. **राजदूतावास एवं मिशन:** यह विदेशों में मिशनों/केंद्रों में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए व्यय की व्यवस्था करता है।

3. **पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन:** यह पासपोर्ट कार्यालयों, यात्रा दस्तावेजों की छपाई, पासपोर्ट आवेदनों और फाइलों की स्केनिंग, पासपोर्ट प्रिंटरों की लीज, पासपोर्टों की छपाई, पासपोर्ट प्रिंटरों की खरीद, पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन, उत्प्रवासियों के महासंरक्षक के लिए राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को भुगतान इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

4. **मंत्रालय के अन्य व्यय:** यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, गण्यमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन, कलाकृतियों की खरीद, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस भेजने, युद्ध/सिविल उपद्रव के कारण भारतीयों को निकालने, भारत को जानिए कार्यक्रम, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन, उच्च स्तरीय विदेश यात्रा, भारत-अमरीका प्रतिष्ठित आगंतुक कार्यक्रम, संगोष्ठियां और अध्ययन आयोजित करने पर व्यय, ब्रिटेन के अतिथियों के भारत आगमन, फुलब्राइट कार्यक्रम के अंतर्गत स्कॉलरों के आदान-प्रदान, विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से हिंदी के प्रचार, विदेशों में भारतीय मिशनों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों, बाजार विस्तार कार्यकलापों, विदेशों में स्टेट्स फैसिलिटेशन, विदेश मंत्रालय होस्टलों और रिहायशी परिसरों, लोक निर्माण कार्य एवं हाउसिंग के संबंध में पूंजीगत परिव्यय, स्वर्णप्रवास योजना इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

5 - 21. देशों को सहायता/अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रम को सहायता: यह प्रावधान आस-पड़ोस के देशों और अन्य विकासशील देशों को भारत की बहुआयामी एवं द्विपक्षीय सहायता और सहायता कार्यक्रमों के लिए है। यह सहायता भारत की सीमाओं से लगे देशों और अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमरीका के देशों को भी मुहैया कराई जाती है। इसके अंतर्गत आपदा राहत और लोकापकारी सहायता के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता भी शामिल है।

22 और 23. स्वायत्त निकाय: इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली सोसायटी (आरआईएस) के लिए वेतन अनुदान मांगों और सामान्य अनुदान मांगों के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है।

24-34. अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय (अन्य): इसके अंतर्गत विवेकाधीन व्यय, राष्ट्रमंडल सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क सचिवालय, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय और नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। यह अति-अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान की रख-रखाव लागत, सीमाओं के सीमाकंन के लिए भी व्यय की व्यवस्था करता है। इससे प्रवासी भारतीय दिवस, कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि सोसायटी, चीनी अध्ययन संस्थान की सहायता, भूमि कल्याण अध्ययन केंद्र- यूएन शांति स्थापना केंद्र और विदेश सेवा संस्थान संबंधी व्यय के लिए भी व्यय की व्यवस्था है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 29

आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3477.31	6012.91	9490.22	4871.23	13458.23	18329.46	3177.50	26445.14	29622.64	3061.18	17168.22	20229.40
वसूलियां	*-15.21*	*-8682.01*	*-8697.22*	*...*	*-3800.00*	*-3800.00*	*...*	*-6400.00*	*-6400.00*	*...*	*-4250.00*	*-4250.00*
प्राप्तियां	*-607.61*	*-208.50*	*-816.11*	*-511.59*	*-1275.03*	*-1786.62*	*-614.55*	*-10553.35*	*-11167.90*	*-483.77*	*-1375.01*	*-1858.78*
निवल	**2854.49**	**-2877.60**	**-23.11**	**4359.64**	**8383.20**	**12742.84**	**2562.95**	**9491.79**	**12054.74**	**2577.41**	**11543.21**	**14120.62**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 आर्थिक मामलों के विभाग	195.81	...	195.81	239.86	...	239.86	137.93	...	137.93	181.47	...	181.47
2. संबद्ध कार्यालय												
2.01 दूतावास, वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग	12.38	...	12.38	15.22	...	15.22	14.37	...	14.37	15.54	...	15.54
2.02 वायदा बाजार आयोग	0.56	...	0.56	1.50	...	1.50	0.83	...	0.83	1.18	...	1.18
2.03 सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण	5.43	...	5.43	11.46	...	11.46	10.15	...	10.15	11.35	...	11.35
2.04 पंद्रहवां वित्त आयोग	5.29	...	5.29	32.00	...	32.00	23.63	...	23.63	20.90	...	20.90
जोड़- संबद्ध कार्यालय	*23.66*	*...*	*23.66*	*60.18*	*...*	*60.18*	*48.98*	*...*	*48.98*	*48.97*	*...*	*48.97*
3. वास्तविक वसूलियाँ	-14.97	...	-14.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**204.50**	**...**	**204.50**	**300.04**	**...**	**300.04**	**186.91**	**...**	**186.91**	**230.44**	**...**	**230.44**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ)	342.38	0.35	342.73	1999.99	0.01	2000.00	...	1000.00	1000.00	3.00	997.00	1000.00
5. अर्थक्षमता अंतराल निधियन	500.58	56.32	556.90	150.00	90.69	240.69	190.69	50.00	240.69	200.69	40.00	240.69
ब्याज समकरण सहायता												
6. भारतीय कंपनियां	9.23	...	9.23	44.40	...	44.40	44.40	...	44.40	44.40	...	44.40
7. एक्जिम बैंक												
7.01 सकल बजट	571.92	...	571.92	629.11	...	629.11	629.11	...	629.11	629.11	...	629.11
7.02 घटाएं वसूलियां	-0.24	...	-0.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*571.68*	*...*	*571.68*	*629.11*	*...*	*629.11*	*629.11*	*...*	*629.11*	*629.11*	*...*	*629.11*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-ब्याज समकरण सहायता	**580.91**	**...**	**580.91**	**673.51**	**...**	**673.51**	**673.51**	**...**	**673.51**	**673.51**	**...**	**673.51**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**1423.87**	**56.67**	**1480.54**	**2823.50**	**90.70**	**2914.20**	**864.20**	**1050.00**	**1914.20**	**877.20**	**1037.00**	**1914.20**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान												
8. आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान	0.22	...	0.22	0.23	...	0.23	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
9. अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान:	0.07	...	0.07	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
10. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	77.38	...	77.38	...	...	...	103.00	...	103.00	94.12	...	94.12
11. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:	60.64	...	60.64	85.25	...	85.25	96.43	...	96.43	95.25	...	95.25
12. एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान												
12.01 सकल बजटीय सहायता	3.07	...	3.07	3.24	...	3.24	3.24	...	3.24	3.42	...	3.42
12.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-3.07	...	-3.07	-3.24	...	-3.24	-3.24	...	-3.24	-3.42	...	-3.42
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. आईडीए को अंशदान												
13.01 सकल बजटीय सहायता	408.33	...	408.33	408.34	...	408.34	408.34	...	408.34	408.34	...	408.34
13.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-408.33	...	-408.33	-408.34	...	-408.34	-408.34	...	-408.34	-408.34	...	-408.34
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:	52.52	...	52.52	52.52	...	52.52	57.69	...	57.69	58.73	...	58.73
15. एशियाई विकास निधि में अंशदान												
15.01 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
15.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	...	...	...	-0.01	...	-0.01	...	...	...	-0.01	...	-0.01
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. एशियाई विकास निधि में अंशदान-12												
16.01 सकल बजटीय सहायता	64.50	...	64.50	66.00	...	66.00	68.97	...	68.97	72.00	...	72.00
16.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-64.50	...	-64.50	-66.00	...	-66.00	-68.97	...	-68.97	-72.00	...	-72.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. एसएआर टीटीएसी में अंशदान	115.82	...	115.82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
18.01 सकल बजटीय सहायता	67.28	...	67.28	34.00	...	34.00	34.00	...	34.00	...	...	...
18.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-67.28	...	-67.28	-34.00	...	-34.00	-34.00	...	-34.00	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. जलवायु क्रिया सहकर्मी विनिमय (सीएपीई) को योगदान	...	...	...	12.96	...	12.96	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
20. नए विकास बैंक (एनडीबी) के लिए परियोजना तैयारी निधि में भारत का योगदान	...	...	...	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00	...	...	...
जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान	**306.65**	**...**	**306.65**	**161.06**	**...**	**161.06**	**269.47**	**...**	**269.47**	**248.46**	**...**	**248.46**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. उधार के लिए नई व्यवस्था:												
21.01 सकल बजट	...	7.29	7.29	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
21.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	...	-7.29	-7.29	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. मुद्रा, सिक्का और निर्माण:												
22.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	...	1572.02	1572.02	...	2800.00	2800.00	...	2200.00	2200.00	...	2800.00	2800.00
22.02 कम की गई वसूलियां	...	-1572.02	-1572.02	...	-2800.00	-2800.00	...	-2200.00	-2200.00	...	-2800.00	-2800.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. आरक्षित निधि												
23.01 गारंटी मोचन निधि	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
23.02 गोल्ड आरक्षित फंड	204.57	...	204.57	146.25	...	146.25	515.00	...	515.00	538.00	...	538.00
23.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि	64.43	...	64.43	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...
23.04 दावा न किए गए जमाओं की प्राप्तियां	-64.43	...	-64.43	...	...	...	-100.00	...	-100.00	...	...	...
निवल	*804.57*	...	*804.57*	*746.25*	...	*746.25*	*1115.00*	...	*1115.00*	*1138.00*	...	*1138.00*
24. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान)												
24.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक की ओर व्यय (एडीबी / एएफडीबी / सार्क / एसडीएफ / ब्रिक्स - नए विकास बैंक/एआईआईबी और जीआईजेड के लिए सेवा कर)	42.81	...	42.81	71.01	...	71.01	70.11	...	70.11	11.01	...	11.01
कार्यनीतिक एवं सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी)												
25. नेशनल इनवेस्टमेंट फंड (एनआईएफ) में स्थानांतरण	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	250.00	250.00
26. भारतीय रणनीतिक और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम												
26.01 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
26.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया	...	...	...	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-250.00	-250.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*750.00*	*750.00*
जोड़-कार्यनीतिक एवं सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी)	**...**	**...**	**...**	**...**	**1000.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**	**1000.00**
27. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश												
27.01 आईएफआई में निवेश	...	4204.87	4204.87	...	4367.53	4367.53	...	14276.99	14276.99	...	5599.19	5599.19
27.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशियां (एडीबी / एफ, एएफडीबी / एफ, आईएमएफ)	...	...	...	...	-0.03	-0.03	...	-9278.35	-9278.35	...	-100.01	-100.01
27.03 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वसूलियां घटाकर	...	-7109.99	-7109.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	*-2905.12*	*-2905.12*	...	*4367.50*	*4367.50*	...	*4998.64*	*4998.64*	...	*5499.18*	*5499.18*
28. अन्य व्यय:												
28.01 समय वर्जित मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई लावारिस प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान।	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02
28.02 संरक्षित बचत योजनाएं	...	...	...	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
28.03	आईएमएफ को देय मूल्यांकन प्रभार	1.04	...	1.04	1.04	...	1.04	0.64	...	0.64	0.64	...	0.64
28.04	अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	13.76	...	13.76	27.99	...	27.99	13.80	...	13.80	24.67	...	24.67
28.05	एमडीआर प्रभार	4.65	...	4.65	200.00	...	200.00	...	...	...	...	...	...
28.06	नई योजनाएं	...	...	...	...	3000.00	3000.00	...	2450.39	2450.39	...	4000.00	4000.00
28.07	भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ)	...	...	...	2.00	...	2.00	0.15	...	0.15	0.75	...	0.75
28.08	गोल्ड मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए आयोग	43.09	...	43.09	10.50	...	10.50	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
जोड़- अन्य व्यय:		*62.57*	*...*	*62.57*	*241.58*	*3000.00*	*3241.58*	*44.64*	*2450.39*	*2495.03*	*56.10*	*4000.00*	*4056.10*
29.	*सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण*												
29.01	गृह निर्माण अग्रिम	...	53.83	53.83	...	75.00	75.00	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00
29.02	मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	0.04	0.04	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24
29.03	कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	48.33	48.33	...	74.76	74.76	...	74.76	74.76	...	74.76	74.76
29.04	घटाएं प्राप्तियां	...	-201.21	-201.21	...	-275.00	-275.00	...	-275.00	-275.00	...	-275.00	-275.00
	निवल	*...*	*-99.01*	*-99.01*	*...*	*-125.00*	*-125.00*	*...*	*-75.00*	*-75.00*	*...*	*-75.00*	*-75.00*
30.	लघु बचत योजनाएं	9.52	...	9.52	16.20	...	16.20	12.62	...	12.62	16.20	...	16.20
31.	बजट के लिए मशीनों की खरीद	...	...	...	...	10.00	10.00	...	...	...	...	10.00	10.00
32.	आवास संबंधी पूंजी परिव्यय:	...	3.94	3.94	...	40.00	40.00	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00
33.	अफ्रीकन विकास बैंक लिए ब्रिज लोन	...	65.92	65.92	...	...	...	...	37.00	37.00	...	...	...
34.	*स्वर्ण मुद्रीकरण योजना*												
34.01	स्वर्ण जमा	...	...	...	...	...	...	...	3200.00	3200.00	...	1200.00	1200.00
34.02	घटाएं-कम की गई वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	-3200.00	-3200.00	...	-1200.00	-1200.00
	निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
35.	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती	...	...	...	...	...	...	...	20.76	20.76	...	...	...
36.	रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	52.03	52.03
जोड़-अन्य		**1226.12**	**-2934.27**	**-1708.15**	**1236.10**	**8292.50**	**9528.60**	**1511.84**	**8441.79**	**9953.63**	**1469.77**	**10506.21**	**11975.98**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय		**1226.12**	**-2934.27**	**-1708.15**	**1236.10**	**8292.50**	**9528.60**	**1511.84**	**8441.79**	**9953.63**	**1469.77**	**10506.21**	**11975.98**
कुल जोड़		***2854.49***	***-2877.60***	***-23.11***	***4359.64***	***8383.20***	***12742.84***	***2562.95***	***9491.79***	***12054.74***	***2577.41***	***11543.21***	***14120.62***
ख. विकासात्मक शीर्ष													
सामान्य सेवाएं													
1.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	9.81	...	9.81	16.53	...	16.53	12.96	...	12.96	16.55	...	16.55
2.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	185.11	...	185.11	239.86	...	239.86	137.93	...	137.93	181.47	...	181.47
3.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	10.72	...	10.72	43.46	...	43.46	33.78	...	33.78	32.25	...	32.25
4.	विविध सामान्य सेवाएं	604.68	...	604.68	800.02	...	800.02	600.03	...	600.03	600.02	...	600.02
5.	मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	10.00	10.00	...	...	...	...	10.00	10.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**810.32**	**...**	**810.32**	**1099.87**	**10.00**	**1109.87**	**784.70**	**...**	**784.70**	**830.29**	**10.00**	**840.29**
सामाजिक सेवाएं												
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
8. अन्य सामाजिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	3.94	3.94	...	40.00	40.00	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**...**	**3.94**	**3.94**	**0.03**	**40.00**	**40.03**	**0.02**	**10.00**	**10.02**	**0.02**	**20.00**	**20.02**
आर्थिक सेवाएं												
10. कृषि वित्तीय संस्थान	77.38	...	77.38	...	...	...	103.00	...	103.00	94.12	...	94.12
11. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	342.38	...	342.38	1999.99	...	1999.99	...	...	...	3.00	...	3.00
12. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	116.86	...	116.86	24.00	...	24.00	12.65	...	12.65	0.65	...	0.65
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	831.31	...	831.31	438.71	...	438.71	861.27	...	861.27	906.08	...	906.08
14. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	0.35	0.35	...	1000.01	1000.01	...	2000.00	2000.00	...	1997.00	1997.00
15. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	-2905.12	-2905.12	...	4367.50	4367.50	...	4998.64	4998.64	...	5499.18	5499.18
16. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	...	56.32	56.32	...	3090.69	3090.69	...	2500.39	2500.39	...	4040.00	4040.00
17. कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	52.03	52.03
18. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	20.76	20.76	...	...	...
19. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	37.00	37.00	...	...	...
20. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1367.93**	**-2848.45**	**-1480.52**	**2462.70**	**8458.20**	**10920.90**	**976.92**	**9556.79**	**10533.71**	**1003.85**	**11588.21**	**12592.06**
अन्य												
21. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	676.24	...	676.24	797.04	...	797.04	801.31	...	801.31	743.25	...	743.25
22. विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	65.92	65.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	-99.01	-99.01	...	-125.00	-125.00	...	-75.00	-75.00	...	-75.00	-75.00
जोड़-अन्य	**676.24**	**-33.09**	**643.15**	**797.04**	**-125.00**	**672.04**	**801.31**	**-75.00**	**726.31**	**743.25**	**-75.00**	**668.25**
कुल जोड़	**2854.49**	**-2877.60**	**-23.11**	**4359.64**	**8383.20**	**12742.84**	**2562.95**	**9491.79**	**12054.74**	**2577.41**	**11543.21**	**14120.62**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि0	0.35	...	0.35	0.01	...	0.01	1000.00	...	1000.00	997.00	...	997.00
2. सामरिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा वित्त निगम	...	...	...	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00
3. एडीबी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि0 द्वारा ऋण की अदायगी	...	...	...	...	...	...	20.76	...	20.76	...	...	...
जोड़	**0.35**	**...**	**0.35**	**1000.01**	**...**	**1000.01**	**2020.76**	**...**	**2020.76**	**1997.00**	**...**	**1997.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास के आर्थिक स्कन्ध आदि, फॉरवर्ड बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी), पंद्रहवां वित्त आयोग के स्थापना व्यय के लिए है।

4. **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) लिमिटेड में हस्तांतरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।

5. **अर्थक्षमता अंतराल निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

6. **भारतीय कंपनियां:** इस प्रावधान में भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समता सहायता शामिल है।

7. **एक्जिम बैंक:** इस प्रावधान में भारत के एक्जिम बैंक को दी जा रही ब्याज समता सहायता शामिल है।

8. **आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान के लिए है।

9. **अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान::** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान देने के लिए है।

10. **अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास विधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।

11. **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं::** यह प्रावधान अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोषीय संबंधों संबंधी आर्थिक सहभागिता और विकास नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफएटीएम और जीएवीआई को अंशदान के अंतर्गत अंशदान देने के लिए है।

12. **एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।

13. **आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान देने के लिए है।

14. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग::** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकि और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।

15. **एशियाई विकास निधि में अंशदान:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि में अंशदान करने के लिए है।

16. **एशियाई विकास निधि में अंशदान-12:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-12 में अंशदान करने के लिए है।

19. **जलवायु क्रिया सहकर्मी विनिमय (सीएपीई) को योगदान:** जलवायु एक्शन पीर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए प्रावधान किया गया है।

21. **उधार के लिए नई व्यवस्था::** यह प्रावधान उधार लेने की नई व्यवस्था में निवेश के लिए नोट खरीद करार को आगे बढ़ाने के लिए है।

22. **मुद्रा, सिक्का और निर्माण::** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है।

23. **आरक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, सॉवरेन स्वर्ण बांड निधि में अंतरण के लिए है।

24. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक/एडीबी/एएफडीबी/ब्रिक्स-एनडीबी/सार्क/एसडीएफ के लिए है।

25. **नेशनल इनवेस्टमेंट फंड (एनआईएफ) में स्थानांतरण:** राष्ट्रीय निवेश कोष में अंतरण के लिए प्रावधान किया जाता है

26. **भारतीय रणनीतिक और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम:** भारतीय कार्यनीतिक और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है और राष्ट्रीय निवेश निधि के माध्यम से पूरा किया जाता है।

27. **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें एशियाई विकास बैंक को अभिदान,एशियाई प्रशांत अवसंरचना निधि को अभिदान, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, सार्क विकास निधि अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान और भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में निवेश तथा मूल्य वर्धन का अनुरक्षण दायित्व के लिए प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में भारत का आईएमएफ में उधार देने वाले संसाधनों के साथ-साथ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, न्यू डेवलपमेंट बैंक में अंशदान भी शामिल है।

28. **अन्य व्यय::** यह प्रावधान समयबद्ध मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर ब्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा दावा न की गई प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, आईएमएफ को भुगतान योग्य निर्धारण प्रभार, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि के लिए है। प्रावधान एडीवी, आईआईपीडीए के आईएल एंड एफएस को लोन सं.1871- आईएनडी पीएसआईएफ की पुनःअदायगी के लिए और गोल्ड मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए किया जाता है।

28.06. **नई योजनाएं:** यह प्रावधान नई घोषणाओं के लिए है। अपेक्षित राशि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त पूरक मांगों/पुनर्विनियोग के जरिए प्रदान की जाएगी।

29. **सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण:** यह एक समेकित मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु अपने कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है।

जिस प्रयोजन से सब्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।

30. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए है।

31. **बजट के लिए मशीनों की खरीद:** यह प्रावधान बजट के लिए मशीनों की खरीद के लिए है।

32. **आवास संबंधी पूंजी परिव्यय::** यह प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासों के निर्माण के लिए रखा गया है।

34. **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम के लिए है।

36. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफडी) को रियायती साझेदार ऋण के भुगतान के लिए रखा गया है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 30

व्यय विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	224.47	...	224.47	413.33	...	413.33	341.02	...	341.02	400.55	...	400.55
वसूलियां	*-0.01*	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**224.46**	**...**	**224.46**	**413.33**	**...**	**413.33**	**341.02**	**...**	**341.02**	**400.55**	**...**	**400.55**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएँ	112.60	...	112.60	123.23	...	123.23	132.83	...	132.83	135.54	...	135.54
2. शासकीय लेखा और वित्त संस्थान	5.90	...	5.90	7.10	...	7.10	6.85	...	6.85	7.46	...	7.46
3. नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार	31.39	...	31.39	32.00	...	32.00	32.21	...	32.21	33.00	...	33.00
4. वास्तविक वसूलियां	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**149.88**	**...**	**149.88**	**162.33**	**...**	**162.33**	**171.89**	**...**	**171.89**	**176.00**	**...**	**176.00**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
5. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)	65.48	...	65.48	240.00	...	240.00	155.81	...	155.81	210.00	...	210.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	9.10	...	9.10	11.00	...	11.00	13.32	...	13.32	14.55	...	14.55
कुल जोड़	***224.46***	***...***	***224.46***	***413.33***	***...***	***413.33***	***341.02***	***...***	***341.02***	***400.55***	***...***	***400.55***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	112.59	...	112.59	123.23	...	123.23	132.83	...	132.83	135.54	...	135.54
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	46.39	...	46.39	50.10	...	50.10	52.38	...	52.38	55.01	...	55.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	**158.98**	**...**	**158.98**	**173.33**	**...**	**173.33**	**185.21**	**...**	**185.21**	**190.55**	**...**	**190.55**
आर्थिक सेवाएं												
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	65.48	...	65.48	240.00	...	240.00	155.81	...	155.81	210.00	...	210.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**65.48**	**...**	**65.48**	**240.00**	**...**	**240.00**	**155.81**	**...**	**155.81**	**210.00**	**...**	**210.00**
कुल जोड़	**224.46**	**...**	**224.46**	**413.33**	**...**	**413.33**	**341.02**	**...**	**341.02**	**400.55**	**...**	**400.55**

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएँ:** यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **शासकीय लेखा और वित्त संस्थान:** यह प्रावधान सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।

3. **नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार:** यह प्रावधान नई पेंशन स्कीम के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभारों के भुगतान संबंधी व्यय के लिए है।

5. **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):** यह प्रावधान लोक वित्त और प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत विभिन्न योजनाओं की पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सूचना के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन के विकास पर व्यय के लिए है।

6. **राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त और लेखा अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 31

वित्तीय सेवा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2038.31	104730.00	106768.31	1739.05	69838.01	71577.06	1462.02	114978.00	116440.02	1305.16	3935.05	5240.21
वसूलियां	...	*-10000.00*	*-10000.00*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	*-120.00*	*-80000.00*	*-80120.00*	...	*-65000.00*	*-65000.00*	*-225.00*	*-110500.00*	*-110725.00*	*-0.01*	*-550.01*	*-550.02*
निवल	**1918.31**	**14730.00**	**16648.31**	**1739.05**	**4838.01**	**6577.06**	**1237.02**	**4478.00**	**5715.02**	**1305.15**	**3385.04**	**4690.19**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	54.39	...	54.39	76.55	...	76.55	58.59	...	58.59	64.93	...	64.93
2. निदेशन और प्रशासन												
2.01 विशेष न्यायालय का कार्यालय	3.49	...	3.49	4.24	...	4.24	3.85	...	3.85	4.34	...	4.34
2.02 अभिरक्षक का कार्यालय	9.02	...	9.02	10.48	...	10.48	7.26	...	7.26	9.69	...	9.69
2.03 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	94.82	...	94.82	106.38	...	106.38	120.88	...	120.88	125.04	...	125.04
2.04 न्यायालय परिसमापक का कार्यालय	0.21	...	0.21	0.18	...	0.18	0.16	...	0.16	0.11	...	0.11
जोड़- निदेशन और प्रशासन	*107.54*	...	*107.54*	*121.28*	...	*121.28*	*132.15*	...	*132.15*	*139.18*	...	*139.18*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**161.93**	**...**	**161.93**	**197.83**	**...**	**197.83**	**190.74**	**...**	**190.74**	**204.11**	**...**	**204.11**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण												
3. राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए अंतरण (एनआईएफ)	...	10000.00	10000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण	...	10000.00	10000.00	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
5.01 सकल बजटीय सहायता	...	80000.00	80000.00	...	65000.00	65000.00	...	106000.00	106000.00	...	0.01	0.01
5.02 घटाइए पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए दी गई राशि	...	-80000.00	-80000.00	...	-65000.00	-65000.00	...	-106000.00	-106000.00	...	-0.01	-0.01
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. घटाएं - राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से प्राप्त राशि	...	-10000.00	-10000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	**...**	**10000.00**	**10000.00**	**...**	**0.01**	**0.01**	**...**	**...**	**...**	**...**	**0.01**	**0.01**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. भारत का एक्सिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	950.00	950.00
8. एक्सिम बैंक का पुन:पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
8.01 एक्सिम बैंक का पुन:पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)	...	...	...	...	...	...	...	4500.00	4500.00	...	550.00	550.00
8.02 एक्सिम बैंक का पुन:पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)	...	...	...	...	...	...	...	-4500.00	-4500.00	...	-550.00	-550.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-	**...**	**500.00**	**500.00**	**...**	**500.00**	**500.00**	**...**	**500.00**	**500.00**	**...**	**950.00**	**950.00**
9. बीमा कम्पनियो का पुन : पूंजीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
वित्तीय संस्थाओं को सहायता												
10. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान	...	3880.00	3880.00	...	3500.00	3500.00	...	2000.00	2000.00	...	1500.00	1500.00
11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण	...	...	...	...	13.00	13.00	...	108.00	108.00	...	235.00	235.00
12. सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा बैंक) के लिए इक्विटी पूंजी	...	...	...	...	600.00	600.00	...	200.00	200.00	...	0.01	0.01
13. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	500.00	500.00
14. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...	...	200.00	200.00
15. विदेशी सहायता संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान	176.51	...	176.51	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
17. इंडो स्विस कॉपरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	0.86	...	0.86	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85	0.86	...	0.86
18. आवास ऋण पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
19. भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता	...	150.00	150.00	...	125.00	125.00	...	100.00	100.00	...	0.01	0.01
20. दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन												
20.01 सकल बजटीय सहायता	120.00	...	120.00	...	...	...	225.00	...	225.00	0.01	...	0.01
20.02 घटाएं - दबाव वाली परिसंपत्तियों के स्थिरीकरण कोष की वसूली	-120.00	...	-120.00	...	...	...	-225.00	...	-225.00	-0.01	...	-0.01
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिग्रहण लागत में हिस्सेदारी	...	...	...	...	...	...	...	20.00	20.00	...	...	...
22. नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिग्रहण लागत में हिस्सेदारी	...	...	...	...	...	...	...	1450.00	1450.00	...	...	...
जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता	**177.37**	**4230.00**	**4407.37**	**20.87**	**4338.00**	**4358.87**	**20.86**	**3978.00**	**3998.86**	**20.88**	**2435.02**	**2455.90**
सामाजिक सुरक्षा स्कीमें												
23. प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सहायता												
24. स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत एनपीएस में सरकार का सह-अंशदान	53.43	...	53.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान	167.72	...	167.72	155.00	...	155.00	155.00	...	155.00	205.00	...	205.00
26. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सब्सिडी	245.24	...	245.24	228.24	...	228.24	170.64	...	170.64	160.00	...	160.00
27. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00
28. प्रधान मंत्री वाया वंदन योजना	58.02	...	58.02	72.00	...	72.00	152.17	...	152.17	176.90	...	176.90
जोड़-सामाजिक सुरक्षा स्कीमें	**544.41**	**...**	**544.41**	**475.24**	**...**	**475.24**	**497.81**	**...**	**497.81**	**551.91**	**...**	**551.91**
क्रेडिट गारंटी निधियां												
29. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
30. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
31. स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	...	...	...	0.01	...	0.01
32. स्टैण्डअप इंडियाऔर सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
33. फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां	**1020.00**	**...**	**1020.00**	**1020.01**	**...**	**1020.01**	**515.01**	**...**	**515.01**	**515.02**	**...**	**515.02**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**1741.78**	**14730.00**	**16471.78**	**1516.12**	**4838.01**	**6354.13**	**1033.68**	**4478.00**	**5511.68**	**1087.81**	**3385.04**	**4472.85**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
34. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	14.60	...	14.60	25.10	...	25.10	12.60	...	12.60	13.23	...	13.23
कुल जोड़	***1918.31***	***14730.00***	***16648.31***	***1739.05***	***4838.01***	***6577.06***	***1237.02***	***4478.00***	***5715.02***	***1305.15***	***3385.04***	***4690.19***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	12.51	...	12.51	14.72	...	14.72	11.11	...	11.11	14.03	...	14.03
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	54.39	...	54.39	76.55	...	76.55	58.59	...	58.59	64.93	...	64.93
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	109.42	...	109.42	131.48	...	131.48	133.48	...	133.48	138.27	...	138.27
जोड़-सामान्य सेवाएं	**176.32**	**...**	**176.32**	**222.75**	**...**	**222.75**	**203.18**	**...**	**203.18**	**217.23**	**...**	**217.23**
सामाजिक सेवाएं												
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	544.41	...	544.41	475.24	...	475.24	497.81	...	497.81	551.91	...	551.91
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**544.41**	**...**	**544.41**	**475.24**	**...**	**475.24**	**497.81**	**...**	**497.81**	**551.91**	**...**	**551.91**
आर्थिक सेवाएं												
5. कृषि वित्तीय संस्थान	177.37	...	177.37	20.85	...	20.85	20.85	...	20.85	20.86	...	20.86

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	...	...	...	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	1020.00	...	1020.00	1020.01	...	1020.01	515.01	...	515.01	515.02	...	515.02
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.21	...	0.21	0.18	...	0.18	0.16	...	0.16	0.11	...	0.11
9. कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	3880.00	3880.00	...	3513.00	3513.00	...	2108.00	2108.00	...	1735.00	1735.00
10. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	...	700.00	700.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	1650.00	1650.00
11. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	10000.00	10000.00	...	600.01	600.01	...	1670.00	1670.00	...	0.03	0.03
12. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	150.00	150.00	...	125.00	125.00	...	100.00	100.00	...	0.01	0.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1197.58**	**14730.00**	**15927.58**	**1041.06**	**4838.01**	**5879.07**	**536.03**	**4478.00**	**5014.03**	**536.01**	**3385.04**	**3921.05**
कुल जोड़	**1918.31**	**14730.00**	**16648.31**	**1739.05**	**4838.01**	**6577.06**	**1237.02**	**4478.00**	**5715.02**	**1305.15**	**3385.04**	**4690.19**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3880.00	...	3880.00	3500.00	...	3500.00	2000.00	...	2000.00	1500.00	...	1500.00
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण	...	...	...	13.00	...	13.00	108.00	...	108.00	235.00	...	235.00
3. निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	950.00	...	950.00
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण	90000.00	...	90000.00	65000.01	...	65000.01	106000.00	...	106000.00	0.02	...	0.02
5. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनेंस एजेंसी	...	...	...	600.00	...	600.00	200.00	...	200.00	0.01	...	0.01
6. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
7. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	500.00	...	500.00
8. बीमा कम्पनियो का पुन: पूंजीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
9. नाबार्ड में आरबीआई के हिस्से की अधिप्राप्ति लागत	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00	...	...	...
10. राष्ट्रीय आवास बैंक में आरबीआई के हिस्से की अधिप्राप्ति लागत	...	...	...	...	...	...	1450.00	...	1450.00	...	...	...
जोड़	**94580.00**	**...**	**94580.00**	**69713.01**	**...**	**69713.01**	**110378.00**	**...**	**110378.00**	**3385.04**	**...**	**3385.04**

1. **सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2.01. **विशेष न्यायालय का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय के लिए है।

2.02. **अभिरक्षक का कार्यालय:** यह प्रावधान कस्टोडियन कार्यालय के लिए है।

2.03. **ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी):** यह प्रावधान ऋण वसूली अधिकरण के लिए है।

2.04. **न्यायालय परिसमापक का कार्यालय:** यह प्रावधान न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए है।

4. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण:** यह प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए है।

5. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से):** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशिष्टn प्रतिभूतियों (बॉन्ड के माध्यम से) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने का प्रावधान है।

7. **भारत का एक्सिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान:** यह प्रावधान बैंक की चुकता पूंजी को इसकी प्राधिकृत पूंजी के स्तर तक बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता/अभिदान के रूप में एक्जिम बैंक के लिए है।

8. **एक्सिम बैंक का पुन:पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से):** विशेष प्रतिभूतियां जुटाकर एक्सिस बैंक में पूंजी के समावेशन के लिए प्रावधान किया गया है।

9. **बीमा कम्पनियो का पुन : पूंजीकरण:** यह प्रावधान बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए है।

10. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पूंजी को बढ़ाने के लिए है।

11. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए है।

12. **सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा बैंक) के लिए इक्विटी पूंजी:** यह प्रावधान मुद्रा बैंक की पूंजी में वृद्धि के लिए है।

13. **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता:** यह प्रावधान कारोबार संबंधी कार्यक्रम तथा पूंजी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता के लिए है।

14. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता:** यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को व्यापार कार्यक्रम और पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इक्विटी समर्थन के लिए है।

15. **विदेशी सहायता संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान:** यह प्रावधान भारत सरकार और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत क्रेडिटएंस्टाल्ट फर वाइडरौफआउट (केएफडब्ल्यू) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को प्रदत्तर लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए ब्यारज विभेदक निधि (आईडीएफ) के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक जमा के लिए अनुदान के भुगतान हेतु है।

16. **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान:** यह प्रावधान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीअय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान के लिए है।

17. **इंडो स्विस कॉपरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यहा प्रावधान इंडो स्विस कॉपरेशन 6 के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को भुगतान हेतु है।

18. **आवास ऋण पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी:** यह प्रावधान आवास ऋण पर ब्याज सबवेंशन के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को सब्सिडी देने के लिए है।

19. **भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता:** यह प्रावधान भारत में सूक्ष्म वित्त के विस्तार में सुधार लाने के लिए भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता के लिए है।

20. **दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन:** यह प्रावधान स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड को जारी की गई प्रतिभूतियों के मोचन के लिए है।

23. **प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को सहायता:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना के तहत रु-पे कार्ड धारकों को प्रीमियम सदस्यता के लिए है।

25. **अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एग्रीग्रेटर को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने और प्रचार अभियान के लिए पीएफआरडीए को निधियन सहाोयता के लिए सरकार के सह-अंशदान हेतु है।

26. **वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों को पेंशन / वार्षिकी के लिए ब्याज सब्सिडी के भुगतान और पॉलिसी धारकों के नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य के बराबर भुगतान करने के लिए है।

27. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता के लिए है।

28. **प्रधान मंत्री वाया वंदन योजना:** बाजार की अनिश्चित स्थितियों के कारण भविष्य में ब्याज में गिरावट से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की आय की सुरक्षा करने और प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान है।

29. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए ऋण गारंटी निधि के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

30. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार:** मुद्रा लिमिटेड के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रचार एवं जागरूकता का प्रावधान है।

31. **स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीन फील्ड उद्यम को बढ़ावा देने हेतु स्टैटण्ड-अप इंडिया पहल आरंभ करने के लिए ऋण गारंटी निधि हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

32. **स्टैण्डअप इंडियाऔर सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार:** सिडबी द्वारा स्टैंड अप इंडिया के लिए प्रचार एवं जागरूकता का प्रावधान है।

33. **फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान फैक्टरिंग - क्रेडिट गारंटी फंड के लिए है।

34. **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):** यह प्रावधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान (सामान्य) तथा (वेतन) के लिए है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 32

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	32.19	...	32.19	44.00	...	44.00	146.15	...	146.15	47.08	...	47.08
वसूलियां	*-0.88*	...	-0.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**31.31**	**...**	**31.31**	**44.00**	**...**	**44.00**	**146.15**	**...**	**146.15**	**47.08**	**...**	**47.08**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	32.19	...	32.19	44.00	...	44.00	146.15	...	146.15	47.08	...	47.08
2. वास्तविक वसूलियां	-0.88	...	-0.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**31.31**	**...**	**31.31**	**44.00**	**...**	**44.00**	**146.15**	**...**	**146.15**	**47.08**	**...**	**47.08**
कुल जोड़	***31.31***	***...***	***31.31***	***44.00***	***...***	***44.00***	***146.15***	***...***	***146.15***	***47.08***	***...***	***47.08***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	31.31	...	31.31	44.00	...	44.00	146.15	...	146.15	47.08	...	47.08
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**31.31**	**...**	**31.31**	**44.00**	**...**	**44.00**	**146.15**	**...**	**146.15**	**47.08**	**...**	**47.08**
कुल जोड़	**31.31**	**...**	**31.31**	**44.00**	**...**	**44.00**	**146.15**	**...**	**146.15**	**47.08**	**...**	**47.08**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** इस शीर्ष के अधीन सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय तथा परामर्शी शुल्क आदि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 33

राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	99491.50	1.14	99492.64	180941.26	8.44	180949.70	119388.75	8.21	119396.96	203458.00	8.73	203466.73
वसूलियां	*-41192.65*	*...*	*-41192.65*	*-90063.26*	*...*	*-90063.26*	*-66804.55*	*...*	*-66804.55*	*-101268.39*	*...*	*-101268.39*
प्राप्तियां	*-182.65*	*...*	*-182.65*	*-150.00*	*...*	*-150.00*	*-150.00*	*...*	*-150.00*	*-150.00*	*...*	*-150.00*
निवल	**58116.20**	**1.14**	**58117.34**	**90728.00**	**8.44**	**90736.44**	**52434.20**	**8.21**	**52442.41**	**102039.61**	**8.73**	**102048.34**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	275.60	...	275.60	317.41	...	317.41	326.81	...	326.81	367.31	...	367.31
2. मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
3. प्रवर्तन निदेशालय	162.94	...	162.94	165.14	...	165.14	212.11	...	212.11	234.54	...	234.54
4. स्वापक नियत्रंण	35.68	...	35.68	31.78	...	31.78	33.22	...	33.22	35.96	...	35.96
5. विशेष जांच दल	2.45	...	2.45	2.76	...	2.76	3.17	...	3.17	2.46	...	2.46
6. वास्तविक वसूलियां	-46.06	...	-46.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**430.61**	**...**	**430.61**	**517.10**	**...**	**517.10**	**575.31**	**...**	**575.31**	**640.28**	**...**	**640.28**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	9.12	...	9.12	12.72	...	12.72	9.60	...	9.60	12.00	...	12.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	2.55	2.55	...	0.01	0.01
अन्य												
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	5.15	...	5.15	6.37	...	6.37	14.34	...	14.34	7.79	...	7.79
10. अन्य व्यय	36.58	...	36.58	40.62	...	40.62	51.41	...	51.41	50.40	...	50.40
11. अफीम एवं क्षारोध कारखाना												
11.01 अफीम और क्षारोद कारखानों में कार्यशील व्यय	286.60	...	286.60	300.91	...	300.91	198.29	...	198.29	278.87	...	278.87
11.02 घटाएं राजस्व प्राप्ति	-182.65	...	-182.65	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00
11.03 अफीम और क्षारोद कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	1.14	1.14	...	5.65	5.65	...	5.65	5.65	...	5.71	5.71
जोड़- अफीम एवं क्षारोध कारखाना	*103.95*	*1.14*	*105.09*	*150.91*	*5.65*	*156.56*	*48.29*	*5.65*	*53.94*	*128.87*	*5.71*	*134.58*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
13. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	...	...	...	...	2.79	2.79	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
14. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	3.00
जोड़-अन्य	**145.90**	**1.14**	**147.04**	**198.15**	**8.44**	**206.59**	**114.29**	**5.66**	**119.95**	**187.31**	**8.72**	**196.03**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**155.02**	**1.14**	**156.16**	**210.87**	**8.44**	**219.31**	**123.89**	**8.21**	**132.10**	**199.31**	**8.73**	**208.04**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
15. वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
16. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	1384.57	...	1384.57	0.02	...	0.02	...	...	...	0.01	...	0.01
17. जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण	56146.00	...	56146.00	90000.00	...	90000.00	51735.00	...	51735.00	101200.00	...	101200.00
18. जीएसटी को लागू करने पर होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति	41146.00	...	41146.00	90000.00	...	90000.00	66735.00	...	66735.00	101200.00	...	101200.00
19. जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि	-41146.00	...	-41146.00	-90000.00	...	-90000.00	-66735.00	...	-66735.00	-101200.00	...	-101200.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**57530.57**	**...**	**57530.57**	**90000.03**	**...**	**90000.03**	**51735.00**	**...**	**51735.00**	**101200.02**	**...**	**101200.02**
कुल जोड़	***58116.20***	***1.14***	***58117.34***	***90728.00***	***8.44***	***90736.44***	***52434.20***	***8.21***	***52442.41***	***102039.61***	***8.73***	***102048.34***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
2. अन्य राजकोषीय सेवाएं	209.82	...	209.82	219.82	...	219.82	275.73	...	275.73	299.70	...	299.70
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	275.58	...	275.58	317.42	...	317.42	326.81	...	326.81	367.32	...	367.32
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	34.17	...	34.17	39.57	...	39.57	48.12	...	48.12	43.45	...	43.45
5. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	2.55	2.55	...	0.01	0.01
6. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	2.79	2.79	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	**519.79**	**...**	**519.79**	**577.06**	**2.79**	**579.85**	**650.91**	**2.56**	**653.47**	**710.72**	**0.02**	**710.74**
सामाजिक सेवाएं												
7. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	3.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**3.00**	**3.00**
आर्थिक सेवाएं												
8. अन्य उद्योग	65.84	...	65.84	150.91	...	150.91	48.29	...	48.29	128.87	...	128.87
9. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	1.14	1.14	...	5.65	5.65	...	5.65	5.65	...	5.71	5.71
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**65.84**	**1.14**	**66.98**	**150.91**	**5.65**	**156.56**	**48.29**	**5.65**	**53.94**	**128.87**	**5.71**	**134.58**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	57040.57	...	57040.57	87500.02	...	87500.02	47235.00	...	47235.00	96000.01	...	96000.01
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	490.00	...	490.00	2500.01	...	2500.01	4500.00	...	4500.00	5200.01	...	5200.01
जोड़-अन्य	**57530.57**	**...**	**57530.57**	**90000.03**	**...**	**90000.03**	**51735.00**	**...**	**51735.00**	**101200.02**	**...**	**101200.02**
कुल जोड़	**58116.20**	**1.14**	**58117.34**	**90728.00**	**8.44**	**90736.44**	**52434.20**	**8.21**	**52442.41**	**102039.61**	**8.73**	**102048.34**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. जीएसटीएन एसपीवी में निवेश	...	...	...	...	...	...	2.55	...	2.55	0.01	...	0.01
जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**2.55**	**...**	**2.55**	**0.01**	**...**	**0.01**

1. **सचिवालय:** टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन:** मूल्य वर्द्धित कर (वैट) को अपनाने के उद्देश्य से विशेष श्रेणी के राज्यों और नए सृजित राज्यों से संबंधित बिक्री कर विभागों के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।

4. **स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और औषध दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5. **विशेष जांच दल:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।

8. **जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश:** माल एवं सेवा कर नेटवर्क विशेष प्रयोजन व्यवस्था में 25.5 प्रतिशत शेयर की खरीद का प्रावधान है।

9. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रंशात समूह, एग्मोंनट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।

10. **अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टैट) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

11. **अफीम एवं क्षारोध कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोध कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल होती है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रोसेसिंग एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।

12. **राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन राष्ट्रीय समिति के व्यय को पूरा करने के लिए है।

13. **लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए है।

14. **आवास पर पूंजीगत परिव्यय:** प्रर्वतन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।

15. **वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** प्रावधान वैट और वैट संबंधी व्यय के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को मुआवजे के लिए है।

16. **केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।

17. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण:** जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 के अंतर्गत भारतीय समेकित निधि में संग्रहित कर से जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि, जो एक भारतीय सार्वजनिक लेखा है, में हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

18. **जीएसटी को लागू करने पर होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति:** जीएसटी के लागू होने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान रखा गया है।

19. **जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि:** यह प्रावधान राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को राजस्व हानियों के मुआवजे के लिए है, क्योंकि माल और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को जीएसटी मुआवजा उपकर कोष से पूरा किया जाना है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 34

प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6087.65	181.68	6269.33	6728.00	254.00	6982.00	7127.96	254.04	7382.00	7036.44	302.00	7338.44
वसूलियां	*-0.94*	*-19.32*	-20.26	*...*	*-2.00*	*-2.00*	*...*	*-2.00*	*-2.00*	*...*	*-2.00*	*-2.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**6086.71**	**162.36**	**6249.07**	**6728.00**	**252.00**	**6980.00**	**7127.96**	**252.04**	**7380.00**	**7036.44**	**300.00**	**7336.44**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण												
1.01 आय कर का संग्रहण	5144.20	...	5144.20	5685.16	...	5685.16	6023.13	...	6023.13	5945.79	...	5945.79
1.02 निगम कर का संग्रहण	791.28	...	791.28	874.64	...	874.64	926.63	...	926.63	914.74	...	914.74
1.03 वास्तविक वसूली	-0.94	...	-0.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*5934.54*	*...*	*5934.54*	*6559.80*	*...*	*6559.80*	*6949.76*	*...*	*6949.76*	*6860.53*	*...*	*6860.53*
2. संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण												
2.01 धन कर का संग्रहण	15.22	...	15.22	16.82	...	16.82	17.82	...	17.82	17.59	...	17.59
2.02 प्रतिभूतियां लेनदेन कर	30.43	...	30.43	33.64	...	33.64	35.64	...	35.64	35.18	...	35.18
2.03 अन्य करों का संग्रहण	106.52	...	106.52	117.74	...	117.74	124.74	...	124.74	123.14	...	123.14
2.04 तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन	...	85.54	85.54	...	174.37	174.37	...	127.04	127.04	...	159.43	159.43
2.05 तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन	...	94.25	94.25	...	77.63	77.63	...	125.00	125.00	...	140.57	140.57
जोड़- संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण	*152.17*	*179.79*	*331.96*	*168.20*	*252.00*	*420.20*	*178.20*	*252.04*	*430.24*	*175.91*	*300.00*	*475.91*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**6086.71**	**179.79**	**6266.50**	**6728.00**	**252.00**	**6980.00**	**7127.96**	**252.04**	**7380.00**	**7036.44**	**300.00**	**7336.44**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण												
3.01 सकल व्यय	...	1.89	1.89	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
3.02 घटाइए-बिक्री प्राप्तियां	...	-19.32	-19.32	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
निवल	*...*	*-17.43*	*-17.43*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
कुल जोड़	***6086.71***	***162.36***	***6249.07***	***6728.00***	***252.00***	***6980.00***	***7127.96***	***252.04***	***7380.00***	***7036.44***	***300.00***	***7336.44***

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	5934.54	...	5934.54	6559.80	...	6559.80	6949.76	...	6949.76	6860.53	...	6860.53
2. संपत्ति करों, प्रतिभूति संबंधी संव्यवहार करों तथा अन्य करों का संग्रहण	152.17	...	152.17	168.20	...	168.20	178.20	...	178.20	175.91	...	175.91
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	85.54	85.54	...	174.37	174.37	...	127.04	127.04	...	159.43	159.43
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	-17.43	-17.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य सेवाएं	**6086.71**	**68.11**	**6154.82**	**6728.00**	**174.37**	**6902.37**	**7127.96**	**127.04**	**7255.00**	**7036.44**	**159.43**	**7195.87**
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	94.25	94.25	...	77.63	77.63	...	125.00	125.00	...	140.57	140.57
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**...**	**94.25**	**94.25**	**...**	**77.63**	**77.63**	**...**	**125.00**	**125.00**	**...**	**140.57**	**140.57**
कुल जोड़	**6086.71**	**162.36**	**6249.07**	**6728.00**	**252.00**	**6980.00**	**7127.96**	**252.04**	**7380.00**	**7036.44**	**300.00**	**7336.44**

1.01. **आय कर का संग्रहण:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आय, एचयूएफ, फर्म, एओपी, न्यास और अन्य निर्धारिती, जिसमें कि कारपोरेट निर्धारिती नहीं आते हैं, की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को देखता है।

1.02. **निगम कर का संग्रहण:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट निर्धारिती की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.01. **धन कर का संग्रहण:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा धन पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.02. **प्रतिभूतियां लेनदेन कर:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.03. **अन्य करों का संग्रहण:** यह मांग उस प्रत्यक्ष कर संगठन की जरूरत से संबंधित है जो कि केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त करों से भिन्न अन्य करों पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.04. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित कार्यालय प्रयोजन के लिए बने-बनाए कार्यालय/ भवन की खरीद का/ भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।

2.05. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित आवासीय प्रयोजन के लिए बने-बनाए कार्यालय/ भवन की खरीद का/ भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।

3.01. **सकल व्यय:** यह सकल व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही खरीदे गए संपत्तियों की देखरेख और उससे संबंधित प्रतिभूति प्रभार के लिए किया गया है।

3.02. **घटाइए-बिक्री प्राप्तियां:** घटाइए-बिक्री प्राप्तियां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा के अध्याय XXC के अंतर्गत यथा परिकल्पित अचल संपत्ति खरीद के लिए भारत सरकार के पूर्व क्रियाधिकार से संबंधित है। निर्धारित सीमा से ज्यादा प्रत्यक्ष कीमत वाली परिसंपत्तियों की खरीद के लिए ऐसे आदेश यथोचित प्राधिकारी द्वारा दिए गए थे।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 35

अप्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7041.39	349.00	7390.39	7418.50	407.00	7825.50	7218.65	407.01	7625.66	7493.65	406.85	7900.50
वसूलियां	*-0.96*	*-0.21*	-1.17	*-0.50*	*...*	*-0.50*	*-0.50*	*...*	*-0.50*	*-0.50*	*...*	*-0.50*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**7040.43**	**348.79**	**7389.22**	**7418.00**	**407.00**	**7825.00**	**7218.15**	**407.01**	**7625.16**	**7493.15**	**406.85**	**7900.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सीमा शुल्क												
1.01 सीमा शुल्क का संग्रहण	1785.74	...	1785.74	2047.00	...	2047.00	2064.42	...	2064.42	2102.50	...	2102.50
1.02 सीमा शुल्क का स्थापना खर्च	...	53.92	53.92	...	105.00	105.00	...	99.00	99.00	...	105.00	105.00
जोड़- सीमा शुल्क	*1785.74*	*53.92*	*1839.66*	*2047.00*	*105.00*	*2152.00*	*2064.42*	*99.00*	*2163.42*	*2102.50*	*105.00*	*2207.50*
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स												
2.01 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण / सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स	3931.86	...	3931.86	3909.95	...	3909.95	3943.36	...	3943.36	3990.56	...	3990.56
2.02 उत्पाद शुल्क का स्थापना खर्च /सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स	1317.85	...	1317.85	1448.05	...	1448.05	1192.77	...	1192.77	1382.09	...	1382.09
2.03 आवास - देख-रेख और मरम्मत	5.94	...	5.94	13.00	...	13.00	17.60	...	17.60	18.00	...	18.00
2.04 बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन	...	125.48	125.48	...	181.00	181.00	...	187.01	187.01	...	184.24	184.24
2.05 बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन	...	169.60	169.60	...	121.00	121.00	...	121.00	121.00	...	117.61	117.61
जोड़- केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स	*5255.65*	*295.08*	*5550.73*	*5371.00*	*302.00*	*5673.00*	*5153.73*	*308.01*	*5461.74*	*5390.65*	*301.85*	*5692.50*
3. वास्तविक वसूलियां	-0.96	-0.21	-1.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**7040.43**	**348.79**	**7389.22**	**7418.00**	**407.00**	**7825.00**	**7218.15**	**407.01**	**7625.16**	**7493.15**	**406.85**	**7900.00**
कुल जोड़	***7040.43***	***348.79***	***7389.22***	***7418.00***	***407.00***	***7825.00***	***7218.15***	***407.01***	***7625.16***	***7493.15***	***406.85***	***7900.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सीमा शुल्क	1785.50	...	1785.50	2047.00	...	2047.00	2064.42	...	2064.42	2102.50	...	2102.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	5248.99	...	5248.99	5358.00	...	5358.00	...	...	...	...	...	...
3. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	...	...	...	...	...	...	5136.13	...	5136.13	5372.65	...	5372.65
4. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	53.71	53.71	...	105.00	105.00	...	99.00	99.00	...	105.00	105.00
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	125.48	125.48	...	181.00	181.00	...	187.01	187.01	...	184.24	184.24
जोड़-सामान्य सेवाएं	**7034.49**	**179.19**	**7213.68**	**7405.00**	**286.00**	**7691.00**	**7200.55**	**286.01**	**7486.56**	**7475.15**	**289.24**	**7764.39**
सामाजिक सेवाएं												
6. आवास	5.94	...	5.94	13.00	...	13.00	17.60	...	17.60	18.00	...	18.00
7. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	169.60	169.60	...	121.00	121.00	...	121.00	121.00	...	117.61	117.61
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**5.94**	**169.60**	**175.54**	**13.00**	**121.00**	**134.00**	**17.60**	**121.00**	**138.60**	**18.00**	**117.61**	**135.61**
कुल जोड़	**7040.43**	**348.79**	**7389.22**	**7418.00**	**407.00**	**7825.00**	**7218.15**	**407.01**	**7625.16**	**7493.15**	**406.85**	**7900.00**

1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और कस्टम्स विंग के अन्य व्यय , सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान आते हैं।

1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** तस्करी अवरोधी उपकरणों, कंटेनर स्केनर्स, मेरीन फ्लीट की खरीद और एक्सवीआईएस आदि की अधिप्राप्ति पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए एक प्रावधान किया गया है।

2.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण / सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स:** यह प्रावधान केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संगठन की स्थापना खर्च, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर , एकीकृत वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च भी शामिल है, को पूरा करने के लिए लिया गया है।

2.02. **उत्पाद शुल्क का स्थापना खर्च /सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स:** यह प्रावधान मुख्य रूप से निश्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, करदाता सेवा निदेशालय, वस्त्र एवं सेवा कर निदेशालय, वस्त्र एवं सेवा कर आसूचना निदेशालय, सेटलमेंट कमीशन और अन्य खर्च के लिए किया गया है।

2.03. **आवास - देख-रेख और मरम्मत:** यह प्रावधान विभाग के अंतर्गत विभाग के स्वामित्व में आने वाले आवासीय भवनों की देख रेख और मरम्मत के लिए है।

2.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित बने बनाए कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

2.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए बने बनाए आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान आते हैं।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 36

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4305.81	4.74	4310.55	4614.12	16.00	4630.12	4810.01	41.55	4851.56	4999.91	16.00	5015.91
वसूलियां	*-270.01*	*...*	*-270.01*	*-324.42*	*...*	*-324.42*	*-330.04*	*...*	*-330.04*	*-343.13*	*...*	*-343.13*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**4035.80**	**4.74**	**4040.54**	**4289.70**	**16.00**	**4305.70**	**4479.97**	**41.55**	**4521.52**	**4656.78**	**16.00**	**4672.78**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	132.41	...	132.41	159.68	...	159.68	166.44	...	166.44	175.25	...	175.25
2. लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय												
2.01 सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	2096.89	...	2096.89	2212.45	...	2212.45	2334.03	...	2334.03	2373.98	...	2373.98
2.02 सिविल लेखा कार्यालय	1401.79	...	1401.79	1481.34	...	1481.34	1512.90	...	1512.90	1616.36	...	1616.36
जोड़- लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय	*3498.68*	*...*	*3498.68*	*3693.79*	*...*	*3693.79*	*3846.93*	*...*	*3846.93*	*3990.34*	*...*	*3990.34*
3. डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	129.12	...	129.12	149.38	...	149.38	152.12	...	152.12	159.59	...	159.59
4. रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	233.61	...	233.61	275.90	...	275.90	278.58	...	278.58	290.26	...	290.26
5. रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	92.80	...	92.80	97.98	...	97.98	108.32	...	108.32	112.76	...	112.76
6. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	165.88	...	165.88	178.55	...	178.55	196.04	...	196.04	203.96	...	203.96
7. विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय	24.46	...	24.46	27.51	...	27.51	29.51	...	29.51	33.08	...	33.08
8. अन्य व्यय	28.85	...	28.85	31.33	...	31.33	32.07	...	32.07	34.67	...	34.67
9. तैयार निर्मित कार्यालयों भवनों की खरीद	...	3.24	3.24	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00
10. तैयार निर्मित रिहायशी भवनों की खरीद	...	1.50	1.50	...	8.00	8.00	...	33.55	33.55	...	8.00	8.00
11. किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियाँ												
11.01 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	-2.04	...	-2.04	-8.93	...	-8.93	-11.20	...	-11.20	-10.58	...	-10.58
11.02 सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय	-267.97	...	-267.97	-315.49	...	-315.49	-318.84	...	-318.84	-332.55	...	-332.55
जोड़- किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियाँ	*-270.01*	*...*	*-270.01*	*-324.42*	*...*	*-324.42*	*-330.04*	*...*	*-330.04*	*-343.13*	*...*	*-343.13*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**4035.80**	**4.74**	**4040.54**	**4289.70**	**16.00**	**4305.70**	**4479.97**	**41.55**	**4521.52**	**4656.78**	**16.00**	**4672.78**
कुल जोड़	***4035.80***	***4.74***	***4040.54***	***4289.70***	***16.00***	***4305.70***	***4479.97***	***41.55***	***4521.52***	***4656.78***	***16.00***	***4672.78***

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लेखा परीक्षा	4035.80	...	4035.80	4289.70	...	4289.70	4479.97	...	4479.97	4656.78	...	4656.78
2. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	3.24	3.24	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**4035.80**	**3.24**	**4039.04**	**4289.70**	**8.00**	**4297.70**	**4479.97**	**8.00**	**4487.97**	**4656.78**	**8.00**	**4664.78**
सामाजिक सेवाएं												
3. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	1.50	1.50	...	8.00	8.00	...	33.55	33.55	...	8.00	8.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**...**	**1.50**	**1.50**	**...**	**8.00**	**8.00**	**...**	**33.55**	**33.55**	**...**	**8.00**	**8.00**
कुल जोड़	**4035.80**	**4.74**	**4040.54**	**4289.70**	**16.00**	**4305.70**	**4479.97**	**41.55**	**4521.52**	**4656.78**	**16.00**	**4672.78**

1. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** इस मांग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

2.01. **लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में सिविल लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

2.02. **सिविल लेखा कार्यालय:** इस मांग में सिविल लेखा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

3. **डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में डाक एवं दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

4. **रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

5. **रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

6. **वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

7. **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में विदेश स्थित लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

8. **अन्य व्यय:** इस मांग में राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला एवं भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग की विभागीय कैन्टीन से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

9. **तैयार निर्मित कार्यालयों भवनों की खरीद:** यह प्रावधान कार्यालय भवनों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।

10. **तैयार निर्मित रिहायशी भवनों की खरीद:** यह प्रावधान सरकारी रिहायशी आवासों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।

11.01. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा कार्यालयों तथा मुख्यालय में रेलवे लेखा परीक्षा शाखा पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियाँ।

11.02. **लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय:** डाक तथा लेखा परीक्षा कार्यालयों और रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालयों पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियाँ।

वित्त मंत्रालय

सं 37 (विनियोग)

ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	543710.07	...	543710.07	590794.95	...	590794.95	599991.60	...	599991.60	677060.92	...	677060.92
वसूलियां	*-2.81*	...	*-2.81*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	*-14755.27*	...	*-14755.27*	*-15000.00*	...	*-15000.00*	*-12421.77*	...	*-12421.77*	*-12000.00*	...	*-12000.00*
निवल	**528951.99**	**...**	**528951.99**	**575794.95**	**...**	**575794.95**	**587569.83**	**...**	**587569.83**	**665060.92**	**...**	**665060.92**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
1. ऋण की कमी के लिए प्रीमियम का पूर्व भुगतान	303.12	...	303.12	2000.00	...	2000.00	500.00	...	500.00	2000.00	...	2000.00
2. आंतरिक ऋण पर ब्याज												
2.01 बाजार ऋण	404131.58	...	404131.58	433857.44	...	433857.44	435093.91	...	435093.91	481999.76	...	481999.76
2.02 कम उपार्जित ब्याज	-14755.27	...	-14755.27	-15000.00	...	-15000.00	-12421.77	...	-12421.77	-12000.00	...	-12000.00
2.03 नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	1437.31	...	1437.31	1500.00	...	1500.00	1600.00	...	1600.00	2500.00	...	2500.00
2.04 क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र	1668.20	...	1668.20	2180.85	...	2180.85	3180.85	...	3180.85	3500.00	...	3500.00
2.05 14 दिवसीय खजाना बिल	4908.07	...	4908.07	5585.26	...	5585.26	5585.26	...	5585.26	6364.52	...	6364.52
2.06 91 दिवसीय खजाना बिल	11720.02	...	11720.02	13723.54	...	13723.54	11022.18	...	11022.18	11080.69	...	11080.69
2.07 182 दिवसीय खजाना बिल	5661.82	...	5661.82	5430.57	...	5430.57	8623.42	...	8623.42	10631.57	...	10631.57
2.08 364 दिवसीय खजाना बिल पर छूट	9575.92	...	9575.92	9857.57	...	9857.57	12698.50	...	12698.50	12990.53	...	12990.53
2.09 ऋणों का प्रबंधन	1510.58	...	1510.58	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	2000.00	...	2000.00
2.10 अर्थोपाय अग्रिम	505.34	...	505.34	500.00	...	500.00	1500.00	...	1500.00	2500.00	...	2500.00
2.11 विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी की गई बाजार योग्य प्रतिभूतियां	3774.64	...	3774.64	3050.97	...	3050.97	3050.97	...	3050.97	2664.82	...	2664.82
2.12 बाजार स्थिरीकरण योजना	5326.86	...	5326.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.13 पुर्नपूंजीकरण बंध पत्रों पर ब्याज	...	...	...	5000.00	...	5000.00	5800.55	...	5800.55	16193.90	...	16193.90
जोड़- आंतरिक ऋण पर ब्याज	*435465.07*	...	*435465.07*	*467186.20*	...	*467186.20*	*477233.87*	...	*477233.87*	*540425.79*	...	*540425.79*
3. विदेशी ऋणों पर ब्याज	5950.76	...	5950.76	6188.00	...	6188.00	7870.00	...	7870.00	9765.00	...	9765.00
4. लघु बचत, भविष्य निधियों इत्यादि पर ब्याज												
4.01 छोटी बचत जमा प्रमाणपत्र तथा परिचालन व्ययों पर	37306.66	...	37306.66	46048.53	...	46048.53	47316.65	...	47316.65	55152.44	...	55152.44

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ब्याज												
4.02 राज्य भविष्य निधियां	13286.85	...	13286.85	15173.47	...	15173.47	15173.47	...	15173.47	16824.97	...	16824.97
4.03 बीमा तथा पेंशन निधियां	8034.84	...	8034.84	8016.00	...	8016.00	8016.00	...	8016.00	8598.00	...	8598.00
4.04 गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमाएं	2834.71	...	2834.71	3169.90	...	3169.90	3169.90	...	3169.90	2145.05	...	2145.05
4.05 अन्य विशेष जमाएं	8981.77	...	8981.77	11705.31	...	11705.31	11705.31	...	11705.31	13001.89	...	13001.89
जोड़- लघु बचत, भविष्य निधियों इत्यादि पर ब्याज	*70444.83*	...	*70444.83*	*84113.21*	...	*84113.21*	*85381.33*	...	*85381.33*	*95722.35*	...	*95722.35*
5. रिजर्व निधियों पर ब्याज	815.96	...	815.96	264.21	...	264.21	343.34	...	343.34	833.80	...	833.80
6. अन्य दायित्वों पर ब्याज												
6.01 तेल कंपनियों को विशेष बांड	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96
6.02 भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष बांड	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26
6.03 उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बांड	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58
6.04 एसबीआई राइट्स के लिए बांड	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67
6.05 पीएलआई को विशेष बांड	1633.48	...	1633.48	1633.48	...	1633.48	1611.08	...	1611.08	1611.08	...	1611.08
6.06 अन्य को ब्याज	1024.11	...	1024.11	1092.38	...	1092.38	1312.74	...	1312.74	1385.43	...	1385.43
जोड़- अन्य दायित्वों पर ब्याज	*15975.06*	...	*15975.06*	*16043.33*	...	*16043.33*	*16241.29*	...	*16241.29*	*16313.98*	...	*16313.98*
7. वास्तविक वसूलियां	-2.81	...	-2.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**528951.99**	**...**	**528951.99**	**575794.95**	**...**	**575794.95**	**587569.83**	**...**	**587569.83**	**665060.92**	**...**	**665060.92**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**528951.99**	**...**	**528951.99**	**575794.95**	**...**	**575794.95**	**587569.83**	**...**	**587569.83**	**665060.92**	**...**	**665060.92**
कुल जोड़	***528951.99***	***...***	***528951.99***	***575794.95***	***...***	***575794.95***	***587569.83***	***...***	***587569.83***	***665060.92***	***...***	***665060.92***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. ऋण की कटौती या परिवर्जन के लिए विनियोग	303.12	...	303.12	2000.00	...	2000.00	500.00	...	500.00	2000.00	...	2000.00
2. ब्याज भुगतान	528648.87	...	528648.87	573794.95	...	573794.95	587069.83	...	587069.83	663060.92	...	663060.92
जोड़-सामान्य सेवाएं	**528951.99**	**...**	**528951.99**	**575794.95**	**...**	**575794.95**	**587569.83**	**...**	**587569.83**	**665060.92**	**...**	**665060.92**
कुल जोड़	**528951.99**	**...**	**528951.99**	**575794.95**	**...**	**575794.95**	**587569.83**	**...**	**587569.83**	**665060.92**	**...**	**665060.92**

संविधान के अनुच्छेद 112 (3) (ग) के अंतर्गत भारत के संचित निधि पर इस विनियोग में शामिल किया गया पूरा व्यय 'प्रभारित' वर्गीकृत किया गया है।

इस विनियोग में केंद्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य, दोनों पर ब्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें वाणिज्यिक विभागों जैसे रेलवे की अन्य आरक्षित निधियां, मूल्यह्रास के अलावा सरकार के पास जमा निधियों पर देय ब्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केंद्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय

सं 38 (विनियोग)

ऋण की वापसी अदायगी

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	...	5872604.63	5872604.63	...	6084973.37	6084973.37	...	6191567.49	6191567.49	...	5983187.09	5983187.09
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	*-5872604.63*	*-5872604.63*	...	*-6084973.37*	*-6084973.37*	...	*-6191567.49*	*-6191567.49*	...	*-5983187.09*	*-5983187.09*
निवल	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
1. केन्द्रीय सरकार का आंतरिक ऋण												
1.01 बाजार ऋण	...	137271.69	137271.69	...	143477.87	143477.87	...	148263.08	148263.08	...	236877.99	236877.99
1.02 बाईबैक/स्वीचिंग	...	99630.07	99630.07	...	100000.00	100000.00	...	28059.00	28059.00	...	100000.00	100000.00
1.03 14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	3796169.17	3796169.17	...	4027581.00	4027581.00	...	3771818.30	3771818.30	...	3960409.22	3960409.22
1.04 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	742174.08	742174.08	...	857721.45	857721.45	...	706707.70	706707.70	...	524343.22	524343.22
1.05 182दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	183981.05	183981.05	...	161705.32	161705.32	...	225089.11	225089.11	...	310119.02	310119.02
1.06 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	142525.74	142525.74	...	149993.00	149993.00	...	159685.00	159685.00	...	190396.00	190396.00
1.07 नगद प्रबंधन हुंडियां	...	150000.00	150000.00	...	100000.00	100000.00	...	200000.00	200000.00	...	100000.00	100000.00
1.08 अर्थोपाय अग्रिम	...	480042.00	480042.00	...	500000.00	500000.00	...	900000.00	900000.00	...	500000.00	500000.00
1.09 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां	...	7467.66	7467.66	...	640.76	640.76	...	5150.26	5150.26	...	1572.77	1572.77
1.10 छतिपूर्तियां और अन्य बांड्स	...	624.85	624.85	...	865.97	865.97	...	1922.04	1922.04	...	1837.55	1837.55
1.11 एनएसएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों का मोचन	...	6033.05	6033.05	...	13533.00	13533.00	...	13533.00	13533.00	...	22268.32	22268.32
1.12 बाजार स्थिरीकरण हुंडियां/बांड	...	100000.00	100000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.13 प्रतिभूतियों से निवलित राशि घटाएं	...	-5845919.36	-	...	-6055518.37	-	...	-6160227.49	-	...	-5947824.09	-
			5845919.36			6055518.37			6160227.49			5947824.09
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. बाह्य ऋण												
2.01 सकल बजटीय सहायता	...	26685.27	26685.27	...	29455.00	29455.00	...	31340.00	31340.00	...	35363.00	35363.00
2.02 प्रतिभूतियों से निवलित घटाएं	...	-26685.27	-26685.27	...	-29455.00	-29455.00	...	-31340.00	-31340.00	...	-35363.00	-35363.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
ख. विकासात्मकशीर्ष												
अन्य												
1. केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. विदेशी ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

आंतरिक और विदेशी ऋण: इस विनियोग में केन्द्र सरकार द्वारा जुटाए गए आंतरिक और विदेशी ऋण की अदायगी हेतु प्रावधान शामिल है और इसमें विभिन्न परिपक्वताओं वाली राजकोषीय हुंडियों के मोचन, नकद प्रबंधन हुंडियों के जरिए अल्पावधिक उधार, अर्थोपाय अग्रिम, पुनर्खरीद/कटौती में परिवर्तन/ ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 39

पेंशन

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	41235.45	...	41235.45	47430.00	...	47430.00	47430.00	...	47430.00	49565.00	...	49565.00
वसूलियां	*-2.01*	...	-2.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	*-1000.00*	...	*-1000.00*	*-1000.00*	...	*-1000.00*	*-1000.00*	...	*-1000.00*
निवल	**41233.44**	**...**	**41233.44**	**46430.00**	**...**	**46430.00**	**46430.00**	**...**	**46430.00**	**48565.00**	**...**	**48565.00**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ												
1.01 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते	17865.07	...	17865.07	20179.70	...	20179.70	20179.70	...	20179.70	20926.92	...	20926.92
1.02 पेंशन का परिवर्तित मूल्य	4769.23	...	4769.23	5667.69	...	5667.69	5667.69	...	5667.69	5725.86	...	5725.86
1.03 उपदान	4258.55	...	4258.55	4837.76	...	4837.76	4837.76	...	4837.76	5024.24	...	5024.24
1.04 परिवारिक पेंशन	5562.56	...	5562.56	6964.28	...	6964.28	6964.28	...	6964.28	7707.38	...	7707.38
1.05 छुट्टी नकदीकरण	2246.73	...	2246.73	2335.59	...	2335.59	2335.59	...	2335.59	2349.39	...	2349.39
1.06 भविष्य निधि में अंशदान	9.21	...	9.21	14.69	...	14.69	14.69	...	14.69	15.42	...	15.42
1.07 विविध पेंशन संबंधी भुगतान	3521.16	...	3521.16	3458.77	...	3458.77	3458.77	...	3458.77	3745.43	...	3745.43
1.08 अन्य	0.78	...	0.78	3.34	...	3.34	3.34	...	3.34	3.51	...	3.51
1.09 वास्तविक वसूलियां	-2.01	...	-2.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*38231.28*	...	*38231.28*	*43461.82*	...	*43461.82*	*43461.82*	...	*43461.82*	*45498.15*	...	*45498.15*
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार												
2.01 दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान	2962.23	...	2962.23	3916.27	...	3916.27	3916.27	...	3916.27	4012.35	...	4012.35
2.02 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कम प्राप्त होने वाली धनराशि	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00
निवल	*2962.23*	...	*2962.23*	*2916.27*	...	*2916.27*	*2916.27*	...	*2916.27*	*3012.35*	...	*3012.35*
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण												
3.01 जमा संबद्ध बीमा योजना	38.42	...	38.42	48.99	...	48.99	48.99	...	48.99	51.37	...	51.37
3.02 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	0.21	...	0.21	1.12	...	1.12	1.12	...	1.12	1.18	...	1.18
3.03 अन्य	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.63	...	0.63

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.04 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को भुगतान जमा संबद्ध बीमा योजना	0.70	...	0.70	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.32	...	1.32
जोड़- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	*39.93*	*...*	*39.93*	*51.91*	*...*	*51.91*	*51.91*	*...*	*51.91*	*54.50*	*...*	*54.50*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**41233.44**	**...**	**41233.44**	**46430.00**	**...**	**46430.00**	**46430.00**	**...**	**46430.00**	**48565.00**	**...**	**48565.00**
कुल जोड़	***41233.44***	***...***	***41233.44***	***46430.00***	***...***	***46430.00***	***46430.00***	***...***	***46430.00***	***48565.00***	***...***	***48565.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	41193.51	...	41193.51	46378.09	...	46378.09	46378.09	...	46378.09	48510.50	...	48510.50
जोड़-सामान्य सेवाएं	**41193.51**	**...**	**41193.51**	**46378.09**	**...**	**46378.09**	**46378.09**	**...**	**46378.09**	**48510.50**	**...**	**48510.50**
सामाजिक सेवाएं												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	39.93	...	39.93	51.91	...	51.91	51.91	...	51.91	54.50	...	54.50
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**39.93**	**...**	**39.93**	**51.91**	**...**	**51.91**	**51.91**	**...**	**51.91**	**54.50**	**...**	**54.50**
कुल जोड़	**41233.44**	**...**	**41233.44**	**46430.00**	**...**	**46430.00**	**46430.00**	**...**	**46430.00**	**48565.00**	**...**	**48565.00**

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** इस मांग में भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाने वाली अन्य मदों के साथ-साथ पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है, जो बाद में राज्य सरकारों से वसूला जाता है।

2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए है। मुख्यर शीर्ष '0071 – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में अंशदान और वसूलियां' के तहत प्राप्तियां राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाली देय राशि (1000 करोड़) के कारण है।

3. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** इसमें अंशदायी और अन्य भविष्य निधियों, जमा संबद्ध बीमा योजना और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 40

राज्यों को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	111077.10	17499.95	128577.05	141873.50	20100.00	161973.50	135943.78	23900.84	159844.62	164382.22	19823.28	184205.50
वसूलियां	*-3660.00*	*...*	*-3660.00*	*-2500.00*	*...*	*-2500.00*	*-2315.00*	*...*	*-2315.00*	*-2480.00*	*...*	*-2480.00*
प्राप्तियां	*-3515.12*	*-13900.73*	*-17415.85*	*-2500.00*	*-14116.00*	*-16616.00*	*-2315.00*	*-13862.12*	*-16177.12*	*-2480.00*	*-12362.05*	*-14842.05*
निवल	**103901.98**	**3599.22**	**107501.20**	**136873.50**	**5984.00**	**142857.50**	**131313.78**	**10038.72**	**141352.50**	**159422.22**	**7461.23**	**166883.45**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
वित्त आयोग अनुदान												
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान												
1. हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	35819.00	...	35819.00	34582.00	...	34582.00	34582.00	...	34582.00	34206.00	...	34206.00
2. राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान	9382.80	...	9382.80	9852.13	...	9852.13	9852.13	...	9852.13	10343.85	...	10343.85
3. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान												
3.01 ग्रामीण निकाय	34448.30	...	34448.30	45069.18	...	45069.18	42815.18	...	42815.18	60687.08	...	60687.08
3.02 शहरी निकाय	12594.37	...	12594.37	19870.19	...	19870.19	18879.47	...	18879.47	26665.29	...	26665.29
जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	*47042.67*	*...*	*47042.67*	*64939.37*	*...*	*64939.37*	*61694.65*	*...*	*61694.65*	*87352.37*	*...*	*87352.37*
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान	**92244.47**	**...**	**92244.47**	**109373.50**	**...**	**109373.50**	**106128.78**	**...**	**106128.78**	**131902.22**	**...**	**131902.22**
जोड़-वित्त आयोग अनुदान	**92244.47**	**...**	**92244.47**	**109373.50**	**...**	**109373.50**	**106128.78**	**...**	**106128.78**	**131902.22**	**...**	**131902.22**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
4. विशेष सहायता	6950.50	...	6950.50	15000.00	...	15000.00	13500.00	...	13500.00	15000.00	...	15000.00
5. संविधान के भाग IX और I Xक में शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
6. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	2999.60	...	2999.60	4500.00	...	4500.00	3500.00	...	3500.00	4500.00	...	4500.00
7. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण)	...	17499.95	17499.95	...	20000.00	20000.00	...	23800.84	23800.84	...	19723.28	19723.28
	...	-13900.73	-13900.73	...	-14016.00	-14016.00	...	-13762.12	-13762.12	...	-12262.05	-12262.05
निवल	*...*	*3599.22*	*3599.22*	*...*	*5984.00*	*5984.00*	*...*	*10038.72*	*10038.72*	*...*	*7461.23*	*7461.23*
8. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण												
8.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण	3660.00	...	3660.00	2500.00	...	2500.00	2315.00	...	2315.00	2480.00	...	2480.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-576.68	...	-576.68	-750.00	...	-750.00	-515.00	...	-515.00	-545.00	...	-545.00
8.03 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-2938.44	...	-2938.44	-1750.00	...	-1750.00	-1800.00	...	-1800.00	-1935.00	...	-1935.00
निवल	*144.88*	...	*144.88*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता												
9.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता	4722.53	...	4722.53	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00
9.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अंतरण से पूरी की गई राशि	-3660.00	...	-3660.00	-2500.00	...	-2500.00	-2315.00	...	-2315.00	-2480.00	...	-2480.00
निवल	*1062.53*	...	*1062.53*	*7500.00*	...	*7500.00*	*7685.00*	...	*7685.00*	*7520.00*	...	*7520.00*
10. अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**11657.51**	**3599.22**	**15256.73**	**27500.00**	**5984.00**	**33484.00**	**25185.00**	**10038.72**	**35223.72**	**27520.00**	**7461.23**	**34981.23**
कुल जोड़	***103901.98***	***3599.22***	***107501.20***	***136873.50***	***5984.00***	***142857.50***	***131313.78***	***10038.72***	***141352.50***	***159422.22***	***7461.23***	***166883.45***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. प्राकृतिक आपदा राहत	1207.41	...	1207.41	7500.00	...	7500.00	7685.00	...	7685.00	7520.00	...	7520.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1207.41**	**...**	**1207.41**	**7500.00**	**...**	**7500.00**	**7685.00**	**...**	**7685.00**	**7520.00**	**...**	**7520.00**
अन्य												
2. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	102694.57	...	102694.57	129373.50	...	129373.50	123628.78	...	123628.78	151902.22	...	151902.22
3. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	3599.22	3599.22	...	5984.00	5984.00	...	10038.72	10038.72	...	7461.23	7461.23
जोड़-अन्य	**102694.57**	**3599.22**	**106293.79**	**129373.50**	**5984.00**	**135357.50**	**123628.78**	**10038.72**	**133667.50**	**151902.22**	**7461.23**	**159363.45**
कुल जोड़	**103901.98**	**3599.22**	**107501.20**	**136873.50**	**5984.00**	**142857.50**	**131313.78**	**10038.72**	**141352.50**	**159422.22**	**7461.23**	**166883.45**

1. **हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान:** 14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित किया है और केन्द्र सरकार के अनुमानित कर राजस्व के आधार पर प्रत्येक राज्य के हिस्से का अनुमान लगाया है। अनुमानित अंतरण पूर्व राजस्व घाटा और केन्द्रीय करों में प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर, 14वें वित्त आयोग ने 11 राज्यों के लिए अंतरण पश्चात् राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है और 2015-20 की अपनी अधिनिर्णय अवधि में उन 11 राज्यों के लिए राजस्व घाटे हेतु अनुदान की सिफारिश की है।

2. **राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान:** चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अधिनिर्णय अवधि के लिए सभी राज्यों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के संवर्धन के लिए अनुदानों की सिफारिश की है। राहत व्यय का प्रथम दायित्व राज्य आपदा मोचन कोष पर है। राज्य आपदा मोचन कोष आपदा राहत और कार्रवाई हेतु धन मुहैया कराने के लिए राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है।

3. **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:** चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अपनी अधिनिर्णय अवधि के लिए स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) के लिए मूल और निष्पादन अनुदानों की सिफारिश की है।

4. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान (क) बकाया प्रतिबद्ध देयताओं जिनके लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् बजट प्रावधान नहीं किया जाता है और (ख) राज्यों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित सहायता के लिए निर्धारित किया गया है।

5. **संविधान के भाग IX और I Xक में शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान:** यह प्रावधान,14वें वित्त आयोग द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों जहां संविधान के भाग IX और IX (क) लागू नहीं होते, को वित्तीय सहायता के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है।

6. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान):** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विदेशी सहायता के उसी रूप में अंतरण की एक नई व्यवस्था आरंभ की गई थी जिसके तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों से भिन्न अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर विदेशी सहायता दी जाती है जिन पर यह दाता एजेंसियों से केन्द्र सरकार को प्राप्त होती है। राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुदान घटक के लिए धनराशि का प्रावधान राजस्व भाग के तहत किया गया है।

7. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण):** राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए धनराशि का प्रावधान पूंजी भाग के तहत किया गया है। इसके ऋण घटक की वसूली मेजर हेड 6002 के तहत बनाई गई है।

8.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण:** प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राहत पर व्यय।

9.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से धनराशि की पूर्ति के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् तत्काल राहत के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से सहायता, असाधारण कठिनाई और प्राकृतिक आपदाओं के समय में राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

10. **अर्थोपाय अग्रिम:** अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	685.84	...	685.84	1400.00	...	1400.00	1000.00	...	1000.00	1196.60	...	1196.60
वसूलियां	*-1.77*	...	-1.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**684.07**	**...**	**684.07**	**1400.00**	**...**	**1400.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**	**1196.60**	**...**	**1196.60**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.67	...	23.67	25.56	...	25.56	26.39	...	26.39	27.00	...	27.00
2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	...	...	...	0.16	...	0.16	0.32	...	0.32	0.16	...	0.16
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**23.67**	**...**	**23.67**	**25.72**	**...**	**25.72**	**26.71**	**...**	**26.71**	**27.16**	**...**	**27.16**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (सम्पदा)	605.59	...	605.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना	...	...	...	1313.08	...	1313.08	870.33	...	870.33	1101.00	...	1101.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**605.59**	**...**	**605.59**	**1313.08**	**...**	**1313.08**	**870.33**	**...**	**870.33**	**1101.00**	**...**	**1101.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी)	20.58	...	20.58	24.20	...	24.20	24.20	...	24.20	32.00	...	32.00
6. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)	36.00	...	36.00	37.00	...	37.00	78.76	...	78.76	36.44	...	36.44
जोड़-स्वायत्त निकाय	**56.58**	**...**	**56.58**	**61.20**	**...**	**61.20**	**102.96**	**...**	**102.96**	**68.44**	**...**	**68.44**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**56.58**	**...**	**56.58**	**61.20**	**...**	**61.20**	**102.96**	**...**	**102.96**	**68.44**	**...**	**68.44**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
7. वास्तविक वसूलियां	-1.77	...	-1.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	***684.07***	***...***	***684.07***	***1400.00***	***...***	***1400.00***	***1000.00***	***...***	***1000.00***	***1196.60***	***...***	***1196.60***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	660.40	...	660.40	1243.14	...	1243.14	886.58	...	886.58	1059.50	...	1059.50
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	23.67	...	23.67	25.56	...	25.56	26.39	...	26.39	27.00	...	27.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**684.07**	**...**	**684.07**	**1268.70**	**...**	**1268.70**	**912.97**	**...**	**912.97**	**1086.50**	**...**	**1086.50**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	131.30	...	131.30	87.03	...	87.03	110.10	...	110.10
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**131.30**	**...**	**131.30**	**87.03**	**...**	**87.03**	**110.10**	**...**	**110.10**
कुल जोड़	**684.07**	**...**	**684.07**	**1400.00**	**...**	**1400.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**	**1196.60**	**...**	**1196.60**

1. **सचिवालय:** प्रावधान, मंत्रालय के सचिवालय व्यय के अंतर्गत किया गया है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** प्रावधान वाइन और बेल (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में योगदान के लिए है

4. **प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना:** 6. अनुदान-सहायता एवं अन्य खर्चे आदि प्रदान करने के लिए उपबंध किया गया है जिसमे; (क) मेगा फूड पार्क स्कीम; (ख)कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना स्कीम; (ग) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम; (घ) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार स्कीम; (ङ) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम; (च) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम; और (छ) मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम (ज) अवसंरचना से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियां; (झ) ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम; तथा (ञ) स्वच्छता कार्य योजना।

5. **भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी):** भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए उपबंध किया गया है।

6. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम):** प्रावधान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 42

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	76257.90	5301.25	81559.15	74349.45	2720.40	77069.85	77593.98	4439.98	82033.96	87799.66	2890.20	90689.86
वसूलियां	*-27942.81*	*-2234.45*	-30177.26	*-24269.85*	*...*	*-24269.85*	*-25756.56*	*-1974.90*	*-27731.46*	*-28152.44*	*-1139.30*	*-29291.74*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**48315.09**	**3066.80**	**51381.89**	**50079.60**	**2720.40**	**52800.00**	**51837.42**	**2465.08**	**54302.50**	**59647.22**	**1750.90**	**61398.12**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	142.64	...	142.64	159.00	...	159.00	177.11	...	177.11	192.97	...	192.97
2. निर्देशन एवं प्रशासन	52.85	...	52.85	64.54	...	64.54	63.56	...	63.56	64.71	...	64.71
3. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	1149.24	33.19	1182.43	1251.52	53.17	1304.69	1275.03	44.52	1319.55	1300.00	50.00	1350.00
4. सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा, कॉलेज, नई दिल्ली	798.24	529.05	1327.29	1041.47	120.00	1161.47	1056.75	124.67	1181.42	1089.60	121.90	1211.50
5. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली	506.89	58.21	565.10	508.76	53.73	562.49	585.72	96.73	682.45	637.00	113.00	750.00
6. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	346.32	14.92	361.24	386.34	24.40	410.74	410.77	38.30	449.07	450.70	24.40	475.10
7. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली	91.01	6.84	97.85	103.56	8.25	111.81	108.00	11.25	119.25	113.65	11.25	124.90
8. अन्य अस्पताल संस्थान	603.76	133.52	737.28	825.58	186.73	1012.31	757.99	76.66	834.65	787.73	171.02	958.75
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**3690.95**	**775.73**	**4466.68**	**4340.77**	**446.28**	**4787.05**	**4434.93**	**392.13**	**4827.06**	**4636.36**	**491.57**	**5127.93**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
9. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना												
9.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	...	...	...	1850.10	1974.90	3825.00	...	...	...	...	...	...
9.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	924.82	2234.45	3159.27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9.03 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि	...	...	...	...	...	...	1850.10	1974.90	3825.00	2230.70	1139.30	3370.00
9.04 हेफा ऋण से मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	550.00	...	550.00
9.05 हेफा ऋण से ब्याज का भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80.00	...	80.00
जोड़- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	*924.82*	*2234.45*	*3159.27*	*1850.10*	*1974.90*	*3825.00*	*1850.10*	*1974.90*	*3825.00*	*2860.70*	*1139.30*	*4000.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1999.02	10.74	2009.76	1970.00	130.00	2100.00	1859.50	65.50	1925.00	2483.00	17.00	2500.00
11. परिवार कल्याण योजनाएं	614.17	...	614.17	770.00	...	770.00	518.96	...	518.96	700.00	...	700.00
12. एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य पहलें – जूनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस, एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय	0.13	...	0.13	70.00	30.00	100.00	26.66	10.00	36.66	27.41	21.59	49.00
13. पशुजनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को सुदृढ़ करना	0.13	...	0.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. विषाणुक यकृत-शोथ	0.16	...	0.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोधी	0.77	...	0.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. राष्ट्रीय औषधि सतर्कता कार्यक्रम	6.56	...	6.56	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
17. परिचर्या सेवाओं का विकास	5.94	...	5.94	14.00	...	14.00	13.00	...	13.00	15.00	...	15.00
18. आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा मानव संसाधन विकास	17.61	0.17	17.78	70.00	60.00	130.00	80.15	9.85	90.00	85.78	44.22	130.00
19. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम	1.84	0.05	1.89	88.55	2.10	90.65	22.60	2.10	24.70	38.90	2.10	41.00
20. अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव	2.18	...	2.18	30.00	...	30.00	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00
21. स्वच्छता एक्शन प्लान	155.01	...	155.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**3728.34**	**2245.41**	**5973.75**	**4872.65**	**2197.00**	**7069.65**	**4385.97**	**2062.35**	**6448.32**	**6225.79**	**1224.21**	**7450.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
22. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण	178.44	...	178.44	141.60	...	141.60	261.60	...	261.60	360.00	...	360.00
23. भारतीय भेषज संग्रह आयोग	33.40	...	33.40	35.45	...	35.45	35.45	...	35.45	32.10	...	32.10
24. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
25. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.40	...	0.40
26. भारतीय फॉर्मेसी परिषद	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
27. भारतीय उपचर्या परिषद	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.20	...	0.20	0.22	...	0.22
28. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी	1.70	...	1.70	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
29. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**215.20**	**...**	**215.20**	**180.57**	**...**	**180.57**	**300.56**	**...**	**300.56**	**395.73**	**...**	**395.73**
स्वायत्त निकाय												
30. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान												
30.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	...	...	...	3018.00	...	3018.00	3298.00	...	3298.00	3211.66	...	3211.66
30.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	2967.00	...	2967.00	...	...	...	...	...	...	290.89	...	290.89
30.03 हेफा ऋण से ब्याज का भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44.60	...	44.60
30.04 हेफा ऋण से मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	52.50	...	52.50
जोड़- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	*2967.00*	*...*	*2967.00*	*3018.00*	*...*	*3018.00*	*3298.00*	*...*	*3298.00*	*3599.65*	*...*	*3599.65*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
31. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्ढीगढ़ (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)												
31.01 सकल बजटीय सहायता से समर्थन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
31.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	1172.36	...	1172.36	1207.98	...	1207.98	1474.98	...	1474.98	1499.99	...	1499.99
जोड़- स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्ढीगढ़ (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	*1172.36*	*...*	*1172.36*	*1207.98*	*...*	*1207.98*	*1474.98*	*...*	*1474.98*	*1500.00*	*...*	*1500.00*
32. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुद्दुचेरी (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)												
32.01 सकल बजटीय सहायता से समर्थन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
32.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	951.28	...	951.28	1096.70	...	1096.70	976.70	...	976.70	1099.99	...	1099.99
जोड़- जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुद्दुचेरी (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	*951.28*	*...*	*951.28*	*1096.70*	*...*	*1096.70*	*976.70*	*...*	*976.70*	*1100.00*	*...*	*1100.00*
33. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	379.40	...	379.40	382.60	...	382.60	412.25	...	412.25	450.00	...	450.00
34. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	335.00	...	335.00	212.00	...	212.00	231.50	...	231.50	350.00	...	350.00
35. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	309.83	...	309.83	201.40	...	201.40	302.05	...	302.05	450.00	...	450.00
36. आरआईपीएएनएस, आईजोल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	25.25	...	25.25	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	35.18	...	35.18
37. एलजीबीआरआईएमएच, तेजपुर (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	47.82	...	47.82	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00
38. अन्य स्वायत्त निकाय												
38.01 सकल बजटीय सहायता से समर्थन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
38.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	604.75	...	604.75	689.75	...	689.75	610.83	...	610.83	760.15	...	760.15
जोड़- अन्य स्वायत्त निकाय	*604.75*	*...*	*604.75*	*689.75*	*...*	*689.75*	*610.83*	*...*	*610.83*	*760.16*	*...*	*760.16*
जोड़-स्वायत्त निकाय	**6792.69**	**...**	**6792.69**	**6900.43**	**...**	**6900.43**	**7388.31**	**...**	**7388.31**	**8304.99**	**...**	**8304.99**
अन्य												
39. सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरबी)	1651.27	...	1651.27	1558.86	...	1558.86	1788.86	...	1788.86	1500.00	...	1500.00
40. भारत और विदेश में सामग्री की खरीद												
40.01 सकल बजटीय सहायता	274.81	...	274.81	310.00	...	310.00	310.00	...	310.00	310.00	...	310.00
40.02 कम वसूलियां	-162.03	...	-162.03	-310.00	...	-310.00	-310.00	...	-310.00	-310.00	...	-310.00
निवल	*112.78*	*...*	*112.78*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
41. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	44.57	...	44.57	55.61	...	55.61	52.60	5.00	57.60	57.60	15.00	72.60
42. अन्य विविध व्यय												
42.01 सकल बजटीय सहायता	203.30	35.19	238.49	96.71	24.12	120.83	108.51	2.60	111.11	228.94	19.12	248.06
42.02 कम वसूलियां	...	...	...	-2.61	...	-2.61	-2.37	...	-2.37	-2.19	...	-2.19

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निवल	*203.30*	*35.19*	*238.49*	*94.10*	*24.12*	*118.22*	*106.14*	*2.60*	*108.74*	*226.75*	*19.12*	*245.87*
43. राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	23031.83	2234.45	25266.28	18948.15	...	18948.15	18957.30	...	18957.30	20649.55	...	20649.55
44. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	-23031.83	-2234.45	-25266.28	-18948.15	...	-18948.15	-18957.30	...	-18957.30	-20649.55	...	-20649.55
45. सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता	...	...	...	...	...	...	1850.10	1974.90	3825.00	2860.70	1139.30	4000.00
46. सड़क एवं अवसंरचना निधि से राशि पूरी की गई	...	...	...	...	...	...	-1850.10	-1974.90	-3825.00	-2860.70	-1139.30	-4000.00
जोड़-अन्य	**2011.92**	**35.19**	**2047.11**	**1708.57**	**24.12**	**1732.69**	**1947.60**	**7.60**	**1955.20**	**1784.35**	**34.12**	**1818.47**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**9019.81**	**35.19**	**9055.00**	**8789.57**	**24.12**	**8813.69**	**9636.47**	**7.60**	**9644.07**	**10485.07**	**34.12**	**10519.19**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
47. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन												
47.01 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	11002.05	...	11002.05	7411.40	...	7411.40	7270.30	...	7270.30	6758.46	...	6758.46
	-3361.81	...	-3361.81	-2157.89	...	-2157.89	-2016.79	...	-2016.79	-1505.00	...	-1505.00
निवल	*7640.24*	*...*	*7640.24*	*5253.51*	*...*	*5253.51*	*5253.51*	*...*	*5253.51*	*5253.46*	*...*	*5253.46*
47.02 आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल जिसमें नैमित्तिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि शामिल हैं (सकल बजटीय सहायता)	...	...	...	...	...	...	475.00	...	475.00	0.05	...	0.05
47.03 एनआरएचएम के अधीन स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण	8444.38	...	8444.38	9752.82	...	9752.82	8752.78	...	8752.78	9445.18	...	9445.18
47.04 एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (सकल बजटीय सहायता)	...	...	...	...	...	...	434.97	...	434.97	837.03	...	837.03
47.05 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (एनआईएफ)	...	...	...	...	...	...	999.96	...	999.96	1349.97	...	1349.97
47.06 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (जीबीएस)	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
47.07 संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल	4502.09	...	4502.09	4779.20	...	4779.20	4449.20	...	4449.20	4753.00	...	4753.00
	-1296.50	...	-1296.50	-2851.20	...	-2851.20	-2620.00	...	-2620.00	-2825.00	...	-2825.00
निवल	*3205.59*	*...*	*3205.59*	*1928.00*	*...*	*1928.00*	*1829.20*	*...*	*1829.20*	*1928.00*	*...*	*1928.00*
47.08 असंक्रामक रोगों, चोट और ट्रामा के फ्लेक्सिबल पूल	922.58	...	922.58	1004.67	...	1004.67	566.26	...	566.26	717.00	...	717.00
47.09 अवसंरचना अनुरक्षण	5501.06	...	5501.06	5693.41	...	5693.41	6200.82	...	6200.82	6043.41	...	6043.41
47.10 एनआरएचएम को प्रेषित लिंक	26.18	...	26.18	27.49	...	27.49	101.30	...	101.30	...	...	...
47.11 राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	52.35	...	52.35	206.00	...	206.00	206.00	...	206.00	...	...	...

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
47.12	प्रायोगिक स्कीमें (खिलाड़ियों केलिए दवा, बधिर, लेप्टोस्पिरोसिस नियंत्रण, मानव रैबीज का नियंत्रण, चिकित्सीय पुनर्स्थापना, ओरल स्वास्थ्य, फ्ल्यूरोसिस)	23.28	...	23.28	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00
47.13	प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के लिए विकास योजना	287.93	...	287.93	273.71	...	273.71	273.71	...	273.71	63.36	...	63.36
47.14	एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ करने	74.43	...	74.43	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	115.00	...	115.00
47.15	जनसंख्या स्थिरता कोष	...	...	...	...	...	...	14.50	...	14.50	11.50	...	11.50
	जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	*26178.02*	*...*	*26178.02*	*24279.61*	*...*	*24279.61*	*25243.05*	*...*	*25243.05*	*25789.00*	*...*	*25789.00*
48.	*राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन*												
48.01	एनयूएचएम के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली	664.20	...	664.20	875.00	...	875.00	674.96	...	674.96	699.96	...	699.96
48.02	एनयूएचएम के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस)	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
48.03	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (एन आई एफ)	...	...	...	...	...	...	199.96	...	199.96	249.96	...	249.96
48.04	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (जीबीएस)	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
	जोड़- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	*664.20*	*...*	*664.20*	*875.00*	*...*	*875.00*	*875.00*	*...*	*875.00*	*950.00*	*...*	*950.00*
49.	राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	206.00	...	206.00
50.	*तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम*												
50.01	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	43.58	...	43.58	50.00	...	50.00	5.50	...	5.50	40.00	...	40.00
50.02	ट्रामा केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण	122.17	...	122.17	150.00	...	150.00	30.00	...	30.00	100.00	...	100.00
50.03	कैंसर, मधुमेह, कार्डियो-वास्कुलर रोगों तथा पक्षाघात की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	299.87	...	299.87	295.00	...	295.00	100.50	...	100.50	175.00	...	175.00
50.04	वृद्धों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या	79.26	...	79.26	105.00	...	105.00	80.00	...	80.00	105.00	...	105.00
50.05	नेत्रहीनता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	24.52	...	24.52	30.00	...	30.00	17.00	...	17.00	20.00	...	20.00
50.06	टेलीमेडिसिन	29.81	...	29.81	55.00	...	55.00	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00
50.07	तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और नशा मुक्ति कार्यक्रम	44.21	10.47	54.68	62.00	3.00	65.00	64.00	3.00	67.00	64.00	1.00	65.00
	जोड़- तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम	*643.42*	*10.47*	*653.89*	*747.00*	*3.00*	*750.00*	*342.00*	*3.00*	*345.00*	*549.00*	*1.00*	*550.00*
51.	*स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन*												
51.01	परिचारिका सेवाओं का उन्नयन सुदृढ़ीकरण	60.00	...	60.00	66.00	...	66.00	66.00	...	66.00	64.00	...	64.00
51.02	भेषज विद्यालय/महाविद्यालय का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...	5.00	...	5.00
51.03	जिला अस्पताल- राज्य सरकारी चिकित्सा विद्यालयों का उन्नयन (पीजी सीट)	165.00	...	165.00	452.25	...	452.25	172.25	...	172.25	800.00	...	800.00
51.04	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (यूजी सीट) तथा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	480.00	...	480.00	794.07	...	794.07	794.07	...	794.07	1361.00	...	1361.00
51.05	नए चिकित्सा विद्यालयों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन)	3300.00	...	3300.00	2887.68	...	2887.68	3167.68	...	3167.68	2000.00	...	2000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
51.06 राज्यों में परा‌चिकित्सा विज्ञान में राज्य संस्थानों की स्थापना तथा परा‌चिकित्सा शिक्षा के विद्यालयों की स्थापना	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	*4025.00*	*...*	*4025.00*	*4225.00*	*...*	*4225.00*	*4220.00*	*...*	*4220.00*	*4250.00*	*...*	*4250.00*
जोड़-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	**31510.64**	**10.47**	**31521.11**	**30126.61**	**3.00**	**30129.61**	**30680.05**	**3.00**	**30683.05**	**31744.00**	**1.00**	**31745.00**
52. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण स्कीम												
52.01 सकल बजटीय सहायता से प्राप्त मदद (जीबीएस)	455.98	...	455.98	1877.61	50.00	1927.61	286.38	...	286.38	156.00	...	156.00
52.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	...	...	...	72.39	...	72.39	13.62	...	13.62	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण स्कीम	*455.98*	*...*	*455.98*	*1950.00*	*50.00*	*2000.00*	*300.00*	*...*	*300.00*	*156.00*	*...*	*156.00*
53. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	...	...	...	...	...	...	2400.00	...	2400.00	6400.00	...	6400.00
54. वास्तविक वसूलियां	-90.63	...	-90.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**31875.99**	**10.47**	**31886.46**	**32076.61**	**53.00**	**32129.61**	**33380.05**	**3.00**	**33383.05**	**38300.00**	**1.00**	**38301.00**
कुल जोड़	***48315.09***	***3066.80***	***51381.89***	***50079.60***	***2720.40***	***52800.00***	***51837.42***	***2465.08***	***54302.50***	***59647.22***	***1750.90***	***61398.12***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	2.86	...	2.86	3.75	...	3.75	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
2. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1651.27	...	1651.27	1558.86	...	1558.86	1788.86	...	1788.86	1500.00	...	1500.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**1654.13**	**...**	**1654.13**	**1562.61**	**...**	**1562.61**	**1793.86**	**...**	**1793.86**	**1506.00**	**...**	**1506.00**
सामाजिक सेवाएं												
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	14711.41	...	14711.41	15295.80	...	15295.80	17570.27	...	17570.27	23693.04	...	23693.04
4. परिवार कल्याण	1130.65	...	1130.65	1160.29	...	1160.29	889.52	...	889.52	1164.84	...	1164.84
5. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	142.64	...	142.64	159.00	...	159.00	177.11	...	177.11	192.97	...	192.97
6. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	3047.67	3047.67	...	2641.48	2641.48	...	2391.33	2391.33	...	1675.90	1675.90
7. परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	3.19	3.19	...	17.17	17.17	...	12.00	12.00	...	10.25	10.25
8. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	15.94	15.94	...	11.75	11.75	...	11.75	11.75	...	14.75	14.75
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**15984.70**	**3066.80**	**19051.50**	**16615.09**	**2670.40**	**19285.49**	**18636.90**	**2415.08**	**21051.98**	**25050.85**	**1700.90**	**26751.75**
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	4127.95	...	4127.95	4295.43	...	4295.43	4573.86	...	4573.86
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	30367.27	...	30367.27	27478.39	...	27478.39	26907.42	...	26907.42	28322.05	...	28322.05
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	308.99	...	308.99	295.56	...	295.56	203.81	...	203.81	194.46	...	194.46
12. सहायता सामग्री और उपस्कर	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
जोड़-अन्य	**30676.26**	**...**	**30676.26**	**31901.90**	**50.00**	**31951.90**	**31406.66**	**50.00**	**31456.66**	**33090.37**	**50.00**	**33140.37**
कुल जोड़	**48315.09**	**3066.80**	**51381.89**	**50079.60**	**2720.40**	**52800.00**	**51837.42**	**2465.08**	**54302.50**	**59647.22**	**1750.90**	**61398.12**

1. **सचिवालय:** इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय हेतु प्रावधान हैं।

2. **निर्देशन एवं प्रशासन:** यह चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी है व देश और विदेश में जैव चिकित्सीय सूचना को एकत्र करने, प्रसंस्कृत करने एवं उसकी आपूर्ति करने के लिए एक मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करता है।

3. **केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना:** सांसदों, पूर्व-सांसदों, पूर्व उप-राज्यपालों, पूर्व उप-राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सुविधाओं में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्यापैथिक, यूनानी/सिद्धा औषधालयों/इकाइयों के नेटवर्क के जरिए बहिरंग रोगी परिचर्या शामिल है तथा यह केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है।

4. **सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा, कॉलेज, नई दिल्ली:** यह केंद्र सरकार का एक अस्पताल है जो चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रहा है। यह अपने परिसर में नि:शुल्क आयुर्वेदिक ओपीडी, होम्योपैथिक ओपीडी भी संचालित करता है। इस अस्पताल से संबद्ध एक चिकित्सा कॉलेज है जिसका नाम वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज है।

5. **डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली:** यह केंद्र सरकार का एक अस्पताल है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सांसदों आदि के लिए नर्सिंग होम है। यह अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के स्नातक-पूर्व विद्यार्थियों के प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस अस्पताल द्वारा एक नर्सिंग स्कूल भी संचालित किया जा रहा है।

6. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली:** इसे महिलाओं के लिए स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रदान करने हेतु, छात्रों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए और महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। विद्यार्थियों को व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कॉलेज में संबद्ध अस्पताल अर्थात श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय भी हैं। यह नर्सिंग स्कूल भी संचालित करता है जहां नर्सिंग एवं नर्सधात्री संबंधी पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं।

7. **कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली:** यह केवल बच्चों के रोगों के लिए अस्पताल है और इसका प्रबंधन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह बाल चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग विज्ञान में सुविधाएं तथा बच्चों के लिए गहन परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है।

8. **अन्य अस्पताल संस्थान:** इसमें चिकित्सा शिक्षा, ट्रेनिंग और अनुसंधान के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थानों के लिए स्थापना संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था है जैसे केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान, रांची, अखिल भारतीय काय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थांन, मुंबई, आरएके नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली, केंद्रीय/क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, एपीएचओ सहित पत्तन स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, बीसीजी वैक्सिन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, सीआरआई, कसौली, एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता, सीसीटीसी, सिंगूर, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, बाम्बे , ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ आदि।

9. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:** वहनीय/ विश्वसनीय तृतीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को सही करने तथा देश में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं कें संवर्धन करने के उद्देश्य से इसकी शुरूआत की गई है। इस स्कीम में प्रथम चरण में एम्स जैसे 6 संस्थानों की स्थापना भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में प्रत्येक में एक; दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना और पीएमएसएसवाई के पहले चरण में 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों, दूसरे चरण में 6 संस्थानों और तीसरे चरण में 39 संस्थानों के उन्नयन की संकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, पीएमएसएसवाई, चरण IV के तहत प्रत्येक राज्य में चरणबद्ध तरीके से एक एम्स और सरकारी मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है।

10. **राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/नगर पालिका एड्स नियंत्रण सोसायटियों को अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें (क) रोकथाम (i) उच्च जोखिम समूहों और संक्रमण संवाही आबादी के बीच लक्षित हस्तक्षेप, (ii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां, (iii) एसटीआई का उपचार, (iv) रक्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन, (v) माता-पिता से बच्चों में संचरण की रोकथाम सहित एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण सुविधाओं का प्रावधान, (vi) संपर्क कार्यकर्ता योजना के माध्यम से ग्रामीण आउटरीच, (ख) एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, सहयोग एवं उपचार उपलब्धी कराने हेतु क्रियाकलाप, (ग) क्षमता निर्माण, तथा (घ) नीतिपरक सूचना प्रबंधन हेतु क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

11. **परिवार कल्याण योजनाएं:** इस स्कीम में स्वास्थ्य नागरिक अभियान (एसएनए), जनसंख्याव अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन, सामाजिक विपणन तथा नि:शुल्का संवितरण हेतु गर्भनिरोधकों का प्रापण, एनएसवी/रिकेनेलाइजेशन तकनीकों में डॉक्टरों का प्रशिक्षण आदि का प्रावधान है।

12. **एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य पहलें – जूनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस, एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय:** इस स्कीकम में जन स्वास्थ्य महत्वर के संचारी/संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण और अन्यक स्वास्थ्य पहलों के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में जानकारी की प्रगति को बढ़ावा देने हेतु एक उत्कृष्टवता केंद्र के रूप में संकल्पकना की गई है। 2017-18 तक, मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने और एनसीडीसी की 27 शाखाओं की स्थापना, ज़ूमोटिक रोगों, वायरल हेपेटाइटिस और एंटी-माइक्रो रेसिस्टेंस की रोकथाम और नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के समन्वय को अलग-अलग योजनाएं थीं, जिन्हें 2018-19 में एक योजना से एक योजना में मिला दिया गया है।

16. **राष्ट्रीय औषधि सतर्कता कार्यक्रम:** केंद्रीय क्षेत्र के इस कार्यक्रम के तहत भारत में आम तौर पर नुस्खा लिखि जाने वाली औषधियों पर विपरीत औषधि प्रतिक्रिया (एडीआर) एकत्र की जाती है तथा देश में नई औषधियों की शुरुआत के पश्चात् उनकी क्षमता एवं सुरक्षा पर डाटा बेस के रख-रखाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

17. **परिचर्या सेवाओं का विकास:** इसके तहत केंद्रीय क्षेत्र की चालू योजना आती है। इस योजना का मुख्या उद्देश्य परिचर्या कर्मियों को परिचर्या शिक्षा, प्रशासन में उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के क्रम में नर्सों को प्रशिक्षण देना तथा नर्सिंग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें नर्सिंग कालेज करने के लिए नर्सिंग स्कूलों के बुनियादी ढ़ाचे को सुदृढ़ करना/ उनका उन्नयन करना है।

47. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:** इसमें विशेष रूप से संवेदनशील वर्गों और समुदाय आधारित मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन से संबंधित निष्कर्षों पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य और जिला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं को तैयार करने सहित राज्यों द्वारा विकेंद्रीकृत आयोजना एवं लचर कार्यक्रम के लिए राज्यों को सहायता देने का प्रावधान है। इस मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलापों में ग्रामीण जन संख्या की स्वायत संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रावधान होते हैं जिनमें वेक्टर जनित रोग, क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग का नियंत्रण भी शामिल हैं।

48. **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन:** इसमें शहर के गरीब लोगों तथा समाज के संवेदनशील वर्गों पर विशेष फोकस के साथ शहरी जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए राज्यों को अंतरण हेतु प्रावधान हैं। इस स्कीम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक उप-मिशन के रूप में शुरू किया गया है।

49. **राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** यह देश में औषध नियामक प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

50. **तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम:** इसमें तृतीय परिचर्या कार्यक्रम/स्कीमों अर्थात तंबाकू नियंत्रण राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अभिघात केंद्र हेतु क्षमता निर्माण संबंधी सहायता, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम, वृद्धावस्था स्वास्थ्य परिचर्या, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं टेलीमेडिसन कार्यक्रम के कार्यान्व यन हेतु राज्यों को अंतरण का प्रावधान है।

51. **स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन:** इसमें विधानमंडल वाले राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को नए चिकित्सा कॉलजों की स्थापना (जिला अस्पतालों को उन्नत बनाकर), उपचर्या सेवाओं, फार्मेसी स्कूलों/कॉलेजों, परा-चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन/ सुदृढ़ीकरण तथा मौजूदा चिकित्सा कॉलेजों में स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि संबंधी प्रावधान के लिए अंतरण की व्यवस्था है।

52. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण स्कीम:** इसमें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रावधान हैं। स्वास्थ्य संरक्षण की अपेक्षा की पूर्ति के लिए इस स्कीम को गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए शुरू किया गया है।

53. **आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:** आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - यह भारत के पैनलबद्ध चिकित्सालयों में फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार रू. 5.00 करोड़ सालाना आमदनी वाले परिवारों को कैशरहित और पेपर रहित लाभ पहुंचाती है। इस समय ए बी पी एम जे ए वाई 10.79 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने को लक्ष्य तय किया गया है। (लगभग भारत की 50 प्रतिशत जनसंख्या कवर होती है।

18. **आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा मानव संसाधन विकास:** यह स्वाैस्थ्य् क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्धा कराता है।

19. **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत अंग प्रत्यारोपण हेतु पात्र मामलों के लिए अंग प्राप्ती करने तथा उनके वितरण की प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना उपलब्ध है।

20. **अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव:** यह एक योजना है जिसे वर्ष 2016-17 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है और जिसका कार्यान्वयन मूल रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित 7 अन्य भागीदार एजेंसियों के साथ मिलकर किया जाता है।

22. **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण:** इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है जिसका उद्देश्य खाद्य सामग्रियों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करना और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियिम करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

23. **भारतीय भेषज संग्रह आयोग:** यह भारतीय भेषज संग्रह और उसका परिशिष्टक प्रकाशित करने, भारतीय भेषज संग्रह संदर्भ पदार्थ (आईपीआरएस) और अशुद्धता मानक तैयार करने तथा उन्हें वैध करने और औषधि विश्लेषक, औषधि निरीक्षकों तथा पणधारकों आदि का कौशल विकास का कार्य करता है।

24. **भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानदंड स्थापित करने और बनाए रखने तथा चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह भारत में प्रैक्टिस करने के लिए भारत में डॉक्टरों को पंजीकृत करती है ताकि आयुर्विज्ञान की प्रैक्टिस में समुचित मानक सुनिश्चित करके जनमानस के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा की जा सके एवं इन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके।

25. **भारतीय दंत चिकित्सा परिषद:** यह पूरे भारत में दंत चिकित्सा, शिक्षा तथा दंत चिकित्सा विज्ञान के व्यवसाय को विनियमित करने हेतु संसद के अधिनियम अर्थात दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का XVI) के अंतर्गत समावेशित एक सांविधिक निकाय है।

26. **भारतीय फॉर्मेसी परिषद:** यह स्नातक पूर्व स्तर तक फार्मेसी शिक्षा तथा व्यवसाय को विनियमित करने हेतु एवं फॉर्मासिस्टर के रूप में अर्हक होने के लिए अपेक्षित शिक्षा के न्यूयतम मानक निर्धारित करने हेतु शासित एक सांविधिक निकाय है।

27. **भारतीय उपचर्या परिषद:** यह नर्सों, नर्सधात्रियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण के एकसमान मानदंड स्थापित करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है।

28. **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी:** यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के अंतर्गत गठित एक ऐसा उत्कृष्ट संस्थान है जो चिकित्सा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों के रूप में शैक्षणिक उत्कृष्टता को संपोषित करता है और उपयोग में लाता है।

29. **राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड:** यह आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में देश में अपनी ही तरह का एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर परीक्षाओं के मानदंड स्थापित करके तथा उनके स्तर को उत्कृष्ट करके चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना है।

30. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान:** इसकी स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य आयुर्विज्ञान सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग और अनुसंधान संचालित करना है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र इसके साथ संबद्ध है।

31. **स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्ढीगढ़ (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** इस संस्थान की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी। इसके कार्य भी एम्स, नई दिल्ली के कार्यों के समान ही है, किन्तु इसकी स्थापना स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए की गई है। यह संस्थान पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और आयुर्विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा विशेष अस्पताल सेवाओं का केंद्र है।

32. **जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुद्दुचेरी (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** यह संसथान शिक्षा रोगी आधारित विशेष अनुसन्धान, जनसमुदाय स्वास्थ्य एवं सेवा उत्कृष्टता द्वारा भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में आदर्श स्थापित करना चाहता है. उसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से दयालु, नैतिकता से परिपूर्ण स्वास्थय पेशेवर को विकसित करना तथा स्वास्थय उपचार के क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की सेवा प्रदान करना है।

33. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** यह मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है और अनुसंधान कार्य कर रहा है। यह संस्थान एक मानित विश्वविद्यालय है और मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में इस क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करता है।

34. **इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1987 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ विशेष चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी का सृजन करने के उद्देश्य से की गई थी।

35. **क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** यह इम्फाल में स्थापित एक मेडिकल संस्थान है जिसमें 1074 बिस्तरों का अस्पताल है और जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है तथा जहां 100 एमबीबीएस, 50 बीडीएस, 50 बीएससी नर्सिंग और 147 स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा सीटों की दाखिला क्षमता के साथ शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। 7 पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) और संपूर्ण भारत से छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाते हैं।

37. **एलजीबीआरआईएमएच तेजपुर (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** यह पूर्वोत्तर में प्रमुख उच्च स्तरीय मनोचिकित्सा देखभाल संस्थान है। यह संस्थान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मरीजों की जरूरत को पूरा करता है। मरीज देखभाल सेवाओं के अलावा संस्थान ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी क्रिया-कलापों का विस्तार किया है ।

38. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों अर्थात् लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली, बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा, सीएनसीआई, कोलकाता,अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर, एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली, आईआईपीएस, मुंबई आदि के लिए प्रावधान हैं।

39. **सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरबी):** इसके तहत सीजीएचएस पेंशनभोगियों के अस्पताल में भर्ती होने पर किये जाने वाले व्यय का प्रावधान किया गया है।

40. **भारत और विदेश में सामग्री की खरीद:** इसके तहत सरकारी अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा भंडार संगठन द्वारा दवाईयों एवं उपकरणों की खरीद का प्रावधान किया गया है।

41. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें स्वास्थ्य और परिवार योजना इत्यादी विश्व स्वास्थ्य संगठन रेड क्रॉस पर अंतर्राष्ट्रीय समिति तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन पर अन्य व्यय के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत सरकार अंशदान का प्रावधान करता है।

42. **अन्य विविध व्यय:** इसमें विभिन्न गैर-स्कीम संबंधी व्यिय अर्थात सिंहावलोकन समिति के अनुसार उच्च शिक्षा वाले संस्थान, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र, स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान, हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए वैक्सिनों का प्रापण करना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि आदि का प्रावधान है।

36. **आरआईपीएएनएस, आईजोल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** इस संस्थान को मौजूदा 5 डिग्री पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने के लिए 9वें आरआईपीएस (क्षेत्रीय पैरा-मेडिकल विज्ञान संस्थान) के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को नर्सिंग, फार्मेसी और पैरा-मेडिकल विज्ञान में शिक्षा उपलब्ध कराना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3145.28	...	3145.28	3216.00	...	3216.00	3190.58	...	3190.58	3374.65	...	3374.65
वसूलियां	*-1413.60*	...	-1413.60	*-1416.00*	...	*-1416.00*	*-1447.85*	...	*-1447.85*	*-1474.65*	...	*-1474.65*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1731.68**	**...**	**1731.68**	**1800.00**	**...**	**1800.00**	**1742.73**	**...**	**1742.73**	**1900.00**	**...**	**1900.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	14.53	...	14.53	34.00	...	34.00	32.15	...	32.15	38.00	...	38.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अवसंरचना विकास												
2. महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की स्थापना	66.00	...	66.00	70.00	...	70.00	55.00	...	55.00	80.00	...	80.00
3. स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढ़ांचे का विकास	53.11	...	53.11	63.00	...	63.00	47.00	...	47.00	73.00	...	73.00
4. महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों/समर्थन का विकास	4.98	...	4.98	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	7.35	...	7.35
जोड़-स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अवसंरचना विकास	**124.09**	**...**	**124.09**	**138.00**	**...**	**138.00**	**107.00**	**...**	**107.00**	**160.35**	**...**	**160.35**
5. मानव संसाधन तथा क्षमता विकास	58.52	...	58.52	72.00	...	72.00	28.01	...	28.01	87.00	...	87.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**182.61**	**...**	**182.61**	**210.00**	**...**	**210.00**	**135.01**	**...**	**135.01**	**247.35**	**...**	**247.35**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली: (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	1413.60	...	1413.60	1416.00	...	1416.00	1447.85	...	1447.85	1474.65	...	1474.65
7. भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी), भोपाल	120.94	...	120.94	140.00	...	140.00	127.72	...	127.72	140.00	...	140.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**1534.54**	**...**	**1534.54**	**1556.00**	**...**	**1556.00**	**1575.57**	**...**	**1575.57**	**1614.65**	**...**	**1614.65**
अन्य												
8. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	1413.60	...	1413.60	1416.00	...	1416.00	1447.85	...	1447.85	1474.65	...	1474.65

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राश्ि	-1413.60	...	-1413.60	-1416.00	...	-1416.00	-1447.85	...	-1447.85	-1474.65	...	-1474.65
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**1534.54**	**...**	**1534.54**	**1556.00**	**...**	**1556.00**	**1575.57**	**...**	**1575.57**	**1614.65**	**...**	**1614.65**
कुल जोड़	***1731.68***	***...***	***1731.68***	***1800.00***	***...***	***1800.00***	***1742.73***	***...***	***1742.73***	***1900.00***	***...***	***1900.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1717.15	...	1717.15	1666.00	...	1666.00	1618.08	...	1618.08	1759.00	...	1759.00
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	14.53	...	14.53	34.00	...	34.00	32.15	...	32.15	38.00	...	38.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1731.68**	**...**	**1731.68**	**1700.00**	**...**	**1700.00**	**1650.23**	**...**	**1650.23**	**1797.00**	**...**	**1797.00**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	100.00	...	100.00	92.50	...	92.50	103.00	...	103.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**100.00**	**...**	**100.00**	**92.50**	**...**	**92.50**	**103.00**	**...**	**103.00**
कुल जोड़	**1731.68**	**...**	**1731.68**	**1800.00**	**...**	**1800.00**	**1742.73**	**...**	**1742.73**	**1900.00**	**...**	**1900.00**

1. **सचिवालय:** यह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिवालय व्यय प्रदान करता है।

2. **महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की स्थापना:** समय पर निदान और वायरल महामारी के प्रबंधन और उत्पन्न और पुन:उत्पन्न होने वाले वायरल संक्रमण के लिए महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की स्थापना।

3. **स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढ़ांचे का विकास:** राजकीय चिकित्सा कॉलेजों में बहु-विषयक अनुसंधान ईकाइयों और राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान ईकाइयों की स्थापना द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढ़ांचे का विकास करना सम्मिलित है।

4. **महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों/समर्थन का विकास:** प्रकोपों / महामारी के फैलाव के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए महामारियों के प्रकोपों को रोकने के लिए उपकरणों/ समर्थन का विकास।

5. **मानव संसाधन तथा क्षमता विकास:** यह प्रावधान (i) स्वास्थ्य अनुसंधान के मानव संसाधन विकास की योजना के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रशिक्षण के लिए अध्येतावृत्तिका; (ii) स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन सहित स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशासन मुद्दों के लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के लिए सहायता योजना में अनुदान और (iii) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है।

6. **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली: (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता):** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, स्वास्थ्य अनुसंधान की प्रोन्नति समन्वय और जैव चिकित्सा के सूत्रिकरण के लिए देश का एक शीर्षस्थ निकाय है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य, पोषण, असंचारी रोग और मौलिक अनुसंधान में शोध हेतु परिषद को अनुरक्षण अनुदान प्रदान करती है। यह परिषद जनजातिय स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और प्रकाशन तथा सूचना के प्रसार पर भी शोध कार्य करती है।

7. **भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी), भोपाल:** भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार के लिए भोपाल स्मारक अस्पताल न्यास (बीएमएचटी) के तहत 1998 में की गई थी।

भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 44

भारी उद्योग विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	758.88	345.74	1104.62	739.24	386.49	1125.73	572.45	463.89	1036.34	716.44	445.56	1162.00
वसूलियां	*-3.63*	*-49.22*	-52.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**755.25**	**296.52**	**1051.77**	**739.24**	**386.49**	**1125.73**	**572.45**	**463.89**	**1036.34**	**716.44**	**445.56**	**1162.00**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	29.69	...	29.69	36.85	...	36.85	36.85	...	36.85	39.05	...	39.05
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
2. नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)	307.00	...	307.00	178.88	200.00	378.88	28.00	372.00	400.00	150.88	308.35	459.23
3. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया)	165.00	...	165.00	260.00	...	260.00	145.00	...	145.00	195.00	...	195.00
4. आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद	24.17	...	24.17	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00
जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	**496.17**	**...**	**496.17**	**468.88**	**200.00**	**668.88**	**188.00**	**372.00**	**560.00**	**370.88**	**308.35**	**679.23**
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास												
5. भारतीय पूंजीगत वस्तु में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	109.72	...	109.72	120.00	...	120.00	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00
6. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास	120.00	...	120.00	100.00	...	100.00	220.00	...	220.00	175.00	...	175.00
7. उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन की गतिविधियाँ	0.38	...	0.38	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़-पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास	**230.10**	**...**	**230.10**	**220.50**	**...**	**220.50**	**330.50**	**...**	**330.50**	**285.50**	**...**	**285.50**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**726.27**	**...**	**726.27**	**689.38**	**200.00**	**889.38**	**518.50**	**372.00**	**890.50**	**656.38**	**308.35**	**964.73**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	...	...	...	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	19.00	...	19.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	2.92	345.74	348.66	3.01	186.49	189.50	2.10	91.89	93.99	2.01	137.21	139.22
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*2.92*	*345.74*	*348.66*	*3.01*	*186.49*	*189.50*	*2.10*	*91.89*	*93.99*	*2.01*	*137.21*	*139.22*
अन्य												
10. वास्तविक वसूली	-3.63	-49.22	-52.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-0.71**	**296.52**	**295.81**	**13.01**	**186.49**	**199.50**	**17.10**	**91.89**	**108.99**	**21.01**	**137.21**	**158.22**
कुल जोड़	***755.25***	***296.52***	***1051.77***	***739.24***	***386.49***	***1125.73***	***572.45***	***463.89***	***1036.34***	***716.44***	***445.56***	***1162.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	725.56	...	725.56	702.39	...	702.39	535.60	...	535.60	677.39	...	677.39
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	29.69	...	29.69	36.85	...	36.85	36.85	...	36.85	39.05	...	39.05
3. अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	-49.22	-49.22	...	0.06	0.06	...	0.01	0.01	...	0.05	0.05
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	10.00	10.00	...	14.53	14.53	...	49.54	49.54	...	127.01	127.01
5. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	61.78	61.78	...	22.34	22.34	...	0.01	0.01
6. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	295.74	295.74	...	220.07	220.07	...	392.00	392.00	...	318.43	318.43
7. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	40.00	40.00	...	0.05	0.05	...	...	...	...	0.06	0.06
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**755.25**	**296.52**	**1051.77**	**739.24**	**296.49**	**1035.73**	**572.45**	**463.89**	**1036.34**	**716.44**	**445.56**	**1162.00**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	90.00	90.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**90.00**	**90.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़	**755.25**	**296.52**	**1051.77**	**739.24**	**386.49**	**1125.73**	**572.45**	**463.89**	**1036.34**	**716.44**	**445.56**	**1162.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	256.00	256.00	...	225.00	225.00	...	269.00	269.00	...	309.00	309.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
3. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. एचएमटी लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

		बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
6.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
7.	एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	6.89	6.89	...	33.10	33.10	...	33.10	33.10	...	30.00	30.00
8.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	0.97	0.97	...	4.50	4.50	...	3.00	3.00	...	4.00	4.00
9.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	4.00	4.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	13.30	13.30
10.	ब्रिज ऐंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	15.07	15.07	...	20.00	20.00	...	25.00	25.00	...	30.00	30.00
11.	रिचर्डसन ऐंड क्रूडास लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
12.	ब्रेथवेट बर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	1.43	1.43	...	2.75	2.75	...	1.50	1.50	...	1.00	1.00
13.	हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	...	...	...	90.01	...	90.01	...	...	...	0.01	...	0.01
14.	नेपा लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	49.54	...	49.54	122.00	...	122.00
15.	हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	10.00	...	10.00	14.50	...	14.50	...	...	...	5.00	...	5.00
16.	जगदीशपुर यूपी पेपर मिल	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
17.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	11.79	11.79	...	42.28	42.28	...	42.48	42.48	...	24.24	24.24
जोड़		**10.00**	**296.15**	**306.15**	**104.59**	**332.63**	**437.22**	**49.55**	**379.08**	**428.63**	**127.06**	**411.54**	**538.60**

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है ।

2. **नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप):** नैट्रिप का उद्देश्य राष्ट्रीय ऑटोमोटिव सुरक्षा और उत्सर्जन रूपरेखा की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, मान्यकरण, अनुसंधान और विकास तथा होमोलोगेशन सुविधाएं सृजित करना है। इन्हें उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के तीन प्रमुख केन्द्रों में सृजित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस परियोजना का अधिकांश वित्तापोषण किया है तथा परियोजना संबंधी सभी आयातों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट भी दी गई है जबकि राज्य सरकार ने रियायत दरों पर भूमि को पेशकश की है। विभिन्न चालू परियोजनाओं में उपकरणों को लगाने और उनकी कमिशनिंग के लिए नैट्रिप हेतु योजना प्रावधान किया गया है।

3. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया):** (एनईएमएमपी) इस योजना 2020 के जरिए से, देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ लोगों को स्वच्छ परिवहन समाधान उपलबध कराने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्ला न (एनईएमएमपी) के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढाना देने की एक पहल इस विभाग ने प्रारंभ की है।

4. **आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद:** इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परियोजना को पूरा करने तथा अनुसंधान संस्थानों अर्थात एआरएआई, पुणे, वीआरडीई, अहमदनगर और सीआईआरटी, पुणे और देश में अन्य अनुसंधान और विकास संस्थानों में बदलते सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों के परीक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में नई और चालू विकास परियोजनाओं के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फोर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्री को अनुदान के रूप में प्रावधान रखा गया है।

5. **भारतीय पूंजीगत वस्तु में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साझा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी।

6. **ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास:** इस योजना का उद्देश्य थर्मल पावर संयंत्र की क्षमता में सुधार, कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाना, कोयले की खपत में कमी लाने के साथ-साथ विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रदर्शन ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एडवांस्ड-यूएससी प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं और आरएंडडी को प्रयोग में लाना है।

7. **उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन की गतिविधियाँ:** औद्योगिक एसोसिएशनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन्नयन कार्यकलाप करने के लिए अनुदान हेतु योजन हेतु प्रावधान रखा गया है।

8. **केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान:** सीएमटीआई एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो व्यवहारिक प्रयोजनों तथा देश में प्रौद्योगिकी की वृद्धि में मदद करने के लिए अपने प्रयास मुख्य रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकी सेक्टर में ज्ञान अर्जित करने पर केन्द्रित करता है। संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के एक भाग की अदायगी के लिए प्रावधान रखा गया है।

9. **केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को दी गई बजटीय सहायता में निम्नलिखित शामिल है:

-हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान और उसमें निवेश: एचएसएल के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए और उत्पादन में वृद्धि करने तथा मशीनरी और अवसंरचना आदि के आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान किया गया है।

-नेपा लिमिटेड में निवेश: नेपा लिमिटेड में पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु इक्विटी के रूप में निवेश हेतु प्रावधान किया गया है।

- बीमार सीपीएसई को बंद करने के लिए एक मुश्त प्रावधान - बीमार सीपीएसई को बंद करने के लिए प्रावधान किया गया है।

भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 45

सरकारी उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	18.69	...	18.69	20.44	...	20.44	21.44	...	21.44	22.64	...	22.64
वसूलियां	*-0.01*	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**18.68**	**...**	**18.68**	**20.44**	**...**	**20.44**	**21.44**	**...**	**21.44**	**22.64**	**...**	**22.64**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	11.10	...	11.10	11.94	...	11.94	12.44	...	12.44	13.14	...	13.14
2. वास्तविक वसूलियां	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**11.09**	**...**	**11.09**	**11.94**	**...**	**11.94**	**12.44**	**...**	**12.44**	**13.14**	**...**	**13.14**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
3. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना	2.60	...	2.60	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50
4. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईज़) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों (एसएलपीज़) से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी)	4.99	...	4.99	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	6.00	...	6.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**7.59**	**...**	**7.59**	**8.50**	**...**	**8.50**	**9.00**	**...**	**9.00**	**9.50**	**...**	**9.50**
कुल जोड़	***18.68***	***...***	***18.68***	***20.44***	***...***	***20.44***	***21.44***	***...***	***21.44***	***22.64***	***...***	***22.64***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	7.58	...	7.58	7.75	...	7.75	8.10	...	8.10	8.56	...	8.56
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	11.10	...	11.10	11.84	...	11.84	12.44	...	12.44	13.13	...	13.13
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**18.68**	**...**	**18.68**	**19.59**	**...**	**19.59**	**20.54**	**...**	**20.54**	**21.69**	**...**	**21.69**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	0.85	...	0.85	0.90	...	0.90	0.95	...	0.95

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**0.85**	**...**	**0.85**	**0.90**	**...**	**0.90**	**0.95**	**...**	**0.95**
कुल जोड़	**18.68**	**...**	**18.68**	**20.44**	**...**	**20.44**	**21.44**	**...**	**21.44**	**22.64**	**...**	**22.64**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसके अंतर्गत इस विभाग के सचिवालयी व्यय, सरकारी क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन हेतु सर्च समिति के संबंध में निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के विकास एवं रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी निधि का प्रावधान किया जाता है।

3. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना:** केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास फंड्स (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रशिक्षण देने वालों को सहायता अनुदान के रूप में फंड प्रदान किया जाता है। इस स्कीम की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी फंड का उपयोग किया जाता है। परामर्शदाताओं के भुगतान सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े हुए हैं।

4. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईज़) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों (एसएलपीज़) से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी):** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने,(ii) कौशल विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य उद्यमों के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने,(iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष बल के साथ सीपीएसईज़ के बोर्डों में शामिल निदेशकों को विभिन्न कॉर्पोरेट शासन मुद्दों पर प्रशिक्षण देने,(iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संभार तंत्र व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यय, (v) अंतर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यमों संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करने,(vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि के भुगतान के लिए किया जाता है, और (vii) सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन ।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 46

गृह मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4776.55	283.23	5059.78	4468.91	324.45	4793.36	4621.39	278.61	4900.00	4615.04	280.77	4895.81
वसूलियां	*-7.46*	...	-7.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**4769.09**	**283.23**	**5052.32**	**4468.91**	**324.45**	**4793.36**	**4621.39**	**278.61**	**4900.00**	**4615.04**	**280.77**	**4895.81**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	421.60	22.60	444.20	429.14	9.42	438.56	441.38	24.08	465.46	479.71	52.83	532.54
2. राजभाषा	60.82	...	60.82	75.45	...	75.45	71.20	...	71.20	78.09	...	78.09
3. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ)	754.55	43.67	798.22	814.10	50.00	864.10	852.74	50.00	902.74	912.52	45.02	957.54
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1236.97**	**66.27**	**1303.24**	**1318.69**	**59.42**	**1378.11**	**1365.32**	**74.08**	**1439.40**	**1470.32**	**97.85**	**1568.17**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास	1056.66	...	1056.66	786.81	...	786.81	1047.73	...	1047.73	809.33	...	809.33
5. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ	759.55	...	759.55	775.15	...	775.15	858.31	...	858.31	952.67	...	952.67
6. हेलिकाप्टर सेवाएं												
6.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र	86.00	...	86.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00
6.02 जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश	7.01	...	7.01	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
जोड़- हेलिकाप्टर सेवाएं	*93.01*	...	*93.01*	*105.00*	...	*105.00*	*105.00*	...	*105.00*	*115.00*	...	*115.00*
आपदा प्रबंधन												
7. आपदा प्रबधंन के लिए अवसंरचना	...	206.00	206.00	...	240.02	240.02	...	199.02	199.02	...	136.92	136.92
8. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना	3.32	...	3.32	3.94	...	3.94	3.03	...	3.03	3.19	...	3.19
9. अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं	70.33	...	70.33	104.50	...	104.50	82.77	...	82.77	109.49	...	109.49
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*70.32*	...	*70.32*	*104.50*	...	*104.50*	*82.77*	...	*82.77*	*109.49*	...	*109.49*
जोड़-आपदा प्रबंधन	**73.64**	**206.00**	**279.64**	**108.44**	**240.02**	**348.46**	**85.80**	**199.02**	**284.82**	**112.68**	**136.92**	**249.60**
10. जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
11. नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना	61.96	...	61.96	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	23.00	...	23.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2144.82**	**206.00**	**2350.82**	**1896.40**	**240.02**	**2136.42**	**2167.84**	**199.02**	**2366.86**	**2062.68**	**136.92**	**2199.60**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)	41.60	...	41.60	48.72	0.01	48.73	45.92	0.01	45.93	50.80	...	50.80
अन्य												
13. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार	649.11	10.96	660.07	526.14	25.00	551.14	649.89	5.50	655.39	495.33	46.00	541.33
14. अन्य केंद्रीय विविध व्यय	18.34	...	18.34	23.46	...	23.46	26.12	...	26.12	26.74	...	26.74
15. वास्तविक वसूलियां	-7.37	...	-7.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**660.08**	**10.96**	**671.04**	**549.60**	**25.00**	**574.60**	**676.01**	**5.50**	**681.51**	**522.07**	**46.00**	**568.07**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**701.68**	**10.96**	**712.64**	**598.32**	**25.01**	**623.33**	**721.93**	**5.51**	**727.44**	**572.87**	**46.00**	**618.87**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना	627.00	...	627.00	600.00	...	600.00	300.00	...	300.00	440.00	...	440.00
17. अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना	11.62	...	11.62	12.50	...	12.50	20.30	...	20.30	26.17	...	26.17
18. होम गार्ड	25.00	...	25.00	26.00	...	26.00	25.00	...	25.00	26.00	...	26.00
19. नागरिक रक्षा	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
20. केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान	14.00	...	14.00	9.00	...	9.00	13.00	...	13.00	9.00	...	9.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**685.62**	**...**	**685.62**	**655.50**	**...**	**655.50**	**366.30**	**...**	**366.30**	**509.17**	**...**	**509.17**
कुल जोड़	***4769.09***	***283.23***	***5052.32***	***4468.91***	***324.45***	***4793.36***	***4621.39***	***278.61***	***4900.00***	***4615.04***	***280.77***	***4895.81***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	0.18	...	0.18	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	1.00	...	1.00
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	370.76	...	370.76	370.90	...	370.90	386.53	...	386.53	414.98	...	414.98
3. जेल	1.70	...	1.70	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	179.91	...	179.91	188.22	...	188.22	177.05	...	177.05	195.20	...	195.20
5. विविध सामान्य सेवाएं	0.02	...	0.02	0.05	...	0.05	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	17.00	17.00	...	5.51	5.51	...	20.88	20.88	...	30.00	30.00
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	5.60	5.60	...	3.92	3.92	...	3.21	3.21	...	55.42	55.42
जोड़-सामान्य सेवाएं	**552.57**	**22.60**	**575.17**	**562.17**	**9.43**	**571.60**	**564.97**	**24.09**	**589.06**	**613.27**	**85.42**	**698.69**
सामाजिक सेवाएं												
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1366.61	...	1366.61	1195.29	...	1195.29	1575.36	...	1575.36	1319.81	...	1319.81
9. प्राकृतिक आपदा राहत	857.91	...	857.91	954.66	...	954.66	969.44	...	969.44	1066.78	...	1066.78

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. अन्य सामाजिक सेवाएं	0.30	...	0.30	0.48	...	0.48	0.42	...	0.42	0.49	...	0.49
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	249.67	249.67	...	290.02	290.02	...	249.02	249.02	...	182.35	182.35
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**2224.82**	**249.67**	**2474.49**	**2150.43**	**290.02**	**2440.45**	**2545.22**	**249.02**	**2794.24**	**2387.08**	**182.35**	**2569.43**
आर्थिक सेवाएं												
12. नागर विमानन	86.00	...	86.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00
13. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	642.23	...	642.23	493.14	...	493.14	616.89	...	616.89	462.33	...	462.33
14. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	...	10.96	10.96	...	25.00	25.00	...	5.50	5.50	...	13.00	13.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**728.23**	**10.96**	**739.19**	**583.14**	**25.00**	**608.14**	**706.89**	**5.50**	**712.39**	**562.33**	**13.00**	**575.33**
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	33.00	...	33.00	33.00	...	33.00	33.00	...	33.00
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1263.22	...	1263.22	1139.67	...	1139.67	771.01	...	771.01	1019.19	...	1019.19
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50	0.30	...	0.30	0.17	...	0.17
जोड़-अन्य	**1263.47**	**...**	**1263.47**	**1173.17**	**...**	**1173.17**	**804.31**	**...**	**804.31**	**1052.36**	**...**	**1052.36**
कुल जोड़	**4769.09**	**283.23**	**5052.32**	**4468.91**	**324.45**	**4793.36**	**4621.39**	**278.61**	**4900.00**	**4615.04**	**280.77**	**4895.81**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान, भुगतान एवं लेखा सचिवालय, नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राजभाषा:** इसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण, केन्द्री य हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि पर होने वाला व्यय शामिल है।

3. **राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रशासनिक व्ययों तथा स्थापना लागत को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों के प्रापण के लिए है।

4. **प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास:** यह प्रावधान (i) श्रीलंका से आए तथा शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास (ii) तिब्बत तथा भूतपूर्व पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर व्यय (iii) त्रिपुरा, असम एवं मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों को राहत एवं पुनर्वास सहायता (iv) 1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़े हुए मुआवजे (v) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा करार के लिए है।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ:** स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन और अन्य लाभ): इसमें (i) भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए स्वीकृत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (ii) गोवा मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और (iii) भूतपूर्व निजाम स्टेट ऑफ हैदराबाद का भारत संघ में विलय करने के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों को पेंशन शामिल है।

6.01. **पूर्वोत्तर क्षेत्र:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों को शेष भारत से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने हेतु सब्सिडी के भुगतान का प्रावधान शामिल है।

6.02. **जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश:** जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रियायती हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए यह प्रावधान है।

7. **आपदा प्रबधंन के लिए अवसंरचना:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन के निर्माण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण तथा आपदा की स्थिति में द्रुत कार्रवाई के लिए विशेषीकृत क्षमता निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए है।

8. **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना:** (8) तथा (16) यह प्रावधान चक्रवात संकट संभावित तटीय राज्यों में खतरे को कम करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना पर प्रशासनिक व्यय तथा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए है।

9. **अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं:** (9) तथा (17) प्रावधान (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों (प्राकृतिक आपदा तथा मानवजनित आपदा दोनों) (ii) आपदा संबंधी आईईसी तथा प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान करने, (iii) यूएसएआईडी आपदा प्रबंधन, (iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, (v) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा

प्रबंधन परियोजनाओं तथा (vi) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए है।

10. **जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल:** इस योजना में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक डिग्री धारक छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए उनमें कौशल का विकास करने का प्रावधान है।

11. **नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, जम्मू एवं कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मीडिया प्लान/विज्ञापन एवं प्रचार के लिए प्रावधान शामिल है।

12. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी):** इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार** इसमें भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) सहित आरजीआई की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं।

14. **अन्य केंद्रीय विविध व्यय:** इसमें गृह मंत्री की विवेकाधीन अनुदानों, क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के निवास पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य, पुलिस मेडल, अंतरराष्ट्रीय अभिदायों, पूर्वोत्तर के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण, राष्ट्रीय एकता तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल है।

15. **वास्तविक वसूलियां:** वास्तविक वसूलियां अनुदान के अंतर्गत हैं।

18. **होम गार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार एक व्यापक पैटर्न और नीति के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सीमाओं की चौकसी तथा चुनाव संबंधी कार्य के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल की सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक स्वयंसेवी बल है। यह प्रावधान होम गार्ड को गठित करने, प्रशिक्षित करने तथा सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

19. **नागरिक रक्षा:** यह प्रावधान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

20. **केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान:** असम में विदेशी ट्रिब्यूनल के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 47

मंत्रिमंडल

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	608.17	...	608.17	770.00	...	770.00	920.01	715.89	1635.90	828.85	...	828.85
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**608.17**	**...**	**608.17**	**770.00**	**...**	**770.00**	**920.01**	**715.89**	**1635.90**	**828.85**	**...**	**828.85**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता	1.74	...	1.74	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
2. मंत्री परिषद	395.43	...	395.43	295.81	...	295.81	599.91	...	599.91	454.87	...	454.87
3. मंत्रिमंडल सचिवालय	52.43	...	52.43	59.81	...	59.81	60.95	...	60.95	62.58	...	62.58
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	61.18	...	61.18	303.83	...	303.83	125.84	715.89	841.73	152.63	...	152.63
5. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय	50.33	...	50.33	53.18	...	53.18	76.20	...	76.20	98.61	...	98.61
6. प्रधानमंत्री का कार्यालय	42.07	...	42.07	50.35	...	50.35	50.05	...	50.05	53.28	...	53.28
7. आतिथ्य और मनोरंजन व्यय	4.99	...	4.99	5.22	...	5.22	5.26	...	5.26	5.08	...	5.08
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**608.17**	**...**	**608.17**	**770.00**	**...**	**770.00**	**920.01**	**715.89**	**1635.90**	**828.85**	**...**	**828.85**
कुल जोड़	***608.17***	***...***	***608.17***	***770.00***	***...***	***770.00***	***920.01***	***715.89***	***1635.90***	***828.85***	***...***	***828.85***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	1.74	...	1.74	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
2. मंत्रिपरिषद	601.44	...	601.44	762.98	...	762.98	912.95	...	912.95	821.97	...	821.97
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4.99	...	4.99	5.22	...	5.22	5.26	...	5.26	5.08	...	5.08
4. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	715.89	715.89	...	...	...
जोड़-सामान्य सेवाएं	**608.17**	**...**	**608.17**	**770.00**	**...**	**770.00**	**920.01**	**715.89**	**1635.90**	**828.85**	**...**	**828.85**
कुल जोड़	**608.17**	**...**	**608.17**	**770.00**	**...**	**770.00**	**920.01**	**715.89**	**1635.90**	**828.85**	**...**	**828.85**

1. **पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता:** यह प्रावधान भूतपूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता के भुगतानों पर होने वाले व्यय के लिए है।

2. **मंत्री परिषद:** यह प्रावधान केबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतनों, आतिथ्य तथा अन्य भत्तों तथा उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए है। इसमें अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के रखरखाव के लिए प्रावधान भी शामिल है।

3. **मंत्रिमंडल सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रिमंडल सचिवालय तथा रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

4. **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक खर्चों तथा अंतरिक्ष अवसंरचना को वहन करने के लिए है।

5. **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।

6. **प्रधानमंत्री का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।

7. **आतिथ्य और मनोरंजन व्यय:** इसमें विदेशी राष्ट्रों से आने वाले अतिथियों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक मनोरंजन, राष्ट्रीय दिवसों पर प्रीतिभोज, प्रत्यय पत्र प्रदान करने के लिए अधिष्ठापन और समारोह पर होने वाले व्यय आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 48

पुलिस

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	71974.22	10544.50	82518.72	77314.80	11063.45	88378.25	83969.79	9810.50	93780.29	88732.73	10792.74	99525.47
वसूलियां	*-622.63*	*-9.33*	-631.96	*-476.49*	*-15.26*	*-491.75*	*-1249.54*	*-32.63*	*-1282.17*	*-1295.30*	*-27.94*	*-1323.24*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**71351.59**	**10535.17**	**81886.76**	**76838.31**	**11048.19**	**87886.50**	**82720.25**	**9777.87**	**92498.12**	**87437.43**	**10764.80**	**98202.23**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. *केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल*												
1.01 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	18083.49	476.87	18560.36	19799.85	468.18	20268.03	22187.66	458.97	22646.63	23247.89	494.15	23742.04
1.02 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	880.07	88.28	968.35	934.54	98.76	1033.30	966.62	61.46	1028.08	1027.04	92.63	1119.67
1.03 सीमा सुरक्षा बल	15810.67	208.21	16018.88	16884.78	233.86	17118.64	18369.72	216.24	18585.96	19399.70	247.89	19647.59
1.04 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	5009.69	68.41	5078.10	5409.11	112.56	5521.67	5508.99	112.56	5621.55	5909.80	108.71	6018.51
1.05 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	7567.08	47.14	7614.22	8175.02	42.90	8217.92	8589.59	45.24	8634.83	9108.77	46.09	9154.86
1.06 असम रायफल्स	4801.15	230.01	5031.16	5329.84	218.90	5548.74	5496.21	179.16	5675.37	5770.67	230.80	6001.47
1.07 सशस्त्र सीमा बल	4553.96	87.06	4641.02	4831.10	98.80	4929.90	5376.59	98.80	5475.39	5712.48	104.73	5817.21
1.08 विभागीय लेखांकन	95.24	...	95.24	103.11	...	103.11	111.94	...	111.94	117.35	...	117.35
जोड़- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल	*56801.35*	*1205.98*	*58007.33*	*61467.35*	*1273.96*	*62741.31*	*66607.32*	*1172.43*	*67779.75*	*70293.70*	*1325.00*	*71618.70*
2. आसूचना ब्यूरो	1852.82	17.86	1870.68	1854.44	22.00	1876.44	2008.85	47.20	2056.05	2089.85	108.50	2198.35
3. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	19.12	...	19.12	28.20	19.08	47.28	26.29	4.00	30.29	30.60	20.22	50.82
4. विशेष रक्षा दल	320.93	49.10	370.03	343.25	41.75	385.00	372.53	39.15	411.68	385.65	145.10	530.75
5. दिल्ली पुलिस	6364.13	156.88	6521.01	6791.60	154.68	6946.28	7017.23	189.68	7206.91	7334.28	162.63	7496.91
6. केंद्रीय पुलिस संगठन	676.72	9.41	686.13	790.37	36.35	826.72	799.75	26.55	826.30	875.18	38.61	913.79
7. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	192.65	12.39	205.04	279.44	29.70	309.14	254.81	21.50	276.31	298.47	26.42	324.89
8. अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान	44.78	8.34	53.12	53.91	19.51	73.42	54.39	12.36	66.75	60.23	20.59	80.82
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**66272.50**	**1459.96**	**67732.46**	**71608.56**	**1597.03**	**73205.59**	**77141.17**	**1512.87**	**78654.04**	**81367.96**	**1847.07**	**83215.03**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
9. आईवीएफआरटी (आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण	85.59	...	85.59	72.60	...	72.60	72.60	...	72.60	77.00	...	77.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
तथा नजर रखना)												
10. कल्याण अनुदान, वायुयान/नौकाए तथा विविध मदें	25.81	66.05	91.86	42.46	132.60	175.06	32.42	147.51	179.93	39.93	139.10	179.03
11. सीमा अवसंरचना और प्रबंधन :												
11.01 रखरखाव और बॉर्डर चेक पोस्ट	248.49	...	248.49	169.44	...	169.44	268.01	...	268.01	244.09	...	244.09
11.02 पूंजी परिव्यय	...	1773.37	1773.37	...	1580.56	1580.56	...	1732.97	1732.97	...	1755.91	1755.91
जोड़- सीमा अवसंरचना और प्रबंधन :	*248.49*	*1773.37*	*2021.86*	*169.44*	*1580.56*	*1750.00*	*268.01*	*1732.97*	*2000.98*	*244.09*	*1755.91*	*2000.00*
12. पुलिस अवसंरचना												
12.01 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं	...	4295.92	4295.92	...	4289.05	4289.05	...	4414.80	4414.80	...	4731.64	4731.64
12.02 दिल्ली पुलिस	...	249.38	249.38	...	460.95	460.95	...	420.95	420.95	...	384.86	384.86
जोड़- पुलिस अवसंरचना	*...*	*4545.30*	*4545.30*	*...*	*4750.00*	*4750.00*	*...*	*4835.75*	*4835.75*	*...*	*5116.50*	*5116.50*
13. नेपाल पुलिस अकादमी के लिए सहायता	...	...	...	11.78	...	11.78	...	...	...	...	...	...
14. नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
15. महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना												
15.01 निर्भया निधि अंतरण	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
15.02 राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया प्रणाली और महिला और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम , सुरक्षित शहर परियोजना और विविध योजनाएं	141.28	3.82	145.10	66.49	15.26	81.75	839.54	32.63	872.17	855.30	27.94	883.24
15.03 निर्भया निधि से लिया गया	-129.41	-3.82	-133.23	-66.49	-15.26	-81.75	-839.54	-32.63	-872.17	-855.30	-27.94	-883.24
निवल	*61.87*	*...*	*61.87*	*50.00*	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*50.00*
16. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**426.76**	**6384.72**	**6811.48**	**354.28**	**6463.16**	**6817.44**	**437.03**	**6716.23**	**7153.26**	**519.02**	**7011.51**	**7530.53**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
17. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण	100.00	...	100.00	236.29	...	236.29	237.44	...	237.44	250.42	...	250.42
अन्य												
18. इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	149.60	5.00	154.60	108.87	5.00	113.87	95.30	5.00	100.30	125.30	5.00	130.30
19. कल्याण अनुदान और विविध	275.74	...	275.74	203.05	...	203.05	307.70	...	307.70	412.71	...	412.71
20. अनुसंधान	456.00	2691.00	3147.00	399.00	2983.00	3382.00	538.85	1543.77	2082.62	558.78	1901.22	2460.00
जोड़-अन्य	**881.34**	**2696.00**	**3577.34**	**710.92**	**2988.00**	**3698.92**	**941.85**	**1548.77**	**2490.62**	**1096.79**	**1906.22**	**3003.01**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**981.34**	**2696.00**	**3677.34**	**947.21**	**2988.00**	**3935.21**	**1179.29**	**1548.77**	**2728.06**	**1347.21**	**1906.22**	**3253.43**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
पुलिस बल का आधुनिकीकरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
21.01 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएस	798.69	...	798.69	897.29	...	897.29	915.79	...	915.79	959.80	...	959.80
21.02 वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसआरई एवं विशेष अवसंरचना स्कीम	1747.14	...	1747.14	2260.00	...	2260.00	2276.00	...	2276.00	2418.50	...	2418.50
जोड़- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	*2545.83*	*...*	*2545.83*	*3157.29*	*...*	*3157.29*	*3191.79*	*...*	*3191.79*	*3378.30*	*...*	*3378.30*
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम												
22. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1100.00	...	1100.00	770.97	...	770.97	770.97	...	770.97	824.94	...	824.94
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**3645.83**	**...**	**3645.83**	**3928.26**	**...**	**3928.26**	**3962.76**	**...**	**3962.76**	**4203.24**	**...**	**4203.24**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
23. गोरखालैण्ड क्षेत्रीय प्रशासन को अनुदान	134.99	...	134.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. वास्तविक वसूलियां	-109.83	-5.51	-115.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**25.16**	**-5.51**	**19.65**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़	***71351.59***	***10535.17***	***81886.76***	***76838.31***	***11048.19***	***87886.50***	***82720.25***	***9777.87***	***92498.12***	***87437.43***	***10764.80***	***98202.23***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पुलिस	67534.70	...	67534.70	72948.35	...	72948.35	78785.51	...	78785.51	83173.97	...	83173.97
2. पुलिस पर पूंजी परिव्यय	...	10530.17	10530.17	...	10346.25	10346.25	...	9094.93	9094.93	...	10150.26	10150.26
जोड़-सामान्य सेवाएं	**67534.70**	**10530.17**	**78064.87**	**72948.35**	**10346.25**	**83294.60**	**78785.51**	**9094.93**	**87880.44**	**83173.97**	**10150.26**	**93324.23**
अन्य												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3812.67	...	3812.67	3877.73	...	3877.73	3933.84	...	3933.84	4399.24	...	4399.24
4. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.22	...	4.22	0.45	...	0.45	0.90	...	0.90	-135.78	...	-135.78
5. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	...	...	...	11.78	...	11.78	...	...	...	...	...	...
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	696.94	696.94	...	677.94	677.94	...	609.54	609.54
7. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
जोड़-अन्य	**3816.89**	**5.00**	**3821.89**	**3889.96**	**701.94**	**4591.90**	**3934.74**	**682.94**	**4617.68**	**4263.46**	**614.54**	**4878.00**
कुल जोड़	**71351.59**	**10535.17**	**81886.76**	**76838.31**	**11048.19**	**87886.50**	**82720.25**	**9777.87**	**92498.12**	**87437.43**	**10764.80**	**98202.23**

1. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम रायफल्स, सशस्त्र सीमा बल तथा इन बलों से संबद्ध विभागीय लेखाकरण संगठनों के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों के प्रापण के लिए है।

2. **आसूचना ब्यूरो:** यह प्रावधान आसूचना ब्यूरो के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

3. **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में एक इनपुट के रूप में डाटा बेसों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में सुधार करने की सुविधा मुहैया कराना है।

4. **विशेष रक्षा दल:** इसमें विशेष सुरक्षा ग्रुप के लिए प्रावधान शामिल है जो भारत के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्यों तथा अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को समीप से सुरक्षा प्रदान करना है।

5. **दिल्ली पुलिस:** दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी में शहर में यातायात प्रबंधन भी शामिल है। इस प्रावधान में नेमी खर्चे तथा एनसीआर महानगरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली विकसित करने, संचार अवसंरचना के उन्नययन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण के उन्नयन, नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागू करना तथा यातायात सिगनल लगाने आदि जैसी दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए खर्चे शामिल हैं।

6. **केंद्रीय पुलिस संगठन:** यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, आप्रवासन ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अश्रु गैस यूनिट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलैस योजना समन्वय निदेशालय के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।

7. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान:** इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान पर होने वाला व्यय शामिल है। यह प्रावधान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की इन योजनाओं के लिए भी है; (क) प्रशिक्षण उपाय, (ख) बेहतर कार्यकुशलता तथा जनता और पुलिस तक अधिक पहुंच आदि से संबंधित आर एंड डी परियोजना।

8. **अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान:** यह न्यायिक विज्ञान निदेशालय और केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं पर प्रशासनिक व्यय को कवर करता है। प्रावधान केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए मानव संसाधन विकास और अनुसंधान और विकास योजनाओं पर जोर देते हैं, क्षेत्रीय न्यायिक लैबोरेटरीज और डीएनए केंद्रों की स्थापना।

9. **आईवीएफआरटी (आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा नजर रखना):** यह प्रावधान मिशन मोड परियोजना के लिए है जिसका मूल उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हुए एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क विकसित करना है जिससे वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।

10. **कल्याण अनुदान, वायुयान/नौकाए तथा विविध मदें:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इस्तेमाल के लिए विमान, पानी की नावों और हेलीकाप्टरों की खरीद और रखरखाव के लिए है।

11.01. **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन ::** इस प्रावधान में सीमा संबंधी निर्माण कार्यों और सीमा जांच चौकियों के रखरखाव से संबंधित परिव्यय शामिल है।

11.02. **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन ::** यह प्रावधान कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ओपी टॉवर के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर उच्च तकनीक की निगरानी की व्यवस्था करने, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में सचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है। इस प्रावधान में सीमापार चौकियों का निर्माण कार्य भी शामिल है।

12.01. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, विभागीय लेखाकरण संगठन और विशेष सुरक्षा ग्रुप के कार्यालय भवनों तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए है।

12.02. **दिल्ली पुलिस:** यह प्रावधान दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन संबंधी परियोजनाओं के लिए है।

13. **नेपाल पुलिस अकादमी के लिए सहायता:** यह प्रावधान नेपाल पुलिस अकादमी को सहायता प्रदान करने के लिए है।

14. **नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो:** यह प्रावधान स्वापक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्यों के संसाधनों में कमी को पूरा करने हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से राज्यों को प्रदान की जाने वाली अनुदानों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए है।

15. **महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना:** यह प्रावधान लोक लेखा और व्ययों में निर्भया कोष में निधियां अंतरित करने के लिए है, राष्ट्रीय आपात अनुक्रिया प्रणाली तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम, सुरक्षित शहर परियोजना, दिल्ली पुलिस द्वारा लागू महिलाओं की सुरक्षा।

16. **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र:** यह प्रावधान भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र पर खर्च को पूरा करने के लिए है।

17. **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के व्ययों को वहन करने के लिए है जिसमें लोगों तथा सामान के सीमा पार से आने-जाने के बारे में बेहतर प्रशासन और सम्यक प्रबंधन के लिए एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की देखभाल करना तथा इन्हें विनियमित करना शामिल है।

18. **इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन तथा रखरखाव और बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए है।

19. **कल्याण अनुदान और विविध:** यह प्रावधान क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों के उत्पादन और अन्य सरकारों / विभागों को दिए गए शुल्क के लिए है। इस प्रावधान में प्रशिक्षण और विकास, ई-गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढांचे, आतंकवादी / काउंटर विद्रोह में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि भुगतान करने के लिए भी शामिल है।

20. **अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

21.01. **राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएस:** इस मद में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए प्रावधान है, पुलिस बुनियादी ढांचा, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम और ई-जेल के उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं / योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता।

21.02. **वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसआरई एवं विशेष अवसंरचना स्कीम:** इस मद में सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) की योजना, विशेष बुनियादी ढांचा योजना और वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में 35 बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता,विभिन्न राज्यों के लिए नागरिक क्रिया कार्यक्रम तथा मीडिया योजना गतिविधियां के लिये ।

22. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 49

गृह मंत्रालय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3884.49	906.56	4791.05	3993.00	600.86	4593.86	4185.53	474.07	4659.60	4286.00	601.58	4887.58
वसूलियां	*-60.20*	*-6.55*	-66.75	*-70.00*	...	*-70.00*	*-70.51*	*-0.02*	*-70.53*	*-70.10*	...	*-70.10*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**3824.29**	**900.01**	**4724.30**	**3923.00**	**600.86**	**4523.86**	**4115.02**	**474.05**	**4589.07**	**4215.90**	**601.58**	**4817.48**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	50.15	...	50.15	50.68	...	50.68	61.02	...	61.02	57.75	...	57.75
	-0.11	...	-0.11	...	...	...	-0.01	...	-0.01	...	...	...
निवल	*50.04*	...	*50.04*	*50.68*	...	*50.68*	*61.01*	...	*61.01*	*57.75*	...	*57.75*
2. अन्य स्थापना	1839.35	...	1839.35	1906.28	...	1906.28	1993.36	...	1993.36	2134.98	...	2134.98
	-2.69	...	-2.69	-1.20	...	-1.20	-1.58	...	-1.58	-1.23	...	-1.23
निवल	*1836.66*	...	*1836.66*	*1905.08*	...	*1905.08*	*1991.78*	...	*1991.78*	*2133.75*	...	*2133.75*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1886.70**	**...**	**1886.70**	**1955.76**	**...**	**1955.76**	**2052.79**	**...**	**2052.79**	**2191.50**	**...**	**2191.50**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.83	0.10	0.93	0.45	0.15	0.60	0.45	0.09	0.54	0.55	0.07	0.62
3.02 आपदा प्रबंधन	1.82	3.01	4.83	0.61	2.65	3.26	0.25	12.83	13.08	0.16	20.41	20.57
	-1.17	...	-1.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*0.65*	*3.01*	*3.66*	*0.61*	*2.65*	*3.26*	*0.25*	*12.83*	*13.08*	*0.16*	*20.41*	*20.57*
3.03 कृषि और संबंधित गतिविधियां	9.82	14.86	24.68	17.03	14.88	31.91	11.30	14.26	25.56	10.34	13.05	23.39
	-2.77	-0.02	-2.79	-4.00	...	-4.00	-4.14	...	-4.14	-4.10	...	-4.10
निवल	*7.05*	*14.84*	*21.89*	*13.03*	*14.88*	*27.91*	*7.16*	*14.26*	*21.42*	*6.24*	*13.05*	*19.29*
3.04 जलापूर्ति और स्वच्छता	47.07	37.50	84.57	44.22	37.40	81.62	63.12	41.91	105.03	23.27	40.20	63.47
3.05 ग्रामीण विकास	69.19	3.11	72.30	78.50	4.30	82.80	76.50	4.30	80.80	83.63	0.80	84.43
3.06 ऊर्जा	452.35	10.65	463.00	482.40	8.85	491.25	491.00	8.87	499.87	486.14	9.40	495.54

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
		-3.58	-1.04	-4.62	-0.50	...	-0.50	-0.50	-0.02	-0.52	-0.50	...	-0.50
	निवल	*448.77*	*9.61*	*458.38*	*481.90*	*8.85*	*490.75*	*490.50*	*8.85*	*499.35*	*485.64*	*9.40*	*495.04*
3.07	वानिकी और वन्य जीव	3.85	27.98	31.83	3.86	30.68	34.54	3.18	27.97	31.15	3.63	26.12	29.75
3.08	नागरिक आपूर्ति	19.83	0.60	20.43	21.91	0.70	22.61	21.08	0.70	21.78	20.61	0.70	21.31
		-23.78	...	-23.78	-29.00	...	-29.00	-29.00	...	-29.00	-29.00	...	-29.00
	निवल	*-3.95*	*0.60*	*-3.35*	*-7.09*	*0.70*	*-6.39*	*-7.92*	*0.70*	*-7.22*	*-8.39*	*0.70*	*-7.69*
3.09	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	107.91	25.63	133.54	105.81	18.50	124.31	127.56	21.50	149.06	108.11	27.95	136.06
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*107.91*	*25.63*	*133.54*	*105.81*	*18.50*	*124.31*	*127.56*	*21.50*	*149.06*	*108.11*	*27.95*	*136.06*
3.10	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	36.05	38.04	74.09	37.75	43.40	81.15	36.47	35.55	72.02	37.80	34.98	72.78
		-0.20	...	-0.20	-0.30	...	-0.30	-0.30	...	-0.30	-0.30	...	-0.30
	निवल	*35.85*	*38.04*	*73.89*	*37.45*	*43.40*	*80.85*	*36.17*	*35.55*	*71.72*	*37.50*	*34.98*	*72.48*
3.11	सामाजिक कल्याण	63.40	1.59	64.99	59.01	2.00	61.01	74.08	2.00	76.08	72.92	1.50	74.42
3.12	ग्रामीण और लघु उद्योग	2.76	1.50	4.26	2.59	1.20	3.79	1.76	1.20	2.96	2.11	1.30	3.41
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*2.76*	*1.50*	*4.26*	*2.59*	*1.20*	*3.79*	*1.76*	*1.20*	*2.96*	*2.11*	*1.30*	*3.41*
3.13	सूचना और प्रभार	2.72	0.03	2.75	2.48	0.11	2.59	2.50	0.05	2.55	2.52	0.13	2.65
3.14	श्रम और रोजगार	0.30	2.70	3.00	0.25	3.00	3.25	0.25	3.00	3.25	0.25	3.50	3.75
3.15	सड़क परिवहन	26.02	3.71	29.73	25.30	5.83	31.13	25.50	5.83	31.33	24.75	4.83	29.58
		...	...	...	...	...	...	-0.02	...	-0.02	...	...	...
	निवल	*26.02*	*3.71*	*29.73*	*25.30*	*5.83*	*31.13*	*25.48*	*5.83*	*31.31*	*24.75*	*4.83*	*29.58*
3.16	सड़कें और पुल	116.58	71.18	187.76	128.27	67.05	195.32	131.46	68.49	199.95	114.81	74.40	189.21
		...	-0.38	-0.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*116.58*	*70.80*	*187.38*	*128.27*	*67.05*	*195.32*	*131.46*	*68.49*	*199.95*	*114.81*	*74.40*	*189.21*
3.17	पत्तन और प्रकाश घर	47.01	9.06	56.07	46.11	40.38	86.49	55.28	17.93	73.21	58.30	23.60	81.90
		...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*47.01*	*9.05*	*56.06*	*46.11*	*40.38*	*86.49*	*55.28*	*17.93*	*73.21*	*58.30*	*23.60*	*81.90*
3.18	पोत परिवहन	417.92	341.73	759.65	430.81	97.57	528.38	439.81	6.45	446.26	470.50	96.81	567.31
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*417.92*	*341.73*	*759.65*	*430.81*	*97.57*	*528.38*	*439.81*	*6.45*	*446.26*	*470.50*	*96.81*	*567.31*
3.19	नागरिक उड्यन	95.90	8.58	104.48	95.90	1.01	96.91	71.89	1.00	72.89	74.00	1.01	75.01
3.20	पर्यटन	5.89	7.15	13.04	5.30	8.56	13.86	5.20	7.62	12.82	5.14	7.50	12.64
		...	-2.21	-2.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*5.89*	*4.94*	*10.83*	*5.30*	*8.56*	*13.86*	*5.20*	*7.62*	*12.82*	*5.14*	*7.50*	*12.64*
3.21	लोक निर्माण कार्य	52.71	29.09	81.80	48.71	22.86	71.57	61.70	30.86	92.56	31.55	26.20	57.75

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-24.56	...	-24.56	-35.00	...	-35.00	-34.97	...	-34.97	-34.97	...	-34.97
निवल	*28.15*	*29.09*	*57.24*	*13.71*	*22.86*	*36.57*	*26.73*	*30.86*	*57.59*	*-3.42*	*26.20*	*22.78*
3.22 आवासीय	29.33	10.80	40.13	24.53	10.00	34.53	33.94	13.00	46.94	16.30	10.00	26.30
3.23 शहरी विकास	122.00	1.40	123.40	33.60	1.50	35.10	189.60	1.50	191.10	232.60	1.20	233.80
3.24 पुलिस और अग्निशमन नियंत्रण	...	13.03	13.03	...	17.02	17.02	...	16.75	16.75	...	17.15	17.15
	...	-2.89	-2.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*...*	*10.14*	*10.14*	*...*	*17.02*	*17.02*	*...*	*16.75*	*16.75*	*...*	*17.15*	*17.15*
3.25 ट्रांसपोंडर को भाड़े पर लेना	151.95	...	151.95	230.18	...	230.18	94.47	...	94.47	100.00	...	100.00
3.26 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां	0.45	...	0.45	0.92	0.80	1.72	0.48	...	0.48	0.86	0.01	0.87
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	*1827.60*	*656.48*	*2484.08*	*1857.70*	*440.40*	*2298.10*	*1949.90*	*343.64*	*2293.54*	*1911.98*	*442.82*	*2354.80*
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्रों का पूरक	14.73	...	14.73	12.29	...	12.29	13.76	...	13.76	15.34	...	15.34
5. आदिवासी क्षेत्र घटक	91.81	219.53	311.34	92.08	160.46	252.54	95.52	130.41	225.93	92.46	158.76	251.22
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 सोवटेक	2.45	...	2.45	4.00	...	4.00	2.67	...	2.67	4.00	...	4.00
6.02 अन्य अनुदानग्राही निकाय	0.49	...	0.49	0.66	...	0.66	0.35	...	0.35	0.59	...	0.59
जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय	*2.94*	*...*	*2.94*	*4.66*	*...*	*4.66*	*3.02*	*...*	*3.02*	*4.59*	*...*	*4.59*
7. संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय	0.51	24.00	24.51	0.51	...	0.51	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़-अन्य	**1937.59**	**900.01**	**2837.60**	**1967.24**	**600.86**	**2568.10**	**2062.23**	**474.05**	**2536.28**	**2024.40**	**601.58**	**2625.98**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**1937.59**	**900.01**	**2837.60**	**1967.24**	**600.86**	**2568.10**	**2062.23**	**474.05**	**2536.28**	**2024.40**	**601.58**	**2625.98**
कुल जोड़	***3824.29***	***900.01***	***4724.30***	***3923.00***	***600.86***	***4523.86***	***4115.02***	***474.05***	***4589.07***	***4215.90***	***601.58***	***4817.48***

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है अर्थात न्यायालय, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कर, कोषागार एवं लेखा प्रशासन की स्थापना, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवा, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी, खेतीबाड़ी, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता, भू-राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, विद्युत, वन एवं वन्य जीव, वैज्ञानिक अनुसंधान, सिविल आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं नियोजन, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, नई एवं नवीकरणीय उर्जा, नागर विमानन, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं पत्तन तथा प्रकाश घर आदि शामिल हैं।

3.01. **आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण:** इसमें अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **कृषि और संबंधित गतिविधियां:** इसमें खेतीबाड़ी, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रमों, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता और लघु सिचाई के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को अनुदानों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें जिला परिषद/पंचायत समिति को अनुदानों सहित ग्रामीण विकास, पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **ऊर्जा:** इसमें विद्युत उत्पादन, ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत, एकीकृत ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **वानिकी और वन्य जीव:** इसमें वानिकी एवं वन्य जीव, पारिस्थितकी एवं पर्यावरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** इसमें चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, एएनआईएमईआरएस (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी) को सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** इसमें शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा), खेल, कला एवं संस्कृति के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें जिला परिषद और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता भी शामिल है।

3.11. **सामाजिक कल्याण:** इसमें वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों के कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें यूटीसीपीसीआर (संघ राज्य क्षेत्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग), एसडब्यूएबी (समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड), बीएपी (सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना) के लिए प्रावधान तथा स्वयंसेवी संगठन के लिए सहायता भी शामिल है।

3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों, केवीआईबी (खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड) को सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **सूचना और प्रभार:** इसमें सूचना एवं प्रचार तथा लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **श्रम और रोजगार:** इसमें श्रम एवं रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **सड़क परिवहन:** इसमें यात्री बसों की खरीद और उनके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **सड़कें और पुल:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और उनके अनुरक्षण तथा जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान शामिल है।

3.17. **पत्तन और प्रकाश घर:** इसमें पत्तन एवं प्रकाश घर, डॉकयार्ड एवं ड्राइडॉकिंग, स्टीवडोरिंग, नौका सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.18. **पोत परिवहन:** इसमें पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.19. **नागरिक उड्यन:** इसमें हैलीकाप्टर और विमानों के चार्टरिंग के लिए प्रावधान शामिल है।

3.20. **पर्यटन:** इसमें पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.21. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें प्रशासनिक/कार्यालय भवनों, बाढ़ नियंत्रण, समुद्री दीवार आदि के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.22. **आवासीय:** इसमें आवासीय भवनों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.23. **शहरी विकास:** इसमें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा अनुरक्षण, योजना के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को अनुदानों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.24. **पुलिस और अग्निशमन नियंत्रण:** इसमें पुलिस, आईआरबीएन, अग्निशमन के लिए कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.25. **ट्रांसपोंडर को भाड़े पर लेना:** इसमें सेटेलाईट टांसपोण्डर्स किराये पर रखने के लिए प्रावधान शामिल है।

3.26. **अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां:** इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों, राज्य सैनिक बोर्ड के लिए नकद राहत, संकट में फंसे परिवारों तथा श्रीलंकाई तमिल प्रत्यावासियों के बंदोबस्त के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्रों का पूरक:** केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता इसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र के बजट के अंतर्गत सहायता का प्रावधान शामिल है जैसे दोपहर के भोजन का कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषाहार आदि), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनआरएचएम, एनयूएचएम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान।

5. **आदिवासी क्षेत्र घटक:** इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन विभिन्न विभागों के संबंध में जन-जातीय क्षेत्र विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

6.01. **सोवटेक:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा संवर्धन सोसायटी को अनुदान शामिल है।

6.02. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वफ्फ बोर्ड, हज कमेटी, पुलिस कल्याण समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान शामिल है।

7. **संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय:** इसमें एएनआईएफपीडीसीएल (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पौधा रोपण विकास निगम लि.) के लिए प्रावधान, नाबार्ड से ऋण लेने के लिए प्रावधान तथा पेंशन प्रभारों, ब्याज और मूल्य ह्रास आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 50

गृह मंत्रालय (चंडीगढ़)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3835.66	792.58	4628.24	4006.88	505.03	4511.91	4031.54	505.03	4536.57	4351.49	401.63	4753.12
वसूलियां	*-285.20*	*-87.76*	-372.96	*-267.08*	*-160.00*	*-427.08*	*-291.74*	*-160.00*	*-451.74*	*-301.42*	*-160.00*	*-461.42*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**3550.46**	**704.82**	**4255.28**	**3739.80**	**345.03**	**4084.83**	**3739.80**	**345.03**	**4084.83**	**4050.07**	**241.63**	**4291.70**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.78	...	17.78	20.87	...	20.87	20.70	...	20.70	20.74	...	20.74
2. अन्य स्थापना	2420.92	...	2420.92	2579.45	...	2579.45	2596.11	...	2596.11	2691.06	...	2691.06
	-268.38	...	-268.38	-245.00	...	-245.00	-275.00	...	-275.00	-280.00	...	-280.00
निवल	*2152.54*	*...*	*2152.54*	*2334.45*	*...*	*2334.45*	*2321.11*	*...*	*2321.11*	*2411.06*	*...*	*2411.06*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**2170.32**	**...**	**2170.32**	**2355.32**	**...**	**2355.32**	**2341.81**	**...**	**2341.81**	**2431.80**	**...**	**2431.80**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 पुलिस आवासीय और संबंधित निर्माण	...	13.65	13.65	...	28.75	28.75	...	24.14	24.14	...	26.00	26.00
3.02 गांवों का विकास	4.41	...	4.41	5.15	...	5.15	5.15	...	5.15	6.04	...	6.04
3.03 विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा	737.27	18.00	755.27	828.00	38.00	866.00	828.62	27.25	855.87	838.03	41.28	879.31
	-6.05	...	-6.05	-10.00	...	-10.00	-6.00	...	-6.00	-10.00	...	-10.00
निवल	*731.22*	*18.00*	*749.22*	*818.00*	*38.00*	*856.00*	*822.62*	*27.25*	*849.87*	*828.03*	*41.28*	*869.31*
3.04 वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	18.62	0.46	19.08	20.64	0.83	21.47	21.84	2.95	24.79	25.98	2.35	28.33
3.05 स्वास्थ्य सेवाएं	...	57.91	57.91	...	76.13	76.13	...	80.93	80.93	...	75.31	75.31
3.06 शिक्षा	0.36	79.43	79.79	0.40	99.89	100.29	0.57	63.38	63.95	0.57	67.56	68.13
3.07 महिला और बाल कल्याण	17.35	2.75	20.10	19.87	1.50	21.37	21.74	1.41	23.15	24.20	1.43	25.63
3.08 कला, संस्कृति और संग्रहालय	3.01	0.14	3.15	3.00	0.18	3.18	3.00	0.19	3.19	3.00	0.71	3.71
3.09 खादी और ग्रामीण उद्योग	2.24	...	2.24	3.23	...	3.23	2.70	...	2.70	3.21	...	3.21
3.10 सड़क और परिवहन	1.69	23.37	25.06	2.28	41.05	43.33	3.64	30.42	34.06	16.12	23.71	39.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.11 सरकारी आवासीय	...	23.21	23.21	...	32.30	32.30	...	30.30	30.30	...	23.70	23.70
3.12 शहरी विकास	...	544.48	544.48	...	155.14	155.14	...	207.29	207.29	...	117.04	117.04
	...	-87.76	-87.76	...	-160.00	-160.00	...	-160.00	-160.00	...	-160.00	-160.00
निवल	...	*456.72*	*456.72*	...	*-4.86*	*-4.86*	...	*47.29*	*47.29*	...	*-42.96*	*-42.96*
3.13 दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण	3.26	1.77	5.03	3.26	4.21	7.47	4.29	9.12	13.41	3.74	0.59	4.33
3.14 अन्य योजनाएं	43.99	26.86	70.85	56.57	25.99	82.56	59.02	26.59	85.61	66.90	20.39	87.29
	-10.77	...	-10.77	-12.08	...	-12.08	-10.74	...	-10.74	-11.42	...	-11.42
निवल	*33.22*	*26.86*	*60.08*	*44.49*	*25.99*	*70.48*	*48.28*	*26.59*	*74.87*	*55.48*	*20.39*	*75.87*
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	*815.38*	*704.27*	*1519.65*	*920.32*	*343.97*	*1264.29*	*933.83*	*343.97*	*1277.80*	*966.37*	*240.07*	*1206.44*
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्र का पूरक	5.76	...	5.76	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	12.13	...	12.13
5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	559.00	0.55	559.55	458.66	1.06	459.72	458.66	1.06	459.72	639.77	1.56	641.33
जोड़-अन्य	**1380.14**	**704.82**	**2084.96**	**1384.48**	**345.03**	**1729.51**	**1397.99**	**345.03**	**1743.02**	**1618.27**	**241.63**	**1859.90**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**1380.14**	**704.82**	**2084.96**	**1384.48**	**345.03**	**1729.51**	**1397.99**	**345.03**	**1743.02**	**1618.27**	**241.63**	**1859.90**
कुल जोड़	***3550.46***	***704.82***	***4255.28***	***3739.80***	***345.03***	***4084.83***	***3739.80***	***345.03***	***4084.83***	***4050.07***	***241.63***	***4291.70***

1. **सचिवालय:** इसमें चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का कार्यालय व्यय शामिल है अर्थात न्यायपालिका, उत्पादन शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण, पुलिस, परिवहन प्राधिकरण, कोषागार एवं लेखा, जेल, सतर्कता, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग विभाग, आतिथ्य, होम गार्ड, शिक्षा, खेल, संग्रहालय, पुस्तकालय, एवं कला, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सम्पदा कार्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक कल्याण, श्रम एवं रोजगार, कृषि, पशुपालन और मात्सियकी, वन एवं वन्य जीव, सहकारिता, ग्रामीण विकास, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक सेवाएं, पर्यटन, सांख्यिकी, खाद्य एवं आपूर्ति आदि।

3.01. **पुलिस आवासीय और संबंधित निर्माण:** इसमें पुलिस आवास और संबद्ध कार्यों अर्थात अवसंरचना का विकास और भवन निर्माण, मौजूदा रिहायशी आवासों के नवीकरण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **गांवों का विकास:** इसमें ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण, जलनिकासी, गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए चलित शौचालयों की व्यवस्था करने आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा:** इसमें विद्युत के पारेषण एवं वितरण, ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों, मोडल सोलर सिटी प्रोग्राम के संवर्धन तथा विद्युत विभाग के निर्माण कार्य के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वानिकी एवं वन्य जीव, वन संरक्षण एवं विकास, बागान योजना, संचार और भवन, वन्य जीव परिरक्षण, वानिकी के लिए भूमि के अधिग्रहण, बॉटेनिकल गार्डन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **स्वास्थ्य सेवाएं:** इसमें स्वास्थ्य सेवाओं, 50 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन करके इसे 250 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में बनाने, 50 बिस्तर वाले पालीक्लीनिक चंडीगढ़ के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण सहायक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदढ़ीकरण, शहरी सहायक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सुदृढ़ीकरण, अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, आयुष होम्योपैथी एवं आयुर्वेद, क्षेत्रीय ट्रॉमा सेंटर के निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बौद्धिक निराश्रितों के लिए सरकारी पुनर्वास संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **शिक्षा:** इसमें उपकरणों के आधुनिकीकरण और खरीद, एनसीसी के लिए अवसंरचना के विकास, सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने, स्नातक कोर्सों तथा नए पॉलीटेकनीक के आधुनिकीकरण और निर्माण, महिलाओं के लिए पॉलीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **महिला और बाल कल्याण:** इसमें वृद्ध तथा निराश्रित लोगों के लिए सरकारी भवनों के नवीकरण/परिवर्धन/निर्माण, घर छोड़ कर भागे जोड़ों के लिए संरक्षण केन्द्र, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए क्रेश, चंडीगढ़ बाल एवं महिला कल्याण निगम को शेयर पूंजी में अंशदान, केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए बराबर का अंशदान, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए संघ राज्य क्षेत्र आयोग की स्थापना, लड़कियों के लिए सरकारी भवनों तथा बाल गृहों के निर्माण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **कला, संस्कृति और संग्रहालय:** इसमें शासकीय कला महाविद्यालय के निर्माण और नवीकरण, प्रशासनिक ब्लॉक, अंतरराष्ट्रीय हास्टल, सेक्टर-15, आडीटोरियम, सभी चारों विधाओं के कंप्यूटरीकरण तथा कार्यालय मशीनरी, उपकरण तथा भण्डार एवं फर्नीचर की अन्य मदों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **खादी और ग्रामीण उद्योग:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **सड़क और परिवहन:** इसमें नई बसों की खरीद, खराब हुई बसों को बदलने तथा बस स्टैंड के उन्नयन, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग के कंप्यूटरीकरण, लिंक रोड के निर्माण, इन्टरसिटी परिवहन के लिए वीडियो कोच बसों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **सरकारी आवासीय:** इसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों के निर्माण/नवीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **शहरी विकास:** इसमें भूमि अधिग्रहण एवं सर्वेक्षण, शहरी सड़कों के निर्माण/अवसंरचना संबंधी विकास, स्टोर्म वाटर ड्रेनेज, विद्युतीकरण, आईटी पार्क, सिविल कार्यों, मशीन एवं उपकरण, अन्य पूंजीगत व्यय, अनुसंधान कार्यों, सुखना झील पर बांध आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण:** इसमें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांगता अधिनियम/कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल एवं डीजल पर सब्सिडी, राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति पुनर्वास कार्यक्रम, दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **अन्य योजनाएं:** इसमें कार्यालय भवनों की मरम्मत और रखरखाव, विरासत भवनों के परिरक्षण, पुनरुत्थान और उन पर रोशनी, उत्तम यातायात प्रबंधन प्रणाली, सड़कों, एलईडी लाईटिंग, अंडर पास, जलापूर्ति, जल निकासी तथा स्टार्म वाटर ड्रेनेज, आईटी पार्क को आवश्यक सेवाएं, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, चुनावों, अन्य, वित्तीय सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्र का पूरक:** इसमें विद्यालयों और आंगनबाड़ियों में दोपहर के भोजन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें नगर निगम, सरकारी सहायता प्राप्तग विद्यालयों और महाविद्यालयों, पंजाब अभियांत्रिकी और अन्य अनुदानग्राही जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेअंत सिंह मेमोरियल तथा गैर-सरकारी संगठन, रेड क्रॉस, पाक कला संस्थान, बाल कल्याण परिषद और दिल्ली वित्तीय निगम इत्यादि शामिल हैं।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 51

गृह मंत्रालय (दादरा और नगर हवेली)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	760.11	256.43	1016.54	803.00	318.34	1121.34	822.86	264.18	1087.04	867.83	317.06	1184.89
वसूलियां	*-1.82*	*...*	-1.82	*-6.90*	*...*	*-6.90*	*-6.90*	*...*	*-6.90*	*-6.90*	*...*	*-6.90*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**758.29**	**256.43**	**1014.72**	**796.10**	**318.34**	**1114.44**	**815.96**	**264.18**	**1080.14**	**860.93**	**317.06**	**1177.99**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	5.13	...	5.13	4.67	...	4.67	4.55	...	4.55	4.44	...	4.44
2. अन्य स्थापना	273.99	...	273.99	271.52	...	271.52	269.01	...	269.01	284.39	...	284.39
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**279.12**	**...**	**279.12**	**276.19**	**...**	**276.19**	**273.56**	**...**	**273.56**	**288.83**	**...**	**288.83**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण	...	...	...	0.20	0.05	0.25	0.20	...	0.20	0.70	...	0.70
3.02 प्राकृतिक आपदाओं से राहत	0.76	...	0.76	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10
3.03 पुलिस	...	15.60	15.60	...	15.59	15.59	...	8.24	8.24	...	5.74	5.74
3.04 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1.89	2.35	4.24	3.31	4.26	7.57	3.31	1.21	4.52	3.26	0.78	4.04
3.05 विद्युत	4.24	8.00	12.24	3.03	24.00	27.03	3.03	22.31	25.34	3.03	25.00	28.03
3.06 वन और वन्य जीव	11.93	7.82	19.75	12.39	7.12	19.51	12.39	9.12	21.51	12.02	8.12	20.14
3.07 शिक्षा	31.44	16.93	48.37	23.77	20.00	43.77	23.77	18.85	42.62	31.91	22.55	54.46
3.08 स्वास्थ्य	7.56	46.36	53.92	7.00	47.00	54.00	7.00	47.00	54.00	9.00	110.32	119.32
3.09 खेलकूद	1.12	9.90	11.02	1.02	9.00	10.02	1.02	2.00	3.02	0.90	9.00	9.90
3.10 पर्यटन	1.02	4.35	5.37	3.60	3.37	6.97	3.60	3.37	6.97	1.30	3.10	4.40
3.11 शहरी विकास	1.75	46.07	47.82	2.74	38.13	40.87	2.74	30.02	32.76	2.74	28.49	31.23
	-0.35	...	-0.35	-0.60	...	-0.60	-0.60	...	-0.60	-0.60	...	-0.60
निवल	*1.40*	*46.07*	*47.47*	*2.14*	*38.13*	*40.27*	*2.14*	*30.02*	*32.16*	*2.14*	*28.49*	*30.63*
3.12 विधवा/निराश्रित महिला कल्याण	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.13 ग्रामीण एवं लघु उद्योग	4.40	2.00	6.40	6.00	2.00	8.00	6.00	0.25	6.25	10.00	0.48	10.48
3.14 सड़क और पुल	1.07	93.44	94.51	1.21	144.39	145.60	1.21	119.39	120.60	1.21	100.06	101.27
	...	...	...	-0.30	...	-0.30	-0.30	...	-0.30	-0.30	...	-0.30
निवल	*1.07*	*93.44*	*94.51*	*0.91*	*144.39*	*145.30*	*0.91*	*119.39*	*120.30*	*0.91*	*100.06*	*100.97*
3.15 दिव्यांग और वृद्धजन	0.81	...	0.81	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	0.51	...	0.51
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	*67.67*	*252.82*	*320.49*	*64.62*	*314.91*	*379.53*	*64.62*	*261.76*	*326.38*	*76.81*	*313.64*	*390.45*
4. अनुदानग्राही/ अन्य निकाय												
4.01 जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को अनुदान	310.20	...	310.20	347.50	...	347.50	347.50	...	347.50	350.93	...	350.93
4.02 सिलवासा नगरपालिका परिषद को अनुदान	63.30	...	63.30	86.24	...	86.24	108.73	...	108.73	129.50	...	129.50
4.03 अन्य स्वायत्तशासी एवं अनुदानग्राही निकायों को अनुदान	34.50	...	34.50	20.76	...	20.76	20.76	...	20.76	9.07	...	9.07
जोड़- अनुदानग्राही/ अन्य निकाय	*408.00*	*...*	*408.00*	*454.50*	*...*	*454.50*	*476.99*	*...*	*476.99*	*489.50*	*...*	*489.50*
5. संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय	4.97	3.61	8.58	6.79	3.43	10.22	6.79	2.42	9.21	11.79	3.42	15.21
	-1.47	...	-1.47	-6.00	...	-6.00	-6.00	...	-6.00	-6.00	...	-6.00
निवल	*3.50*	*3.61*	*7.11*	*0.79*	*3.43*	*4.22*	*0.79*	*2.42*	*3.21*	*5.79*	*3.42*	*9.21*
जोड़-अन्य	**479.17**	**256.43**	**735.60**	**519.91**	**318.34**	**838.25**	**542.40**	**264.18**	**806.58**	**572.10**	**317.06**	**889.16**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**479.17**	**256.43**	**735.60**	**519.91**	**318.34**	**838.25**	**542.40**	**264.18**	**806.58**	**572.10**	**317.06**	**889.16**
कुल जोड़	***758.29***	***256.43***	***1014.72***	***796.10***	***318.34***	***1114.44***	***815.96***	***264.18***	***1080.14***	***860.93***	***317.06***	***1177.99***

1. **सचिवालय:** इसमें दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों की स्थाजपना के लिए प्रावधान शामिल है अर्थात न्यायालय, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कर, कोषागार एवं लेखा प्रशासन स्थापना, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, खेतीबाड़ी, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, डेयरी विकास, मछली पालन, सहकारिता, भू-राजस्व, खेतीबाड़ी अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विद्युत, वानिकी एवं वन्य जीव, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, सिविल आपूर्ति, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा सेवाएं, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं नियोजन, वाहनों, सड़क एवं पुल पर कर, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, जलापूर्ति, लघु सिचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण और नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा आदि शामिल हैं।

3.01. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण:** इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पुराने मकानों की छत को बदलने का प्रावधान शामिल है।

3.02. **प्राकृतिक आपदाओं से राहत:** इसमें प्राकृतिक विपत्ति और आपदा प्रबंधन कार्यकलापों के खाता में राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **पुलिस:** इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, आईआरबी के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण और संवर्धन/नवीकरण तथा इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए आग बुझाने के उपकरणों की खरीद और प्रचालन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास जैसे डेयरी और मुर्गा पालन विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खाद्य और बीज आदि की खरीद हेतु किसानों को ऋण और सब्सिडी, डेयरी फार्म के संचालन तथा अवसंरचना के निर्माण और अनुरक्षण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **विद्युत:** इसमें संघ के राज्य क्षेत्र के पारेषण सब स्टेशनों और लाईनों, विद्युत प्रणाली की स्थापना और संवर्धन तथा क्षेत्र की पारेषण अवसंरचना के प्रचालन और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **वन और वन्य जीव:** इसमें वनों के संरक्षण, पौधा रोपण, पुन:वृक्षारोपण , वन्य जीवों का संरक्षण, वानिकी और पौधशाला का संरक्षण तथा इस समस्त संघ राज्य क्षेत्र के वन और वन्य जीव क्षेत्र का संचालन तथा अनुरक्षण और आवासीय और गैर-आवासीय भवनों तथा वनों के संरक्षण के लिए चैनलिंग, बाड़ जैसे अन्य पूंजीगत कार्यों तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **शिक्षा:** इसमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक उच्चतर और अन्य उच्चतर विद्यालयों तथा शौचालय और अन्य अवसंरचना के निर्माण, संवर्धन और प्रचालन, छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान, यूनिफार्म की आपूर्ति, छात्रों को पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक्स आदि की आपूर्ति, बैंचों तथा डेस्क, ब्लैक बोर्ड, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री की खरीद, लैपटाप की आपूर्ति, स्मार्ट क्लास चलाने, सर्व शिक्षा अभियान में सवंर्धन, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **स्वास्थ्य:** इसमें राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, परिपक्व माता नियोजित बाल योजना, बेटी बचाओ योजना जैसी विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों, लोक स्वास्थ्य केन्द्रों , सीएचसी, डिस्पेंसरियों के निर्माण और संवर्धन तथा चिकित्सा एवं लोक स्वारस्थ्य सेक्टर के लिए रिहायशी भवनों तथा इनके संचालन और अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें चिकित्सा उपकरणों आदि की खरीद के लिए भी प्रावधान शामिल है।

3.09. **खेलकूद:** इसमें सायली खेल परिसर के निर्माण, आवधिक खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने, खेल परिषद को सहायता तथा वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **पर्यटन:** इसमें सिलवासा में पर्यटन के संवर्धन, पर्यटकों को परिवहन सेवा प्रदान करने इस भू-भाग में पर्यटक केन्द्रों और आवास के रखरखाव, भूमिगत पार्किंग और आडिटोरियम के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **शहरी विकास:** इसमें विभिन्न गैर-आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव तथा मरम्मत और साज-सज्जा के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **विधवा/निराश्रित महिला कल्याण:** इसमें विधवाओं और निस्सहाय महिलाओं के कल्याण का प्रावधान शामिल है।

3.13. **ग्रामीण एवं लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए प्रावधान, औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, उद्योग के लिए सब्सिडी, जैसे कि ब्याज में सब्सिडी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **सड़क और पुल:** मौजूदा सड़कों और पुलों के रखरखाव और मरम्मत तथा नए पुलों और सड़कों और रिंग रोड के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **दिव्यांग और वृद्धजन:** इसमें दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तिों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण तथा रेड क्रास सोसायटी की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

4.01. **जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को अनुदान:** इसमें विद्यालयों, सड़कों, पुलों, जल संसाधन, विद्युत के विकास के लिए जिला पंचायत को अनुदान, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

4.02. **सिलवासा नगरपालिका परिषद को अनुदान:** इसमें सिलवासा नगरपालिका परिषद को नगरपालिका क्षेत्र और सिवासा स्मार्ट सिटी के लिए, सड़कों, पुलों, जल संसाधन, विद्युत आदि के विकास के लिए सिलवासा नगरपालिका परिषद को अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

4.03. **अन्य स्वायत्तशासी एवं अनुदानग्राही निकायों को अनुदान:** इसमें डीएनएच ई-गवर्नेंस सोसायटी, डीएनएच एसटीएससी कॉरपोरेशन, रोगी कल्याण समिति, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कालेज, डीएनएच कालेज आफ इंजीनियरिंग जैसे स्वायत्त निकायों को अनुदान, डीएनएच पीडीसीएल को अनुदान, एसपीओटीएसी को अनुदान, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टैक्नोलोजी, दादरा एवं नगर हवेली योजना एवं विकास प्राधिकरण को अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय:** इसमें खाद्यान्न के प्रापण और आपूर्ति, नागर विमानन, कमान क्षेत्र के विकास, दमण गंगा जलाशय के लिए गुजरात सरकार को शेयर पूंजी के भुगतान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नई एवं नवीकरणीय उर्जा आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 52

गृह मंत्रालय (दमन और दीव)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1234.37	344.97	1579.34	1364.08	311.41	1675.49	1326.39	311.41	1637.80	1576.00	342.48	1918.48
वसूलियां	*-806.50*	*-1.05*	-807.55	*-902.00*	*...*	*-902.00*	*-902.00*	*...*	*-902.00*	*-1097.00*	*...*	*-1097.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**427.87**	**343.92**	**771.79**	**462.08**	**311.41**	**773.49**	**424.39**	**311.41**	**735.80**	**479.00**	**342.48**	**821.48**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	11.86	...	11.86	15.07	...	15.07	15.01	...	15.01	14.70	...	14.70
2. अन्य स्थापना	205.59	...	205.59	245.96	...	245.96	244.82	...	244.82	251.64	...	251.64
	-1.68	...	-1.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*203.91*	*...*	*203.91*	*245.96*	*...*	*245.96*	*244.82*	*...*	*244.82*	*251.64*	*...*	*251.64*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**215.77**	**...**	**215.77**	**261.03**	**...**	**261.03**	**259.83**	**...**	**259.83**	**266.34**	**...**	**266.34**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 पुलिस कल्याण	0.50	1.43	1.93	0.50	3.03	3.53	0.50	3.03	3.53	0.50	2.25	2.75
3.02 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	0.52	...	0.52	0.58	...	0.58	0.58	...	0.58	0.58	...	0.58
	-0.10	...	-0.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*0.42*	*...*	*0.42*	*0.58*	*...*	*0.58*	*0.58*	*...*	*0.58*	*0.58*	*...*	*0.58*
3.03 प्राकृतिक आपदाओं से राहत	0.35	...	0.35	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05	0.81	...	0.81
3.04 अग्निशामक सेवाओं का उन्नयन	0.27	1.04	1.31	0.26	3.20	3.46	0.23	3.20	3.43	0.23	3.20	3.43
3.05 कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	3.63	9.60	13.23	1.88	6.00	7.88	1.88	6.00	7.88	1.50	3.70	5.20
3.06 विद्युत का पारेषण और वितरण	813.67	51.56	865.23	909.00	40.51	949.51	877.78	40.51	918.29	1107.00	25.51	1132.51
	-802.55	...	-802.55	-900.00	...	-900.00	-900.00	...	-900.00	-1095.00	...	-1095.00
निवल	*11.12*	*51.56*	*62.68*	*9.00*	*40.51*	*49.51*	*-22.22*	*40.51*	*18.29*	*12.00*	*25.51*	*37.51*
3.07 वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	2.35	2.05	4.40	1.71	2.05	3.76	1.71	2.05	3.76	1.71	1.50	3.21
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	निवल	*2.35*	*2.05*	*4.40*	*1.71*	*2.05*	*3.76*	*1.71*	*2.05*	*3.76*	*1.71*	*1.50*	*3.21*
3.08	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
		-0.91	...	-0.91	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00
	निवल	*1.09*	*...*	*1.09*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
3.09	चिकित्सा और स्वास्थ्य	5.36	6.53	11.89	7.04	7.46	14.50	7.04	7.46	14.50	6.77	27.11	33.88
3.10	शिक्षा	0.90	85.85	86.75	5.14	57.36	62.50	5.14	57.36	62.50	5.27	57.72	62.99
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*0.90*	*85.85*	*86.75*	*5.14*	*57.36*	*62.50*	*5.14*	*57.36*	*62.50*	*5.27*	*57.72*	*62.99*
3.11	औद्योगिक संवर्द्धन	3.00	...	3.00	0.01	2.01	2.02	0.01	2.01	2.02	5.00	0.10	5.10
3.12	श्रम कल्याण	...	...	...	2.10	...	2.10	...	...	...	1.12	...	1.12
3.13	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.05	0.33	0.38	0.47	0.45	0.92	0.06	0.45	0.51	0.06	0.45	0.51
3.14	सड़कों और पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत	3.35	69.59	72.94	2.83	69.59	72.42	2.83	69.59	72.42	2.83	77.28	80.11
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*3.35*	*69.59*	*72.94*	*2.83*	*69.59*	*72.42*	*2.83*	*69.59*	*72.42*	*2.83*	*77.28*	*80.11*
3.15	पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास	...	10.28	10.28	...	11.06	11.06	...	11.06	11.06	...	13.70	13.70
3.16	नागर विमानन	2.48	10.46	12.94	8.19	1.50	9.69	8.19	1.50	9.69	8.19	10.50	18.69
3.17	पर्यटन अवसंरचना का अनुरक्षण और मरम्मत	1.38	33.90	35.28	5.09	32.84	37.93	2.09	32.84	34.93	1.60	40.44	42.04
		...	-1.05	-1.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*1.38*	*32.85*	*34.23*	*5.09*	*32.84*	*37.93*	*2.09*	*32.84*	*34.93*	*1.60*	*40.44*	*42.04*
3.18	लोक निर्माण कार्य	7.43	13.40	20.83	6.76	16.51	23.27	6.76	16.51	23.27	7.23	25.30	32.53
		-0.12	...	-0.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*7.31*	*13.40*	*20.71*	*6.76*	*16.51*	*23.27*	*6.76*	*16.51*	*23.27*	*7.23*	*25.30*	*32.53*
3.19	जलापूर्ति और स्वच्छता	6.67	25.83	32.50	6.61	39.00	45.61	7.31	39.00	46.31	7.25	29.00	36.25
3.20	सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास	1.23	4.95	6.18	2.69	4.50	7.19	2.14	4.50	6.64	2.69	2.80	5.49
3.21	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण	...	1.82	1.82	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
3.22	सामाजिक सुरक्षा	0.31	...	0.31	0.30	0.01	0.31	0.30	0.01	0.31	0.30	...	0.30
		-0.83	...	-0.83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*-0.52*	*...*	*-0.52*	*0.30*	*0.01*	*0.31*	*0.30*	*0.01*	*0.31*	*0.30*	*...*	*0.30*
3.23	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	...	13.03	13.03	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	3.00	3.00
	जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	*50.94*	*340.60*	*391.54*	*62.21*	*307.28*	*369.49*	*25.60*	*307.28*	*332.88*	*65.64*	*323.76*	*389.40*
4.	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक	14.43	...	14.43	7.78	...	7.78	7.78	...	7.78	7.43	15.00	22.43
5.	जनजातीय क्षेत्र संघटक	23.34	0.15	23.49	24.83	0.35	25.18	24.83	0.35	25.18	27.90	0.35	28.25
		-0.31	...	-0.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*23.03*	*0.15*	*23.18*	*24.83*	*0.35*	*25.18*	*24.83*	*0.35*	*25.18*	*27.90*	*0.35*	*28.25*
6.	*अनुदानग्राही/अन्य निकाय*												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.01 दमन और दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान	70.30	...	70.30	63.70	...	63.70	60.82	...	60.82	64.96	...	64.96
6.02 दमन और दीव की नगरपालिका परिषदों को अनुदान	28.81	...	28.81	31.04	...	31.04	31.04	...	31.04	32.36	...	32.36
6.03 अन्य अनुदानग्राही निकाय	24.58	...	24.58	11.37	...	11.37	14.37	...	14.37	14.25	...	14.25
जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय	*123.69*	*...*	*123.69*	*106.11*	*...*	*106.11*	*106.23*	*...*	*106.23*	*111.57*	*...*	*111.57*
7. संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय	0.01	3.17	3.18	0.12	3.78	3.90	0.12	3.78	3.90	0.12	3.37	3.49
जोड़-अन्य	**212.10**	**343.92**	**556.02**	**201.05**	**311.41**	**512.46**	**164.56**	**311.41**	**475.97**	**212.66**	**342.48**	**555.14**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**212.10**	**343.92**	**556.02**	**201.05**	**311.41**	**512.46**	**164.56**	**311.41**	**475.97**	**212.66**	**342.48**	**555.14**
कुल जोड़	***427.87***	***343.92***	***771.79***	***462.08***	***311.41***	***773.49***	***424.39***	***311.41***	***735.80***	***479.00***	***342.48***	***821.48***

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना प्रावधान शामिल है,अर्थात् न्यांयालय, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, कर, कोषागार एवं लेखा, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, खेती-बाड़ी, पशुपालन, डेयरी विकास, मछलीपालन, सहकारिता, भू-राजस्व, ग्रामीण विकास, विद्युत, पर्यावरण एवं वन, वैज्ञानिक अनुसंधान, खाद्यान्न भंडारण एवं भाण्डारण, सिविल आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित सामान्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा मामले, कला एवं संस्कृति, उद्योग, श्रम एवं नियोजन, सड़क एवं पुल, पत्तन एवं पत्तन स्तंभ, नागर विमानन, सूचना एवं प्रचार, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण, जलापूर्ति, शहरी विकास आदि शामिल हैं।

3.01. **पुलिस कल्याण:** इसमें पुलिस कल्याण निधि तथा पुलिस कार्मिकों के लिए सरकारी आवास हेतु प्रावधान शामिल है।

3.02. **एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण:** इसमें कुटीर उद्योगों के विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक से पहले स्कॉलरशिप/छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप/छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को नि:शुल्क यूनीफार्म, पाठ्य-पुस्तकों आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **प्राकृतिक आपदाओं से राहत:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर पीड़ितों व्यक्तियों को राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **अग्निशामक सेवाओं का उन्नयन:** इसमें अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन, आग बुझाने के उपकरणों की खरीद आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत का पारेषण और वितरण:** इसमें विद्युत के पारेषण और वितरण तथा अन्य अवसंरचना संबंधी योजनाओं और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें वन एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए योजनागत प्रावधान शामिल है।

3.08. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** इसमें खाद्यान्न भंडारण और भाण्डागारण तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **चिकित्सा और स्वास्थ्य:** इसमें राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ समृद्धि योजना, डिकरी विकास योजना, एचआईवी पॉजीटिव/एड्स से ग्रसित लोगों को वित्तीय सहायता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं/संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा:** इसमें शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्चतर, तकनीकी शिक्षा), विद्यालय /पॉलीटेक्निक भवनों, खेल के मैदान/स्टेडियम आदि के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **औद्योगिक संवर्द्धन:** इसमें निवेश संवर्धन योजना और औद्योगिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **श्रम कल्याण:** इसमें श्रमिक कल्याण योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वच्छ भोजन की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:** इसमें आई टी आई के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति तथा आई टी आई के लिए मशीन और उपकरणों के प्रापण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **सड़कों और पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत:** इसमें सड़कों के अनुरक्षण और मरम्म त सहित उनके निर्माण/उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास:** इसमें पत्तनों और लाइटहाउसों के निर्माण और विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **नागर विमानन:** इसमें रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत विमानों के संचालन के लिए वीजीएफ (वाइबिलीटी गैप फंडिंग) तथा हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.17. **पर्यटन अवसंरचना का अनुरक्षण और मरम्मत:** इसमें पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें लोक निर्माण कार्यों, भवन के निर्माण/उन्नयन तथा अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.19. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जलापूर्ति योजना के उन्न यन/निर्माण तथा उसके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.20. **सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास:** इसमें सरकारी रिहायशी भवनों के निर्माण तथा उन्नयन और उनके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.21. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण:** इसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.22. **सामाजिक सुरक्षा:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा उनके चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और एकीकृत बाल संरक्षण योजनाओं आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रावधान शामिल है।

3.23. **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा:** इसमें ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत के संवर्धन के लिए सोलर पैनलों की खरीद तथा सोलर संयंत्र की स्थापना की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक:** इसमें पुलिस आधुनिकीकरण योजना, आईसीडीएस-मिड डे भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है

5. **जनजातीय क्षेत्र संघटक:** इसमें जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय भवनों, उप-केन्द्रों के निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

6.01. **दमन और दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान:** इसमें दमण एवं दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

6.02. **दमन और दीव की नगरपालिका परिषदों को अनुदान:** इसमें दमण एवं दीव की नगरपालिका परिषदों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

6.03. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें अन्य अनुदानग्राही निकायों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है, जैसे दमण एवं दीव की ई-गवर्नेंस सोसायटी, रोगी कल्याण समिति, सहायता प्राप्त विद्यालय, दीव में तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान सोसायटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, खेल परिषद, बाल भवन बोर्ड, पर्यटन कला एवं संस्कृति संवर्धन सोसायटी को अनुदान तथा योजना एवं विकास प्राधिकरण को अनुदान।

7. **संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय:** इसमें जनगणना और सांख्यिकी के लिए उपकरणों, सरकारी मुद्रण प्रेसों के निर्माण, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के प्रचालन और अनुरक्षण, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं और शेयर पूंजी अंशदानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड और सहकारी बैंक आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 53

गृह मंत्रालय (लक्षद्वीप)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1074.44	136.31	1210.75	1130.61	266.70	1397.31	1110.61	176.01	1286.62	1117.11	186.38	1303.49
वसूलियां	*-14.99*	*...*	*-14.99*	*-36.75*	*-0.25*	*-37.00*	*-36.75*	*-0.25*	*-37.00*	*-26.50*	*-0.25*	*-26.75*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**1059.45**	**136.31**	**1195.76**	**1093.86**	**266.45**	**1360.31**	**1073.86**	**175.76**	**1249.62**	**1090.61**	**186.13**	**1276.74**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	12.56	...	12.56	18.26	...	18.26	18.26	...	18.26	18.52	...	18.52
2. अन्य स्थापना	317.01	...	317.01	321.43	...	321.43	321.43	...	321.43	349.73	...	349.73
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**329.57**	**...**	**329.57**	**339.69**	**...**	**339.69**	**339.69**	**...**	**339.69**	**368.25**	**...**	**368.25**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्यक्षेत्र की योजनाएं												
3.01 आपदा प्रबंधन	0.57	...	0.57	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05	0.55	...	0.55
3.02 सूचना प्रौद्योगिकी	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
3.03 पुलिस	...	7.91	7.91	...	9.98	9.98	...	7.78	7.78	...	4.83	4.83
3.04 विद्युत	106.04	7.97	114.01	91.42	16.00	107.42	91.42	8.50	99.92	94.02	13.00	107.02
	...	...	...	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	...	...	...
निवल	*106.04*	*7.97*	*114.01*	*91.17*	*16.00*	*107.17*	*91.17*	*8.50*	*99.67*	*94.02*	*13.00*	*107.02*
3.05 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	30.02	5.18	35.20	31.94	6.67	38.61	31.94	5.90	37.84	30.94	3.65	34.59
	...	...	...	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25
निवल	*30.02*	*5.18*	*35.20*	*31.94*	*6.42*	*38.36*	*31.94*	*5.65*	*37.59*	*30.94*	*3.40*	*34.34*
3.06 पर्यावरण एवं वन	5.57	0.80	6.37	8.90	3.75	12.65	8.90	3.25	12.15	9.30	3.50	12.80
3.07 पंचायती राज	4.96	1.25	6.21	5.25	1.00	6.25	5.25	1.00	6.25	4.65	0.50	5.15
3.08 नागरिक आपूर्ति	8.27	0.53	8.80	12.88	0.50	13.38	12.88	0.50	13.38	10.85	1.00	11.85
	-3.91	...	-3.91	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50
निवल	*4.36*	*0.53*	*4.89*	*6.38*	*0.50*	*6.88*	*6.38*	*0.50*	*6.88*	*4.35*	*1.00*	*5.35*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.09 स्वास्थ्य	28.53	7.39	35.92	38.15	10.20	48.35	38.15	10.20	48.35	37.30	10.20	47.50
3.10 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	41.57	18.81	60.38	45.95	18.00	63.95	45.95	18.00	63.95	43.15	14.75	57.90
3.11 समाज कल्याण, महिला और बाल विकास	5.89	3.42	9.31	6.17	1.50	7.67	6.17	1.50	7.67	5.85	1.00	6.85
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग	0.30	0.29	0.59	0.67	0.65	1.32	0.67	0.35	1.02	0.78	0.35	1.13
3.13 रोजगार और प्रशिक्षण	1.47	4.54	6.01	1.73	5.00	6.73	1.73	5.00	6.73	1.71	3.00	4.71
3.14 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3.24	0.24	3.48	3.28	1.25	4.53	3.28	0.50	3.78	3.08	1.00	4.08
3.15 शहरी विकास,आवास, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण	36.71	47.43	84.14	40.10	70.50	110.60	40.10	59.50	99.60	39.60	45.50	85.10
	-11.08	...	-11.08	-30.00	...	-30.00	-30.00	...	-30.00	-20.00	...	-20.00
निवल	*25.63*	*47.43*	*73.06*	*10.10*	*70.50*	*80.60*	*10.10*	*59.50*	*69.60*	*19.60*	*45.50*	*65.10*
3.16 सड़क	0.36	15.00	15.36	0.70	15.00	15.70	0.70	11.33	12.03	0.50	12.00	12.50
3.17 परिवहन	417.79	11.50	429.29	436.95	94.50	531.45	416.95	32.50	449.45	402.15	63.50	465.65
3.18 पर्यटन विकास	2.89	2.34	5.23	5.80	9.50	15.30	5.80	7.50	13.30	5.31	6.75	12.06
जोड़- संघ राज्यक्षेत्र की योजनाएं	*719.19*	*134.60*	*853.79*	*744.19*	*263.75*	*1007.94*	*724.19*	*173.06*	*897.25*	*713.24*	*184.28*	*897.52*
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक	2.96	...	2.96	3.17	...	3.17	3.17	...	3.17	3.10	...	3.10
5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	5.39	...	5.39	4.63	...	4.63	4.63	...	4.63	4.12	...	4.12
6. संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय	2.34	1.71	4.05	2.18	2.70	4.88	2.18	2.70	4.88	1.90	1.85	3.75
जोड़-अन्य	**729.88**	**136.31**	**866.19**	**754.17**	**266.45**	**1020.62**	**734.17**	**175.76**	**909.93**	**722.36**	**186.13**	**908.49**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**729.88**	**136.31**	**866.19**	**754.17**	**266.45**	**1020.62**	**734.17**	**175.76**	**909.93**	**722.36**	**186.13**	**908.49**
कुल जोड़	***1059.45***	***136.31***	***1195.76***	***1093.86***	***266.45***	***1360.31***	***1073.86***	***175.76***	***1249.62***	***1090.61***	***186.13***	***1276.74***

1. **सचिवालय:** लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना प्रावधान शामिल है, अर्थात् संचार, योजना एवं सांख्यिकी, न्यायालय, भुगतान एवं लेखा, जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन बल, इंडिया रिजर्व बटालियन, विद्युत, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता, वानिकी एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सिविल आपूर्ति, विधिक सेवा, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य , शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा सेवा, कला एवं संस्कृति, उद्योग, सूचना एवं प्रचार, रोजगार एवं प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण कार्य, जलापूर्ति, आवास, सड़क परिवहन, पत्तन, पोत परिवहन एवं विमानन, नागर विमानन और पर्यटन विकास आदि।

3.01. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **सूचना प्रौद्योगिकी:** इसमें सूचना प्रौद्योगिक सेवाओं के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास तथा डाटा कनेक्टिविटी के संवर्धन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **पुलिस:** इसमें भवनों, मशीन एवं उपकरण, पुलिस के लिए मोटर वाहनों जैसी अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास, फायरफोर्स और इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, वितरण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के विकास, स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव तथा ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन और सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **पर्यावरण एवं वन:** इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **पंचायती राज:** इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्यान्न भंडारण एवं भाण्डागारण तथा सिविल आपूर्ति सेक्टरों के अंतर्गत राशन तथा आवश्यक वस्तुओं के प्रापण, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु प्रावधान शामिल है।

3.09. **स्वास्थ्य:** इसमें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की अवसंरचना के सृजन और रखरखाव, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति:** इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित अवसंरचना के सृजन एवं रखरखाव और विकास, खेल एवं युवा सेवाओं के विकास तथा पुस्तकालयों और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **समाज कल्याण, महिला और बाल विकास:** इसमें समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अवसंरचना के सृजन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **रोजगार और प्रशिक्षण:** इसमें श्रम प्रवर्तन, रोजगार सेवाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **शहरी विकास,आवास, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण:** इसमें विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा अन्य भवनों के निर्माण और अनुरक्षण, जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के सृजन, रिहायशी भवनों के निर्माण तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए अवसंरचना के विकास (समुद्री अपरदन-रोधी) के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **सड़क:** इसमें सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण तथा सड़क सुरक्षा गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.17. **परिवहन:** इसमें पत्तनों के निर्माण और रखरखाव, जहाजों से तट तक परिवहन सुविधाओं, जहाजों के अधिग्रहण एवं रखरखाव, हवाईअड्डों और हेलीपैड के निर्माण तथा उड़ान और हेलिकॉप्टर सेवा के रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.18. **पर्यटन विकास:** इसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक:** इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा विशेष पोषाहार कार्यक्रम/एकीकृत बाल विकास योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें लक्षद्वीप राज्य वक्फ़ बोर्ड, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, लक्षद्वीप कला अकादमी, लक्षद्वीप खादी एवं ग्राम विकास बोर्ड, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्षद्वीप गोताखोरी अकादमी, पर्यटन एवं खेल संवर्धन सोसायटी तथा लक्षद्वीप राज्य समाज कल्याण बोर्ड के लिए प्रावधान शामिल है।

6. **संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय:** इसमें जेलों के अनुरक्षण, न्यायिक एवं गैर-न्यायिक स्टाम्पों की खरीद, सूचना एवं प्रचार संबंधी सुविधाओं के सृजन एवं रखरखाव, जिला प्रशासन के भवनों के रखरखाव तथा लक्षद्वीप सरकारी प्रेस के सृजन एवं रखरखाव आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 54

दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	80.00	867.49	812.00	300.00	1112.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**752.98**	**...**	**752.98**	**790.00**	**...**	**790.00**	**787.49**	**80.00**	**867.49**	**812.00**	**300.00**	**1112.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. 1984 के दंगा पीडितों को संवर्द्धित क्षतिपूर्ति	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
2. केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00
3. संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान	...	...	...	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	5.00	...	5.00
4. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	412.98	...	412.98	449.99	...	449.99	449.99	...	449.99	472.00	...	472.00
5. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	80.00	80.00	...	300.00	300.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**752.98**	**...**	**752.98**	**790.00**	**...**	**790.00**	**787.49**	**80.00**	**867.49**	**812.00**	**300.00**	**1112.00**
कुल जोड़	***752.98***	***...***	***752.98***	***790.00***	***...***	***790.00***	***787.49***	***80.00***	***867.49***	***812.00***	***300.00***	***1112.00***
ख. विकासात्मकशीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	...	787.49	812.00	...	812.00
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	...	...	...	80.00	80.00	...	300.00	300.00
जोड़-अन्य	**752.98**	**...**	**752.98**	**790.00**	**...**	**790.00**	**787.49**	**80.00**	**867.49**	**812.00**	**300.00**	**1112.00**
कुल जोड़	**752.98**	**...**	**752.98**	**790.00**	**...**	**790.00**	**787.49**	**80.00**	**867.49**	**812.00**	**300.00**	**1112.00**

4. यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्कीमों के वित्तपोषण के लिए है।

1, 2 और 3. ये प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए वृद्धित क्षतिपूर्ति, केन्द्रीय करों और शुल्कों में भाग के एवज मेंअनुदान और संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान के लिए अनुदान शामिल हैं।

5. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र):** राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली सरकार के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रावधान है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 55

पुडुचेरी को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1428.69	72.00	1500.69	1476.00	...	1476.00	1476.00	49.61	1525.61	1544.99	0.01	1545.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1428.69**	**72.00**	**1500.69**	**1476.00**	**...**	**1476.00**	**1476.00**	**49.61**	**1525.61**	**1544.99**	**0.01**	**1545.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	1418.69	72.00	1490.69	1470.99	...	1470.99	1470.99	...	1470.99	1539.98	...	1539.98
3. समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी	...	...	...	...	...	...	...	49.61	49.61	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**1428.69**	**72.00**	**1500.69**	**1476.00**	**...**	**1476.00**	**1476.00**	**49.61**	**1525.61**	**1544.99**	**0.01**	**1545.00**
कुल जोड़	***1428.69***	***72.00***	***1500.69***	***1476.00***	***...***	***1476.00***	***1476.00***	***49.61***	***1525.61***	***1544.99***	***0.01***	***1545.00***
ख. विकासात्मकशीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1428.69	...	1428.69	1476.00	...	1476.00	1476.00	...	1476.00	1544.99	...	1544.99
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	72.00	72.00	...	...	...	...	49.61	49.61	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	**1428.69**	**72.00**	**1500.69**	**1476.00**	**...**	**1476.00**	**1476.00**	**49.61**	**1525.61**	**1544.99**	**0.01**	**1545.00**
कुल जोड़	**1428.69**	**72.00**	**1500.69**	**1476.00**	**...**	**1476.00**	**1476.00**	**49.61**	**1525.61**	**1544.99**	**0.01**	**1545.00**

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंशदान के लिए अनुदानों के लिए है।

2. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान पुडुचेरी सरकार की स्कीमों के संसाधनों और वित्तपोषणों में अंतर को पाटने के लिए अनुदानों के लिए है।

3. **समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी:**

4. **जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी:**

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 56

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	25260.00	15346.47	40606.47	25598.15	16415.85	42014.00	32708.67	17010.33	49719.00	35513.10	19544.34	55057.44
वसूलियां	*-545.45*	...	*-545.45*	*-248.42*	*-0.45*	*-248.87*	*-6753.42*	*-0.45*	*-6753.87*	*-7025.26*	*-0.01*	*-7025.27*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**24714.55**	**15346.47**	**40061.02**	**25349.73**	**16415.40**	**41765.13**	**25955.25**	**17009.88**	**42965.13**	**28487.84**	**19544.33**	**48032.17**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय

केन्द्र का स्थापना व्यय

1.	*सचिवालय*												
1.01	सचिवालय	10.59	...	10.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.02	अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	1.36	...	1.36	2.05	...	2.05	2.05	...	2.05	1.40	...	1.40
	जोड़- सचिवालय	*11.95*	...	*11.95*	*2.05*	...	*2.05*	*2.05*	...	*2.05*	*1.40*	...	*1.40*
2.	*सचिवालय*												
2.01	सचिवालय	80.69	...	80.69	97.11	...	97.11	97.11	...	97.11	97.72	...	97.72
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*80.69*	...	*80.69*	*97.11*	...	*97.11*	*97.11*	...	*97.11*	*97.72*	...	*97.72*
2.02	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रशिक्षण संस्थान, आर एंड डी और कम्प्यूटरीकरण सहित)	1069.40	...	1069.40	1228.56	...	1228.56	1229.81	...	1229.81	1159.31	...	1159.31
2.03	संपदा निदेशालय	60.54	...	60.54	68.39	...	68.39	68.29	...	68.29	69.18	...	69.18
2.04	भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना	11.03	...	11.03	12.04	...	12.04	13.11	...	13.11	11.93	...	11.93
	जोड़- सचिवालय	*1221.66*	...	*1221.66*	*1406.10*	...	*1406.10*	*1408.32*	...	*1408.32*	*1338.14*	...	*1338.14*
3.	*संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन*												
3.01	नगर और ग्राम योजना संगठन	10.64	...	10.64	12.12	...	12.12	12.12	...	12.12	12.08	...	12.08
3.02	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान	4.80	...	4.80	5.10	...	5.10	5.10	...	5.10	5.10	...	5.10
3.03	दिल्ली शहरी कला आयोग	3.50	...	3.50	3.92	...	3.92	3.92	...	3.92	3.95	...	3.95
3.04	नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान	11.44	...	11.44	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	14.11	...	14.11
3.05	एनसीआर आयोजना बोर्ड	54.70	...	54.70	55.06	...	55.06	55.56	...	55.56	55.10	...	55.10
3.06	विभागीय कैंटीन सहित राजघाट समाधि समिति	7.18	...	7.18	10.24	...	10.24	16.47	...	16.47	9.30	...	9.30

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.07 भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
3.08 केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
3.09 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.08	...	4.08
जोड़- संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन	*92.26*	*...*	*92.26*	*101.44*	*...*	*101.44*	*108.17*	*...*	*108.17*	*108.82*	*...*	*108.82*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1325.87**	**...**	**1325.87**	**1509.59**	**...**	**1509.59**	**1518.54**	**...**	**1518.54**	**1448.36**	**...**	**1448.36**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं												
4. दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान	146.23	...	146.23	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	414.70	...	414.70
5. मेट्रो परियोजनाएं												
5.01 इक्विटी निवेश	...	3248.77	3248.77	...	2341.00	2341.00	...	2341.00	2341.00	...	3815.00	3815.00
5.02 अधीनस्थ ऋण	...	1493.67	1493.67	...	1550.00	1550.00	...	1550.00	1550.00	...	1684.00	1684.00
5.03 पास थ्रू सहायता	...	9067.56	9067.56	...	10373.60	10373.60	...	10973.60	10973.60	...	12214.93	12214.93
जोड़- मेट्रो परियोजनाएं	*...*	*13810.00*	*13810.00*	*...*	*14264.60*	*14264.60*	*...*	*14864.60*	*14864.60*	*...*	*17713.93*	*17713.93*
6. शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	21.82	...	21.82	26.30	...	26.30	26.30	...	26.30	23.36	...	23.36
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	...	...	...	...	659.00	659.00	...	659.00	659.00	300.00	700.00	1000.00
8. वैश्विक पर्यावरण सुविधा	0.04	...	0.04	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01
जोड़-एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	**168.09**	**13810.00**	**13978.09**	**76.40**	**14923.60**	**15000.00**	**76.40**	**15523.60**	**15600.00**	**738.07**	**18413.93**	**19152.00**
9. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सुदृढ़ीकरण योजना (हृदय)	108.49	...	108.49	161.50	...	161.50	161.50	...	161.50	...	...	...
सामान्य पूल आवास												
10. आवासीय												
10.01 आवासीय	1013.61	708.67	1722.28	931.50	764.75	1696.25	931.50	760.76	1692.26	970.64	581.95	1552.59
11. गैर-आवासीय												
11.01 गैर-आवासीय	815.38	827.47	1642.85	778.05	675.00	1453.05	780.80	673.47	1454.27	833.95	500.00	1333.95
	-3.70	...	-3.70	-15.41	-0.45	-15.86	-15.41	-0.45	-15.86	-3.99	-0.01	-4.00
निवल	*811.68*	*827.47*	*1639.15*	*762.64*	*674.55*	*1437.19*	*765.39*	*673.02*	*1438.41*	*829.96*	*499.99*	*1329.95*
जोड़-सामान्य पूल आवास	**1825.29**	**1536.14**	**3361.43**	**1694.14**	**1439.30**	**3133.44**	**1696.89**	**1433.78**	**3130.67**	**1800.60**	**1081.94**	**2882.54**
पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं												
12. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)												
12.01 भारत सरकार का अंशदान	60.53	...	60.53	56.00	52.00	108.00	56.00	52.00	108.00	55.40	12.30	67.70
12.02 ईएपी घटक	168.32	...	168.32	142.00	...	142.00	142.00	...	142.00	182.30	...	182.30
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)	*228.85*	*...*	*228.85*	*198.00*	*52.00*	*250.00*	*198.00*	*52.00*	*250.00*	*237.70*	*12.30*	*250.00*
13. पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं	146.85	...	146.85	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं	**375.70**	**...**	**375.70**	**348.00**	**52.00**	**400.00**	**348.00**	**52.00**	**400.00**	**387.70**	**12.30**	**400.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2477.57**	**15346.14**	**17823.71**	**2280.04**	**16414.90**	**18694.94**	**2282.79**	**17009.38**	**19292.17**	**2926.37**	**19508.17**	**22434.54**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
14. लेखन सामग्री नियंत्रक	37.67	...	37.67	57.15	...	57.15	57.16	...	57.16	43.75	...	43.75
	-4.97	...	-4.97	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00
निवल	*32.70*	*...*	*32.70*	*54.15*	*...*	*54.15*	*54.16*	*...*	*54.16*	*40.75*	*...*	*40.75*
15. मुद्रणालय	163.66	0.33	163.99	205.45	0.50	205.95	199.21	0.50	199.71	189.84	36.16	226.00
	-140.05	...	-140.05	-220.01	...	-220.01	-220.01	...	-220.01	-160.01	...	-160.01
निवल	*23.61*	*0.33*	*23.94*	*-14.56*	*0.50*	*-14.06*	*-20.80*	*0.50*	*-20.30*	*29.83*	*36.16*	*65.99*
16. अन्य संगठन	23.46	...	23.46	9.05	...	9.05	9.05	...	9.05	4.37	...	4.37
	-1.07	...	-1.07	-10.00	...	-10.00	-10.00	...	-10.00	-5.00	...	-5.00
निवल	*22.39*	*...*	*22.39*	*-0.95*	*...*	*-0.95*	*-0.95*	*...*	*-0.95*	*-0.63*	*...*	*-0.63*
17. प्रकाशन नियंत्रक	27.42	...	27.42	37.46	...	37.46	37.46	...	37.46	39.90	...	39.90
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**106.12**	**0.33**	**106.45**	**76.10**	**0.50**	**76.60**	**69.87**	**0.50**	**70.37**	**109.85**	**36.16**	**146.01**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**106.12**	**0.33**	**106.45**	**76.10**	**0.50**	**76.60**	**69.87**	**0.50**	**70.37**	**109.85**	**36.16**	**146.01**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
18. पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं)												
18.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-I	1200.00	...	1200.00	1000.00	...	1000.00	1300.00	...	1300.00	600.00	...	600.00
18.02 मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-II	600.00	...	600.00	900.00	...	900.00	600.00	...	600.00	400.00	...	400.00
18.03 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	...	...	...	15.00	...	15.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
18.04 समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास	6.67	...	6.67	14.08	...	14.08	14.08	...	14.08	5.00	...	5.00
18.05 केंद्रीय घटक की अन्य मदें	49.34	...	49.34	74.00	...	74.00	88.99	...	88.99	166.92	...	166.92
18.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	6735.30	...	6735.30	4501.92	...	4501.92	4501.92	...	4501.92	2681.33	...	2681.33
18.07 ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	3000.00	...	3000.00
18.08 सीआरआईएफ को अंतरण	...	...	...	...	...	...	6505.00	...	6505.00	6853.26	...	6853.26
18.09 सीआरआईएफ से पूरा किया गया	...	...	...	...	...	...	-6505.00	...	-6505.00	-6853.26	...	-6853.26
निवल	*8591.31*	*...*	*8591.31*	*6505.00*	*...*	*6505.00*	*6505.01*	*...*	*6505.01*	*6853.26*	*...*	*6853.26*
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
19. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-												

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
एनयूएलएम)													
19.01	केंद्रीय घटक	20.04	...	20.04	15.56	...	15.56	15.80	...	15.80	21.48	...	21.48
19.02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	578.61	...	578.61	294.44	...	294.44	494.20	...	494.20	478.52	...	478.52
जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)		*598.65*	*...*	*598.65*	*310.00*	*...*	*310.00*	*510.00*	*...*	*510.00*	*500.00*	*...*	*500.00*
20.	वास्तविक वसूलियां	-386.34	...	-386.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
शहरी पुनर्जागरण अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन													
21.	*अमृत अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन*												
21.01	शहरी पुनरुज्जीवन मिशन - 500 शहर	4925.32	...	4925.32	6000.00	...	6000.00	6400.00	...	6400.00	7300.00	...	7300.00
21.02	उप-शहरों/काउंटर मैगनेट शहर में शहरी अवसंचना विकास	6.92	...	6.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21.03	शहरी और स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण (सी-बल्ब)	0.77	...	0.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21.04	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली	3.14	...	3.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- अमृत अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन		*4936.15*	*...*	*4936.15*	*6000.00*	*...*	*6000.00*	*6400.00*	*...*	*6400.00*	*7300.00*	*...*	*7300.00*
22.	*स्मार्ट सिटी मिशन*												
22.01	100 स्मार्ट शहरों के विकास का मिशन	4505.48	...	4505.48	6000.00	...	6000.00	5970.00	...	5970.00	6223.26	...	6223.26
		-9.31	...	-9.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*4496.17*	*...*	*4496.17*	*6000.00*	*...*	*6000.00*	*5970.00*	*...*	*5970.00*	*6223.26*	*...*	*6223.26*
22.02	शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सी-बड)	30.25	...	30.25	169.00	...	169.00	164.01	...	164.01	...	...	...
22.03	नवाचार, एकीकरण और धारणीयता के लिए नगरीय निवेश (सीआईटीआईआईएस)	...	...	...	...	...	...	35.03	...	35.03	376.74	...	376.74
जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन		*4526.42*	*...*	*4526.42*	*6169.00*	*...*	*6169.00*	*6169.04*	*...*	*6169.04*	*6600.00*	*...*	*6600.00*
जोड़-शहरी पुनर्जागरण अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन		**9462.57**	**...**	**9462.57**	**12169.00**	**...**	**12169.00**	**12569.04**	**...**	**12569.04**	**13900.00**	**...**	**13900.00**
स्वच्छ भारत मिशन													
23.	*स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी*												
23.01	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	174.17	...	174.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23.02	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजना - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	2364.63	...	2364.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23.03	कुल बजट सहायता	...	...	...	2500.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2750.00	...	2750.00
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी		*2538.80*	*...*	*2538.80*	*2500.00*	*...*	*2500.00*	*2500.00*	*...*	*2500.00*	*2750.00*	*...*	*2750.00*
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं		**20804.99**	**...**	**20804.99**	**21484.00**	**...**	**21484.00**	**22084.05**	**...**	**22084.05**	**24003.26**	**...**	**24003.26**
कुल जोड़		***24714.55***	***15346.47***	***40061.02***	***25349.73***	***16415.40***	***41765.13***	***25955.25***	***17009.88***	***42965.13***	***28487.84***	***19544.33***	***48032.17***
ख. विकासात्मक शीर्ष													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	91.28	...	91.28	97.11	...	97.11	97.11	...	97.11	97.72	...	97.72
2. लेखन सामग्री और छपाई	98.99	...	98.99	77.33	...	77.33	71.10	...	71.10	110.78	...	110.78
3. लोक निर्माण कार्य	1899.22	...	1899.22	2013.48	...	2013.48	2024.78	...	2024.78	2010.50	...	2010.50
4. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	...	0.33	0.33	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	36.16	36.16
5. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	813.24	813.24	...	652.55	652.55	...	650.99	650.99	...	474.99	474.99
जोड़-सामान्य सेवाएं	**2089.49**	**813.57**	**2903.06**	**2187.92**	**653.05**	**2840.97**	**2192.99**	**651.49**	**2844.48**	**2219.00**	**511.15**	**2730.15**
सामाजिक सेवाएं												
6. सामान्य शिक्षा	7.13	...	7.13	-1.23	...	-1.23	-1.23	...	-1.23	-0.93	...	-0.93
7. आवास	2545.25	...	2545.25	3005.02	...	3005.02	3004.93	...	3004.93	5222.33	...	5222.33
8. शहरी विकास	757.38	...	757.38	1167.50	...	1167.50	1138.01	...	1138.01	1634.21	...	1634.21
9. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	708.67	708.67	...	764.75	764.75	...	760.76	760.76	...	581.95	581.95
10. शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	...	3248.77	3248.77	...	3000.00	3000.00	...	3000.00	3000.00	...	3815.00	3815.00
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	11.92	11.92	...	20.00	20.00	...	20.02	20.02	...	23.00	23.00
12. शहरी विकास के लिए ऋण	...	10561.23	10561.23	...	11923.60	11923.60	...	12523.60	12523.60	...	14598.93	14598.93
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3309.76**	**14530.59**	**17840.35**	**4171.29**	**15708.35**	**19879.64**	**4141.71**	**16304.38**	**20446.09**	**6855.61**	**19018.88**	**25874.49**
आर्थिक सेवाएं												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	20.04	...	20.04	15.08	...	15.08	15.32	...	15.32	20.99	...	20.99
14. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	2.31	2.31	...	2.00	2.00	...	2.01	2.01	...	2.00	2.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**20.04**	**2.31**	**22.35**	**15.08**	**2.00**	**17.08**	**15.32**	**2.01**	**17.33**	**20.99**	**2.00**	**22.99**
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1158.57	...	1158.57	1203.57	...	1203.57	1246.61	...	1246.61
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	19090.43	...	19090.43	17487.17	...	17487.17	18070.95	...	18070.95	17377.41	...	17377.41
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	204.83	...	204.83	329.70	...	329.70	330.71	...	330.71	768.22	...	768.22
18. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	52.00	52.00	...	52.00	52.00	...	12.30	12.30
जोड़-अन्य	**19295.26**	**...**	**19295.26**	**18975.44**	**52.00**	**19027.44**	**19605.23**	**52.00**	**19657.23**	**19392.24**	**12.30**	**19404.54**
कुल जोड़	**24714.55**	**15346.47**	**40061.02**	**25349.73**	**16415.40**	**41765.13**	**25955.25**	**17009.88**	**42965.13**	**28487.84**	**19544.33**	**48032.17**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र आयोजना बोर्ड	...	223.02	223.02	...	1315.00	1315.00	...	1411.00	1411.00	...	1125.00	1125.00
2. आवासन एवं शहरी विकास निगम	...	16817.82	16817.82	...	13040.00	13040.00	...	17500.00	17500.00	...	17500.00	17500.00
3. मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं	...	1880.41	1880.41	18911.06	1897.48	20808.54	14864.60	778.90	15643.50	17713.93	787.63	18501.56
जोड़	**...**	**18921.25**	**18921.25**	**18911.06**	**16252.48**	**35163.54**	**14864.60**	**19689.90**	**34554.50**	**17713.93**	**19412.63**	**37126.56**

1.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान तत्कालीन एचयूपीए मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है। इसमें नेशनल बिल्डिंग संगठन, मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय और केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को अनुदान पर खर्च भी शामिल है।

1.02. **अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** इस प्रावधान में राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम और एशिया प्रशांत क्षेत्र के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आवास एवं शहरी विकास पर करने के लिए मानव बस्तियों और वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए संयुक्त राष्ट्र के केंद्र के लिए अंशदान भी शामिल है।

2.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के मंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंशदान सहित शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है जिसमें राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन को अंतर्राष्ट्रीय अंशदान शामिल है।

2.02. **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रशिक्षण संस्थान, आर एंड डी और कम्प्यूटरीकरण सहित):** यह प्रावधान प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटरीकरण सहित सीपीडब्ल्यूडी के सचिवालय के कंप्यूटरीकरण, स्थापना व्यय पर खर्च के लिए है।

संपदा निदेशालय: यह प्रावधान संपदा निदेशालय के कम्प्यूटरीकरण और सचिवालय व्यय के लिए है।

2.04. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** यह प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना व्यय के लिए है।

3. **संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन:** 3.1-3.6

यह प्रावधान नगर और ग्राम आयोजना संगठन, जो शहरी और क्षेत्रीय योजना के साथ और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान है, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए है।

3.07. **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी):** यह राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए अनुदान और अन्य व्यय के लिए है।

3.08. **केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन:** यह राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए अनुदान और अन्य व्यय के लिए है।

3.09. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन:** यह राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए अनुदान और अन्य व्यय के लिए है।

4. **दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान:** यह प्रावधान दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान के लिए है।

5. **मेट्रो परियोजनाएं:** 5.01-5.03

ये प्रावधान दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल निगम, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, विजाग मेट्रो , विजयवाड़ा मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो , नोएडा - ग्रेटर नोएडा मेट्रो एवं अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं की इक्विटी, ऋण, पासथ्रू सहायता के लिए हैं।

6. **शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण:** यह प्रावधान परिवहन योजना और क्षमता निर्माण की योजना के लिए है।

7. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में इक्विटी निवेश के लिए है।

8. **वैश्विक पर्यावरण सुविधा:** प्रावधान वैश्विक पर्यावरण कोष की योजना के लिए है।

9. **राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सुदृढ़ीकरण योजना (हृदय):** प्रावधान राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के लिए है। इसका लक्ष्य सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षी, पहुंच वाले, सूचनात्मक और सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देकर शहर की विशिष्टता दर्शाने हेतु धरोहर शहर की विशेषता को संरक्षित करना और पुनरूद्धार करना है।

10. **आवासीय:** प्रावधान सरकारी आवासीय के निर्माण और रखरखाव के लिए है। इसमें अनुरक्षण और मरम्मत सुख्य/लघु लघु निर्माण कार्य, साज-सज्जा वर्क्स, फर्निशिंग, किराए, लीज के खर्च आदि शामिल है।

11.01. **गैर-आवासीय:** प्रावधान गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदि शामिल है। इसमें मरम्मत और रख-रखाव, मुख्य/लघु कार्य, साज-सज्जा , किराया और लीज प्रभार भी शामिल हैं।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी):** प्रावधान एडीबी के माध्यम से सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास परियोजना के लिए है।

13. **पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं** प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिए है।

14. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** लेखन सामग्री नियंत्रक केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के लिए लेखन

सामग्री की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

15. **मुद्रणालय:** प्रावधान सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के लिए अभिचिलित हैं। इसमें टेक्स्ट बुक मुद्राणालय भी शामिल हैं जो थोक में सरकारी मुद्रण कार्य करते हैं।

16. **अन्य संगठन:** प्रावधान अन्य संगठनों के लिए है, जिसमें मुद्रण निदेशालय ,पर्चा स्टोर, छपाई निजी प्रेस के माध्यम से और टेक्स्ट बुक प्रेस के लिए प्रावधान शामिल है।

17. **प्रकाशन नियंत्रक:** प्रकाशन के नियंत्रक एक केंद्रीय संगठन है जो सरकारी प्रकाशनों को एकत्रित, वितरित तथा बेचता है।

18. **पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं):** प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की योजना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक हर घर के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

18.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-I:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सी एल एस एस) -I के तहत ईडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।

18.02. **मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)-II:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सी एल एस एस) -II के तहत MIG के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।

18.03. **पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं):** क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास के तहत प्रावधान अनुसूचित विज्ञापनों / सहकारी बैंकों द्वारा समपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करना है।

18.04. **समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास:** प्रावधान समावेशी शहरी शासन के लिए संस्थागत विकास के लिए है।

18.05. **पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं):** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण गतिविधियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटक के लिए है।

18.06. **पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं):** प्रावधान पी एम ए वाई (यू) की इस योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले खर्च भी शामिल है।

18.07. **ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी:** प्रावधान पीएमएवाई (यू) स्कीम के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से उगाहे गए ऋण की ब्याज अदायगी के लिए है।

19. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान डी ए वाई-एनयूएलएम, गरीब की मजबूत जमीनी संस्थानों के सृजन के माध्यम के रूप में भी लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम करने से गरीब की गरीबी और शहरी गरीब परिवारों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए है। इस मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को अत्यावश्यक सेवाओं से युक्त घर उपलब्ध कराना तथा शहरी रेहड़ी वालों की आजीविका का भी निराकरण करना है।

19.01. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय एनयूएलएम में क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए और एनयूएलएम की योजना के लिए केंद्रीय घटक के लिए है।

19.02. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान एनयूएलएम की योजना के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए पिछली योजनाओं के तहत राज्यों की परियोजनाओं की ओर व्यय को पूरा करने के लिए है।

21. **अमृत अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन:** प्रावधान अमृत, यूआईडी सैटेलाइट और काउंटर मैग्नेट सिटी, के लिए और राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस), शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण योजना के लिए बनाया गया है।

22. **स्मार्ट सिटी मिशन:** 22.01 - 22.02

प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों के विकास और शहरी विकास के क्षमता निर्माण के लिए है ।

22.03. **नवाचार, एकीकरण और धारणीयता के लिए नगरीय निवेश (सीआईटीआईआईएस):** प्रावधान स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए एएफडी वित्तपोषित स्कीम के लिए है।

23. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी:** प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के लिए है। यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छता कोष और सकल बजटीय सहायता से वित्तपोषित होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 57

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	72554.50	...	72554.50	82516.30	...	82516.30	87392.79	...	87392.79	97435.76	...	97435.76
वसूलियां	*-25954.06*	*...*	*-25954.06*	*-32516.30*	*...*	*-32516.30*	*-37279.04*	*...*	*-37279.04*	*-41049.13*	*...*	*-41049.13*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**46600.44**	**...**	**46600.44**	**50000.00**	**...**	**50000.00**	**50113.75**	**...**	**50113.75**	**56386.63**	**...**	**56386.63**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	18.38	...	18.38	22.00	...	22.00	24.60	...	24.60	24.90	...	24.90
2. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	6.22	...	6.22	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**24.60**	**...**	**24.60**	**30.00**	**...**	**30.00**	**32.60**	**...**	**32.60**	**32.90**	**...**	**32.90**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
4. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	2.61	...	2.61	2.90	...	2.90	1.30	...	1.30	3.00	...	3.00
5. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना												
5.01 सकल बजट सहायता से प्राप्त राशि	265.19	...	265.19	33.74	...	33.74	33.74	...	33.74	57.18	...	57.18
5.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से प्राप्त राशि	...	...	...	266.00	...	266.00	266.00	...	266.00	311.02	...	311.02
जोड़- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	*265.19*	*...*	*265.19*	*299.74*	*...*	*299.74*	*299.74*	*...*	*299.74*	*368.20*	*...*	*368.20*
6. राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना												
6.01 सकल बजट सहायता से प्राप्त राशि	292.38	...	292.38	28.90	...	28.90	28.90	...	28.90	20.00	...	20.00
6.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से प्राप्त राशि	...	...	...	227.00	...	227.00	227.00	...	227.00	80.00	...	80.00
जोड़- राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	*292.38*	*...*	*292.38*	*255.90*	*...*	*255.90*	*255.90*	*...*	*255.90*	*100.00*	*...*	*100.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**560.18**	**...**	**560.18**	**558.55**	**...**	**558.55**	**556.95**	**...**	**556.95**	**471.20**	**...**	**471.20**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)												
7.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	407.01	...	407.01	...	...	...	581.75	...	581.75	862.00	...	862.00
7.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	4590.24	...	4590.24	4425.00	...	4425.00	4425.00	...	4425.00	4000.00	...	4000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	*4997.25*	...	*4997.25*	*4425.00*	...	*4425.00*	*5006.75*	...	*5006.75*	*4862.00*	...	*4862.00*
8. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)												
8.01 सकल बजटीय सहायता से मदद (जीबीएस)	956.95	...	956.95	2505.85	...	2505.85	...	...	...	...	...	...
8.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	2228.05	...	2228.05	287.15	...	287.15	287.15	...	287.15	...	...	...
8.03 सीआरआईएफ से सहायता	...	...	...	...	...	...	2925.85	...	2925.85	3068.00	...	3068.00
जोड़- नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	*3185.00*	...	*3185.00*	*2793.00*	...	*2793.00*	*3213.00*	...	*3213.00*	*3068.00*	...	*3068.00*
9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	288.71	...	288.71	253.94	...	253.94	283.94	...	283.94	277.38	...	277.38
10. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	69.72	...	69.72	56.00	...	56.00	66.00	...	66.00	61.25	...	61.25
11. राष्ट्रीय बाल भवन	16.71	...	16.71	20.00	...	20.00	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00
12. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को अंतरण	6828.58	...	6828.58	4712.15	...	4712.15	4712.15	...	4712.15	4000.00	...	4000.00
13. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया व्यय	-6818.29	...	-6818.29	-4712.15	...	-4712.15	-4712.15	...	-4712.15	-4000.00	...	-4000.00
14. केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	...	...	...	...	...	...	2925.85	...	2925.85	3068.00	...	3068.00
15. केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	-2925.85	...	-2925.85	-3068.00	...	-3068.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**8567.68**	**...**	**8567.68**	**7547.94**	**...**	**7547.94**	**8590.69**	**...**	**8590.69**	**8289.63**	**...**	**8289.63**
अन्य												
16. प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों/राज्य संसाधन केंद्रों/संस्थाओं को सहायता	35.02	...	35.02	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	...	...	...
17. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00	0.33	...	0.33	0.50	...	0.50
18. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	...	...	...	4141.05	...	4141.05	4413.14	...	4413.14	5061.02	...	5061.02
19. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	-4141.05	...	-4141.05	-4413.14	...	-4413.14	-5061.02	...	-5061.02
जोड़-अन्य	**35.03**	**...**	**35.03**	**31.00**	**...**	**31.00**	**30.33**	**...**	**30.33**	**0.50**	**...**	**0.50**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**8602.71**	**...**	**8602.71**	**7578.94**	**...**	**7578.94**	**8621.02**	**...**	**8621.02**	**8290.13**	**...**	**8290.13**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
20. समग्र शिक्षा												
20.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11408.00	...	11408.00
20.02 ईएपी घटक	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.03 प्रारंभिक शिक्षा कोष से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20244.00	...	20244.00
20.04 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4670.00	...	4670.00
जोड़- समग्र शिक्षा	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*36322.00*	...	*36322.00*
21. सर्व शिक्षा अभियान												
21.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	8895.96	...	8895.96	9528.81	...	9528.81	7490.61	...	7490.61	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21.02 ईएपी घटक	1415.86	...	1415.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21.03 प्रारंभिक शिक्षा कोष से पूरी गई राशि	13171.78	...	13171.78	16600.00	...	16600.00	18638.20	...	18638.20	...	...	...
जोड़- सर्व शिक्षा अभियान	*23483.60*	...	*23483.60*	*26128.81*	...	*26128.81*	*26128.81*	...	*26128.81*	...	...	...
22. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान												
22.01 कार्यक्रम घटक	4033.44	...	4033.44	564.95	...	564.95	243.86	...	243.86	...	...	...
22.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	...	...	...	3648.05	...	3648.05	3920.14	...	3920.14	...	...	...
22.03 ईएपी घटक	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	*4033.44*	...	*4033.44*	*4213.00*	...	*4213.00*	*4164.00*	...	*4164.00*	...	...	...
23. अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा												
23.01 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	478.32	...	478.32	550.00	...	550.00	488.00	...	488.00	...	...	...
23.02 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
23.03 स्कूल आकलन कार्यक्रम	...	...	...	0.70	...	0.70	0.23	...	0.23	...	...	...
23.04 साक्षर भारत	213.16	...	213.16	320.00	...	320.00	52.95	...	52.95	...	...	...
23.05 पढ़ना लिखना अभियान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.40	...	100.40
जोड़- अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा	*691.48*	...	*691.48*	*870.70*	...	*870.70*	*541.18*	...	*541.18*	*150.40*	...	*150.40*
जोड़-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	**28208.52**	**...**	**28208.52**	**31212.51**	**...**	**31212.51**	**30833.99**	**...**	**30833.99**	**36472.40**	**...**	**36472.40**
राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
24. राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
24.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	3176.07	...	3176.07	3436.90	...	3436.90	3359.34	...	3359.34	2323.89	...	2323.89
24.02 प्रारंभिक शिक्षा कोष से पूरी गई राशि	5916.23	...	5916.23	7063.10	...	7063.10	6589.70	...	6589.70	8676.11	...	8676.11
जोड़- राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	*9092.30*	...	*9092.30*	*10500.00*	...	*10500.00*	*9949.04*	...	*9949.04*	*11000.00*	...	*11000.00*
25. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) को अंतरण	19139.80	...	19139.80	23663.10	...	23663.10	25227.90	...	25227.90	28920.11	...	28920.11
26. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) से पूरी की गई राशि	-19091.14	...	-19091.14	-23663.10	...	-23663.10	-25227.90	...	-25227.90	-28920.11	...	-28920.11
अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रैला कार्यक्रम												
27. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	107.89	...	107.89	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00
28. पहुंच और इक्विटी	0.21	...	0.21	...	...	...	0.15	...	0.15	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**37457.58**	**...**	**37457.58**	**41832.51**	**...**	**41832.51**	**40903.18**	**...**	**40903.18**	**47592.40**	**...**	**47592.40**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
29. वास्तविक वसूलियां	-44.63	...	-44.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***46600.44***	***...***	***46600.44***	***50000.00***	***...***	***50000.00***	***50113.75***	***...***	***50113.75***	***56386.63***	***...***	***56386.63***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	9387.59	...	9387.59	11887.34	...	11887.34	13386.43	...	13386.43	13694.27	...	13694.27
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	16.29	...	16.29	22.00	...	22.00	24.60	...	24.60	24.90	...	24.90

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**9403.88**	**...**	**9403.88**	**11909.34**	**...**	**11909.34**	**13411.03**	**...**	**13411.03**	**13719.17**	**...**	**13719.17**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	4457.73	...	4457.73	3952.14	...	3952.14	4582.70	...	4582.70
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	36979.94	...	36979.94	33243.60	...	33243.60	32371.26	...	32371.26	37631.23	...	37631.23
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	216.62	...	216.62	389.33	...	389.33	379.32	...	379.32	453.53	...	453.53
जोड़-अन्य	**37196.56**	**...**	**37196.56**	**38090.66**	**...**	**38090.66**	**36702.72**	**...**	**36702.72**	**42667.46**	**...**	**42667.46**
कुल जोड़	**46600.44**	**...**	**46600.44**	**50000.00**	**...**	**50000.00**	**50113.75**	**...**	**50113.75**	**56386.63**	**...**	**56386.63**

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय का प्रावधान होता है।

2. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता आ रहा है। इस निदेशालय की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

3. **डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग:** इस योजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की डिजिटल पहलों का पूरा करना है।

4. **शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार:** वर्ष 1958 में आरंभ, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिक , मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को प्रदान किए जाते हैं।

5. **राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना, जो वर्ष 2008 में आरंभ की गई थी में, कक्षा IX स्तर पर 6000/- रूपये प्रतिवर्ष (500/- रूपये प्रतिमास) की एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर कक्षा XII तक जारी रह सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है ताकि उनमें कक्षा VIII पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा XII तक पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

6. **राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** वर्ष 2006-07 के लिए बजट पेश करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा में पढ़ रही बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे समर्थ वातावरण की स्थापना करना है ताकि स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके और अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों की बालिकाओं का माध्यमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाकर उन्हें वहां बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

7. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस):** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी जो केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण तथा उनके प्रबंधन के लिए पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

8. **नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (वर्ष 1992 में यथासंशोधित) के अनुसरण में, आवासीय स्कूलों की स्थापना के संबंध में है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने की एक केन्द्रीय योजना आरंभ की गई थी। ये जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन द्वारा चलाई जाती है जिसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत, वर्ष 1986 में की गई थी।

9. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

10. **केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन:** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) वर्ष 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रशासन के पास 79 स्कूल हैं।

11. **राष्ट्रीय बाल भवन:** राष्ट्री य बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्लीक की स्थासपना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वारयत्तस निकाय के रूप में की गई थी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूमल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्री956य बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु समूह के बच्चोंद विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों5 में सृजनात्मभकता प्राप्ति करने के लिए अपना योगदान करता आ रहा है।

16. **प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों/राज्य संसाधन केंद्रों/संस्थाओं को सहायता:** इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा तथा जनशिक्षण संस्था न के क्षेत्र में एनजीओ को सहायता देने की दो वर्तमान योजनाओं का सम्मिश्रण है। इस योजना के अंतर्गत 15-35 वर्ष के आयु समूह के प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए एनजीओ को वित्ती य सहायता प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनजीओ द्वारा प्रशासित राज्यत संसाधन केन्द्रों को भी सहायता प्राप्तक होती है।

17. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण:** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के एक स्वायत्त विंग के रूप में की गई थी।

20. **समग्र शिक्षा:**

21. **सर्व शिक्षा अभियान:** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो देश में आरंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राज्यों /संघ राज्यग क्षेत्रों की सरकारों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एसएसए आरंभिक शिक्षा में पहुंच, प्रतिधारण तथा गुणवत्ताा सुधार को सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी जिलों को कवर करता है।

22. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वीयन के एक अनुवर्ती परिणाम के रूप में उच्चा प्राईमरी स्तपर पर छात्रों की संख्याू में व्यावपक वृद्धि हुई है, यह आवश्य क माना गया है कि माध्यममिक शिक्षा तक पहुंच की बड़ी हुई मांग को पूरा किया जाए। तदनुसार राष्ट्री य माध्यममिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) नामक एक नई योजना मार्च, 2009 में शुरू की गई थी इस स्कीमम का कार्यान्व यन वर्ष 2009-10 में आरंभ हुआ था।

23. **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण:** इसमें नीचे बताए गए पाँच योजनाएं शामिल हैं:

23.01. **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण:** इस योजना का उद्देश्य वैश्विक स्तर के शैक्षणिक स्टाफ को तैयार करना है। इस योजना में आरटीई के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए राज्यों में समग्र शिक्षा विकास सहित अध्यापक शिक्षा के एकीकरण पर विचार किया गया है। यह योजना अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, विशेषकर पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों जहां इसकी कमी है, की क्षमता का विस्तार करने में मदद करेगी और बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या का भी समाधान करेगी।

23.02. **भाषा शिक्षकों की नियुक्ति:** इस योजना के अंतर्गत, गैर हिन्दी भाषी राज्यों्/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दीि शिक्षकों की नियुक्ति, उन स्था नों में जहां 25% से अधिक जनसंख्यार उर्दू बोलने वाले समुदाय की है वहां उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, उन हिन्दीी भाषी राज्योंअ/संघ राज्य् क्षेत्रों के स्कूलों में, जो इसकी मांग करते हैं में एक तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

23.03. **स्कूल आकलन कार्यक्रम:** यह स्कूिलों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यक्रम है।

23.04. **साक्षर भारत:** नव-साक्षरों के लिए साक्षरता अभियान एवं संचालन बहाली (लिटरेसी कैंपेन एंड ऑपरेशन रेस्टोारेशन) और सतत शिक्षा की मौजूदा योजनाओं को प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास की एकल योजना में विलय कर दिया गया है और यह योजना साक्षर भारत कार्यक्रम नाम से जानी जाती है और इसके अंतर्गत मौजूदा योजनाओं को समाविष्टर किया जाएगा।

23.05. **पढ़ना लिखना अभियान:** साक्षर भारत की मौजूदा योजना को पढ़ना लिखना अभियान के रूप में संशोधित किया गया है, जिसके तहत वयस्क शिक्षार्थियों को साक्षर बनाया जाना है।

24. **राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम:** स्कूलों के बच्चों में नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ-साथ उनमें पोषकता स्तरों को बढ़ाने के उद्देश्यम से 1995 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषकता सहायता कार्यक्रम आरंभ किया गया था । 2008-09 से आगे यह कार्यक्रम देशभर के सभी क्षेत्रों में कक्षा I से VIII तक पढ़ रहे सभी बच्चों को कवर करता है।

27. **मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** इस योजना में मदरसों में गुणवत्ता सुधार लाने की व्यवस्था है ताकि मुस्लिम बच्चे औपचारिक शिक्षा विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त कर सकें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	39810.66	250.00	40060.66	46778.08	2752.00	49530.08	46065.22	2751.00	48816.22	51202.84	2120.00	53322.84
वसूलियां	*-6446.43*	*...*	-6446.43	*-14519.79*	*...*	*-14519.79*	*-15304.11*	*...*	*-15304.11*	*-15861.83*	*...*	*-15861.83*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**33364.23**	**250.00**	**33614.23**	**32258.29**	**2752.00**	**35010.29**	**30761.11**	**2751.00**	**33512.11**	**35341.01**	**2120.00**	**37461.01**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	97.71	...	97.71	103.23	...	103.23	105.00	...	105.00	108.00	15.00	123.00
2. हिन्दी निदेशालय	30.98	...	30.98	46.30	...	46.30	41.67	...	41.67	46.30	...	46.30
3. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)	15.68	...	15.68	12.10	...	12.10	10.89	...	10.89	12.10	...	12.10
4. केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल) मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	24.98	...	24.98	38.07	2.00	40.07	37.06	1.00	38.06	40.07	5.00	45.07
5. विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान	5.36	...	5.36	7.27	...	7.27	7.27	...	7.27	7.30	...	7.30
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**174.71**	**...**	**174.71**	**206.97**	**2.00**	**208.97**	**201.89**	**1.00**	**202.89**	**213.77**	**20.00**	**233.77**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
उच्चतर शिक्षा												
6. केन्द्र सरकार द्वारा पदोन्नत सम विश्वविद्यालय	60.00	...	60.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. राष्ट्रीय खेलकूद और देखभाल कार्यक्रम	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
8. उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
9. सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
10. राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स	0.66	...	0.66	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30
11. केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	11.00	...	11.00
12. उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए)	...	250.00	250.00	...	2750.00	2750.00	...	2750.00	2750.00	...	2100.00	2100.00
13. विश्व स्तरीय संस्थान												
13.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	...	...	...	250.00	...	250.00	128.90	...	128.90	380.00	...	380.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
13.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़- विश्व स्तरीय संस्थान	*...*	*...*	*...*	*250.00*	*...*	*250.00*	*128.90*	*...*	*128.90*	*400.00*	*...*	*400.00*
14. प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास	10.00	...	10.00	30.00	...	30.00	27.00	...	27.00	13.00	...	13.00
जोड़-उच्चतर शिक्षा	**72.66**	**250.00**	**322.66**	**295.30**	**2750.00**	**3045.30**	**159.20**	**2750.00**	**2909.20**	**427.30**	**2100.00**	**2527.30**
छात्र वित्तीय सहायता												
15. गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान												
15.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	1950.00	...	1950.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00
15.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	2120.00	...	2120.00	1770.00	...	1770.00	1880.00	...	1880.00
जोड़- गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान	*1950.00*	*...*	*1950.00*	*2150.00*	*...*	*2150.00*	*1800.00*	*...*	*1800.00*	*1900.00*	*...*	*1900.00*
16. कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति												
16.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	267.64	...	267.64	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	16.00	...	16.00
16.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	340.00	...	340.00
जोड़- कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	*267.64*	*...*	*267.64*	*340.00*	*...*	*340.00*	*340.00*	*...*	*340.00*	*356.00*	*...*	*356.00*
17. पीएम शोध अध्येतावृत्ति	...	...	...	75.00	...	75.00	15.00	...	15.00	50.00	...	50.00
18. एम.टेक कार्यक्रम शिक्षण सहायता	...	...	...	35.00	...	35.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-छात्र वित्तीय सहायता	**2217.64**	**...**	**2217.64**	**2600.00**	**...**	**2600.00**	**2155.00**	**...**	**2155.00**	**2306.00**	**...**	**2306.00**
डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग												
19. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	108.03	...	108.03	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	170.00	...	170.00
20. आभासी कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) सुव्यवस्थित करना	63.08	...	63.08	90.00	...	90.00	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00
21. ई-शोध सिंधु	145.12	...	145.12	180.00	...	180.00	200.00	...	200.00	242.00	...	242.00
22. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	9.25	...	9.25	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	17.00	...	17.00
23. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	7.80	...	7.80	10.00	...	10.00
24. राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी	0.56	...	0.56	10.00	...	10.00	7.50	...	7.50	10.00	...	10.00
जोड़-डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	**336.04**	**...**	**336.04**	**456.00**	**...**	**456.00**	**511.30**	**...**	**511.30**	**579.00**	**...**	**579.00**
अनुसंधान और नवोन्मेष												
25. अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	8.35	...	8.35	15.00	...	15.00	6.20	...	6.20	15.00	...	15.00
26. संस्थाओं में सहयोगियों को स्थापित करते हुए अंतर सांस्थानिक केन्द्र , उत्कृष्टता क्लस्टरों की स्थापना	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...	1.00	...	1.00
27. राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	16.44	...	16.44	32.00	...	32.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
28. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल	75.47	...	75.47	84.23	...	84.23	75.00	...	75.00	95.47	...	95.47
29. उन्नत भारत अभियान	2.78	...	2.78	20.00	...	20.00	22.40	...	22.40	32.40	...	32.40
30. उच्चतर अविष्कार अभियान	75.00	...	75.00	95.00	...	95.00	...	...	...	95.00	...	95.00
31. इंप्रिंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और	75.71	...	75.71	102.00	...	102.00	50.00	...	50.00	80.00	...	80.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
प्रौद्योगिकी पर प्रभाव)												
32. समाज विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति शोध (इंप्रेस)	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00	75.00	...	75.00
33. शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क)	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	130.00	...	130.00
34. कायापलट एवं उन्नत अनुसंधान विज्ञान योजना (स्टार्स)	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00	50.00	...	50.00
जोड़-अनुसंधान और नवोन्मेष	**253.75**	**...**	**253.75**	**350.23**	**...**	**350.23**	**243.60**	**...**	**243.60**	**608.87**	**...**	**608.87**
35. पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन												
35.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	72.70	...	72.70	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
35.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00
जोड़- पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन	*72.70*	*...*	*72.70*	*120.00*	*...*	*120.00*	*120.00*	*...*	*120.00*	*130.00*	*...*	*130.00*
36. राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यढांचा	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	2.70	...	2.70	2.00	...	2.00
37. शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान)	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
38. भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)												
38.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	156.75	...	156.75	275.00	...	275.00	279.00	...	279.00	50.00	...	50.00
38.02 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	...	...	...	...	...	...	221.00	...	221.00	900.00	...	900.00
जोड़- भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)	*156.75*	*...*	*156.75*	*275.00*	*...*	*275.00*	*500.00*	*...*	*500.00*	*950.00*	*...*	*950.00*
39. सामुदायिक कॉलेज सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा को सहायता	5.00	...	5.00	40.00	...	40.00	75.00	...	75.00	125.00	...	125.00
40. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम	69.72	...	69.72	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	175.00	...	175.00
41. भारत में अध्ययन	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	65.00	...	65.00
42. योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम	51.08	...	51.08	67.59	...	67.59	66.48	...	66.48	66.48	...	66.48
चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजना												
43. शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**3262.34**	**250.00**	**3512.34**	**4362.12**	**2750.00**	**7112.12**	**4038.28**	**2750.00**	**6788.28**	**5464.85**	**2100.00**	**7564.85**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
44. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)												
44.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	4685.05	...	4685.05	3022.23	...	3022.23	2809.48	...	2809.48	2750.66	...	2750.66
44.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	1700.52	...	1700.52	1877.75	...	1877.75	1850.00	...	1850.00
जोड़- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	*4685.05*	*...*	*4685.05*	*4722.75*	*...*	*4722.75*	*4687.23*	*...*	*4687.23*	*4600.66*	*...*	*4600.66*
45. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)												
45.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	437.00	...	437.00	65.00	...	65.00	32.00	...	32.00	66.00	...	66.00
45.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	420.00	...	420.00	420.00	...	420.00	400.00	...	400.00
जोड़- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	*437.00*	*...*	*437.00*	*485.00*	*...*	*485.00*	*452.00*	*...*	*452.00*	*466.00*	*...*	*466.00*
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**5122.05**	**...**	**5122.05**	**5207.75**	**...**	**5207.75**	**5139.23**	**...**	**5139.23**	**5066.66**	**...**	**5066.66**
स्वायत्त निकाय												
46. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
46.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	7286.22	...	7286.22	2798.96	...	2798.96	2593.28	...	2593.28	2703.98	...	2703.98
46.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.71	...	10.71
46.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	143.50	...	143.50
46.04 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	1000.00	...	1000.00
46.05 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	...	...	...	2746.27	...	2746.27	3005.27	...	3005.27	2746.27	...	2746.27
जोड़- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)	*7286.22*	*...*	*7286.22*	*6445.23*	*...*	*6445.23*	*6498.55*	*...*	*6498.55*	*6604.46*	*...*	*6604.46*
47. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश												
47.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	...	...	...	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	12.25	...	12.25
47.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.25	...	0.25
47.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़- केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	*...*	*...*	*...*	*10.00*	*...*	*10.00*	*8.00*	*...*	*8.00*	*13.00*	*...*	*13.00*
48. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय												
48.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	...	...	...	20.00	...	20.00	1.00	...	1.00	7.50	...	7.50
48.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.25	...	0.25
48.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.25	...	0.25
जोड़- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	*...*	*...*	*...*	*20.00*	*...*	*20.00*	*1.00*	*...*	*1.00*	*8.00*	*...*	*8.00*
49. केंद्र सरकार द्वारा पदोन्नत मानद विश्वविद्यालय	...	...	...	60.00	...	60.00	54.00	...	54.00	350.00	...	350.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान												
50. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता												
50.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	1299.50	...	1299.50	680.00	...	680.00	601.37	...	601.37	1540.24	...	1540.24
50.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	202.75	...	202.75
50.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	323.50	...	323.50
50.04 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	850.00	...	850.00	850.00	...	850.00	1510.00	...	1510.00
50.05 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	6403.50	...	6403.50	4083.00	...	4083.00	3619.33	...	3619.33	2566.53	...	2566.53
जोड़- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	*7703.00*	*...*	*7703.00*	*5613.00*	*...*	*5613.00*	*5070.70*	*...*	*5070.70*	*6143.02*	*...*	*6143.02*
51. आईआईटी आंध्र प्रदेश	51.30	...	51.30	50.00	...	50.00	86.00	...	86.00	...	...	...
52. भारतीय खनन स्कूल, धनबाद	240.00	...	240.00	240.00	...	240.00	238.00	...	238.00	...	...	...
53. नए आईआईटी की स्थापना	342.91	...	342.91	338.00	...	338.00	310.00	...	310.00	...	...	...
54. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	...	...	...
55. आईआईटी हैदराबाद (ईएपी)	...	...	...	75.00	...	75.00	...	...	...	80.00	...	80.00
जोड़-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	**8337.21**	**...**	**8337.21**	**6326.00**	**...**	**6326.00**	**5714.70**	**...**	**5714.70**	**6223.02**	**...**	**6223.02**
भारतीय प्रबध संस्थान												
56. भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता												
56.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	686.40	...	686.40	828.00	...	828.00	200.00	...	200.00	142.41	...	142.41
56.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	51.50	...	51.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
56.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	221.50	...	221.50
जोड़- भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता	*686.40*	*...*	*686.40*	*828.00*	*...*	*828.00*	*200.00*	*...*	*200.00*	*415.41*	*...*	*415.41*
57. आईआईएम, आंध्र प्रदेश	25.00	...	25.00	42.00	...	42.00	36.00	...	36.00	...	...	...
58. नए आईआईएम की स्थापना	110.00	...	110.00	166.00	...	166.00	136.00	...	136.00	...	...	...
जोड़-भारतीय प्रबध संस्थान	**821.40**	**...**	**821.40**	**1036.00**	**...**	**1036.00**	**372.00**	**...**	**372.00**	**415.41**	**...**	**415.41**
राष्ट्रीय प्रौद्यागिकी संस्थान												
59. राष्ट्रीय प्रौद्यागिकी संस्थानों को सहायता												
59.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	3271.74	...	3271.74	2919.40	...	2919.40	2550.25	...	2550.25	...	...	...
59.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	100.00	...	100.00	680.09	...	680.09	...	...	...
59.03 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	...	...	...	...	...	...	262.67	...	262.67	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय प्रौद्यागिकी संस्थानों को सहायता	*3271.74*	*...*	*3271.74*	*3019.40*	*...*	*3019.40*	*3493.01*	*...*	*3493.01*	*...*	*...*	*...*
60. एनआईटी, आंध्र प्रदेश	50.00	...	50.00	54.00	...	54.00	98.00	...	98.00	...	...	...
61. भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन (आईआईईएसटी) (बीईएसयू एवं सीयूएसएटी	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय प्रौद्यागिकी संस्थान	**3451.74**	**...**	**3451.74**	**3203.40**	**...**	**3203.40**	**3721.01**	**...**	**3721.01**	**...**	**...**	**...**
62. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता												
62.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2382.77	...	2382.77
62.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	312.20	...	312.20
62.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	176.50	...	176.50
62.04 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	609.03	...	609.03
62.05 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
जोड़- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*3730.50*	*...*	*3730.50*
भारतीय विज्ञान शिक्षा एव अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)												
63. भारतीय विज्ञान शिक्षा एव अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता												
63.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	735.00	...	735.00	640.00	...	640.00	580.00	...	580.00	539.00	...	539.00
63.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00
63.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	110.00	...	110.00
जोड़- भारतीय विज्ञान शिक्षा एव अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	*735.00*	*...*	*735.00*	*640.00*	*...*	*640.00*	*580.00*	*...*	*580.00*	*660.00*	*...*	*660.00*
64. आईआईएसईआर, आंध्र प्रदेश	45.02	...	45.02	49.00	...	49.00	70.40	...	70.40	...	...	...
जोड़-भारतीय विज्ञान शिक्षा एव अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)	**780.02**	**...**	**780.02**	**689.00**	**...**	**689.00**	**650.40**	**...**	**650.40**	**660.00**	**...**	**660.00**
65. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता												
65.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	520.00	...	520.00	455.00	...	455.00	495.66	...	495.66	511.36	...	511.36
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान												
66. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
66.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	141.21	...	141.21	214.47	...	214.47	236.03	...	236.03	180.34	...	180.34
66.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
66.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
जोड़- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता	*141.21*	*...*	*141.21*	*214.47*	*...*	*214.47*	*236.03*	*...*	*236.03*	*203.34*	*...*	*203.34*
67. आईआईआईटी, आंध्र प्रदेश	...	...	...	30.00	...	30.00	27.00	...	27.00	...	...	...
68. सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	129.45	...	129.45	119.45	...	119.45	177.38	...	177.38	160.00	...	160.00
जोड़-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	**270.66**	**...**	**270.66**	**363.92**	**...**	**363.92**	**440.41**	**...**	**440.41**	**363.34**	**...**	**363.34**
69. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	230.10	...	230.10	285.00	...	285.00	200.00	...	200.00	242.00	...	242.00
70. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	354.88	...	354.88	352.00	...	352.00	420.60	...	420.60	426.00	...	426.00
71. राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग सस्थान मुम्बई	38.25	...	38.25	37.25	...	37.25	33.50	...	33.50	37.34	...	37.34
72. आयोजना एवं वास्तुविद के नए विद्यालय	102.00	...	102.00	202.00	...	202.00	182.00	...	182.00	...	...	...
73. आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए)												
73.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	...	...	...	...	...	...	...	...	...	190.00	...	190.00
73.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	16.50	...	16.50
73.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.50	...	75.50
जोड़- आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए)	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*282.00*	*...*	*282.00*
74. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर)	178.98	...	178.98	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	131.00	...	131.00
75. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर	23.50	...	23.50	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.30	...	20.30
76. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
77. अन्य संस्थानों को सहायता												
77.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	436.52	...	436.52	396.65	...	396.65	380.70	...	380.70	384.00	...	384.00
77.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
77.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
जोड़- अन्य संस्थानों को सहायता	*436.52*	*...*	*436.52*	*396.65*	*...*	*396.65*	*380.70*	*...*	*380.70*	*388.00*	*...*	*388.00*
जोड़-स्वायत्त निकाय	**22931.48**	**...**	**22931.48**	**20131.45**	**...**	**20131.45**	**19412.53**	**...**	**19412.53**	**20495.73**	**...**	**20495.73**
अन्य												
78. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कोष को अंतरण	...	...	...	7690.52	...	7690.52	8195.84	...	8195.84	9399.03	...	9399.03
79. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	-7690.52	...	-7690.52	-8195.84	...	-8195.84	-9399.03	...	-9399.03
80. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	6403.50	...	6403.50	6829.27	...	6829.27	7108.27	...	7108.27	6462.80	...	6462.80
81. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	-6403.50	...	-6403.50	-6829.27	...	-6829.27	-7108.27	...	-7108.27	-6462.80	...	-6462.80
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**28053.53**	**...**	**28053.53**	**25339.20**	**...**	**25339.20**	**24551.76**	**...**	**24551.76**	**25562.39**	**...**	**25562.39**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
82. राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)												
82.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	1245.98	...	1245.98	200.00	...	200.00	202.00	...	202.00	400.00	...	400.00
82.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	...	...	...	1200.00	...	1200.00	1298.00	...	1298.00	1700.00	...	1700.00
जोड़- राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	*1245.98*	*...*	*1245.98*	*1400.00*	*...*	*1400.00*	*1500.00*	*...*	*1500.00*	*2100.00*	*...*	*2100.00*
83. वास्तविक वसूली	-42.93	...	-42.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**1203.05**	**...**	**1203.05**	**1400.00**	**...**	**1400.00**	**1500.00**	**...**	**1500.00**	**2100.00**	**...**	**2100.00**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
84. विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	670.60	...	670.60	950.00	...	950.00	469.18	...	469.18	2000.00	...	2000.00
कुल जोड़	***33364.23***	***250.00***	***33614.23***	***32258.29***	***2752.00***	***35010.29***	***30761.11***	***2751.00***	***33512.11***	***35341.01***	***2120.00***	***37461.01***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	15587.72	...	15587.72	14286.35	...	14286.35	14442.45	...	14442.45	16664.58	...	16664.58
2. तकनीकी शिक्षा	15779.99	...	15779.99	14439.08	...	14439.08	13383.53	...	13383.53	13661.48	...	13661.48
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	97.60	...	97.60	103.23	...	103.23	105.00	...	105.00	108.00	...	108.00
4. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	...	250.00	250.00	...	2752.00	2752.00	...	2751.00	2751.00	...	2120.00	2120.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**31465.31**	**250.00**	**31715.31**	**28828.66**	**2752.00**	**31580.66**	**27930.98**	**2751.00**	**30681.98**	**30434.06**	**2120.00**	**32554.06**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2459.63	...	2459.63	2340.95	...	2340.95	2846.95	...	2846.95
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1893.86	...	1893.86	960.00	...	960.00	479.18	...	479.18	2010.00	...	2010.00
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.06	...	5.06	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
जोड़-अन्य	**1898.92**	**...**	**1898.92**	**3429.63**	**...**	**3429.63**	**2830.13**	**...**	**2830.13**	**4906.95**	**...**	**4906.95**
कुल जोड़	**33364.23**	**250.00**	**33614.23**	**32258.29**	**2752.00**	**35010.29**	**30761.11**	**2751.00**	**33512.11**	**35341.01**	**2120.00**	**37461.01**

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यसय का प्रावधान है। प्रस्ता वित बजट, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, प्रशिक्षण के साथ-साथ परामर्शी प्रभारों आदि, जो मंत्रालय और विभागों के दोनों में ई-गवर्नेंस कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण के लिए जरूरी है, के लिए भी आवश्यमक है।

2. **हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई स्थित इसके 4 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1960 में की गई थी ताकि सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार एवं विकास किया जा सके। यह द्विभाषी/त्रिभाषी शब्द कोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम और हिंदी लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने की योजनाएं चलाता है।

3. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी ताकि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का मूल्यांकन हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में किया जा सके। आयोग विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने की एक स्कीम चलाता है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर अनुदेश का माध्यम भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके और क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षाविदों से समन्वय करता है।

4. **केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल) मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र:** केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान अपने मुख्य परिसर मैसूर एवं सात अन्य क्षेत्रीय केन्द्र जो क्रमश: भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे एवं सोलन में स्थित हैं, की स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी। यह भारत सरकार की भाषा नीति के कार्यान्वयन/विकास में सहायता करता है और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भाषा विश्लेषण के क्षेत्र में शोध, भाषा, शिक्षा-शास्त्र , भाषा तकनीक तथा भाषा का समाज में उपयोग के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। यह विभिन्न भाषाओं के स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

5. **विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान:** इसमें यूनेस्को और भारत के स्थाई शिष्टमंडल के प्रावधान के साथ-साथ पेरिस और न्यूयार्क में भारत के महा वाणिज्य दूतावास का प्रावधान भी शामिल है।

6. **केन्द्र सरकार द्वारा पदोन्नत सम विश्वविद्यालय:** कृपया क्रम संख्या 49 देखें।

7. **राष्ट्रीय खेलकूद और देखभाल कार्यक्रम:** इस स्कीम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में फिटनेस तथा देखभाल के साथ साथ सामान्य संस्थागत अपेक्षा के रूप में शारीरिक शिक्षा को शामिल करना, खेलकूद में मौजूदा भागीदारी को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद अवसंरचना, आंतरिक अनुशासनिक शोध केन्द्र की स्थापना और खेलकूद संबंधी सूचना नेटवर्क का सृजन करना शामिल है।

8. **उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल:** इसमें उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल का प्रावधान शामिल है।

9. **सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल:** सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल के लिए 1.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

10. **राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स:** यह स्कीम राष्ट्रीय शोध प्रोफेसरों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मान्यता प्रदान करने के संबंध में है। इस योजना के तहत एनआरपी को शोध कार्य जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

11. **केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन:** इसमें केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वाविद्यालय सहित बहु-अनुशासनिक शोध विश्वविद्यालयों की स्थांपना, राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों के सृजन का प्रावधान है।

12. **उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए):** उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए), एक गैर-लाभकारी संगठन को बाजार से धन उठाने के लिए स्थापित किया गया है और उन्हें दान और सीएसआर निधि के साथ पूरक बनाया गया है। इन निधियों का उपयोग हमारे शीर्ष संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार के वित्तपोषण के लिए किया जाता है और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से सेवित किया जाता है।

13. **विश्व स्तरीय संस्थान:** यह प्रावधान दस विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए है, इनकी स्थाापना एक औचित्यापूर्ण समय में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एक अनुकूल विनियामक वातावरण उपलब्ध करवाते हुए की जाएगी जो उन्हें शिक्षण एवं शोध में वैश्विक उत्कृष्ट्ता स्तर हासिल करने में सहायक होगा।

14. **प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास:** यह स्कीम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जम्मू और कश्मीर के लिए 2015 के पीएम विकास पैकेज का एक घटक है। इस स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मी र में बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

15. **गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान:** वर्ष 2009-10 से केन्द्र सरकार शोध अधिस्थगन अवधि के दौरान शिक्षा शुल्क पर उन छात्रों को ब्याज सहायता प्रदान कर रही है जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रूपए से कम है। छात्र ऋण गारंटी कायिक निधि का सृजन क्रेडिट गारंटी न्यास प्रबंधन के अंतर्गत किया जाएगा ताकि छात्र ऋण की अदायगी में चूक के विरूद्ध गारंटी मिल सके। इससे प्रसिद्ध संस्थानों को छात्रों द्वारा ऋण लौटाने में पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी, इससे वे अधिक छात्र ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी गारंटी से छात्र ऋण पर ब्याज की दर भी कम होगी।

16. **कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** केन्द्रीय क्षेत्र की इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्कूलों से पास होने वाले 2 प्रतिशत छात्रों को कॉलेजों तथा विश्व विद्यालय से उच्चधतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विलंब को रोकने के लिए छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को सीधे ई-बैंकिंग के माध्यम से संवितरित की जाती है।स्कीम का एक घटक जम्मू और कश्मीर की विशेष छात्रवृत्ति के लिए है।

17. **पीएम शोध अध्येतावृत्ति:** इस स्कीम के अंतर्गत उत्कृष्ट छात्र जिसमें बी. टेक या एकीकृत एम. टेक या एमएससी, विज्ञान और आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईआईटी पूरी की है या अंतिम वर्ष में है उसे आईआईटी/आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे दाखिला दिया जाएगा। ऐसे छात्र, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते है और चयन प्रक्रिया के द्वारा चूने जाते है जैसाकि पीएमआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, प्रथम दो वर्षो के लिए प्रतिमाह 70,000 रूपये अध्येतावृत्ति दी जाएगी, तीसरे वर्ष 75,000 रूपये और चौथे तथा पांचवे वर्ष में प्रतिमाह 80,000 रूपये दिया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और सेमिनारों में अनुसंधान पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा व्यय पूरा करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक अध्येता को 2.00 लाख रूपये का अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 3,000 अध्येता (प्रतिवर्ष 1000) का चयन तीन वर्ष की अवधि के दौरान किया जाएगा।

18. **एम.टेक कार्यक्रम शिक्षण सहायता:** यह स्कीम बंद कर दी गई है।

19. **आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईटीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन को आईसीटी की क्षमता, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है। यह ई-शिक्षा के लिए उपयुक्त अध्यापन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है , आभासी प्रयोगशालाओं, ऑन लाइन परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्रयोग करने वालों की मार्गदर्शिका और शिक्षकों को ऑन-लाइन उपलब्धता और डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल आदि के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करना।

20. **आभासी कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) सुव्यवस्थित करना:** स्वयम और एमओओसी के तहत आभासी कक्षाएं सभी भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से गुणवत्ता शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करने में अध्यलनन समर्थ प्रौद्योगिकी के नए प्रकार हैं। व्यापार मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) अधिकांश प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन गुणवत्ता युक्तक शिक्षा प्रदान

करने के लिए एक सस्ता तंत्र है। शीर्ष संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय, उत्कृष्ट शिक्षण पाठ्यक्रम के लाभ को सभी संस्थाओं में उनकी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखे बिना शिक्षा को सुचारू और सीमा रहित बनाकर विद्यार्थियों और संकाय के लिए आभासी कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सहायता से प्रसारित किया जा सकता है। विशेष रूप से भारत में, लाखों आकांक्षी प्रशिक्षुओं तक पहुंचने की महती आवश्यतकताओं को देखते हुए एमओओसी और वर्चुअल कक्षा पद्धति का प्रयोग दोनों उच्चोतर और व्यवसायिक शिक्षा में सहायक होगा। स्वयम स्नातकोत्तर स्तर के लिए कवर किये जाने वाले स्कूल के उत्कृआष्ट शिक्षकों द्वारा दिये गये 2000 पाठ्यक्रमों को अपलोड करने के लिए आईटी मंच के रूप में विकसित किया गया। यह 3 करोड़ विद्यार्थियों से भी अधिक के लिए गुणवत्ता युक्त अनुदेश उपलब्ध कराएगा।

21. **ई-शोध सिंधु:** यह योजना उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से देश में इलैक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए निधियन प्रदान करेगी। यह विश्वविद्यालय, कालेजों और राष्ट्रीेय महत्व के संस्थानों और अन्य संस्थानों को पत्रिकाएं उपलब्ध कराएगी।

22. **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस):** इस योजना का लक्ष्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ शिक्षा सांख्यिकी को आवधिक रूप से प्रारंभ करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली को सशक्त करना है।

23. **राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीरय शिक्षा मिशन के तहत, एकल माध्यम से तलाश करने की सुविधा के साथ अध्ययन संसाधनों की वर्चुअल रिपोजिटरी के कार्य ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) प्रारंभ किया है। यह संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट तरीके से तैयार करने और सीखने के लिए लोगों को समर्थ बनाने और बहुल संसाधनों से आंतरिक खोज के लिए अनुसंधानकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रवेश और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

24. **राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी:** यह सभी हितधारकों के लिए कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार लाने के लिए एक पहल है। एनएडी शैक्षणिक संस्थानों / बोर्डों / पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल प्रारूप में दर्ज किए गए शैक्षणिक पुरस्कारों (डिग्री, डिप्लोमा, सेरीटिकेट्स, मार्कशीट आदि) का 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। एनएडी न केवल एक अकादमिक पुरस्कार के लिए आसान पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है बल्कि इसकी पुष्टि करता है और इसकी प्रामाणिकता और सुरक्षित भंडारण की गारंटी देता है।

25. **अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान:** जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान, नैनो-सामग्री, नैनो-टेक्नोलॉजीज, मेक्ट्रोनिक्स, उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग / औद्योगिक डिजाइन, पेशेवर / व्यावसायिक नैतिकता, और कौशल विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

26. **संस्थाओं में सहयोगियों को स्थापित करते हुए अंतर सांस्थानिक केन्द्र , उत्कृष्टता क्लस्टरों की स्थापना:** इसमें संस्थाओं में सहयोगियों को स्थापित करते हुए अंतर सांस्थानिक केन्द्र, उत्कृष्टता क्लस्टरों की स्थापना किये जाने का प्रावधान शामिल है।

27. **राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल:** 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र , एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना और इन्हें आपस में जोड़ना। ओडीएस सहयोगी शिक्षा कार्यक्रम के माध्याम से अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन आगे पहुंच के लिए स्कूलों के डिजाइन का नेटवर्क होगा और डिजाइन शिक्षा में पहुंच प्रदान करेगा और देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार के मानक को बढ़ाएगा।

28. **उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल:** तकनीकी स्थानांतरण की राष्ट्रीय पहल स्कीम अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल के नए रूप में शुरू की गई है। इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संपर्क को सशक्त करने और सहयोगी और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु अनुसंधान पार्क के कार्यढांचे के माध्यम से उद्योग के साथ ऐसे संपर्कों को जोड़ने अधिकांश भारतीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।

29. **उन्नत भारत अभियान:** उन्त भारत अभियान मिशन उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को विकास चुनौतियों की पहचान करके और धारणीय विकास को गति प्रदान करने के लिए उचित समाधान निकालकर ग्रामीण भारत में लोगों के साथ कार्य करने में समर्थ बनाएगा। इसका लक्ष्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान और परिपाटी उपलब्ध कराकर समावेशी शैक्षिक प्रणाली और समाज के बीच महत्वपूर्ण चक्र स्थापित करना और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के बाबत कार्य करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टरों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

30. **उच्चतर अविष्कार अभियान:** उच्चतर स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो उद्योग की आवश्यकताओं पर सीधे प्रभाव डालता है और उसके द्वारा भारतीय विनिर्माण सुधारता है, अक्तूबर, 2015 में एमएचआरडी द्वारा यूएवाई प्रारंभ किया गया था। इस स्कीम में अनुसंधान परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निधियां देखकर प्रायोजित उद्योग और परिणामोन्मुखी अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है।

31. **इंप्रिंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव):** यह योजना प्रमुख संस्थानों में शोध को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का इरादा रखती है जो देश के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है । इस पहल के अंतर्गत, 10 चयनित डोमेन के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को संयुक्त रूप से एमएचआरडी और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। द्वितीय चरण इंप्रिंट-II को थोड़ा संशोधित रणनीति के साथ लिया गया है।

32. **समाज विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति शोध (इंप्रेस):** इंप्रेस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक विज्ञान में नीति संगत अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्र निर्माण और हमारे समाज में प्रगितशीलता की प्रक्रिया में योगदान होता है।

33. **शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क):** अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना या स्पार्क स्कीम का उद्देश्य पहले चरण में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए भारतीय संस्थानों तथा चुनिंदा 28 देशों से विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुसाध्य बनाते हुए भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अनुसंधान पारिस्थितिकी में सुधार लाना है।

34. **कायापलट एवं उन्नत अनुसंधान विज्ञान योजना (स्टार्स):** इस स्कीम का उद्देश्य धारणीय और साम्युक्त भारत के लिए विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का समेकन करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विज्ञान संकाय में अनुसंधान संस्कृति को पोषित करना, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि आदि प्रमुख सेक्टरों में देश की जरूरतों तथा मुद्धों का निराकरण करने की दिशा में विज्ञान को अभिमुख करना और वैज्ञानिक अनुसंधान में अतंरराष्ट्रीय बेंचमार्क हासिल करना स्कीम के प्रमुख उद्देश्य है।

35. **पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समग्र सेक्टर पर व्यापक फोकस देना है। यह प्रभावशाली संयोजन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहलुओं के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षण/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए सांस्थानिक महत्व को बढ़ाएगा।

36. **राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यढांचा:** यह कार्यढांचा देशभर में संस्थाओं को रैंक प्रदान करने की कार्यविधि दर्शाता है। यह कार्यविधि विभिन्न विश्वविद्यालय और कालेजों की रैंकिंग के लिए व्यापक पैरामीटर की पहचान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित कोर समिति द्वारा व्यापक विचार-विमर्श कर और समग्र सिफारिशों के आधार पर बनाई जाती है।

37. **शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान):** इसका लक्ष्य भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और उद्यमियों का प्रतिभा पूल बनाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रोत्साहन देना है जिससे देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, गुणवत्ता् सुधार की गति को बढ़ाया जा सके और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता को आगे ले जाया जा सके।

38. **भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी):** यह विश्व बैंक से निधिबद्ध परियोजना है जिसके कार्यकलाप इस प्रकार है : (i) शैक्षिक उत्कृष्टयता नेटवर्किंग इंजीनियरिंग संस्थान का विकास (ii) केन्द्रीय सेक्टर के तहत प्रबंधन क्षमता बढ़ाना।

39. **सामुदायिक कॉलेज सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा को सहायता:** इसमें सामुदायिक कालेजों सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा का प्रावधान शामिल है।

40. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इस योजना में औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्तीर्ण स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों और 10+2 व्यवसायिकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान करती है और बीओएटी/बीओपीटी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

41. **भारत में अध्ययन:** इस पहल का उद्देश्य विश्व के शैक्षणिक पहल में अपनी स्थिति को उन्नत करते हुए, समूचे विश्व के विद्यार्थियों के लिए भारत को एक अधिमान्य शैक्षणिक केन्द्र बनाना है। इससे पूरे विश्वभर से विद्यार्थी समुदाय के लिए यह सुकर हो सकेगा कि वे भारत में आकर यहां के शीर्ष संस्थानों की सर्वोत्तम अकादमिक शिक्षा को अनुभव कर सकें जिससे विश्वभर के विद्यार्थियों की गुणवत्तायुक्त बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

42. **योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम:** इसमें वैश्विक कार्यों के लिए पहल, अधिकरणों की स्थापना, प्रत्यायन प्राधिकरण, प्रबंध हेतु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है। शास्त्री इंडो कनेडियन संस्थारन के गैर सरकारी सदस्यों को टीए/डीए, भारत में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा प्रतिष्ठान को आयकर और सीमा-शुल्क वापस करना, यूनेस्को को अंश, यूनेस्को सम्मलनों आदि के प्रतिनियुक्ति और शिष्टमंडल, भारत में विदेशी शिष्टमंडल का दौरा, और समितियों/सम्मेलनों की बैठकों का आयोजन तथा युनेस्को के लक्ष्यो और उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना, एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी निगम।

43. **शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** यह शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में चैम्पियन सेवा सेक्टर के लिए सरकार की कार्रवाई योजना का एक घटक है। इससे विभिन्न अभिज्ञात क्रियाकलापों के माध्यम से भारत की शिक्षा सेवाओं का अतंरराष्ट्रीय करने में सहायता मिलेगी।

44. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):** विश्वद्यालय अनुदान आयोग की स्थावपना विश्वाविद्यालयों में मानकों के समन्वीयन और निर्धारण के प्रयोजन से 1956 मे संसद के एक नियम के तहत हुई थी। जबकि यूजीसी सभी पात्र विश्वंविद्यालयों और समवत विश्वव्विद्यालय संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता का प्रावधान अलग से किया जाता है।

45. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्लीश की स्थाापना वर्ष 1945 में परामर्श निकाय के रूप में हुई थी। इसे 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया था, जो 28 मार्च, 1988 से प्रभाव में आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्या कार्य देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों की उचित रखरखाव और आयोजनाबद्ध मात्रा वृद्धि और विनियमन के संबंध में ऐसी शिक्षा के लिए गुणात्म क सुधार सर्वधन करना है।

46. **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस):** केन्द्रीय विश्वंविद्यालय स्वांयत्तश निकाय है जिनकी स्थापना अनुसंधान और अनुदेशीय सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंत:विषय अध्ययन उपलब्ध कराते हुए और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया मे नवाचार के माध्यम से ज्ञान के सृजन ओर प्रसार को ध्यान रखते हुए की गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम और उसके तहत निर्मित विधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं।

47. **केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश:** केन्द्रीय विश्विद्यालय, आंध्र प्रदेश के लिए आवंटन का प्रावधान है।

48. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय:** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वाविद्यालयों के लिए आवंटन का प्रावधान है।

49. **केंद्र सरकार द्वारा पदोन्नत मानद विश्वविद्यालय:** विश्वीविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा का कोई संस्थान जो अध्ययन के किसी विशिष्टं क्षेत्र में अत्यधिक उच्च मानकों पर कार्यरत है, केन्द्र सरकार द्वारा (यूजीसी के परामर्श पर) सम विश्वधविद्यालय के संस्थान घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थाानों को सम विश्वाविद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वीविद्यालयों के शैक्षणिक स्त र एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कुछ सम विश्वविद्यालयों का निधियन यूजीसी द्वारा किया जाता है तथा कुछ का वित्तीय प्रबंधन निजी स्रोतों से होता है।

50. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना; और अधिगम का विकास एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करना।

51. **आईआईटी आंध्र प्रदेश:** आईआईटी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के लिए आवंटन का प्रावधान किया गया है

52. **भारतीय खनन स्कूल, धनबाद:** (आईएसएम) धनबाद की स्थापना 1926 में खनन उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 1967 आईएसएम का समवत विश्वविद्यालय दर्जे के साथ-साथ स्वायत्त संस्थान के रूप में परिवर्तित किया गया था। संस्थान 2016 में प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के माध्यम से आईआईटी में परिवर्तित किया गया था और इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की लीग में आ गया है। संस्थान प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के संबंधित विषयों में प्रशिक्षण जनशक्ति के अलावा खनन, पेट्रोलियम, खनन मशीनरी, खनिज इंजीनियरिंग और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्रों में मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करता है।

53. **नए आईआईटी की स्थापना:** आईआईटी प्रणाली के विस्तार के रूप में और देश में विश्व स्तर की तकनीकी शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए , जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़ और पलक्कड़ में पांच नए आईआईटी स्थापित किए गए हैं।

54. **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी:** प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सभी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनटीए) को एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर टेस्टिंग संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए है।

55. **आईआईटी हैदराबाद (ईएपी):** आईआईटी हैदराबाद की ईएपी परियोजनाओं के लिए आवंटन का प्रावधान है।

56. **भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता:** भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थादनों की स्था पना उत्कृष्टधता केन्द्रों के रूप में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रबंधन में परामर्शी के उद्देश्योंन से की गई थी। ये संस्थाधन, स्नांतकोत्त कार्यक्रम (पीजीपी), अध्येकतावृत्ति कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं।

57. **आईआईएम, आंध्र प्रदेश:** आईआईएम, आंध्र प्रदेश को आवंटन का प्रावधान है।

58. **नए आईआईएम की स्थापना:** तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच को विस्तार देने के भाग के रूप में, शामिल न किए गए राज्यो में नये घोषित आईआईएम के लिए आवंटन का प्रावधान है।

59. **राष्ट्रीय प्रौद्यागिकी संस्थानों को सहायता:** वित्त वर्ष 2019-20 से, क्र.सं. 62 पर शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थानों और आईआईईएसटी को सहायता के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है।

60. **एनआईटी, आंध्र प्रदेश:** एनआईटी आंध्र प्रदेश को आवंटन का प्रावधान है।

61. **भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन (आईआईईएसटी) (बीईएसयू एवं सीयूएसएटी:**

62. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता:** इसमें एनआईटी और आईआईईएसटी के लिए प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को एनआईटीएसईआर अधिनियम के अंतर्गत शामिल करके बंगाल अभियांत्रिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर नामक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में से एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में परिवर्तित किया गया है।

63. **भारतीय विज्ञान शिक्षा एव अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता:** आईआईएसईआर भारत में एक अनूठी पहल हैं जहां शिक्षण और शिक्षा आधुनिक शोध के साथ पूर्णत: एकीकृत हैं जो अनुसंधान के बौद्धिक रूप से जीवंत माहौल में जिज्ञासा और सृजनात्मकता दोनों उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक आईआईएसईआर एक स्वाजयत्ते संस्था है जो स्वयं के मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं।

64. **आईआईएसईआर, आंध्र प्रदेश:** आईआईएसईआर आंध्र प्रदेश को आवंटन का प्रावधान है।

65. **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता:** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) 1909 में स्थापित किया गया था। में आईआईएससी भारत में उच्च वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थान बन गया है।

66. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता:** यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाान को निधियां प्रदान करता है। (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) के लिए नियमों का प्रावधान है।

67. **आईआईआईटी, आंध्र प्रदेश:** आईआईआईटी आंध्र प्रदेश को आवंटन का प्रावधान है।

68. **सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** आईटी व्यवसायिकों की मांग को देखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, स्थापित किए गए हैं।

69. **मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान:** यह पहल में प्रतिभावान छात्रों को मानविकी में कार्यक्रमों का चयन को प्रोत्साहित करने और उसके शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत शामिल किए गए परिषदों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएसईआर) शिमला भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) नई दिल्लीे, राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद संस्थान (एनसीआरआई), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्लीं हैं। इसमें भारतीय विज्ञान, दार्शनिकता और संस्कृति के इतिहास की परियोजना (पीएचआईएसपीसी) के लिए आवंटन भी शामिल है।

70. **भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान:** इसमें राष्ट्री य संस्कृत संस्थाान, केन्द्री य हिन्दीष संस्थारन, राष्ट्री य उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, राष्ट्री य सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, केन्द्री य शास्त्रीनय तमिल संस्थाान और भारतीय भाषाओं में गुणवत्ताायुक्तप उच्चरतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीरय पहल हेतु प्रावधान शामिल है।

71. **राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग सस्थान मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई (एनआईटीआईई) मुम्बई 1963 मे अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यंम से यूएनडीपी की सहायता के साथ भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईटीआईई को एक गुणवत्तातयुक्तर सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई है।

72. **आयोजना एवं वास्तुविद के नए विद्यालय:** वित्त वर्ष 2019-20 से, इस स्कीम का क्र. सं. 73 पर आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है।

73. **आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए):** आयोजना तथा वास्तुकला के स्कूलों को देश के तथा विश्व के ऐसे संस्थानों में अपनी किस्म के शीर्ष संस्थान के रूप में माना जाता है जो डिजाइन तथा मानव आबादी के सभी पहलुओं में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करता है।

74. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर):** यह ऐसे संस्थानों की स्थापना की एक पहल है जिनका उद्देश्य डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन भी करना है।

75. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर:** भारत सरकार ने भारत के चार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे चार प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित किये हैं जिनका मूल उद्देश्य नौकरी पर एक वर्ष के माध्यम से वास्तविक कार्यशील वातावरण में नए इंजीनियरों की क्षमता में सुधार करना और उन्हें प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961, जिसे वर्ष 1973 और 1986 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यवसायिक) प्रशिक्षु के रूप में काम करना है।

76. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू):** इग्नू की स्थापना जनता के सभी वर्गों, विशेषकर लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा के प्रति पहुंच प्रदान करने, सतत शिक्षा प्रदान करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने, महिला, पिछडे क्षेत्रों, पहाडी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संसद अधिनियम के तहत 1985 में की गई थी। इग्नू का राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) के विकास में योगदान रहा है और इग्नू के कार्यकलापों की विशिष्ट सहायता के रूप में अलग से इग्नू के माध्यम से राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

77. **अन्य संस्थानों को सहायता:** इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है – भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, संवर्धन कार्यकलापों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), अरोविले प्रबंधन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग तथा एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।

82. **राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):** यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की उच्चतर एवं तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य, व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं को तैयार करेंगे जिसमें विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता के मुद्दों को एक साथ हल करने के लिए पारस्परिक संबद्ध कार्यनीति का प्रयोग किया जाएगा। केन्द्रीय निधियन को राज्य उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के साथ जोड़ा जाएगा।

84. **विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार:** इसमें विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की देयता को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3476.38	11.24	3487.62	4065.58	23.40	4088.98	4077.37	11.61	4088.98	4361.67	13.54	4375.21
वसूलियां	*-0.18*	*...*	-0.18	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**3476.20**	**11.24**	**3487.44**	**4065.58**	**23.40**	**4088.98**	**4077.37**	**11.61**	**4088.98**	**4361.67**	**13.54**	**4375.21**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. स्थापना व्यय												
1.01 सचिवालय	60.33	...	60.33	63.85	...	63.85	66.61	...	66.61	68.68	...	68.68
1.02 कला एवं संस्कृति	8.30	...	8.30	9.55	...	9.55	10.04	...	10.04	10.89	...	10.89
1.03 सूचना एवं प्रचार	343.36	...	343.36	381.50	...	381.50	401.64	...	401.64	415.88	...	415.88
	-0.18	...	-0.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*343.18*	*...*	*343.18*	*381.50*	*...*	*381.50*	*401.64*	*...*	*401.64*	*415.88*	*...*	*415.88*
निवल	*411.81*	*...*	*411.81*	*454.90*	*...*	*454.90*	*478.29*	*...*	*478.29*	*495.45*	*...*	*495.45*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. प्रसार भारती												
2.01 प्रसार भारती सहायता अनुदान	171.40	...	171.40	260.00	...	260.00	217.85	...	217.85	...	...	...
2.02 किसान चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान	52.10	...	52.10	51.70	...	51.70	48.89	...	48.89	...	...	...
2.03 अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान	...	...	...	4.00	...	4.00	60.00	...	60.00	...	...	...
2.04 प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	473.00	...	473.00
जोड़- प्रसार भारती	*223.50*	*...*	*223.50*	*315.70*	*...*	*315.70*	*326.74*	*...*	*326.74*	*473.00*	*...*	*473.00*
3. सूचना												
3.01 विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार	147.03	...	147.03	182.00	...	182.00	220.00	...	220.00	200.00	...	200.00
3.02 मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम	19.95	...	19.95	23.83	...	23.83	18.78	...	18.78	21.00	...	21.00
3.03 मानव संसाधन विकास	4.54	...	4.54	6.68	...	6.68	6.13	...	6.13	6.00	...	6.00
जोड़- सूचना	*171.52*	*...*	*171.52*	*212.51*	*...*	*212.51*	*244.91*	*...*	*244.91*	*227.00*	*...*	*227.00*

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4.	*फिल्म*												
4.01	विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार	36.59	...	36.59	60.74	...	60.74	55.72	...	55.72	69.48	...	69.48
4.02	फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम	29.54	5.49	35.03	36.00	8.20	44.20	30.00	4.34	34.34	47.00	5.54	52.54
4.03	भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय	...	5.75	5.75	...	...	...	...	4.27	4.27	...	...	...
4.04	मिशन/विशेष परियोजना	6.02	...	6.02	48.70	12.20	60.90	17.63	...	17.63	...	...	...
4.05	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.48	5.00	22.48
4.06	एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.50	...	20.50
	जोड़- फिल्म	*72.15*	*11.24*	*83.39*	*145.44*	*20.40*	*165.84*	*103.35*	*8.61*	*111.96*	*154.46*	*10.54*	*165.00*
5.	*जनसंचार*												
5.01	अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	0.20	...	0.20	1.50	...	1.50
5.02	आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना	8.95	...	8.95	13.00	...	13.00	5.24	...	5.24	9.50	...	9.50
	जोड़- जनसंचार	*10.95*	*...*	*10.95*	*16.00*	*...*	*16.00*	*5.44*	*...*	*5.44*	*11.00*	*...*	*11.00*
6.	*प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण*												
6.01	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र का सुदृढ़ीकरण	9.84	...	9.84	15.10	3.00	18.10	13.71	3.00	16.71	14.30	3.00	17.30
6.02	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	0.48	...	0.48	4.00	...	4.00	2.60	...	2.60	3.80	...	3.80
6.03	मिशन डिजिटलीकरण	0.75	...	0.75	2.00	...	2.00	3.40	...	3.40	2.00	...	2.00
6.04	प्रसारण विंग का स्वचालन	1.00	...	1.00	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
	जोड़- प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण	*12.07*	*...*	*12.07*	*22.00*	*3.00*	*25.00*	*20.61*	*3.00*	*23.61*	*21.00*	*3.00*	*24.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं		**490.19**	**11.24**	**501.43**	**711.65**	**23.40**	**735.05**	**701.05**	**11.61**	**712.66**	**886.46**	**13.54**	**900.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
स्वायत्त निकाय													
7.	*स्वायत्तशासी निकायों को सहायता*												
7.01	प्रसार भारती	2514.36	...	2514.36	2820.56	...	2820.56	2820.56	...	2820.56	2889.36	...	2889.36
7.02	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे	29.21	...	29.21	31.29	...	31.29	30.79	...	30.79	32.85	...	32.85
7.03	एसआरएफटीआई कोलकाता	14.35	...	14.35	16.46	...	16.46	17.46	...	17.46	19.71	...	19.71
7.04	बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)	3.25	...	3.25	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	3.90	...	3.90
7.05	भारतीय जनसंचार संस्थान	9.19	...	9.19	20.39	...	20.39	18.89	...	18.89	26.49	...	26.49
7.06	भारतीय प्रैस परिषद	3.84	...	3.84	6.73	...	6.73	6.73	...	6.73	7.45	...	7.45
	जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	*2574.20*	*...*	*2574.20*	*2899.03*	*...*	*2899.03*	*2898.03*	*...*	*2898.03*	*2979.76*	*...*	*2979.76*
कुल जोड़		***3476.20***	***11.24***	***3487.44***	***4065.58***	***23.40***	***4088.98***	***4077.37***	***11.61***	***4088.98***	***4361.67***	***13.54***	***4375.21***
ख. विकासात्मक शीर्ष													
सामाजिक सेवाएं													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. कला और संस्कृति	8.30	...	8.30	9.55	...	9.55	10.04	...	10.04	10.89	...	10.89
2. सूचना और प्रचार	669.72	...	669.72	827.57	...	827.57	824.20	...	824.20	872.09	...	872.09
3. प्रसारण	2737.86	...	2737.86	3090.27	...	3090.27	3054.31	...	3054.31	3247.36	...	3247.36
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	60.32	...	60.32	63.85	...	63.85	66.61	...	66.61	68.68	...	68.68
5. सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	...	11.24	11.24	...	23.40	23.40	...	11.61	11.61	...	13.54	13.54
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3476.20**	**11.24**	**3487.44**	**3991.24**	**23.40**	**4014.64**	**3955.16**	**11.61**	**3966.77**	**4199.02**	**13.54**	**4212.56**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	74.34	...	74.34	122.21	...	122.21	162.65	...	162.65
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**74.34**	**...**	**74.34**	**122.21**	**...**	**122.21**	**162.65**	**...**	**162.65**
कुल जोड़	**3476.20**	**11.24**	**3487.44**	**4065.58**	**23.40**	**4088.98**	**4077.37**	**11.61**	**4088.98**	**4361.67**	**13.54**	**4375.21**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
अन्वेषण और उत्पादन												
1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्टस इंडिया लिमिटेड	...	107.29	107.29	...	78.33	78.33	...	121.04	121.04	...	142.00	142.00
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	15.96	15.96	...	8.27	8.27	...	8.27	8.27	...	10.16	10.16
जोड़-अन्वेषण और उत्पादन	**...**	**123.25**	**123.25**	**...**	**86.60**	**86.60**	**...**	**129.31**	**129.31**	**...**	**152.16**	**152.16**
जोड़	**...**	**123.25**	**123.25**	**...**	**86.60**	**86.60**	**...**	**129.31**	**129.31**	**...**	**152.16**	**152.16**

1.01. **स्थापना व्यय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को कवर किया जाता है।

1.02. **कला एवं संस्कृति:** इसके अंतर्गत (i) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण पर किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है।

1.03. **स्थापना व्यय:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित माध्यम एककों पर किए जाने वाले स्थापना संबंधी व्यय को कवर किया जाता है:-

(i) लोक संपर्क और संचार ब्यूरो – मंत्रालय में लिए गए निर्णय के अनुसार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग को आमेलित कर दिया गया है एवं वर्ष 2018-19 से लोक संपर्क और संचार ब्यूरो नामक एकल बजट प्रविष्टि शुरू की गई है। इसमें कार्यकलापों अर्थात विज्ञापन एवं अन्य मुद्रित सामग्रियों और रेडियो, टेलीविजनों, प्रदर्शनियों एवं अन्य बाह्य प्रचार मीडिया के जरिए प्रचार अभियान, फिल्म शो, मीडिया कार्यक्रमों के सीधे चित्रण, फोटो प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के जरिए अंतर-वैयक्तिक, विकासपरक संचार तथा लोगों विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक संपर्क माध्यम का कार्य करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फोटो प्रभाग के कार्य भारत के प्रधानमंत्री तथा उप राष्ट्रपति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करना है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु दृश्य

प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसे वित्त वर्ष 2019-20 से पत्र सूचना कार्यालय के साथ आमेलित कर दिया गया है।

(iii) प्रकाशन विभाग -यह मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के व्यय के लिए प्रावधान करता है। यह विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्प्लाइमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है।

(iv) न्यू मीडिया विंग- इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान गवेषणा तथा संदर्भ प्रभाग के लिए है जिसे न्यू मीडिया विंग के रूप में पुनर्नामित किया गया है जो मंत्रालय तथा उसके माध्यम एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मीडिया के हित से जुड़े विषयों पर मूलभूत सूचना एकत्र करने तथा उनकी तुलना करने का कार्य करता है।

(v) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) समाचारपत्रों/ आवधिकियों के लिए शीर्षकों के सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनका सत्यापन करने का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/आवधिकियों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

(vi) इसमें संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान तथा एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख संगठनों की सदस्यता के लिए अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन के लिए अंशदान संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

(vii) इसमें (क) फिल्म प्रभाग (जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों के लिए न्यूज़ रीलों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्रों के जरिए देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना का प्रचार एवं प्रसार करता है) का स्थापना व्यय शामिल है, इसमें भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का परिचालन व्यय भी शामिल है (ख) फिल्म समारोह निदेशालय जिसे सुरुचिपूर्ण सिनेमा का संवर्धन करने तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह और राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करने तथा साथ ही सिरी फोर्ट सभागार का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है (ग) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो बेहतरीन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कालजयी फिल्मों का संरक्षण करने का कार्य करता है, की स्थापना से जुड़ा व्यय शामिल किया गया है।

(viii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र- इसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों/रेडियो द्वारा कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी करने का प्रावधान किया गया है।

2.01. **प्रसार भारती सहायता अनुदान:** इसमें प्रसार भारती को सहायता अनुदान स्कीम के लिए प्रावधान भी शामिल है, जो कि प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराया जा रहा है।

2.02. **किसान चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान:** इसमें किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता का प्रावधान शामिल है।

2.03. **अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान:** इसमें अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता का प्रावधान शामिल है।

2.04. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसमें प्रसार भारती को सहायता अनुदान स्कीम के लिए प्रावधान भी शामिल है, जो कि प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए प्रसार भारती के संसाधनों के अंतराल को पाटने हेतु सहायता अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। प्रसार भारती के प्रावधानों को तीन स्कीमों अर्थात (क) प्रसार भारती को सहायता-अनुदान; (ख) किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता-अनुदान; तथा (ग) अरूण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता-अनुदान के अंतर्गत कवर किया गया। अब इन तीनों स्कीमों को आमेलित कर दिया गया है तथा उसे प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (नई स्कीम) के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

3.01. **विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार:** इसमें "विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार" नामक समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रावधान को शामिल किया गया है।

3.02. **मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** इसमें "मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम" नामक समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रावधान शामिल हैं। इसमें "आईआईएमसी के क्षेत्रीय केंद्रों को खोला जाना" नामक स्कीम का व्यय शामिल नहीं है। इसे आईआईएमसी से अलग करके मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम नया नाम दिया गया है।

3.03. **मानव संसाधन विकास:** समावेशी कार्यक्रम मानव संसाधन विकास (एचआरडी) में

(क) प्रसार भारती को छोड़कर मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण, (ख) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम, (ग) नीति संबंधी सम्मेलन आद, (घ) फिल्म मीडिया के लिए मानव संसाधन विकास और (ड.) व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान स्कीमें शामिल हैं।

4.01. **विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार:** समावेशी कार्यक्रम विकास संचार एवं फिल्म संबंधी विषय-वस्तु का प्रसार में निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं:-

(क) फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार के जरिए भारत और विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देना (मुख्य सचिवालय) - फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार में भागीदारी के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना।

(ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण- विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों, बच्चों की फिल्मों, और वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण

(ग) फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग (फिल्म प्रभाग)- वृत्तचित्र, एनीमेशन और लघु फिल्मों का वितरण।

(घ) अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण (एनएफएआई)- राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का परिरक्षण व अधिग्रहण और विश्व सिनेमा के प्रतिनिधि संग्रह का सृजन।

(ङ) अभी तक की स्थिति के अनुसार मिशन/विशेष परियोजनाओं से जुड़े समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत पाइरेसी-रोधी पहलें नामक स्कीम शामिल है। ब.प्रा. 2019-20 से इसे समावेशी कार्यक्रम फिल्मी विषय-वस्तु का विकासपरक संचार तथा प्रचार-प्रसार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4.02. **फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम नामक समावेशी कार्यक्रम में निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं:- (क) सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण व विस्तार और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया- ऑनलाइन प्रमाणीकरण के जरिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स, फिल्म प्रभाग, जयकर बंगला सहित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की अवसंरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करना (एनएफएआई) - एनएफएआई परिसर के भीतर एक विरासत इमारत जयकर बंगला को एक डिजिटल पुस्तकालय के रूप में विकसित करने के लिए। (ङ) एफटीआईआई (पुणे), एसआरएफटीआई (कोलकाता)।

4.03. **भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय:** देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय (फिल्म प्रभाग)

4.04. **मिशन/विशेष परियोजना:** अभी तक की स्थिति के अनुसार समावेशी कार्यक्रम ''मिशन/विशेष परियोजना'' में तीन स्कीमें अर्थात (क) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय); (ख) पाइरेसी-रोधी पहलें; (ग) राष्ट्रीय एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल हैं। ब.प्रा. 2019-20 से इस समावेशी कार्यक्रम की दो स्कीमें अर्थात (क) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम), तथा (ख) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को बजट प्राक्कलन (2019-20) के विवरण में एकल प्रविष्टि के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। पाइरेसी-रोधी पहलें नामक स्कीम को समावेशी कार्यक्रम फिल्मी विषय-वस्तु का विकासपरक संचार तथा प्रचार-प्रसार के साथ आमेलित कर दिया गया है।

4.05. **राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन:** राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय) – ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यपरक मूल्य की फिल्मों का भंडारण करने तथा अभिलेखीय एवं संरक्षण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए। इसमें भंडारित सामग्री का संरक्षण करने के लिए वॉल्ट के निर्माण पर किया जाने वाले पूंजीगत व्यय भी शामिल है।

4.06. **एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र:** राष्ट्रीय एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना – किफायती शुल्क संरचना पर एनिमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव और कॉमिक्स के लिए विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु।

5.01. **अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन:** प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए आईआईएमसी की उन्नयन को शामिल करता है।

5.02. **आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना:** यह प्रावधान आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र को खोलने के लिए है।

6.01. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र का सुदृढ़ीकरण:** इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र: यह प्रावधान कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए टेलीविजन चैनल/रेडियो की मानीटरिंग करने के लिए किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र पर उसके आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत व्यय भी शामिल है।

6.02. **भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता:** भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता- सामुदायिक रेडियो आंदोलन, जो विशेष रूप से उन समुदायों के लिए है जिनमें अधिकतर लोग पढ़े-लिखे नहीं होते, को सहायता प्रदान करने के लिए।

6.03. **मिशन डिजिटलीकरण:** यह ऐसा तंत्र है जो सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) लगाने की प्रभावी निगरानी करने में सहायता करेगा।

6.04. **प्रसारण विंग का स्वचालन:** नए टीवी चैनलों के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल का विकास करने के लिए।

7.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।

7.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे:** इसमें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।

7.03. **एसआरएफटीआई कोलकाता:** स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:- इसमें सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं

7.04. **बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई):** इसमें बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।

7.05. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं

7.06. **भारतीय प्रैस परिषद:** इसमें भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं

श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6524.98	3.59	6528.57	7677.75	22.25	7700.00	9740.83	8.75	9749.58	10403.83	30.26	10434.09
वसूलियां	*-13.02*	...	-13.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**6511.96**	**3.59**	**6515.55**	**7677.75**	**22.25**	**7700.00**	**9740.83**	**8.75**	**9749.58**	**10403.83**	**30.26**	**10434.09**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	56.95	...	56.95	62.16	...	62.16	59.50	...	59.50	62.16	...	62.16
2. श्रम ब्यूरो	11.05	0.03	11.08	12.02	0.03	12.05	11.47	0.03	11.50	12.02	0.03	12.05
3. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय	65.24	...	65.24	69.02	...	69.02	66.00	...	66.00	75.00	...	75.00
4. कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीएफएसएलआई)	20.70	...	20.70	23.65	...	23.65	22.00	...	22.00	23.54	...	23.54
5. खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस)	58.31	0.14	58.45	62.19	0.15	62.34	62.17	0.15	62.32	62.23	0.11	62.34
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	18.61	...	18.61	22.50	...	22.50	20.00	...	20.00	21.00	...	21.00
7. रोजगार महा निदेशालय	32.93	0.07	33.00	36.65	0.11	36.76	32.93	0.07	33.00	34.93	0.07	35.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**263.79**	**0.24**	**264.03**	**288.19**	**0.29**	**288.48**	**274.07**	**0.25**	**274.32**	**290.88**	**0.21**	**291.09**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
8. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	32.32	0.02	32.34	44.65	0.35	45.00	30.65	0.35	31.00	32.61	13.89	46.50
औद्योगिक संबंध												
9. न्याय निर्णयन तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा लोक अदालतों का आयोजन	5.76	...	5.76	10.00	...	10.00	6.50	...	6.50	...	...	...
10. बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, मुख्य श्रमायुक्त	10.63	0.15	10.78	22.11	10.00	32.11	12.80	1.20	14.00	13.90	8.10	22.00
जोड़-औद्योगिक संबंध	**16.39**	**0.15**	**16.54**	**32.11**	**10.00**	**42.11**	**19.30**	**1.20**	**20.50**	**13.90**	**8.10**	**22.00**
कार्यकरण स्थिति और सुरक्षा												
11. क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास	2.55	...	2.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. डीजीएफएसएएसएलआई संगठन और कारखानों, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच का सुदृढ़ीकरण और विकास	3.16	0.76	3.92	8.94	2.06	11.00	7.04	1.96	9.00	8.94	2.06	11.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. खान दुर्घटना विश्लेषण तथा सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरण	5.26	...	5.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. खान सुरक्षा महानिदेशालय की प्रणाली और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण (एसएसआईडी)	4.61	1.68	6.29	11.01	2.00	13.01	10.00	2.00	12.00	11.00	2.00	13.00
जोड़-कार्यकरण स्थिति और सुरक्षा	**15.58**	**2.44**	**18.02**	**19.95**	**4.06**	**24.01**	**17.04**	**3.96**	**21.00**	**19.94**	**4.06**	**24.00**
15. श्रम कल्याण योजनाएं	206.72	0.63	207.35	239.76	2.50	242.26	239.66	1.78	241.44	235.50	1.50	237.00
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं												
16. असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबंटित करना	0.35	...	0.35	50.00	...	50.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
17. असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना	...	...	...	50.00	...	50.00	0.10	...	0.10	523.50	...	523.50
18. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	5111.18	...	5111.18	4900.00	...	4900.00	4900.00	...	4900.00	4500.00	...	4500.00
19. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	110.00	...	110.00	35.00	...	35.00	22.00	...	22.00	19.90	...	19.90
20. प्रसूति लाभ प्रदान करने के लिए संस्थाओं हेतु प्रोत्साहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	**5221.53**	**...**	**5221.53**	**5035.00**	**...**	**5035.00**	**4923.10**	**...**	**4923.10**	**5044.50**	**...**	**5044.50**
21. स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	102.16	...	102.16	120.00	...	120.00	93.50	...	93.50	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**5594.70**	**3.24**	**5597.94**	**5491.47**	**16.91**	**5508.38**	**5323.25**	**7.29**	**5330.54**	**5446.45**	**27.55**	**5474.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	71.50	...	71.50	90.00	...	90.00	70.00	...	70.00	78.00	...	78.00
23. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	11.00	...	11.00	15.35	...	15.35	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**82.50**	**...**	**82.50**	**105.35**	**...**	**105.35**	**80.00**	**...**	**80.00**	**90.00**	**...**	**90.00**
अन्य												
24. श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण												
24.01 तक	11.48	...	11.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24.02 से	-13.02	...	-13.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*-1.54*	...	*-1.54*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**80.96**	**...**	**80.96**	**105.35**	**...**	**105.35**	**80.00**	**...**	**80.00**	**90.00**	**...**	**90.00**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
कार्य एवं कौशल विकास												
25. रोजगार सृजन कार्यक्रम												
25.01 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन	17.93	0.06	17.99	21.85	0.15	22.00	17.90	0.10	18.00	18.90	0.10	19.00
25.02 रोजगार संवर्द्धन योजना	5.05	0.05	5.10	9.00	4.90	13.90	6.90	1.11	8.01	7.60	2.40	10.00
25.03 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	485.02	...	485.02	1652.09	...	1652.09	4000.00	...	4000.00	4500.00	...	4500.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
25.04 राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं	64.51	...	64.51	109.80	...	109.80	38.71	...	38.71	50.00	...	50.00
जोड़- रोजगार सृजन कार्यक्रम	*572.51*	*0.11*	*572.62*	*1792.74*	*5.05*	*1797.79*	*4063.51*	*1.21*	*4064.72*	*4576.50*	*2.50*	*4579.00*
कुल जोड़	***6511.96***	***3.59***	***6515.55***	***7677.75***	***22.25***	***7700.00***	***9740.83***	***8.75***	***9749.58***	***10403.83***	***30.26***	***10434.09***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	17.72	...	17.72	19.65	...	19.65	15.70	...	15.70	17.00	...	17.00
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	6410.51	...	6410.51	6827.99	...	6827.99	8710.53	...	8710.53	9301.30	...	9301.30
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	56.95	...	56.95	62.16	...	62.16	59.50	...	59.50	62.16	...	62.16
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.06	0.06	...	0.15	0.15	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	3.53	3.53	...	22.10	22.10	...	8.65	8.65	...	30.16	30.16
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**6485.18**	**3.59**	**6488.77**	**6909.80**	**22.25**	**6932.05**	**8785.73**	**8.75**	**8794.48**	**9380.46**	**30.26**	**9410.72**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	741.15	...	741.15	947.54	...	947.54	1014.30	...	1014.30
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	26.62	...	26.62	26.50	...	26.50	7.48	...	7.48	8.80	...	8.80
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.16	...	0.16	0.30	...	0.30	0.08	...	0.08	0.27	...	0.27
जोड़-अन्य	**26.78**	**...**	**26.78**	**767.95**	**...**	**767.95**	**955.10**	**...**	**955.10**	**1023.37**	**...**	**1023.37**
कुल जोड़	**6511.96**	**3.59**	**6515.55**	**7677.75**	**22.25**	**7700.00**	**9740.83**	**8.75**	**9749.58**	**10403.83**	**30.26**	**10434.09**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय हेतु व्यय प्रदान करता है।

2. **श्रम ब्यूरो:** श्रम ब्यूरो के स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

3. **मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय:** मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी: से संबंधित अन्य व्यय सीएलसी(सी), सीजीआईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य मदों के लिए व्यय से संबद्ध स्थापना का प्रावधान करता है।

4. **कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीएफएसएलआई):** महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा (डीजीएफएएसएलआई) हेतु स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

5. **खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस):** खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) हेतु स्थापन से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

6. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अंतर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन तथा एशियाई रोजगार सृजन केंद्र को वार्षिक अंशदान का भुगतान करना तथा आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय को आवास तथा ढ़ाचांगत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निधियां प्रदान करना है।

7. **रोजगार महा निदेशालय:** रोजगार महानिदेशालय के लिए स्थापना से संबंधित व्यय प्रदान करता है।

8. **श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस):** सांख्यिकी के संग्रहण और प्रकाशन, विभिन्न श्रम से संबद्ध विषयों के बारे में जांचें, सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

10. **बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, मुख्य श्रमायुक्त:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और परिपाटियों में सुधार लाने हेतु सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों श्रम कानूनों, पंचाटों और करारों के त्वरित कार्यान्वयन के संवर्धन, अनुशासन सं हिता निर्धारित करने आदि के सिलसिले में किए गए व्यय का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबं टित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

12. **डीजीएफएसएएसएलआई संगठन और कारखानों, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच का सुदृढ़ीकरण और विकास:** डीजीएफएसएएलआई देशभर में कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु उन कार्यकलापों पर किए गए व्यय का प्रावधान करता है जो डीजीएफएसएएलआई में अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में किए जा रहे हैं जिनसे व्यावसायिक चोटों और रोगों के निवारण एवं नियंत्रण, प्रत्यायन तंत्र की स्थापना करने, ई-शासन कार्यान्वित करने, डीजीएफएसएएलआई कार्मिकों की कौशल और सक्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

14. **खान सुरक्षा महानिदेशालय की प्रणाली और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण (एसएसआईडी):** इस स्कीम का उद्देश्य जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन तकनीकों तथा सक्रिय संवर्धनात्मक माध्यमों के प्रयोग से दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से खानों में आपदाओं और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है। खान में परिचालन प्रणाली और वातावरण की विस्तृत जांच के माध्यम से दुर्घटनाओं/आपदाओं के अत्यधिक जोखिम वाली खानों की पहचान तथा कार्यान्वयन हेतु इन खानों की जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना।इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

15. **श्रम कल्याण योजनाएं:** यह स्कीम बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों तथा (।) अभ्रक खानों, (।।) लौह, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (।।।) चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान करती है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

16. **असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबंटित करना:** इस योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभों का पता लगाने तथा उनकी सुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाने हेतु एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) चालित मंच स्थापित किया जाएगा। इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

17. **असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना :** आम आदमी बीमा योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित सामाजिक सुरक्षा स्कीम है तथा इसमें 48 अभिज्ञात व्यावसायिक/व्यवसाय समूहों/ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष के बीच के आयु समूह के व्यक्तियों के लिए मृत्यु एवं अपंगता छत्र और इनके दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। इस आवंटन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) स्कीम के लिए निधियों की आवश्यकता को भी शामिल किया गया है। एलआईसी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस नई स्कीम में असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों को प्रतिमाह 3000/- रुपए की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है जिनकी मासि आय 1500/- रुपए या इससे कम है।

18. **कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभों का प्रावधान है। यह प्रावधान स्कीमों में सरकारी अंशदान के लिए है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

19. **असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** इस स्कीम में असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा, बागान कामगारों के लिए असम-परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा स्कीम के चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का प्रावधान है तथा चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम का प्रशासन असम के बागान कामगारों के संबंध में असम की राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है, जो असम सरकार द्वारा प्रशासित असम चाय बागान भविष्य निधि और परिवार पेंशन एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा शासित हैं। इस प्रावधान द्वारा स्कीम में केन्द्र सरकारों के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की भी पूर्ति की जाती है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

20. **प्रसूति लाभ प्रदान करने के लिए संस्थाओं हेतु प्रोत्साहन:** सरकार उन कंपनियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना पर कार्य कर रही है जो अपनी महिला कर्मचारियों को जैसा कि प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रावधान किया गया है, 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्रदान करती हैं। किसी कंपनी को इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने हेतु समर्थ बनाने के लिए, उस कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी प्रति माह 15,000/- रुपये से कम मजदूरी पाने वाली और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कम से कम एक वर्ष से सदस्य होना चाहिए और वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से प्रशासित की जानी प्रस्तावित है । इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

21. **स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना:** इसमें स्वयंसेवी एजेन्सियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के संविन्यास, समन्वय और कार्यान्वयन का प्रावधान है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

22. **केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड:** इस योजना का उद्देश्य कामगारों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी देश के समाजार्थिक विकास में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए शिक्षित करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई स्तरों के अनौपचारिक के देश व्यापी 50 क्षेत्रीय तथा 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों और मुम्बई स्थित भारतीय कामगार शिक्षण संस्थान नामक सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कामगारों के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है | इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

23. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद संस्थान उन सभी जो श्रम के विभिन्न पहलू के साथ संबंध है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पहुँचने के लिए शोध, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से प्रयास किया है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

25.01. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन:** इस योजना में अनुसू चित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन एवं केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है ताकि इन श्रेणियों के आवेदकों के लिए आत्म विश्वास के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक मार्गदर्शन किया जा सके। ये कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अभिकरणों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने में संलग्न हैं। रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एक अन्य योजना भी कुछ कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा शुरु की गई है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति के घटक एवं अनुसूचित जनजाति के घटक के लिए निधि का आवंटन शामिल है।

25.02. **रोजगार संवर्द्धन योजना:** विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना पीडब्ल्यूडी की अंतर्निहित क्षमताओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया है जिसमें उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय संबंधी दिशानिर्देश एवं कैरियर संबंधी सलाह तथा आर्थिक पुनर्वास की प्रक्रिया में उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

25.03. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** इस योजना के नए रोजगार का सृजन, जिसमें सरकार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। के भारत के पहले 3 वर्षों के लिए नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएस योजना के तहत मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के नियोक्ताओं के अंशदान का भुगतान करती है। यह धन नॉर्थ ईस्ट, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित भी शामिल है।

25.04. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल की संकल्पना की गई है जो बेरोजगारों तथा नियोजकों को क्षमतानुरूप रोजगार काफी प्रभावी, सक्षम तथा परिहार्य तरीके से प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3000 व्यवसायों से अधिक कैरियर संबंधी जानकारी का सक्षम कोष है। इस योजना द्वारा नियोक्ताओं तथा बेरोजगारों के लिए आपसी संवाद हेतु रोजगार मेलों के आयोजन की सुविधा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा आदर्श कैरियर केन्द्रों की स्थापना करने की संकल्पना है ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए रोजगार सेवा प्रदान की जा सके। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 61

विधि और न्याय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2615.89	1506.79	4122.68	2586.33	1800.00	4386.33	2354.64	3972.17	6326.81	2920.11	135.00	3055.11
वसूलियां	*-0.20*	...	-0.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2615.69**	**1506.79**	**4122.48**	**2586.33**	**1800.00**	**4386.33**	**2354.64**	**3972.17**	**6326.81**	**2920.11**	**135.00**	**3055.11**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	195.18	...	195.18	187.71	...	187.71	193.91	...	193.91	215.37	...	215.37
2. कर न्यायाधिकरण	84.58	28.06	112.64	90.35	70.00	160.35	102.85	70.00	172.85	108.93	110.00	218.93
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**279.76**	**28.06**	**307.82**	**278.06**	**70.00**	**348.06**	**296.76**	**70.00**	**366.76**	**324.30**	**110.00**	**434.30**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन												
3. कानूनी सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन	5.20	...	5.20	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	35.73	...	35.73
4. ई-कोर्ट फेज़-।।	374.11	...	374.11	480.00	...	480.00	300.00	...	300.00	256.53	...	256.53
5. भारत में न्याय तक पहुंच का सुदृढ़ीकरण (साजी)	6.39	...	6.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन	**385.70**	**...**	**385.70**	**497.00**	**...**	**497.00**	**317.00**	**...**	**317.00**	**292.26**	**...**	**292.26**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**385.70**	**...**	**385.70**	**497.00**	**...**	**497.00**	**317.00**	**...**	**317.00**	**292.26**	**...**	**292.26**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,	16.00	...	16.00	11.15	...	11.15	11.15	...	11.15	11.00	...	11.00
7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	100.00	...	100.00	80.00	...	80.00	150.00	...	150.00	140.00	...	140.00
8. भारतीय विधि संस्थान	...	...	...	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**116.00**	**...**	**116.00**	**94.15**	**...**	**94.15**	**165.15**	**...**	**165.15**	**154.00**	**...**	**154.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**116.00**	**...**	**116.00**	**94.15**	**...**	**94.15**	**165.15**	**...**	**165.15**	**154.00**	**...**	**154.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
न्यायपालिका अवसंरचना सुविधाएं												
9. ग्राम न्यायालय	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
10. न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा	621.21	...	621.21	622.00	...	622.00	650.00	...	650.00	710.00	...	710.00
जोड़-न्यायपालिका अवसंरचना सुविधाएं	**629.21**	**...**	**629.21**	**630.00**	**...**	**630.00**	**658.00**	**...**	**658.00**	**720.00**	**...**	**720.00**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**629.21**	**...**	**629.21**	**630.00**	**...**	**630.00**	**658.00**	**...**	**658.00**	**720.00**	**...**	**720.00**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
11. चुनाव के अंग												
11.01 लोकसभा चुनाव	549.84	...	549.84	470.00	...	470.00	470.00	...	470.00	1000.00	...	1000.00
11.02 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	60.00	...	60.00	90.00	...	90.00
11.03 अन्य निर्वाचन व्यय	605.18	...	605.18	486.35	...	486.35	362.73	...	362.73	339.54	...	339.54
जोड़- चुनाव के अंग	*1205.02*	*...*	*1205.02*	*1056.35*	*...*	*1056.35*	*892.73*	*...*	*892.73*	*1429.54*	*...*	*1429.54*
12. निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम	...	1478.73	1478.73	30.77	1730.00	1760.77	25.00	3902.17	3927.17	0.01	25.00	25.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**1205.02**	**1478.73**	**2683.75**	**1087.12**	**1730.00**	**2817.12**	**917.73**	**3902.17**	**4819.90**	**1429.55**	**25.00**	**1454.55**
कुल जोड़	***2615.69***	***1506.79***	***4122.48***	***2586.33***	***1800.00***	***4386.33***	***2354.64***	***3972.17***	***6326.81***	***2920.11***	***135.00***	***3055.11***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	571.05	...	571.05	598.03	...	598.03	507.04	...	507.04	485.77	...	485.77
2. चुनाव	1205.02	...	1205.02	1087.12	...	1087.12	917.73	...	917.73	1429.55	...	1429.55
3. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	84.58	...	84.58	90.35	...	90.35	102.85	...	102.85	108.93	...	108.93
4. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	109.01	...	109.01	120.15	...	120.15	127.66	...	127.66	138.04	...	138.04
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	16.82	...	16.82	12.98	...	12.98	12.67	...	12.67	14.17	...	14.17
6. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	1506.79	1506.79	...	1800.00	1800.00	...	3972.17	3972.17	...	135.00	135.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**1986.48**	**1506.79**	**3493.27**	**1908.63**	**1800.00**	**3708.63**	**1667.95**	**3972.17**	**5640.12**	**2176.46**	**135.00**	**2311.46**
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	112.70	...	112.70	97.50	...	97.50	101.23	...	101.23
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	604.21	...	604.21	515.00	...	515.00	589.19	...	589.19	592.42	...	592.42
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00	...	...	...	50.00	...	50.00
जोड़-अन्य	**629.21**	**...**	**629.21**	**677.70**	**...**	**677.70**	**686.69**	**...**	**686.69**	**743.65**	**...**	**743.65**
कुल जोड़	**2615.69**	**1506.79**	**4122.48**	**2586.33**	**1800.00**	**4386.33**	**2354.64**	**3972.17**	**6326.81**	**2920.11**	**135.00**	**3055.11**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग, राजभाषा खण्ड, संगठित मुकदमा अभिकरण, विधि साहित्य प्रकाशन, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा न्यायिक वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **कर न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.) के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. **कानूनी सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन:** यह प्रावधान, कार्य अनुसंधान/आमूल परिवर्तन/ अध्ययन की निगरानी, संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन आदि करने के लिए न्यायिक वितरण, विधिक शिक्षा और अनुसंधान तथा कानूनी सुधारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए है।

4. **ई-कोर्ट फेज़-।।:** यह प्रावधान वादियों, अधिवक्ताओं तथा न्यायतंत्र को नामित सेवा प्रदान करने के लिए देश के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी समर्थकारी बनाने हेतु ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के लिए है।

6. **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,:** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है

7. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण:** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है

8. **भारतीय विधि संस्थान:** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है

9. **ग्राम न्यायालय:** प्रावधान अपने राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है

10. **न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा:** न्यायपालिका के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं: प्रावधान विधानमंडल और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के साथ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुदान / सहायता प्रदान करने के लिए है।

11.01. **चुनाव के अंग:** प्रावधान जनरल लोकसभा चुनाव कराने के लिए शुल्क के संबंध में अग्रेनीत दायित्व को पूरा करने के लिए है।

11.02. **चुनाव के अंग:** प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर राज्यों / संघ राज्य सरकार को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।

11.03. **चुनाव के अंग:** इसके अंतर्गत मतदाता सूची के मुद्रण तथा ईवीएम के सहायक खर्चे तथा अप्रचलित ईवीएम की खराबी संबंधी व्यय के बारे में सामान्य चुनावी खर्चे के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

12. **निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम:** प्रावधान द्वारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इकाइयों की खरीद के लिए चुनाव आयोग को धन उपलब्ध कराने के लिए है।

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 62

निर्वाचन आयोग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	117.69	71.77	189.46	248.66	19.30	267.96	222.16	19.30	241.46	261.68	25.00	286.68
वसूलियां	*-0.49*	...	-0.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**117.20**	**71.77**	**188.97**	**248.66**	**19.30**	**267.96**	**222.16**	**19.30**	**241.46**	**261.68**	**25.00**	**286.68**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारत निर्वाचन आयोग	117.69	71.77	189.46	248.66	19.30	267.96	222.16	19.30	241.46	261.68	25.00	286.68
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
2. वास्तविक वसूलियां	-0.49	...	-0.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***117.20***	***71.77***	***188.97***	***248.66***	***19.30***	***267.96***	***222.16***	***19.30***	***241.46***	***261.68***	***25.00***	***286.68***
ख. विकासात्मकशीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. चुनाव	117.20	...	117.20	248.66	...	248.66	222.16	...	222.16	261.68	...	261.68
2. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	71.77	71.77	...	19.30	19.30	...	19.30	19.30	...	25.00	25.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**117.20**	**71.77**	**188.97**	**248.66**	**19.30**	**267.96**	**222.16**	**19.30**	**241.46**	**261.68**	**25.00**	**286.68**
कुल जोड़	**117.20**	**71.77**	**188.97**	**248.66**	**19.30**	**267.96**	**222.16**	**19.30**	**241.46**	**261.68**	**25.00**	**286.68**

1. **भारत निर्वाचन आयोग:** यह प्रावधान मुख्यत: भारत निर्बाचन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय तथा भारत अंतराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आई.आई.आई.डी.ई.एम.) कैम्पस के निर्माण एवं भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय के लिए एक और इमारत के लिए जमीन खरीदने पर होने वाले व्यय के लिए है। इसमे आयोग में कम्प्यूटर आइटम्स की खरीद तथा उनके रख-रखाव तथा राष्ट्रीय मतदाता जागरुकता अभियान/प्रशिक्षण की योजना के लिए प्रावधान भी सम्मिलित है।

विधि और न्याय मंत्रालय

सं 63 (विनियोग)

भारत का उच्चतम न्यायालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	255.00	...	255.00	251.06	...	251.06	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**255.00**	**...**	**255.00**	**251.06**	**...**	**251.06**	**258.53**	**...**	**258.53**	**269.46**	**...**	**269.46**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारत का उच्चतम न्यायालय	255.00	...	255.00	251.06	...	251.06	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46
कुल जोड़	***255.00***	***...***	***255.00***	***251.06***	***...***	***251.06***	***258.53***	***...***	***258.53***	***269.46***	***...***	***269.46***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	255.00	...	255.00	251.06	...	251.06	258.53	...	258.53	269.46	...	269.46
जोड़-सामान्य सेवाएं	**255.00**	**...**	**255.00**	**251.06**	**...**	**251.06**	**258.53**	**...**	**258.53**	**269.46**	**...**	**269.46**
कुल जोड़	**255.00**	**...**	**255.00**	**251.06**	**...**	**251.06**	**258.53**	**...**	**258.53**	**269.46**	**...**	**269.46**

1. **भारत का उच्चतम न्यायालय:** यह विनियोजन भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक और अन्य व्यय का प्रावधान करता है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों, विभागीय कैंटीन सहित रजिस्टरी के स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन और यात्रा व्यय, स्टेशनरी, कार्यालय उपकरणों,सुरक्षा उपकरणों,सीसीटीवी के रख-रखाव और उच्चतम न्यायालय की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण सहित सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए व्यावसायिक सेवा प्रभार और स्थापना संबंधी जरूरतों पर व्यय का प्रावधान शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 64

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6216.36	5.82	6222.18	6540.04	12.57	6552.61	6539.44	13.17	6552.61	6984.27	27.02	7011.29
वसूलियां	*-20.06*	...	-20.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**6196.30**	**5.82**	**6202.12**	**6540.04**	**12.57**	**6552.61**	**6539.44**	**13.17**	**6552.61**	**6984.27**	**27.02**	**7011.29**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	15.87	...	15.87	20.33	...	20.33	19.33	...	19.33	20.66	...	20.66
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	24.35	...	24.35	26.04	...	26.04	31.87	...	31.87	32.87	...	32.87
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**40.22**	**...**	**40.22**	**46.37**	**...**	**46.37**	**51.20**	**...**	**51.20**	**53.53**	**...**	**53.53**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास												
3. खादी अनुदान (के जी)	263.89	...	263.89	415.00	...	415.00	413.12	...	413.12	418.00	...	418.00
4. ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान	83.10	...	83.10	110.00	...	110.00	75.00	...	75.00	101.92	...	101.92
5. खादी, ग्रामोद्योग और कयर(वि.एवं प्रौ.)	1.89	...	1.89	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
6. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	339.53	...	339.53	80.03	...	80.03	146.03	...	146.03	0.01	...	0.01
7. बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता	328.31	...	328.31	340.00	...	340.00	269.10	...	269.10	350.00	...	350.00
8. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	9.76	...	9.76	125.00	...	125.00	86.15	...	86.15	125.00	...	125.00
9. कयर विकास योजना	50.00	...	50.00	80.00	...	80.00	75.93	...	75.93	70.50	...	70.50
10. कयर उद्यमी योजना	7.00	...	7.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00
11. खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों के लिए ऋण	...	0.10	0.10	...	0.57	0.57	...	0.57	0.57	...	0.42	0.42
12. सोलर चरखा मिशन	...	...	...	50.00	...	50.00	20.00	...	20.00	143.50	...	143.50
जोड़-खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास	**1083.48**	**0.10**	**1083.58**	**1215.03**	**0.57**	**1215.60**	**1097.83**	**0.57**	**1098.40**	**1212.93**	**0.42**	**1213.35**
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन												
13. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर)	47.63	...	47.63	232.00	...	232.00	224.00	...	224.00	50.00	...	50.00
14. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एमएमसीपी)	294.52	...	294.52	1006.00	...	1006.00	1013.56	...	1013.56	737.44	...	737.44

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	**342.15**	**...**	**342.15**	**1238.00**	**...**	**1238.00**	**1237.56**	**...**	**1237.56**	**787.44**	**...**	**787.44**
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें												
15. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1072.90	...	1072.90	1800.64	...	1800.64	2118.80	...	2118.80	2327.10	...	2327.10
16. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी)	37.78	...	37.78	50.00	...	50.00	37.20	...	37.20	39.30	...	39.30
17. ऋण सहायता कार्यक्रम	3002.00	...	3002.00	700.00	...	700.00	715.00	...	715.00	597.00	...	597.00
18. निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम	...	...	...	5.00	...	5.00	8.45	...	8.45	0.04	...	0.04
19. एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना	...	...	...	...	...	...	275.00	...	275.00	350.00	...	350.00
जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें	**4112.68**	**...**	**4112.68**	**2555.64**	**...**	**2555.64**	**3154.45**	**...**	**3154.45**	**3313.44**	**...**	**3313.44**
विपणन संवर्धन स्कीम												
20. विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए)	11.03	...	11.03	65.00	...	65.00	53.95	...	53.95	129.60	...	129.60
21. विपणन सहायता स्कीम (एमएएस)	10.16	...	10.16	15.00	...	15.00	8.00	...	8.00	10.03	...	10.03
22. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	4.08	...	4.08	5.00	...	5.00	5.02	...	5.02	30.00	...	30.00
जोड़-विपणन संवर्धन स्कीम	**25.27**	**...**	**25.27**	**85.00**	**...**	**85.00**	**66.97**	**...**	**66.97**	**169.63**	**...**	**169.63**
उद्यमिता और कौशल विकास												
23. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान	7.80	...	7.80	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
24. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	139.64	...	139.64	200.00	...	200.00	174.84	...	174.84	305.07	...	305.07
25. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	4.53	...	4.53	30.00	...	30.00	23.44	...	23.44	30.00	...	30.00
26. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	...	...	...	...	...	...	0.19	...	0.19	...	...	...
27. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि	...	...	...	100.01	...	100.01	20.00	...	20.00	100.00	...	100.00
जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास	**151.97**	**...**	**151.97**	**340.01**	**...**	**340.01**	**228.47**	**...**	**228.47**	**447.07**	**...**	**447.07**
अवसंरचना विकास कार्यक्रम												
28. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	246.46	...	246.46	400.00	...	400.00	315.75	...	315.75	381.57	...	381.57
29. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	125.12	...	125.12
30. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक	146.22	...	146.22	550.00	...	550.00	299.95	...	299.95	350.00	...	350.00
31. कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	5.72	5.72	...	12.00	12.00	...	12.60	12.60	...	26.60	26.60
जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम	**392.68**	**5.72**	**398.40**	**950.00**	**12.00**	**962.00**	**615.70**	**12.60**	**628.30**	**856.69**	**26.60**	**883.29**
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन												
32. डाटाबेस का उन्नयन	7.87	...	7.87	15.03	...	15.03	8.66	...	8.66	20.28	...	20.28
33. सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान	0.86	...	0.86	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	1.57	...	1.57
34. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	59.18	...	59.18	93.96	...	93.96	78.30	...	78.30	121.69	...	121.69
जोड़-अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन	**67.91**	**...**	**67.91**	**109.99**	**...**	**109.99**	**87.26**	**...**	**87.26**	**143.54**	**...**	**143.54**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**6176.14**	**5.82**	**6181.96**	**6493.67**	**12.57**	**6506.24**	**6488.24**	**13.17**	**6501.41**	**6930.74**	**27.02**	**6957.76**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
35. वास्तविक वसूलियां	-20.06	...	-20.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	***6196.30***	***5.82***	***6202.12***	***6540.04***	***12.57***	***6552.61***	***6539.44***	***13.17***	***6552.61***	***6984.27***	***27.02***	***7011.29***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	5.72	5.72	...	12.00	12.00	...	12.59	12.59	...	...	...
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**5.72**	**5.72**	**...**	**12.00**	**12.00**	**...**	**12.59**	**12.59**	**...**	**...**	**...**
आर्थिक सेवाएं												
2. ग्राम एवं लघु उद्योग	6180.43	...	6180.43	5849.66	...	5849.66	5840.40	...	5840.40	6235.26	...	6235.26
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	15.87	...	15.87	20.33	...	20.33	19.33	...	19.33	20.66	...	20.66
4. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01	...	26.60	26.60
5. ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	...	0.10	0.10	...	0.57	0.57	...	0.57	0.57	...	0.42	0.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**6196.30**	**0.10**	**6196.40**	**5869.99**	**0.57**	**5870.56**	**5859.73**	**0.58**	**5860.31**	**6255.92**	**27.02**	**6282.94**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	670.05	...	670.05	679.71	...	679.71	728.35	...	728.35
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**670.05**	**...**	**670.05**	**679.71**	**...**	**679.71**	**728.35**	**...**	**728.35**
कुल जोड़	**6196.30**	**5.82**	**6202.12**	**6540.04**	**12.57**	**6552.61**	**6539.44**	**13.17**	**6552.61**	**6984.27**	**27.02**	**7011.29**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	71.80	71.80	...	370.00	370.00	...	150.00	150.00	...	205.00	205.00
2. कॅयर बोर्ड	...	3.07	3.07	...	2.55	2.55	...	3.00	3.00	...	4.00	4.00
जोड़	**...**	**74.87**	**74.87**	**...**	**372.55**	**372.55**	**...**	**153.00**	**153.00**	**...**	**209.00**	**209.00**

1. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार, समन्वयन और मॉनीटरिंग करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह प्रावधान मुख्यालय विकास आयुक्त (सूलमउ) के स्थापना संबंधित व्यय के लिए है।

3. **खादी अनुदान (के जी):** खादी अनुदान बजटीय शीर्ष के अंतर्गत (क) यह आवंटन खादी के संवर्धन एवं विकास के लिए आबंटन (ख) खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड स्कीम (ग) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं का अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं विपणन अवसंरचना हेतु सहायता (घ) सामान्य सहायता (ङ) वेतन सहायता अनुदान (च) ब्याज सब्सिडी (छ) स्वच्छता कार्य योजना।

4. **ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान:** इस उप शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का आशय प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उपयुक्त आईटी सहायता के माध्यम से ग्रामोद्योगों का संवर्धन एवं विकास करना, नए उत्पादों के विकास के लिए आबंटन, ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए डिजाइन और बेहतर पैकेजिंग, केवीआईसी/केवीआईबी के मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों तथा केवीआईसी/केवीआईबी से संबद्ध संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन विकास शुरू करना, सामान्य सुविधा आदि उपलब्ध कराना है।

5. **खादी, ग्रामोद्योग और कयर(वि.एवं प्रौ.):** इस उप-शीर्ष में खादी और ग्रामोद्योगों के लिए केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर व्यय करने के लिए बजटीय आबंटन का प्रावधान है। इन परियोजनाओं से कार्य को पिरसता में कमी की संभावना प्रदर्शित होगी, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और नए उत्पादों/प्रक्रियाओं की शुरूआत होगी।

6. **खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता):** भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि उपलब्ध कराकर खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) को प्रारम्भ और समर्थित किया गया था। भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन के दृष्टिगत खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण विकास संभावना का पूर्णत: लाभ उठाना, कारीगरों की आय में वृद्धि करना, यंत्रों को बदलना और प्रौद्योगिकी में सुधार लाना तथा खादी का बाजार की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप स्थान भी सुनिश्चिच करना है।

7. **बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बाजार विकास सहायता स्कीम को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए) के रूप में संशोधित किया गया है। एमपीडीए स्कीम 11वीं योजना में कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/उप स्कीमों/विभिन्न शीर्ष घटकों अर्थात् बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम के रूप में तैयार की गई है। अवसंरचना के एक घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन निवल मूल्य को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है।

8. **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति):** रोजगार अवसरों से सतत सृजन हेतु परम्परागत उद्योगों को और अधिक उत्पादक, लाभदायक और सक्षम बनाने के लिए क्लस्टर आधारित विकास को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार ने समान सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना हेतु यह स्कीम प्रारम्भ की थी।

9. **कयर विकास योजना:** (i) कयर उद्योग के समग्र विकास को संवर्धित करने के लिए और इस परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय कयर बोर्ड की स्थापना की गई है। कयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान और विकास कार्यकलाप संचालित करना, नए उत्पाद और डिजाइन का विकास करना, भारत और विदेश में कयर और कयर उत्पादों के विपणन आदि शामिल हैं। यह छिलके, केयर तंतु के उत्पादकों और केयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारिता को बढ़ावा देता है और उत्पादकों तथा विनिर्माताओं आदि के लिए पारिश्रमिक प्रतिफल सुनिश्चित करता है। केयर विकास योजना के अंतर्गत; उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम सेमीनार, एक्सपोजर दौरे आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम केयर क्षेत्र में और अधिक उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए इस स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत आयोजित किए जाते है। केयर उद्योग के लिए अपेक्षित कुशल जनशक्ति के सृजन के लिए, बोर्ड उपयोगी उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रतिमाह ₹1000/- की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। महिला केयर योजना केयर उद्योग में महिला उन्मुख एक स्व-नियोजन योजना है जो सीवीवाई घटक के साथ नारियल उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों को स्व-नियोजन के अवसर प्रदान करती है। (ii) सामान्य सहायता अनुदान वेतन सहायता अनुदान: इस उप शीर्ष के तहत बजटीय आवंटन का उद्देश्य केयर बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, टीए, डीए और आकस्मिक व्यय को पूरा करना है। (iii) स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)।

10. **कयर उद्यमी योजना:** यह कार्यशील पूंजी के ₹10.00 लाख जमा एक चक्र की राशि तक की लागत वाली परियोजना के साथ केयर यूनिटों की स्थापना के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। यह परियोजना लागत के 25% से अधिक नहीं होगी कार्यशील पूंजी पर सब्सिडी हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यह स्कीम पीएसईजीपी में अमेलित कर दी गई है, तथापि, पिछले वर्ष की देयताओं को पूरा करने के लिए ब.अ. 2019-20 में ₹2.00 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

11. **खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों के लिए ऋण:** केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग केयर बोर्ड और एमजीआईआरआई के कार्मिकों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए इस उपशीर्ष के तहत बजट प्रावधान किया गया है।

12. **सोलर चरखा मिशन:** वर्ष 2016 में बिहार के नवादा जिले के खानवा गांव में सोलर चरखा संबंधी प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। इस प्रायोगिक परियोजना की सफलता के आधार पर, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऐसे 50 समूहों की स्थापना करने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस योजना के तहत लगभग एक लाख व्यक्तियों के सीधे रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत सोलर चरखा समूहों की स्थपना की योजना है जो लगभग मुख्य गांव और 8 से 10 किलोमीटर तक के दायरे वाले आस-पास के गांवों को कवर करेगी। इसके अतिरिक्त, इस समूह के लाभार्थियों की संख्या 200 से 2042 तक, अर्थात् चरखा चलाने वाले, बुनकर; सिलाई करने वाले और अन्य कुशल कारीगर होगी।

13. **नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर):** कृषि उद्योग में उद्यमिता बढ़ाने तथा नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता के संवर्धन के लिए (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम) एस्पायर नामक एक नई स्कीम दिनांक 18.03.2015 को शुरू की गई है। इस स्कीम के मुख्य घटक (क) आजीविका व्यवसाय इन्क्यूवेशन केन्द्र (एलबीआई) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेशन केन्द्र (टीबीआई) और (ग) सिडबी के तहत निधियों की निधि की स्थापना करने पर केन्द्रित है।

14. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एमएमसीपी):** पूँजीगत सब्सिडी स्कीम एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन गुणवत्ता प्रमाणन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्कता कार्यक्रम (छ: स्कीमें) अर्थात लीन विनिर्माण स्कीम, डिजाइन क्लीनिक स्कीम, डिजिटल एमएसएमई, इन्क्यूबेशन केन्द्र, बौद्धका संपदा अधिकार (आईपीआर), जैड प्रमाणन स्कीम (जैव स्कीम) में एमएसएमई को वित्तीय सहायता को कवर करता है।

15. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) स्कीमों का विलय करके 2008-09 में शुरू की गई। पीएमईजीपी का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये है।

16. **ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी):** ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम बजटीय स्रोतों से निधियों की वास्तविक आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच अंतराल को भरने के लिए बैंकिंग संस्थानों से निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मई 1977 में प्रारंभ खादी कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम के अंतर्गत संस्थाओं की अपेक्षानुसार रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। संस्था को मात्र 4 प्रतिशत भुगतान करना होता है। 4 प्रतिशत से अधिक बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा चुकाई जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) में पंजीकृत सभी खादी संस्थाएं ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीम के तहत वित्तपोषण का लाभ ले सकते हैं।

17. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम प्रचालित है और इस स्कीम के माध्यम से, नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण सीमा 100 लाख रुपए से बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दी गई है। इस निधि की कार्पस को 2500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पोर्टफोलियो जोखिम निधि (पीआरएफ) के एक और घटक में, भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के लिए निधि प्रदान करती है जिसका उपयोग एमएफआई/एनजीओ से ऋण की राशि की सुरक्षा जमा आवश्यकता के लिए किया जाता है।

18. **निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम:** इस स्कीम को इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं उदयमों को सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 40000 रूपए तक) की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसकी रेटिंग उनके कार्यनिष्पादन एवं ऋण योग्यता के लिए सूचीबद्ध प्रत्यायित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है।

19. **एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना:** एमएसएमईक संवधित ऋण के लिए ब्याज सहायता स्कीम ऐसे एमएसएमई को, जिनके पास वैध जीएसटीएन संख्या है और उद्योग आधार संख्या है, को अधिकतम ₹1 करोड़ तक के नए या वर्धित ऋण पर 2% ब्याज सहायता की पेशकश करती है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सिडबी एक नोडल एजेन्सी है। इस स्कीम का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा दोनों उद्यमों में इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य/केन्द्रीय सरकार की किसी भी स्कीम के तहत ब्याज सहायता का पहले से ही लाभ उठाने वाले एमएसएमई प्रस्तावित योजना के अधीन लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।

20. **विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए):** विपणन विकास सहायता (एमडीए) इस योजना का उद्देश्य नई बाजार पहुंच पहलों को बढ़ावा देना, जागरूकता लाना और एमएसएमई को विपणन से संबंधित विभिन्न विषयों और विपणनीयता के विकास के बारे में शिक्षित करना है। यह स्कीम डीसी (एमएसएमई) का कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, एनएसआईसी और एमएसएमई मंत्रालय के संगठन के नेटवर्क के जरिए कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम के घटक हैं (क) पूरे देश में घरेलू व्यापार मेलों /प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसएमई की भागीदारी, (ख) मंत्रालय द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में आयोजन/सहभगिता, आधुनिक पैकिंग तकनीकों में एमएसएमई का क्षमता निर्माण। विपणन हाट, विभाग, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमीनार, वेंडर कार्यक्रम विभाग, जागरूकता कार्यक्रम।

21. **विपणन सहायता स्कीम (एमएएस):** इस स्कीम को इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और अन्य विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी द्वारा घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

22. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का उददेश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और विदेशी उद्यमों के बीच भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एवं निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी समिश्रण तथा/अथवा उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण के विचार से संवर्धन करना है।

23. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान की स्थापना जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा का पुनरूद्धार करके 2001 में की गई। एमगिरी का उद्देश्य संपोषणीय और आत्मरनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था के गांधी विजन की भाँति देश में ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना तथा ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान के कार्यकलाप इसके 6 प्रभागों जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकविद करते है द्वारा किए जा रहे है।

24. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय विकास आयुक्त (सूलमउ) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम एसईएनईटी डिवीजन और कार्यालय पुस्तकालय का कार्यचालन भी इस कार्यक्रम के दायरे में आता है।

25. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** संशोधित दिशा-निर्देशों (15.10.2018 सेप्रभावी) में निम्नलिखित के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: (1) एमएसएमई मंत्रालय और राज्य स्तरीय मौजूदा ईडीआई के प्रशिक्षण संस्थान को अवसंरचनात्मक सहायता और क्षमता निर्माण में सहायता।(2) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण (कौशल विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षण)।

नई ईडीआई स्थापित करने के लिए संशोधित स्कीम के तहत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।निजी प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओ को वित्तीय सहायता हेतु इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है।

27. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि:** इसमें एमएसएमई निधि के लिए प्रावधान शामिल है।

28. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण:** सूलमउ क्लस्टर पर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निधियन के साथ अवसंरचनात्मक सहायता को भी जोड़ा गया है। महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए प्रदर्शनी वेंट्रल स्थलों की स्थापना करने में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला उद्यमियों के

सहयोग को भी सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्य घटक प्रौद्योगिकी केन्द्रो प्रणाली कार्यक्रम और सूलमउ-टीसी/टीएएस हैं। अवसंरचना सहयता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के तथा सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन ।

29. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** यह नव अनुयोजित योजना है-नए प्रौद्योगिक केन्द्रों विस्तार केन्द्रों की स्थापना, 20 नए प्रौद्योगिक केन्द्रों और 100 नए विस्तार केन्द्रों की Rs, 6000 करोड़ की अनुमानित लागत से स्थापना की जाती है।

30. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक:** 200 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक की ऋण सहायता सहित ₹2200 करोड़ की अनुमानित परियोजना से लागत अवसंरचना के तहत 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की जानी है। मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों का उन्नयन आधुनिकीकरण किया जाना है।

31. **कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय:** इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद और मौजूदा भवनों में फेरबदल/संवर्द्धन संबंधी कार्यों और नए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का प्रावधान है।

32. **डाटाबेस का उन्नयन:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत इकाइयों की संख्या, रोजगार की वृद्धि दर, जीडीपी में हिस्सा/ उत्पादन का मूल्य, रुग्णता/समापन का परिमाण और सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों के निर्यात के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और पंचवार्षिक गणना के द्वारा आंकड़े और सूचना एकत्र किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों के आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवार्ड (उद्यमी और गुणवत्ता), विज्ञापन एवं प्रचार इस कार्यक्रम के अन्य घटक हैं।

33. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** स्कीम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न पहलुओं तथा विशेषताओं पर संगत एवं विश्वसनीय आंकड़े नियमित रूप से/समय-समय पर एकत्र करना, आनुभाविक आंकड़े अथवा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सम्मुख आई बाध्यताएं तथा चुनौतियों का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, तथा नीति अनुसंधान तथा समुचित कार्यनीति तैयार करना सरकार द्वारा हस्तक्षेप के उपायों के लिए इन सर्वेक्षणों तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के परिणाम का प्रयोग करना है।

34. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब के सृजन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हब सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए केन्द्रीय सरकार लोक प्रापण (प्रोक्योरमेंट) नीति के अंतर्गत दायित्व पूरा करने के लिए अजा/अजजा उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगा, लागू व्यवसाय पद्धतियों तथा स्टैंड अप इंडिया पहल लिवरेज को स्वीकार करेगा। इस स्कीम को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। हब के कार्यों में अजा/अजजा उद्यमों एवं उद्यमियों के संबंध में सूचना का संग्रह, मिलान एवं प्रसार, कौशल प्रशिक्षण तथा ईडीपी, विक्रेता विकास के माध्यम से विद्यमान एवं भावी अजा/अजजा उद्यमियों के बीच क्षमता निर्माण शामिल हैं।

खान मंत्रालय

मांग संख्या 65

खान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1264.15	84.85	1349.00	1899.30	170.22	2069.52	1424.80	75.22	1500.02	1540.37	107.57	1647.94
वसूलियां	*-81.64*	*...*	-81.64	*-400.00*	*...*	*-400.00*	*-150.00*	*...*	*-150.00*	*-150.00*	*...*	*-150.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**1182.51**	**84.85**	**1267.36**	**1499.30**	**170.22**	**1669.52**	**1274.80**	**75.22**	**1350.02**	**1390.37**	**107.57**	**1497.94**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.39	...	32.39	43.58	...	43.58	29.96	...	29.96	33.50	...	33.50
2. भारतीय खान ब्यूरो	61.94	...	61.94	88.27	...	88.27	71.45	...	71.45	85.07	...	85.07
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	639.18	...	639.18	603.75	...	603.75	582.35	...	582.35	566.97	...	566.97
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**733.51**	**...**	**733.51**	**735.60**	**...**	**735.60**	**683.76**	**...**	**683.76**	**685.54**	**...**	**685.54**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. स्वायत्त निकायों को सहायता	24.58	...	24.58	28.49	...	28.49	23.92	...	23.92	25.26	...	25.26
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
5. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	3.50	...	3.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
6. मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**9.50**	**...**	**9.50**	**10.50**	**...**	**10.50**	**10.50**	**...**	**10.50**	**4.50**	**...**	**4.50**
अन्य												
7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां	276.69	83.85	360.54	285.72	168.40	454.12	372.80	73.40	446.20	495.10	101.40	596.50
8. भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां	39.92	1.00	40.92	38.99	1.82	40.81	33.82	1.82	35.64	29.97	6.17	36.14
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण कार्यकलाप												
9. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण	79.95	...	79.95	400.00	...	400.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
10. कार्यक्रम घटक	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
11. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि से पूरी की गई राशि	...	...	...	-400.00	...	-400.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00
जोड़-राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण कार्यकलाप	**179.95**	**...**	**179.95**	**400.00**	**...**	**400.00**	**150.00**	**...**	**150.00**	**150.00**	**...**	**150.00**
12. वास्तविक वसूली	-81.64	...	-81.64	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	**414.92**	**84.85**	**499.77**	**724.71**	**170.22**	**894.93**	**556.62**	**75.22**	**631.84**	**675.07**	**107.57**	**782.64**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**449.00**	**84.85**	**533.85**	**763.70**	**170.22**	**933.92**	**591.04**	**75.22**	**666.26**	**704.83**	**107.57**	**812.40**
कुल जोड़	***1182.51***	***84.85***	***1267.36***	***1499.30***	***170.22***	***1669.52***	***1274.80***	***75.22***	***1350.02***	***1390.37***	***107.57***	***1497.94***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1150.22	...	1150.22	1397.34	...	1397.34	1186.46	...	1186.46	1287.80	...	1287.80
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	32.29	...	32.29	43.58	...	43.58	29.96	...	29.96	33.50	...	33.50
3. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	84.85	84.85	...	167.52	167.52	...	72.52	72.52	...	103.68	103.68
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1182.51**	**84.85**	**1267.36**	**1440.92**	**167.52**	**1608.44**	**1216.42**	**72.52**	**1288.94**	**1321.30**	**103.68**	**1424.98**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	58.38	...	58.38	58.38	...	58.38	69.07	...	69.07
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	3.89	3.89
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**58.38**	**2.70**	**61.08**	**58.38**	**2.70**	**61.08**	**69.07**	**3.89**	**72.96**
कुल जोड़	**1182.51**	**84.85**	**1267.36**	**1499.30**	**170.22**	**1669.52**	**1274.80**	**75.22**	**1350.02**	**1390.37**	**107.57**	**1497.94**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	...	32.42	32.42	...	40.00	40.00	...	35.00	35.00	...	36.98	36.98
2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	...	589.81	589.81	...	400.00	400.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00
3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	...	1081.91	1081.91	...	1100.00	1100.00	...	1100.00	1100.00	...	1041.00	1041.00
4. अन्य निकाय	...	11.79	11.79	...	11.40	11.40	...	11.40	11.40	...	12.50	12.50
जोड़	**...**	**1715.93**	**1715.93**	**...**	**1551.40**	**1551.40**	**...**	**1746.40**	**1746.40**	**...**	**1690.48**	**1690.48**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु है । इसमें स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की निगरानी के प्रावधान भी शामिल है।

2. **भारतीय खान ब्यूरो:** आईबीएम के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु प्रावधान शामिल है।

3. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:** प्रावधान जीएसआई के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु है।

4. **स्वायत्त निकायों को सहायता:** विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वायत्त एवं वैज्ञानिक निकायों को सहायता अनुदान देने के प्रावधान शामिल है। तीन स्वायत्त निकायों को वेतन घटक, सूचना, शिक्षा, संचार स्कीमें एवं तीन स्वायत्त निकायों को एकबारगी अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है। इनमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के प्रावधान भी शामिल है।

5. **भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड:** प्रावधान आवश्यक सेवाओ के रखरखाव पर व्यय की पूर्ति एवं अन्य के लिए है।

6. **मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड:** सरकार द्वारा कारपोरेशन को संवर्द्धनात्मक आधार पर विनिर्दिष्ट गवेषण परियोजना सरकार द्वारा निधिबद्ध की जाती है।

7. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां:** प्रावधान अपतटीय क्षेत्रों सहित देश में भूवैज्ञानिक मानचित्रण एवं क्षेत्रीय खनिज आकलन के लिए है और इसमें सेटेलाइट चित्रण एवं हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सुदूर-संवेदन की आवश्यकताएं शामिल की गई हैं।

8. **भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां:** प्रावधान में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खानों की जांच एवं अध्ययन की आवश्यकताओं एवं अनुसंधान हेतु प्रावधान कवर किए गए है जैसे कि (i) निम्न श्रेणी अयस्क एवं खनिजों का सज्जीकरण और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विशेष खनन समस्याएं। इसमें माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम के कंप्यूट्रीकृत ऑनलाइन रजिस्टर की राशि और राज्य सरकार के क्षमता निर्माण और एनआईसी द्वारा अयस्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का विकास और कार्यान्वयन हेतु प्रावधान भी शामिल है।

10. **कार्यक्रम घटक:** राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास का गठन खान और खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9ग के तहत किया गया था। इस न्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण के प्रायोजनों से न्यास के द्वारा प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करना है। खनन पट्टे का धारक या सम्भावित लाइसेंस सह खनन पट्टा न्यास को एमएमडीआर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में अदा की गई 2 प्रतिशत रॉयल्टी के समकक्ष राशि अदा करेगा। एनएमईटी में प्रोद्भूत निधियों का उपयोग देश में क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के प्रायोजन से भारत सरकार की अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों के निधियन के लिए किया जाएगा।

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3969.31	170.00	4139.31	4534.96	165.04	4700.00	4534.96	165.04	4700.00	4639.99	60.01	4700.00
वसूलियां	*-82.13*	...	-82.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**3887.18**	**170.00**	**4057.18**	**4534.96**	**165.04**	**4700.00**	**4534.96**	**165.04**	**4700.00**	**4639.99**	**60.01**	**4700.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.80	...	17.80	19.14	...	19.14	20.01	...	20.01	21.38	...	21.38
2. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम	63.19	...	63.19	84.79	...	84.79	85.29	...	85.29	94.00	...	94.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**80.99**	**...**	**80.99**	**103.93**	**...**	**103.93**	**105.30**	**...**	**105.30**	**115.38**	**...**	**115.38**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और सुदृढ़ीकरण	13.74	...	13.74	20.10	...	20.10	20.10	...	20.10	...	...	...
4. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.66	...	20.66
5. शिक्षा सशक्तिकरण												
5.01 अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति	...	...	...	980.00	...	980.00	1269.00	...	1269.00	1100.00	...	1100.00
5.02 अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	...	...	...	692.00	...	692.00	500.00	...	500.00	530.00	...	530.00
5.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-कम-मीन स्कॉलरशिप (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट)	...	...	...	522.00	...	522.00	402.00	...	402.00	506.00	...	506.00
5.04 मौलाना आजाद अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	...	...	...	153.00	...	153.00	153.00	...	153.00	155.00	...	155.00
5.05 अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	...	...	...	74.00	...	74.00	74.00	...	74.00	125.00	...	125.00
5.06 विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	...	...	...	24.00	...	24.00	45.00	...	45.00	30.00	...	30.00
5.07 यूपीएससी, एसएससी, स्टेट लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीमिम्स को साफ़ करने वाले छात्रों के लिए सहायता	...	...	...	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
जोड़- शिक्षा सशक्तिकरण	*...*	*...*	*...*	*2453.00*	*...*	*2453.00*	*2451.00*	*...*	*2451.00*	*2456.00*	*...*	*2456.00*
6. कौशल विकास और जीवन शैली												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.01 कौशल विकास पहल	...	...	...	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
6.02 नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और जीवन शैली पहल	...	...	...	140.00	...	140.00	120.00	...	120.00	140.00	...	140.00
6.03 पारंपरिक कला / विकास के लिए शिल्प (यूएसटीटीएडी) में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन	...	...	...	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
6.04 अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना	...	...	...	15.00	...	15.00	17.00	...	17.00	21.00	...	21.00
6.05 एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता में अनुदान	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
6.06 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास विज्ञापन वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी का योगदान	...	...	...	...	165.02	165.02	...	165.03	165.03	...	60.00	60.00
जोड़- कौशल विकास और जीवन शैली	...	...	...	*437.00*	*165.02*	*602.02*	*439.00*	*165.03*	*604.03*	*463.00*	*60.00*	*523.00*
7. अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम												
7.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	...	...	...	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	60.00	...	60.00
7.02 अल्पारीयों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संरक्षण के लिए हमी धारोहर	...	...	...	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
7.03 छोटी अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट के लिए योजना	...	...	...	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़- अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम	...	...	...	*65.00*	...	*65.00*	*65.00*	...	*65.00*	*72.00*	...	*72.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**13.74**	**...**	**13.74**	**2975.10**	**165.02**	**3140.12**	**2975.10**	**165.03**	**3140.13**	**3011.66**	**60.00**	**3071.66**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	7.26	...	7.26	8.62	...	8.62	8.92	...	8.92	9.30	...	9.30
9. भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.86	...	1.86	2.32	...	2.32	1.90	...	1.90	2.30	...	2.30
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**9.12**	**...**	**9.12**	**10.94**	**...**	**10.94**	**10.82**	**...**	**10.82**	**11.60**	**...**	**11.60**
स्वायत्त निकाय												
10. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	113.00	...	113.00	125.01	...	125.01	123.76	...	123.76	70.00	...	70.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**122.12**	**...**	**122.12**	**135.95**	**...**	**135.95**	**134.58**	**...**	**134.58**	**81.60**	**...**	**81.60**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रैला कार्यक्रम												
11. शिक्षा सशक्तीकरण												
11.01 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	1108.14	...	1108.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-82.12	...	-82.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*1026.02*	...	*1026.02*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.02 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति	479.72	...	479.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11.03	पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर)	388.79	...	388.79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.04	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फैलोशिप	124.87	...	124.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.05	अल्पसंख्यकों के लिए निशुल्क कोचिंग और संबद्ध स्कीमें	45.59	...	45.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.06	विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी	17.00	...	17.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.07	यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा संचालित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता	6.18	...	6.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- शिक्षा सशक्तीकरण		*2088.17*	...	*2088.17*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.	*कौशल विकास और आजीविका*												
12.01	सीखो और कमाओ- कौशल विकास पहलें	199.80	...	199.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.02	नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल	93.73	...	93.73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.03	विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण	21.80	...	21.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.04	अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास स्कीम	15.19	...	15.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.05	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों को सहायता अनुदान	0.30	...	0.30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.06	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को इक्विटी अंशदान	...	170.00	170.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- कौशल विकास और आजीविका		*330.82*	*170.00*	*500.82*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13.	*अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम*												
13.01	अल्पसंख्यकों के लिए विकास स्कीमों का अनुसंधान/अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	50.04	...	50.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13.02	अल्पसंख्यकों संबंधी संस्कृति और धरोहर के संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए हमारी धरोहर	0.64	...	0.64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13.03	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने हेतु स्कीम	3.00	...	3.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम		*53.68*	...	*53.68*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14.	अल्पसंख्यकों का विकास- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	1197.66	...	1197.66	1319.98	0.02	1320.00	1319.98	0.01	1319.99	...	...	...
15.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1431.35	0.01	1431.36
जोड़-अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रैला कार्यक्रम		**3670.33**	**170.00**	**3840.33**	**1319.98**	**0.02**	**1320.00**	**1319.98**	**0.01**	**1319.99**	**1431.35**	**0.01**	**1431.36**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं		**3670.33**	**170.00**	**3840.33**	**1319.98**	**0.02**	**1320.00**	**1319.98**	**0.01**	**1319.99**	**1431.35**	**0.01**	**1431.36**
कुल जोड़		***3887.18***	***170.00***	***4057.18***	***4534.96***	***165.04***	***4700.00***	***4534.96***	***165.04***	***4700.00***	***4639.99***	***60.01***	***4700.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष													
सामाजिक सेवाएं													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2291.56	...	2291.56	2549.15	...	2549.15	2508.78	...	2508.78	2558.80	...	2558.80
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	375.98	...	375.98	451.29	...	451.29	494.79	...	494.79	492.56	...	492.56
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	17.80	...	17.80	19.14	...	19.14	20.01	...	20.01	21.38	...	21.38
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	170.00	170.00	...	150.03	150.03	...	150.03	150.03	...	54.01	54.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**2685.34**	**170.00**	**2855.34**	**3019.58**	**150.03**	**3169.61**	**3023.58**	**150.03**	**3173.61**	**3072.74**	**54.01**	**3126.75**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	417.43	...	417.43	417.43	...	417.43	452.15	...	452.15
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1199.96	...	1199.96	1092.50	...	1092.50	1088.50	...	1088.50	1109.64	...	1109.64
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.88	...	1.88	5.45	...	5.45	5.45	...	5.45	5.46	...	5.46
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	15.01	15.01	...	15.01	15.01	...	6.00	6.00
जोड़-अन्य	**1201.84**	**...**	**1201.84**	**1515.38**	**15.01**	**1530.39**	**1511.38**	**15.01**	**1526.39**	**1567.25**	**6.00**	**1573.25**
कुल जोड़	**3887.18**	**170.00**	**4057.18**	**4534.96**	**165.04**	**4700.00**	**4534.96**	**165.04**	**4700.00**	**4639.99**	**60.01**	**4700.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम:** यह प्रावधान भारत और सऊदी अरब में हज प्रबंधन के लिए है।

4. **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना:** कौमी वक्फ बोर्ड तारकियति योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शाहिरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीके) रिकॉर्ड्स के कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण और खाली शहरी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए और इसे व्यावसायिक आय के लिए विकसित करने के लिए इसे विकसित करने के लिए लागू किया जा रहा है। क्रमशः कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूएसआई मॉड्यूल, जीआईएस मैपिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी में डेटा एंट्री करने, वसीफ संपत्ति के जीआईएस मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंपाउंड फैसिलिटी (सीसीएफ) के रखरखाव, एसडब्ल्यूबी के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन के लिए क्यूडब्ल्यूबीटीएस के तहत वित्तीय सहायता राज्य / केंद्रशासित प्रदेश वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) को दी जाती है। SWBs में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, Muttawalli / प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार, SWB के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए कानूनी और लेखा अनुभाग को मजबूत करना।

एसडब्केल्यूएसवीवाई तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य इमारतों जैसे वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड वॉरिज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद दोनों योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

5.01. **अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

5.02. **अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा 11वीं व 12वीं स्तरों में अध्ययनों के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.एचडी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों।

5.03. **पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-कम-मीन स्कॉलरशिप (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट):** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

5.04. **मौलाना आजाद अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम॰फिल॰ तथा पी॰एचडी॰ जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम॰फिल॰ तथा पी॰एचडी॰ पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।

5.05. **अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

5.06. **विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.07. **यूपीएससी, एसएससी, स्टेट लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीमिम्स को साफ़ करने वाले छात्रों के लिए सहायता:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की समूह 'क' और 'ख' की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए। सिविल सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है जो इस समय देश में जनसंख्या में अल्पसंख्यकों के अनुपात से काफी कम है।

6.01. **कौशल विकास पहल:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को जिनके पास कोई कौशल नहीं है, को कौशल प्रदान करते हुए समग्र उन्नति के लिए शहरी और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। जिनके पास पहले ही कौशल है उनके लिए इस योजना का उद्देश्य उनके रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए उनके कौशल का उन्नयन करना और उन्हें प्रत्यय-पत्र प्रदान करना भी है, ताकि अपने उद्यमों का विस्तार करने में सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों की ऋण तक पहुंच हो सके।

6.02. **नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और जीवन शैली पहल:** योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- (i) "नई मंजिल" का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवकों को रचनात्मक तरीके से संबद्ध करना और सतत् तथा लाभप्रद रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करना है जिससे उन्हें मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ने में सुविधा हो सके। (ii) अल्पसंख्यक समुदायों से उन युवकों को प्रेरित करना जो स्कूल ड्रापआउट हैं और उन्हें 8वीं अथवा 10वीं कक्षा तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) या राज्य सरकार की अन्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से औपचारिक शिक्षा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना। (iii) बाजार संचालित कौशलों में युवकों को एकीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। (iv) प्रशिक्षित युवकों में से कम से कम 70% का ऐसी नौकरियों में प्लेसमेंट कराना जिससे उन्हें बुनियादी न्यूनतम मजदूरी मिले और उन्हें भविष्य निधि तथा ईएसआई आदि जैसी अन्य सामाजिक संरक्षण हकदारियां प्रदान करे। (v) स्वास्थ्य तथा जीवन कौशलों में जागरूकता और सुग्राहिता पैदा करना।

6.03. **पारंपरिक कला / विकास के लिए शिल्प (यूएसटीटीएडी) में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन:** हमारे देश की परंपरागत कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परंपरागत दस्तकारों/शिल्कारों के क्षमता निर्माण के लिए उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन) नामक एक नई योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना एक तरफ देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेगी तथा दूसरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ संबंध स्थापित करेगी तथा श्रमिक की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करेगी।

6.04. **अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति के लाभ वंचित महिलाओं तक पहुंचे, ऐसी महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपने घर और समुदाय के दायरे से बाहर आने में सक्षम हो सकें और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अधीन उन्हें उपलब्ध सेवाओं, कौशलों और अवसरों के आकलन में नेतृत्व की भूमिका निभा सके।

6.05. **एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता में अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सदृढ़ करने के लिए दिया जाता है।

6.06. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास विज्ञापन वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी का योगदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को शेयर पूंजी प्रदान करने और अल्पसंख्यकों के लिए नई पहल उद्यम पूंजी निधि के संचालन के लिए है।

7.01. **अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहल की जानकारी के प्रसार के लिए 15 प्वाइंट कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र सहित अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और मॉनिटर करना है और साथ ही अध्ययन के लिए गहन मल्टी मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है।

7.02. **अल्पारीयों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संरक्षण के लिए हमी धारोहर:** हमारी धरोहर नामक नई योजना भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करेगी।

7.03. **छोटी अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट के लिए योजना:** इस योजना को सहायता-अनुदान के रूप में 100% केन्द्रीय वित्त-पोषण के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना को संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों/एनजीओ/सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती जनसंख्या के रूझान को रोकना है।

8. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

9. **भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

10. **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान:** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समेकित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है। प्रतिष्ठान की योजनाएं मौजूदा संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शौक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए है।

15. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** पीएमजेवाईके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम) एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। पीएमजेवाईके का उद्देश्य विकास को संबोधित करना है, चयनित अल्पसंख्यक एकाग्रता क्षेत्रों में कमी (एमसीए यानी चिन्हित जिलों के मुख्यालय ब्लॉक / कस्बों / गांवों के समूह जो अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों की संख्या अपेक्षाकृत कम है) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यकम के रूप में कार्यान्वयन के लिए एमएसडीपी को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित किया गया है

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 67

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7405.21	51.00	7456.21	5106.23	40.40	5146.63	5106.23	40.40	5146.63	5209.83	45.00	5254.83
वसूलियां	*-3761.59*	*-50.00*	-3811.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**3643.62**	**1.00**	**3644.62**	**5106.23**	**40.40**	**5146.63**	**5106.23**	**40.40**	**5146.63**	**5209.83**	**45.00**	**5254.83**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	36.82	...	36.82	40.03	...	40.03	42.06	...	42.06	43.38	...	43.38
2. कार्यालय भवन	...	1.00	1.00	...	40.40	40.40	...	40.40	40.40	...	45.00	45.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**36.82**	**1.00**	**37.82**	**40.03**	**40.40**	**80.43**	**42.06**	**40.40**	**82.46**	**43.38**	**45.00**	**88.38**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
ग्रिड इन्टरएक्टिव अक्षय विद्युत												
3. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) में अन्तरण	3687.84	...	3687.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. पवन विद्युत	750.00	...	750.00	750.00	...	750.00	950.00	...	950.00	720.00	...	720.00
5. लघु पन बिजली	114.02	...	114.02	207.00	...	207.00	215.70	...	215.70	182.90	...	182.90
6. जैव विद्युत	13.29	...	13.29	25.00	...	25.00	8.50	...	8.50	25.00	...	25.00
7. सौर विद्युत	1001.34	...	1001.34	2045.24	...	2045.24	2157.24	...	2157.24	2479.90	...	2479.90
8. हरित ऊर्जा कॉरिडोर	499.97	...	499.97	600.00	...	600.00	500.00	...	500.00	700.00	...	700.00
9. ऊर्जा भंडारण	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
10. बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) घटक	0.45	...	0.45	7.25	...	7.25	7.25	...	7.25	40.00	...	40.00
11. ब्याज का भुगतान और बॉण्ड्स को जारी करने पर होने वाले व्यय	126.45	...	126.45	128.00	...	128.00	124.45	...	124.45	124.35	...	124.35
12. घटाएं- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से पूरी की गई राशि	-3637.84	...	-3637.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-ग्रिड इन्टरएक्टिव अक्षय विद्युत	**2555.52**	**...**	**2555.52**	**3762.50**	**...**	**3762.50**	**3963.14**	**...**	**3963.14**	**4272.15**	**...**	**4272.15**
ऑफ-ग्रिड/वितरित एवं विकेन्द्रित अक्षय विद्युत												
13. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) को अन्तरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. पवन विद्युत	4.39	...	4.39	7.43	...	7.43	4.48	...	4.48	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. लघु पन बिजली	6.39	...	6.39	11.50	...	11.50	2.80	...	2.80	8.00	...	8.00
16. जैव विद्युत	13.22	...	13.22	23.00	...	23.00	39.50	...	39.50	50.00	...	50.00
17. सौर विद्युत	888.64	...	888.64	848.50	...	848.50	812.50	...	812.50	525.00	...	525.00
18. दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
19. बायोगैस कार्यक्रम	67.69	...	67.69	135.00	...	135.00	78.00	...	78.00	100.00	...	100.00
20. कुक स्टोव सहित अन्य	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
21. अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (सौर शहर, हरित भवन, राज्यों को सहायता, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुक स्टोव आदि)	3.80	...	3.80	11.01	...	11.01	2.71	...	2.71	5.00	...	5.00
22. बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) घटक	5.97	...	5.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. ऊर्जा भंडारण	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
24. केन्द्रीय योजना स्कीमें	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
25. घटाएं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-ऑफ-ग्रिड/वितरित एवं विकेन्द्रित अक्षय विद्युत	**990.10**	**...**	**990.10**	**1036.48**	**...**	**1036.48**	**940.01**	**...**	**940.01**	**688.00**	**...**	**688.00**
अनुसंधान, विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग												
26. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) को अन्तरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27. अनुसंधान और विकास	72.92	...	72.92	94.00	...	94.00	43.00	...	43.00	60.00	...	60.00
28. ऊर्जा भंडारण	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
29. नवीन और अभिनव परियोजनाएं, राष्ट्रीय नवीन ऊर्जा और नवोन्मेष केन्द्र (एनसीएनईआई), राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा विश्वविद्यालय (एनयूआरई), विश्व ऊर्जा संग्रहालय (डब्ल्यूआरईएम)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
30. घटाएं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अनुसंधान, विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	**72.92**	**...**	**72.92**	**94.02**	**...**	**94.02**	**43.00**	**...**	**43.00**	**60.00**	**...**	**60.00**
सहायक कार्यक्रम												
31. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) में अन्तरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32. अनुश्रवण/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन	...	...	...	0.30	...	0.30	0.15	...	0.15	0.30	...	0.30
33. सूचना प्रौद्योगिकी/ई शासन और अन्य पहलें	0.06	...	0.06	0.10	...	0.10	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00
34. सूचना, शिक्षा और संचार	13.25	...	13.25	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
35. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-निवेश संवर्धन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को सहायता सहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	16.62	...	16.62	56.60	...	56.60	26.60	...	26.60	30.00	...	30.00
36. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	43.44	...	43.44	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
37. नवीन और अभिनव परियोजनाएं, राष्ट्रीय नवीन ऊर्जा और नवोन्मेष केन्द्र (एनसीएनईआई), राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा विश्वविद्यालय (एनयूआरई), विश्व ऊर्जा संग्रहालय (डब्ल्यूआरईएम)	...	...	...	0.20	...	0.20	0.02	...	0.02	...	...	...
38. घटाएं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सहायक कार्यक्रम	**73.37**	**...**	**73.37**	**132.20**	**...**	**132.20**	**97.02**	**...**	**97.02**	**111.30**	**...**	**111.30**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**3691.91**	**...**	**3691.91**	**5025.20**	**...**	**5025.20**	**5043.17**	**...**	**5043.17**	**5131.45**	**...**	**5131.45**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
39. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	23.00	...	23.00	20.00	...	20.00	...	...	...	17.00	...	17.00
40. राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
41. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	14.64	...	14.64	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	15.00	...	15.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**38.64**	**...**	**38.64**	**41.00**	**...**	**41.00**	**21.00**	**...**	**21.00**	**35.00**	**...**	**35.00**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
42. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) को अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43. भारतीय सौर ऊर्जा निगम	...	50.00	50.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44. घटाएं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से पूरी की गई राशि	...	-50.00	-50.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
अन्य												
45. अधिभुगतान की वसूली की कटौती	-123.75	...	-123.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-85.11**	**...**	**-85.11**	**41.00**	**...**	**41.00**	**21.00**	**...**	**21.00**	**35.00**	**...**	**35.00**
कुल जोड़	***3643.62***	***1.00***	***3644.62***	***5106.23***	***40.40***	***5146.63***	***5106.23***	***40.40***	***5146.63***	***5209.83***	***45.00***	***5254.83***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	3606.80	...	3606.80	4561.67	...	4561.67	4559.64	...	4559.64	4653.45	...	4653.45
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	36.82	...	36.82	40.03	...	40.03	42.06	...	42.06	43.38	...	43.38
3. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	...	1.00	1.00	...	40.40	40.40	...	40.40	40.40	...	45.00	45.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**3643.62**	**1.00**	**3644.62**	**4601.70**	**40.40**	**4642.10**	**4601.70**	**40.40**	**4642.10**	**4696.83**	**45.00**	**4741.83**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	504.53	...	504.53	504.53	...	504.53	513.00	...	513.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**504.53**	**...**	**504.53**	**504.53**	**...**	**504.53**	**513.00**	**...**	**513.00**
कुल जोड़	**3643.62**	**1.00**	**3644.62**	**5106.23**	**40.40**	**5146.63**	**5106.23**	**40.40**	**5146.63**	**5209.83**	**45.00**	**5254.83**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	...	10324.07	10324.07	...	10099.41	10099.41	...	10557.81	10557.81	...	12053.57	12053.57
2. भारतीय सौर ऊर्जा निगम	50.00	167.20	217.20	...	217.43	217.43	...	277.33	277.33	...	300.24	300.24
जोड़	**50.00**	**10491.27**	**10541.27**	**...**	**10316.84**	**10316.84**	**...**	**10835.14**	**10835.14**	**...**	**12353.81**	**12353.81**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **कार्यालय भवन:** यह प्रावधान कार्यालय भवन : अटल अक्षय ऊर्जा भवन के प्रमुख निर्माण कार्य के लिए है।

4. **पवन विद्युत:** यह राशि जीबीआई योजना, जिसे 1 अप्रैल 2017 से समाप्त कर दिया गया है, की पिछली देयता के लिए है. वर्ष 2019-20 में 4 जीडबल्यू पवन विद्युत क्षमता चालू की जाएगी।

5. **लघु पन बिजली:** पन बिजली:- राशि का उपयोग लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए किया जाएगा। वर्ष 2019-20 में 0.1 जीडबल्यू पन बिजली क्षमता चालू की जाएगी।

6. **जैव विद्युत:** जैव-विद्युत :- सीएफ़ए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2019-20 में जैव-विद्युत की 0.3जीडबल्यू क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।

7. **सौर विद्युत:** सौर विद्युत:- सीएफ़ए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2019-20 में सौर विद्युत की 7500 जीडबल्यू क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।

8. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** हरित ऊर्जा कॉरिडॉर :- सीएफ़ए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2019-20 में इंट्रा-स्टेट हरित ऊर्जा कॉरिडॉर परियोजना के अंतर्गत संचयी रूप से 6000 सीकेएम पारेषण अवसंरचना क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।

10. **बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) घटक:** 2 परियोजनाओं का संवर्धन, नामतः

(i) ग्रामीण उत्पादक उपयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि पर यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना : यूएनडीएएफ में दूरस्थ गावों में गरीबों की आजीविका में वृद्धि लाने हेतु ऊर्जा की उपलब्धता से संबन्धित परियोजना कार्यकलाप

(ii) आईजीईएन: - भारत-जर्मन द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा उपलब्धता : ग्रामीण ऊर्जा उद्यमों के लिए प्रगति करने और ऊर्जा एवं ऊर्जा उत्पादों/सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल माहौल और बाज़ार की बाधाओं को दूर करने से संबन्धित परियोजना कार्यकलाप

11. **ब्याज का भुगतान और बॉण्ड्स को जारी करने पर होने वाले व्यय:** ब्याज का भुगतान और जारी करने संबंधी व्यय:- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इरेडा द्वारा जारी किए गए/जारी किए जाने वाले बॉन्डों के लिए ब्याज का भुगतान

15. **लघु पन बिजली:** पनबिजली : धनराशि का उपयोग लंबित देयताओं का निष्पादन करने के लिए किया जाएगा।

16. **जैव विद्युत:** जैवविद्युत : सीएफ़ए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2019-20 में ऑफ-ग्रिड/वितरित जैवविद्युत की 30 मेगावॉट समतुल्य क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।

17. **सौर विद्युत:** सौर विद्युत:- ऑफग्रिड सौर पीवी कार्यक्रम के चरण 3 का कार्यान्वयन,जिसमे 3 लाख सौर स्ट्रीट लाइटोंकी संस्थापना, 25 लाख सौर स्टडी लैम्पों के वितरण और 100 मेगावॉट पीक की कुल संचयी क्षमता के सौर पावर पैक की संस्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त अजय योजना चरण 2 के अंतर्गत 3 लाख से अधिक सौर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना की जाएगी। इसके अलावा 20 मेगावॉट समतुल्य क्षमता की संकेंद्रित सौर तापीय (सीएसटी) परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।

19. **बायोगैस कार्यक्रम:** खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख बायोगैस संयन्त्रों की संस्थापना करने के लिए।

21. **अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (सौर शहर, हरित भवन, राज्यों को सहायता, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुक स्टोव आदि):** अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (राज्यों को सहायता, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग के प्रदर्शन , कुक-स्टोव आदि सहित सौर शहर, हरित भवन आदि): - राज्यों को ऊर्जा दक्षता के संवर्धन और घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा के संरक्षण और उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त ढांचें का सृजन करने हेतु सहायता प्रदान करना।

27. **अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान और विकास कार्यकलाप: -अनुसंधान और विकास परियोजनाएं निरंतर प्रकृति की होती हैं। वर्ष 2021 तक प्रतेयक वर्ष में विभिन्न अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।

32. **अनुश्रवण/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन:** निगरानी/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन :- अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मूल्यांकन और अन्य अध्ययन कार्यों का संचालन करने के लिए।

33. **सूचना प्रौद्योगिकी/ई शासन और अन्य पहलें:** सूचना प्रोद्योगिकी/ई-गवर्नेंस और अन्य पहलें:- कार्यालयों में ई-गवर्नेंस अवसंरचना के सृजन और इसके प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए।

34. **सूचना, शिक्षा और संचार:** सूचना,शिक्षा और संचार:- जनता के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, जनता एवं शिक्षण संस्थाओं को सूचना का प्रसार।

35. **अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-निवेश संवर्धन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को सहायता सहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय संबंध:- निवेश संवर्धन एवं अंतरराष्ट्रीय सौर गठ-बंधन भवन और सचिवालय स्थापना को सहायता सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

36. **मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण:** मानवसंसाधन विकास और प्रशिक्षण:- सूर्यमित्र, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा विज्ञान फैलोशिप,प्रयोगशालाओं के उन्नयन, पुस्तकालय सुविधाओं, पाठ्यक्रम मॉड्यूलोंआदि के विकास सहित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता

39. **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान:** क्षमता एवं अवसंरचना विकास के लिए स्वायत्त संस्थान को सहायता।

40. **राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान:** क्षमता एवं अवसंरचना विकास के लिए स्वायत्त संस्थान को सहायता।

41. **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान:** क्षमता एवं अवसंरचना विकास के लिए स्वायत्त संस्थान को सहायता।

पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 68

पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	700.29	...	700.29	825.17	...	825.17	716.26	...	716.26	871.37	...	871.37
वसूलियां	*-0.01*	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**700.28**	**...**	**700.28**	**825.17**	**...**	**825.17**	**716.26**	**...**	**716.26**	**871.37**	**...**	**871.37**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	18.78	...	18.78	20.17	...	20.17	23.74	...	23.74	22.42	...	22.42
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*18.77*	...	*18.77*	*20.17*	...	*20.17*	*23.74*	...	*23.74*	*22.42*	...	*22.42*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
कार्य अनुसंधान और प्रचार												
2. कार्य अनुसंधान	1.10	...	1.10	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
3. अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	2.11	...	2.11	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
4. मीडिया एवं प्रचार	9.08	...	9.08	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
जोड़-कार्य अनुसंधान और प्रचार	**12.29**	**...**	**12.29**	**18.20**	**...**	**18.20**	**17.20**	**...**	**17.20**	**18.20**	**...**	**18.20**
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)												
5. क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तिकरण अभियान (पीएसए) / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	622.41	...	622.41	720.80	...	720.80	...	...	...	...	...	...
6. ई-पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	34.00	...	34.00	46.00	...	46.00	...	...	...	...	...	...
7. ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना	12.81	...	12.81	20.00	...	20.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)	**669.22**	**...**	**669.22**	**786.80**	**...**	**786.80**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**681.51**	**...**	**681.51**	**805.00**	**...**	**805.00**	**17.20**	**...**	**17.20**	**18.20**	**...**	**18.20**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)												
8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	...	...	...	...	...	...	622.41	...	622.41	771.25	...	771.25
9. पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	...	...	...	...	...	...	41.00	...	41.00	44.00	...	44.00
10. ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना	...	...	...	...	...	...	11.91	...	11.91	15.50	...	15.50
जोड़-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**675.32**	**...**	**675.32**	**830.75**	**...**	**830.75**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**675.32**	**...**	**675.32**	**830.75**	**...**	**830.75**
कुल जोड़	***700.28***	***...***	***700.28***	***825.17***	***...***	***825.17***	***716.26***	***...***	***716.26***	***871.37***	***...***	***871.37***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	681.51	...	681.51	724.50	...	724.50	83.96	...	83.96	99.70	...	99.70
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	18.77	...	18.77	20.17	...	20.17	23.74	...	23.74	22.42	...	22.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**700.28**	**...**	**700.28**	**744.67**	**...**	**744.67**	**107.70**	**...**	**107.70**	**122.12**	**...**	**122.12**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	80.50	...	80.50	69.25	...	69.25	84.90	...	84.90
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	539.27	...	539.27	664.31	...	664.31
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**80.50**	**...**	**80.50**	**608.56**	**...**	**608.56**	**749.25**	**...**	**749.25**
कुल जोड़	**700.28**	**...**	**700.28**	**825.17**	**...**	**825.17**	**716.26**	**...**	**716.26**	**871.37**	**...**	**871.37**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **कार्य अनुसंधान:** पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं, मुख्य रूप से इसे बेहतर नीति निर्माण के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने, के बारे में कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्रों एवं मूल्यांकन में विशेषीकृत अनुभव वाले शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. **अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** प्रावधान स्थानीय गवर्नेंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के लिए है।

4. **मीडिया एवं प्रचार:** मीडिया और प्रचार योजना का उद्देश्य पंचायती राज और इसके कार्यक्रमों के बारे में पक्ष समर्थन और प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, समकालीन और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से बेहतर और अधिक प्रभावी संवाद करना है, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर पंचायतों का क्षमता निर्माण करना उनके प्रदर्शन को बढ़ाना है। मंत्रालय ग्रामीण लोगों और अन्य हितधारकों के बीच प्रासंगिक सूचनाओं के प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया और जनसंवाद के पारंपरिक रूपों के माध्यम से प्रयास कर रहा है। मीडिया गतिविधियों का उद्देश्य पीआरआई की भूमिका से संबंधित मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे उनके पक्ष में उनकी प्रभावशीलता और पक्ष समर्थन बढ़े।

8. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान:** वर्ष 2016-17 के माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के संदर्भ में सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21/04/2018 को मंजूरी दे दी। योजना में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए पीआरआई को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण और 117 आंकांक्षी जिलों में पीआरआई को मजबूत करने पर जोर दिया गया। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24.04.2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना को 01.04.2018 से 31.03.2022 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना का कुल परिव्यय 7255.50 करोड़ रूपए है जिसमें राज्य का हिस्सा 2755.50 करोड़ रूपए और केंद्रीय शेयर 4500.00 करोड़ रुपए होगा। यह योजना भाग IX क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक फैली / विस्तारित है, जिसमें लगभग 2.48 लाख ग्राम पंचायतें और गैर-स्थानीय IX क्षेत्रों में जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं, वहां की

ग्रामीण स्थानीय शासन के संस्था शामिल हैं । राज्य घटक के लिए निधि साझाकरण का प्रारूप पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर 60:40 के अनुपात में है। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र और राज्य साझाकरण 90:10 के अनुपात में है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय हिस्सा 100% है।

9. **पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण:** पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) वर्ष 2011-12 से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करता आ रहा है जो पंचायतों और ग्राम सभाओं और पंचायत को मॉडल बनाने के लिए विशेष प्रयास करने वाले प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करती हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को मामूली संशोधनों के साथ फिर से तैयार किया गया है और यह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के केंद्रीय घटकों में से एक है। पुरस्कार हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं।

10. **ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना:** ई-पंचायत के तहत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों के आंतरिक स्वचालन और देश की सभी पंचायतों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण को सक्षम बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे नियोजन, बजटन , कार्यान्वयन, लेखा, निगरानी, सोशल ऑडिट और नागरिक सेवाओं के वितरण जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, आदि के मुद्दो का समाधान के लिए अनुप्रयोगों का एक सूइट विकसित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 69

संसदीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	17.11	...	17.11	18.86	...	18.86	18.51	...	18.51	19.38	...	19.38
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**17.11**	**...**	**17.11**	**18.86**	**...**	**18.86**	**18.51**	**...**	**18.51**	**19.38**	**...**	**19.38**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.11	...	17.11	18.86	...	18.86	18.51	...	18.51	19.38	...	19.38
कुल जोड़	***17.11***	***...***	***17.11***	***18.86***	***...***	***18.86***	***18.51***	***...***	***18.51***	***19.38***	***...***	***19.38***
ख. विकासात्मकशीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	17.11	...	17.11	18.86	...	18.86	18.51	...	18.51	19.38	...	19.38
जोड़-सामान्य सेवाएं	**17.11**	**...**	**17.11**	**18.86**	**...**	**18.86**	**18.51**	**...**	**18.51**	**19.38**	**...**	**19.38**
कुल जोड़	**17.11**	**...**	**17.11**	**18.86**	**...**	**18.86**	**18.51**	**...**	**18.51**	**19.38**	**...**	**19.38**

1. **सचिवालय:** यह मांग संसद सदस्यों के सचिवालय स्टाफ के वेतन इत्यादि, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल हेतु व्यय, पारस्परिक आधार पर विदेशी संसदीय प्रतिनिधियों की भारत यात्रा, युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन, राज्यों/संघ राज्य क्ष्ेात्रों में ई-विधान के कार्यान्वयन एवं अन्य व्यय की व्यवस्था के लिए है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 70

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1422.69	109.88	1532.57	1442.97	84.03	1527.00	1439.29	107.71	1547.00	1488.20	141.39	1629.59
वसूलियां	*-0.84*	...	-0.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1421.85**	**109.88**	**1531.73**	**1442.97**	**84.03**	**1527.00**	**1439.29**	**107.71**	**1547.00**	**1488.20**	**141.39**	**1629.59**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	113.40	...	113.40	137.32	...	137.32	126.45	...	126.45	144.01	...	144.01
2. संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	622.78	53.43	676.21	642.26	56.12	698.38	697.72	81.21	778.93	697.85	79.42	777.27
2.02 कर्मचारी चयन आयोग	348.12	0.08	348.20	286.12	0.01	286.13	227.11	...	227.11	239.97	...	239.97
2.03 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	100.49	1.88	102.37	106.86	5.00	111.86	110.73	5.00	115.73	114.21	5.25	119.46
2.04 प्रशिक्षण प्रभाग, आईएसटीएम और एलबीएसएनएए	60.20	...	60.20	75.32	...	75.32	76.18	...	76.18	79.06	...	79.06
2.05 सीआईसी और पीईएसबी	32.47	...	32.47	26.54	...	26.54	29.27	...	29.27	30.26	...	30.26
2.06 लोकपाल	...	...	...	3.79	0.50	4.29	...	...	...	3.79	0.50	4.29
जोड़- संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	*1164.06*	*55.39*	*1219.45*	*1140.89*	*61.63*	*1202.52*	*1141.01*	*86.21*	*1227.22*	*1165.14*	*85.17*	*1250.31*
3. एआईएस अधिकारियों को ऋण	...	11.22	11.22	...	1.65	1.65	...	0.75	0.75	...	1.65	1.65
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1277.46**	**66.61**	**1344.07**	**1278.21**	**63.28**	**1341.49**	**1267.46**	**86.96**	**1354.42**	**1309.15**	**86.82**	**1395.97**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. प्रशिक्षण योजनाएं	93.37	19.31	112.68	98.00	18.75	116.75	99.83	18.75	118.58	108.00	54.57	162.57
5. प्रशासनिक सुधार और पेंशनभोगी स्कीम	29.98	...	29.98	36.00	...	36.00	35.75	...	35.75	37.50	...	37.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**123.35**	**19.31**	**142.66**	**134.00**	**18.75**	**152.75**	**135.58**	**18.75**	**154.33**	**145.50**	**54.57**	**200.07**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. आईआईपीए और एनसीजीजी	15.35	...	15.35	19.25	...	19.25	25.00	...	25.00	22.25	...	22.25
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय	...	...	...	4.85	...	4.85	4.25	...	4.25	4.05	...	4.05
जोड़-स्वायत्त निकाय	**15.35**	**...**	**15.35**	**24.10**	**...**	**24.10**	**29.25**	**...**	**29.25**	**26.30**	**...**	**26.30**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
8. सीआईसी और आरटीआई	6.53	23.96	30.49	6.66	2.00	8.66	7.00	2.00	9.00	7.25	...	7.25
9. वास्तविक वसूलियां	-0.84	...	-0.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**5.69**	**23.96**	**29.65**	**6.66**	**2.00**	**8.66**	**7.00**	**2.00**	**9.00**	**7.25**	**...**	**7.25**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**21.04**	**23.96**	**45.00**	**30.76**	**2.00**	**32.76**	**36.25**	**2.00**	**38.25**	**33.55**	**...**	**33.55**
कुल जोड़	***1421.85***	***109.88***	***1531.73***	***1442.97***	***84.03***	***1527.00***	***1439.29***	***107.71***	***1547.00***	***1488.20***	***141.39***	***1629.59***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	100.49	...	100.49	106.86	...	106.86	110.73	...	110.73	114.21	...	114.21
2. लोक सेवा आयोग	348.12	...	348.12	286.12	...	286.12	227.11	...	227.11	239.97	...	239.97
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	112.59	...	112.59	142.17	...	142.17	130.70	...	130.70	148.06	...	148.06
4. पुलिस	622.75	...	622.75	642.26	...	642.26	697.72	...	697.72	697.85	...	697.85
5. सतर्कता	...	...	...	3.79	...	3.79	...	...	...	3.79	...	3.79
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	237.90	...	237.90	261.77	...	261.77	273.03	...	273.03	284.32	...	284.32
7. पुलिस पर पूंजी परिव्यय	...	53.43	53.43	...	56.12	56.12	...	81.21	81.21	...	79.42	79.42
8. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	45.23	45.23	...	26.26	26.26	...	25.75	25.75	...	60.32	60.32
जोड़-सामान्य सेवाएं	**1421.85**	**98.66**	**1520.51**	**1442.97**	**82.38**	**1525.35**	**1439.29**	**106.96**	**1546.25**	**1488.20**	**139.74**	**1627.94**
अन्य												
9. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	11.22	11.22	...	1.65	1.65	...	0.75	0.75	...	1.65	1.65
जोड़-अन्य	**...**	**11.22**	**11.22**	**...**	**1.65**	**1.65**	**...**	**0.75**	**0.75**	**...**	**1.65**	**1.65**
कुल जोड़	**1421.85**	**109.88**	**1531.73**	**1442.97**	**84.03**	**1527.00**	**1439.29**	**107.71**	**1547.00**	**1488.20**	**141.39**	**1629.59**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के व्यय हेतु है :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियम एवं विनियम बनाने/व्याख्या करने; भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति; सिविल सेवाओं के पदों के सभी स्तरों/ग्रेडों हेतु प्रवेशन, प्रशिक्षण और पुनश्चर्चा कार्यक्रम; केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, करिअर और जनशक्ति योजना, सतर्कता, अनुशासन और कल्याण संबंधी गतिविधियों; भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच-पड़ताल और अभियोजन; सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण संबंधी कार्य सौंपा गया है। इस प्रावधान में निवासी कल्याण संघों तथा संस्कृति विद्यालय को सहायता अनुदान शामिल है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से जुड़ी शिकायतों सहित, प्रशासनिक सुधार, ओ. एण्ड एम. तथा नीति, केन्द्र सरकार एजेंसियों से संबंधित समन्वय और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामले, सिविल सेवा दिवस, प्रधानमंत्री पुरस्कार, मुख्य सचिवों का सम्मेलन इत्यादि के आयोजन कार्य सौंपे गए हैं।

(ग) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों के छुटपुट लाभ इत्यादि सहित सेवानिवृति लाभों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।

2.01. **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो:** यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, फर्मों तथा गंभीर अपराध के अन्य मामलों के अन्वेषण और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं फारेंसिक सपोर्ट यूनिटों की स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण

ब्यूरो की शाखाओं के लिए कार्यालय/आवास परिसरों का निर्माण, सीबीआई शाखाओं/कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण आदि जैसी विभिन्न स्कीमों हेतु प्रावधान भी शामिल है।

2.02. **कर्मचारी चयन आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि में निचली श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षाओं के संचालन पर व्यय सहित कर्मचारी चयन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.03. **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण:** यह प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है, जिसे केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायत निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण का प्रावधान भी शामिल है।

2.04. **प्रशिक्षण प्रभाग, आईएसटीएम और एलबीएसएनएए:** इस प्रावधान में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की स्थापना से संबंधित व्यय शामिल है। ये संस्थान कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें आधारिक (फाउण्डेशन) पाठ्यक्रम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, करिअर मध्य प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं ताकि सभी स्तरों/ग्रेडों के सचिवालयीय पदधारियों को नवीनतम नियमावली तथा विनियमावली, अभिरूचि आदि की पर्याप्त जानकारी दी जा सके। केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा के कार्मिकों, जिन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति विचार के लिए पूर्व शर्त के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान में अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है, के घरेलू/विदेशी यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क आदि पर होने वाले व्यय को भी इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीकृत रूप में शामिल किया गया है।

2.05. **सीआईसी और पीईएसबी:** यह प्रावधान लोक उद्यम चयन बोर्ड और केन्द्रीय सूचना आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.06. **लोकपाल:** यह प्रावधान लोकपाल की स्थापना और निर्माण से संबंधित भारित व्यय के लिए है।

3. **एआईएस अधिकारियों को ऋण:** यह प्रावधान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अदा किए गए भवन निर्माण अग्रिम निर्माण हेतु राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के लिए है।

4. **प्रशिक्षण योजनाएं:** इसमें सभी के लिए प्रशिक्षण, विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधियन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन, सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि जैसी प्रशिक्षण स्कीमों हेतु प्रावधान भी शामिल हैं।

5. **प्रशासनिक सुधार और पेंशनभोगी स्कीम:** इसमें सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की स्कीम, प्रशासनिक सुधारों पर प्रायोगिक परियोजनाओं, जिनमें सुशासन को बढ़ावा देना, सफलता से सीखना, सेवोत्तम आदि शामिल हैं, की स्कीम के प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें पेंशन विभाग की स्कीम "पेंशनभोगियों के पोर्टल" हेतु अबंटन भी शामिल है।

6. **आईआईपीए और एनसीजीजी:** इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान हेतु योजना और स्थापना से संबंधित प्रावधान और राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र की स्थापना हेतु योजनागत प्रावधान भी शामिल है।

7. **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय:** इस प्रावधान में गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृति और खेल बोर्ड को की जानी वाली अनुदान सहायता शामिल है।

8. **सीआईसी और आरटीआई:** इसमें केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर सीआईसी योजना जैसी स्कीमों के लिए प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें डाक डिजिटलीकरण हेतु सीआईसी आबंटन, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सुविधाओं की स्थापना, सूचना का अधिकार पर प्रचार सामग्री की तैयारी, कॉल सेन्टर की स्थापना और केन्द्रीय सूचना आयोग के पारदर्शी और जवाबदेही अध्ययन के लिए विंग की स्थापना भी शामिल है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की योजना - सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार के संबंध में निधियों का आबंटन भी किया गया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

सं 71 (विनियोग)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	31.03	...	31.03	32.61	...	32.61	34.00	...	34.00	35.55	...	35.55
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**31.03**	**...**	**31.03**	**32.61**	**...**	**32.61**	**34.00**	**...**	**34.00**	**35.55**	**...**	**35.55**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. केंद्रीय सतर्कता आयोग	31.03	...	31.03	32.61	...	32.61	34.00	...	34.00	35.55	...	35.55
कुल जोड़	***31.03***	***...***	***31.03***	***32.61***	***...***	***32.61***	***34.00***	***...***	***34.00***	***35.55***	***...***	***35.55***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सतर्कता	31.03	...	31.03	32.61	...	32.61	34.00	...	34.00	35.55	...	35.55
जोड़-सामान्य सेवाएं	**31.03**	**...**	**31.03**	**32.61**	**...**	**32.61**	**34.00**	**...**	**34.00**	**35.55**	**...**	**35.55**
कुल जोड़	**31.03**	**...**	**31.03**	**32.61**	**...**	**32.61**	**34.00**	**...**	**34.00**	**35.55**	**...**	**35.55**

1. **केंद्रीय सतर्कता आयोग:** यह प्रावधान केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिवालय व्यय हेतु है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मांग संख्या 72

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	32061.10	1131.01	33192.11	27391.55	3709.00	31100.55	31670.34	2251.18	33921.52	42440.78	1667.31	44108.09
वसूलियां	*-0.05*	*...*	-0.05	*...*	*...*	*...*	*-1206.60*	*...*	*-1206.60*	*-1206.60*	*...*	*-1206.60*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*-250.18*	*-250.18*	*...*	*...*	*...*
निवल	**32061.05**	**1131.01**	**33192.06**	**27391.55**	**3709.00**	**31100.55**	**30463.74**	**2001.00**	**32464.74**	**41234.18**	**1667.31**	**42901.49**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.59	...	32.59	32.45	...	32.45	33.80	...	33.80	35.13	...	35.13
	-0.05	...	-0.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*32.54*	*...*	*32.54*	*32.45*	*...*	*32.45*	*33.80*	*...*	*33.80*	*35.13*	*...*	*35.13*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान	7004.67	...	7004.67	2325.51	...	2325.51	4255.00	...	4255.00	1954.00	...	1954.00
कार्यनीतिक तेल भंडार												
3. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण 2 (कंदराओं का निर्माण)	...	...	...	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
4. कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	...	1121.28	1121.28	...	700.00	700.00	...	700.00	700.00	...	1.00	1.00
5. स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व (ओ एंड एम) लिए आईएसपीआरएल को भुगतान	19.93	...	19.93	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	120.00	...	120.00
जोड़-कार्यनीतिक तेल भंडार	**19.93**	**1121.28**	**1141.21**	**80.00**	**701.00**	**781.00**	**80.00**	**701.00**	**781.00**	**120.00**	**2.00**	**122.00**
रिफाइनरी और संरक्षण												
6. प्रधान मंत्री जी-वीएएन योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	37.87	...	37.87
7. राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-रिफाइनरी और संरक्षण	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**38.87**	**...**	**38.87**
एलपीजी राजसहायता												
8. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	13097.13	...	13097.13	16477.80	...	16477.80	16477.80	...	16477.80	29500.00	...	29500.00
9. गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	2251.81	...	2251.81	3200.00	...	3200.00	3200.00	...	3200.00	2724.00	...	2724.00
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहित अन्य सब्सिडी देय	282.40	...	282.40	608.00	...	608.00	513.38	...	513.38	674.00	...	674.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. परियोजना प्रबंधन व्यय	25.00	...	25.00	92.00	...	92.00	92.00	...	92.00	91.00	...	91.00
जोड़-एलपीजी राजसहायता	**15656.34**	**...**	**15656.34**	**20377.80**	**...**	**20377.80**	**20283.18**	**...**	**20283.18**	**32989.00**	**...**	**32989.00**
मिट्टी तेल राजसहायता												
12. मिट्टी तेल वितरण सुधारों के लिए नकद प्रोत्साहन	105.63	...	105.63	254.00	...	254.00	254.00	...	254.00	257.00	...	257.00
13. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	34.25	...	34.25	96.00	...	96.00	96.00	...	96.00	168.00	...	168.00
14. कम वसूली (अन्य सब्सिडी देय)	8661.87	...	8661.87	4200.00	...	4200.00	4200.00	...	4200.00	4058.00	...	4058.00
15. पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण के लिए संस्थागत व्यवस्था करने हेतु राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	2.40	...	2.40	5.00	...	5.00	...	...	...	6.00	...	6.00
जोड़-मिट्टी तेल राजसहायता	**8804.15**	**...**	**8804.15**	**4555.00**	**...**	**4555.00**	**4550.00**	**...**	**4550.00**	**4489.00**	**...**	**4489.00**
16. फूलपुर धामरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना												
16.01 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण	...	...	...	...	...	...	1206.60	...	1206.60	1206.60	...	1206.60
16.02 कार्यक्रम घटक	400.00	...	400.00	...	1674.00	1674.00	1206.60	...	1206.60	1552.11	...	1552.11
16.03 घटाएं-केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	-1206.60	...	-1206.60	-1206.60	...	-1206.60
निवल	*400.00*	*...*	*400.00*	*...*	*1674.00*	*1674.00*	*1206.60*	*...*	*1206.60*	*1552.11*	*...*	*1552.11*
17. राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम	...	9.73	9.73	...	1300.00	1300.00	...	1300.00	1300.00	...	1623.26	1623.26
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**31885.09**	**1131.01**	**33016.10**	**27338.31**	**3675.00**	**31013.31**	**30374.78**	**2001.00**	**32375.78**	**41142.98**	**1625.26**	**42768.24**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
18. पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड	18.34	...	18.34	18.37	...	18.37	28.72	...	28.72	19.66	...	19.66
19. भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान	1.00	...	1.00	...	32.00	32.00	24.00	...	24.00	31.82	...	31.82
20. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	121.75	...	121.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी	2.33	...	2.33	2.42	...	2.42	2.42	...	2.42	2.59	...	2.59
22. ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, असम	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
23. ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
24. राजीव गांधी पेट्रोलियम एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
25. ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बंगलौर की स्थापना	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**143.42**	**...**	**143.42**	**20.79**	**34.00**	**54.79**	**55.16**	**...**	**55.16**	**56.07**	**...**	**56.07**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
26. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा बोनस शेयरों का निर्गमन	...	...	...	...	...	...	...	250.18	250.18	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	-250.18	-250.18	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27. बिएको लॉरी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42.05	42.05

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**42.05**	**42.05**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**143.42**	**...**	**143.42**	**20.79**	**34.00**	**54.79**	**55.16**	**...**	**55.16**	**56.07**	**42.05**	**98.12**
कुल जोड़	***32061.05***	***1131.01***	***33192.06***	***27391.55***	***3709.00***	***31100.55***	***30463.74***	***2001.00***	***32464.74***	***41234.18***	***1667.31***	***42901.49***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. पेट्रोलियम	24915.81	...	24915.81	24774.59	...	24774.59	25920.94	...	25920.94	38982.05	...	38982.05
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	32.54	...	32.54	32.45	...	32.45	33.80	...	33.80	35.13	...	35.13
3. पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	...	1131.01	1131.01	...	3709.00	3709.00	...	2001.00	2001.00	...	1667.31	1667.31
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**24948.35**	**1131.01**	**26079.36**	**24807.04**	**3709.00**	**28516.04**	**25954.74**	**2001.00**	**27955.74**	**39017.18**	**1667.31**	**40684.49**
अन्य												
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7112.07	...	7112.07	2581.51	...	2581.51	4507.00	...	4507.00	2213.00	...	2213.00
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.63	...	0.63	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
जोड़-अन्य	**7112.70**	**...**	**7112.70**	**2584.51**	**...**	**2584.51**	**4509.00**	**...**	**4509.00**	**2217.00**	**...**	**2217.00**
कुल जोड़	**32061.05**	**1131.01**	**33192.06**	**27391.55**	**3709.00**	**31100.55**	**30463.74**	**2001.00**	**32464.74**	**41234.18**	**1667.31**	**42901.49**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
एचआईएल भारत लिमिटेड												
1. ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	...	72901.58	72901.58	...	32077.12	32077.12	...	33006.90	33006.90	...	32920.85	32920.85
2. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	3565.54	3565.54	...	4592.00	4592.00	...	5656.55	5656.55	...	5061.78	5061.78
3. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	...	8.57	8.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	1788.12	1788.12	...	800.00	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00	800.00
5. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	2239.19	2239.19	...	409.04	409.04	...	3152.02	3152.02	...	1008.38	1008.38
6. ऑयल इंडिया लिमिटेड	...	8154.44	8154.44	...	4299.99	4299.99	...	3848.61	3848.61	...	4105.20	4105.20
7. ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन विदेश लिमिटेड	...	6797.98	6797.98	...	5886.00	5886.00	...	6111.00	6111.00	...	5161.00	5161.00
जोड़-एचआईएल भारत लिमिटेड	**...**	**95455.41**	**95455.41**	**...**	**48064.15**	**48064.15**	**...**	**52575.08**	**52575.08**	**...**	**49057.21**	**49057.21**
हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड												
8. इंडियन ऑयल कारपोरशन लिमिटेड	...	16421.96	16421.96	...	20331.16	20331.16	...	20922.77	20922.77	...	22237.62	22237.62

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
9. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	...	7201.15	7201.15	...	8425.00	8425.00	...	8425.00	8425.00	...	9500.00	9500.00
10. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	6454.30	6454.30	...	4900.00	4900.00	...	5200.00	5200.00	...	5275.00	5275.00
11. चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	...	1020.32	1020.32	...	1010.00	1010.00	...	1190.00	1190.00	...	1105.00	1105.00
12. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	...	419.93	419.93	...	428.00	428.00	...	403.00	403.00	...	455.00	455.00
13. मंगलौर रिफायनरीज एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	...	1275.93	1275.93	...	744.00	744.00	...	995.00	995.00	...	818.00	818.00
जोड़-हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	**...**	**32793.59**	**32793.59**	**...**	**35838.16**	**35838.16**	**...**	**37135.77**	**37135.77**	**...**	**39390.62**	**39390.62**
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड												
14. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	2796.05	2796.05	...	2122.14	2122.14	...	1507.51	1507.51	...	1837.52	1837.52
15. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	114.92	114.92	...	130.00	130.00	...	245.45	245.45	...	277.22	277.22
16. मंगलौर रिफायनरीज एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	...	5.38	5.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	...	83.18	83.18	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	40.00	40.00
18. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	755.34	755.34	...	1700.00	1700.00	...	1400.00	1400.00	...	1825.00	1825.00
जोड़-हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	**...**	**3754.87**	**3754.87**	**...**	**4077.14**	**4077.14**	**...**	**3277.96**	**3277.96**	**...**	**3979.74**	**3979.74**
अन्य सहकारी समितियों को उधार												
19. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	...	...	...	...	1355.64	1355.64	...	1449.24	1449.24	...	1211.73	1211.73
जोड़-अन्य सहकारी समितियों को उधार	**...**	**...**	**...**	**...**	**1355.64**	**1355.64**	**...**	**1449.24**	**1449.24**	**...**	**1211.73**	**1211.73**
जोड़	**...**	**132003.88**	**132003.88**	**...**	**89335.09**	**89335.09**	**...**	**94438.05**	**94438.05**	**...**	**93639.30**	**93639.30**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान:** कच्चे तेल पर उत्पायदन हिस्सेदारी संविदा के अनुसार दरों और अधिसूचित रॉयल्टी के बीच का अंतर है, का संबंधित राज्य सरकारों को ब्लॉक के लिए भुगतान।

3. **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण 2 (कंदराओं का निर्माण):** चरण II के अंतर्गत स्थानों पर 12.5 एमएमटी की कुल क्षमता वाले कैवर्नस का निर्माण।

4. **कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान:** भारत की तेल सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, इंडियन स्ट्रे टजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में भूमिगत रॉक कैवर्नस में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता का कार्यनीतिक कच्चा तेल भंडार,का निर्माण किया जा रहा है। कंदरा को कच्चे तेल से भरने का प्रावधान है।

5. **स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व (ओ एंड एम) लिए आईएसपीआरएल को भुगतान:** विशाखापत्तनम, मंगलोर और पाडुर में कैवर्नस के प्रचालन और रखरखाव लागत का भुगतान।

6. **प्रधान मंत्री जी-वीएएन योजना:** प्रधानमंत्री जी-वन योजना इग्नो-सेलूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक पर आधारित एकीकृत जैव एथेनोल परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए है।

7. **राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि:** राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि की परिकल्पना, जून, 2008 में अधिसूचित राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि-2018 में की गई है। जैव ईंधन पहलों के सहायतार्थ इस निधि को पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सृजति किए जाने का प्रस्ताव है।

8. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत उपभोक्ता को एलपीजी नकद सब्सिडी के सीधे अंतरण के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भुगतान।

9. **गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन:** गरीब परिवारों को मिट्टी के तेल, कोयला, ईंधन की लकड़ी, गोबर, फसलों के अवशेषों, आदि के रूप में जीवाश्म ईंधन से एक स्वच्छ ईंधन का विकल्पर चुनने के लिए प्रोत्साेहित करने हेतु बीपीएल गरीब

परिवारों को सहायता देने की योजना। गरीब परिवारों को नये कनेक्शन प्रदान करते समय, सुविधारहित राज्यों और क्षेत्रों विशेषकर देश के पूर्वी भागों को वरीयता दी जाएगी।

10. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहित अन्य सब्सिडी देय:** यह प्रावधान पिछले सालों / योजनाओं की बकाया राशि (माल ढुलाई सब्सिडी और एलपीजी और पीडीएस के लिए मिट्टी के तेल पर सब्सिडी) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र इत्यादि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु सब्सिडी के लिए तेल कंपनियों को भुगतान।

11. **परियोजना प्रबंधन व्यय:** पहल (डीबीटी) एलपीजी योजना के तहत नकद सब्सिडी का सीधे अंतरण के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए तेल विपणन कंपनियों को भुगतान।

12. **मिट्टी तेल वितरण सुधारों के लिए नकद प्रोत्साहन:** मिट्टी के तेल में डीबीटी लागू करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान।

13. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** मिट्टी के तेल के लिए डीबीटी लागू करने हेतु एक प्रावधान जिसके अंतर्गत सब्सिडी की राशि को सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

14. **कम वसूली (अन्य सब्सिडी देय):** पीडीएस मिट्टी के तेल की बिक्री पर पिछले वर्षों / पिछली योजनाओं (माल ढुलाई सब्सिडी और एलपीजी और पीडीएस के लिए मिट्टी के तेल पर सब्सिडी) की सब्सिडी के बकायों, कम वसूली के लिए किया गया प्रावधान।

15. **पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण के लिए संस्थागत व्यवस्था करने हेतु राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता:** इस योजना का उद्देश्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा बेचे जाने वाले सब्सिडी-रहित कीमत पर पीडीएस मिट्टी तेल खरीदने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा यथाचिहिन्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए डीकेओ के पात्र उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी का सीधे अंतरण करना है।

16. **फूलपुर धामरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना:** पीडीएचपीएल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड के साथ जोड़ेगी। यह एक महत्वपूर्ण गैस अवसंरचना है जो इन आर्थिक रूप से पिछड़ें राज्यों के औद्योगीकरण को सुगम करेगी।

17. **राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम:** मंत्रालय ने भारत के इन सभी भूकंप संभावित बेसिन का 2डी सर्वेक्षण कराने के लिए एक योजना तैयार की है जिनके बारे में कोई भी मामूली आंकड़े उपलब्ध हैं। ओएनजीसी और ओआईएफ ने सर्वेक्षण कार्य पहले ही शुरु कर दिया है और वर्ष 2019-20 तक इसे पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। 48243 एलकेएम 2डी भूकंप संबंधी आंकड़ों के अर्जन, प्रोसेसिंग और व्याख्यात्मक कार्य ₹2932.99 करोड़ की लागत पर किया जाएगा।

18. **पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड:** पेट्रोलियम विनियामक सरकार द्वारा दिनांक 3.4.2006 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 को अधिसूचित किया गया था और उसके बाद, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पाउदन को छोड़कर, शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को विनियमित करने के लिए इस बोर्ड को गठित कर दिया गया है, ताकि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों में शामिल उपभोक्ताओं और निकायों के हित की रक्षा की जा सके।

19. **भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान:** आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रावधान है।

21. **पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी:** यह प्रावधान ईंधन के परीक्षण के लिए पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी हेतु है।

24. **राजीव गांधी पेट्रोलियम एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना:** असम में बुनियादी अनुसंधान सहित ऊर्जा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है।

25. **ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बंगलौर की स्थापना:** बेंगलुरू में बुनियादी अनुसंधान सहित ऊर्जा के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है।

27. **बिएको लॉरी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण:** बायको लॉरी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण: ब्याज मुक्त ऋण और बाद में उक्त ऋण को इक्विटी में बदलने के रूप में भारत सरकार द्वारा रु. 42.05 करोड़ का बजटीय समर्थन।

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 73

योजना मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	258.57	0.38	258.95	338.97	0.68	339.65	485.83	0.68	486.51	362.71	0.69	363.40
वसूलियां	*-0.80*	...	-0.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**257.77**	**0.38**	**258.15**	**338.97**	**0.68**	**339.65**	**485.83**	**0.68**	**486.51**	**362.71**	**0.69**	**363.40**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	67.42	...	67.42	72.85	...	72.85	71.20	...	71.20	74.31	...	74.31
2. विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय	11.39	...	11.39	18.00	...	18.00	10.31	...	10.31	11.00	...	11.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**78.81**	**...**	**78.81**	**90.85**	**...**	**90.85**	**81.51**	**...**	**81.51**	**85.31**	**...**	**85.31**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम)	139.32	...	139.32	200.00	...	200.00	335.00	...	335.00	203.74	...	203.74
4. नए कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. चालू कार्यक्रम और स्कीमें	31.53	0.38	31.91	39.12	0.68	39.80	60.32	0.68	61.00	64.31	0.69	65.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**170.85**	**0.38**	**171.23**	**239.12**	**0.68**	**239.80**	**395.32**	**0.68**	**396.00**	**268.05**	**0.69**	**268.74**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान	8.91	...	8.91	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.35	...	9.35
अन्य												
7. वास्तविक वसूलियां	-0.80	...	-0.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**8.11**	**...**	**8.11**	**9.00**	**...**	**9.00**	**9.00**	**...**	**9.00**	**9.35**	**...**	**9.35**
कुल जोड़	***257.77***	***0.38***	***258.15***	***338.97***	***0.68***	***339.65***	***485.83***	***0.68***	***486.51***	***362.71***	***0.69***	***363.40***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	66.86	...	66.86	72.85	...	72.85	71.20	...	71.20	74.31	...	74.31
2. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	190.91	...	190.91	266.12	...	266.12	414.63	...	414.63	288.40	...	288.40
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	...	0.38	0.38	...	0.68	0.68	...	0.68	0.68	...	0.69	0.69
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**257.77**	**0.38**	**258.15**	**338.97**	**0.68**	**339.65**	**485.83**	**0.68**	**486.51**	**362.71**	**0.69**	**363.40**
कुल जोड़	**257.77**	**0.38**	**258.15**	**338.97**	**0.68**	**339.65**	**485.83**	**0.68**	**486.51**	**362.71**	**0.69**	**363.40**

1. **सचिवालय:** नीति आयोग सहित सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान करता है।

2. **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय:** विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के व्यय हेतु प्रावधान करता है।

3. **स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम):** अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) शिक्षाविदों, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करने वाला नवोन्मेष प्रोत्साहन मंच होगा और यह भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाएगा। एआईएम अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौती कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्रों का सृजन करेगा। स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु) विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-बहुल क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं और स्वरोजगार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्यो-वित्तीय, इनक्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम होगा।

5. **चालू कार्यक्रम और स्कीमें:** पूर्ववर्ती योजना आयोग के चालू कार्यक्रम और स्कीमों जैसे कि कार्यालय प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय अंशदान, अनुसंधान और अध्ययन, योजना निर्माण मूल्यांकन और समीक्षा, असमानताओं को कम करने के संबंध में मानव विकास हेतु यूएनडीपी सहायता तथा यूएनडीपी सहायता-प्राप्त परियोजना "विकेंद्रीकृत आयोजना हेतु क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण" के संबंध में व्यय के लिए प्रावधान करता है।

6. **राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान:** राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के संबंध में सहायता-अनुदान का प्रावधान करना।

विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 74

विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	13076.96	1940.95	15017.91	13434.97	2334.95	15769.92	16998.69	3063.50	20062.19	18774.62	3547.65	22322.27
वसूलियां	*-1042.91*	*...*	-1042.91	*-599.50*	*-123.50*	*-723.00*	*-3449.50*	*-987.50*	*-4437.00*	*-5481.65*	*-965.80*	*-6447.45*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**12034.05**	**1940.95**	**13975.00**	**12835.47**	**2211.45**	**15046.92**	**13549.19**	**2076.00**	**15625.19**	**13292.97**	**2581.85**	**15874.82**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	38.54	...	38.54	43.15	...	43.15	45.40	...	45.40	48.39	...	48.39
	-0.45	...	-0.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*38.09*	*...*	*38.09*	*43.15*	*...*	*43.15*	*45.40*	*...*	*45.40*	*48.39*	*...*	*48.39*
2. सांविधिक प्राधिकारी												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	112.83	0.83	113.66	117.14	...	117.14	118.22	...	118.22	122.15	...	122.15
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए जेईआरसी की स्थापना	5.75	...	5.75	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	9.35	...	9.35
2.03 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	17.00	...	17.00	15.75	...	15.75	15.75	...	15.75	17.14	...	17.14
2.04 सीईआरसी निधि	42.15	...	42.15	55.50	...	55.50	55.50	...	55.50	66.50	...	66.50
2.05 घटाएं:- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	-42.15	...	-42.15	-55.50	...	-55.50	-55.50	...	-55.50	-66.50	...	-66.50
निवल	*135.58*	*0.83*	*136.41*	*141.39*	*...*	*141.39*	*142.47*	*...*	*142.47*	*148.64*	*...*	*148.64*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**173.67**	**0.83**	**174.50**	**184.54**	**...**	**184.54**	**187.87**	**...**	**187.87**	**197.03**	**...**	**197.03**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता												
3. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
3.01 ऊर्जा सरंक्षण	37.00	...	37.00	55.00	...	55.00	27.00	...	27.00	110.00	...	110.00
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना												
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	5049.97	...	5049.97	3800.00	...	3800.00	3800.00	...	3800.00	4066.00	...	4066.00
5. सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य	1463.95	...	1463.95	2750.00	...	2750.00	2750.00	...	2750.00	...	...	...
जोड़-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	**6513.92**	**...**	**6513.92**	**6550.00**	**...**	**6550.00**	**6550.00**	**...**	**6550.00**	**4066.00**	**...**	**4066.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
एकीकृत विद्युत विकास योजना												
6. एकीकृत विद्युत विकास योजना												
6.01 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण	...	...	...	...	...	...	2850.00	900.00	3750.00	4380.45	900.00	5280.45
6.02 आईपीडीएस अनुदान	2848.87	...	2848.87	3085.00	...	3085.00	2850.00	...	2850.00	4380.45	...	4380.45
6.03 आईपीडीएस ऋण	...	962.12	962.12	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00
6.04 सहज बिजली हर घर योजना (शहरी)-सौभाग्य	89.38	...	89.38	950.00	...	950.00	119.35	...	119.35	...	...	...
6.05 पुरस्कार योजना सौभाग्य	...	...	...	...	...	...	100.46	...	100.46	...	...	...
6.06 घटाएं- केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	-2850.00	-900.00	-3750.00	-4380.45	-900.00	-5280.45
निवल	*2938.25*	*962.12*	*3900.37*	*4035.00*	*900.00*	*4935.00*	*3069.81*	*900.00*	*3969.81*	*4380.45*	*900.00*	*5280.45*
पावर सिस्टम्स का सुदृढ़ीकरण												
7. पावर सिस्टम्स का सुदृढ़ीकरण												
7.01 स्मार्ट ग्रिड	3.07	...	3.07	5.50	...	5.50	4.42	...	4.42	5.50	...	5.50
7.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	...	...	...	10.00	10.00	...	105.00	105.00	...	75.00	75.00
7.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
7.04 डिस्कॉम के कर्ज पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
7.05 कारगिल के माध्यम से श्रीनगर से लेह दौ सौ बीस केवी ट्रांसमिशन लाइन	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	319.21	319.21
7.06 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक)	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	582.50	...	582.50	313.50	...	313.50
7.07 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (ईएपी घटक)	187.50	...	187.50	187.50	...	187.50	700.00	...	700.00	256.50	...	256.50
7.08 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	800.00	...	800.00	595.42	...	595.42
7.09 वास्तविक वसूली	-0.31	...	-0.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*660.26*	*500.00*	*1160.26*	*663.01*	*510.00*	*1173.01*	*2161.92*	*605.00*	*2766.92*	*1245.92*	*394.21*	*1640.13*
पावर सिस्टम डेवलेपमेंट फंड												
8. पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
8.01 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड को अंतरण	1000.00	...	1000.00	544.00	...	544.00	544.00	...	544.00	1034.70	...	1034.70
8.02 पावर सिस्टम के विकास के लिए योजना	772.41	...	772.41	544.00	...	544.00	544.00	...	544.00	582.08	...	582.08
8.03 गैस आधारित उत्पादन क्षमता का उपयोग	227.59	...	227.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.04 ऋण पर ब्याज का भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	452.62	...	452.62
8.05 घटाएं- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से प्राप्त राशि	-1000.00	...	-1000.00	-544.00	...	-544.00	-544.00	...	-544.00	-1034.70	...	-1034.70
निवल	*1000.00*	*...*	*1000.00*	*544.00*	*...*	*544.00*	*544.00*	*...*	*544.00*	*1034.70*	*...*	*1034.70*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**11149.43**	**1462.12**	**12611.55**	**11847.01**	**1410.00**	**13257.01**	**12352.73**	**1505.00**	**13857.73**	**10837.07**	**1294.21**	**12131.28**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
स्वायत्त निकाय												
9. प्रशिक्षण और अनुसंधान												
9.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	50.36	...	50.36	150.00	...	150.00	94.34	...	94.34	200.00	...	200.00
9.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	57.20	...	57.20	100.55	...	100.55	100.55	...	100.55	69.00	...	69.00
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान	*107.56*	*...*	*107.56*	*250.55*	*...*	*250.55*	*194.89*	*...*	*194.89*	*269.00*	*...*	*269.00*
10. संरक्षण और ऊर्जा दक्षता												
10.01 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कार्यक्रम घटक)	27.00	...	27.00	100.16	...	100.16	10.49	...	10.49	100.16	...	100.16
10.02 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ईएपी घटक)	...	...	...	3.21	...	3.21	3.21	...	3.21	3.21	...	3.21
जोड़- संरक्षण और ऊर्जा दक्षता	*27.00*	*...*	*27.00*	*103.37*	*...*	*103.37*	*13.70*	*...*	*13.70*	*103.37*	*...*	*103.37*
जोड़-स्वायत्त निकाय	**134.56**	**...**	**134.56**	**353.92**	**...**	**353.92**	**208.59**	**...**	**208.59**	**372.37**	**...**	**372.37**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. सीपीएसयू को सहायता												
11.01 नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	350.00	350.00	...	482.00	482.00	...	482.00	482.00	...	554.64	554.64
11.02 टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी)	...	32.00	32.00	...	52.00	52.00	...	28.00	28.00	...	49.00	49.00
11.03 नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको)	...	96.00	96.00	...	267.45	267.45	...	61.00	61.00	...	684.00	684.00
11.04 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रोपावर हेतु केंद्रीय सहायता	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	351.78	...	351.78
11.05 भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांड जारी व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड)	376.39	...	376.39	350.00	...	350.00	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40
11.06 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवा प्रदत्त बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड)	...	...	...	...	...	...	323.60	...	323.60	1158.31	...	1158.31
11.07 एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- सीपीएसयू को सहायता	*576.39*	*478.00*	*1054.39*	*450.00*	*801.45*	*1251.45*	*800.00*	*571.00*	*1371.00*	*1886.50*	*1287.64*	*3174.14*
12. एनटीपीसी के लिए कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण												
12.01 कोयला असर क्षेत्रों का अधिग्रहण	...	...	...	...	123.50	123.50	...	87.50	87.50	...	65.80	65.80
12.02 कम वसूली	...	...	...	...	-123.50	-123.50	...	-87.50	-87.50	...	-65.80	-65.80
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**576.39**	**478.00**	**1054.39**	**450.00**	**801.45**	**1251.45**	**800.00**	**571.00**	**1371.00**	**1886.50**	**1287.64**	**3174.14**
अन्य												
13. वास्तविक वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**710.95**	**478.00**	**1188.95**	**803.92**	**801.45**	**1605.37**	**1008.59**	**571.00**	**1579.59**	**2258.87**	**1287.64**	**3546.51**
कुल जोड़	***12034.05***	***1940.95***	***13975.00***	***12835.47***	***2211.45***	***15046.92***	***13549.19***	***2076.00***	***15625.19***	***13292.97***	***2581.85***	***15874.82***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. विद्युत	11995.96	...	11995.96	11452.32	...	11452.32	10763.79	...	10763.79	11671.66	...	11671.66
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	38.09	...	38.09	43.15	...	43.15	45.40	...	45.40	48.39	...	48.39
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	628.83	628.83	...	562.00	562.00	...	633.00	633.00	...	443.21	443.21
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	1312.12	1312.12	...	1292.00	1292.00	...	1292.00	1292.00	...	1364.64	1364.64
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**12034.05**	**1940.95**	**13975.00**	**11495.47**	**1854.00**	**13349.47**	**10809.19**	**1925.00**	**12734.19**	**11720.05**	**1807.85**	**13527.90**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1340.00	...	1340.00	2740.00	...	2740.00	1572.92	...	1572.92
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	267.45	267.45	...	61.00	61.00	...	684.00	684.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	...	...	...	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1340.00**	**357.45**	**1697.45**	**2740.00**	**151.00**	**2891.00**	**1572.92**	**774.00**	**2346.92**
कुल जोड़	**12034.05**	**1940.95**	**13975.00**	**12835.47**	**2211.45**	**15046.92**	**13549.19**	**2076.00**	**15625.19**	**13292.97**	**2581.85**	**15874.82**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	...	24133.61	24133.61	...	22300.00	22300.00	...	22300.00	22300.00	...	20000.00	20000.00
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	350.00	2372.48	2722.48	482.00	2257.86	2739.86	482.00	2095.40	2577.40	554.64	3251.36	3806.00
3. दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड	...	784.96	784.96	...	1605.64	1605.64	...	1514.38	1514.38	...	1835.26	1835.26
4. उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	96.00	1355.76	1451.76	267.45	121.79	389.24	61.00	...	61.00	684.00	...	684.00
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	334.38	334.38	...	935.00	935.00	...	935.00	935.00	...	1550.00	1550.00
6. टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	32.00	674.82	706.82	52.00	1248.37	1300.37	28.00	839.18	867.18	49.00	1408.55	1457.55
7. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	25791.00	25791.00	...	25000.00	25000.00	...	28487.53	28487.53	...	15000.00	15000.00
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जुटाया गया ईबीआर	...	4000.00	4000.00	...	...	...	...	15000.00	15000.00	...	...	...
9. विद्युत वित्त निगम	...	...	...	...	...	...	...	2017.23	2017.23	...	...	...
जोड़	**478.00**	**59447.01**	**59925.01**	**801.45**	**53468.66**	**54270.11**	**571.00**	**73188.72**	**73759.72**	**1287.64**	**43045.17**	**44332.81**

1. **सचिवालय:** विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए है।

2.01. **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों, सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ ही साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए जेईआरसी की स्थापना:** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाएगा।

2.03. **बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण:** विद्युत अधिनियम,2003 के तहत, केन्द्रीय सरकार ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या समुचित आयोगों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन, एपटेल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपीलीय न्यायाधिकरण है।

2.04. **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग पूर्ववर्ती:** सीईआरसी एक विद्यमान विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसके पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 अन्यथा को निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी रहा। सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के अलावा जनरेटिंग कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, अगर ऐसी सृजनशील कंपनियां दर्ज हों या अन्यथा अंतरराज्यीय संचरण और व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान करने और राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के टैरिफ सहित अंतर-राज्य संचरण को विनियमित करने के लिए, एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए समग्र योजना। बिजली नीति और टैरिफ नीति शामिल है।

3.01. **ऊर्जा सरंक्षण:** इस निधि का उपयोग (1) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरुकता लाने के लिए निधियों का उपयोग। (2) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने हेतु।(3) नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिसिएंशी(एनएमईई) को कार्यान्वित करने और (4) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु भी निधि का उपयोग किया जाएगा। (5) संचालन, प्रोजेक्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में मेधावी प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए एमओपी द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने वाले स्टेशनों, संचरण और वितरण उपयोगिता और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाएगा।

4. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:** भारत सरकार ने एक नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है जिसका उद्देश्य (क) कृषि और गैर-कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग में डिस्कॉमों की सुविधा के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन और (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण करना है। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में फीडर पृथक्करण, नए सब-स्टेशन बनाना, माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क का प्रावधान, एचटी/एलटी लाइनें, सब-स्टेशनों का संवर्द्धन और सभी स्तरों पर मीटरिंग शामिल है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉमों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया है।

5. **सहज बिजली हर घर योजना- ग्रामीण सौभाग्य:** भारत सरकार ने प्रधान मंत्री साहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू किया है। इस योजना में 31 मार्च, 201 9 तक ग्रामीण इलाकों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में 'सहज' अर्थात सरल / आसान / अनियमित और हर घर ', और सार्वभौमिक कवरेज की अंतर्निहित विशेषताएं हैं। किसी भी भेदभाव के बिना किसी भी गिनती पर आर्थिक स्थिति, स्थान, जाति और धर्म आदि। इस योजना के तहत, गांवों / गांवों के गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन; अपेक्षित प्रलेखन सहित, एक मोबाइल ऐप के उपयोग के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत होगा और कनेक्शन को मौके पर जारी किया जाएगा।

6. **एकीकृत विद्युत विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24x7 घंटे विद्युत की आपूर्ति, एटी एंड सी हानियों में कमी और सभी घरों को विद्युत पहुँच उपलब्ध कराना है। स्कीम में तीन मुख्य घटक अर्थात शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुधार, मीटरिंग और चालू आर-एपीडीआरपी योजना जिसे आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, के अंतर्गत वितरण क्षेत्र में आईटी को सक्षम बनाना शामिल है, आर-एपीडीआरपी में दो मुख्य घटक हैं। भाग क में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊर्जा लेखा तथा परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य बेसलाइन एटी एंड सी हानि स्तरों को अंतिम रूप देने वाली लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरूआत हेतु परियोजनाएं शामिल हैं। भाग ख में हानि स्तर में कमी लाने वाले वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण निवेशों पर विचार किया जाता है। इस योजना में अनुदान और ऋण घटक दोनों हैं।

6.01. **केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण:** इस योजना के तहत धनराशि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की जाती है।

6.02. **आईपीडीएस अनुदान:** एक विशेष समय सीमा के भीतर योजना के तहत गतिविधियों को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी के माध्यम से उपयोगिता को दिया जाता है।

6.03. **आईपीडीएस ऋण:** नोडल एजेंसी के माध्यम से गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोगिताओं को ऋण दिया गया है, जो कार्यक्रम के सफल समापन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।

6.04. **सहज बिजली हर घर योजना (शहरी)-सौभाग्य:** भारत सरकार ने प्रधान मंत्री साहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की है। इस योजना में 31 मार्च, 201 9 तक शहरी इलाकों में गरीब परिवारों के लिए शेष सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में 'सहज' अर्थात सरल / आसान / अनियमित और हर घर की अंतर्निहित विशेषताएं हैं I, ई सार्वभौमिक कवरेज किसी भी भेदभाव के बिना किसी भी गिनती पर आर्थिक स्थिति, स्थान, जाति और धर्म आदि। इस योजना के तहत, गांवों / गांवों के गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन; अपेक्षित प्रलेखन सहित, एक मोबाइल ऐप के उपयोग के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत होगा और कनेक्शन को मौके पर जारी किया जाएगा।

7.01. **स्मार्ट ग्रिड:** इस स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन बिन्दु से उपभोग बिन्दु तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार की कमी सुनिश्चित कर सकती है।

7.02. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड केसाथ एकीकरण करने का प्रस्ताव है।

7.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी स्कीमों (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है।

7.04. **डिस्कॉम के कर्ज पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता:** यह स्कीम राज्य डिस्कॉम में उलटफेर करने और उनकी दीर्घावधिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार और अनुमोदित की गई है। इस स्कीम में केन्द्रीय सरकार से पारगमन वित्तीय तंत्र के जरिए सहायता से उनकेे ऋण की पुनर्संचना करके वित्तीय उलटफेर हासिल करने के लिए राज्य डिस्कॉम और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

7.05. **कारगिल के माध्यम से श्रीनगर से लेह दौ सौ बीस केवी ट्रांसमिशन लाइन:** यह प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) में एलुस्टांग (श्रीनगर) से लेह (बरास्ता द्रास, कारगिल एवं खलस्ती 220/66 पीजीसीआईएल उपकेंद्र) तक 220 केवी पारेषण प्रणाली के निर्माण तथा द्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह उपकेंद्रों के लिए 66 पीजीसीआईएल अंतर संयोजन प्रणाली के निर्माण के लिए है।

7.06. **पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक):** विश्व बैंक छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड के लिए उक्त नई परियोजना के लिए वित्त पोषण करेगा (डीईए तथा योजना आयोग के परामर्श पर, संवेदनशील सीमा क्षेत्रों अर्थात अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की परियोजनाओं को विश्व बैंक के वित्त पोषण से अलग रखा गया था)। अतः सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश की अंतः-राज्य पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अलग कर दिया गया है।

7.08. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की व्यापक स्कीम की संकल्पना की जा चुकी हैं।

8. **पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड:** स्कीम में अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (गैस घटक) से विद्युत खरीदकर डिस्कॉमों के लिए सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

9.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता हैऔर परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और घटकों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

9.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र केविभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

10. **संरक्षण और ऊर्जा दक्षता:** बीईई को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपस्करों का मानकीकरण और लेबलीकरण, कृषि अथवा नगरपालिका ओं में मांग पक्ष प्रबंधन, उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रियाकी शुरूआत सहित एसएमई तथा बड़े उद्योग, एसडीए, डिस्कॉम इत्यादि का क्षमता निर्माण सरकार द्वारा की गई इन पहलों से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ेगी और ऊर्जा खपत की वृद्धि दर कम होगी।

11.01. **नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड:** एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना सन् 1975 में केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित, दक्ष और किफायती निष्पादन एवं प्रचालन को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। एनएचपीसी भारत सरकार की अनुसूची क (मिनी रत्न) का एक उद्यम है। पूंजी परिव्यय चटक हाडइ्रोपावर/नीमू बाज्जो हेतु निधियों की अंशत: पूर्ति करने के लिए है।

11.02. **टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी):** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इक्विटी की हिस्सेदारी 3:1 के अनुपात में है। कंपनी को भागीरथी घाटी में 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर काम्प्लेक्स तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिये जुलाई 1988,में निगमित किया गया था। पूंजी परिव्यय विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रोपावर पर व्यय को अंशत: पूरा करने के लिए है।

11.03. **नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको), जो कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 1976 को स्थापित अनुसूची 'क' मिनिरत्न कम्पनी है, का उद्देश्य विद्युत परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास तथा चालू करने के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेषबल देते हुए भारत और विदेश में विद्युत क्षमता का विकास करना है। इससे देश के समग्र विकास और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।यह पूंजीगत परिव्यय आवश्यकताओं के अनुसार कामेंग हाइड्रोपावर पर होने वाले व्यय को कुछ हद तक पूरा करने के लिए है।

11.04. **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल डुल हाइड्रोपावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधानमंत्री जम्मू एवं कश्मीर विकास पैकेज 2015 का भाग है। सहायता चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पकलदुल परियोजना के लिए है।

11.05. **भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांड जारी व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** पीएफसी द्वारा अवसंरचना बांड पर देय ब्याज, बांड जारी करने और संबंधित खर्चों के लिए अपेक्षित है।

11.06. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवा प्रदत्त बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 15000 करोड़ रुपये ईबीआर के कारण ब्याज भुगतान जुटाए गए।

11.07. **एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के संबंध में पुरस्कार के वितरण के लिए है।

12. **एनटीपीसी के लिए कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण:** एनटीपीसी के लिए कोयला असर वाले क्षेत्रों के अधिग्रहण पर एनटीपीसी से रिकवरी के माध्यम से मुलाकात के रूप में आवंटन बजट तटस्थ है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

सं 75 (विनियोग)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	54.41	...	54.41	60.05	...	60.05	60.47	...	60.47	63.78	...	63.78
वसूलियां	*-0.52*	...	-0.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**53.89**	**...**	**53.89**	**60.05**	**...**	**60.05**	**60.47**	**...**	**60.47**	**63.78**	**...**	**63.78**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. राष्ट्रपति	0.18	...	0.18	0.60	...	0.60	1.51	...	1.51	0.60	...	0.60
2. सचिवालय	19.68	...	19.68	22.00	...	22.00	23.38	...	23.38	25.82	...	25.82
3. अन्य व्यय	34.55	...	34.55	37.45	...	37.45	35.58	...	35.58	37.36	...	37.36
4. वास्तविक वसूलियां	-0.52	...	-0.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**53.89**	**...**	**53.89**	**60.05**	**...**	**60.05**	**60.47**	**...**	**60.47**	**63.78**	**...**	**63.78**
कुल जोड़	***53.89***	***...***	***53.89***	***60.05***	***...***	***60.05***	***60.47***	***...***	***60.47***	***63.78***	***...***	***63.78***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	53.89	...	53.89	60.05	...	60.05	60.47	...	60.47	63.78	...	63.78
जोड़-सामान्य सेवाएं	**53.89**	**...**	**53.89**	**60.05**	**...**	**60.05**	**60.47**	**...**	**60.47**	**63.78**	**...**	**63.78**
कुल जोड़	**53.89**	**...**	**53.89**	**60.05**	**...**	**60.05**	**60.47**	**...**	**60.47**	**63.78**	**...**	**63.78**

1. **राष्ट्रपति:** भारत के माननीय राष्ट्रपति के संबंध में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान करता है।

2. **सचिवालय:** सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान करता है।

3. **अन्य व्यय:** स्टाफ के वेतन पे माननीय राष्ट्रपति के घरेलू संस्थापना से संबंधित व्यय का प्रावधान करता है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 76

लोक सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	579.89	...	579.89	774.97	...	774.97	795.07	...	795.07	809.13	...	809.13
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**579.89**	**...**	**579.89**	**774.97**	**...**	**774.97**	**795.07**	**...**	**795.07**	**809.13**	**...**	**809.13**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	1.08	...	1.08	1.15	...	1.15	1.37	...	1.37	1.30	...	1.30
2. सदस्य	254.88	...	254.88	300.90	...	300.90	302.90	...	302.90	311.44	...	311.44
3. सचिवालय	322.38	...	322.38	470.95	...	470.95	488.63	...	488.63	493.62	...	493.62
4. सचिवालय (चीफ व्हीहप)	0.21	...	0.21	0.27	...	0.27	0.37	...	0.37	0.27	...	0.27
5. अन्य व्यय	1.34	...	1.34	1.70	...	1.70	1.80	...	1.80	2.50	...	2.50
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**579.89**	**...**	**579.89**	**774.97**	**...**	**774.97**	**795.07**	**...**	**795.07**	**809.13**	**...**	**809.13**
कुल जोड़	***579.89***	***...***	***579.89***	***774.97***	***...***	***774.97***	***795.07***	***...***	***795.07***	***809.13***	***...***	***809.13***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	579.89	...	579.89	774.97	...	774.97	795.07	...	795.07	809.13	...	809.13
जोड़-सामान्य सेवाएं	**579.89**	**...**	**579.89**	**774.97**	**...**	**774.97**	**795.07**	**...**	**795.07**	**809.13**	**...**	**809.13**
कुल जोड़	**579.89**	**...**	**579.89**	**774.97**	**...**	**774.97**	**795.07**	**...**	**795.07**	**809.13**	**...**	**809.13**

1. **अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष:** यह प्रावधान लोक सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय प्रावधान, अन्य सुविधाओं संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के कारण व्यय शामिल हैं।

3. **सचिवालय:** इसमें स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों और संसद भवन में संचालित रेलवे कैंटीन के लिए सब्सिडी और लोकसभा टेलीवीजन चैनल से संबंधित सहायता अनुदान और व्यय का प्रावधान है।

4. **सचिवालय (चीफ व्हीहप):** मुख्य सचेतकों के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों का प्रावधान है।

5. **अन्य व्यय:** अंतर-संसदीय संघ और राष्ट्र मण्डल संसदीय एसोसिएशन की वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए अंशदान और माननीय अध्यक्ष के विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 77

राज्य सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	368.50	...	368.50	387.94	...	387.94	436.28	...	436.28	401.04	...	401.04
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**368.50**	**...**	**368.50**	**387.94**	**...**	**387.94**	**436.28**	**...**	**436.28**	**401.04**	**...**	**401.04**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सभापति तथा उपसभापति	0.89	...	0.89	1.22	...	1.22	2.35	...	2.35	1.52	...	1.52
2. विपक्ष के नेता और सचिवालय	1.68	...	1.68	1.95	...	1.95	2.56	...	2.56	2.28	...	2.28
3. सदस्य	115.03	...	115.03	124.11	...	124.11	123.60	...	123.60	133.91	...	133.91
4. सचिवालय	250.19	...	250.19	259.70	...	259.70	307.25	...	307.25	262.59	...	262.59
5. मान्यता प्राप्त पार्टियों एवं दलों के नेता, उप-नेता एवं मुख्य सचेतक का सचिवालय	0.10	...	0.10	0.25	...	0.25	0.24	...	0.24	0.23	...	0.23
6. अन्य व्यय	0.61	...	0.61	0.71	...	0.71	0.28	...	0.28	0.51	...	0.51
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**368.50**	**...**	**368.50**	**387.94**	**...**	**387.94**	**436.28**	**...**	**436.28**	**401.04**	**...**	**401.04**
कुल जोड़	***368.50***	***...***	***368.50***	***387.94***	***...***	***387.94***	***436.28***	***...***	***436.28***	***401.04***	***...***	***401.04***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	368.50	...	368.50	387.94	...	387.94	436.28	...	436.28	401.04	...	401.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	**368.50**	**...**	**368.50**	**387.94**	**...**	**387.94**	**436.28**	**...**	**436.28**	**401.04**	**...**	**401.04**
कुल जोड़	**368.50**	**...**	**368.50**	**387.94**	**...**	**387.94**	**436.28**	**...**	**436.28**	**401.04**	**...**	**401.04**

1. **सभापति तथा उपसभापति:** यह प्रावधान राज्य सभा सचिवालय में सभापति और उप-सभापति के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **विपक्ष के नेता और सचिवालय:** यह प्रावधान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

3. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय, उनकी सुविधाओं के लिए व्यय, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के लिए व्यय शामिल है और राज्यसभा सचिवालय में संसद अध्ययन पीठ (चेयर इन पार्लियामेंट स्टडीज) की स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है।

4. **सचिवालय:** इसमें अधिकारियों एवं स्टाफ के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों, स्थापना प्रभारों (कैंटीन), राज्य सभा टेलीवीजन चैनल से संबंधित व्यय और प्रशिक्षण कार्यक्रमों संबंधी व्यय का प्रावधान है ।

5. **मान्यता प्राप्त पार्टियों एवं दलों के नेता, उप-नेता एवं मुख्य सचेतक का सचिवालय:** यह प्रावधान मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेताओं, उपनेताओं एवं मुख्य सचेतकों को सचिवालय सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए निजी सचिवों के वेतन और भत्तों से संबंधित है ।

6. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान परामर्शदात्री समिति की बैठकों के संबंध में संसद सदस्यों की घरेलू यात्राओं से संबंधित व्यय और पीठासीन अधीकारी के विवेकाधीन अनुदानों की व्यवस्था के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 78

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6.55	...	6.55	5.57	...	5.57	6.47	...	6.47	6.98	...	6.98
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**6.55**	**...**	**6.55**	**5.57**	**...**	**5.57**	**6.47**	**...**	**6.47**	**6.98**	**...**	**6.98**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	6.55	...	6.55	5.49	...	5.49	6.42	...	6.42	6.90	...	6.90
2. अन्य	...	...	...	0.08	...	0.08	0.05	...	0.05	0.08	...	0.08
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**6.55**	**...**	**6.55**	**5.57**	**...**	**5.57**	**6.47**	**...**	**6.47**	**6.98**	**...**	**6.98**
कुल जोड़	***6.55***	***...***	***6.55***	***5.57***	***...***	***5.57***	***6.47***	***...***	***6.47***	***6.98***	***...***	***6.98***
ख. विकासात्मकशीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	6.55	...	6.55	5.57	...	5.57	6.47	...	6.47	6.98	...	6.98
जोड़-सामान्य सेवाएं	**6.55**	**...**	**6.55**	**5.57**	**...**	**5.57**	**6.47**	**...**	**6.47**	**6.98**	**...**	**6.98**
कुल जोड़	**6.55**	**...**	**6.55**	**5.57**	**...**	**5.57**	**6.47**	**...**	**6.47**	**6.98**	**...**	**6.98**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और आकस्मिक व्यय सहित उपराष्ट्रपति के सचिवालय के अधिकारियों और स्टॉफ पर व्यय की व्यवस्था के लिए है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मांग सं.77 से प्रदान किया जाता है ।

2. **अन्य:** यह प्रावधान उपराष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान पर व्यय के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

सं 79 (विनियोग)

संघ लोक सेवा आयोग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	240.99	...	240.99	297.61	...	297.61	280.75	...	280.75	298.45	...	298.45
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**240.99**	**...**	**240.99**	**297.61**	**...**	**297.61**	**280.75**	**...**	**280.75**	**298.45**	**...**	**298.45**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. प्रशासनिक व्यय	125.64	...	125.64	137.40	...	137.40	134.13	...	134.13	141.98	...	141.98
2. परीक्षा एवम् चयन	115.35	...	115.35	160.21	...	160.21	146.62	...	146.62	156.47	...	156.47
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**240.99**	**...**	**240.99**	**297.61**	**...**	**297.61**	**280.75**	**...**	**280.75**	**298.45**	**...**	**298.45**
कुल जोड़	***240.99***	***...***	***240.99***	***297.61***	***...***	***297.61***	***280.75***	***...***	***280.75***	***298.45***	***...***	***298.45***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक सेवा आयोग	240.99	...	240.99	297.61	...	297.61	280.75	...	280.75	298.45	...	298.45
जोड़-सामान्य सेवाएं	**240.99**	**...**	**240.99**	**297.61**	**...**	**297.61**	**280.75**	**...**	**280.75**	**298.45**	**...**	**298.45**
कुल जोड़	**240.99**	**...**	**240.99**	**297.61**	**...**	**297.61**	**280.75**	**...**	**280.75**	**298.45**	**...**	**298.45**

1. **प्रशासनिक व्यय:** इसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा स्थापना के वेतन एवं भत्तों पर व्यय एवं प्रशासनिक व्यय का प्रावधान है।

2. **परीक्षा एवम् चयन:** इसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, भर्ती परीक्षा और चयन के संबंध में व्यय का प्रावधान है।

रेल मंत्रालय

मांग संख्या 80

रेल मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	229302.96	152255.85	381558.81	253099.01	193270.77	446369.78	249851.01	191095.48	440946.49	272705.68	224662.91	497368.59
वसूलियां	*-48559.52*	*-108838.30*	*-157397.82*	*-49981.01*	*-140210.77*	*-190191.78*	*-50562.01*	*-138035.48*	*-188597.49*	*-53589.01*	*-160075.91*	*-213664.92*
प्राप्तियां	*-178929.64*	*...*	*-178929.64*	*-201090.00*	*...*	*-201090.00*	*-197214.00*	*...*	*-197214.00*	*-216935.00*	*...*	*-216935.00*
निवल	**1813.80**	**43417.55**	**45231.35**	**2028.00**	**53060.00**	**55088.00**	**2075.00**	**53060.00**	**55135.00**	**2181.67**	**64587.00**	**66768.67**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. कार्यचालन व्यय												
1.01 कर्मचारी लागत	73367.86	...	73367.86	76451.89	...	76451.89	77796.24	...	77796.24	86740.86	...	86740.86
1.02 ऋण शोधन निधि में प्राप्त राशि को कम करना	-771.02	...	-771.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.03 कार्यालय व्यय (आकस्मिक व्यय)	1253.38	...	1253.38	1983.44	...	1983.44	2203.75	...	2203.75	2166.15	...	2166.15
1.04 प्राप्तियों को कम करना	-1429.81	...	-1429.81	-2100.00	...	-2100.00	-2400.00	...	-2400.00	-2400.00	...	-2400.00
निवल	*72420.41*	*...*	*72420.41*	*76335.33*	*...*	*76335.33*	*77599.99*	*...*	*77599.99*	*86507.01*	*...*	*86507.01*
2. अन्य सामान्य कार्यचालन व्यय												
2.01 कर्षण हेतु डीजल	17959.22	...	17959.22	17700.00	...	17700.00	20551.22	...	20551.22	22116.97	...	22116.97
2.02 बिजली कर्षण	9990.11	...	9990.11	10500.00	...	10500.00	10137.96	...	10137.96	10865.14	...	10865.14
2.03 मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सामग्री	8608.53	...	8608.53	10065.27	...	10065.27	9289.47	...	9289.47	9801.32	...	9801.32
2.04 संविदागत भुगतान	6315.16	...	6315.16	7869.29	...	7869.29	7865.52	...	7865.52	8401.50	...	8401.50
2.05 भारतीय रेल वित्त निगम इत्यादि को पट्टे/किराए के लिए देय प्रभार	9003.38	...	9003.38	10056.44	...	10056.44	10056.12	...	10056.12	11488.77	...	11488.77
2.06 अंतररेलवे वित्तीय समायोजन (नामे/जमा का अतंरण)	911.15	...	911.15	1424.51	...	1424.51	1064.46	...	1064.46	1150.30	...	1150.30
2.07 कर्षण के अलावा अन्य कार्यों के लिए बिजली	1718.94	...	1718.94	1754.78	...	1754.78	1730.11	...	1730.11	1818.80	...	1818.80
2.08 कर्षण के अलावा अन्य कार्यों के लिए ईंधन	398.25	...	398.25	373.63	...	373.63	529.63	...	529.63	533.01	...	533.01
2.09 उत्पात शुल्क, बिक्री कर, वैट इत्यादि	332.67	...	332.67	482.23	...	482.23	604.29	...	604.29	552.79	...	552.79
2.10 सुरक्षा- सरकारी रेलवे पुलिस इत्यादि	799.38	...	799.38	702.04	...	702.04	1336.93	...	1336.93	1331.78	...	1331.78
2.11 प्रतिपूर्ति दावे तथा कर्मकार प्रतिपूर्ति दावा	673.12	...	673.12	762.58	...	762.58	843.43	...	843.43	984.92	...	984.92
2.12 खान-पान	51.50	...	51.50	49.20	...	49.20	40.50	...	40.50	43.18	...	43.18

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.13	वार्षिक रख-रखाव अनुबंध/ स्पैक्ट्रम शुल्क इत्यादि	234.69	...	234.69	331.40	...	331.40	242.47	...	242.47	249.83	...	249.83
2.14	विविध व्यय	1493.18	...	1493.18	1234.51	...	1234.51	1569.90	...	1569.90	1643.68	...	1643.68
2.15	मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	1540.00	...	1540.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
2.16	पेंशन निधि में विनियोग	45897.71	...	45897.71	47600.00	...	47600.00	47400.00	...	47400.00	50100.00	...	50100.00
2.17	पेंशन पर व्यय	45275.33	...	45275.33	48000.00	...	48000.00	48000.00	...	48000.00	51000.00	...	51000.00
2.18	पेंशन निधि से प्राप्त राशि को कम करना	-45275.33	...	-45275.33	-48000.00	...	-48000.00	-48000.00	...	-48000.00	-51000.00	...	-51000.00
2.19	घटाइए-वसूलियां	-2513.18	...	-2513.18	-1741.21	...	-1741.21	-2562.00	...	-2562.00	-2589.00	...	-2589.00
	निवल	*103413.81*	...	*103413.81*	*109664.67*	...	*109664.67*	*111200.01*	...	*111200.01*	*118992.99*	...	*118992.99*
3.	*अधिशेष से रेलवे निधियों में विनियोग*												
3.01	विकास निधि में विनियोग	1505.61	...	1505.61	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00
3.02	पूंजी निधि में विनियोग	...	...	...	6990.00	...	6990.00	14.00	...	14.00	3035.00	...	3035.00
3.03	ऋण शोधन निधि में विनियोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.04	राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए विनियोजन	...	...	...	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00
3.05	अधिशेष से रेलवे सुरक्षा निधि में विनियोजन	160.00	...	160.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.06	प्राप्तियों को कम करना	-1665.61	...	-1665.61	-12990.00	...	-12990.00	-6014.00	...	-6014.00	-9035.00	...	-9035.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.	*रेलवे राजस्व प्राप्तियां*												
4.01	यात्री	-48643.14	...	-48643.14	-52000.00	...	-52000.00	-52000.00	...	-52000.00	-56000.00	...	-56000.00
4.02	अन्य कोचिंग	-4314.43	...	-4314.43	-6000.00	...	-6000.00	-5000.00	...	-5000.00	-6000.00	...	-6000.00
4.03	माल	-113959.98	...	-113959.98	-106860.00	...	-106860.00	-121336.00	...	- 121336.00	-131565.00	...	-131565.00
4.04	फुटकर	-8688.18	...	-8688.18	-20790.00	...	-20790.00	-9864.00	...	-9864.00	-11575.00	...	-11575.00
4.05	उचंत	-24.16	...	-24.16	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00
4.06	अन्य विविध प्राप्तियां	-204.33	...	-204.33	-250.00	...	-250.00	-500.00	...	-500.00	-260.00	...	-260.00
जोड़		*-175834.22*	...	*-175834.22*	*-186000.00*	...	*-186000.00*	*-188800.00*	...	- *188800.00*	*-205500.00*	...	*-205500.00*
5.	*सामान्य राजस्व से बजट सहायता*												
5.01	सामरिक लाईनों के प्रचालन पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति	1733.80	...	1733.80	1940.00	...	1940.00	1940.00	...	1940.00	2084.87	...	2084.87
5.02	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टयूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड को ई-टिकटिंग की प्रचालनात्मक लागत की प्रतिपूर्ति	80.00	...	80.00	88.00	...	88.00	88.00	...	88.00	96.80	...	96.80
5.03	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टयूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अदा की गई बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति	...	...	...	...	...	...	47.00	...	47.00	...	...	...
जोड़- सामान्य राजस्व से बजट सहायता		*1813.80*	...	*1813.80*	*2028.00*	...	*2028.00*	*2075.00*	...	*2075.00*	*2181.67*	...	*2181.67*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		**1813.80**	**...**	**1813.80**	**2028.00**	**...**	**2028.00**	**2075.00**	**...**	**2075.00**	**2181.67**	**...**	**2181.67**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	...	11375.00	11375.00	...	12180.00	12180.00	...	13000.00	13000.00	...	14000.00	14000.00
7.	राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	28625.00	28625.00	...	42820.00	42820.00	...	40060.00	40060.00	...	50587.00	50587.00
8.	नई लाइनें (निर्माण)	...	7963.50	7963.50	...	9755.00	9755.00	...	8006.07	8006.07	...	7255.00	7255.00
9.	आमान परिवर्तन	...	2554.60	2554.60	...	2346.00	2346.00	...	2000.88	2000.88	...	2200.00	2200.00
10.	दोहरी लाइन बिछाना	...	1290.24	1290.24	...	651.00	651.00	...	590.00	590.00	...	700.00	700.00
11.	संगणकीकरण	...	154.65	154.65	...	540.00	540.00	...	227.97	227.97	...	510.00	510.00
12.	यातायात सुविधाएं – यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य	...	1178.49	1178.49	...	1260.00	1260.00	...	928.04	928.04	...	1210.03	1210.03
13.	रेल अनुसंधान	...	21.35	21.35	...	50.00	50.00	...	18.76	18.76	...	90.10	90.10
14.	चल स्टॉक	...	1514.45	1514.45	...	1586.91	1586.91	...	3724.93	3724.93	...	6114.82	6114.82
15.	पट्टागत परिसंपत्तियां – पूंजी भाग का भुगतान	...	7979.82	7979.82	...	9182.72	9182.72	...	9112.92	9112.92	...	10557.53	10557.53
16.	सड़क संरक्षा कार्य – समपार	...	536.81	536.81	...	700.00	700.00	...	742.71	742.71	...	700.00	700.00
17.	सड़क संरक्षा कार्य – उपरी/निचले सड़क पुल	...	3175.97	3175.97	...	4300.00	4300.00	...	4637.30	4637.30	...	4100.00	4100.00
18.	रेलपथ नवीकरण	...	8884.16	8884.16	...	11450.00	11450.00	...	10111.68	10111.68	...	10120.00	10120.00
19.	पुल संबंधी कार्य	...	453.90	453.90	...	740.00	740.00	...	510.31	510.31	...	745.00	745.00
20.	सिगनल और दूरसंचार संबंधी कार्य	...	1256.82	1256.82	...	2025.00	2025.00	...	1256.77	1256.77	...	1750.00	1750.00
21.	विद्युतीकरण परियोजनाएं	...	-2.79	-2.79	...	2.00	2.00	...	2.06	2.06	...	1.00	1.00
22.	बिजली संबंधी अन्य कार्य	...	166.37	166.37	...	220.00	220.00	...	199.00	199.00	...	315.00	315.00
23.	कर्षण वितरण संबंधी कार्य	...	353.15	353.15	...	550.00	550.00	...	360.00	360.00	...	600.00	600.00
24.	मशीनरी और संयंत्र	...	368.59	368.59	...	650.00	650.00	...	442.66	442.66	...	669.58	669.58
25.	कारखाने, उत्पादन इकाइयों सहित	...	1364.78	1364.78	...	2543.00	2543.00	...	1689.43	1689.43	...	2550.00	2550.00
26.	कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	...	251.03	251.03	...	353.00	353.00	...	275.00	275.00	...	385.00	385.00
27.	कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ	...	209.59	209.59	...	314.24	314.24	...	271.24	271.24	...	387.44	387.44
28.	यात्री सुविधाएं	...	1286.80	1286.80	...	1657.86	1657.86	...	2410.71	2410.71	...	3422.57	3422.57
29.	सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश – सार्वजनिक उपक्रम	...	...	...	...	1824.00	1824.00	...	1874.00	1874.00	...	2500.00	2500.00
30.	जेवी/एसपीवी सहित गैर-सरकारी उपक्रमों में निवेश	...	4887.99	4887.99	...	9477.00	9477.00	...	9377.00	9377.00	...	15806.00	15806.00
31.	अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	...	210.91	210.91	...	660.00	660.00	...	262.00	262.00	...	720.00	720.00
32.	प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास	...	62.09	62.09	...	118.00	118.00	...	90.00	90.00	...	125.00	125.00
33.	भंडार उचंत	...	18508.39	18508.39	...	18185.92	18185.92	...	19985.94	19985.94	...	23195.54	23195.54
34.	निर्माण उचंत	...	29403.49	29403.49	...	37652.59	37652.59	...	35828.76	35828.76	...	39612.49	39612.49
35.	विविध अग्रिम	...	337.81	337.81	...	925.53	925.53	...	949.34	949.34	...	333.81	333.81
36.	महानगर परिवहन परियोजनाएं	...	794.26	794.26	...	1651.00	1651.00	...	1000.00	1000.00	...	1600.00	1600.00
37.	नई लाइनें (निर्माण) – लाभांश रहित परियोजनाएं	...	988.63	988.63	...	1900.00	1900.00	...	1150.00	1150.00	...	1800.00	1800.00
38.	निर्भया निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39.	*राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में अंतरण*												
	39.01 सामान्य राजस्व से	...	15000.00	15000.00	...	5000.00	5000.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
39.02 रेलवे संसाधनों से	...	1100.00	1100.00	...	10000.00	10000.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00	5000.00
जोड़- राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में अंतरण	*...*	*16100.00*	*16100.00*	*...*	*15000.00*	*15000.00*	*...*	*20000.00*	*20000.00*	*...*	*20000.00*	*20000.00*
40. से प्रदत्त राशि												
40.01 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	...	-11375.00	-11375.00	...	-12180.00	-12180.00	...	-13000.00	-13000.00	...	-14000.00	-14000.00
40.02 राष्ट्रीय निवेश निधि	...	-28625.00	-28625.00	...	-42820.00	-42820.00	...	-40060.00	-40060.00	...	-50587.00	-50587.00
40.03 पूंजी निधि	...	...	...	...	-5000.00	-5000.00	...	...	...	...	-3000.00	-3000.00
40.04 मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	...	-425.82	-425.82	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-1000.00	-1000.00
40.05 विकास निधि	...	-1380.51	-1380.51	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1500.00	-1500.00
40.06 जमा / वसूलियाँ	...	-50941.22	-50941.22	...	-58710.77	-58710.77	...	-63475.48	-63475.48	...	-69988.91	-69988.91
40.07 निर्भया निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40.08 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	...	-16090.75	-16090.75	...	-20000.00	-20000.00	...	-20000.00	-20000.00	...	-20000.00	-20000.00
जोड़	*...*	*-108838.30*	*-108838.30*	*...*	*-140210.77*	*-140210.77*	*...*	*-138035.48*	*-138035.48*	*...*	*-160075.91*	*-160075.91*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**...**	**43417.55**	**43417.55**	**...**	**53060.00**	**53060.00**	**...**	**53060.00**	**53060.00**	**...**	**64587.00**	**64587.00**
कुल जोड़	***1813.80***	***43417.55***	***45231.35***	***2028.00***	***53060.00***	***55088.00***	***2075.00***	***53060.00***	***55135.00***	***2181.67***	***64587.00***	***66768.67***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. भारतीय रेलवे-नीति निर्माण, दिशा-निर्देश, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्यशील व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. भारतीय रेलवे-सामरिक लाइन-कार्यशील व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. रेलवे अधिशेष से विनियोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य परिवहन सेवाएं	1813.80	...	1813.80	2028.00	...	2028.00	2075.00	...	2075.00	2181.67	...	2181.67
6. भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	...	43285.27	43285.27	...	52726.99	52726.99	...	52600.32	52600.32	...	64513.64	64513.64
7. भारतीय रेलवे सामरिक लाइनों पर पूंजी परिव्यय	...	132.28	132.28	...	333.01	333.01	...	459.68	459.68	...	73.36	73.36
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1813.80**	**43417.55**	**45231.35**	**2028.00**	**53060.00**	**55088.00**	**2075.00**	**53060.00**	**55135.00**	**2181.67**	**64587.00**	**66768.67**
कुल जोड़	**1813.80**	**43417.55**	**45231.35**	**2028.00**	**53060.00**	**55088.00**	**2075.00**	**53060.00**	**55135.00**	**2181.67**	**64587.00**	**66768.67**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. भारतीय रेल वित्त निगम	...	33382.14	33382.14	...	54940.00	54940.00	...	52297.52	52297.52	...	55471.00	55471.00
2. डेडीकेटेड फ्रेट कैरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. भारतीय रेल	43417.55	3069.78	46487.33	53060.00	38500.00	91560.00	53060.00	6500.00	59560.00	64587.00	10500.00	75087.00
4. सार्वजनिक निजी भागीदारी	...	22116.00	22116.00	...	...	...	...	27000.00	27000.00	...	28100.00	28100.00
जोड़	**43417.55**	**58567.92**	**101985.47**	**53060.00**	**93440.00**	**146500.00**	**53060.00**	**85797.52**	**138857.52**	**64587.00**	**94071.00**	**158658.00**

राजस्वो व्यतय

वर्ष 2019-20 सकल के लिए राजस्वो शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2,72,705.68 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें 2018-19 के लिए 2,49,851.01 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 22,854.67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। व्य य को घटाकर जमा राशि 53,589.01 करोड़ रुपये अर्थात 3,027 करोड़ रुपये संशोधित अनुमान से अधिक है। पेंशन निधि से प्रतिपूरित राशि 51,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। जमा राशि और निधि से प्रतिपूरित राशि को मिलाकर 2019-20 के दौरान निवल राजस्व व्य य 2,16,935 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान 1,97,214 करोड़ रुपये था। अर्थात इसमें 19,721 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

बजट अनुमान 2019-20 में रेलवे निधि में विनियोग 59,635 करोड़ रुपये रखा गया है अर्थात यह संशोधित अनुमान 2018-19 से 5,721 करोड़ रुपये अधिक है। पेंशन निधि और पूंजीनिधि में अंशदान 50,100 करोड़ रुपये और 3,035 करोड़ रुपये रखा गया है जो सं.अ. से क्रमश: 2700 करोड़ रुपये और 3,021 करोड़ रुपये अधिक है, जबकि मूल्यरह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि में अंशदान 500 करोड़ रुपये और 1,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो सं.अ. के स्त र पर है। रेलवे के अतिरिक्ते व्य य से राष्ट्री य रेल संरक्षा कोष में अंशदान 5,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

22,854.67 करोड़ रुपये की वृद्धि में स्वीकृत व्य य के तहत 22,833.32 करोड़ रुपये और ब.अ. 2019-20 में दिए गए प्रभारित विनियोग के तहत 21.35 करोड़ रुपये शामिल है जो मुख्यहत: अधिक स्टा,फ लागत (8,944.62 करोड़ रुपये), मरम्मित और रखरखाव (511.85 करोड़ रुपये), विद्युत और डीजल कर्षण के लिए अधिक राशि (2,292.93 करोड़ रुपये), पट्टा किराया प्रभार (1432.65 करोड़ रुपये), पेंशन निधि को विनियोग (2,700 करोड़ रुपये) और अन्य. निधियां (3021 करोड़ रुपये), संविदात्मरक भुगतान (535.98 करोड़ रुपये), डेबिट/क्रेडिट अंतरण (85.84 करोड़ रुपये), प्रतिपूर्ति दावे और गैर-कर्षण हेतु बिजली (230.18 करोड़ रुपये) और पेंशन व्येय (3,000 करोड़ रुपये) शामिल है।

महत्व पूर्ण लाइनों के परिचालन पर हानियों की प्रतिपूर्ति और सकल बजटीय सहायता द्वारा आईआरसीटीसी को ई-टिकटिंग पर परिचालनात्मोक लागत की प्रतिपूर्ति बजट अनुमान 2019-20 में 2,084.87 करोड़ रुपये और 96.80 करोड़ रुपये रखा गया है जबकि सं.अ. 2018-19 में क्रमश: 1,940 करोड़ रुपये और 88 करोड़ रुपये रखा गया था।

वर्ष 2019-20 के लिए सकल यातायात प्राप्तियों के तहत बजट अनुमान 2,16,675 करोड़ रुपये रखा गया है, इसमें सं.अ. 2018-19 की तुलना में 19,961 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। लक्षित वृद्धि 10.1 प्रतिशत है। जबकि सवारी अर्जन 56,000 करोड़ रुपये सवारियों में होने वाली 0.9 प्रतिशत वृद्धि पर आधिारित है, माल पर 1,43,000 करोड़ रुपये का अर्जन राजस्वा अर्जन भाड़ा के 50 मिलियन टन वर्धनात्मरक लदान के मद्देनजर रखा गया है और औसत भाड़ा लदान 564 किलोमीटर है। अन्यअ कोचिंग अर्जन और खुदरा अन्यन अर्जन रेलवे राजस्व प्राप्तियों में भाड़ा भिन्न राजस्वर स्रोतों के बढ़ते शेयर पर रेलवे के ध्याअन के मद्देनजर क्रमश: 6,000 करोड़ रुपये और 11,575 करोड़ रुपये रखा गया है। वर्ष 2019-20 के लिए विविध प्राप्तियों का बजट अनुमान 260 करोड़ रुपये रखा गया है।

टिप्प णी

2017-18 वास्त विक, ब.अ. 2018-19, सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2018-19 में माल अर्जन का भाग एसबीई की मद संख्याप 4.03 में दर्शाया गया है, जो विविध व्ययय और रेलवे निधियों में विनियोग के बीच संवितरित हैं अर्थात 2017-18 में 1,429.81 करोड़ रुपये और 1,665.61 करोड़ रुपये, ब.अ. 2018-19 में 2,100 करोड़ रुपये और 12,990 करोड़ रुपये, सं.अ. 2018-19 में 2,400 करोड़ रुपये और 6,014 करोड़ रुपये तथा ब.अ. 2019-20 में 2,400 करोड़ रुपये और 9,035 करोड़ रुपये ।

तदनुसार वास्तंविक कुल माल से अर्जन 2017-18, ब.अ. 2018-19, सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 में क्रमश: 1,17,055.40 करोड़ रुपये, 1,21,950 करोड़ रुपये, 1,29,750 करोड़ रुपये और 1,43,000 करोड़ रुपये है।

मांग के पूंजी भाग में प्रावधान आस्तियों, अधिप्राप्ति, निर्माण और नियोजन पर व्यवय के लिए है, पूरी की गई निधियां सामान्यज राजकोष, रेलवे के आंतरिक संसाधनों अर्थात मूल्य1ह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पूंजी निधि, रेलवे सुरक्षा निधि और राष्ट्री य रेल संरक्षा कोष तथा बजट बाह्य संसाधनों से प्राप्ता की जाए अथवा नहीं। प्रभारित व्याय न्यारयालय आदेशों की अनुपालना और मध्येस्थवता पंचाट के लिए भुगतान हेतु है। जहां न्यानयालय के नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। वास्तलव में 2017-18 में पूंजी व्यिय 1,01,985.47 करोड़ रुपये था, जिसमें बजटीय सहायता का 43,417.55 करोड़ रुपये, आंतरिक संसाधनों का 3,069.78 करोड़ रुपये

और बजट बाह्य संसाधनों का 55,498.14 करोड़ रुपये शामिल था। सं.अ. 2018-19 में पूंजी व्य य 1,38,857.52 करोड़ रुपये था जिसमें बजटीय सहायता से 53,060 करोड़ रुपये, आंतरिक संसाधनों से 6,500 करोड़ रुपये और बजट बाह्य संसाधनों से 79,297.52 करोड़ रुपये शामिल था। ब.अ. 2019-20 में व्यडय हेतु कुल परिव्यपय 1,58,658 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें बजटीय सहायता से 64,587 करोड़ रुपये, आंतरित संसाधनों से 10,500 करोड़ रुपये और बजट बाह्य संसाधनों से 83,571 करोड़ रुपये शामिल है।

राजस्व व्यय

वर्ष 2019-20 सकल के लिए राजस्वो शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2,72,705.68 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें 2018-19 के लिए 2,49,851.01 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 22,854.67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। व्य य को घटाकर जमा राशि 53,589.01 करोड़ रुपये अर्थात 3,027 करोड़ रुपये संशोधित अनुमान से अधिक है। पेंशन निधि से प्रतिपूरित राशि 51,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। जमा राशि और निधि से प्रतिपूरित राशि को मिलाकर 2019-20 के दौरान निवल राजस्व व्य य 2,16,935 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान 1,97,214 करोड़ रुपये था। अर्थात इसमें 19,721 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

बजट अनुमान 2019-20 में रेलवे निधि में विनियोग 59,635 करोड़ रुपये रखा गया है अर्थात यह संशोधित अनुमान 2018-19 से 5,721 करोड़ रुपये अधिक है। पेंशन निधि और पूंजीनिधि में अंशदान 50,100 करोड़ रुपये और 3,035 करोड़ रुपये रखा गया है जो सं.अ. से क्रमश: 2700 करोड़ रुपये और 3,021 करोड़ रुपये अधिक है, जबकि मूल्यरह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि में अंशदान 500 करोड़ रुपये और 1,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो सं.अ. के स्त र पर है। रेलवे के अतिरिक्ते व्य य से राष्ट्री य रेल संरक्षा कोष में अंशदान 5,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

22,854.67 करोड़ रुपये की वृद्धि में स्वीकृत व्य य के तहत 22,833.32 करोड़ रुपये और ब.अ. 2019-20 में दिए गए प्रभारित विनियोग के तहत 21.35 करोड़ रुपये शामिल है जो मुख्यहत: अधिक स्टा,फ लागत (8,944.62 करोड़ रुपये), मरम्मित और रखरखाव (511.85 करोड़ रुपये), विद्युत और डीजल कर्षण के लिए अधिक राशि (2,292.93 करोड़ रुपये), पट्टा किराया प्रभार (1432.65 करोड़ रुपये), पेंशन निधि को विनियोग (2,700 करोड़ रुपये) और अन्य. निधियां (3021 करोड़ रुपये), संविदात्मरक भुगतान (535.98 करोड़ रुपये), डेबिट/क्रेडिट अंतरण (85.84 करोड़ रुपये), प्रतिपूर्ति दावे और गैर-कर्षण हेतु बिजली (230.18 करोड़ रुपये) और पेंशन व्येय (3,000 करोड़ रुपये) शामिल है।

महत्व पूर्ण लाइनों के परिचालन पर हानियों की प्रतिपूर्ति और सकल बजटीय सहायता द्वारा आईआरसीटीसी को ई-टिकटिंग पर परिचालनात्मोक लागत की प्रतिपूर्ति बजट अनुमान 2019-20 में 2,084.87 करोड़ रुपये और 96.80 करोड़ रुपये रखा गया है जबकि सं.अ. 2018-19 में क्रमश: 1,940 करोड़ रुपये और 88 करोड़ रुपये रखा गया था।

वर्ष 2019-20 के लिए सकल यातायात प्राप्तियों के तहत बजट अनुमान 2,16,675 करोड़ रुपये रखा गया है, इसमें सं.अ. 2018-19 की तुलना में 19,961 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। लक्षित वृद्धि 10.1 प्रतिशत है। जबकि सवारी अर्जन 56,000 करोड़ रुपये सवारियों में होने वाली 0.9 प्रतिशत वृद्धि पर आधिारित है, माल पर 1,43,000 करोड़ रुपये का अर्जन राजस्वा अर्जन भाड़ा के 50 मिलियन टन वर्धनात्मरक लदान के मद्देनजर रखा गया है और औसत भाड़ा लदान 564 किलोमीटर है। अन्यअ कोचिंग अर्जन और खुदरा अन्यन अर्जन रेलवे राजस्व प्राप्तियों में भाड़ा भिन्न राजस्वर स्रोतों के बढ़ते शेयर पर रेलवे के ध्याअन के मद्देनजर क्रमश: 6,000 करोड़ रुपये और 11,575 करोड़ रुपये रखा गया है। वर्ष 2019-20 के लिए विविध प्राप्तियों का बजट अनुमान 260 करोड़ रुपये रखा गया है।

टिप्प णी

2017-18 वास्त विक, ब.अ. 2018-19, सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2018-19 में माल अर्जन का भाग एसबीई की मद संख्याप 4.03 में दर्शाया गया है, जो विविध व्ययय और रेलवे निधियों में विनियोग के बीच संवितरित हैं अर्थात 2017-18 में 1,429.81 करोड़ रुपये और 1,665.61 करोड़ रुपये, ब.अ. 2018-19 में 2,100 करोड़ रुपये और 12,990 करोड़ रुपये, सं.अ. 2018-19 में 2,400 करोड़ रुपये और 6,014 करोड़ रुपये तथा ब.अ. 2019-20 में 2,400 करोड़ रुपये और 9,035 करोड़ रुपये ।

तदनुसार वास्तंविक कुल माल से अर्जन 2017-18, ब.अ. 2018-19, सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 में क्रमश: 1,17,055.40 करोड़ रुपये, 1,21,950 करोड़ रुपये, 1,29,750 करोड़ रुपये और 1,43,000 करोड़ रुपये है।

मांग के पूंजी भाग में प्रावधान आस्तियों, अधिप्राप्ति, निर्माण और नियोजन पर व्यवय के लिए है, पूरी की गई निधियां सामान्यज राजकोष, रेलवे के आंतरिक संसाधनों अर्थात मूल्य1ह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पूंजी निधि, रेलवे सुरक्षा निधि और राष्ट्री य रेल संरक्षा कोष तथा बजट बाह्य संसाधनों से प्राप्ता की जाए अथवा नहीं। प्रभारित व्याय न्यारयालय आदेशों की अनुपालना और मध्येस्थबता पंचाट के लिए भुगतान हेतु है। जहां न्यानयालय के नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। वास्तलव में 2017-18 में पूंजी व्यिय 1,01,985.47 करोड़ रुपये था, जिसमें बजटीय सहायता का 43,417.55 करोड़ रुपये, आंतरिक संसाधनों का 3,069.78 करोड़ रुपये और बजट बाह्य संसाधनों का 55,498.14 करोड़ रुपये शामिल था। सं.अ. 2018-19 में पूंजी व्य य 1,38,857.52 करोड़ रुपये था जिसमें बजटीय सहायता से 53,060 करोड़ रुपये, आंतरिक संसाधनों से 6,500 करोड़ रुपये और बजट बाह्य संसाधनों से 79,297.52 करोड़ रुपये शामिल था। ब.अ. 2019-20 में व्यडय हेतु कुल परिव्यपय 1,58,658 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें बजटीय सहायता से 64,587 करोड़ रुपये, आंतरित संसाधनों से 10,500 करोड़ रुपये और बजट बाह्य संसाधनों से 83,571 करोड़ रुपये शामिल है।

पूंजी परिव्यय: मांग के पूंजी खंड में प्रावधान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण व बदलाव पर व्यय के लिए है, जिसकी पूर्ति सामान्य राज्य से प्राप्त निधियों के द्वारा, रेलवे के आंतरिक स्रोतों जैसे मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पूंजी निधि, रेल संरक्षा निधि, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष अथवा बजटेतर संसाधनों के द्वारा की जाए। प्रभृत व्यय अदालत द्वारा सुनाए गए पंचाट निर्णय एवं अदालती डिगरियों के भुगतान के लिए है। 2017-18 वास्तविक में पूंजी व्यय 101985.48 करोड़ रूपये था जोकि 43417.55 करोड़ रूपये की बजटीय सहायता, 3069.78 करोड़ रूपये के आंतरिक संसाधनों और 55498.15 करोड़ रूपये के बजटेतर संसाधनों को मिलाकर है। 2018-19 के संशोधित अनुमानों में पूंजी व्यय 138858 करोड़ रुपये था जोकि 53060 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता, 6500 करोड़ रूपये के आंतरिक संसाधनों और 79298 करोड़ रूपये के बजटेतर संसाधनों को मिलाकर है। 2019-20 के बजट अनुमानों में पूंजी व्यय के लिए कुल परिव्यय 1,58,658 करोड़ रूपये का होने का अनुमान है जोकि 64,587 करोड़ रूपये बजटीय सहायता के, 10500 करोड़ रूपये आंतरिक संसाधनों के तथा 83,571 करोड़ रूपये बजटेतर संसाधनों को मिलाकर है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 81

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	18099.15	99053.68	117152.83	23153.10	118180.50	141333.60	19866.34	136126.38	155992.72	21686.98	142762.00	164448.98
वसूलियां	*-7836.79*	*-48301.28*	*-56138.07*	*-11593.35*	*-58740.25*	*-70333.60*	*-9804.53*	*-67560.69*	*-77365.22*	*-10696.01*	*-70737.00*	*-81433.01*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	*-2.00*	*-2.00*	...	...	...
निवल	**10262.36**	**50752.40**	**61014.76**	**11559.75**	**59440.25**	**71000.00**	**10061.81**	**68563.69**	**78625.50**	**10990.97**	**72025.00**	**83015.97**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	111.08	...	111.08	126.80	...	126.80	126.68	...	126.68	154.58	...	154.58
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
2.01 एनएचएआइ में निवेश	...	23891.57	23891.57	...	29663.13	29663.13	...	37320.63	37320.63	...	36691.00	36691.00
2.02 केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	...	15429.45	15429.45	...	20093.00	20093.00	...	18069.00	18069.00	...	16091.00	16091.00
2.03 सीआरआईएफ से किया गया एनएचएआइ-निवेश	...	-15429.43	-15429.43	...	-20093.00	-20093.00	...	-18069.00	-18069.00	...	-16091.00	-16091.00
2.04 स्थायी पुल शुल्क निधि में अंतरण	...	8462.14	8462.14	...	9570.13	9570.13	...	9570.13	9570.13	...	10600.00	10600.00
2.05 पीबीएफएफ से किया गया एचएचएआइ-निवेश	...	-8462.14	-8462.14	...	-9570.13	-9570.13	...	-9570.13	-9570.13	...	-10600.00	-10600.00
2.06 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि में मुद्रीकरण का अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	9681.50	9681.50	...	10000.00	10000.00
2.07 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि में एनएएचआई में निवेश से किया गया मुद्रीकरण	...	...	...	...	...	...	...	-9681.50	-9681.50	...	-10000.00	-10000.00
निवल	...	*23891.59*	*23891.59*	...	*29663.13*	*29663.13*	...	*37320.63*	*37320.63*	...	*36691.00*	*36691.00*
सड़क एवं पुल												
3. सड़क निर्माण कार्य												
3.01 सड़क स्कंध के अंतर्गत कार्य	...	18946.28	18946.28	...	21453.42	21453.42	...	22750.06	22750.06	...	25721.00	25721.00
3.02 कार्यक्रम घटक	...	548.05	548.05	...	460.00	460.00	...	732.00	732.00	...	1700.00	1700.00
3.03 ईएपी घटक	...	1010.45	1010.45	...	740.00	740.00	...	1043.00	1043.00	...	1328.00	1328.00
3.04 केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से वित्तपोषित राज्यीय स्कीमें	6341.71	...	6341.71	7891.00	...	7891.00	6891.00	...	6891.00	7308.00	...	7308.00
3.05 सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें	25.40	...	25.40	116.42	...	116.42	107.92	...	107.92	113.58	...	113.58

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.06 अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान-सीआरआईएफ से वित्तपोषित स्कीमें	...	677.76	677.76	...	898.70	898.70	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
3.07 विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	8.12	...	8.12	90.88	...	90.88	40.88	...	40.88	39.28	...	39.28
3.08 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरएफ से वित्तपोषित	1562.82	...	1562.82	3020.69	...	3020.69	2631.25	...	2631.25	3100.07	...	3100.07
3.09 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-जीबीएस	1198.04	...	1198.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.10 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	...	5237.77	5237.77	...	6210.00	6210.00	...	6210.00	6210.00	...	6070.00	6070.00
3.11 सीआरआईएफ को अंतरण	8672.04	19561.51	28233.55	11118.99	22802.12	33921.11	9630.17	23972.06	33602.23	10521.65	27911.00	38432.65
3.12 सीआरआईएफ से पूरा किया गया	-7836.77	-19314.51	-27151.28	-11118.99	-22802.12	-33921.11	-9630.17	-23972.06	-33602.23	-10521.65	-27911.00	-38432.65
3.13 राष्ट्रीय निवेश निधि में हस्तांतरण	...	5265.00	5265.00	...	6210.00	6210.00	...	6210.00	6210.00	...	6070.00	6070.00
3.14 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया	...	-5054.66	-5054.66	...	-6210.00	-6210.00	...	-6210.00	-6210.00	...	-6070.00	-6070.00
निवल	*9971.36*	*26877.65*	*36849.01*	*11118.99*	*29762.12*	*40881.11*	*9671.05*	*31235.06*	*40906.11*	*10560.93*	*35319.00*	*45879.93*
4. पीबीएफएफ से वित्तपोषित कार्य												
4.01 चुंगी पूलों का रख-रखाव	...	21.42	21.42	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
4.02 पीबीएफएफ को अंतरण	37.86	...	37.86	13.96	...	13.96	13.96	...	13.96	10.46	...	10.46
4.03 पीबीएफएफ से पूरा किया गया	...	-21.42	-21.42	...	-50.00	-50.00	...	-50.00	-50.00	...	-50.00	-50.00
निवल	*37.86*	*...*	*37.86*	*13.96*	*...*	*13.96*	*13.96*	*...*	*13.96*	*10.46*	*...*	*10.46*
जोड़-सड़क एवं पुल	**10009.22**	**26877.65**	**36886.87**	**11132.95**	**29762.12**	**40895.07**	**9685.01**	**31235.06**	**40920.07**	**10571.39**	**35319.00**	**45890.39**
सड़क परिवहन एवं सुरक्षा												
5. अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अध्ययन	142.08	2.28	144.36	...	...	...	250.00	...	250.00	265.00	...	265.00
6. अनुसंधान, प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं												
6.01 सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं	...	...	...	300.00	15.00	315.00	...	8.00	8.00	...	15.00	15.00
6.02 सीआरआईएफ को अंतरण	...	...	...	300.00	15.00	315.00	...	8.00	8.00	...	15.00	15.00
6.03 सीआरआईएफ से पूरा किया गया	...	...	...	-300.00	-15.00	-315.00	...	-8.00	-8.00	...	-15.00	-15.00
निवल	*...*	*...*	*...*	*300.00*	*15.00*	*315.00*	*...*	*8.00*	*8.00*	*...*	*15.00*	*15.00*
7. महिला सुरक्षा पर योजना												
7.01 सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	...	...	...	174.36	...	174.36	174.36	...	174.36	174.36	...	174.36
7.02 निर्भया फंड से वित्तपोषित	...	...	...	-174.36	...	-174.36	-174.36	...	-174.36	-174.36	...	-174.36
निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़-सड़क परिवहन एवं सुरक्षा	**142.08**	**2.28**	**144.36**	**300.00**	**15.00**	**315.00**	**250.00**	**8.00**	**258.00**	**265.00**	**15.00**	**280.00**
8. वास्तविक वसूली	-0.02	-19.12	-19.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**10151.28**	**50752.40**	**60903.68**	**11432.95**	**59440.25**	**70873.20**	**9935.01**	**68563.69**	**78498.70**	**10836.39**	**72025.00**	**82861.39**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड												
9.01 एन.एच.आई.डी.सी.एल. को अनुदान	...	...	...	...	...	...	0.12	...	0.12	...	...	...
9.02 बोनस शेयर को जारी करना	...	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00	...	...	...
9.03 कम प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	-2.00	-2.00	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	*0.12*	...	*0.12*	...	...	...
कुल जोड़	***10262.36***	***50752.40***	***61014.76***	***11559.75***	***59440.25***	***71000.00***	***10061.81***	***68563.69***	***78625.50***	***10990.97***	***72025.00***	***83015.97***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सड़क और पुल	3272.55	...	3272.55	3158.45	...	3158.45	2719.13	...	2719.13	3183.39	...	3183.39
2. सड़क परिवहन	142.08	...	142.08	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00	265.00	...	265.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	111.06	...	111.06	126.80	...	126.80	126.68	...	126.68	154.58	...	154.58
4. सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	...	50750.12	50750.12	...	53215.25	53215.25	...	62345.69	62345.69	...	65940.00	65940.00
5. सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	...	2.28	2.28	...	15.00	15.00	...	8.00	8.00	...	15.00	15.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**3525.69**	**50752.40**	**54278.09**	**3585.25**	**53230.25**	**56815.50**	**3095.81**	**62353.69**	**65449.50**	**3602.97**	**65955.00**	**69557.97**
अन्य												
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6666.13	...	6666.13	7891.00	...	7891.00	6891.00	...	6891.00	7308.00	...	7308.00
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	70.54	...	70.54	83.50	...	83.50	75.00	...	75.00	80.00	...	80.00
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	6210.00	6210.00	...	6210.00	6210.00	...	6070.00	6070.00
जोड़-अन्य	**6736.67**	**...**	**6736.67**	**7974.50**	**6210.00**	**14184.50**	**6966.00**	**6210.00**	**13176.00**	**7388.00**	**6070.00**	**13458.00**
कुल जोड़	**10262.36**	**50752.40**	**61014.76**	**11559.75**	**59440.25**	**71000.00**	**10061.81**	**68563.69**	**78625.50**	**10990.97**	**72025.00**	**83015.97**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
पर्यवेक्षण और उत्पादन												
1. भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	23891.59	50532.41	74424.00	29663.13	...	29663.13	37320.63	62000.00	99320.63	36691.00	75000.00	111691.00
2. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...
जोड़-पर्यवेक्षण और उत्पादन	**23891.59**	**50532.41**	**74424.00**	**29663.13**	**...**	**29663.13**	**37322.63**	**62000.00**	**99322.63**	**36691.00**	**75000.00**	**111691.00**
जोड़	**23891.59**	**50532.41**	**74424.00**	**29663.13**	**...**	**29663.13**	**37322.63**	**62000.00**	**99322.63**	**36691.00**	**75000.00**	**111691.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण:** इस प्रावधान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को भारत माला परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदत्त निवेश शामिल है। इस व्यय को केन्द्रीय सड़क निधि , राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि और राष्ट्रीय राजमार्ग निधि को मुद्रीकरण से पूरा किया जाता है।

3.01. **सड़क निर्माण कार्य:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय के लिए है, जिसमें एक्सप्रेसवे से संबंधित परियोजनाएं और स्वर्णिम चतुर्भुज के भीड़-भाड़ वाले हिस्सों के 6 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत राजमार्गों के 2 लेन बनाने के विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विकास, विजयवाड़ा-रांची रोड का विकास और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा एजेंसी कार्यों के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास से संबंधित आदिवासी घटक के प्रावधान भी शामिल हैं, पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में राष्ट्रीय राजमार्ग काम करता है।

3.02. **कार्यक्रम घटक:** यह प्रावधान सड़क स्कंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क निधि से वित्त-पोषित हेतु किया गया है।

3.03. **सड़क निर्माण कार्य:** इस प्रावधान में सड़क स्कंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण शामिल हैं।

3.04. **केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से वित्तपोषित राज्यीय स्कीमें:** यह प्रावधान विभिन्न राज्यों में सड़क संबंधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु है। इन निधियों को केंद्रीय सड़क निधि से राज्यों के लिए निर्मुक्त किया जाता है। तथापि, इन परियोजनाओं का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

3.05. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें:** यह प्रावधान विभिन्न संघ-राज्य क्षेत्रों में सड़क संबंधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु है। इन निधियों को केंद्रीय सड़क निधि से संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए निर्मुक्त किया जाता है। तथापि, इन परियोजनाओं का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

3.06. **अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान-सीआरआईएफ से वित्तपोषित स्कीमें:** यह प्रावधान बेहतर सड़क अवसंरचना का संवर्धन करने के लिए अंतर-राज्यीय और आर्थिक महत्व की चयनित सड़कों के विकास के लिए है। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार यह प्रावधान केंद्रीय सड़क निधि का एक भाग है। ये प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं और भारत सरकार द्वारा उनको तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3.07. **विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण:** इसमें सड़क विकास पर अनुसंधान एवं विकास तथा आयोजना संबंधी अध्ययन तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं व सेमिनारों पर होने वाले व्यय शामिल हैं।

3.08. **राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरएफ से वित्तपोषित:** यह प्रावधान मुख्यत: केंद्रीय सड़क निधि से वित्त-पोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर व्यय करने के लिए है। इन कार्यों का निष्पादन राज्यों के लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल द्वारा एजेंसी-आधार पर किया जाता है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यकलाप भी शामिल हैं।

3.10. **राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राजधानी सड़क-संपर्कता, जिला-संपर्कता, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक सड़क-संपर्कता, सड़कों का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण सहित ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग तथा कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना एवं अन्य सड़क विकास परियोजनाओं सहित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए है। इसका वित्तपोषण राष्ट्रीय निवेश निधि से किया जाता है।

4. **पीबीएफएफ से वित्तपोषित कार्य:** इस राज्य-विशेष निधि का उपयोग उन पुलों का रख-रखाव करने के लिए किया जाता है जिन पर संबंधित राज्यों द्वारा चुंगी एकत्रित की जाती है।

5. **अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अध्ययन:** यह प्रावधान मुख्यत: परिवहन उद्योग के संबंध में अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण एवं अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रक उपस्करों, सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की स्थापना करना, जिसमें पीड़ितों के प्राथमिक उपचार का प्रावधान तथा यातायात की बहाली हेतु क्षतिग्रस्त वाहन को स्थल पर से हटाने का प्रावधान शामिल है, राष्ट्रीय आंकड़ा-संचय नेटवर्क के विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना, लोक परिवहन का सुदृढ़ीकरण आदि के लिए है। इसके पूंजी व्यय का वित्तपोषण क्र.सं. 6 के तहत सीआरआईएफ से होता है।

7. **महिला सुरक्षा पर योजना:** यह प्रावधान सार्वजनिक सड़क परिवहन संबंधी महिला सुरक्षा के लिए है। इसका व्यय निर्भया निधि से पूरा किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 82

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	178596.81	...	178596.81	183393.17	5.25	183398.42	184611.76	5.25	184617.01	191770.34	100.00	191870.34
वसूलियां	*-70037.18*	...	*-70037.18*	*-70994.50*	...	*-70994.50*	*-72213.09*	...	*-72213.09*	*-74223.15*	...	*-74223.15*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**108559.63**	**...**	**108559.63**	**112398.67**	**5.25**	**112403.92**	**112398.67**	**5.25**	**112403.92**	**117547.19**	**100.00**	**117647.19**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	41.15	...	41.15	44.57	...	44.57	45.71	...	45.71	47.57	...	47.57
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	224.79	...	224.79	254.40	...	254.40	254.40	...	254.40	350.62	...	350.62
3. लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) के लिए अनुदान	8.19	...	8.19	24.00	...	24.00	17.60	...	17.60	24.00	...	24.00
4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण	72.16	...	72.16	75.70	...	75.70	386.95	...	386.95	1.00	...	1.00
5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	50.00	...	50.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**355.14**	**...**	**355.14**	**429.10**	**...**	**429.10**	**733.95**	**...**	**733.95**	**475.62**	**...**	**475.62**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
6. ग्रामीण विकास भवन	...	...	...	...	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	100.00	100.00
7. व्यय कटौती में समायोजित वसूलियां	-11.78	...	-11.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-11.78**	**...**	**-11.78**	**...**	**5.25**	**5.25**	**...**	**5.25**	**5.25**	**...**	**100.00**	**100.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-11.78**	**...**	**-11.78**	**...**	**5.25**	**5.25**	**...**	**5.25**	**5.25**	**...**	**100.00**	**100.00**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. इंदिरा गांधी राष्ट्री य वृद्धावस्थाए पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	6110.43	...	6110.43	6564.58	...	6564.58	5972.22	...	5972.22	6259.08	...	6259.08
9. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	530.40	...	530.40	772.23	...	772.23	675.15	...	675.15	672.69	...	672.69
10. इंदिरा गांधी राष्ट्री य विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्यून पीएस)	1816.97	...	1816.97	2255.96	...	2255.96	1967.34	...	1967.34	1938.79	...	1938.79
11. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	221.36	...	221.36	277.15	...	277.15	259.23	...	259.23	247.37	...	247.37
12. अन्नपूर्णा योजना	...	...	...	77.82	...	77.82	12.19	...	12.19	62.85	...	62.85
13. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (प्रशासनिक व्यय)	15.06	...	15.06	27.26	...	27.26	14.26	...	14.26	19.22	...	19.22
जोड़-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	**8694.22**	**...**	**8694.22**	**9975.00**	**...**	**9975.00**	**8900.39**	**...**	**8900.39**	**9200.00**	**...**	**9200.00**
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम												
14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से प्राप्त की गई राशि	55166.75	...	55166.75	55000.00	...	55000.00	61084.09	...	61084.09	60000.00	...	60000.00
15. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	55166.06	...	55166.06	55000.00	...	55000.00	61084.09	...	61084.09	60000.00	...	60000.00
16. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	-55166.77	...	-55166.77	-55000.00	...	-55000.00	-61084.09	...	-61084.09	-60000.00	...	-60000.00
जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	**55166.04**	**...**	**55166.04**	**55000.00**	**...**	**55000.00**	**61084.09**	**...**	**61084.09**	**60000.00**	**...**	**60000.00**
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
17. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
17.01 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण	14858.63	...	14858.63	15994.50	...	15994.50	11129.00	...	11129.00	14223.15	...	14223.15
17.02 कार्यक्रम घटक	13689.56	...	13689.56	11412.70	...	11412.70	11162.70	...	11162.70	11685.30	...	11685.30
17.03 ईएपी घटक	2003.50	...	2003.50	3005.50	...	3005.50	3005.50	...	3005.50	3031.70	...	3031.70
17.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1700.00	...	1700.00	1250.00	...	1250.00	1700.00	...	1700.00
17.05 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	1169.06	...	1169.06	2881.80	...	2881.80	81.80	...	81.80	2583.00	...	2583.00
17.06 केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई धनराशि	-14858.63	...	-14858.63	-15994.50	...	-15994.50	-11129.00	...	-11129.00	-14223.15	...	-14223.15
निवल	*16862.12*	*...*	*16862.12*	*19000.00*	*...*	*19000.00*	*15500.00*	*...*	*15500.00*	*19000.00*	*...*	*19000.00*
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
18. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
18.01 कार्यक्रम घटक	3840.29	...	3840.29	5139.00	...	5139.00	5200.50	...	5200.50	8107.00	...	8107.00
18.02 ईएपी घटक	486.91	...	486.91	36.00	...	36.00	5.00	...	5.00	16.00	...	16.00
18.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	575.00	...	575.00	578.00	...	578.00	901.00	...	901.00
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	*4327.20*	*...*	*4327.20*	*5750.00*	*...*	*5750.00*	*5783.50*	*...*	*5783.50*	*9024.00*	*...*	*9024.00*
श्यामा प्रसाद मुख्रर्जी रुर्बन मिशन												
19. कार्यक्रम घटक	553.25	...	553.25	1200.00	...	1200.00	451.03	...	451.03	800.00	...	800.00
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
20. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण												
20.01 कार्यक्रम घटक	22572.29	...	22572.29	20616.00	...	20616.00	18516.00	...	18516.00	16116.00	...	16116.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20.02 ब्याज सब्सिडी	...	...	...	384.00	...	384.00	384.00	...	384.00	384.00	...	384.00
20.03 नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00	2500.00	...	2500.00
जोड़- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण	*22572.29*	*...*	*22572.29*	*21000.00*	*...*	*21000.00*	*19900.00*	*...*	*19900.00*	*19000.00*	*...*	*19000.00*
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**108175.12**	**...**	**108175.12**	**111925.00**	**...**	**111925.00**	**111619.01**	**...**	**111619.01**	**117024.00**	**...**	**117024.00**
कुल जोड़	***108559.63***	***...***	***108559.63***	***112398.67***	***5.25***	***112403.92***	***112398.67***	***5.25***	***112403.92***	***117547.19***	***100.00***	***117647.19***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	100.00	100.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**5.25**	**5.25**	**...**	**5.25**	**5.25**	**...**	**100.00**	**100.00**
सामाजिक सेवाएं												
2. आवास	16.60	...	16.60	1635.00	...	1635.00	1635.00	...	1635.00	3005.00	...	3005.00
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	15.06	...	15.06	32.60	...	32.60	14.26	...	14.26	24.56	...	24.56
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**31.66**	**...**	**31.66**	**1667.60**	**...**	**1667.60**	**1649.26**	**...**	**1649.26**	**3029.56**	**...**	**3029.56**
आर्थिक सेवाएं												
4. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	754.65	...	754.65	1339.00	...	1339.00	1463.10	...	1463.10	2531.10	...	2531.10
5. ग्रामीण रोजगार	55166.04	...	55166.04	55000.00	...	55000.00	61084.09	...	61084.09	60000.00	...	60000.00
6. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	365.21	...	365.21	559.60	...	559.60	737.72	...	737.72	558.79	...	558.79
7. सड़क और पुल	14862.12	...	14862.12	16000.00	...	16000.00	48.01	...	48.01	79.21	...	79.21
8. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	41.15	...	41.15	44.57	...	44.57	45.71	...	45.71	47.57	...	47.57
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**71189.17**	**...**	**71189.17**	**72943.17**	**...**	**72943.17**	**63378.63**	**...**	**63378.63**	**63216.67**	**...**	**63216.67**
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5481.28	...	5481.28	3270.96	...	3270.96	5501.35	...	5501.35
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	37261.81	...	37261.81	32192.22	...	32192.22	44015.48	...	44015.48	45684.16	...	45684.16
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	76.99	...	76.99	114.40	...	114.40	84.34	...	84.34	115.45	...	115.45
जोड़-अन्य	**37338.80**	**...**	**37338.80**	**37787.90**	**...**	**37787.90**	**47370.78**	**...**	**47370.78**	**51300.96**	**...**	**51300.96**
कुल जोड़	**108559.63**	**...**	**108559.63**	**112398.67**	**5.25**	**112403.92**	**112398.67**	**5.25**	**112403.92**	**117547.19**	**100.00**	**117647.19**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
एचआईएल भारत लिमिटेड												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	...	7329.43	7329.43	...	...	...	...	14645.57	14645.57	...	26170.00	26170.00
जोड़-एचआईएल भारत लिमिटेड	**...**	**7329.43**	**7329.43**	**...**	**...**	**...**	**...**	**14645.57**	**14645.57**	**...**	**26170.00**	**26170.00**
जोड़	**...**	**7329.43**	**7329.43**	**...**	**...**	**...**	**...**	**14645.57**	**14645.57**	**...**	**26170.00**	**26170.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण:** इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है।

3. **लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) के लिए अनुदान:** कपार्ट का उद्देश्यप विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों और आवश्याकता आधारित अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को शामिल करना है।

4. **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान अभावग्रस्त जीवन बसर करने वाले उन ग्रामीण परिवारों के निर्धारण के लिए एसईसीसी जनगणना कराने के लिए है, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित किया जा सकता है।

5. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध के लिए एक शीर्षस्थं संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।

6. **ग्रामीण विकास भवन:** कार्यालय का निर्माण करने के लिए ग्रामीण विकास भवन हेतु प्रावधान किया गया है।

8. **इंदिरा गांधी राष्ट्री य वृद्धावस्थाए पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति को सहायता दी जाती है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 200 रुपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

9. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर परिवार एकमुश्त सहायता प्राप्त करने का हकदार है। सहायता की राशि 20,000 रु. है।

10. **इंदिरा गांधी राष्ट्री य विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्यून पीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

11. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) : इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की निशक्तताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

12. **अन्नपूर्णा योजना:** इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों, जो आईजीएनओएपीएस के तहत पात्र तो हैं, किन्तु आईजीएनओएपीएस के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

13. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (प्रशासनिक व्यय):** वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निशक्त व्यक्तियों और आय अर्जनकर्ता की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों के लिए एनएसएपी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अथवा भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है।

15. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) अधिनियम का उद्देश्य अकुशल मजदूरी कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येमक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। अब देश के सभी ग्रामीण जिले इस अधिनियम में शामिल हैं।इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी कार्य उपलब्ध कराकर निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊ स्वरूप की उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना; गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती प्रदान करना; सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाना।

17.02. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। केंद्र और राज्यों के बीच पीएमजीएसवाई के वित्तपोषण में भागीदारी का अनुपात सभी राज्यों के लिए 60:40 रहा है लेकिन 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई) को भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक अलग घटक के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 11,725 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से 5,41,81 किमी. लंबी सड़कों और 126 पुलों/सीडी कार्यों का निर्माण करना है।

17.05. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई) को भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक अलग घटक के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 11,725 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से 5,41,81 किमी. लंबी सड़कों और 126 पुलों/सीडी कार्यों का निर्माण करना है।

18.01. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:** दीनदीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत जून 2011 में की गई है। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्यय ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व –सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है और उन्हें तब तक निरंतर सहायता प्रदान करना है, जब तक कि वे एक समयावधि में अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर लेती हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार करके घोर गरीबी से उबर नहीं आती हैं। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लगभग सभी 8.0 से 10.0 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं को लाभान्वित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों को अपने आजीविका कार्यकलाप शुरू करने के लिए मुख्यत: सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) और परिक्रामी निधि (आरएफ) के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। डीएवाई-एनआरएलएम में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंकों से अधिकतम 3.00 लाख रू. के ऋण प्राप्त करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान भी है। चुनिंदा 250 पिछड़े जिलों में यदि ऋण समय से चुका दिया जाता है तो अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत रह जाती है।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) डीएवाई-एनआरएलएम का एक घटक है। इसमें कृषि पर निर्भर गरीबों की मौजूदा आजीविकाओं और कृषि में महिलाओं की भागीदारी तथा उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

स्टार्टर-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में लघु उद्यम शुरू करने में सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमों की सहायता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करके इस कार्य को किया जाता है। इस कार्यक्रम को फिलहाल 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य परियोजना अवधि के दौरान लगभग 20000 उद्यमों में सहायता प्रदान करना है।

ग्रामीण स्व -रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) देश के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना करने के लिए गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से संबद्ध कौशल विकास योजना है। यह योजना कौशल विकास योजनाओं संबंधी सामान्य मानकों के अनुरूप बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में युवाओं के कौशल विकास के लिए हिमायत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में एक लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य आवंटित किया है। देश के सभी राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई के लागू होने के बावजूद, डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक जागरूकता एवं मांग के परिणामस्वरूप राज्यों की अगुवाई में डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन 28 राज्यों में किया गया है।

कार्यक्रम घटक: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना के आधार पर अवसंरचनाएं उपलब्ध कराना तथा आर्थिक कार्यकलापों एवं कौशल का विकास करना है। इस मिशन में इस विजन का अनुपालन किया जाता है अर्थात "अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वझरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रूर्बन गांवों' के रूप में विकसित करना है।" इस मिशन का उद्देश्यप स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुनियोजित रूर्बन क्लकस्टररों का सृजन करना है।

परियोजना घटकों के कार्यान्वयन में समेकन और तालमेल के माध्यम से 5 वर्षों की निर्धारित समय सीमा में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके बाद 10 वर्षों की संचालन एवं रख-रखाव अवधि होगी। इस परियोजना को मिशन के अंतर्गत वित्तपोषण की एक इकाई के रूप में माना जाएगा। परियोजना के लिए निधियां विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय प्रायोजित और राज्य योजनाओं में तालमेल के माध्यम से जुटाई जाएंगी। विभिन्न योजनाओं में तालमेल के माध्यम से जुटाई गई निधियों को पूरक बनाने के लिए यह मिशन इस परियोजना के लिए आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सीजीएफ) प्रदान करेगा। लक्षित 300 क्लस्टरों में से, 29 राज्यों और 6 सं.रा. क्षेत्रों में 295 क्लस्टरों का निर्धारण करके उन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया है।

20. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण:** "वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण, स्थानीय स्तर पर उपयुक्त मकान डिजाइन प्रारुप विज्ञान के विकास तथा विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए समर्पित संरचना से मकानों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और समय पर निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं। मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासविहीन 2.95 करोड़ परिवारों को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की 3 वर्षों की अवधि में 81,975 करोड़ रू. की लागत से 1 करोड़ परिवारों के लिए मकान बनाने का आदेश दिया था। शेष 1.95 करोड़ परिवार अगले 3 वर्षों (अर्थात वर्ष 2019-20 से 2021-22) में शामिल किए जाएंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 83

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1810.96	...	1810.96	2511.40	...	2511.40	1996.10	...	1996.10	2227.24	...	2227.24
वसूलियां	*-37.10*	...	-37.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1773.86**	**...**	**1773.86**	**2511.40**	**...**	**2511.40**	**1996.10**	**...**	**1996.10**	**2227.24**	**...**	**2227.24**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	9.56	...	9.56	10.40	...	10.40	10.10	...	10.10	11.24	...	11.24
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया संबंधी पहल-भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकिकरण का कार्यक्रम	97.76	...	97.76	250.00	...	250.00	145.00	...	145.00	150.00	...	150.00
	-4.48	...	-4.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*93.28*	...	*93.28*	*250.00*	...	*250.00*	*145.00*	...	*145.00*	*150.00*	...	*150.00*
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. ईएपी घटक												
3.01 कार्यक्रम घटक	1699.39	...	1699.39	2146.00	...	2146.00	1826.00	...	1826.00	1961.00	...	1961.00
	-32.62	...	-32.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*1666.77*	...	*1666.77*	*2146.00*	...	*2146.00*	*1826.00*	...	*1826.00*	*1961.00*	...	*1961.00*
3.02 इ ए पी घटक	4.25	...	4.25	105.00	...	105.00	15.00	...	15.00	105.00	...	105.00
जोड़- ईएपी घटक	*1671.02*	...	*1671.02*	*2251.00*	...	*2251.00*	*1841.00*	...	*1841.00*	*2066.00*	...	*2066.00*
कुल जोड़	***1773.86***	***...***	***1773.86***	***2511.40***	***...***	***2511.40***	***1996.10***	***...***	***1996.10***	***2227.24***	***...***	***2227.24***
ख. विकासात्मक शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-24.79	...	-24.79	38.25	...	38.25	20.41	...	20.41	38.00	...	38.00
2. भू सुधार	93.28	...	93.28	225.00	...	225.00	130.50	...	130.50	135.00	...	135.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	9.56	...	9.56	10.40	...	10.40	10.10	...	10.10	11.24	...	11.24
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**78.05**	**...**	**78.05**	**273.65**	**...**	**273.65**	**161.01**	**...**	**161.01**	**184.24**	**...**	**184.24**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	250.10	...	250.10	198.60	...	198.60	221.60	...	221.60
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1695.81	...	1695.81	1987.65	...	1987.65	1636.49	...	1636.49	1821.40	...	1821.40
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**1695.81**	**...**	**1695.81**	**2237.75**	**...**	**2237.75**	**1835.09**	**...**	**1835.09**	**2043.00**	**...**	**2043.00**
कुल जोड़	**1773.86**	**...**	**1773.86**	**2511.40**	**...**	**2511.40**	**1996.10**	**...**	**1996.10**	**2227.24**	**...**	**2227.24**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालयीय व्यय के लिए है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकिकरण का कार्यक्रम:** भूमि संसाधन विभाग का ध्यान, प्रयास और जोर यह है (क) डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में उचित समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए जो अन्य देशों के साथ-साथ भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी में सुधार करेगी, (ख) भूमि संसाधनों का उपयोग अनुकूलित करे, (ग) दोनों जमीन मालिकों और प्रॉस्पेक्टर्स, (घ) नीति और योजना में सहायता, (ङ) जमीन के विवादों को कम करने और (च) धोखाधड़ी / बेनामी लेनदेन को जांचने और सभी उपलब्ध सुविधाओं के लिए ऑनलाइन एकल-खिड़की एक-एक नजर प्रदान करते हैं , जमींदार, संबंधित अधिकारियों / एजेंसियों और इच्छुक व्यक्ति / उद्यमी आदि के लिए किसी भी भूखंड की उचित स्थिति देने के लिए प्रासंगिक जानकारी।

3. **ईएपी घटक:** 2009-10 में शुरूकिए गए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) को 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के रूप में मिला दिया गया था। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का मुख्य उद्देश्य और परिकल्पना भूमि,विशेष रूप से वर्षासिंचित कृषि योग्य क्षेत्रों और कृषि योग्य बंजरभूमि की उत्पादकता और आजीविका/आय क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना है। किए जा रहे कार्यकलापों में अन्य के साथ-साथ रिज क्षेत्र निरूपण,जल निकास लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वनीकरण, बागवानी,चारागाह विकास,सम्पत्तिहीन लोगों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। 2009-10 से 2014-15 के दौरान28 राज्यों में केंद्र के हिस्से के रूप में 33,642.24 करोड़ रु. की लागत से लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल मेंकुल 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। विश्व बैंक सहायता प्राप्त नीरांचल परियोजना डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को तकनीकी सहायता प्रदान करती है और 2141.30 करोड़ रू. की लागत से 09 राज्यों में 18 चुनिंदा जिलों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसे 50:50 आधार पर विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा साझा किया जाना है। परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान को कार्यान्वयक साझेदार के रूप में नियुक्त किया गया है और वन अनुसंधान संस्थान को क्षमता संवर्धन सहायता एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4621.26	13.95	4635.21	5067.38	67.50	5134.88	5067.39	67.50	5134.89	5251.11	90.00	5341.11
वसूलियां	*-39.48*	*...*	-39.48	*-20.10*	*...*	*-20.10*	*-20.10*	*...*	*-20.10*	*-20.10*	*...*	*-20.10*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**4581.78**	**13.95**	**4595.73**	**5047.28**	**67.50**	**5114.78**	**5047.29**	**67.50**	**5114.79**	**5231.01**	**90.00**	**5321.01**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	72.64	2.00	74.64	84.10	50.00	134.10	84.10	50.00	134.10	88.45	70.00	158.45
2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग	377.11	8.15	385.26	397.87	14.00	411.87	398.97	14.00	412.97	401.16	15.00	416.16
	...	...	...	-5.10	...	-5.10	-5.10	...	-5.10	-5.10	...	-5.10
निवल	*377.11*	*8.15*	*385.26*	*392.77*	*14.00*	*406.77*	*393.87*	*14.00*	*407.87*	*396.06*	*15.00*	*411.06*
3. राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन	14.32	...	14.32	17.98	3.50	21.48	17.98	3.50	21.48	20.75	5.00	25.75
4. विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता	7.57	...	7.57	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50	9.50	...	9.50
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**471.64**	**10.15**	**481.79**	**506.35**	**67.50**	**573.85**	**507.45**	**67.50**	**574.95**	**514.76**	**90.00**	**604.76**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण	1005.08	...	1005.08	1124.43	...	1124.43	1017.43	...	1017.43	1100.20	...	1100.20
	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00
निवल	*990.08*	*...*	*990.08*	*1109.43*	*...*	*1109.43*	*1002.43*	*...*	*1002.43*	*1085.20*	*...*	*1085.20*
6. अनुसंधान और विकास	499.88	...	499.88	609.00	...	609.00	493.50	...	493.50	481.00	...	481.00
7. नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	609.73	3.80	613.53	720.00	...	720.00	781.40	...	781.40	862.35	...	862.35
8. अन्तरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	5.00	...	5.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2099.69**	**3.80**	**2103.49**	**2438.43**	**...**	**2438.43**	**2277.34**	**...**	**2277.34**	**2433.55**	**...**	**2433.55**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
9. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड	800.00	...	800.00	900.00	...	900.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00
10. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	170.00	...	170.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**970.00**	**...**	**970.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**	**1100.00**	**...**	**1100.00**	**1100.00**	**...**	**1100.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
स्वायत्त निकाय												
11. स्वायत्तशासी निकायो को सहायता	1064.93	...	1064.93	1102.50	...	1102.50	1162.50	...	1162.50	1182.70	...	1182.70
अन्य												
12. वास्तविक वसूलियां	-24.48	...	-24.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**2010.45**	**...**	**2010.45**	**2102.50**	**...**	**2102.50**	**2262.50**	**...**	**2262.50**	**2282.70**	**...**	**2282.70**
कुल जोड़	***4581.78***	***13.95***	***4595.73***	***5047.28***	***67.50***	***5114.78***	***5047.29***	***67.50***	***5114.79***	***5231.01***	***90.00***	***5321.01***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4509.15	...	4509.15	4963.18	...	4963.18	4963.19	...	4963.19	5142.56	...	5142.56
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	72.63	...	72.63	84.10	...	84.10	84.10	...	84.10	88.45	...	88.45
3. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	10.15	10.15	...	67.50	67.50	...	67.50	67.50	...	90.00	90.00
4. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	...	3.80	3.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**4581.78**	**13.95**	**4595.73**	**5047.28**	**67.50**	**5114.78**	**5047.29**	**67.50**	**5114.79**	**5231.01**	**90.00**	**5321.01**
कुल जोड़	**4581.78**	**13.95**	**4595.73**	**5047.28**	**67.50**	**5114.78**	**5047.29**	**67.50**	**5114.79**	**5231.01**	**90.00**	**5321.01**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के स्थापना व्यय के लिए है।

2. **भारतीय सर्वेक्षण विभाग:** यह प्रावधान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के तहत निर्देशन और प्रशासन (महा सर्वेक्षक), प्रशिक्षण संगठनों और नक्शे, चार्ट, रिपोर्ट आदि के प्रकाशन के लिए है।

3. **राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन के तहत अंग्रेजी और हिन्दी में भारत के राष्ट्रीय एटलस के संकलन, समस्त भारत को समावेश करने वाली स्वर्णिम मानचित्र सेवा और भौगोलिक/कार्टोग्राफिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया गया है।

4. **विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता:** यह प्रावधान विदेश स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों में तैनात परामर्शदाताओं के लिए किया गया है।

5. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण:** इसमें आर एंड डी सहायता, राज्य एस एंड टी कार्यक्रम, नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ, विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम, सहसंबंध और आर एंड डी मिशन (इंस्पायर पुरस्कार और इंस्पायर कार्यक्रम) के लिए आवंटन शामिल है।

6. **अनुसंधान और विकास:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामंजस्य परियोजना, राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन, आधारभूत अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं, सहसंबंध और आर एंड डी मिशन (जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम) और सुपर कंप्यूटिंग सुविधा एवं क्षमता निर्माण के लिए आवंटन शामिल है।

7. **नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन:** इसमें प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एस एंड टी कार्यक्रम, कार्यक्रम (प्रदर्शनी एवं मेले), औषधि तथा भेषज अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान केन्द्रों के लिए आवंटन शामिल है।

8. **अन्तरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन:** अंन्तरविष्यक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन: इसमें कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान शामिल है।

9. **विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड:** इसमें एसईआरबी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, में बोर्ड के प्राथमिक एवं विशिष्ट अधिदेश के तहत विज्ञान और इंजीनियरी के उभरते हुए क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान को सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान शामिल है ।

10. **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड:** इसमें टीडीबी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, में घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने और व्यापक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु प्रावधान शामिल है।

11. **स्वायत्तशासी निकायो को सहायता:** इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित स्वायत्त संस्थानों और वृत्तिक निकायों के लिए प्रावधान शामिल है:-

1) अघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे, 2) आर्यभटट् प्रेक्षणात्मक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल , 3) बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान , लखनऊ, 4) बोस संस्थान, कोलकाता, 5) नैनो एवं मृदु सामग्री अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर, 6) अंतरर्राष्ट्रीय पूर्ण धात्विकी एवं नव सामग्री उन्नत अनुसंधान केन्द्र ,हैदराबाद , 7) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली, 8) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साईंस ,कोलकाता, 9) भारतीय भू-चुबंकत्व संस्थान, मुम्बई, 10) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर, 11) राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रतिष्ठान, 12) राष्ट्रीय प्रयोगशाला अंशशोधन तथा जांच प्रत्यायन बोर्ड , नई दिल्ली, 13) रमन अनुसंधान संस्थान , बंगलौर, 14) एस.एन.बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केन्द्र , कोलकाता, 15) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, 16) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी, 17) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक), 18) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून, 19) विज्ञान प्रसार , नई दिल्ली, 20) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी , इलाहबाद, 21)भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता, 22) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली, 23)भारतीय विज्ञान अकादमी, बेगंलोर, 24) भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी , नई दिल्ली, 25)भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, बंगलौर।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 85

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2231.42	...	2231.42	2411.53	...	2411.53	2411.53	...	2411.53	2580.34	...	2580.34
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2231.42**	**...**	**2231.42**	**2411.53**	**...**	**2411.53**	**2411.53**	**...**	**2411.53**	**2580.34**	**...**	**2580.34**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	26.87	...	26.87	32.31	...	32.31	31.61	...	31.61	32.31	...	32.31
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	1239.10	...	1239.10	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00	1474.97	...	1474.97
3. औद्योगिक और उद्यमिता विकास	210.94	...	210.94	249.24	...	249.24	249.24	...	249.24	280.20	...	280.20
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**1450.04**	**...**	**1450.04**	**1599.24**	**...**	**1599.24**	**1599.24**	**...**	**1599.24**	**1755.17**	**...**	**1755.17**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. स्वायतशासी संस्थानों को सहायता	724.51	...	724.51	748.98	...	748.98	749.68	...	749.68	761.86	...	761.86
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
5. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	30.00	...	30.00	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**754.51**	**...**	**754.51**	**779.98**	**...**	**779.98**	**780.68**	**...**	**780.68**	**792.86**	**...**	**792.86**
कुल जोड़	***2231.42***	***...***	***2231.42***	***2411.53***	***...***	***2411.53***	***2411.53***	***...***	***2411.53***	***2580.34***	***...***	***2580.34***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2204.55	...	2204.55	2219.29	...	2219.29	2219.99	...	2219.99	2372.51	...	2372.51
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.87	...	26.87	32.31	...	32.31	31.61	...	31.61	32.31	...	32.31
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**2231.42**	**...**	**2231.42**	**2251.60**	**...**	**2251.60**	**2251.60**	**...**	**2251.60**	**2404.82**	**...**	**2404.82**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	159.93	...	159.93	159.93	...	159.93	175.52	...	175.52

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**159.93**	**...**	**159.93**	**159.93**	**...**	**159.93**	**175.52**	**...**	**175.52**
कुल जोड़	**2231.42**	**...**	**2231.42**	**2411.53**	**...**	**2411.53**	**2411.53**	**...**	**2411.53**	**2580.34**	**...**	**2580.34**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** सचिवालय आर्थिक सेवाएँ यह प्रावधान बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास:** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक विकास के अधीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित मानव संसाधन विकास, जैवसूचना, बायोटेक सुविधाएं, उत्कृष्टता केंद्र और अंतर-संस्थागत केंद्र, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पहचान किए गए प्रमुख राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है।

3. **औद्योगिक और उद्यमिता विकास:** वे स्कीमें जिनके लिए सहायता दी जाती है जिसमें सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम, बायोक्लस्टर और बायोटेक पार्क शामिल हैं।

4. **स्वायतशासी संस्थानों को सहायता:** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसंधान, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में लगे 16 स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थान नामत: (i) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली; ii) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे; iii) डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र, हैदराबाद; iv) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुड़गांव; v)राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; vi)जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल; vii)जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर; viii)ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फ़रीदाबाद; ix) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनन्तपुरम; x) राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक संस्थान, कल्याणी; xi) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फ़रीदाबाद; xii) राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, संस्थान; xiii) स्टेम कोशिका विज्ञान एवं संजीवनी औषधि संस्थान, बेंगालुरु; xiv) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद; xv) नवाचार अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली; और xvi) अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, नई दिल्ली है।

5. **जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद:** यह प्रावधान विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैसे लाभ के लिए काम नहीं कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 86

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4617.12	1.71	4618.83	4786.97	9.00	4795.97	4567.84	5.00	4572.84	4886.24	9.65	4895.89
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**4617.12**	**1.71**	**4618.83**	**4786.97**	**9.00**	**4795.97**	**4567.84**	**5.00**	**4572.84**	**4886.24**	**9.65**	**4895.89**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	10.68	1.00	11.68	14.26	1.50	15.76	13.02	1.50	14.52	12.66	3.50	16.16
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास	12.03	0.30	12.33	21.50	5.00	26.50	19.00	1.00	20.00	24.00	4.00	28.00
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता	10.00	0.25	10.25	13.00	2.00	15.00	12.64	2.00	14.64	16.00	1.65	17.65
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**22.03**	**0.55**	**22.58**	**34.50**	**7.00**	**41.50**	**31.64**	**3.00**	**34.64**	**40.00**	**5.65**	**45.65**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)												
4.01 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	4357.12	...	4357.12	4434.71	...	4434.71	4271.28	...	4271.28	4531.58	...	4531.58
4.02 क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास	225.00	...	225.00	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00	300.00	...	300.00
जोड़- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)	*4582.12*	*...*	*4582.12*	*4734.71*	*...*	*4734.71*	*4521.28*	*...*	*4521.28*	*4831.58*	*...*	*4831.58*
5. परामर्श विकास केंद्र	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	**4583.12**	**...**	**4583.12**	**4736.71**	**...**	**4736.71**	**4521.78**	**...**	**4521.78**	**4832.08**	**...**	**4832.08**
अन्य												
6. प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) को योगदान	1.29	0.16	1.45	1.50	0.50	2.00	1.40	0.50	1.90	1.50	0.50	2.00
7. वास्तविक वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**1.29**	**0.16**	**1.45**	**1.50**	**0.50**	**2.00**	**1.40**	**0.50**	**1.90**	**1.50**	**0.50**	**2.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**4584.41**	**0.16**	**4584.57**	**4738.21**	**0.50**	**4738.71**	**4523.18**	**0.50**	**4523.68**	**4833.58**	**0.50**	**4834.08**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	***4617.12***	***1.71***	***4618.83***	***4786.97***	***9.00***	***4795.97***	***4567.84***	***5.00***	***4572.84***	***4886.24***	***9.65***	***4895.89***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	1.00	1.00	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	3.50	3.50
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**1.00**	**1.00**	**...**	**1.50**	**1.50**	**...**	**1.50**	**1.50**	**...**	**3.50**	**3.50**
आर्थिक सेवाएं												
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4606.44	...	4606.44	4772.71	...	4772.71	4554.82	...	4554.82	4873.58	...	4873.58
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	10.68	...	10.68	14.26	...	14.26	13.02	...	13.02	12.66	...	12.66
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	0.25	0.25	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.65	1.65
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	0.16	0.16	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
6. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	...	0.30	0.30	...	5.00	5.00	...	1.00	1.00	...	4.00	4.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**4617.12**	**0.71**	**4617.83**	**4786.97**	**7.50**	**4794.47**	**4567.84**	**3.50**	**4571.34**	**4886.24**	**6.15**	**4892.39**
कुल जोड़	**4617.12**	**1.71**	**4618.83**	**4786.97**	**9.00**	**4795.97**	**4567.84**	**5.00**	**4572.84**	**4886.24**	**9.65**	**4895.89**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	0.25	...	0.25	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.65	...	1.65
जोड़	**0.25**	**...**	**0.25**	**2.00**	**...**	**2.00**	**2.00**	**...**	**2.00**	**1.65**	**...**	**1.65**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान केन्द्र के स्थापना व्यय के अंतर्गत सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास:** इसमें विभाग के कार्यक्रमों अर्थात व्यक्तियों, शुरुआतियों और एमएसएमई में नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहन (प्रिज्म), पेंटेंट अर्जन और सहयोगात्मिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस), औद्योगिक अनुसंधान और विकास एवं सामान्य अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण (बर्ड) तथा प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए ज्ञान तक पहुंच से संबंधित योजना (ए2के प्लस) के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

3. **अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता:** इसमें सैंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि0 (सीईएल) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के लिए राजस्व आवंटन के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

4.01. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं:** इसमें सीएसआईआर स्कीम के राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, प्रशासन, सीएसआईआर 800 स्कीमें, एकीकृत, भागीदारीकृत तथा सहयोगात्मक अनुसंधान तथा विकास के लिए सीएसआईआर शुरूआत, बौद्धिक सम्पदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबन्धंन, नई सहस्त्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व शुरूआत, राष्ट्रीय नागरिक वायुयान विकास, सीएसआईआर स्कीम के मुक्त नवप्रवर्तन के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

4.02. **क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास:** इसमें सीएसआईआर स्कीमों: अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्तियां तथा शिक्षा वृत्तियां और वैज्ञानिक पूल के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

5. **परामर्श विकास केंद्र:** इसमें परामर्श विकास केन्द्र (सीडीसी), नई दिल्ली – एक स्वायत्त निकाय को सहायता प्रदान करने के अंतर्गत राजस्व आवंटन के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

6. **प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) को योगदान:** इसमें प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए एशिया तथा प्रशांत केन्द्र (एपीसीटीटी) के लिए राजस्व तथा पूंजी आवंटनों के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

नौवहन मंत्रालय

मांग संख्या 87

नौवहन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1626.70	235.83	1862.53	1839.47	421.66	2261.13	2072.38	371.38	2443.76	1955.99	526.57	2482.56
वसूलियां	*-0.42*	*-53.78*	-54.20	*...*	*-60.00*	*-60.00*	*...*	*-185.00*	*-185.00*	*...*	*-260.00*	*-260.00*
प्राप्तियां	*-319.05*	*...*	*-319.05*	*-320.00*	*...*	*-320.00*	*-320.00*	*...*	*-320.00*	*-320.00*	*...*	*-320.00*
निवल	**1307.23**	**182.05**	**1489.28**	**1519.47**	**361.66**	**1881.13**	**1752.38**	**186.38**	**1938.76**	**1635.99**	**266.57**	**1902.56**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	49.24	...	49.24	75.00	...	75.00	59.43	...	59.43	60.71	...	60.71
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
2. महापत्तनों का विकास	59.05	...	59.05	168.57	...	168.57	168.57	...	168.57	98.00	...	98.00
3. लघु पत्तनों का विकास												
3.01 लघु पत्तन	56.68	46.77	103.45	65.00	75.00	140.00	58.32	53.73	112.05	55.38	54.87	110.25
4. तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास	10.26	...	10.26	14.00	...	14.00	4.05	...	4.05	6.00	...	6.00
जोड़-पत्तनों का विकास	**125.99**	**46.77**	**172.76**	**247.57**	**75.00**	**322.57**	**230.94**	**53.73**	**284.67**	**159.38**	**54.87**	**214.25**
सागरमाला												
5. सागरमाला												
5.01 सागरमाला स्कीमें और परियोजनाएं	171.13	...	171.13	130.00	...	130.00	131.12	...	131.12	150.00	...	150.00
5.02 सागरमाला के अंतर्गत अन्य स्कीमे	182.95	...	182.95	220.00	...	220.00	124.96	...	124.96	200.00	...	200.00
5.03 सागरमाला विकास कंपनी	...	125.00	125.00	...	250.00	250.00	...	125.00	125.00	...	200.00	200.00
5.04 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	125.00	125.00	...	200.00	200.00
5.05 सीआरआईएफ से व्यय	...	...	...	...	...	...	...	-125.00	-125.00	...	-200.00	-200.00
निवल	*354.08*	*125.00*	*479.08*	*350.00*	*250.00*	*600.00*	*256.08*	*125.00*	*381.08*	*350.00*	*200.00*	*550.00*
पोत और पोत निर्माण,												
6. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	0.44	...	0.44	30.50	...	30.50	28.30	...	28.30	97.00	...	97.00
अंतर्देशीय जल परिवहन												
7. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	442.82	...	442.82	500.00	...	500.00	384.95	...	384.95	450.00	...	450.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. आईडब्ल्यूएआई परियोजना												
8.01 ईएपी घटक	...	...	...	...	...	...	370.54	...	370.54	200.00	...	200.00
8.02 कार्यक्रम घटक	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00
8.03 ईबीआर के तहत ब्याज	...	...	...	...	...	...	77.00	...	77.00	77.00	...	77.00
जोड़- आईडब्ल्यूएआई परियोजना	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*497.54*	*...*	*497.54*	*307.00*	*...*	*307.00*
9. बांग्लादेश को सहायता	27.04	...	27.04	8.00	...	8.00	8.64	...	8.64	...	...	...
जोड़-अंतर्देशीय जल परिवहन	**469.86**	**...**	**469.86**	**508.00**	**...**	**508.00**	**891.13**	**...**	**891.13**	**757.00**	**...**	**757.00**
10. वास्तविक वसूली	-0.42	...	-0.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**949.95**	**171.77**	**1121.72**	**1136.07**	**325.00**	**1461.07**	**1406.45**	**178.73**	**1585.18**	**1363.38**	**254.87**	**1618.25**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	8.51	...	8.51	10.75	...	10.75	8.50	...	8.50	8.60	...	8.60
12. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	...	...	...
13. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	36.00	...	36.00	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	...	...
14. कोलकाता पत्तन न्यास	167.39	9.71	177.10	155.00	0.01	155.01	155.00	...	155.00	100.00	...	100.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**241.90**	**9.71**	**251.61**	**195.75**	**1.66**	**197.41**	**193.50**	**1.65**	**195.15**	**108.60**	**...**	**108.60**
अन्य												
15. नौवहन महानिदेशालय	97.25	0.57	97.82	112.65	35.00	147.65	93.00	6.00	99.00	103.30	11.70	115.00
16. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
16.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	287.94	53.78	341.72	320.00	60.00	380.00	320.00	60.00	380.00	320.00	60.00	380.00
16.02 वसूली	...	-53.78	-53.78	...	-60.00	-60.00	...	-60.00	-60.00	...	-60.00	-60.00
16.03 प्राप्तियां	-319.05	...	-319.05	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00
निवल	*-31.11*	*...*	*-31.11*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़-अन्य	**66.14**	**0.57**	**66.71**	**112.65**	**35.00**	**147.65**	**93.00**	**6.00**	**99.00**	**103.30**	**11.70**	**115.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**308.04**	**10.28**	**318.32**	**308.40**	**36.66**	**345.06**	**286.50**	**7.65**	**294.15**	**211.90**	**11.70**	**223.60**
कुल जोड़	***1307.23***	***182.05***	***1489.28***	***1519.47***	***361.66***	***1881.13***	***1752.38***	***186.38***	***1938.76***	***1635.99***	***266.57***	***1902.56***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	36.76	...	36.76	32.50	...	32.50	29.10	...	29.10	97.84	...	97.84
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	445.99	...	445.99	593.32	...	593.32	550.52	...	550.52	497.98	...	497.98
3. नौवहन	127.25	...	127.25	142.65	...	142.65	123.00	...	123.00	103.30	...	103.30
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	452.95	...	452.95	368.00	...	368.00	766.13	...	766.13	670.36	...	670.36
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	48.68	...	48.68	73.00	...	73.00	58.63	...	58.63	59.87	...	59.87
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	...	171.77	171.77	...	325.00	325.00	...	178.73	178.73	...	254.87	254.87

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	0.57	0.57	...	35.00	35.00	...	6.00	6.00	...	11.70	11.70
8. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	9.71	9.71	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
9. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1111.63**	**182.05**	**1293.68**	**1209.47**	**361.66**	**1571.13**	**1527.38**	**186.38**	**1713.76**	**1429.35**	**266.57**	**1695.92**
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	140.00	...	140.00	125.00	...	125.00	86.64	...	86.64
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	195.60	...	195.60	170.00	...	170.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
जोड़-अन्य	**195.60**	**...**	**195.60**	**310.00**	**...**	**310.00**	**225.00**	**...**	**225.00**	**206.64**	**...**	**206.64**
कुल जोड़	**1307.23**	**182.05**	**1489.28**	**1519.47**	**361.66**	**1881.13**	**1752.38**	**186.38**	**1938.76**	**1635.99**	**266.57**	**1902.56**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
अन्य सहकारी समितियों को उधार												
1. कोचीन बंदरगाह न्यास	...	27.79	27.79	...	5.90	5.90	...	67.41	67.41	...	46.71	46.71
2. पाराद्वीप बंदरगाह न्यास	...	76.97	76.97	...	120.00	120.00	...	118.00	118.00	...	123.00	123.00
3. वोचिदम्बरन बंदरगाह न्यास	...	140.07	140.07	...	341.62	341.62	...	185.71	185.71	...	535.99	535.99
4. जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह न्यास	...	1383.01	1383.01	...	2065.35	2065.35	...	2817.39	2817.39	...	2127.88	2127.88
5. न्यू मैंगलोर बंदरगाह न्यास	...	77.55	77.55	...	87.40	87.40	...	71.10	71.10	...	81.90	81.90
6. चेन्नई बंदरगाह न्यास	...	49.99	49.99	...	73.51	73.51	...	79.52	79.52	...	84.00	84.00
7. मुम्बई बंदरगाह न्यास	...	234.15	234.15	...	431.57	431.57	...	492.27	492.27	...	518.42	518.42
8. दीनदयाल बंदरगाह न्यास कांडला	...	325.45	325.45	...	458.07	458.07	...	382.36	382.36	...	711.88	711.88
9. मोरमंगांव बंदरगाह न्यास	...	52.23	52.23	...	241.19	241.19	...	30.47	30.47	...	29.18	29.18
10. विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास	...	277.00	277.00	...	108.00	108.00	...	133.51	133.51	...	131.12	131.12
11. कामराजर बंदरगाह न्यास	...	403.95	403.95	...	250.00	250.00	...	200.00	200.00	...	300.00	300.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	...	314.78	314.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	157.10	157.10	...	495.00	495.00	...	495.00	495.00	...	660.00	660.00
14. भारतीय पोत निगम	...	645.50	645.50	...	50.00	50.00	...	200.00	200.00	...	50.00	50.00
15. भारतीय तलकर्षण निगम	...	15.41	15.41	...	19.62	19.62	...	19.62	19.62	...	20.00	20.00
16. कोलकाता बंदरगाह न्यास	...	81.36	81.36	...	82.57	82.57	...	130.76	130.76	...	157.71	157.71
17. सागरमाला विकास कंपनी	125.00	...	125.00	250.00	...	250.00	125.00	...	125.00	200.00	...	200.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
जोड़-अन्य सहकारी समितियों को उधार	**125.00**	**4262.31**	**4387.31**	**250.00**	**4829.80**	**5079.80**	**125.00**	**5423.12**	**5548.12**	**200.00**	**5577.79**	**5777.79**
जोड़	**125.00**	**4262.31**	**4387.31**	**250.00**	**4829.80**	**5079.80**	**125.00**	**5423.12**	**5548.12**	**200.00**	**5577.79**	**5777.79**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।

2. **महापत्तनों का विकास:** यह प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए है जिसमें वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास और मुरमुगांव पत्तन न्यास शामिल हैं।

3. **लघु पत्तनों का विकास:** इसमें अंडमान, लक्षद्वीप, हार्बर वर्क्स, नौवहन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय को सहायता शामिल है।

4. **तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास:** यह प्रावधान 14 तेल संचालन प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों में और साथ ही अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के व्यय के लिए तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों (पत्तन जल में टीयर -1 तेल फैल) की खरीद के लिए है।

5. **सागरमाला:** यह प्रावधान चरण 1 मेंतटीय सामुदायिक विकास, तटीय क्षेत्रों के विकास और अनूठे और नवीन परियोजनाओं के वित्तपोषण और सागरमला विकास कंपनी के लिए आवंटन के लिए सहायता के लिए है, जिसे वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। परियोजना विशेष प्रयोजन वाहन और शेष परियोजनाओं के तहत अवशिष्ट परियोजनाएं। सागरमला कार्यक्रम के तहत पहचाने गए परियोजनाओं से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक बुनियादी ढांचे के निवेश को जुटाए जाने की संभावना है, घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) के शेयरों को दोबारा मिश्रण में मिलाकर 35,000-40,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत लागत उत्पन्न होती है, जो 110 बिलियन अमरीकी डालर से पव्य निर्यात को बढ़ावा देता है और अगले 10 वर्षों में 40 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों सहित 1 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करने में सक्षम है।

6. **पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए अनुदान देने के लिए है। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों शिपयार्ड को छोड़कर सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।

7. **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को अक्टूबर, 1986 में जहाजरानी और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। आईडब्ल्यूएआई मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के बुनियादी ढांचे के विकास और विनियमन का कार्य करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

8. **आईडब्ल्यूएआई परियोजना:** यह प्रावधान अंतर्देशीय जलमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ई ए पी परियोजनाएँ के लिए - (i) एमएमटी, वाराणसी के निर्माण की चार उप-परियोजनाओं का कार्यान्वयन और कमीशन है; (ii) एमएमटी, साहिबगंज में निर्माण; (iii) फराक्का में नेविगेशन लॉक; और (iv) एमएमटी का निर्माण, हल्दी और जेएमवीपी के तहत अन्य अधीनस्थ परियोजनाएं। "

11. **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।

14. **कोलकाता पत्तन न्यास:** यह कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया जलमार्ग और हुगली नदी में अनुरक्षण और तलकर्षण हेतु सब्सिडी के भुगतान के लिए है।

15. **नौवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान नौवहन महानिदेशालय जो मर्चेंट नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है, के स्थापना व्यय के लिए है। यह मर्चेंट नौवहन विधियों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्यण का कार्य भी करना है। यह प्रावधान समुद्री आपातकालीन निधि तथा डीजी नौवहन ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यय जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है, के प्रशासन के लिए भी है।

16. **दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय:** दीपस्तंभ और दीपपोत्त संगठन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो दीपपोत्त, ध्वनि संकेत, बायोज, रेडिओ संकेत आदि जैसे नौसंचालन सहायता प्रदान करता है। यह दीपस्तंभों के निर्माण और अनुरक्षण तथआ पोतों के मार्गनिर्देशक का कार्य की करता है। पूंजीगत प्रावधान दीपस्तंभों और अन्य नौसंचालन साधनों का निर्माण और विकास के लिए है। इसे भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार संग्रहीन दीप शुल्कों से पूरा किया जाता है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मांग संख्या 88

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2171.20	26.82	2198.02	3141.00	259.00	3400.00	2750.54	69.52	2820.06	2926.11	63.10	2989.21
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2171.20**	**26.82**	**2198.02**	**3141.00**	**259.00**	**3400.00**	**2750.54**	**69.52**	**2820.06**	**2926.11**	**63.10**	**2989.21**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	41.24	6.83	48.07	70.00	56.66	126.66	51.72	3.00	54.72	54.46	3.00	57.46
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
कार्य एवं कौशल विकास												
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना												
2.01 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00	...	...	...
2.02 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड	...	...	...	24.75	...	24.75	1.00	...	1.00	...	...	...
2.03 कौशल विकास	1736.19	...	1736.19	2154.34	...	2154.34	2250.34	...	2250.34	2400.00	...	2400.00
2.04 उद्यमिता विकास	4.92	...	4.92	87.86	...	87.86	20.50	...	20.50	37.25	...	37.25
2.05 आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान	...	...	...	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
2.06 शिक्षुता और प्रशिक्षण	323.80	19.99	343.79	544.05	202.34	746.39	367.51	66.52	434.03	...	...	...
2.07 पॉलिटेक्निक की योजना	45.05	...	45.05	190.00	...	190.00	44.47	...	44.47	...	...	...
2.08 प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	61.25	...	61.25
2.09 संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	340.15	40.10	380.25
2.10 कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	13.00	20.00	33.00
2.11 विनियामक संस्थानों को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	*2129.96*	*19.99*	*2149.95*	*3071.00*	*202.34*	*3273.34*	*2698.82*	*66.52*	*2765.34*	*2871.65*	*60.10*	*2931.75*
कुल जोड़	***2171.20***	***26.82***	***2198.02***	***3141.00***	***259.00***	***3400.00***	***2750.54***	***69.52***	***2820.06***	***2926.11***	***63.10***	***2989.21***

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	6.83	6.83	...	56.66	56.66	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**6.83**	**6.83**	**...**	**56.66**	**56.66**	**...**	**3.00**	**3.00**	**...**	**3.00**	**3.00**
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1476.07	...	1476.07	1933.75	...	1933.75	2203.15	...	2203.15	1935.32	...	1935.32
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	41.24	...	41.24	70.00	...	70.00	51.72	...	51.72	54.46	...	54.46
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	19.99	19.99	...	189.84	189.84	...	66.52	66.52	...	60.00	60.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1517.31**	**19.99**	**1537.30**	**2003.75**	**189.84**	**2193.59**	**2254.87**	**66.52**	**2321.39**	**1989.78**	**60.00**	**2049.78**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	314.41	...	314.41	244.08	...	244.08	291.12	...	291.12
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	649.19	...	649.19	760.29	...	760.29	241.55	...	241.55	629.51	...	629.51
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.70	...	4.70	62.55	...	62.55	10.04	...	10.04	15.70	...	15.70
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	12.50	12.50	...	...	...	...	0.10	0.10
जोड़-अन्य	**653.89**	**...**	**653.89**	**1137.25**	**12.50**	**1149.75**	**495.67**	**...**	**495.67**	**936.33**	**0.10**	**936.43**
कुल जोड़	**2171.20**	**26.82**	**2198.02**	**3141.00**	**259.00**	**3400.00**	**2750.54**	**69.52**	**2820.06**	**2926.11**	**63.10**	**2989.21**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** यह मंत्रालय के सचिवालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा जन शिक्षण संस्थान के लिए व्यय उपलब्ध कराता है। मंत्रालय के लिए नए भवन के निर्माण का प्रावधान भी किया गया है।

2.01. **राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी कौशल संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक एवं आर्थिक अंतराल को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे कौशल विकास प्रयासों के बीच समन्वय तथा तालमेल स्थापित करेगी।

2.02. **राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड:** राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड : राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड देश में कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करने, मूल्यांकन करने तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक स्वायत्तशासी वृत्तिक बोर्ड के रूप में कार्य करेगा।

2.03. **कौशल विकास:** कौशल का विकास : (i) देश के विभिन्न क्षेत्रों में 2016-2020 के दौरान एक करोड़ व्यक्तियों (75 लाख नए प्रशिक्षुओं तथा 25 लाख पूर्व शिक्षण में ज्ञात) को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई); (ii) आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अभिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) -यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अधिदेशों को कार्यान्वित करना है; (iii) एनएसडीसी , एक पीपीपी कंपनी है जो तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर क्षमता सृजन द्वारा निजी क्षेत्र में कौशल विकास को संवर्धन प्रदान करती है; (iv) उच्च गुणवत्ता के परिणामों को सुनिश्चित करते हुए मानक एवं गति के अनुरूप कौशल फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को लागू करना; (v) अखिल भारतीय स्तर पर कौशल निर्माण संबंधी कार्यक्रमों को विस्तार प्रदान करने, समन्वय स्थापित करने, क्रियान्वित तथा अनुरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को लागू करना; और(vi) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाए जाने वाले सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सामान्य मानदंडों को लागू करना।

2.04. **उद्यमिता विकास:** उद्यमिता शिक्षा तथा प्रशिक्षण , पक्ष समर्थन, परामर्शदात्री नेटवर्क, ऋण, इनक्यूबेटर तथा एक्सीलरेटर, सूचना प्लेटफार्म तथा अनुसंधान सहित उद्यमिता पारिस्थितिकी के विभिन्न संघटकों तक आसान पहुंच के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक अनुकूल परिस्थिति सृजित करना।

2.05. **आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत असेवित ब्लॉकों तथा क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने पर बल देते हुए उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी से 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

2.06. **शिक्षुता और प्रशिक्षण:** देशभर में व्यावसायिक/शिक्षुपता प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित, संचालित करना तथा प्रदान करना, प्रशिक्षण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करना, नए प्रशिक्षण संस्थानों को खोलना, राज्य सरकारों कों कौशल विकास एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना तथा लाभकारी रोजगार के लिए उद्योगों को प्रशिक्षण के साथ संयोजित करना।

2.07. **पॉलिटेक्निक की योजना:** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसका लक्ष्य राज्य की उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा आयोजना तैयार करेंगे जो विस्तार, समता और उत्कृष्टता की समस्याओं का एक साथ निवारण करने के लिए परस्पर संबंधित कार्यनीति का उपयोग करेंगे। केन्द्रीय निधियन राज्य उच्चतर शिक्षा के अकादमी, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार से संबंधित होगा। इसमें पोलिटेकनिक को सहायता के लिए प्रावधान भी शामिल होगा।

2.08. **प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन:** इस स्कीम का उद्देश्य उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए शिक्षुओं के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करना और विनिर्माण, सेवा तथा व्यापार क्षेत्रों आदि में 40 या उसके अधिक कार्यबल वाले ''विनिर्दिष्ट ट्रेडो'' तथा ''ऐच्छिक ट्रेडों'' में नियोजकों के लिए शिक्षु रखने की अनिवार्यता संबंधी शिक्षुता अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन करना है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम का मुख्य उद्देश्य शिक्षुता प्रशिक्षण का संवर्धन करना तथा शिक्षुओं की संख्या अगस्त 2016 में 2.3 लाख से बढ़ाकर 2020 तक संचयी रूप से 50 लाख करना है।

2.09. **संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** इस स्कीम का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा पॉलिटेक्निकों के जरिए उपलब्ध कराए जाने वाले कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन, प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना और इन संस्थानों की सहायता के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की क्षमता बढ़ाना है। इसके साथ-साथ देश के युवाओं के रोजगार संवर्धन के अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु युवाओं को तकनीकी रुप से संपन्न और उद्योग हेतु पूर्णत: तैयार बनाने के लिए उभरते क्षेत्रों/ व्यावसायिक क्षेत्रों हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रगति के अनुरूप सरकारी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन और अद्यतन करना।

2.10. **कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण:** इस स्कीम का उद्देश्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (आईटीई) सिंगापुर की तर्ज पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में 3 भारतीय कौशल संस्थानों (उत्कृष्टता केंद्रों) की स्थापना करना है। यह उन्नत पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई) शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) तथा मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल (एमईएस) की कौशल विकास पहल स्कीम तहत पाठ्यक्रमों के लिए अनुदेशात्मक मीडियापैकेजों के विकास की एक कार्यान्वयन एजेंसी है। केंद्रीय स्टॉफ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई) व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सुधार के लिए अनुसंधान करता है और स्टॉफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है।

2.11. **विनियामक संस्थानों को सहायता:** मंत्रिमंडल ने 10.10.2018 को दो मौजूदा निकायों अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) तथा राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड का विलय करके राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना को मंजूरी दी थी। यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में संलग्न निकायों के कार्यों का विनियमन करेगी तथा इन निकायों के कार्यों के न्यूनतम मानक निर्धारित करेगी। एनसीवीईटी का मुख्य कार्य अवार्डिंग निकायों, आकलनकर्ता निकायों तथा सूचना प्रदाताओं को मान्यता देना और इनका विनियमन करना, सेक्टर कौशल परिषदों और अवार्डिंग निकायों द्वारा विकसित अर्हताओं का अनुमोदन तथा अवार्डिंग निकायों और आकलनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 89

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6481.29	273.22	6754.51	7342.60	407.40	7750.00	9792.35	277.40	10069.75	7524.99	275.01	7800.00
वसूलियां	*-7.49*	...	-7.49	...	...	...	*-106.50*	...	*-106.50*	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**6473.80**	**273.22**	**6747.02**	**7342.60**	**407.40**	**7750.00**	**9685.85**	**277.40**	**9963.25**	**7524.99**	**275.01**	**7800.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	41.46	...	41.46	46.54	...	46.54	46.54	...	46.54	51.93	...	51.93
राष्ट्रीय आयोग												
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	15.69	...	15.69	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	24.11	...	24.11
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	3.00	...	3.00	5.80	...	5.80	5.80	...	5.80	6.30	...	6.30
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	4.55	...	4.55	5.92	...	5.92	5.92	...	5.92	9.46	...	9.46
5. राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग	1.92	...	1.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय आयोग	**25.16**	**...**	**25.16**	**33.72**	**...**	**33.72**	**33.72**	**...**	**33.72**	**39.87**	**...**	**39.87**
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**66.62**	**...**	**66.62**	**80.26**	**...**	**80.26**	**80.26**	**...**	**80.26**	**91.80**	**...**	**91.80**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केंद्रीय छात्रवृत्तियां												
6. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	225.40	...	225.40	300.00	...	300.00	240.00	...	240.00	260.00	...	260.00
7. अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	20.00	...	20.00	110.00	...	110.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
8. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग	19.84	...	19.84	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	30.00	...	30.00
9. अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	33.96	...	33.96	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00	40.50	...	40.50
10. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	4.59	...	4.59	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
11. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	19.87	...	19.87	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़-केंद्रीय छात्रवृत्तियां	**323.66**	**...**	**323.66**	**500.00**	**...**	**500.00**	**335.00**	**...**	**335.00**	**390.50**	**...**	**390.50**
12. राष्ट्रीय वयोश्री योजना												
12.01 जीबीएस से मिले राशि	1.50	...	1.50	0.01	...	0.01	106.51	...	106.51	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12.02 सीनियर नागरिक कल्याण कोष से मिले कम राशि	...	...	...	...	...	...	-106.50	...	-106.50	...	...	...
निवल	*1.50*	*...*	*1.50*	*0.01*	*...*	*0.01*	*0.01*	*...*	*0.01*	*0.01*	*...*	*0.01*
13. अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
14. मेला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना	...	...	...	...	...	...	70.00	...	70.00	30.00	...	30.00
15. अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी कोष	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16. वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	...	...	...	...	...	...	60.00	...	60.00	105.00	...	105.00
17. शराब और द्रव्य (मादक पदार्थ) का दुरूपयोग रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति	...	...	...	...	...	...	80.00	...	80.00	105.00	...	105.00
18. मादक पदार्थों और द्रव्य के दुरूपयोग, विस्तार पैटर्न और प्रचलन की पहुंच के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00	0.99	...	0.99
19. सूचना और दूरसंचार प्रकोष्ठ	...	...	...	...	...	...	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
20. अनुसंधान , अध्ययन और प्रकाशन	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
21. भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50	5.00	...	5.00
22. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए स्कीम	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
23. सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
24. ओबीसी के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक समूहों को सहायता	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**325.16**	**...**	**325.16**	**500.01**	**...**	**500.01**	**663.51**	**0.01**	**663.52**	**765.50**	**0.01**	**765.51**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
25. बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
26. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	...	...	...	...	...	...	25.15	...	25.15	25.00	...	25.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**26.15**	**...**	**26.15**	**26.00**	**...**	**26.00**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
27. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	...	...	...	...	...	...	...	137.39	137.39	...	100.00	100.00
28. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	...	...	...	...	...	...	30.00	30.00	...	35.00	35.00
29. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम	...	...	...	...	...	...	...	100.00	100.00	...	80.00	80.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**267.39**	**267.39**	**...**	**215.00**	**215.00**
अन्य												
30. अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम पूंजी कोष	...	...	...	...	...	...	...	10.00	10.00	...	60.00	60.00
31. डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
32. डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**15.00**	**10.00**	**25.00**	**20.00**	**60.00**	**80.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**41.15**	**277.39**	**318.54**	**46.00**	**275.00**	**321.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना												
33. शैक्षिक सशक्तिकरण												
33.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	3414.18	...	3414.18	3000.00	...	3000.00	6000.00	...	6000.00	2926.82	...	2926.82
33.02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	62.97	...	62.97	125.00	...	125.00	109.45	...	109.45	355.00	...	355.00
33.03 बालक और बालिका छात्रावास	74.91	...	74.91	160.45	...	160.45	32.00	...	32.00	107.76	...	107.76
33.04 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन	1.22	...	1.22	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
33.05 अस्वच्छ व्यवसायों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	0.35	...	0.35	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
जोड़- शैक्षिक सशक्तिकरण	*3553.63*	*...*	*3553.63*	*3290.46*	*...*	*3290.46*	*6145.46*	*...*	*6145.46*	*3394.59*	*...*	*3394.59*
34. विशेष केन्द्रीय सहायता												
34.01 अनुसूचित जाति उप-स्कीमों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	731.38	...	731.38	1000.00	...	1000.00	900.00	...	900.00	1300.00	...	1300.00
35. नागरिक अधिकार												
35.01 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत बनाना	355.86	...	355.86	403.72	...	403.72	403.72	...	403.72	490.00	...	490.00
35.02 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र	40.00	...	40.00	15.00	...	15.00	...	...	...	...	...	...
35.03 अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	70.00	...	70.00	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
35.04 डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	62.00	...	62.00	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
35.05 बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- नागरिक अधिकार	*528.86*	*...*	*528.86*	*474.72*	*...*	*474.72*	*403.72*	*...*	*403.72*	*490.00*	*...*	*490.00*
36. आजीविका												
36.01 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	...	128.21	128.21	...	137.39	137.39	...	...	...	...	...	...
36.02 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	5.00	5.00	...	30.00	30.00	...	...	...	...	...	...
36.03 अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि	...	50.00	50.00	...	140.00	140.00	...	...	...	...	...	...
36.04 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
36.05 अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी निधि	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
36.06 सफाई कर्मचारियों (स्केटवेंजरों) के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना	5.00	...	5.00	20.00	...	20.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- आजीविका	*25.00*	*183.22*	*208.22*	*40.00*	*307.40*	*347.40*	*20.00*	*...*	*20.00*	*30.00*	*...*	*30.00*
37. अवसंरचना विकास												
37.01 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	39.00	...	39.00	70.00	...	70.00	140.00	...	140.00	180.00	...	180.00
जोड़-अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना	**4877.87**	**183.22**	**5061.09**	**4875.18**	**307.40**	**5182.58**	**7609.18**	**...**	**7609.18**	**5394.59**	**...**	**5394.59**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम												
38. पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं												
38.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	829.61	...	829.61	1100.00	...	1100.00	983.25	...	983.25	909.10	...	909.10
38.02 राज्य	128.23	...	128.23	232.00	...	232.00	132.00	...	132.00	120.00	...	120.00
38.03 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	...	90.00	90.00	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...
38.04 बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास	42.50	...	42.50	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
38.05 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना	11.00	...	11.00	103.00	...	103.00	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00
38.06 विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए योजना	5.40	...	5.40	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
38.07 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	15.00	...	15.00	30.00	...	30.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं	*1031.74*	*90.00*	*1121.74*	*1525.00*	*100.00*	*1625.00*	*1178.25*	*...*	*1178.25*	*1092.10*	*...*	*1092.10*
39. अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं												
39.01 वृद्धजनों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	44.47	...	44.47	60.00	...	60.00	...	...	...	...	...	...
39.02 राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण योजना	48.97	...	48.97	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
39.03 सूचना तथा जन-शिक्षा सैल	36.48	...	36.48	65.00	...	65.00	...	...	...	...	...	...
39.04 राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान	22.66	...	22.66	15.15	...	15.15	...	...	...	...	...	...
39.05 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
39.06 भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
39.07 समाज रक्षा सेवा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...	...	...	...	...
39.08 नशीली दवा दुरुपयोग और नशीले पदार्थ दुरुपयोग की प्रमात्रा, पैटर्न और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण	22.22	...	22.22	7.00	...	7.00	...	...	...	...	...	...
39.09 अनुसंधान, अध्ययन और प्रकाशन	1.10	...	1.10	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
39.10 राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण नीति	...	...	...	155.50	...	155.50	113.50	...	113.50	135.00	...	135.00
जोड़- अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं	*179.90*	*...*	*179.90*	*362.15*	*...*	*362.15*	*113.50*	*...*	*113.50*	*135.00*	*...*	*135.00*
जोड़-अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम	**1211.64**	**90.00**	**1301.64**	**1887.15**	**100.00**	**1987.15**	**1291.75**	**...**	**1291.75**	**1227.10**	**...**	**1227.10**
40. वास्तविक वसूलियां	-7.49	...	-7.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**6082.02**	**273.22**	**6355.24**	**6762.33**	**407.40**	**7169.73**	**8900.93**	**...**	**8900.93**	**6621.69**	**...**	**6621.69**
कुल जोड़	***6473.80***	***273.22***	***6747.02***	***7342.60***	***407.40***	***7750.00***	***9685.85***	***277.40***	***9963.25***	***7524.99***	***275.01***	***7800.00***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	**0.04**	**...**	**0.04**	**0.04**	**...**	**0.04**	**0.04**	**...**	**0.04**	**0.04**	**...**	**0.04**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	577.00	...	577.00	771.54	...	771.54	582.19	...	582.19	653.86	...	653.86
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	179.98	...	179.98	327.46	...	327.46	305.96	...	305.96	339.81	...	339.81
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	41.42	...	41.42	46.50	...	46.50	46.50	...	46.50	51.89	...	51.89
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	273.22	273.22	...	407.40	407.40	...	277.40	277.40	...	275.01	275.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**798.40**	**273.22**	**1071.62**	**1145.50**	**407.40**	**1552.90**	**934.65**	**277.40**	**1212.05**	**1045.56**	**275.01**	**1320.57**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	304.51	...	304.51	318.03	...	318.03	239.96	...	239.96
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	5669.83	...	5669.83	5873.05	...	5873.05	8413.63	...	8413.63	6220.13	...	6220.13
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.53	...	5.53	19.50	...	19.50	19.50	...	19.50	19.30	...	19.30
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**5675.36**	**...**	**5675.36**	**6197.06**	**...**	**6197.06**	**8751.16**	**...**	**8751.16**	**6479.39**	**...**	**6479.39**
कुल जोड़	**6473.80**	**273.22**	**6747.02**	**7342.60**	**407.40**	**7750.00**	**9685.85**	**277.40**	**9963.25**	**7524.99**	**275.01**	**7800.00**

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय का प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना व्यय हेतु किया गया है।

3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।

4. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।

5. **राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।

6. **अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप:** यह योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एम.फिल/पी.एचडी. के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में समकक्ष अनुसंधान उपाधि के लिए 2005-06 में शुरु की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

7. **अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि वे उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें।

8. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग:** यह प्रावधान अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी बनाने के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए है और इसको प्रसिद्ध संस्थानों/केंद्रों/यूटी प्रशासनों/विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

9. **अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा:** इस स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्ट संस्थानों को अधिसूचित किया गया है और इनमें से किसी भी संस्थान में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें उनकी ट्यूशन फीस, जीवन-निर्वाह-खर्च, पुस्तकों और कंप्यूटर संबंधी जरुरतें पूरी होती हैं।

10. **अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति:** यह प्रावधान अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए किया गया है।

11. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति:** यह प्रावधान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए किया गया है।

12. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना:** यह केन्द्रीय क्षेत्र का स्कीम है जो वृद्धावस्था संबंधित निशक्तता/अपगंता वाले गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक को के लिए भौतिक सहायता और जीवन रक्षा के उपकरण प्रदान करता है।

13. **अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को चलाने वाली गतिविधियों, चिकित्सा केंद्रों, औषधालयों जैसी सेवा गतिविधियों तथा विभिन्न वाणिज्यिक व्यवसायों के तकनीकी प्रशिक्षण जैसी आय सृजक गतिविधियों की प्रत्येक परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सहायता स्वैच्छिक संगठनों को दी जाती है।

14. **मेला ढोनेे वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य समयबद्ध तरीके से शेष मैला होने वालों तथा उनपर आश्रितों का पुनर्वास करना है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वविकास अथवा रोजगार के लिए लाभार्थियों को ऋण, सब्सिडी और प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

15. **अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी कोष:** इस प्रावधान में अनुसूचित जातियों के लिए आईएफसीआई के माध्यम से क्रेडिट गारंटी निधि शामिल है।

16. **वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस स्कीम में वृद्धावस्था डे-केयर केंद्रों को चलाने और उसके रखरखाव के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

17. **शराब और द्रव्य (मादक पदार्थ) का दुरूपयोग रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति:** शराब और द्रव (मादक पदार्थ) दुरुपयोग रोकधाम योजना से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान है।

18. **मादक पदार्थों और द्रव्य के दुरूपयोग, विस्तार पैटर्न और प्रचलन की पहुंच के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण:** यह प्रावधान मादक पदार्थों और द्रव के दुरुपयोग, विस्तार पैटर्न और प्रचलन की पहुंच के राष्ट्रीय सर्वेक्षण से संबंधित व्यय के लिए है।

19. **सूचना और दूरसंचार प्रकोष्ठ:** यह प्रावधान सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित व्यय के लिए है।

20. **अनुसंधान , अध्ययन और प्रकाशन:** यह प्रावधान अनुसंधान अध्ययन और प्रकाशन से संबंधित व्यय के लिए है।

21. **भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम:** यह प्रावधान भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम से संबंधित व्यय के लिए है।

22. **उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए स्कीम:** यह प्रावधान उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए स्कीम के व्यय के लिए है।

23. **सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता:** यह प्रावधान सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता संबंधी व्यय के लिए है।

24. **ओबीसी के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक समूहों को सहायता:** यह प्रावधान ओबीसी की शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए हैं। इस स्कीम के तहत अनुमोदित व्यय का 90 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किया जाता है।

25. **बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ:** यह प्रावधान बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ के लिए है।

26. **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान संबंधी व्यय के लिए है।

27. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।

28. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।

29. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।

30. **अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम पूंजी कोष:** यह प्रावधान में आइएफसीआई के माध्यम से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उपक्रम पूंजी निधि सम्मलित है।

31. **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक:** यह प्रावधान डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए है।

32. **डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र:** यह प्रावधान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के लिए है।

34.01. **अनुसूचित जाति उप-स्कीमों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति वर्गों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों को विशेष बल देना है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है जो अनुसूचित जातियों की उपयोजना का निर्धारण और क्रियान्वयन कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए उच्च आय सृजन क्रियाकलापों में अपने सामार्थ्य और उत्कृष्टता को साबित करने के लिए नए उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम के मौजूदा प्रारुप के भीतर बल दिया जा रहा है।

33.01. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद या माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए और उन्हें अपनी शिक्षा को पूरी करने के सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

33.02. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए उनके माता-पिता को सहायता प्रदान करना है ताकि स्कूल छोड़ने की समस्या, विशेष तौर पर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान, को दूर किया जा सके।

33.03. **बालक और बालिका छात्रावास:** अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए छात्रावास भवन के निर्माण हेतु संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो शिक्षा के माध्यमिक और उच्चतर स्तर में अध्ययनरत हैं। संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को नए छात्रावास भवन के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवन के विस्तार हेतु 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। निजी क्षेत्र में गैर सरकारी संगठ नों और मानद विश्वविद्यालयों को अपने मौजूदा बालिका छात्रावासों के विस्तार हेतु अनुमानित लागत की 90 प्रतिशत तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

33.04. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन:** यह प्रावधान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन के लिए है।

33.05. **अस्वच्छ व्यवसायों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित लक्षित समूहों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है -

(i) मैला ढो वाले (ii) सफाई कर्मचारी (iii) चर्मकार (iv) फ्लेयर (v) मैन होल और खुले नाले को साफ करने वाले और (vi) कूड़ा बीनने वाले

35.01. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत बनाना:** अनन्य रूप से विशेष न्यायालयों की स्थापना और संचालन, अंतरजातीय विवाह हेतु प्रोत्साहनों, अत्याचार पीड़ितों को राहत और इनका पुनर्वास और इनमें जागरुकता सृजन के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों के संचालन और सुदृढीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

36.04. **राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम:** यह प्रावधान राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए है।

37.01. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए है।

38.01. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर या माध्यमिक स्तर के पश्चात् की शिक्षा से लेकर पी.एच.डी. डिग्री तक अपनी शिक्षा को पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

38.02. **राज्य:** इस स्कीम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

38.04. **बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास:** इस स्कीम का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मुहैया कराना है।

38.05. **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना:** यह प्रावधान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना के लिए है।

38.06. **विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए योजना:** यह प्रावधान विमुक्त और घुमन्तु जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास की स्कीम के लिए है।

39.10. **राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण नीति:** यह आवंटन राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण नीति के लिए किया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 90

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	895.58	32.74	928.32	1031.52	38.48	1070.00	1049.25	20.75	1070.00	1103.69	41.21	1144.90
वसूलियां	*-5.85*	...	-5.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**889.73**	**32.74**	**922.47**	**1031.52**	**38.48**	**1070.00**	**1049.25**	**20.75**	**1070.00**	**1103.69**	**41.21**	**1144.90**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	20.76	...	20.76	25.51	...	25.51	25.50	...	25.50	28.67	...	28.67
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम												
2. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	200.01	...	200.01	220.00	...	220.00	223.42	...	223.42	230.00	...	230.00
3. सूचना एवं सामूहिक शिक्षा प्रकोष्ठ	16.39	...	16.39	35.00	...	35.00	15.00	...	15.00	28.00	...	28.00
4. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	75.00	...	75.00
5. ब्रेल प्रैंसो की संस्थापन/ आधुनिकीकरण / क्षमता वृद्धि के लिए सहायता	9.11	...	9.11	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00
6. सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार	3.21	...	3.21	5.10	...	5.10	4.10	...	4.10	...	...	...
7. राष्ट्रीय न्यास की सहायता	13.14	...	13.14	17.00	...	17.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
8. राज्य स्पाइनल इंजुरी सैंटर स्थापित करना	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
9. भारतीय स्पाइनल इंजुरी सैंटर	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
10. दिव्यांगता संबंधी तकनीकी उत्पादों एवं मामलों पर अनुसंधान	0.38	...	0.38	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
11. श्रवण-बाधितों के लिए कालेजों की स्थापना	0.69	...	0.69	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
12. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	30.70	...	30.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. दिव्यांग छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	14.91	...	14.91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति	9.07	...	9.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	0.70	...	0.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क कोचिंग	0.90	...	0.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
17. दिव्यांगजनों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा	0.67	...	0.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. विकलांगता अधिनियम के साथ व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	330.00	...	330.00
जोड़-दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	**364.88**	**...**	**364.88**	**368.10**	**...**	**368.10**	**353.52**	**...**	**353.52**	**703.00**	**...**	**703.00**
19. विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	...	...	...	75.66	...	75.66	125.43	...	125.43	125.00	...	125.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**364.88**	**...**	**364.88**	**443.76**	**...**	**443.76**	**478.95**	**...**	**478.95**	**828.00**	**...**	**828.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
20. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन	...	...	...	13.00	...	13.00	...	...	...	0.01	...	0.01
21. भारतीय पुनर्वास परिषद	5.71	...	5.71	7.20	...	7.20	5.22	...	5.22	5.00	...	5.00
22. भारतीय संकेत भाषा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
23. दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र	...	...	...	2.50	...	2.50	...	...	...	7.00	...	7.00
24. राष्ट्रीय विस्तृत और सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	0.01	...	0.01
25. राष्ट्रीय मानसिक मंदता स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान	...	...	...	14.05	...	14.05	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
26. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	222.50	...	222.50	215.00	...	215.00	256.70	...	256.70	215.00	...	215.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**232.71**	**...**	**232.71**	**257.25**	**...**	**257.25**	**276.92**	**...**	**276.92**	**242.02**	**...**	**242.02**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
27. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	...	32.74	32.74	...	38.48	38.48	...	20.75	20.75	...	41.21	41.21
28. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	9.58	...	9.58	5.00	...	5.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**5.00**	**32.74**	**37.74**	**5.00**	**38.48**	**43.48**	**9.58**	**20.75**	**30.33**	**5.00**	**41.21**	**46.21**
अन्य												
29. वास्तविक वसूलियां	-5.85	...	-5.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**231.86**	**32.74**	**264.60**	**262.25**	**38.48**	**300.73**	**286.50**	**20.75**	**307.25**	**247.02**	**41.21**	**288.23**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम												
30. दिव्यांगों के लिए स्कीमें												
30.01 दिव्यांगजन अधिनियम स्कीमों का क्रियान्वयन	272.23	...	272.23	300.00	...	300.00	258.30	...	258.30	...	...	...
कुल जोड़	***889.73***	***32.74***	***922.47***	***1031.52***	***38.48***	***1070.00***	***1049.25***	***20.75***	***1070.00***	***1103.69***	***41.21***	***1144.90***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	723.49	...	723.49	849.37	...	849.37	864.49	...	864.49	904.30	...	904.30
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	18.20	...	18.20	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	25.00	...	25.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	32.74	32.74	...	34.63	34.63	...	19.51	19.51	...	37.73	37.73
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**741.69**	**32.74**	**774.43**	**871.37**	**34.63**	**906.00**	**886.49**	**19.51**	**906.00**	**929.30**	**37.73**	**967.03**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	82.88	...	82.88	85.49	...	85.49	85.80	...	85.80
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	148.04	...	148.04	77.24	...	77.24	77.24	...	77.24	88.56	...	88.56
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	3.85	3.85	...	1.24	1.24	...	3.48	3.48
जोड़-अन्य	**148.04**	**...**	**148.04**	**160.15**	**3.85**	**164.00**	**162.76**	**1.24**	**164.00**	**174.39**	**3.48**	**177.87**
कुल जोड़	**889.73**	**32.74**	**922.47**	**1031.52**	**38.48**	**1070.00**	**1049.25**	**20.75**	**1070.00**	**1103.69**	**41.21**	**1144.90**

1. **सचिवालय:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं मुख्य आयुक्त दिव्यांगता के सचिवालय पर व्यय का प्रावधान है।

2. **दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता:** दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढाने के लिए जरुरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रुप से निर्मित , आधुनिक, मानक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद के लिए विभिन कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

3. **सूचना एवं सामूहिक शिक्षा प्रकोष्ठ:** विभाग की योजनाओं के प्रचार हेतु फंड जारी किए गये है।

4. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:** इस योजना के अंतर्गत, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों की पुनर्वास परियोजनाओं से संबंधित स्वैच्छक संगठनों के जरिए यह योजना कार्यान्वित की जाती है।

5. **ब्रेल प्रैंसो की संस्थापन/ आधुनिकीकरण / क्षमता वृद्धि के लिए सहायता:** जिन राज्यों में सशक्त संगठन कार्यरत है, वहां सहायता उपलब्ध कराने/ब्रेल प्रेस स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

6. **सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार:** दिव्यांगता क्षेत्र में आने वाले नवीन एवं मुख्य मामलों के दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने वाले जागरुकता उत्पन्न करने एवं प्रचार के अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने तथा संवेदीकरण का प्रावधान है।

7. **राष्ट्रीय न्यास की सहायता:** इस स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय न्यास को उसकी स्कीमों के लिए निधि जारी की जाती है।

8. **राज्य स्पाइनल इंजुरी सैंटर स्थापित करना:** राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता का प्रावधान किया गया है।

9. **भारतीय स्पाइनल इंजुरी सैंटर:** सरकार ने गरीब रोगियों के उपचार हेतु 25 बिस्तर निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए एस आई सी को सहायता प्रदान की।

10. **दिव्यांगता संबंधी तकनीकी उत्पादों एवं मामलों पर अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान उद्देश्य के लिए किया गया है।

11. **श्रवण-बाधितों के लिए कालेजों की स्थापना:** ऋणों बाधितों को अपनी उच्चतर शिक्षाएं शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए हेतु जारी रखने के लिए प्रावधान का उद्देश्य श्रवण बाधितों के लिए कालेजों की स्थापना करना है।

18. **विकलांगता अधिनियम के साथ व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना:** इस स्कीम केअंतर्गत विकलांगता अधिनियम, 1995 विशेषत: पुनर्वास और मुक्त पहुंच के प्रावधान के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को सहायता देने के लिए स्वायत्त निकायों तथा विश्वविद्यालयों सहित केंद्र सरकार और राज्य सराकरों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

19. **विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** सचिव, दिव्यांमगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यशक्षता में स्थाेयी वित्त। समिति ने अनुमोदित किया है कि दिव्यांैग छात्रों के लिए सभी 6 छात्रवृत्ति योजनाएं बजट आवंटन की मांग आपूर्ति असंतुलन को समाप्त करने के विषय में दिव्यांषग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शीर्षक के तहत एक योजना में आमिलित की जाएं। अन्यि शब्दों में, यदि इसमें एक घटक में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो वह अधिशेष अन्यि घटकों में उपयोग में लाया जा सकता है।

20. **राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन:** राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है।

21. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** यह भारतीय पुनर्वास परिषद को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है, जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के समान मानक लागू करने की सर्वोच्च सांविधिक निकाय है।

22. **भारतीय संकेत भाषा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र:** यह केंद्र दिव्यांगता क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के दृष्टिकोण से व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराता है।

23. **दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र:** दिव्यांगजनों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।

24. **राष्ट्रीय विस्तृत और सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान:** राष्ट्रीय संस्थान/सार्वभौमिक डिजाइन एवं बाधामुक्त वातावरण केंद्र की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है।

25. **राष्ट्रीय मानसिक मंदता स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान:** योजना अभी निरूपित की जा रही है।

26. **राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:** दिव्यांगता क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के लिए व्यवासायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये संस्थान पंजीकृत सोसाइटियां है तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित हैं।

27. **राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए शेयर पूजी की व्यवस्था की गई है।

28. **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम:** निगम द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग निर्मित किए जाते है।

30.01. **दिव्यांगजन अधिनियम स्कीमों का क्रियान्वयन:** केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों तथा सुगम्य भारत अभियान और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 विशेष रुप से पुनर्वास एवं बाधा रहित सुगम्यता के कार्यान्वयन से संबद्ध गतिविधियों में सहायक स्वायत निकाय एवं विश्वविद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

अंतरिक्ष विभाग

मांग संख्या 91

अंतरिक्ष विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5334.51	3796.05	9130.56	5496.18	5287.24	10783.42	5664.27	5535.73	11200.00	5874.72	5663.54	11538.26
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	*-3.40*	*-3.40*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**5334.51**	**3792.65**	**9127.16**	**5496.18**	**5287.24**	**10783.42**	**5664.27**	**5535.73**	**11200.00**	**5874.72**	**5663.54**	**11538.26**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	39.91	...	39.91	30.00	...	30.00	45.00	...	45.00	35.00	...	35.00
2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय	132.87	39.09	171.96	143.00	1026.55	1169.55	170.00	209.50	379.50	158.00	174.00	332.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**172.78**	**39.09**	**211.87**	**173.00**	**1026.55**	**1199.55**	**215.00**	**209.50**	**424.50**	**193.00**	**174.00**	**367.00**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	3268.45	2679.32	5947.77	3382.87	3193.15	6576.02	3448.56	3544.04	6992.60	3594.93	3887.66	7482.59
4. अंतरिक्ष उपयोग	945.54	594.42	1539.96	1039.73	706.52	1746.25	1028.92	566.27	1595.19	1107.55	777.90	1885.45
5. अंतरिक्ष विज्ञान	61.00	126.05	187.05	102.28	127.82	230.10	103.70	90.20	193.90	105.83	179.97	285.80
6. इन्सैकट उपग्रह प्रणालियां	211.00	353.77	564.77	178.40	233.20	411.60	204.48	1125.72	1330.20	240.41	644.01	884.42
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**4485.99**	**3753.56**	**8239.55**	**4703.28**	**4260.69**	**8963.97**	**4785.66**	**5326.23**	**10111.89**	**5048.72**	**5489.54**	**10538.26**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.)	97.00	...	97.00	110.00	...	110.00	75.00	...	75.00	80.00	...	80.00
8. सेमी कण्डक्टर प्रयोगशाला (एस.सी.एल.)	329.00	...	329.00	250.00	...	250.00	330.00	...	330.00	300.00	...	300.00
9. उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एन.ई.-सैक)	32.40	...	32.40	35.00	...	35.00	44.35	...	44.35	40.00	...	40.00
10. राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.)	24.70	...	24.70	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
11. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.)	190.00	...	190.00	180.00	...	180.00	160.00	...	160.00	145.00	...	145.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**673.10**	**...**	**673.10**	**615.00**	**...**	**615.00**	**659.35**	**...**	**659.35**	**615.00**	**...**	**615.00**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
12. एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12.01 एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बोनस शेयरों का निर्गमन	...	3.40	3.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.02 घटाइए-वसूलियां	...	-3.40	-3.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य												
13. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.64	...	2.64	4.90	...	4.90	4.26	...	4.26	18.00	...	18.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**675.74**	**...**	**675.74**	**619.90**	**...**	**619.90**	**663.61**	**...**	**663.61**	**633.00**	**...**	**633.00**
कुल जोड़	***5334.51***	***3792.65***	***9127.16***	***5496.18***	***5287.24***	***10783.42***	***5664.27***	***5535.73***	***11200.00***	***5874.72***	***5663.54***	***11538.26***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अंतरिक्ष अनुसंधान	5294.60	...	5294.60	5466.18	...	5466.18	5619.27	...	5619.27	5839.72	...	5839.72
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	39.91	...	39.91	30.00	...	30.00	45.00	...	45.00	35.00	...	35.00
3. अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	3792.65	3792.65	...	5287.24	5287.24	...	5535.73	5535.73	...	5663.54	5663.54
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**5334.51**	**3792.65**	**9127.16**	**5496.18**	**5287.24**	**10783.42**	**5664.27**	**5535.73**	**11200.00**	**5874.72**	**5663.54**	**11538.26**
कुल जोड़	**5334.51**	**3792.65**	**9127.16**	**5496.18**	**5287.24**	**10783.42**	**5664.27**	**5535.73**	**11200.00**	**5874.72**	**5663.54**	**11538.26**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
एचआईएल भारत लिमिटेड												
1. एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	3.40	...	3.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-एचआईएल भारत लिमिटेड	**3.40**	**...**	**3.40**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़	**3.40**	**...**	**3.40**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

1. **सचिवालय:** अंतरिक्ष विभाग के सचिवालय पर खर्च किये जाने वाले व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

2. **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय:** इसके अंतर्गत इसरो मुख्यालय के व्यय, डिजिटल कार्य प्रवाह प्रणालियां एवं अंतरिक्षयान संवर्धन का निर्माण, सम्मेलनों के लिए सहायता, संगोष्ठी , इसरो पुरस्कार योजना एवं प्रमुख कार्यों और आवासीय सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

3. **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** इसके अंतर्गत, विभिन्न इसरो केन्द्र जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी), इसरो जडत्वीय प्रणाली यूनिट (आई.आई.एस.यू.), द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी), इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स (आई.पी.आर.सी.),

यू.आर.राव अंतरिक्ष केंद्र (यू.आर.एस.सी.), विद्युत-प्रकाशिकी प्रणाली प्रयोगशाला तंत्र (लियोस), सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र-शार (एस.डी.एस.सी-शार), इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क (इस्ट्रैक) मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) एवं मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एह.एस.ऍफ़.सी) और विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए प्रावधान शामिल किया गया है जिसमें विकासात्मक एवं प्रचालनात्मक परियोजनाओं सहित प्रमोचक राकेट परियोजनाएं तथा उपग्रह परियोजनाएं शामिल हैं।

4. **अंतरिक्ष उपयोग:** इसके अंतर्गत, विभिन्न इसरो केन्द्र जैसे अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (सैक), विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट (डेकू), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) एवं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई.आई.आर.एस.) और विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न अंतरिक्ष उपयोग परियोजनाओं के लिए प्रावधान शामिल किया गया है जिसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.), भू प्रेक्षण उपयोग मिशन (ई.ओ.ए.एम.) तथा आपदा प्रबंधन सहायता (डी.एम.एस.) शामिल हैं।

5. **अंतरिक्ष विज्ञान:** इसके अंतर्गत, इसरो द्वारा किए गए अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों के व्यय के लिए प्रावधान शामिल किया गया है जिसमें प्रायोजित अनुसंधान (रिस्पॉण्ड), संवेदक नीतभार विकास/ ग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम, जलवायु एवं पर्यावरण कार्यक्रम, वायुमंडलीय अध्ययन और खगोलविज्ञान हेतु लघु उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान प्रचार, आदित्यड-1, भारतीय चंद्र मिशन (चंद्रयान-। एवं ।।), एक्स-किरण ध्रुवणमापी उपग्रह (एक्सचपोसैट), अंतरिक्ष डॉकिंग परीक्षण मिशन, मंगल कक्षित्र मिशन-।। एवं शुक्र मिशन शामिल हैं।

6. **इन्सैकट उपग्रह प्रणालियां:** इसके अंतर्गत, प्रमोचन सेवा संविदाओं पर व्यय और प्रेषानुकरों को पट्टे पर लेने के व्यगय के साथ विभिन्न इन्सैट/जीसैट श्रेणी के उपग्रहों के व्यय के लिए प्रावधान शामिल किया गया है।

7. **भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.):** भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जिसका उद्देश्य है, उन्नत अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तर के संस्थान का सृजन करना और अं.वि/इसरो के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाला मानव संसाधन तैयार करना। इस संस्थान में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उपयोग के क्षेत्र में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

8. **सेमी कण्डक्टर प्रयोगशाला (एस.सी.एल.):** एस.सी.एल., सामरिक महत्व के क्षेत्रों की सख्त गुणवत्ता वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अत्यंत बडे पैमाने पर समेकित परिपथ (वी.एल.एस.आई.) उपकरणों तथा बड़े स्तर के उत्पादों के डिजाइन बनाने, विकास करने और उनके निर्माण कार्य में लगा है।

9. **उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एन.ई.-सैक):** उत्तर-पूर्वी परिषद् के साथ संयुक्त रूप से स्थापित एन.ई.-सैक एक स्वायत्त सोसाइटी है और यह सुदूर संवेदन और उपग्रह संचार के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी निवेशों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता और मानीटरन, अवसंरचना की विकासात्मक योजना बनाने तथा अन्योन्यक्रियाशील प्रशिक्षण पर सूचना प्रदान करते हुए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की सहायता करता है।

10. **राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.):** एन.ए.आर.एल., जो एक पंजीकृत सोसाइटी है, वायुमण्डलीय और अंतरिक्ष विज्ञान तथा संबंधित विषयों में उन्नत अनुसंधान आयोजित करने हेतु जिम्मेदार है।

11. **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.):** सहायता अनुदान द्वारा अंतरिक्ष विभाग से निधि प्राप्त पी.आर.एल. देश में परीक्षणात्मक व सैद्धांतिक भौतिकी एवं भू-विज्ञान के क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान आयोजित करने वाले अनुसंधान संस्थानों में से एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। पीआरएल, उदयपुर सौर वेधशाला के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।

13. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इसके अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा एशिया एवं प्रशांत सागर में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण केंद्र (सी.एस.एस.टी.ई.-ए.पी.) के व्यय हेतु प्रावधान शामिल किया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 92

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4293.87	8.20	4302.07	4844.00	15.00	4859.00	4913.62	15.00	4928.62	5216.33	14.73	5231.06
वसूलियां	*-0.97*	...	-0.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**4292.90**	**8.20**	**4301.10**	**4844.00**	**15.00**	**4859.00**	**4913.62**	**15.00**	**4928.62**	**5216.33**	**14.73**	**5231.06**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.59	...	32.59	35.93	...	35.93	34.70	...	34.70	36.60	...	36.60
2. भारतीय सांख्यिकी संस्थान	259.81	...	259.81	279.42	...	279.42	319.49	...	319.49	298.94	...	298.94
3. संबद्ध कार्यालय												
3.01 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन	43.24	...	43.24	50.76	...	50.76	50.54	...	50.54	53.79	...	53.79
3.02 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय	317.96	...	317.96	334.89	...	334.89	334.89	...	334.89	352.90	...	352.90
जोड़- संबद्ध कार्यालय	*361.20*	*...*	*361.20*	*385.65*	*...*	*385.65*	*385.43*	*...*	*385.43*	*406.69*	*...*	*406.69*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**653.60**	**...**	**653.60**	**701.00**	**...**	**701.00**	**739.62**	**...**	**739.62**	**742.23**	**...**	**742.23**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	3504.00	...	3504.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00	3960.00	...	3960.00
5. क्षमता का विकास												
5.01 क्षमता निर्माण सीएसओ और एनएसएसओ	120.03	8.20	128.23	177.93	15.00	192.93	177.93	15.00	192.93	243.94	14.73	258.67
5.02 आर्थिक गणना	0.01	...	0.01	0.07	...	0.07	31.07	...	31.07	250.16	...	250.16
5.03 सांख्यिकीय मजबूती के लिए सहायता	15.95	...	15.95	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
जोड़- क्षमता का विकास	*135.99*	*8.20*	*144.19*	*193.00*	*15.00*	*208.00*	*224.00*	*15.00*	*239.00*	*514.10*	*14.73*	*528.83*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**3639.99**	**8.20**	**3648.19**	**4143.00**	**15.00**	**4158.00**	**4174.00**	**15.00**	**4189.00**	**4474.10**	**14.73**	**4488.83**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
6. वास्तविक वसूलियां	-0.69	...	-0.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***4292.90***	***8.20***	***4301.10***	***4844.00***	***15.00***	***4859.00***	***4913.62***	***15.00***	***4928.62***	***5216.33***	***14.73***	***5231.06***

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	6.83	...	6.83	7.66	...	7.66	7.66	...	7.66	8.14	...	8.14
जोड़-सामान्य सेवाएं	**6.83**	**...**	**6.83**	**7.66**	**...**	**7.66**	**7.66**	**...**	**7.66**	**8.14**	**...**	**8.14**
आर्थिक सेवाएं												
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	3504.00	...	3504.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00	3960.00	...	3960.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	25.76	...	25.76	28.27	...	28.27	27.04	...	27.04	28.46	...	28.46
4. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	757.00	...	757.00	833.17	...	833.17	904.02	...	904.02	1170.31	...	1170.31
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	...	8.20	8.20	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	14.73	14.73
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**4286.76**	**8.20**	**4294.96**	**4811.44**	**15.00**	**4826.44**	**4881.06**	**15.00**	**4896.06**	**5158.77**	**14.73**	**5173.50**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	24.90	...	24.90	24.90	...	24.90	49.42	...	49.42
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-0.69	...	-0.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-0.69**	**...**	**-0.69**	**24.90**	**...**	**24.90**	**24.90**	**...**	**24.90**	**49.42**	**...**	**49.42**
कुल जोड़	**4292.90**	**8.20**	**4301.10**	**4844.00**	**15.00**	**4859.00**	**4913.62**	**15.00**	**4928.62**	**5216.33**	**14.73**	**5231.06**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना खर्च के लिए है।

2. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान:** भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि एक स्वतंत्र संस्थान है, को ग्रांट-इन-एड के तहत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान है।

3. **संबद्ध कार्यालय:** मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय जिसे केन्द्रीय साख्यिकी कार्यालय कहते हैं एवं एक अधीनस्थ कार्यालय, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं, कार्यरत हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गैर-योजना खर्चों का प्रावधान है जो कि मानकीकरण, राष्ट्रीय लेखे तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली कैंटीन के खर्चों को भी वहन करती है। इसके अलावा यह आईआरएनआईडब्ल्यू के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं ग्रांट-इन-एड देती है। इसके अतिरिक्तअ इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के गैर-योजना खर्चों का भी प्रावधान है जो कि आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक बुनियादी एवं समुचित रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों की एजेन्सीज की ओर से भी आंकड़ों के संग्रहण एवं सारणीयन का कार्य भी करता है।

4. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:** यह प्रावधान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए है और राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना में शामिल है।

5. **क्षमता का विकास:** क्षमता विकास, सी एस ओ और एन एस एस ओ की बजट संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है और आर्थिक गणना तथा सांख्यिकीय सुदृढीकरण नामक दो उप-स्की मों को भी सहायता प्रदान करता है।

इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 93

इस्पात मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	43.20	...	43.20	47.90	...	47.90	154.89	...	154.89	241.29	...	241.29
वसूलियां	*-1.70*	...	-1.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**41.50**	**...**	**41.50**	**47.90**	**...**	**47.90**	**154.89**	**...**	**154.89**	**241.29**	**...**	**241.29**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	28.74	...	28.74	31.83	...	31.83	32.92	...	32.92	34.54	...	34.54
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना	14.00	...	14.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. अन्य कार्यक्रम	0.46	...	0.46	1.07	...	1.07	1.22	...	1.22	1.71	...	1.71
4. वास्तविक वसूलियां	-1.70	...	-1.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. इस्पात सामान्य अस्पताल राउकेला का उच्च विशिष्ट अस्पताल में उन्नयन												
5.01 इस्पात सामान्य अस्पताल राउकेला का उच्च विशिष्ट अस्पताल में उन्नयन	...	...	...	...	...	...	105.75	...	105.75	190.04	...	190.04
जोड़-अन्य	**-1.24**	**...**	**-1.24**	**1.07**	**...**	**1.07**	**106.97**	**...**	**106.97**	**191.75**	**...**	**191.75**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-1.24**	**...**	**-1.24**	**1.07**	**...**	**1.07**	**106.97**	**...**	**106.97**	**191.75**	**...**	**191.75**
कुल जोड़	***41.50***	***...***	***41.50***	***47.90***	***...***	***47.90***	***154.89***	***...***	***154.89***	***241.29***	***...***	***241.29***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	...	...	...	...	...	...	105.75	...	105.75	190.04	...	190.04
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**105.75**	**...**	**105.75**	**190.04**	**...**	**190.04**
आर्थिक सेवाएं												
2. उद्योग	12.76	...	12.76	16.07	...	16.07	16.22	...	16.22	16.71	...	16.71

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	28.74	...	28.74	31.83	...	31.83	32.92	...	32.92	34.54	...	34.54
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**41.50**	**...**	**41.50**	**47.90**	**...**	**47.90**	**49.14**	**...**	**49.14**	**51.25**	**...**	**51.25**
कुल जोड़	**41.50**	**...**	**41.50**	**47.90**	**...**	**47.90**	**154.89**	**...**	**154.89**	**241.29**	**...**	**241.29**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	...	5130.00	5130.00	...	4000.00	4000.00	...	4300.00	4300.00	...	4000.00	4000.00
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	...	1583.84	1583.84	...	1400.00	1400.00	...	1420.00	1420.00	...	1400.00	1400.00
3. एनएमडीसी लिमिटेड	...	1996.00	1996.00	...	3778.00	3778.00	...	1756.00	1756.00	...	3010.00	3010.00
4. केआईओसीएल लिमिटेड	...	3.36	3.36	...	1782.44	1782.44	...	140.00	140.00	...	317.00	317.00
5. मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	...	207.04	207.04	...	278.86	278.86	...	201.89	201.89	...	209.74	209.74
6. मेकॉन लिमिटेड	...	2.69	2.69	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
7. एमएसटीसी लिमिटेड	...	15.24	15.24	...	49.37	49.37	...	47.60	47.60	...	44.40	44.40
8. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	...	8.32	8.32	...	23.17	23.17	...	15.29	15.29	...	18.12	18.12
9. सैल रिफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	...	0.11	0.11	...	...	...	...	6.93	6.93	...	15.00	15.00
जोड़	**...**	**8946.60**	**8946.60**	**...**	**11316.84**	**11316.84**	**...**	**7892.71**	**7892.71**	**...**	**9019.26**	**9019.26**

1. **सचिवालय:** प्रावधान, इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए हैं।

2. **लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना:** इस्पात मंत्रालय लौह एवम् इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संवर्धन स्कीम के अंतर्गत लौह एवम् इस्पात क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

3. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें लौह एवम् इस्पात विकास आयोग, कोलकत्ता और मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के स्थापना व्यय शामिल है; विशिष्ट धातु कर्म, ओईसीडी/जीएफएसईसी के लिए सदस्यता शुल्क के भुगतान, के लिए पुरस्कार वार्षिक रूप से दिए जाते है: और विज्ञापन और प्रचार के लिए प्रावधान (इसे केन्द्रीय सरकार की स्थापना के अंतर्गत आना चाहिए)।

5.01. **इस्पात सामान्य अस्पताल राउकेला का उच्च विशिष्ट अस्पताल में उन्नयन:** यह प्रावधान इस्पात जनरल हॉस्पिटल, राउरकेला को एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में अपग्रेड करने के लिए है।

कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 94

कपड़ा मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5918.81	21.38	5940.19	7109.84	37.89	7147.73	6905.37	37.89	6943.26	5800.57	30.91	5831.48
वसूलियां	*-23.54*	...	-23.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**5895.27**	**21.38**	**5916.65**	**7109.84**	**37.89**	**7147.73**	**6905.37**	**37.89**	**6943.26**	**5800.57**	**30.91**	**5831.48**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	27.23	...	27.23	33.85	...	33.85	31.00	...	31.00	35.00	...	35.00
2. वस्त्र आयुक्त	36.24	...	36.24	34.00	...	34.00	36.36	...	36.36	36.00	...	36.00
3. जूट आयुक्त	9.04	...	9.04	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**72.51**	**...**	**72.51**	**78.85**	**...**	**78.85**	**78.36**	**...**	**78.36**	**82.00**	**...**	**82.00**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	1904.95	...	1904.95	2300.00	...	2300.00	622.63	...	622.63	700.00	...	700.00
5. भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद	102.68	...	102.68	924.00	...	924.00	924.00	...	924.00	2017.57	...	2017.57
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम												
6. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	126.06	8.98	135.04	100.00	37.37	137.37	110.53	28.00	138.53	115.00	20.00	135.00
7. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम	24.98	...	24.98	19.00	...	19.00	10.05	...	10.05	20.00	...	20.00
8. रेशा आपूर्ति स्कीम	199.84	...	199.84	150.00	...	150.00	157.00	...	157.00	195.00	...	195.00
9. व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय	0.98	...	0.98	0.76	...	0.76	5.50	...	5.50	3.00	...	3.00
10. हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - हथकरघा मेगा क्लस्टर	31.81	...	31.81	35.00	...	35.00	21.50	...	21.50	40.00	...	40.00
11. बुनकर सेवा केंद्र	42.80	...	42.80	34.20	...	34.20	44.90	...	44.90	42.00	...	42.00
12. अन्य हथकरघा योजनाएं	33.53	...	33.53	19.76	...	19.76	23.11	...	23.11	21.80	...	21.80
जोड़-राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	**460.00**	**8.98**	**468.98**	**358.72**	**37.37**	**396.09**	**372.59**	**28.00**	**400.59**	**436.80**	**20.00**	**456.80**
राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम												
13. प्रशिक्षण एवं विस्तार	21.85	...	21.85	19.00	...	19.00	19.44	...	19.44	18.50	...	18.50
14. डिज़ाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना	66.43	...	66.43	41.80	...	41.80	61.35	...	61.35	70.00	...	70.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	6.99	...	6.99	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	6.00	...	6.00
16. विपणन सहायता एवं सेवाएं	43.54	...	43.54	34.20	...	34.20	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
17. हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाए	15.69	...	15.69	13.68	...	13.68	15.20	...	15.20	26.00	...	26.00
18. अनुसंधान एवं विकास - हस्तशिल्प	5.27	...	5.27	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	9.50	...	9.50
19. मानव संसाधन विकास - हस्तशिल्प	13.86	...	13.86	11.40	...	11.40	18.80	...	18.80	26.15	...	26.15
20. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना	2.10	...	2.10	2.28	...	2.28	2.28	9.37	11.65	2.50	9.21	11.71
21. जम्मू एवं कश्मीर में अन्य शिल्प विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
22. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर	8.28	...	8.28	30.00	...	30.00	13.50	...	13.50	30.00	...	30.00
23. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं	33.05	...	33.05	34.66	...	34.66	49.27	...	49.27	41.30	...	41.30
24. हस्तकला अकाडेमी	...	...	...	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	2.00	...	2.00
जोड़-राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	**217.06**	**...**	**217.06**	**198.42**	**...**	**198.42**	**231.24**	**9.37**	**240.61**	**276.96**	**9.21**	**286.17**
ऊनी वस्त्र का विकास												
25. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	29.14	...	29.14	11.45	...	11.45	5.30	...	5.30	29.00	...	29.00
रेशम वस्त्र का विकास												
26. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	542.50	...	542.50	500.61	...	500.61	600.61	...	600.61	730.00	...	730.00
27. रेशम मेगा क्लस्टर	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़-रेशम वस्त्र का विकास	**542.50**	**...**	**542.50**	**510.61**	**...**	**510.61**	**600.61**	**...**	**600.61**	**740.00**	**...**	**740.00**
पटसन उद्योग का विकास												
28. जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना	97.90	...	97.90	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	25.00	...	25.00
29. बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सब्सिडी	46.78	...	46.78	7.60	...	7.60	7.50	...	7.50	8.00	...	8.00
30. अन्य (आईजेआईआरए, सीओपीजेसी)	4.50	...	4.50	1.54	...	1.54	1.54	...	1.54	1.55	...	1.55
जोड़-पटसन उद्योग का विकास	**149.18**	**...**	**149.18**	**28.14**	**...**	**28.14**	**28.04**	**...**	**28.04**	**34.55**	**...**	**34.55**
विद्युत करघा संवर्धन योजना												
31. पावर टेक्स इंडिया	0.20	...	0.20	87.15	...	87.15	80.90	...	80.90	127.90	1.18	129.08
32. एकीकृत विद्युत करघा विकास योजना	22.04	...	22.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33. समूह वर्कशेड योजना	21.53	...	21.53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34. साधारण विद्युत करघा की स्वस्थाने उन्नयन योजना	66.38	...	66.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35. विद्युत करघा क्लस्टर विकास योजना - विद्युत करघा मेगा क्लस्टर	0.76	...	0.76	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00
36. समूह बीमा योजना	4.00	...	4.00	...	...	...	5.28	...	5.28	5.00	...	5.00
जोड़-विद्युत करघा संवर्धन योजना	**114.91**	**...**	**114.91**	**112.15**	**...**	**112.15**	**106.18**	**...**	**106.18**	**157.90**	**1.18**	**159.08**
वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर												
37. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना	...	...	...	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.50	...	3.50
38. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
39. श्रमिक छात्रावास	0.91	...	0.91	0.76	...	0.76	0.76	...	0.76	1.00	...	1.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
40. वस्त्र समिति को सहायक	26.94	...	26.94	11.40	...	11.40	40.40	...	40.40	30.00	...	30.00
41. फ्लैट फैक्टरी सह इन्क्यूबेटर	3.94	...	3.94	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
42. राज्य करों की माफी (आरओएसएल)	1830.57	...	1830.57	2163.85	...	2163.85	3663.85	...	3663.85	1000.00	...	1000.00
43. प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई)	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	0.02	...	0.02	0.05	...	0.05
जोड़-वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर	**1914.36**	**...**	**1914.36**	**2222.81**	**...**	**2222.81**	**3729.83**	**...**	**3729.83**	**1058.55**	**...**	**1058.55**
अनुसंधान और क्षमता निर्माण												
44. निर्यात संवर्धन के लिए अध्ययन	1.57	...	1.57	0.90	...	0.90	1.74	...	1.74	1.00	...	1.00
45. तकनीकी वस्त्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46. वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना	1.41	...	1.41	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
47. अन्य (टीआरएजे, सीओपी)	9.29	...	9.29	8.66	...	8.66	9.22	...	9.22	10.20	...	10.20
48. एकीकृत कौशल विकास योजना	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00	42.00	...	42.00	100.50	...	100.50
49. अनुसंधान एवं विकास कपड़ा	9.45	...	9.45	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	0.01	...	0.01
50. राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00
51. कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
52. निटवेअर पर प्रौद्योगिकी मिशन	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
53. तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-अनुसंधान और क्षमता निर्माण	**151.72**	**...**	**151.72**	**252.09**	**...**	**252.09**	**93.99**	**...**	**93.99**	**142.24**	**...**	**142.24**
एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना												
54. एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना	239.98	...	239.98	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	124.98	...	124.98
55. पूर्वोत्तर क्षेत्र मे जैव-वस्त्रों के उपयोग की योजना	19.82	...	19.82	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	0.01	...	0.01
56. पूर्वोत्तर मे कृषि वस्त्रों के संवर्धन हेतु योजना	...	...	...	7.60	...	7.60	7.60	...	7.60	0.01	...	0.01
जोड़-एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना	**259.80**	**...**	**259.80**	**112.60**	**...**	**112.60**	**112.60**	**...**	**112.60**	**125.00**	**...**	**125.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**5846.30**	**8.98**	**5855.28**	**7030.99**	**37.37**	**7068.36**	**6827.01**	**37.37**	**6864.38**	**5718.57**	**30.39**	**5748.96**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
57. राष्ट्रीय पटसन विनिर्मान निगम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
58. बर्ड जूट निर्यात निगम	...	0.40	0.40	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
59. ब्रिटिश इंडिया कॉपोरेशन लिमिटेड	...	12.00	12.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**...**	**12.40**	**12.40**	**...**	**0.52**	**0.52**	**...**	**0.52**	**0.52**	**...**	**0.52**	**0.52**
अन्य												
60. वास्तविक वसूलियां	-23.54	...	-23.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-23.54**	**12.40**	**-11.14**	**...**	**0.52**	**0.52**	**...**	**0.52**	**0.52**	**...**	**0.52**	**0.52**
कुल जोड़	***5895.27***	***21.38***	***5916.65***	***7109.84***	***37.89***	***7147.73***	***6905.37***	***37.89***	***6943.26***	***5800.57***	***30.91***	***5831.48***

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकासात्मकशीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1356.05	...	1356.05	1078.35	...	1078.35	1202.92	...	1202.92	1511.91	...	1511.91
2. उद्योग	4512.85	...	4512.85	5742.20	...	5742.20	5416.01	...	5416.01	3980.41	...	3980.41
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	27.23	...	27.23	33.85	...	33.85	31.00	...	31.00	35.00	...	35.00
4. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	8.98	8.98	...	37.37	37.37	...	37.37	37.37	...	30.39	30.39
6. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	12.40	12.40	...	0.52	0.52	...	0.52	0.52	...	0.52	0.52
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**5896.13**	**21.38**	**5917.51**	**6854.40**	**37.89**	**6892.29**	**6649.93**	**37.89**	**6687.82**	**5527.32**	**30.91**	**5558.23**
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	255.44	...	255.44	255.44	...	255.44	273.25	...	273.25
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-0.86	...	-0.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-0.86**	**...**	**-0.86**	**255.44**	**...**	**255.44**	**255.44**	**...**	**255.44**	**273.25**	**...**	**273.25**
कुल जोड़	**5895.27**	**21.38**	**5916.65**	**7109.84**	**37.89**	**7147.73**	**6905.37**	**37.89**	**6943.26**	**5800.57**	**30.91**	**5831.48**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय का प्रावधान करता है।

2. **वस्त्र आयुक्त:** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युत करघा सेवा केंद्रों का संचालन करता है, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का मॉनीटर करता है, वस्त्र आदि के डाटाबेस का रख-रखाव करता है।

3. **जूट आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है और पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश,1956 और पटसन (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 का संचालन भी करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जिसे पटसन एवं पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में जाना जाता है।

4. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना:** यह योजना पात्र मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजी सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है।

5. **भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को समर्थन मूल्य अभियान चलाने का अधिदेश दिया गया है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य कम होता है/न्यमतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर होता है, तो सीसीआई एमएसपी पर समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान के कारण हानि, यदि कोई, होती है, तो सरकार द्वारा सीसीआई को प्रतिपूर्ति की जाती है।

6. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:** योजना में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, यार्न आपूर्ति योजना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगाकलस्टर, बुनकर सेवा केंद्र और अन्य हथकरघा कार्यक्रम शामिल होता है।

7. **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम:** i) हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना ii) हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना

8. **रेशा आपूर्ति स्कीम:** एनएचडीसी के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न मुहैया कराना

9. **व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय:** वाराणसी के हथकरघा की समृद्ध परम्परा का विकास और संवर्धन करना

10. **हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - हथकरघा मेगा क्लस्टर:** आधुनिक अवसंरचना सहित सुविधाओं की स्थापना करने के लिए उद्यमियों/बुनकरों को सहायता करना, बढ़े हुए बाजार हिस्से के संबंध में कलस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उत्पादों के उच्च इकाई मूल्य वसूली द्वारा उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवेकशील एवं बदलते बाजार मांग को पूरा करना और बुनकरों के जीवन स्तर को बढ़ाना।

11. **बुनकर सेवा केंद्र:** हथकरघा बुनकरों को कौशल, उन्नयन, डिज़ाइन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा राज्य सरकारों के साथ संपर्क में रहना

12. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** स्थापना, व्यय कार्यालय, यात्रा व्यय और विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय से संबंधित अन्य विविध व्यय संग्रहालय, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्पादन अधिनियम, 1985 के अनुच्छेद के हथकरघा (संरक्षण) के क्रियान्वयन और विकास आयुक्त हथकरघा (प्रवर्तन) से संबंधित है।

13. **प्रशिक्षण एवं विस्तार:** यह प्रशासनिक व्यय हैं जिन्हें बंद विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए पूरा करना होता है।

14. **डिज़ाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना:** इस योजना का उद्देश्य नई डिजाइन के विकास और शिल्पियों के सुधरे/आधुनिक उपकरणों के प्रोटोटाइप की आपूर्ति, परंपरागत विरासत के संरक्षण के लिए दुर्लभ शिल्प के पुनरुद्धार के माध्यम से कारीगरों के कौशल का उन्नयन करना है।

15. **अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य शिल्पियों के कलस्टरों को व्यवसायिक तौर पर प्रबंधित और प्रभावशाली सदस्य प्रतिभागिता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धांत पर आत्मनिर्भर सामुदायिक उद्यम के रूप में विकसित करके भारतीय हस्तशिल्प का संवर्धन करना है।

16. **विपणन सहायता एवं सेवाएं:** रोजगार और शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने तथा विश्व बाजार में हस्तशिल्प की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने, बाजार अनुसंधान करने, भारत और विदेश में कार्यशाला तथा संगोष्ठी करने के लिए काउंसिल और हस्तशिल्प विकास निगम को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प का विकास, विस्तार करना और बाजार को बनाए रखना है।

17. **हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाए:** इस योजना का उद्देश्य 18-60 वर्ष की आयु के बीच वाले हस्तशिल्प कारीगरों को सुविधा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।

18. **अनुसंधान एवं विकास - हस्तशिल्प:** आर्थिक और सामाजिक तथा हस्तशिल्प के परंपरागत और संवर्धनात्मक पहलू पर फीडबैक के लिए अध्ययन कराना।

19. **मानव संसाधन विकास - हस्तशिल्प:** विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय और इसके वित्तीय प्रबंधन तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रशासन में एनजीओ में कार्यरत स्टाफ को विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना। आईटी, वित्तीय प्रबंधन और परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

20. **अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना:** यह प्रावधान अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम के लिए है।

21. **जम्मू एवं कश्मीर में अन्य शिल्प विकास योजना:** जम्मू और कश्मीर में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए

22. **व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर:** हस्तशिल्प मेगाकलस्टर की स्थापना हेतु

23. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं:** व्यय स्थापना, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय से संबंधित अन्य विविध व्यय, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपणन एवं सेवा विस्तार, आर्थिक एवं शिल्प अनुसंधान और निर्यात संवर्धन से संबंधित है।

24. **हस्तकला अकाडेमी:** आवश्यक अवसंरचना के साथ दिल्ली में हस्तशिल्प अकादमी का निर्माण।

25. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम:** ऊन उद्योग एवं ऊन उत्पादकों को सहायता मुहैया कराने के लिए, गुणवत्ता के संबंध में उत्पाद एवं तकनीक को अपग्रेड करने के लिए, परिशोधन, कार्बनीकरण, धुनाई, रंगाई, कटाई, बुनाई और मौजूदा मशीनों/संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए ऊन परिशोधन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए , लद्दाख क्षेत्र में पाशमीना ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऊन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए और ऊन उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और ऊन विकास बोर्ड से संबंधित प्रशासनिक व्यय के लिए

26. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशम के विकास में सहायता प्रदान करता है

27. **रेशम मेगा क्लस्टर:** रेशम मेगाकलस्टर की स्थापना करना

28. **जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना:** राष्ट्रीय जूट बोर्ड के प्रशिक्षण / विकास, बाजार संवर्धन और विकास गतिविधियों के लिए प्रदान करती है। खर्च पहले जूट उपकर संग्रह के खिलाफ भुगतान से पूरा किया जा रहा था

29. **बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सब्सिडी:** एमएसपी अभियान चलाने के लिए जेसीआई को सहायता

30. **अन्य (आईजेआईआरए, सीओपीजेसी):** भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, पटसन कंपनियों के भुगतान आयुक्त के प्रशासनिक व्यय।

31. **पावर टेक्स इंडिया:** विद्युतकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए, विद्युतकरघा उद्योग/बुनकरों को बेहतर तकनीकी सेवा मुहैया कराने के लिए, नये पीएससी स्थापित करने के लिए, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से उनके उत्पादों के विक्रय की सुविधा मुहैया कराने के लिए, नवीनतम डिजाइनों, उत्पादों और उत्पाद विविधताओं आदि के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्लस्टरों में समान्य सुविधा केन्द्र, यार्न बैंक और सूत उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए और विद्युतकरघा उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए। मौजूदा एवं नये क्लस्टर में आधुनिक करघों के लिए कार्यशाला स्थापित करने के लिए जिससे व्यवसाय परिचालन के लिए अपेक्षित अर्थव्यवस्था के मानदण्ड प्राप्त होगा।

35. **विद्युत करघा क्लस्टर विकास योजना - विद्युत करघा मेगा क्लस्टर:** इस प्रावधान में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की स्थापना शामिल है।

36. **समूह बीमा योजना:** स्वाभाविक मृत्यु दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना के कारण आंशिक एवं स्थाई विकलांकगता की स्थिति में विद्युतकरघा बुनकरों को बीमा कवर मुहैया कराने के लिए।

37. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना:** पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना

38. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना:** वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास को सुविधा प्रदान करना।

39. **श्रमिक छात्रावास:** कामगारों के हॉस्टल के रूप में वस्त्र एवं अपैरल उद्योग के कामगारों के लिए सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक स्थानों पर ऐसे आवासों की उपलब्धता को बढावा देना जो कि वस्त्र एवं अपैरल उद्योग की बहुतायत वाले क्षेत्रों में हों।

40. **वस्त्र समिति को सहायक:** इसके कार्यों में निर्यातों को बढ़ावा देना, तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श, वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी के लिए मानकों को स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और आंकड़ों का संग्रहण आदि शामिल हैं।

41. **फ्लैट फैक्टरी सह इन्क्यूबेटर:** स्टार्ट—अप्स के लिए एकीकृत कार्यस्थल तथा संपर्क आधारित उद्यमीय वातावरण सृजित करना।

42. **राज्य करों की माफी (आरओएसएल):** इस स्कीम के अंतर्गत राज्य करों को परिधान निर्यातकों को विप्रेषित की जाएगी ताकि परिधान उद्योग को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है।

43. **प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई):** इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार पीएमआरपीवाई के तहत ईपीएफओ भर्ती नए कर्मचारियों को अनेक रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के लिए, कर्मचारी पेंशन स्कीम अंशदान का अंशदान का 8.33 प्रतिशत नियोक्ताओं को प्रदान करेगी। यह वस्त्र क्षेत्र में नियोक्ताओं को बेरोजगार व्यक्ति भर्ती के लिए प्रोत्साहित करके रोजगार को बढ़ाएगा और अनौपचारिक कर्मचारियों को नियमावली में लाएगा।

44. **निर्यात संवर्धन के लिए अध्ययन:** वस्त्र निर्यातों हेतु गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से महत्वपूर्ण कदमों और रणनीतियों से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देना।

45. **तकनीकी वस्त्र:** घरेलू एवं निर्यात बाजार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में तकनीकी वस्त्रों के उतपादन में आ रही बाधाओं को दूर करना।

46. **वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना:** किसी संपूर्ण वस्त्र इकाई अथवा किसी विशिष्ट हिस्से के स्थायी रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराना।

47. **अन्य (टीआरएजे, सीओपी):** टीआरए तथा स्थापना के आवर्ती व्यय के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना तथा भुगतान आयुक्त के व्यय

48. **एकीकृत कौशल विकास योजना:** कौशल विकास के लिए वस्त्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करना

49. **अनुसंधान एवं विकास कपड़ा:** वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और टीआरए, संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता उपलबध कराना

50. **राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान:** निफ्ट पेशेवर लोगों को फैशन उद्योग के लिए विकसित करने हेतु विभिन्न पूर्णअवधि के डिग्री/डिप्लोमा तथा अंशकालिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।

51. **कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन:** कपास उद्योगों को प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

52. **निटवेअर पर प्रौद्योगिकी मिशन:** बुना हुआ कपड़ा उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए।

53. **तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन:** तकनीकी वस्त्र उद्योग को प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

54. **एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना:** पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना का उद्देश्य कच्ची सामग्री, बीज बैंकों, मशीनरी, सामान्य सुविधा केंद्रों, कौशल विकास, डिज़ाइन एवं विपणन सहायता आदि आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को विकसित एवं आधुनिकीकृत करना है।

55. **पूर्वोत्तर क्षेत्र मे जैव-वस्त्रों के उपयोग की योजना:** सामान्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास के लिए जैव-टेक्सटाइल का उपयोग करना

56. **पूर्वोत्तर मे कृषि वस्त्रों के संवर्धन हेतु योजना:** पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी एवं फूलों की खेती के उत्पादन में सुधार के लिए एग्रोटेक्सटाइल्स के प्रयोग को बढ़ावा देना।

57. **राष्ट्रीय पटसन विनिर्मान निगम:** सरकार की खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति हेतु पटसन सामानों (बोरों) के विनिर्माण के कारोबार का संचालन करना

58. **बर्ड जूट निर्यात निगम:** पटसन फैब्रिक की एक विनिर्माण इकाई

59. **ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक बीआईएफआर संदर्भित कंपनी

पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 95

पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1766.09	...	1766.09	2149.99	0.01	2150.00	2113.48	...	2113.48	2189.21	0.01	2189.22
वसूलियां	*-0.39*	...	-0.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1765.70**	**...**	**1765.70**	**2149.99**	**0.01**	**2150.00**	**2113.48**	**...**	**2113.48**	**2189.21**	**0.01**	**2189.22**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	6.32	...	6.32	7.76	...	7.76	8.53	...	8.53	8.49	...	8.49
2. पर्यटन महानिदेशक	94.37	...	94.37	107.97	...	107.97	120.16	...	120.16	105.61	...	105.61
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**100.69**	**...**	**100.69**	**115.73**	**...**	**115.73**	**128.69**	**...**	**128.69**	**114.10**	**...**	**114.10**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यटन अवसंरचना												
3. विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	943.78	...	943.78	1100.00	...	1100.00	1100.00	...	1100.00	1106.00	...	1106.00
4. तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक वृद्धि ड्राइव के लिए राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद)	99.93	...	99.93	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	160.50	...	160.50
5. पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता												
5.01 गंतव्य एवं परिपथों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	-0.39	...	-0.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*9.61*	...	*9.61*	*5.00*	...	*5.00*	*5.00*	...	*5.00*	*5.00*	...	*5.00*
5.02 राजस्व उत्पादन करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए वयवहार्यता अंतरण स्कीम (पूर्वर्ती अधिकाधिक राजस्व उत्पादन करने वाली योजनाएं)	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	10.00	...	10.00
5.03 केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	86.73	...	86.73	70.00	...	70.00	71.00	...	71.00	61.00	...	61.00
5.04 बाज़ार अनुसन्धान	10.99	...	10.99	4.00	...	4.00	3.30	...	3.30	5.00	...	5.00
5.05 आवास अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
5.06 चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.47	...	100.47

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता	*107.33*	...	*107.33*	*80.01*	...	*80.01*	*79.30*	...	*79.30*	*181.48*	...	*181.48*
6. भारत पर्यटन भवन	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
7. बुद्धा परिपथ												
7.01 कार्यक्रम घटक	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-पर्यटन अवसंरचना	**1151.04**	**...**	**1151.04**	**1330.02**	**0.01**	**1330.03**	**1329.30**	**...**	**1329.30**	**1447.99**	**0.01**	**1448.00**
संवर्धन एवं प्रचार												
8. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	273.91	...	273.91	454.24	...	454.24	416.23	...	416.23	376.73	...	376.73
9. बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार	89.85	...	89.85	135.00	...	135.00	127.40	...	127.40	129.50	...	129.50
जोड़-संवर्धन एवं प्रचार	**363.76**	**...**	**363.76**	**589.24**	**...**	**589.24**	**543.63**	**...**	**543.63**	**506.23**	**...**	**506.23**
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास												
10. आई.एच.एम./ ऍफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम्./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता	110.38	...	110.38	85.00	...	85.00	82.00	...	82.00	82.89	...	82.89
11. सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	39.83	...	39.83	30.00	...	30.00	29.86	...	29.86	38.00	...	38.00
जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	**150.21**	**...**	**150.21**	**115.00**	**...**	**115.00**	**111.86**	**...**	**111.86**	**120.89**	**...**	**120.89**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**1665.01**	**...**	**1665.01**	**2034.26**	**0.01**	**2034.27**	**1984.79**	**...**	**1984.79**	**2075.11**	**0.01**	**2075.12**
कुल जोड़	***1765.70***	***...***	***1765.70***	***2149.99***	***0.01***	***2150.00***	***2113.48***	***...***	***2113.48***	***2189.21***	***0.01***	***2189.22***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. विविध सामान्य सेवाएं	0.41	...	0.41	0.74	...	0.74	0.69	...	0.69	0.70	...	0.70
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	**0.41**	**...**	**0.41**	**0.74**	**0.01**	**0.75**	**0.69**	**...**	**0.69**	**0.70**	**0.01**	**0.71**
आर्थिक सेवाएं												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	6.32	...	6.32	7.76	...	7.76	8.53	...	8.53	8.49	...	8.49
4. पर्यटन	1758.97	...	1758.97	1938.06	...	1938.06	1905.83	...	1905.83	1972.13	...	1972.13
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1765.29**	**...**	**1765.29**	**1945.82**	**...**	**1945.82**	**1914.36**	**...**	**1914.36**	**1980.62**	**...**	**1980.62**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	203.43	...	203.43	198.43	...	198.43	207.89	...	207.89
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**203.43**	**...**	**203.43**	**198.43**	**...**	**198.43**	**207.89**	**...**	**207.89**
कुल जोड़	**1765.70**	**...**	**1765.70**	**2149.99**	**0.01**	**2150.00**	**2113.48**	**...**	**2113.48**	**2189.21**	**0.01**	**2189.22**

1. **सचिवालय:** प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।

2. **पर्यटन महानिदेशक:** पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय स्थापना तथा इसके अधीन क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों पर व्यय के लिए प्रावधान है। पर्यटक सूचना का प्रसार पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होटल, ट्रैवल एजेंटों, गाइडो, आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों का विनियमन उनके मुख्य कार्य हैं। इसमें बेहतर पर्यटक सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

3. **विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन):** स्वदेश दर्शन : इस योजना का उद्देश्य पर्यटक संभावना वाले थीम आधारित पर्यटक परिपथों का योजनाबद्ध तरीके से और प्राथमिकता के आधार पर विकास करना; चयनित क्षेत्रों में रोज़गार सृजित करने के लिए देश की संस्कृति तथा विरासत का संवर्धन; परिपथ / गंतव्यों में विश्वो स्तिरीय अवसंरचना के विकास द्वारा सतत रूप से पर्यटक आकर्षण में वृद्धि करना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है । इस योजना के तहत विकास हेतु 15 थीम आधारित परिपथों की पहचान की गई है ।

4. **तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक वृद्धि ड्राइव के लिए राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद):** • इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के धार्मिक, आध्यात्मिक और विरासत अनुभवों को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और सभी स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं और सरोकारों पर फोकस करने के लिए प्रयासों में तालमेल कायम करने के द्वारा एकीकृत तरीके से अधिक पर्यटक यात्राओं, प्रतिस्पर्धा एवं सततता के सिद्धांतों पर तीर्थ तथा विरासत पर्यटक गंतव्यों की पहचान करना और उनका विकास करना है ।इस योजना के अंतर्गत पहचाने गए कुल 25 राज्यों में 41 गंतव्यहैं।

5.01. **गंतव्य एवं परिपथों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास:** इस योजना का फोकस वर्तमान उत्पादों में सुधार तथा नए पर्यटन उत्पादों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार विकसित करना है। पर्यटक स्थलों के एकीकृत अवसंरचना विकास पर भी इसका फोकस होगा। इसका उद्देश्य गंतव्यों तथा परिपथों में पर्यटकों द्वारा आवश्यक सभी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है।इसका उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वित कार्रवाई के द्वारा संसाधनों का तालमेल तथा विशेज्ञता तालमेल है। पर्यटक गंतव्यों तथा परिपथों की उनके द्वारा पहचान की जाती है तथा विकास के लिए लिया जाता है। इसमें इसके कार्यान्वयन के लिए मास्टर योजना तैयार करने से तक के कार्यकलाप शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत ली गई परियोजनाएं एकीकृत, प्रोजेक्टेड क्षेत्र विकास संकल्पना का अनुपालान करती है। प्रत्येक परियोजना के लिए हितधारियों के साथ परामर्श के पश्चात् संघराज्य क्षेत्रों द्वारा विस्तृत परियोजना रिर्पोटें तैयार की जाती हैं।

5.02. **राजस्व उत्पादन करने वाली पर्यटन परियोजनाओंके लिए वयवहार्यता अंतरण स्कीम (पूर्वर्ती अधिकाधिक राजस्व उत्पादन करने वाली योजनाएं):** यह स्वीकार किया जाता है कि पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है जो केवल भारत सरकार के बजटीय संसाधनों से सम्भव नही होगा। इन कमियों को दूर करने के लिए तथा निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट तथा संस्थागत संसाधनों के साथ-साथ प्रौद्यौगकीय प्रबंधकीय कुशलता लाने के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वृहद राजस्व सृजन परियोजनाओं को संवर्धित करने का प्रस्ताव है।

5.03. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास अपने लक्ष्यित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमुदाय सृजित कर सकता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के द्वारा सभी महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास संभव नहीं होगा क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण गंतव्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी, आदि जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र/ नियंत्रण में हैं, और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटक रूचि के स्थलों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं होगा तथा संसाधनों, विशेषज्ञता के आमेलन तथा विकास के पश्चात् तथा अनुरक्षण और प्रबंधन के अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने तथा केन्द्रीय अभिकरणों की सक्रिय भागीदारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ केन्द्रीय अभिकरणों के स्वामित्ववाले पर्यटक रूचि की क्षमतावान परिसम्पत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पर्यटक रूचि के स्थलों को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा संवर्धित करने का प्रस्ताव है।

5.04. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के संबंध में विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों का आयोजन करता है ताकि निर्णय लेने और नियोजन के लिए योजना तैयार की जा सके और विभिन्न योजनाओं और स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार की जा सकें।

5.05. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्तरीय होटल के कमरों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम योजना अवधि के दौरान शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बजट होटल आवास के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करना था।

5.06. **चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम:** चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने के लिए और पर्यटकों को घरेलू और विदेशी दोनों के लिए अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है

6. **भारत पर्यटन भवन:** यह प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के लिए भारत पर्यटन भवन नामक कार्यालय बिल्डिंग तैयार करने के लिए है।

7. **बुद्धा परिपथ:** इस परियोजना के लिए पर्यटन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया जिसका उद्देश्य एकीकृत बौद्ध परिपथ का विकास एवं कार्यान्वयन है। अन्य बातों के साथ-साथ विकास नीति का लक्ष्य बौद्ध परिपथों के किनारे के गंतव्यों में निजी क्षेत्र में निवेश, स्थानीय रोजगार, पर्यटन और एसएमई को बढ़ाना है।

8. **बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पंसदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है इस योजना के अंतर्गत जोरदार प्रचार और मार्किटिंग अभियान चलाए जाते है। मंत्रालय इंक्रेडिबल इंडिया ब्रांड की मार्किटिंग के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्षित पहुंच के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियां स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त, नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

9. **बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलैक्ट्रांनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चालाए गए। पर्यटक गंतव्यों के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर के संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।

10. **आई.एच.एम./ ऍफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम्./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता:** देश में पर्यटन क्षेत्र गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भारी कमी का सामना कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/ एमसीएचएमसीटी/ एनआईडब्ल्यूएस के विस्तार तथा उन्नयन के लिए तथा नए संस्थानों जैसे कि होटल प्रबंध संस्थानों (आईएचएम) तथा भोजन कला संस्थानों एफसीआई की स्थापना के लिए भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां उक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं।

11. **सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण:** इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) 18 से 28 वर्ष की आयु समूह के न्यूनतम 8वीं पास युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 'हुनर से रोजगार तक' नामक एक प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ सोसायटी तक पहुंचकर उन्हें नियोजनीय कौशल प्रदान करना भी है। विद्यमान सेवा प्रदाताओं के कौशल के परीक्षण और प्रमाणन के लिए कौशल परीक्षण और प्रमाणन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 96

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5262.79	55.00	5317.79	5935.00	65.00	6000.00	5935.00	65.00	6000.00	6446.96	80.00	6526.96
वसूलियां	*-1.16*	...	-1.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**5261.63**	**55.00**	**5316.63**	**5935.00**	**65.00**	**6000.00**	**5935.00**	**65.00**	**6000.00**	**6446.96**	**80.00**	**6526.96**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	22.11	...	22.11	27.76	...	27.76	27.76	...	27.76	30.50	...	30.50
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	10.01	...	10.01	15.06	...	15.06	14.74	...	14.74	16.57	...	16.57
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**32.12**	**...**	**32.12**	**42.82**	**...**	**42.82**	**42.50**	**...**	**42.50**	**47.07**	**...**	**47.07**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केंद्रीय छात्रवृत्तियां												
3. अजजा के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	99.72	...	99.72	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
4. विदेश में अध्ययन हेतु अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़-केंद्रीय छात्रवृत्तियां	**100.72**	**...**	**100.72**	**102.00**	**...**	**102.00**	**102.00**	**...**	**102.00**	**102.00**	**...**	**102.00**
जनजातीय संस्थानों को समर्थन												
5. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विकास निगम को समर्थन	...	55.00	55.00	...	65.00	65.00	...	65.00	65.00	...	80.00	80.00
6. जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि)	44.95	...	44.95	54.15	...	54.15	72.50	...	72.50	83.00	...	83.00
7. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता	...	...	...	130.00	...	130.00	120.00	...	120.00	110.00	...	110.00
8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.31	...	0.31
जोड़-जनजातीय संस्थानों को समर्थन	**44.95**	**55.00**	**99.95**	**184.15**	**65.00**	**249.15**	**192.50**	**65.00**	**257.50**	**193.31**	**80.00**	**273.31**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**145.67**	**55.00**	**200.67**	**286.15**	**65.00**	**351.15**	**294.50**	**65.00**	**359.50**	**295.31**	**80.00**	**375.31**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम												
9. जनजातीय शिक्षा												
9.01 मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	294.08	...	294.08	350.00	...	350.00	310.00	...	310.00	340.00	...	340.00
9.02 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1463.91	...	1463.91	1586.00	...	1586.00	1643.03	...	1643.03	1613.50	...	1613.50
9.03 आश्रम विद्यालय	7.00	...	7.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9.04 बालक और बालिका छात्रावास	7.00	...	7.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- जनजातीय शिक्षा	*1771.99*	*...*	*1771.99*	*1936.00*	*...*	*1936.00*	*1953.03*	*...*	*1953.03*	*1953.50*	*...*	*1953.50*
10. वन बंधु कल्याण योजना												
10.01 विशेष रुप के कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकासकास(पीवीटी जीएस)	239.49	...	239.49	260.00	...	260.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
10.02 लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	8.59	...	8.59	130.00	...	130.00	97.47	...	97.47	130.00	...	130.00
10.03 अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	119.94	...	119.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.04 जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा	4.01	...	4.01	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
10.05 निगरानी और मूल्यांकन	1.27	...	1.27	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	1.50	...	1.50
10.06 जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
10.07 वन बंधु कल्याण योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- वन बंधु कल्याण योजना	*373.30*	*...*	*373.30*	*420.02*	*...*	*420.02*	*374.97*	*...*	*374.97*	*406.52*	*...*	*406.52*
11. विशेष केंद्रीय सहायता												
11.01 जनजातीय उप-घटकों को विशेष केंद्रीय सहायता (सशुल्क)	1350.01	...	1350.01	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00
12. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता												
12.01 जनजातीय अनुसंधान संस्थान	79.00	...	79.00	99.99	...	99.99	100.00	...	100.00	99.99	...	99.99
12.02 जनजातीय स्मारक	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता	*79.00*	*...*	*79.00*	*100.00*	*...*	*100.00*	*100.00*	*...*	*100.00*	*100.00*	*...*	*100.00*
13. वास्तविक वसूली	-1.16	...	-1.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम	**3573.14**	**...**	**3573.14**	**3806.02**	**...**	**3806.02**	**3778.00**	**...**	**3778.00**	**3810.02**	**...**	**3810.02**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**3573.14**	**...**	**3573.14**	**3806.02**	**...**	**3806.02**	**3778.00**	**...**	**3778.00**	**3810.02**	**...**	**3810.02**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान												
14. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	1510.70	...	1510.70	1800.00	...	1800.00	1820.00	...	1820.00	2294.55	...	2294.55
15. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड क के तहत असम सरकार का अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	**1510.70**	**...**	**1510.70**	**1800.01**	**...**	**1800.01**	**1820.00**	**...**	**1820.00**	**2294.56**	**...**	**2294.56**
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**1510.70**	**...**	**1510.70**	**1800.01**	**...**	**1800.01**	**1820.00**	**...**	**1820.00**	**2294.56**	**...**	**2294.56**
कुल जोड़	***5261.63***	***55.00***	***5316.63***	***5935.00***	***65.00***	***6000.00***	***5935.00***	***65.00***	***6000.00***	***6446.96***	***80.00***	***6526.96***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	281.51	...	281.51	371.32	...	371.32	360.50	...	360.50	421.12	...	421.12
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22.11	...	22.11	27.76	...	27.76	27.76	...	27.76	30.50	...	30.50
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	55.00	55.00	...	65.00	65.00	...	65.00	65.00	...	80.00	80.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**303.62**	**55.00**	**358.62**	**399.08**	**65.00**	**464.08**	**388.26**	**65.00**	**453.26**	**451.62**	**80.00**	**531.62**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	664.01	...	664.01
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4958.01	...	4958.01	4934.90	...	4934.90	4946.74	...	4946.74	5331.30	...	5331.30
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	1.02	...	1.02	...	...	...	0.03	...	0.03
जोड़-अन्य	**4958.01**	**...**	**4958.01**	**5535.92**	**...**	**5535.92**	**5546.74**	**...**	**5546.74**	**5995.34**	**...**	**5995.34**
कुल जोड़	**5261.63**	**55.00**	**5316.63**	**5935.00**	**65.00**	**6000.00**	**5935.00**	**65.00**	**6000.00**	**6446.96**	**80.00**	**6526.96**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिवालय व्यय का भी प्रावधान है।

3. **अजजा के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:** भारत में उच्च शिक्षा अर्थात् एम.फिल तथा पी.एच.डी. के साथ-साथ अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से चिह्नित उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्यवसायिक पाठ्यक्रम ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **विदेश में अध्ययन हेतु अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति:** चयनित अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को विदेश में स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा डॉक्टरोत्तर अध्ययन करने के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

5. **राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विकास निगम को समर्थन:** है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी सहायता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफ़डीसी) को प्रदान की जाती है जो चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय योजनाओं/परियोजनाओं पर अनन्य ध्यान देता है

6. **जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि):** अनुसूचित जनजातियों की विपणन सहायता तथा आजीविका गतिविधियों के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड तथा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों आदि को भी सहायता अनुदान दिए जाते हैं।

7. **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता:** अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु सहज वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने तथा सेवा रहित जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता अनुदान दिया जाता है।

8. **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय:** देश के सभी क्षेत्रों और अधिवासों में शिक्षा के संवर्धन के लिए गुणवत्ता परक आवासीय विद्यालय स्थापित करने की प्रवृति के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का स्थान जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तथा केंद्रीय विद्यालयों के बीच है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों को मिडिल तथा उच्च-स्तरीय गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है, जो उन्हें न केवल उच्च तथा पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों और सरकारी तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाती है, अपितु उन्हें गैर-अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बराबर शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच भी प्रदान करती है।

9. **जनजातीय शिक्षा:** अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी (अंब्रेला) योजना का उद्देश्य अ.ज.जा. बच्चों की शिक्षा के गंभीर अंतरों को भरना है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के वित्तीय बोझ को कम करने तथा शिक्षा की वेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से कैफेटेरिया मोड के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहले के वर्षों के लिए आबंटन क्र.सं.9.06 पर दर्शाई गई समावेशी (अंब्रेला) स्कीम के लिए ही उपलब्ध है।

10. **वन बंधु कल्याण योजना:** इस योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों को उनकी संस्कृति एवं विरासत को बनाए रखते हुए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक तरीके से विकास के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर आवश्यक अवसंरचना के साथ लघु वन उत्पाद (एमएसपी) संग्रहकर्ता जो प्राथमिक रूप से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, की सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में उनके द्वारा एकत्रित चिह्नित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उचित लाभ सुनिश्चित किया जाता है। यह योजना अनुसूची-V क्षेत्रों वाले राज्यों में कार्यान्वित की जाती हैं।अनुसंधान/मूल्यांकन परियोजनाओं, संगोष्ठी/कार्यशालाओं तथा पुस्तकों के प्रकाशन, जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों के लिए भी अनुदान दिये जाते हैं। उत्कृष्टता के केन्द्रों की देश में जनजातियों के विकास के लिए लंबी अवधि वाले तथा नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययनों के लिए उन्हें शामिल करने हेतु पहचान की गई है। योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन एवं इस मंत्रालय की परियोजनाओं पर व्यय के लिए प्रावधान बनाये गये हैं।

11. **विशेष केंद्रीय सहायता:** जनजाति मंत्रालय राज्य सरकारों को राज्य जनजाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में अनुदान सहायता को बढ़ाकर प्रतिपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय 23 टीएसपी राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियों और अवसंरचना कार्य को लागू किया जा रहा है। टीएसपी को एससीए प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य जनजातिय क्षेत्रों में मांग आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को मजबूत करना और इस प्रकार जनजाति समूहों का आर्थिक और सामाजिक स्तर को उठाना है।

12. **जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता:** अनुसंधान तथा मूर्त व अमूर्त विरासत के प्रलेखन, जनजातीय लोगों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उन्हें सुदृढ करने तथा जनजातीय संग्रहालयों के सुदृढीकरण, जनजातीय त्यौहारों के आयोजन आदि के माध्यम से जनजातीय संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

14. **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान:** इस प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का शेष राज्य के बराबर उत्थान के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाएं सृजित करने के लिए 23 टीएसपी राज्यों और 4 जनजातीय बहुल्य राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं ताकि, उन्हें विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके। अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता, परियोजना आधारित है तथा अनुसूचित जनजातियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने/संचालन के लिए निधि पोषित भी किया जाता है।

15. **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड क के तहत असम सरकार का अनुदान:** संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के उप-नियम (क) के तहत असम सरकार को अनुदान का प्रावधान है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

मांग संख्या 97

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5700.24	354.63	6054.87	8189.51	730.88	8920.39	7306.62	366.29	7672.91	7678.72	421.90	8100.62
वसूलियां	*-714.26*	*-27.14*	-741.40	*-37.37*	*-23.02*	*-60.39*	*-37.37*	*-23.02*	*-60.39*	*-36.37*	*-23.00*	*-59.37*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**4985.98**	**327.49**	**5313.47**	**8152.14**	**707.86**	**8860.00**	**7269.25**	**343.27**	**7612.52**	**7642.35**	**398.90**	**8041.25**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	76.34	...	76.34	95.00	...	95.00	84.95	...	84.95	98.83	...	98.83
संबद्ध कार्यालय, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय												
2. केन्द्रीय जल आयोग												
2.01 केंद्रीय जल आयोग	331.49	0.80	332.29	450.87	2.62	453.49	392.75	0.77	393.52	434.75	0.80	435.55
2.02 वसूली	...	...	...	-10.00	...	-10.00	-10.00	...	-10.00	-9.00	...	-9.00
निवल	*331.49*	*0.80*	*332.29*	*440.87*	*2.62*	*443.49*	*382.75*	*0.77*	*383.52*	*425.75*	*0.80*	*426.55*
3. केंद्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधानशाला												
3.01 केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला	71.41	0.20	71.61	93.80	0.30	94.10	76.92	0.11	77.03	86.12	0.11	86.23
3.02 वसूली	-13.00	...	-13.00	-13.10	...	-13.10	-13.10	...	-13.10	-13.10	...	-13.10
निवल	*58.41*	*0.20*	*58.61*	*80.70*	*0.30*	*81.00*	*63.82*	*0.11*	*63.93*	*73.02*	*0.11*	*73.13*
4. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	14.06	0.10	14.16	16.32	0.95	17.27	14.91	0.13	15.04	16.27	0.09	16.36
5. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति	0.69	...	0.69	1.50	...	1.50	0.54	...	0.54	0.58	...	0.58
6. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	0.36	...	0.36	0.70	...	0.70	0.44	...	0.44	0.53	...	0.53
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड												
7.01 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	7.76	2.00	9.76	2.48	8.02	10.50	1.29	8.02	9.31	2.32	8.00	10.32
7.02 वसूली	-1.03	...	-1.03	-0.02	-8.02	-8.04	-0.02	-8.02	-8.04	-0.02	-8.00	-8.02
निवल	*6.73*	*2.00*	*8.73*	*2.46*	*...*	*2.46*	*1.27*	*...*	*1.27*	*2.30*	*...*	*2.30*
8. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	213.64	0.06	213.70	242.00	0.22	242.22	230.58	0.05	230.63	229.40	0.05	229.45
9. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	23.75	...	23.75	26.50	...	26.50	21.00	...	21.00	26.50	...	26.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. राष्ट्रीय जल सूचनात्मक केंद्र	...	...	...	...	...	...	0.24	0.05	0.29	2.02	0.05	2.07
11. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...
जोड़-संबद्ध कार्यालय, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय	**649.13**	**3.16**	**652.29**	**811.05**	**4.09**	**815.14**	**717.55**	**1.11**	**718.66**	**776.37**	**1.10**	**777.47**
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**725.47**	**3.16**	**728.63**	**906.05**	**4.09**	**910.14**	**802.50**	**1.11**	**803.61**	**875.20**	**1.10**	**876.30**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
12. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम												
12.01 इएपी घटक	627.00	...	627.00	600.00	...	600.00	1600.00	...	1600.00	1200.00	...	1200.00
12.02 कार्यक्रम घटक	96.22	...	96.22	170.00	...	170.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	*723.22*	*...*	*723.22*	*770.00*	*...*	*770.00*	*1620.00*	*...*	*1620.00*	*1220.00*	*...*	*1220.00*
मुख्य सिंचाई परियोजना												
13. फरक्का बैराज परियोजना												
13.01 फरक्का बैराज परियोजना	66.22	66.26	132.48	126.06	83.19	209.25	73.29	50.18	123.47	79.75	84.50	164.25
13.02 वसूली	...	-15.35	-15.35	-14.25	...	-14.25	-14.25	...	-14.25	-14.25	...	-14.25
निवल	*66.22*	*50.91*	*117.13*	*111.81*	*83.19*	*195.00*	*59.04*	*50.18*	*109.22*	*65.50*	*84.50*	*150.00*
14. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से सुरक्षा कार्य	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
15. बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम												
15.01 इएपी घटक	40.33	30.82	71.15	42.32	71.08	113.40	31.12	36.08	67.20	42.93	33.70	76.63
15.02 कार्यक्रम घटक	9.94	0.01	9.95	10.58	0.02	10.60	7.78	0.02	7.80	13.35	0.02	13.37
जोड़- बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम	*50.27*	*30.83*	*81.10*	*52.90*	*71.10*	*124.00*	*38.90*	*36.10*	*75.00*	*56.28*	*33.72*	*90.00*
जोड़-मुख्य सिंचाई परियोजना	**116.49**	**81.74**	**198.23**	**164.71**	**154.30**	**319.01**	**97.94**	**86.29**	**184.23**	**121.78**	**118.23**	**240.01**
नमामि गंगे												
16. राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य												
16.01 राष्ट्रीय गंगा योजना	700.00	...	700.00	2250.00	...	2250.00	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00
16.02 घाट नदी के मुहाने के सौंदर्यीकरण के लिए काम	...	...	...	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
16.03 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अंतरण	700.00	...	700.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16.04 घटाएँ – राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से वहन की गई राशि'	-700.00	...	-700.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*700.00*	*...*	*700.00*	*2300.00*	*...*	*2300.00*	*750.00*	*...*	*750.00*	*750.00*	*...*	*750.00*
नदी बेसिन प्रबंधन												
17. राष्ट्रीय जल मिशन	1.14	0.03	1.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. नदी बेसिन प्रबंधन	186.11	0.10	186.21	223.45	1.55	225.00	199.65	0.35	200.00	224.17	0.83	225.00
19. बाढ़ पूर्वानुमान	34.25	4.95	39.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. नदियों को आपस में जोड़ना	...	...	...	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-नदी बेसिन प्रबंधन	**221.50**	**5.08**	**226.58**	**224.45**	**1.55**	**226.00**	**199.66**	**0.35**	**200.01**	**224.18**	**0.83**	**225.01**
जल संसाधन प्रबंधन												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	54.77	7.16	61.93	155.66	55.61	211.27	82.38	14.55	96.93	79.05	20.95	100.00
22. भूजल प्रबंधन और विनियमन												
22.01 भूमिजल प्रबंधन और विनियमन	71.48	194.98	266.46	84.29	380.71	465.00	80.00	195.00	275.00	80.00	195.00	275.00
22.02 वसूली	-0.23	-11.79	-12.02	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00
निवल	*71.25*	*183.19*	*254.44*	*84.29*	*365.71*	*450.00*	*80.00*	*180.00*	*260.00*	*80.00*	*180.00*	*260.00*
23. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना												
23.01 इएपी घटक	87.99	0.15	88.14	103.48	11.52	115.00	36.41	1.41	37.82	110.94	5.31	116.25
23.02 कार्यक्रम घटक	89.54	0.21	89.75	123.48	11.52	135.00	40.77	1.41	42.18	128.44	5.31	133.75
जोड़- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	*177.53*	*0.36*	*177.89*	*226.96*	*23.04*	*250.00*	*77.18*	*2.82*	*80.00*	*239.38*	*10.62*	*250.00*
24. अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	44.13	4.95	49.08	82.00	13.00	95.00	45.60	6.40	52.00	43.48	6.52	50.00
25. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम	26.71	0.59	27.30	58.70	4.07	62.77	57.74	2.26	60.00	58.55	1.45	60.00
26. अवसंरचना विकास	3.08	40.55	43.63	2.90	84.86	87.76	2.14	47.86	50.00	2.30	57.70	60.00
जोड़-जल संसाधन प्रबंधन	**377.47**	**236.80**	**614.27**	**610.51**	**546.29**	**1156.80**	**345.04**	**253.89**	**598.93**	**502.76**	**277.24**	**780.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**2138.68**	**323.62**	**2462.30**	**4069.67**	**702.14**	**4771.81**	**3012.64**	**340.53**	**3353.17**	**2818.72**	**396.30**	**3215.02**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
27. हर खेत को पानी	1355.22	...	1355.22	2600.00	...	2600.00	2181.19	...	2181.19	903.92	...	903.92
28. प्रभाव आकलन अध्ययन	0.14	...	0.14	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
29. सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए सहायता	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
30. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	562.67	...	562.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31. नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य	186.35	0.71	187.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम	...	...	...	525.37	1.63	527.00	717.37	1.63	719.00	698.50	1.50	700.00
33. सिंचाई गणना	17.45	...	17.45	50.00	...	50.00	54.50	...	54.50	50.00	...	50.00
34. अटल भू-जल योजना												
34.01 इएपी घटक	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.50	...	0.50
34.02 कार्यक्रम घटक	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.50	...	0.50
जोड़- अटल भू-जल योजना	*...*	*...*	*...*	*0.04*	*...*	*0.04*	*0.04*	*...*	*0.04*	*1.00*	*...*	*1.00*
35. पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की पूर्ति												
35.01 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1602.00	...	1602.00
35.02 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के लिए नाबार्ड ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32.00	...	32.00
35.03 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	360.00	...	360.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की पूर्ति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1994.00*	...	*1994.00*
36. विदर्भ और मराठावाड़ा जिला एवं अन्य शेष महाराष्ट्र के भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00	300.00	...	300.00
जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	**2121.83**	**0.71**	**2122.54**	**3176.42**	**1.63**	**3178.05**	**3454.11**	**1.63**	**3455.74**	**3948.43**	**1.50**	**3949.93**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**2121.83**	**0.71**	**2122.54**	**3176.42**	**1.63**	**3178.05**	**3454.11**	**1.63**	**3455.74**	**3948.43**	**1.50**	**3949.93**
कुल जोड़	***4985.98***	***327.49***	***5313.47***	***8152.14***	***707.86***	***8860.00***	***7269.25***	***343.27***	***7612.52***	***7642.35***	***398.90***	***8041.25***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वृहत और मध्यम सिंचाई	1382.36	...	1382.36	3353.53	...	3353.53	2156.51	...	2156.51	2963.95	...	2963.95
2. लघु सिंचाई	287.33	...	287.33	330.79	...	330.79	315.08	...	315.08	314.81	...	314.81
3. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	266.14	...	266.14	196.86	...	196.86	137.31	...	137.31	156.19	...	156.19
4. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	700.00	...	700.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य परिवहन सेवाएं	66.22	...	66.22	111.81	...	111.81	59.04	...	59.04	65.50	...	65.50
6. पारिस्थितीकी और पर्यावरण	723.22	...	723.22	3070.00	...	3070.00	2370.00	...	2370.00	1970.00	...	1970.00
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	76.34	...	76.34	95.00	...	95.00	84.95	...	84.95	98.83	...	98.83
8. वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	47.70	47.70	...	165.64	165.64	...	57.74	57.74	...	73.65	73.65
9. लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	200.15	200.15	...	407.93	407.93	...	205.55	205.55	...	204.15	204.15
10. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	28.73	28.73	...	44.86	44.86	...	23.96	23.96	...	34.40	34.40
11. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	50.91	50.91	...	83.19	83.19	...	50.18	50.18	...	84.50	84.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**3501.61**	**327.49**	**3829.10**	**7157.99**	**701.62**	**7859.61**	**5122.89**	**337.43**	**5460.32**	**5569.28**	**396.70**	**5965.98**
अन्य												
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	334.70	...	334.70	312.99	...	312.99	391.36	...	391.36
13. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1484.27	...	1484.27	639.25	...	639.25	1813.32	...	1813.32	1661.51	...	1661.51
14. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.10	...	0.10	20.20	...	20.20	20.05	...	20.05	20.20	...	20.20
15. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	6.23	6.23	...	5.83	5.83	...	2.19	2.19
16. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	**1484.37**	**...**	**1484.37**	**994.15**	**6.24**	**1000.39**	**2146.36**	**5.84**	**2152.20**	**2073.07**	**2.20**	**2075.27**
कुल जोड़	**4985.98**	**327.49**	**5313.47**	**8152.14**	**707.86**	**8860.00**	**7269.25**	**343.27**	**7612.52**	**7642.35**	**398.90**	**8041.25**

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. नाबार्ड	...	3105.00	3105.00	...	6000.00	6000.00	...	8101.50	8101.50	...	6741.96	6741.96
जोड़	**...**	**3105.00**	**3105.00**	**...**	**6000.00**	**6000.00**	**...**	**8101.50**	**8101.50**	**...**	**6741.96**	**6741.96**

1. **सचिवालय:** प्रावधान, मंत्रालय के सभी अधिकरणों सहित सचिवालय स्थापना व्यय के लिए है।

2. **केन्द्रीय जल आयोग:** प्रावधान, केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना व्यय तथा आंकड़ा संग्रहण, निर्देशन एवं प्रशासन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, जल विज्ञानीय प्रेक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान देने, उपकरणों का आधुनिकीकरण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ, जल आयोजना, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्र के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को भुगतान तथा ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान तथा जल विज्ञानीय प्रेक्षण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए है।

3. **केंद्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधानशाला:** प्रावधान, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। इसका कार्य जल संसाधन विकास के सभी चरणों से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन, उनमें परिवर्तन, संशोधन अथवा उनका डिजाइन फिर से तैयार करने और/अथवा उनमें निहित उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों की आयोजना, आयोजन और निष्पादन करना है जिसमें जल आधारित परिवहन, पर्यावरणीय पहलू भी शामिल हैं। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले परामर्श और/अथवा सलाहकारी सेवाएं भी देती है।

4. **केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला:** प्रावधान, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला का कार्य-क्षेत्र एवं प्रयोगशाला जांच, भूगर्भीय तंत्र में समस्याओं के विषय में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, निर्माण सामग्री तथा संबंधित पर्यावरणीय मसलों जिनका देश में सिंचाई और विद्युत विकास पर सीधा असर पड़ता है, के संबंध में कार्य करना और भारत तथा विदेशों में विभिन्न परियोजनाओं तथा संगठनों को उपर्युक्त क्षेत्रों में सलाह और परामर्श देना है।

5. **सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति:** प्रावधान, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के स्थापना व्यय के लिए है। इस समिति का गठन भारत सरकार द्वारा नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुसार वर्ष 1980 में किया गया था जिसका उद्देश्य सरदार सरोवर परियोजना की यूनिट-I (बांध एवं सबद्ध निर्माण कार्य) और यूनिट-II (जल विद्युत निर्माण कार्य) का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना था।

6. **बाणसागर नियंत्रण बोर्ड:** प्रावधान, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच अंतर्राज्यीय समझौते के आधार पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन जनवरी, 1976 में किया गया था जिसका उद्देश्य बाणसागर बांध और संबंधित निर्माण कार्यों का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन करना था। संबंधित राज्य अपने क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य तथा विद्युत प्रणाली संबंधी कार्य करते हैं। नियंत्रण बोर्ड का संपूर्ण दायित्व बाणसागर बांध और उससे संबंधित संरचनाओं के निर्माण का है।

7. **ऊपरी यमुना नदी बोर्ड:** प्रावधान, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आबंटन को विनियमित करना तथा लौटते प्रवाह की निगरानी करना, सतही और भूमि जल की निगरनी, संरक्षण तथा गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करना, बेसिन के लिए जल मौसम विज्ञानी आंकड़ों का रखरखाव, वाटरशैड प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं बनाना और ओखला बैराज सहित उस तक सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

8. **केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड:** प्रावधान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड एक बहुआयामी वैज्ञानिक संगठन है जिसका दायित्व "प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार तथा भारत के भूमि जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत विकास व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करना है जिसमें सतही एवं भूमि जल की खोज, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा, वितरण करना शामिल है जो आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय कौशल और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो"। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को राष्ट्रीय शीर्ष संगठन होने के कारण, वैज्ञानिक अध्ययन करने, खुदाई द्वारा प्रेक्षण, भूमि जल प्रणाली की निगरानी, देश के भूमि जल संसाधनों का आकलन, संवर्धन, प्रबंधन और विनियमन करने का दायित्व सौंपा गया है।

9. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान:** प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के लिए है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संपूर्ण रूप से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1979 में संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य कार्यों में जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय करना, जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और सम्मिलन, सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसरण में एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना और अनुरक्षण करना तथा इसमें किताबों, समीक्षाएं, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं और अन्य संबंधित प्रकाशनों आदि को रखना शामिल है।

10. **राष्ट्रीय जल सूचनात्मक केंद्र:** प्रावधान राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (NWIC) के स्थापना व्यय के लिए है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। ईएफसी की बैठक 16.10.2015 को आयोजित की गई थी और यह

माना गया था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान डेटा के महत्व को देखते हुए, संपूर्ण डेटा और निर्णय समर्थन प्रणाली को NWIC द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

12. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम:** प्रावधान, गंगा नदी एवं इसकी वितरिकाओं से संबंधित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का निष्पादन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के रूप में किया जाता है।

13.01. **फरक्का बैराज परियोजना:** प्रावधान, फरक्का बैराज परियोजना के निष्पादन के लिए है।

भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नौवहन क्षमता में सुधार के द्वारा कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके मुख्य कार्यो में फरक्का बैराज, जांगीपुर बैराज का प्रचालन एवं अनुरक्षण, फीडर नहर, नेविगेशन लॉक्स, सुविधा प्रदान करना, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल की साझेदारी के संबंध में समझौते का कार्यान्वयन शामिल है।

15. **बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम:** प्रावधान, बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम तथा दामोदर घाटी निगम के लिए है, जो कि बांध सुरक्षा और इसके पुनर्स्थापन के लिए परियोजनाओं को शुरू करता है। भारत में बांध सुरक्षा गतिविधियों को लगातार सुदृढ़ करने के भाग के रूप में इस स्कीम को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है।

16.01. **राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य:** प्रावधान, गंगा और इसकी सहायक नदियों से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए है। इसमें नई एसटीपी को शुरू करने के अलावा मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों के पुनर्स्थापन और अपग्रेडेशन संबंधी स्कीम शामिल है।

16.02. **राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य:** प्रावधान, गंगा नदी के तट के सौंदर्यीकरण संबंधी घाट कार्यो के लिए है।

18. **नदी बेसिन प्रबंधन:** प्रावधान (i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की नियमित स्थापना व्यय के लिए अनुदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में ड्रेनेज डेवलपमेंट स्कीम, एंटी-इरोशन और फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स, मास्टर प्लानों की सर्वे, जांच और तैयारी / अपडेट जैसे अपनी नियमित गतिविधियों / कार्य को पूरा करने के लिए है। (ii) जल संसाधन विकास सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वेक्षण, जांच और डीपीआर तैयार करने के लिए और एनडब्ल्यूडीए को नियमित स्थापना व्यय के लिए अनुदान और नदियों के बीच में जोड़ने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने के लिए है। और (iii) नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना के लिए है।

20. **नदियों को आपस में जोड़ना:** प्रावधान, देश की नदियों को आपस में जोड़ने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए है।

21. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** प्रावधान, डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली से संबंधित है, एकीकरण और मौजूदा केन्द्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों को मजबूत बनाने और डेटा और प्रसंस्करण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

22. **भूजल प्रबंधन और विनियमन:** प्रावधान, बेहतर भूजल शासन के लिए भूजल प्रबंधन एवं नियमन से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए है।

23. **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:** प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, पद्धति और मॉडल (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा विकसित की गई) पुनः देखना तथा उसको समेकित करना, यदि आवश्यक हो तो आकलन की पद्धति के अनुसार राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना, बेसिन के मैक्रो-मॉडल की तर्ज पर राज्य के इंजीनियरों (माइक्रो-मॉडल) द्वारा उप-बेसिन स्तर पर जल आकलन मॉडल का विकास करना, नदी बेसिन आयोजना, विस्तारित हाइड्रोलोजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी) बाढ़ पूर्वानुमान (फ्लैश फ्लड, बाढ़ तथा जलभराव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली) सेडीमैंट मॉडलिंग अध्ययन, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआईसी) आदि के कार्यान्वयन के लिए है। यह योजना विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

24. **अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन:** प्रावधान जल के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, तथा जल का संरक्षण बर्बादी को कम करने तथा एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के हेतु राष्ट्रीय जल मिशन के लिए है

25. **मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** एचआरडी / क्षमता निर्माण कार्यक्रम: इस योजना के तहत इन घटकों के लिए के लिए प्रावधान किया गया है (i) जल संरक्षण के प्रसार और प्रचार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की गतिविधि (ii) सतह जल क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी हेतु (iii) भूजल क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्राउंड वॉटर ट्रेनिंग संस्थान हेतु (iv) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान जल एवं भूमि प्रबंधन (नीरीवाम) की की नियमित स्थापना व्यय एवं गतिविधियों के लिए अनुदान हेतु (v) मंत्रालय और उसके संगठन के अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि हेतु ।

26. **अवसंरचना विकास:** प्रावधान, अवसंरचना विकास, कार्यालयों और सूचना प्रौद्योगिकी की बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए है।

27. **हर खेत को पानी:** प्रावधान, पीएमकेएसवाई के तहत कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। ब्याज के रूप में भुगतान करने के लिए नाबार्ड में ऋण ₹1430.00 करोड़ हेतु सं.अ. 2018-19 में का प्रावधान रखा गया है |

28. **प्रभाव आकलन अध्ययन:** प्रभाव आकलन अध्ययन: प्रावधान एआईबीपी कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए है।

32. **बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम:** बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम व नियंत्रित करने, सीमा नदियों में नदी प्रबंधन कार्य, बाढ़ नियंत्रण कटावरोधन तथा समुद्री कटावरोधन कार्य, कोसी तथा गंडक परियोजना (नेपाल) में बाढ़ संरक्षण कार्यों के रखरखाव के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण तथा जांच करने हेतु प्रावधान।

33. **सिंचाई गणना:** प्रावधान, लघु सिंचाई गणना आदि को युक्तिपूर्ण ढंग से करने के लिए सिंचाई गणना योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

34. **अटल भू-जल योजना:** भूजल प्रबंधन में सुधार और प्रोत्साहन के लिए प्रस्तावित नई योजना अटल भुजल योजना (एबीएचआई) हेतु टोकन प्रावधान।

35.01. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण के लिए ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान है।

35.02. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के लिए नाबार्ड ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण के लिए प्रिंसिपल के पुनर्भुगतान का प्रावधान है।

35.03. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता:** पीएमकेएसवाई के तहत राज्यों के लिए नाबार्ड के लिए ब्याज उपबंध का प्रावधान है।

36. **विदर्भ और मराठावाड़ा जिला एवं अन्य शेष महाराष्ट्र के भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान विदर्भ और मराठवाड़ा में कृषि संकट से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में सूखे की संभावना है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 98

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	20507.14	13.31	20520.45	25199.99	0.01	25200.00	25213.49	45.13	25258.62	29664.89	0.01	29664.90
वसूलियां	*-124.09*	*...*	-124.09	*-500.00*	*...*	*-500.00*	*-500.00*	*...*	*-500.00*	*-500.00*	*...*	*-500.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**20383.05**	**13.31**	**20396.36**	**24699.99**	**0.01**	**24700.00**	**24713.49**	**45.13**	**24758.62**	**29164.89**	**0.01**	**29164.90**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	42.83	...	42.83	43.62	...	43.62	44.42	...	44.42	46.74	...	46.74
2. खाद्य एवं पोषण बोर्ड	12.12	...	12.12	14.00	...	14.00	13.20	...	13.20	14.18	...	14.18
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**54.95**	**...**	**54.95**	**57.62**	**...**	**57.62**	**57.62**	**...**	**57.62**	**60.92**	**...**	**60.92**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)	55.82	...	55.82	59.41	...	59.41	59.41	...	59.41	63.00	...	63.00
4. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	8.77	...	8.77	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	12.61	...	12.61	18.00	...	18.00	17.83	...	17.83	18.00	...	18.00
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	24.29	...	24.29	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	25.00	...	25.00
7. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	64.48	...	64.48	71.50	...	71.50	71.50	...	71.50	68.00	...	68.00
8. राष्ट्रीय महिला कोष	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-स्वायत्त निकाय	**165.97**	**...**	**165.97**	**181.92**	**...**	**181.92**	**181.75**	**...**	**181.75**	**183.01**	**...**	**183.01**
अन्य												
9. राष्ट्रीय पुरुस्कार	0.45	...	0.45	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
10. यूनिसेफ के लिए अंशदान	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60
जोड़-अन्य	**6.05**	**...**	**6.05**	**6.60**	**...**	**6.60**	**6.60**	**...**	**6.60**	**6.60**	**...**	**6.60**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**172.02**	**...**	**172.02**	**188.52**	**...**	**188.52**	**188.35**	**...**	**188.35**	**189.61**	**...**	**189.61**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अम्ब्रेला आई. सी. डी. एस.												
11. आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस)	15155.40	...	15155.40	16334.88	...	16334.88	17890.19	...	17890.19	19834.37	...	19834.37
12. राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित)												
12.01 कार्यक्रम घटक	506.19	13.31	519.50	2928.69	0.01	2928.70	2944.87	45.13	2990.00	3399.99	0.01	3400.00
12.02 ईएपी घटक	373.27	...	373.27	71.30	...	71.30	71.30	...	71.30	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित)	*879.46*	*13.31*	*892.77*	*2999.99*	*0.01*	*3000.00*	*3016.17*	*45.13*	*3061.30*	*3399.99*	*0.01*	*3400.00*
13. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	2048.31	...	2048.31	2400.00	...	2400.00	1200.00	...	1200.00	2500.00	...	2500.00
14. किशोरियों के लिए स्कीम	450.62	...	450.62	500.00	...	500.00	250.00	...	250.00	300.00	...	300.00
15. राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	48.79	...	48.79	128.39	...	128.39	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
16. बाल संरक्षण सेवाएं	637.81	...	637.81	725.00	...	725.00	925.00	...	925.00	1500.00	...	1500.00
17. देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बालकों के कल्याण की योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़-अम्ब्रेला आई. सी. डी. एस.	**19220.39**	**13.31**	**19233.70**	**23088.27**	**0.01**	**23088.28**	**23311.37**	**45.13**	**23356.50**	**27584.36**	**0.01**	**27584.37**
महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन												
18. महिला शक्ति केंद्र	57.96	...	57.96	267.30	...	267.30	115.00	...	115.00	150.00	...	150.00
19. स्वाधार गृह	57.21	...	57.21	95.00	...	95.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
20. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहयोग देना (एसटीईपी)	3.08	...	3.08	5.00	...	5.00	4.50	...	4.50	3.00	...	3.00
21. उज्ज्वला	24.55	...	24.55	50.00	...	50.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
22. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	26.96	...	26.96	60.00	...	60.00	52.00	...	52.00	165.00	...	165.00
23. जेंडर बजटिंग	1.53	...	1.53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. अनुसंधान, प्रकाशन तथा मानीटरिंग	1.84	...	1.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25. सूचना एवं जन संचार (मीडिया)	65.12	...	65.12	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00	130.00	...	130.00
26. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	169.10	...	169.10	280.00	...	280.00	280.00	...	280.00	280.00	...	280.00
27. महिला हेल्पेलाइन	7.64	...	7.64	28.80	...	28.80	28.80	...	28.80	17.78	...	17.78
28. वन स्टॉप सेंटर	30.10	...	30.10	105.10	...	105.10	302.80	...	302.80	274.00	...	274.00
29. निर्भया कोष से वित्त पोषित अन्य योजनाएं	114.69	...	114.69	359.09	...	359.09	161.39	...	161.39	201.21	...	201.21
30. निर्भया कोष को अंतरण	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
31. निर्भया कोष से वहन की गयी राशि	-114.69	...	-114.69	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
32. जेंडर बजटिंग एवं अनुसन्धान, प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग	...	...	...	8.28	...	8.28	6.65	...	6.65	7.00	...	7.00
33. महिला पुलिस वालंटियर्स	...	...	...	7.01	...	7.01	7.01	...	7.01	7.01	...	7.01
जोड़-महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन	**945.09**	**...**	**945.09**	**1365.58**	**...**	**1365.58**	**1148.15**	**...**	**1148.15**	**1315.00**	**...**	**1315.00**
34. वास्तविक वसूली	-9.40	...	-9.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन												
35. विधवाओं के लिए आवास	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00	15.00	...	15.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**20156.08**	**13.31**	**20169.39**	**24453.85**	**0.01**	**24453.86**	**24467.52**	**45.13**	**24512.65**	**28914.36**	**0.01**	**28914.37**
कुल जोड़	***20383.05***	***13.31***	***20396.36***	***24699.99***	***0.01***	***24700.00***	***24713.49***	***45.13***	***24758.62***	***29164.89***	***0.01***	***29164.90***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3079.95	...	3079.95	3703.82	...	3703.82	2448.71	...	2448.71	4117.21	...	4117.21
2. पोषाहार	12.12	...	12.12	14.00	...	14.00	13.20	...	13.20	14.18	...	14.18
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	42.78	...	42.78	43.62	...	43.62	44.42	...	44.42	46.74	...	46.74
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	13.31	13.31	...	0.01	0.01	...	45.13	45.13	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3134.85**	**13.31**	**3148.16**	**3761.44**	**0.01**	**3761.45**	**2506.33**	**45.13**	**2551.46**	**4178.13**	**0.01**	**4178.14**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2445.39	...	2445.39	2451.27	...	2451.27	2891.44	...	2891.44
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	17099.99	...	17099.99	18201.11	...	18201.11	19534.43	...	19534.43	21845.68	...	21845.68
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	148.21	...	148.21	292.05	...	292.05	221.46	...	221.46	249.64	...	249.64
जोड़-अन्य	**17248.20**	**...**	**17248.20**	**20938.55**	**...**	**20938.55**	**22207.16**	**...**	**22207.16**	**24986.76**	**...**	**24986.76**
कुल जोड़	**20383.05**	**13.31**	**20396.36**	**24699.99**	**0.01**	**24700.00**	**24713.49**	**45.13**	**24758.62**	**29164.89**	**0.01**	**29164.90**

1. **सचिवालय:** प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्ययय के लिए है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की खरीद, हार्ड-वेयर एवं सॉफ्ट-वेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यिकताएं भी शामिल हैं।

2. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड:** खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) मंत्रालय के बाल विकास ब्यूरो के अधीन तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ है । मंत्रालय में एफएनबी पोषण में नीतिगत मुद्दों पर कार्य करता है। यह व्यापक श्रेणी की पोषण शिक्षा एवं विस्तार सेवाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं जागरूकता के लिए इनपुट प्रदान करने का भी प्रमुख कार्यकर्ता है।

3. **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** निपसिड जन सहयोग एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, सूचना सेवाएं प्रदान करता है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय तथा बैंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर एवं लखनऊ में अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यंम से प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श की आवश्यकता भी पूरी करता है।

4. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा):** दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का केंद्रीय सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और इसको इन-कंट्री और इंटर-कंट्री दत्तक-ग्रहण को मॉनिटर और विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई है। कारा प्राथमिक रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ,परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक-ग्रहण से संबंधित कार्य करता है। किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम,2015 की धारा 68 (ग) के तहत यथा अधिदेशित 'केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण'(कारा) द्वारा तैयार किए गए दत्तक-ग्रहण विनियमन,2017 04 जनवरी 2017 को अधिसूचित किये गए हैं। दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 ने दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देश, 2015 को प्रतिस्थापित किया है।

5. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):** बच्चों की संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की निगरानी तथा बच्चों की उत्तरजीविता, कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत आयोग का गठन किया गया।

6. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसका अधिदेश संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं अन्वेषण करना है। यह शिकायतों की जांच पड़ताल करता है तथा महिलाओं के अधिकारों आदि के अपवंचन से संबंधित मामलों का स्व –प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

7. **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** सीएसडब्यूबी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनके कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों मं शामिल हैं- महिलाओं और लड़कियों के

लिए शिक्षा का संघनित पाठ्यक्रम जागरूकता सृजन कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार काउंसलिंग केंद्र तथा अल्पाजवास गृह। ये स्कीमें राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

8. **राष्ट्रीय महिला कोष:** राष्ट्रीय महिला कोष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है। इससे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, महिला संघों तथा सहकारी बैंकों के माध्यंम से गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए 1993 में केवल महिलाओं के गठित किया गया । आरएमके शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जीविका, सूक्ष्मं उद्यम, आवास तथा पारिवारिक जरूरतों के लिए जमानत के बगैर ग्राहक अनुकूल तथा बाधामुक्त विधि से ऋण प्रदान करता है।

9. **राष्ट्रीय पुरुस्कार:** इनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

10. **यूनिसेफ के लिए अंशदान:** यह यूनिसेफ को भारत के अंशदान पर व्यय को पूरा करने के लिए है ।

11. **आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस):** इस योजना में 6 सेवाओं अर्थात अनुपूरक पोषण, गैर औपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण,स्वास्थ्य जांच त्थार रेफरल सेवाओं की व्यवस्था की गई है। सेवा के वैश्वीयकरण के पश्चात, सरकार ने देश के प्रत्येक आवासीय स्तिर को शामिल करते हुए 7076 परियोजनाओं में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया है। अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं को नवम्बर 2017 में संशोधित कार्य-क्षेत्र, ढांचा तथा लागत हिस्सेरदारी अनुपात के साथ युक्तिसंगत बनाया गया था । सरकार ने अक्टूबर 2017 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी) में अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के लागत मानदण्डोंअ को संशोधित भी किया है) और दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा सहयगियों को देय मानदेय को भी बढ़ाया है।

12.01. **कार्यक्रम घटक:** सरकार ने पोषण अभियान (राष्ट्री य पोषण मिशन) की स्थारपना की है जिसकी शुरूआत झुनझुन राजस्थान से दिनांक 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। 9046.17 करोड़ (50 प्रतिशत सरकारी स्त्रोत से और 50 प्रतिशत आईबीआरडी से) के कुल बजट में से, यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी, लक्षित दृष्टिकोण तथा अभिसरण के माध्येम से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करवाने वाली माताओं पर ध्यान देते हुए बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी तथा कम भार की समस्या को दूर करने के लिए संघर्षरत है अत: इस प्रकार यह समग्र रूप में कुपोषण की समस्या को दूर कर रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिर्वतन तथा अगले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न निगरानी पैरामीटरों में शामिल किए जाने वाले विशेष लक्ष्य के निर्धारण द्वारा सेवा प्रदायगी और हस्तक्षेप करना है। समग्र दृष्किोण सुनिश्चिचत करने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन सभी 36 राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों तथा जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा 10 करोड़ से अधिक लोगें को लाभ प्राप्त होगा। इससे पहले पोषण को देश में इस प्रकार की प्रमुखता कभी नहीं मिली है।

इस अभियान का लक्ष्य सहक्रियात्मक रूख तथा परिणामोन्मुख दृष्किोण अपनाते हुए जीवन चक्र की धारणा के माध्यम से चरणबद्ध रूप से देश में कुपोषण को कम करना है। यह अभियान समयबद्ध सेवा प्रदायगी तथा सुदृढ़ निगरानी तथा हस्तक्षेप ढांचे के लिए तंत्र सुनिश्चित करेगा। इस अभियन का लक्ष्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनेपन को वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करना है।

12.02. **राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित):** पोषण में समेकित शिक्षा स्कीम का उद्देश्य लोगों के निम्नानुसार पोषकता स्तर में वृद्धि करना है: केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं का समर्थन करना, सबसे निचले स्तर से कार्यकर्ताओं और समुदायों को पोषणोन्मुखी तैयार करना, लोगों में सामान्य रूप से सूचना और जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अभियान चलाना और चार प्रोन्नत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करके गुणता आश्वासन प्रणाली का सशक्तीकरण।

13. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** माननीय प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर, 2016 को देश के नाम अपने संबोधन में पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएंडएलएम) के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के समस्त भारत में कार्यान्वियन की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आईडी दिनांक 16.06.2017 के माध्यम से सूचित किया कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के नाम से जाना जाएगा। पीएमएमवीवाई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्र और राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के लागत हिस्सेवदारी अनुपात में और विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।

स्कीम का उद्देश्य मजदूरी की क्षति के लिए नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना है ताकि महिला पहले बच्चे के प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम ले सके और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में बेहतर स्वास्थ्त आचरण का मार्ग प्रशस्तस हो सके। स्की म के अंतर्गत तीन किस्तों में विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाली महिला को गर्भावस्था एवं स्तानपान कराने के दौरान डीबीटी पद्धति के द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5000/- रूपये का नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की परिकल्प ना है। संस्था में प्रसव के बाद पात्र लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे ताकि औसतन एक महिला को 6,000/ - रुपये प्राप्त हो सकें।

14. **किशोरियों के लिए स्कीम:** सरकार 11-14 साल की स्कूल बाह्य किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके कौशल में वृद्धि के लिए किशोरी स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य स्कूल बाह्य लड़कियों को पुन: औपचारिक स्कूली शिक्षा या व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना को देश के सभी जिलों में 01.04.2018 से लागू कर दिया गया है। इस प्रकार, यह योजना 2019-20 में देश भर के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

15. **राष्ट्रीय क्रेच स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य कार्यरत माताओं और अन्य पात्र मात्राओं के बच्चों (0-6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन में देखरेख सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल इनपुट्स जैसे प्रतिरक्षण, पोलियो ड्राप, बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख,शयन सुविधाएं, प्रारंभिक सिमुलेशन(03वर्ष से कम), 3-6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा और तात्कालिक औषधियों की व्यवस्था की जाती है।

16. **बाल संरक्षण सेवाएं:** मंत्रालय कानून विरोधी कार्य करने वाले और अन्य संवेदनशील जरुरतमंद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुरक्षित और सरंक्षित परिवेश सृजित करने हेतु इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम को लागू कर रहा है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2009-10 से लागू की जा रही है। कार्यक्रम के घटकों में बाल देखरेख सस्थातओं के माध्यम से संस्थावगत सेवाएं और प्रायोजन के माध्यषम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख, धात्री-देखरेख और दत्तक ग्रहण सेवाएं शामिल हैं। यह चाईल्डलाइन और चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टथम के माध्येम से देखभाल पश्चा त कार्यक्रम और 'आपातकालीन आउटरीच सेवा' के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

18. **महिला शक्ति केंद्र:** भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित करने के लिए महिला शक्ति केंद्र (तत्कालीन राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन योजना का

विलय करके) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। एमएसके के ब्लॉक स्तर पर पहलों के हिस्से के रूप में 115 सबसे पिछड़े जिलों में कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदायों की भागीदारी की संकल्प ना की गई है। चरणबद्ध तरीके से शामिल करने हेतु 640 जिलों के लिए नए जिला स्तरीय महिला केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) की भी परिकल्पना की गई है।

19. **स्वाधार गृह:** स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए समाधान निकालना है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की जरूरत है ताकि वे अपने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से जी सकें। इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य की संकल्पइना की गई है तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

20. **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहयोग देना (एसटीईपी):** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता, कुशलता और दक्षता बढाना है जिससे महिलाएं स्व-नियोजित/ उद्यमी बन सकें।

21. **उज्ज्वला:** यह अनैतिक दुर्व्यापार के रोकथाम के लिए विस्तृत स्कीम है और वाणिज्यिक यौन शोषण के अनैतिक दुर्व्यापार की पीडितों का बचाव, पुनर्वास, परिवार से पुनर्मिलन और प्रत्यावर्तन कराना है।

22. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल:** यह निवास-स्थल से दूर रह रही कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास-सुविधा सुनिश्चित करती है।

25. **सूचना एवं जन संचार (मीडिया):** सूचना तथा जन संचार (मीडिया) का उद्देश्य नीतियों / कार्यक्रमों / कार्यकलापों, विधायी उपायों तथा मनोदशा में बदलाव लाने के लिए सर्वसाधारण के लिए सुव्यवस्थित उपाय में जागरूकता बढ़ाने / प्रचार करने का है।

26. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का लक्ष्य कम बाल लिंगानुपात वाले 161 चयनित जिलों में पूरे देश में व्यापक अभियान तथा केंद्रीयकृत हस्तक्षेप और बहुक्षेत्रक कार्रवाई के माध्यम से बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में कमी के मुद्दे का समाधान करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विस्तार को 405 जिलों में बहुस्तरीय हस्तक्षेप तथा 235 जिलों में सक्रिय जिला मीडिया तथा सहायता की पहुंच जिला आउटरीच के माध्यिम से देश के सभी 640 जिलों (अब 2011 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। जिला कलैक्टर/उपायुक्त इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी है।

27. **महिला हेल्पेलाइन:** मंत्रालय ने महिला हेल्प लाइन सर्वसुलभीकरण की स्कीम 19 फरवरी, 2015 को अनुमोदित कर दी है। यह स्कीम 01.04.2015 से क्रियान्वित की जा रही है। महिला हेल्प लाइन (डबल्यूएचएल) सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपात प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएगी।

28. **वन स्टॉप सेंटर:** वन स्टेप सेंटर मुख्य रूप से परिवार, समाज, कार्यस्थल सहित निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओ को मेडिकल सहायता पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/मामला प्रबंधन, मनौवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी सहायता सेवाओं सहित समेकित सेवा सीमा की सुलभता सुकर कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है।

32. **जेंडर बजटिंग एवं अनुसन्धान, प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग:** लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सरकारी आयोजना एवं बजट के जरिए सतत निवेश सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक जबरदस्त साधन के रूप में जेंडर बजट को अपनाया गया। जेंडर बजटिंग कार्यक्रम, नीति निर्माण, लक्षित समूहों की जरूरतों के आकलन, मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा, संसाधनों के आवंटन, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, जेंडर संवेदनशील प्रतिफल, परिणाम, जेंडर लेखा परीक्षा और प्रभाव निर्धारण, और संसाधनों के पुन: वरीयताक्रमण के विभिन्न स्तरों पर जेंडर परिप्रेक्ष्य बनाए रखता है। मंत्रालय और खाद्य और पोषण से संबंधित पहलुओं सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के क्षेत्रों में शोध, प्रकाशन एवं मॉनीटरिंग की परियोजनाओं को प्रायोजित करता है।

33. **महिला पुलिस वालंटियर्स:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों /संघ राज्य अन्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वालेंटियर (एमपीवी) की सेवाएं लेना शुरू कर दिया है जो पुलिस और समाज के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करेंगी और संकट में पड़ी महिलाओं को सुविधा प्रदान करेंगी। करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में इस पहल को अपनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अतिरिक्त, महिला पुलिस वालेंटियर के कार्यान्व यन के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीससगढ़ और कर्नाटक के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा भी इस कार्यक्रम का शीघ्र ही अनुपालन किए जाने की संभावना है।

35. **विधवाओं के लिए आवास:** विधवाओं के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए वृदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वितपोषित 1000 निवासियों की क्षमता वाला विधवाओं के लिए घर अर्थात कृष्णा कुटीर का निर्माण किया गया है। इसमें रेम्प, लिफ्टों तथा फिजिओथेरॉपी जैसी वृद्ध हितैषी सुविधाएं हैं।

युवा मामले और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 99

युवा मामले और खेल मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1710.21	12.50	1722.71	2138.31	58.04	2196.35	1981.03	21.69	2002.72	2181.90	35.02	2216.92
वसूलियां	*-33.63*	...	-33.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1676.58**	**12.50**	**1689.08**	**2138.31**	**58.04**	**2196.35**	**1981.03**	**21.69**	**2002.72**	**2181.90**	**35.02**	**2216.92**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	25.52	...	25.52	31.00	...	31.00	30.40	...	30.40	33.00	...	33.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. राष्ट्रीय सेवा योजना	125.74	...	125.74	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम												
3. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम	10.52	...	10.52	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	12.00	...	12.00
4. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम												
4.01 कार्यक्रम घटक	17.44	...	17.44	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	21.00	...	21.00
5. राष्ट्रीय युवा कोर	60.00	...	60.00	80.00	...	80.00	65.00	...	65.00	80.00	...	80.00
6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	15.51	...	15.51	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	21.00	...	21.00
7. राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
8. स्काउटिंग और गाइडिंग	0.75	...	0.75	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
9. युवा छात्रावास	0.58	0.75	1.33	0.80	0.90	1.70	1.01	0.69	1.70	2.48	0.02	2.50
जोड़-राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम	**109.80**	**0.75**	**110.55**	**152.30**	**0.90**	**153.20**	**137.51**	**0.69**	**138.20**	**137.98**	**0.02**	**138.00**
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार												
10. उत्कृष्ट खेलों को बढ़ावा हेतु सहायता												
10.01 राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता	277.68	...	277.68	342.00	...	342.00	245.13	...	245.13	245.00	...	245.00
10.02 खेलों में मानव संसाधन विकास योजना	5.38	...	5.38	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़- उत्कृष्ट खेलों को बढ़ावा हेतु सहायता	*283.06*	...	*283.06*	*347.00*	...	*347.00*	*250.13*	...	*250.13*	*250.00*	...	*250.00*
11. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	13.91	...	13.91	23.00	...	23.00	63.00	...	63.00	89.00	...	89.00
12. राष्ट्रीय खेल विकास कोष	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	70.00	...	70.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष	0.30	...	0.30	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	2.00	...	2.00
जोड़-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार	**299.27**	**...**	**299.27**	**374.00**	**...**	**374.00**	**316.93**	**...**	**316.93**	**411.00**	**...**	**411.00**
खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम												
14. खेलो इण्डिया	346.99	...	346.99	520.09	...	520.09	500.09	...	500.09	500.00	...	500.00
15. जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी	...	...	...	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00
16. कॉमनवेल्थ खेल 2010 - भारतीय खेल प्राधिकरण - स्टेडियम नवीनीकरण	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	70.00	...	70.00
17. राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम - संसाधन केंद्र एलएनयूपीई ग्वालियर	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. हिमालयी क्षेत्र खेल समारोह	...	...	...	5.00	...	5.00	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
जोड़-खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	**348.99**	**...**	**348.99**	**575.59**	**...**	**575.59**	**550.69**	**...**	**550.69**	**601.00**	**...**	**601.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**883.80**	**0.75**	**884.55**	**1261.89**	**0.90**	**1262.79**	**1165.13**	**0.69**	**1165.82**	**1309.98**	**0.02**	**1310.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
19. नेहरू युवा केंद्र संगठन	215.00	...	215.00	255.00	...	255.00	270.00	...	270.00	256.92	...	256.92
20. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	16.87	...	16.87	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	30.00	...	30.00
21. भारतीय खेल प्राधिकरण	495.73	...	495.73	429.56	...	429.56	395.00	...	395.00	450.00	...	450.00
22. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	44.27	...	44.27	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	50.00	...	50.00
23. अन्य स्वायत्त निकाय	28.02	11.75	39.77	91.86	57.14	149.00	51.50	21.00	72.50	51.00	35.00	86.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**799.89**	**11.75**	**811.64**	**844.42**	**57.14**	**901.56**	**784.50**	**21.00**	**805.50**	**837.92**	**35.00**	**872.92**
अन्य												
24. विश्व डोप रोधी एजेंसी को अंशदान	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
25. वास्तविक वसूलियां	-33.63	...	-33.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-32.63**	**...**	**-32.63**	**1.00**	**...**	**1.00**	**1.00**	**...**	**1.00**	**1.00**	**...**	**1.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**767.26**	**11.75**	**779.01**	**845.42**	**57.14**	**902.56**	**785.50**	**21.00**	**806.50**	**838.92**	**35.00**	**873.92**
कुल जोड़	***1676.58***	***12.50***	***1689.08***	***2138.31***	***58.04***	***2196.35***	***1981.03***	***21.69***	***2002.72***	***2181.90***	***35.02***	***2216.92***
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. खेल और युवा मामले	1651.36	...	1651.36	1935.15	...	1935.15	1787.68	...	1787.68	1968.26	...	1968.26
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	25.22	...	25.22	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	32.00	...	32.00
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	...	12.50	12.50	...	2.75	2.75	...	1.55	1.55	...	10.01	10.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1676.58**	**12.50**	**1689.08**	**1965.15**	**2.75**	**1967.90**	**1817.68**	**1.55**	**1819.23**	**2000.26**	**10.01**	**2010.27**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	173.16	...	173.16	163.35	...	163.35	181.64	...	181.64
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	55.29	55.29	...	20.14	20.14	...	25.01	25.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	...	...	...	**173.16**	**55.29**	**228.45**	**163.35**	**20.14**	**183.49**	**181.64**	**25.01**	**206.65**
कुल जोड़	**1676.58**	**12.50**	**1689.08**	**2138.31**	**58.04**	**2196.35**	**1981.03**	**21.69**	**2002.72**	**2181.90**	**35.02**	**2216.92**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय का प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय सेवा योजना:** राष्ट्रीय सेवा योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसका लक्ष्य स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है ।एन एस एस का संचालन विश्वविद्यालय/कॉलेज तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्कूल स्तर पर किया जाता है| एन एस एस का लक्ष्य विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना को जगाना तथा उन्हें गांवों व मलिन बस्तियों के लोगों के साथ कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना है |

3. **राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को उनके संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें विकास प्रक्रिया के अग्रेणी स्तर पर लाना हैं। इसमें राष्ट्र-निर्माण के लिए विशाल युवा ऊर्जा का उपयोग करने की अपेक्षा की गयी है।

4. **राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम:** यह एक संयुक्त योजना है जो 10वीं योजनावधि के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान प्राप्त योजनाओं नामत: युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा किशोरों का विकास और अधिकारिता को मिलाकर तैयार की गई थी | इसका उद्देश्य एक जैसे उद्देश्यों वाली योजनाओं की संख्या को कम करना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकरुपता सुनिश्चित करना, फील्ड स्तर पर धन की उपलब्धता में विलम्ब को रोकना तथा परियोजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार की संस्थागत सहभागिता को सुनिश्चित करना है | बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा निधियों के अधिकतम सकारात्मक उपयोग के लिए भी प्रत्येक घटक के लिए पृथक प्रावधान करने के बजाय समेकित बजट का प्रावधान है | इससे परिचालन प्रक्रिया तथा कार्यक्रम करने में सहक्रियाशीलता और समाभिरुपता होगी | इस योजना की भावना के अनुसार इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी युवा और किशोर हैं |

5. **राष्ट्रीय युवा कोर:** इसे राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना और राष्ट्रीय सदभावना योजना जैसी पूर्व योजनाओं को मिला कर तैयार किया गया है और राष्ट्रीय युवा कॉरपस के नाम से पुकारा जाता है। योजना का लक्ष्य पूर्णकालिक आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है | यह प्रावधान स्वयंसेवकों के स्टाइपेन्ड, बोर्डिंग, लॉजिंग और यात्रा भत्ता के लिए है ।

6. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों हेतू अंशदान के लिए है |

8. **स्काउटिंग और गाइडिंग:** यह प्रावधान स्काउट्स और गाइड्स की विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु है |

9. **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश के युवाओं की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं | युवा छात्रावासों के निर्माण की परिकल्पना केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रुप में की गई है | केन्द्र सरकार युवा छात्रावासों के निर्माण की लागत वहन करती है | निर्माणाधीन युवा छात्रावासों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है |

10.01. **राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता:** मंत्रालय मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है | कोचिंग शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय टीम की तैयारी और विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए भा.खे.प्रा. के माध्यम से भी वित्तीय सहायता दी जाती है |

10.02. **खेलों में मानव संसाधन विकास योजना:** देश में खेलकूद के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और खेल औषधि में मानव संसाधन विकास

11. **खिलाड़ियों को प्रोत्साहन:** स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर और विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है | उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं | ओलंपिक, विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिपों के पदक विजेताओं तथा एशियाई, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को पेंशन दी जाती है | विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है| जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को ध्यांचंद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है |

12. **राष्ट्रीय खेल विकास कोष:** सामान्य रुप से खेलों के संवर्धन तथा विशेष रुप से खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए यह एक स्थायी निधि है | यह स्कीम सार्वजनिक-निजी-सहभागिता पर आधारित है तथा भारत सरकार अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान की तुलना में समतुल्य योगदान देती है |

13. **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष:** खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना निर्धन परिस्थितियों मे जीवनयापन कर रहे पूर्व प्रतिभावान खिलाड़ियों, जिन्होंने खेलों में देश का गौरव बढ़ाया था।

14. **खेलो इण्डिया:** खेलों इंडिया स्कीम एक अम्ब्रेला योजना है, जिसका उद्देश्य खेल के व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जो कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे जनसंख्या को इसके लाभों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा जो बच्चों और युवाओं का सामुदायिक विकास, लिंग समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित समान अवसर प्रधान करता है।

15. **जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी:** यह स्कीम शान्ति तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जम्मू एवं कश्मीर में खेल अवसंरचनाओं तथा खेल सुविधाओं को अपग्रेड तथा विकसित किया जाएगा।

19. **नेहरू युवा केंद्र संगठन:** मंत्रालय के अधीन नेहरु युवा केन्द्र संगठन एक स्वायत निकाय जमीनी वास्तविकता से जुड़ा हुआ विशालतम गैर-सरकारी संगठन है जो 1.70 लाख समुदाय आधारित युवा क्लबों के माध्यम से नामित किए गए 15-29 आयु समूह के 36.53 लाख से अधिक गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है | यह गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में प्रमुख प्रेरणादायक व विकास गतिविधियों के लिए सरकारी कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करता है । नेहरू युवा केंद्र संगठन के अब 29 राज्य कार्यालय हैं जो देश के 623 जिलों में कार्य कर रहे हैं।

20. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान:** इसकी स्थापना 1983 में श्रीपेरम्बुदूर (तमिलनाडु) में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय के रुप में की गई थी और यह सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह देश में युवाओं से संबंधित प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा मूल्यांकन और सभी गतिविधियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार है| संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के केन्द्र के रूप में मंजूरी मिल चुकी है।

21. **भारतीय खेल प्राधिकरण:** भारत सरकार ने 1984 में भा.खे.प्रा. की स्थापना की थी जिसके दो लक्ष्य विभिन्न आयु-समूहों के बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक उपकरण, कोचिंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है | भा.खे.प्रा. दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के दौरान निर्मित/नवीनीकृत किए गए स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है|

22. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान:** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था और इसे 1995 में समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायतशासी संगठन है जो पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

23. **अन्य स्वायत्त निकाय:** अन्य स्वायत्त निकायों में निम्न हैं राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खेल कोचिंग केंद्र और पूर्वोतर में खेल विश्वविद्यालय हैं।

24. **विश्व डोप रोधी एजेंसी को अंशदान:** यह अंतरराष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी के लिए अंशदान है |